FOR REFERENCE ONLY.

योदश माला, खंड 33, अंक 26

बुधवार, 23 अप्रैल, 2003
3 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 33 में अंक 21 से 30 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date 19/04/03

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 33, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 26, बुधवार, 23 अप्रैल, 2003/3 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	3-8, 341-362
(एक) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में	3-8, 341-352
(दो) देश के विभिन्न भागों में पोटा के कथित दुरुपयोग के बारे में	352-362
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 462, 464, 465 और 468	9-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 463, 466, 467 और 469 से 481	38-66
अतारांकित प्रश्न संख्या 4637 से 4812	66-329
सभा पटल पर रखे गये पत्र	329-337
प्राक्कलन समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	337
याचिका समिति	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	337
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	338
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ पैंतीसवां से एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	338-339
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
प्रधानमंत्री की 'हाल की जम्मू-कश्मीर यात्रा'	339-340
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	339-340
कार्य मंत्रणा समिति	
उनचासवां प्रतिवेदन	370

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले. 370-377

(एक) नवसारी जिले के होल्ड गांव में बेहतर जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने तथा सूरत और मुम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल 370-371

(दो) झारखण्ड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामटहल चौधरी 371

(तीन) उड़ीसा में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत और लाभार्थियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव 371-372

(चार) झारखण्ड में सिंहभूम को सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित किए जाने और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा 372

(पांच) अजमेर में एच.एम.टी. यूनिट को अर्थक्षम बनाने के लिये उपाय किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 372-373

(छह) केबल उपभोक्ताओं के लिए नि:शुल्क चैनलों के प्रसारण और बुनियादी सेवा शुल्कों के बारे में दिशानिर्देश और अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया 373

(सात) उत्तर बंगाल के विकास के लिए वर्ष 2003-2004 के योजना आवंटन में और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 373-374

(आठ) सरकारी उपक्रमों के विनिवेश के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा 374

(नौ) देश में टैक्सी चालकों को एक उपयुक्त कानून बनाकर भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा और चिकित्सा सहायता की सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश 374-375

(दस) बकाया देय वाली कंपनियों को प्रसार भारती द्वारा समय विस्तार न दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 375

(ग्यारह) मनमाड और तिरुपति बरास्ता परली-विकाराबाद के बीच रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव 375-376

(बारह) उड़ीसा के किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य 376

(तेरह) देश में विद्युत करघा उद्योग के हितों की रक्षा के किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ शंकर महाले 376

(चौदह) छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में पीलिया के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डा. रमण सिंह 377

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004

विदेश मंत्रालय 378-488

श्री आर.एल. भाटिया 379-389

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी 390-399

श्री रामजीलाल सुमन 399-402

श्रीमती कृष्णा बोस 402-405

श्री रूपचन्द पाल 405-412

श्री खारबेल स्वाइं 412-419

श्री पी.एच. पांडियन 419-424

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी 424-430

श्री भर्तृहरि महताब 430-435

श्री राशिद अलवी 435-440

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह 440-444

प्रो. रासा सिंह रावत 444-449

श्री अजय चक्रवर्ती 449-451

श्री शिवराज वि. पाटील 451-458

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर 459-461

सरदार सिमरनजीत सिंह मान 461-463

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 463-464

श्री वरकला राधाकृष्णन 464-466

कुंवर अखिलेश सिंह 466-468

श्री रामदास आठवले 468-469

श्री यशवंत सिन्हा 469-487

लोक सभा

बुधवार, 23 अप्रैल, 2003/3 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न काल निलंबित करने की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, पोटा पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

पोटा का मामला बहुत गंभीर है।...*(व्यवधान)* पूरे देश में पोटा का दुरुपयोग हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, बार-बार यही मामला उठाया जा रहा है।...*(व्यवधान)* दूसरी तरफ लोग भूखों मर रह हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, आप पोटा पर चर्चा कराइये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने पोटा पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे पोटा के दुरुपयोग के संबंध में कई सूचनाएं मिली हैं। मुझे 'शून्य काल' के दौरान इन सूचनाओं पर चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है। आप इस मुद्दे पर 'शून्य काल' के दौरान चर्चा कर सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचनाओं के संबंध में, मैंने पहले ही संबंधित माननीय सदस्यों को सूचित किया है कि उनके स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मुझे भी रामजी लाल सुमन से पोटा के दुरुपयोग संबंधी सूचना भी प्राप्त हुई है। उनकी नोटिस सूचना प्रश्न काल निलंबित करने के बारे में है। मुझे श्री दासमुंशी की रक्षा संबंधी कुछ मुद्दों के संबंध में प्रश्न काल निलंबित करने की सूचना मिली है। ये दो सूचनाएं प्रश्न काल निलंबित करने के बारे में हैं। मैं इन दोनों सदस्यों से एक या दो मिनट में यह बताने के लिए कहता हूँ कि वे प्रश्न काल क्यों निलंबित करना चाहते हैं।

अब, श्री रामजी लाल सुमन।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैंने भी एक सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना प्रश्न काल निलंबित करने के बारे में नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, पोटा के दुरुपयोग का मामला अत्यधिक गंभीर है। पोटा के संदर्भ में विगत वर्ष 26 मार्च को जब संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्वैश्चन आवर क्यों सस्पैंड किया जाये, इस बारे में आप बताइये।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: उस समय यह आश्वस्त किया गया था कि टाडा के तहत जो प्रावधान थे, जिसके कारण टाडा का दुरुपयोग हुआ, उन सब प्रावधानों को दुरुस्त कर दिया गया है इसलिए अब पोटा का दुरुपयोग नहीं होगा। अभी जो मामले प्रकाश में आ रहे हैं, उसमें अकेले झारखंड में 210 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 12-14 साल के बच्चे भी हैं। वे आदिवासी, अनुसूचित जाति-जनजाति से संबंधित लोग हैं। नकीरन पेपर के संपादक श्री आर.आर. गोपाल को इसी पोटा के तहत गिरफ्तार किया है। यह बहुत गंभीर मामला है। हमें जो आशंका थी कि पूरे हिन्दुस्तान में राजनीतिक विद्वेष के कारण पोटा का दुरुपयोग होगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी प्रश्न काल निलंबित करने संबंधी सूचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप जीरो आवर में सब कुछ कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो समीक्षा समिति बनाई है, वह क्या कर रही है?...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त होने के बाद मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रश्न काल निलंबित करने की सूचना दी है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से सहमत होंगे। यह मेरा कहना नहीं है। और यह कांग्रेस पार्टी का भी कहना नहीं है। कृपया इसे आरोप के रूप में न लें। इसमें सभा की सामूहिक बौद्धिकता प्रतिबिम्बित होती है, कल रक्षा संबंधी स्थायी समिति की उन्नीसवीं रिपोर्ट को सभा में प्रस्तुत किया गया है। यह पैराग्राफ-वार सभी समाचार-पत्रों में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री और पूरा सदन पिछले कई महीने से कह रहे हैं और वर्षों से रक्षा संबंधी मामलों का समर्थन करते रहे हैं एवं सभा प्रत्येक बार सरकार के साथ सहमत होकर खड़ी रहती है।

पं. जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक, देश उनके साथ खड़ा रहा है। अब अध्यक्ष महोदय, आज जो मैंने प्रश्न उठाया है, उसे प्रमुख प्रश्न होना चाहिए। इसलिए, मैंने प्रश्न काल निलंबित करने की सूचना दी है। रिपोर्ट में कहा गया है, ''समिति को रक्षा आवंटन के न उपयोग किये जाने पर दु:ख है, विशेषकर 6,499 करोड़ रु. तक के पूंजी व्यय से संबंध में जो कि वर्ष 2002-2003 के लिए निर्धारित कुल पूंजी व्यय का 30 प्रतिशत है।'' इसका उपयोग नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, देश की रक्षा चौकसी, जवानों का उत्साह और पूरी सेवाओं का मस्तक झुक गया है क्योंकि रिपोर्ट में माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से रक्षा मंत्रालय की पूर्ण असफलता का खुलासा हुआ है।

केवल उतना ही नहीं, इसमें कारगिल कर के बारे में भी कहा गया है, जिसमें न केवल देशभक्त लोगों ने श्रद्धापूर्वक दान दिया बल्कि उन्हें यह भी आशा थी कि इस राशि का पूर्ण सदुपयोग होना चाहिए और इसे इसका व्यय रक्षा उपकरणों की बढ़ोत्तरी पर किया जाना चाहिए। रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रमुख श्री मदन लाल खुराना हैं, रिपोर्ट में कहा गया है, ''रक्षा के विशेष प्रबंध का उन्नयन किए बिना सामान्य राजस्व 4,235 करोड़ रुपये था,'' यह दु:खद है। यह दु:खद रहस्योद्घाटन आज समाचार पत्र में पैरा-वार किया गया है। श्री मदन लाल खुराना यहां नहीं है। उनसे इस मामले पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया जाता। यह गंभीर स्थित हैं जब माननीय रक्षा मंत्री चीन में हैं— मैं आशा करता हूं, लौटने पर इस स्थिति में, सार्स की जांच के लिए उनको अलग रखा जाएगा, केवल माननीय प्रधानमंत्री ही इस स्थिति में हैं, चाहे अभी या 12 बजे दिए जाने वाले अपने वक्तव्य के दौरान वे सभा को विश्वास में लेंगे कि देश की रक्षा के साथ समझौता क्यों किया जा रहा है, ऐसे कठिन समय में रक्षा मंत्रालय की असमर्थता और अक्षमता के कारण देश के रक्षा हितों के साथ समझौता क्यों किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय, इराक के ध्वस्त होने के बाद भारत की एकता और सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए कई तरह के षडयंत्र, हेरा-फेरी और अनुमान लगाए गए, पूरे राष्ट्र के लिए अत्यधिक चिंता का विषय सुरक्षा और रक्षा के बारे में है। यह रिपोर्ट, जो कि सभा की सम्पदा है और ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए अयोग्यतापूर्ण संचालन से सरकार की पूरी तरह से अक्षमता का पर्दाफाश होता है। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि जब रक्षा संबंधी अनुदान मांगों पर विचार नहीं किया जा सका है और इसका 25 तारीख को गिलोटीन किया जाएगा, और मंत्री बाहर हैं, तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अंतर्गत सभा के प्रति जवाबदेह हैं, और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि रक्षा संबंधी तैयारियों के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि प्रश्नकाल को निलंबित किया जाना चाहिए और इस विशेष मुद्दे को राष्ट्र की व्यापक प्राथमिकता के रूप में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसके तकनीकी पक्षों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन प्रश्नकाल निलंबित करने संबंधी सूचना को मैंने पहले

ही अस्वीकार कर दिया है। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं प्रश्न काल निलंबित करने संबंधी सूचना को स्वीकार नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आरोप नहीं है, और न ही यह सभा की परम्परा के अनुकूल है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। इसके लिए किसी अन्य तरीके का उपयोग किया जा सकता है। मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं कि किस तरीके का उपयोग किया जा सकता है। आप उस तरीके का उपयोग कर सकते हैं और सरकार इस पर जवाब देगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह मेरा आरोप नहीं है, परन्तु आपके द्वारा गठित संसदीय समिति का आरोप है। उस संसदीय समिति द्वारा कल ही रिपोर्ट सौंपी गई है, श्री मदन लाल खुराना ने इस बात को सार्वजनिक कर दिया है। यहां तक कि यह सरकार पर गंभीर आरोप है। अभी प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित हैं।

इस प्रश्न पर कैसे समझौता किया जा सकता है? यह इस सभा की सम्पत्ति है। यह कांग्रेस पार्टी का प्रश्न नहीं है। आपकी समिति ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें सरकार से पूछा गया था कि उन्होंने रक्षा का कुप्रबंध कैसे किया और देश संकट में है। प्रधानमंत्री क्यों उत्तर नहीं देते कि वह इस मामले पर कैसे ध्यान देंगे? यह एक गंभीर मामला है*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, देश की सिक्युरिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और प्रश्न नहीं हो सकता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल को निलंबित नहीं कर सकता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि सरकार उचित समय पर इसका उत्तर देना चाहे, यदि वह ऐसा समझती है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: भा.ज.पा. के माननीय सदस्य श्री मदन लाल खुराना सभा में अनुपस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय, यह देश उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। इस देश की सुरक्षा उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है।*...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): प्रधानमंत्री यहां हैं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को निश्चित रूप से नोटिस की आवश्यकता होगी। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सरकार से इस मुद्दे पर कोई वक्तव्य देने के लिए किसी अन्य उपाय का उपयोग किया जा सकता है। यदि सरकार इसी समय इस मुद्दे पर वक्तव्य देने की स्थिति में है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं वह इसकी जांच कर सकते हैं। आप किसी अन्य उपाय का उपयोग कर सकते हैं और सरकार आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर देगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल है और पता नहीं प्रश्न काल में आजकल हम क्या करने लगे हैं? एक तरीका यह भी है कि जब प्रश्न काल हो तो खड़े हो जाइए और जो इच्छा हो, विषय ले आइए, अगर सदन चले तो उसको चलने से रोक दीजिए और अपनी संसदीय परम्परा का झंडा फहराते हुए चले जाइए। अध्यक्ष महोदय, यह सदन चलेगा कैसे? वह एक पार्लियामेंट की कमेटी है।*...(व्यवधान)* आप मुझे बोलने दीजिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: आपने उन्हें यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी है*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपने मुझे यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। मैंने नियमों के अन्तर्गत नोटिस दिया है। प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको ''शून्य काल'' के दौरान यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट से ही उद्धृत किया है। किन्तु माननीय प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी उचित रूप से नहीं कर रहे हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ''शून्य काल'' यह मुद्दा उठाने का ठीक समय है। शून्यकाल'' के दौरान आप यह मुद्दा पुन: उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): क्या हम इस सभा में नई नजीर स्थापित कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: कोई नजीर स्थापित नहीं की जा रही है? कृपया बैठ जाइए।

श्री वी. धनंजय कुमार: क्या हम सभा में स्थायी समिति की प्रत्येक रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने मुझे नोटिस देने के पश्चात यह मुद्दा ठीक ही उठाया है कि वह यह मुद्दा उठाना चाहते हैं क्योंकि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और वह प्रश्न काल निलंबित कराना चाहते थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नियमों के अनुसार उन्होंने नोटिस दिया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए। मैंने उन्हें सूचित कर दिया है कि यद्यपि यह मुद्दा प्रकृतिश: महत्वपूर्ण है फिर भी प्रश्न काल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसलिए प्रश्न काल समाप्त हो जाने के बाद मैं उन्हें पुन: यह मुद्दा उठाने हेतु 'शून्यकाल' के दौरान अनुमति दे रहा हूं। इस बीच मुझे, विश्वास है कि सरकार इस मुद्दे पर अपना मन बनाएगी। अथवा, वह किसी अन्य उपाय का उपयोग कर सकती है जिससे यह मुद्दा सभा में उठाया जा सकता है किन्तु ऐसा प्रश्न काल के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। यह वही बात है जो प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि यह मुद्दा प्रश्न काल के दौरान न उठाकर किसी और समय उठाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उठाई गई बात को समझेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपकी टिप्पणी पर मेरा यह अनुरोध है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम सदैव सहयोग करते रहे हैं और मैं आपकी टिप्पणी का स्वागत करता हूं। तथापि, अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने कहा कि हम अपनी ड्यूटी उचित रूप से नहीं कर रहे हैं। मैं तो स्थायी संसदीय समिति को रिपोर्ट से ही उद्धृत कर रहा हूं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, प्रधान मंत्री खड़े हैं उत्तर देना चाहते हैं। आप कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री उत्तर देना चाहते हैं, कृपया बैठिए। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठिए। मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि सदस्य इस पर अनावश्यक रूप से चिल्लाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इस तरह का व्यवहार सदन में नहीं होना चाहिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रश्न काल है। आज मुझे यहां उत्तर देने के लिए बुलाया गया है। मैं जवाबदेह हूं। मेरे नाम से प्रश्न छपे हैं, जिनका मुझे उत्तर देना है। रात भर मैं उनकी तैयारी करता रहा हूं। लेकिन यहां का दृश्य यह है कि आप प्रश्न ही नहीं कर सकते। क्यों! कोई इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहते हैं तो प्रश्न काल के बाद उठाएं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यही वह कहना चाहते हैं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आपने मुद्दा उठा दिया है और प्रधान मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप यह मुद्दा प्रश्न काल के पश्चात उठा सकते हैं पहले प्रश्न काल को समाप्त होने दीजिए। आप 'शून्यकाल' के दौरान मुद्दा उठा सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह प्रश्न काल का उत्तर देने के लिए यहा आए हैं। मेरा कहना है कि आज देश के समक्ष मुख्य मुद्दा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए बहुत हो गया।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था दीजिए कि प्रश्न काल बाधित न हो।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपसे सहमत हूं, वही करूंगा।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: शून्य काल में आप उसे उठाएं।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अस्पतालों में कैंसर जांच सुविधाओं का अभाव

*462. +**श्री खगेन दास:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर जांच सुविधाएं अपर्याप्त हैं, जैसा कि 18 मार्च, 2003 के 'टाइम्स आफ इंडिया', नई दिल्ली में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कैंसर की प्रारम्भिक अवस्था का पता लगाने संबंधी जांच की सुविधा प्रदान करने व इसके निदान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए कैंसर का शुरू में ही पता लगाना, उसका निदान और उपचार करने के वास्ते पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना विभिन्न राज्य सरकारों का काम है। देश के अधिकांश प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य परिचर्चा केन्द्रों में स्तन, गर्भाशयग्रीवा (यूटेरिन सेरविक्स), मुख गुहा (ओरल कैविटी) आदि जैसे सामान्य कैंसरों का शुरू में ही पता लगाने की व्यवस्था है।

भारत सरकार, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीसीपी) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कैंसर का शुरू में ही पता लगाने, निदान करने और उपचार करने से संबंधित व्यवस्था करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के एक घटक, जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरण प्रदान करके चुनिंदा जिलों में कैंसर का शुरू में ही पता लगाने और उसकी रोकथाम करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित करके संबंधित क्षेत्रों/राज्यों में कैंसर का पता लगाने और उपचार संबंधी व्यापक सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया गया है। 12 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों सहित 14 संस्थाओं ने मुख्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा, स्तन और मुख्य गुहा कैंसरों की जांच के वास्ते प्रायोगिक आधार पर जनसंख्या आधारित कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किए हैं। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्य के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कैंसर की रोकथाम और इसका शुरू में ही पता लगाने के वास्ते स्वास्थ्य शिक्षा/जागरूकता कार्यकलाप किए जाते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में गर्भाशय ग्रीवा, स्तन एवं मुख गुहा के कैंसरों की जांच के बारे में एक अनुसंधान परियोजना भी शुरू की है जिसमें लगभग 15 लाख लोगों को शामिल करने की आशा है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में ''कोबाल्ट स्कीम (मेमोग्राफी यूनिट सहित)'' और ''सभी सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में अर्बुदविज्ञान (आन्कोलाजी) विंग के विकास'' के अंतर्गत निदान एवं उपचार संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़, जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी आदि जैसे केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कैंसर का विशिष्ट उपचार प्रदान करने के वास्ते अत्याधुनिक उपकरण हैं।

श्री खगेन दास: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भलीभांति जानते हैं कि कैंसर का इलाज काफी महंगा होता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बड़ी संख्या में लोग कैंसर का समुचित इलाज नहीं करा सकते हैं और अंततोगत्वा वे दर्दनाक मौत की भेंट चढ़

जाते हैं। उन्हें मुफ्त इलाज मुहैया करा कर उनकी जान बचाई जानी चाहिए। यह सच है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, किन्तु यह समय की मांग है कि इस जानलेवा रोग से सैकड़ों-हजारों लोगों की जान को बचाने के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए।

मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या लगभग 70 फीसदी कैंसर निदान योग्य हैं और इसका बड़े पैमाने पर इलाज किया जा सकता है, बशर्ते की इसका शुरू में पता चल जाए? यदि हां, तो कैंसर का शुरू में पता लगाने के लिए देश में ऐसे कितने सरकारी अस्पताल हैं जो अत्याधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस हैं? मैं इन प्रश्नों का विशेष रूप से जवाब चाहता हूं।

मुझे अफसोस है कि मैं माननीय मंत्री जी के उस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं, जिसमें कहा गया है कि देश के अधिकांश प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य परिचर्चा केन्द्रों में स्तन, गर्भाशय ग्रीवा (यूरेटिन सेरविक्स) मुख गुहा (औरल कैविटी) आदि जैसे सामान्य कैंसरों का शुरू में ही पता लगाने की व्यवस्था है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से हूं जहां ऐसी सुविधाओं का पर्याप्त अभाव है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार का विचार राज्य सरकार के कम-से-कम सभी सरकारी रेफरल अस्पतालों में, विशेषकर पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्यों के अस्पतालों में कब तक इसका समुचित व्यवस्था करने और इसके लिए धन और उपकरण मुहैया कराने का है।

श्री ए. राजा: महोदय, जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि लगभग 70 फीसदी कैंसरों का निदान संभव है बशर्ते कि इन कैंसरों का शुरू में ही पता चल जाए तो मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। यदि इन कैंसरों का शुरू में पता नहीं चल पाता है, तो वे या तो समय पर ही ठीक नहीं हो पाते हैं या कभी-कभी उनका निदान बिल्कुल ही संभव नहीं हो पाता है।

माननीय सदस्य के प्रश्न के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हम भारत सरकार की ओर से एक राष्ट्रीय कैंसर नियत्रंण कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसके तहत राज्य सरकार के जिला स्तरीय अस्पतालों को धन और योजनाओं के साथ प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

जिला स्तर पर हम चिकित्सा अधिकारियों या जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला कैंसर नियत्रंण सोसाइटीज चला रहे हैं। इस रोग का शुरू में पता लगाने और इसके निदान के लिए हम जिला स्तरीय अस्पतालों को धन भी प्रदान कर रहे हैं।

इस रोग के निदान के लिए हम देश भर में रीजनल कैंसर सेंटर चला रहे हैं और जिला स्तर पर इसकी इकाइयां चल रही हैं। अनुसंधान कार्यों के लिए हमारी अपनी निर्णय और अन्य व्यवस्था है। इस रोग को ठीक करने के लिए हम न केवल इसका इलाज प्रदान कर रहे हैं बल्कि इसके नए-नए रूप और आगे विस्तार के बारे में अनुसंधान कार्य भी चला रहे हैं।

महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह सही हो सकता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो अधिक से अधिक धन मुहैया करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: कुछ राज्य नहीं बल्कि अधिकांश राज्यों की यही स्थिति है।

श्री ए. राजा: मैं अधिकांश राज्य ही कहूंगा। कैंसर के इलाज के लिए अधिकांश राज्य धन मुहैया कराने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। किन्तु यदि किसी राज्य सरकार से अधिक-से-अधिक धन प्रदान करने का ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो केन्द्र सरकार के रूप में हम उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री खगेन दास: महोदय, माननीय मंत्री जी को पता है कि इस घातक रोग के विरुद्ध वर्तमान में चलाया जा रहा यह जागरूकता अभियान काफी नहीं है। सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर वैधानिक चेतावनी के अलावा इधर-उधर कुछेक सरकारी अस्पतालों में, कुछ पोस्टर चिपके दिखाई देते हैं। गैर-सरकारी संगठनों का जागरूकता अभियान भी काफी नहीं है।

महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं अपने दूसरे पूरक प्रश्न के रूप में जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पोस्टर छपवाने और प्रिंट मीडिया का उपयोग करने के अलावा नियमित रूप से टी वी चैनलों, रेडियो और सिनेमा सलाइडों का प्रयोग कर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर कोई विचार कर रही है।

महोदय, मैं यही जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार जागरूकता अभियान में बहुउद्देश्यीय कामगारों और ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवाएं लेने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करने का है जिससे कि निचले स्तर तक के लोगों को भी इस बारे में बताया जा सके।

श्री ए. राजा: महोदय, जहां तक टी वी चैनलों के माध्यम से जागरूकता अभियान का सवाल है तो यह राज्यों पर निर्भर करता है। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई युक्ति नहीं है।

जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है...

श्री खगेन दास: क्या आप इसकी योजना बना रहे हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री ए. राजा: हां। यदि आवश्यक हुआ तो हम स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाएंगे। हम उन्हें सलाह दे सकते हैं। किन्तु वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

जहां तक गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों का सवाल है तो हम पहले ही कुछ मदर एनजीओ और चुनिन्दा संगठनों का जिला स्तर पर चयन कर चुके हैं। हम आई ई सी कार्य-कलापों के लिए पहले ही लगभग 2.5 करोड़ रुपए दे चुके हैं। इस रोग के बारे में कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है और कैसे इसकी रोकथाम हो सकती है और अन्य कार्यकलाप के बारे में स्वैच्छिक संगठनों को पहले ही आमंत्रित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार और कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या हम जागरूकता के लिए योजना बना रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि 7 नवम्बर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। 7 नवम्बर के दिन हम जागरूकता की शुरूआत करने के लिए हम एक मल्टीमीडिया अभियान की योजना बना रहे हैं।

डा. मन्दा जगन्नाथ: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि कैंसर के इलाज के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा उपलब्ध है। किन्तु यह सुविधा केवल 50 फीसदी मामलों में ही हो सकती है जिससे प्रतिवर्ष सात से आठ लाख लोगों में ही इसका पता लग पाता है।

महोदय, माननीय मंत्री ने भी कहा है कि 70 फीसदी मामले ही साध्य हैं। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां जिला स्तर पर ही इसका शुरू में पता लगाया जा सकता है। किन्तु अधिकांश मामले ग्रामीण क्षेत्रों से आते है और वहां इसका पता लगाने और शुरू में ही इलाज करने की कोई प्रथामिक सुविधा नहीं होती है। यहां तक कि जिला स्तर के अस्पतालों में भी इस रोग को साध्य बनाना और इसका निवारण करना कठिन होता है जब तक कि हम कैंसर का पता लगाने की सामान्य विधियों जैसे प्रो एक्टिव उपाय, यथा पैप स्मीयर, मैमोग्रैफी और चेस्ट एक्स रे नहीं करते।

महोदय, अधिकांश जिला अस्पतालों में ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तथापि मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कैंसर का पता लगाने और उसके इलाज संबंधी उपकरण काफी कीमती होते हैं और वित्तीय अभाव में ऐसे कीमती उपकरणों को खरीद पाना किसी भी राज्य सरकार के वश की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप अपना प्रश्न करें।

डा. मन्दा जगन्नाथ: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को जिला स्तर पर ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव मिला है, जैसाकि कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ही जिलों में ऐसी सुविधाएं दी गई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सभी राज्यों को जिला स्तर पर ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने जा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री ए. राजा: मैं माननीय सदस्य के इस बात से सहमत हूं कि जिला स्तरीय अस्पतालों में मैमोग्रैफी और पैप-स्मीयर की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। माननीय सदस्य स्वयं भी एक डाक्टर हैं। मैं इस संदर्भ में इस पुनीत सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि कैंसर का पता लगाने के लिए केवल हम मैमोग्राफी और पैप-स्मीयर पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं।

आम लोगों को जब दर्द महसूस होता है, या शरीर के किसी भाग में किसी घाव या प्राकृतिक वृद्धि होने पर आते हैं, तो उन्हें कैंसर की जानकारी नहीं होती है और वे उन्हें सीधे ही मैमोग्राफी के लिए नहीं ले जा सकते हैं। वे आ सकते हैं, तब हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, हम एम.आर.आई या एक्स रे करा सकते हैं।

डा. मन्दा जगन्नाथ: सी.टी. स्कैन आवश्यक नहीं है कोई महिला अपने शरीर में परिवर्तन महसूस कर अपने आपको चिकित्सक को दिखा सकती है। पहले का सिद्धान्त बहुत ही सरल विधि का है इसके अन्तर्गत स्राव से कुछ भाग लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री ए. राजा: मैं सभा के साथ इस बात का समर्थन करता हूं कि यहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैमोग्राफी इस बात का निर्णायक सबूत नहीं है कि कैंसर ही हुआ है।

डा. मन्दा जगन्नाथ: मैं ऐसा नहीं कहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: सदस्य से सीधे वार्तालाप न करें, आप सीधे ही उत्तर दीजिए।

श्री ए. राजा: मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मैमोग्राफी या पैप-स्मीयर के अभाव में हम नि:सहाय महसूस नहीं करते हैं, मैं सभा में कहना चाहता हूं कि जब कभी कुछ असामान्य से लक्षण उभर कर सामने आते हैं तो हमारे पास उनके लिए भी अन्य उपाय हैं, माना कि किसी चिकित्सक या अस्पताल को कुछ संदेह होता है कि यह कैंसर है या अन्य कोई बीमारी तो इसके लिए हमारे पास मैमोग्राफी सहित कतिपय उपाय हैं। इसलिए, इस प्रकार से हम निसहाय महसूस नहीं करते हैं। यदि यह किसी विशेष क्षेत्र के लिए यह आवश्यक होगा तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव: दुर्भाग्यवश, मेरा निर्वाचन क्षेत्र सिल्चर देश का सबसे अधिक कैंसर प्रवण क्षेत्र है ऐसा होने के कारण माननीय प्रधान मंत्री को प्रत्येक माह मरीजों की सहायतार्थ चार से पांच पत्र मुझसे प्राप्त होते हैं और प्रधानमंत्री जी से उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जैसा आपने ठीक ही कहा है कि कुछ तरह के कैंसर का पता अधिक अवस्था में लगाया जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है। इसलिए हमने वहां राजनीतिक दलगत भावना से परे निजी सहायता से कैंसर अस्पताल की स्थापना की है। वहां कर्मचारियों, चाय बगान श्रमिकों ने सहायता की और काफी बड़ी धनराशि व्यय की है। मैंने इस बात को संसद में उठाया था और श्री सी.पी. ठाकुर ने वहां एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, उन्होंने उस स्थान का दौरा किया और वहां पर केमो थेरेपी संयंत्र स्थापित करने की सफिारिश की थी, लेकिन मेरे दिल्ली आने के बाद कुछ नौकरशाहों ने कहा कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि चूंकि सिल्चर मेडिकल कालेज के पास ऐसा एक संयंत्र है, जो कि बहुत पुराना है और वह कार्य नहीं कर सकता है। अधिकतर समय यह खराब रहता है। यह सर्वाधिक कैंसर प्रवण क्षेत्र है, यदि आप चाहते हैं तो आप दूसरी समिति को यह सत्यापित करते के लिए भेज सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं, मैं समझता हूं कि दोनों ही माननीय मंत्री काफी ऊर्जावान हैं और उनमें सभा में कार्य संचालित करने की पर्याप्त सक्षमता है।

श्री ए. राजा: सरकारी अस्पतालों के लिए, हमने कोबाल्ट-थेरेपी यूनिट की खरीद हेतु 1.5 करोड़ रुपये दिए हैं, जैसाकि सरकार को इस बात की जानकारी है कि मात्र सरकारी तंत्र से ही हम आवश्यकमंद लोगों की आकाक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, हमने गैर-सरकारी संगठनों और न्यासी अस्पतालों के लिए पहले से ही योजनाएं चला रखी हैं जिसके लिये हम एक करोड़ रुपये दे रहे हैं। यदि माननीय सदस्य किसी ऐसे अस्पताल के संबंध में रुचि रखते हैं चाहे वह सरकारी या निजी क्षेत्र में हो पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे बशर्ते कि वह पात्रता व्यवहारिकता और अर्थक्षमता पूरी करता हो।

श्री सन्तोष मोहन देव: कृपया, फाइल पढ़िए।

श्री ए. राजा: मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जो खास बात बतायी, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोगाम में एनजीओज को इनवाल्व करने का एक अच्छा आइडिया दिया है। मैं एक महत्वपूर्ण बात माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं। वह उनकी जानकारी में है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यह लाखों लोगों से जुड़ा मामला है। मैं सीधे क्वैश्चन पर आता हूं। मुम्बई में टाटा कैंसर अस्पताल हैं। जिसमें भारत सरकार का 50 परसैंट स्टेक है और 50 परसैंट सदस्य गवर्नमेंट आफ इंडिया के टाटा कैंसर अस्पताल में है। करोड़ों रुपए की ग्रान्ट भारत सरकार की तरफ से टाटा कैंसर अस्पताल को जाती है। ऐसे फैक्ट्स पेपर मेरे पास हैं। एग्रीमैंट के मुताबिक जो लोग वहां जाएंगे, ऐसे 70 परसैंट लोगों का कैंसर ट्रीटमैंट फ्री किया जाएगा। यह प्रश्न का विधिक पक्ष है लेकिन ग्राउंड रियल्टी यह है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया और टाटा कैंसर अस्पताल के बीच हुए एग्रीमैंट का पूरी तरह वायरलेशन हो रहा है।

[अनुवाद]

करार की शर्तों के अनुसार एक प्रतिशत मरीजों का नि:शुल्क इलाज भी नहीं हुआ है। वहां की ट्रीटमैंट किसी को नहीं मिल रहा है। मेरा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। विश्व प्रसिद्ध डा. आडवाणी देश में ही विख्यात नहीं—और 14 अन्य प्रसिद्ध चिकित्सकों ने एक उस व्यक्ति के कारण नौकरियां छोड़ दी जिसके पास प्रशासक का तदर्थ प्रभार था। मेरा अनुरोध है कि यह स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधि है। स्वास्थ्य से संबंधित सभा कार्यकलापों को अस्पताल में ही किया जाना चाहिए, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, इस मामले की जांच की जाये ताकि लाखों लोगों की सहायता की जा सके।

श्री ए. राजा: मैंने जो बात माननीय सदस्य ने अस्पताल में चल रहे कुकृत्यों के बारे में कही है उसके बारे में संज्ञान ले लिया है और निश्चित रूप से मैं इसकी जांच करूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी: कैंसर का को इलाज नहीं है...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, कैंसर के लिए अभी कोई दवाई रिसर्च नहीं हुई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आपके प्रश्न में ही उत्तर है।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: वे हंस क्यों रहे है? महोदय यह बहुत अधिक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: यह क्या है? महोदय, जब कभी मैं कोई मुद्दा उठाती हूं, वे ऐसा ही करते हैं...*(व्यवधान)* महोदय, मैं मजाक नहीं कर रही हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछ सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी: यदि कोई कैंसर का मरीज आता है तो आप उसके मस्तिष्क और चेहरे को देखें कि वह किस तरह से समस्याओं से ग्रस्त है। कैंसर की दवाइयां बहुत मंहगी हैं। सरकार के पास दो अनुरोध हैं।

यद्यपि ''स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। फिर भी भारत सरकार ने कैंसर के इलाज हेतु चार मेडिकल केन्द्र बनाए हैं। पहला यह कि सरकार को राज्य स्तर पर राज्यों, केन्द्र और निजी क्षेत्र के साथ अधिक से अधिक संयुक्त इलाज स्थापित करने होंगे।

दूसरा यह है कि हम माननीय प्रधान मंत्री के आभारी हैं जिन्होंने प्रधान मंत्री राहत कोष से उन गरीब लोगों को धनसहायता दी है जो कि गुर्दा या हृदय प्रत्यारोपण करा रहे हैं। यहां लाखों कैंसर के मरीज हैं और कैंसर की दवाएं काफी मंहगी हैं। वे इलाज के लिए भी अस्पताल नहीं जा सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा यदि कैंसर के इलाज हेतु भी उन्हें प्रधान मंत्री राहत कोष से सहायता प्राप्त हो। सभा में इस पर सम्मति होगी यदि प्रधान मंत्री सहायता दे सकें तो। यदि प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो हम इसके आभारी होंगे। यह मेरा प्रश्न है।

श्री ए. राजा: प्रश्न के पहले भाग के संबंध में जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है तो चार मेडिकल केन्द्रों के अलावा हम देशभर में लगभग 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र खोलने जा रहे हैं, इसके अलावा 14 ऐसे संस्थान हैं जिनमें कैंसर का पता लगाने और इलाज करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन से वित्तपोषण मिला हुआ है। भारत सरकार आगामी वर्षों में उत्तरांचल, झारखंड, गोवा और अन्य 14 राज्यों में ऐसे कैंसर केन्द्र स्थापित करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

गुर्दा प्रत्यारोपण और अन्य चीजों के संबंध में प्रधानमंत्री के रोग निवारण कोष के अंतर्गत धनराशि पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे पास गुर्दा प्रत्यारोपण और अन्य बीमारियों के लिए अलग से कोष नहीं है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: लेकिन कैंसर के लिए नहीं है।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: यदि आवश्यक हुआ तो हम माननीय प्रधान मंत्री जो यहां पर उपस्थित हैं से विचार-विमर्श कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: महोदय, इसमें कैंसर रोग भी शामिल किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे तो कहने दीजिए कि मंत्री जी को क्या कहना है

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, ममता जी ने कहा...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री कोष से मरीजों के लिए पैसे की सहायता के मामले में थोड़ा सरलीकरण हो जाये और गरीबों को पैसा मिलने लगे क्योंकि 4-4, 6-6 महीने लग जाते हैं और पैसा मिलता नहीं।

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष जी, मेरा प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि इस नियम का सरलीकरण कर दिया जाये क्योंकि गरीब मरीजों को बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है। लोगों को लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है...

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये, मंत्री जी उत्तर दे रही हैं।

डा. महेन्द्रसिंह पाल: अध्यक्ष जी, कैंसर मरीजों के लिये पैसा मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये देते नहीं, इसलिए उन्हें बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष जी, इस सवाल को पूछने से पहले सुश्री मायावती सरकार से सलाह की जाये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, ममता जी ने कैंसर पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहती हूं कि चाहे वह प्रधान मंत्री सहायता कोष हो या स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय आरोग्य निधि हो, उन सब में लाईफ थ्रैटनिंग डिजीजेज के लिये पैसा दिया जाता है जिसमें कैंसर के लिये भी दिया जाता है...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने: लेकिन मरीजों को समय पर पैसा नहीं मिलता।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं बता रही थी कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के नाम से एक फंड है, जिसे नेशनल इलनैस रिलीफ फंड कहा जाता है जिसमें कैंसर, के लिये किडनी ट्रांसप्लांटिशन के लिये न्यूरो सर्जरी के लिये और हार्ट के लिये, जो लाइफ थ्रैटिनिंग डिजीजेज कहलाती हैं, उनके लिये पैसा दिया जाता

है। इस फंड से न जाने कितने कैंसर पीड़ित मरीजों को पैसा दिया गया है। इसमें कहीं यह नहीं है कि केवल किडनी ट्रांसप्लांटेशन या हार्ट के लिये पैसा दिया जाये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि यदि उन्हें कैंसर पीड़ित मरीज के लिये आर्थिक सहायता दिलानी है तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि से पैसा दिये जाने की व्यवस्था है, वे फार्म भरकर भिजवायें तो पैसा मिलेगा।

[अनुवाद]

अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.एल.) में प्रसूति परिचर्या औषधियों की कमी

+

***464. श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अस्पतालों और स्वास्थ्य परिचर्चा केन्द्रों में आवश्यक प्रसूति परिचर्या औषधियों, पुनरुज्जीवन उपकरण (रेसुसेसिटेशन बेग्स) और नवजात परिचर्या उपकरणों की उपलब्धता कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सभी स्वास्थ्य उपचर्या केन्द्रों और अस्पतालों में ऐसे उपकरण/औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-1999 के दौरान देश के 221 जिलों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में किए गए सुविधा सर्वेक्षण से पता चला है कि 21 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 29 प्रतिशत प्रथम रेफरल एककों, 15 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 30 प्रतिशत जिला अस्पतालों में प्रसूति परिचर्चा औषधों के भण्डार (स्टाक) थे। 35 प्रतिशत जिला अस्पतालों, 36 प्रतिशत प्रथम रेफरल एककों और 15 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नवजात शिशुओं की परिचर्या से संबंधित उपकरण थे। इस सर्वेक्षण में उपकेन्द्रों को शामिल नहीं किया गया था।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसूति एवं नवजात शिशु को सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर अनिवार्य प्रसूति परिचर्चा औषधों एवं नवजात शिशु परिचर्या उपकरणों की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य के लिए अशोधित जन्म दर तथा महिला साक्षरता दर के आधार पर जिलों को 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिसमें 'क' श्रेणी के जिले अच्छा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य स्तर, 'ख' श्रेणी के जिले मध्य स्तर का और 'ग' श्रेणी के जिले न्यून प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य स्तर दर्शाते हैं। भारत सरकार द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को विभिन्न किटों के रूप में औषधों की सीधी आपूर्ति की जा रही है।

अधोलिखित प्रमुख किस्म की औषध किटों की आपूर्ति की जाती है-

औषध किट-ए और औषध किट-बी

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उपकेन्द्रों एवं शहरी क्षेत्रों के कुछ स्वास्थ्य पोस्टों को 2 किट प्रतिवर्ष की दर से किटों की आपूर्ति की जाती है। औषध किट-ए में महिलाओं और बच्चों में खून की कमी के उपचार और बच्चों में अतिसार, निमोनिया और विटामिन-ए की कमी के उपचार के लिए 5 औषधें होती हैं। औषध किट-बी में छोटी-मोटी बिमारियों के लिए 10 आम उपयोग की औषधें होती हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान किट-ए और किट-बी प्रत्येक की 308635 किटों की आपूर्ति की गई है जिसमें 27789 शहरी क्षेत्रों को दी गई किटें भी शामिल हैं।

अनिवार्य प्रसूति परिचर्या औषध किटें (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औषध किट)

'ख' श्रेणी के सभी जिलों के 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 'ग' श्रेणी के सभी जिलों के 30 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र को एक-एक किट की दर से किटों की आपूर्ति की जाती है। इस किट में 28 औषधें होती हैं जिससे अनिवार्य प्रसूति परिचर्चा और संस्थागत प्रसवों में सहायता मिलती हैं। 2002-2003 में विभिन्न राज्यों के जिलों को ऐसी 6989 किटों की आपूर्ति की गई है।

आपाती प्रसूति परिचर्या औषध किट (प्रथम रेफरल एकक औषध किट)

'ग' श्रेणी के सभी जिलों में 3 किटों और 'ख' श्रेणी के सभी जिलों 2 किटों की दर से प्रथम रेफरल एककों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को किटों की आपूर्ति की जाती है। इस किट में आपातकालीन प्रसूति परिचर्या की व्यवस्था करने के लिए 65 मदें हैं। विभिन्न राज्यों के जिलों को 2002-2003 के दौरान ऐसी 1157 किटों की आपूर्ति की गई हैं।

जनन मार्गीय संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण औषध किटें

जहां पर राज्यों द्वारा जनन-मार्गीय संक्रमण क्लीनिक स्थापित किए गए हैं वहा प्रथम रेफरल एककों को 'क' श्रेणी के सभी जिलों के लिये 3 किटें, ख श्रेणी के लिये सभी जिलों के लिए 2 किटों और 'ग' श्रेणी के सभी जिलों के लिए 1 किट की आपूर्ति की गई। इस किट में 10 औषधे हैं जो जनन-मार्गीय संक्रमणों/यौन संचारित संक्रमणों का उपचार करने के लिए हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान जिलों को 751 औषध किटों की आपूर्ति की गई है।

नवजात परिचर्या उपकरण

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात परिचर्या एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है और इसे उच्च शिशु मृत्यु दरों वाले जिलों से शुरू करके चरण-वार ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। नवजात परिचर्या कार्यकलाप के उद्देश्यों में (i) नवजात शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करके अनिवार्य नवजात परिचर्या में चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करना, (ii) जन्म के समय और उसके पश्चात नवजात शिशु की परिचर्या संबंधी विशेष जानकारी प्रदान करना, (iii) उपलब्ध संसाधनों का कारगर ढंग से उपयोग करके नवजात स्वास्थ्य में सुधार करना, (iv) नवजात परिचर्या के लिए आपूर्ति किए गए उपकरणों का कारगर और समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, और (v) नवजात स्वास्थ्य सूचकों की एक समान रिपोर्ट सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय नवजात विज्ञान मंच की सहायता से बीमार नवजात शिशु के पुनरुज्जीवन (रेसुसेसिटेशन) और उनका उपचार करने संबंधी उपकरणों के उपयोग में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है। चयनित जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (5 मदें), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (7 मदें), प्रथम रेफरल एककों (7 मदें), और जिला अस्पतालों (9 मदें) को अलग किटों के रूप में उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है। आपूर्ति की गई मदों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

वर्ष 2002 के दौरान, 16 राज्यों के 60 जिलों को इसमें लिया गया। वर्ष 2003 के दौरान 80 और जिलों को इसमें शामिल किया गया है (ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है) और वर्ष 2004 में 100 और जिलों को इसमें शामिल करने की योजना है।

अनुबंध-I

विभिन्न सुविधा केन्द्रों को आपूर्ति की जा रही अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या उपस्कर किट

मद	जिला अस्पताल	प्रथम रेफरल एकक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
इनफेंट रेडिएन्ट वार्मर	4	2	1 (टेबल
विद बेसीनेट			लैम्प टाइप)
इनफेंट रिसिसटेशन बेग	3	2	
आक्सीजन हुड्स	2	1	
इनफेंट वेइंग स्केल	3	2	
फोटोथेरापी लैम्प/यूनिट	1	1	
लेरिगोस्कोप	2	–	
इन्डोट्रेकियल ट्यूब	100	–	
बेसिनेट	4	2	
फुट ओपरेटेड सक्शन	3	2	

अनुबंध-II

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला नवजात शिशु परिचर्या के प्रचालन के पहले चरण में एन एन एफ द्वारा कवर किए गए जिले

1.	आंध्र प्रदेश	4	रंगा रेड्डी, मेहबूबनगर, वारंगल, मेडक	–

2.	बिहार	14	पटना, नालन्दा, मधुबनी और छपरा	पूर्वी चम्पारन, समस्तीपुर, कटिहार, आरा, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, खरगांव, कमूर और बक्सर
3.	गुजरात	5	कच्छ, बनासकांठा, डाँग, पंचमहल और भड़ौच	
4.	कर्नाटक	3	मांडया, मैसूर, तुमकुर	
5.	महाराष्ट्र	4	सतारा, कोल्हापुर, थाणे और नासिक	
6.	मध्य प्रदेश	16	उज्जैन, खलगांव, खण्डवा, देवास, धार, अबदुल्लागंज,	रतलाम, खरगौन, बदवानी, शाहजापुर, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, भिंड, झबुआ और मुरैना
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	6	हेलाकांडी (असम), धुबरी (असम), एजवाल (मिजोरम), धर्मनगर (त्रिपुरा), इम्फाल, (मणिपुर), तुरा (मेघालय)	
8.	उड़ीसा	14	बोलनगीर, सुन्दरगढ़ संबलपुर, वाड़गढ़	मयूरभंज, बालासोर, केन्द्रपाड़ा, पुरी, गजपती नगर, कोरापुट, फुलबनी, कालाहांडी, मलकनगेरी और सोनपुर
9.	पंजाब	4	फरीदकोट, फतेहगढ़ पटियाला और अमृतसर	
10.	राजस्थान	14	जोधपुर, जालौर, पाली और बाड़मेर	दौसा, टौंक, नागौर, सिरोही, भरतपुर, जैसलमेर, सीकर, अलवर, झुनझुनू और बीकानेर
11.	तमिलनाडु	5	धर्मपुरी, मदुरै, डिंडिगुल, तिहेनी और सेलम	
12.	उत्तर प्रदेश	14	फैजाबाद, गोंडा और सुल्तानपुर	बहराइच, बस्ती, आजमगढ, सिद्धार्थ नगर, जौनपुर, गाजीपुर लखीमपुर, भदोई, मिर्जापुर, बदांयू और फतेहपुर
13.	पश्चिम बंगाल	3	दार्जिलिंग, बांकुरा और पुरूलिया	

14.	झारखंड	2	पश्चिमी सिंहभूम, पलामू	देवगन, गुमला, बांका, कोडरमा, गोड्डा, हजारीबाग, गिरिडीह, डाल्टनगंज, दुमका और जमरा
15.	उत्तरांचल	11	चमोली, पौड़ी गढ़वाल	पिथौरागढ़, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रानीखेत, उधमसिंह नहर और रामगढ़
16.	छत्तीसगढ़	10		जगदलपुर, दांतेवाड़ा, कंकर, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, राजननन्दगांव, जानीगीर और धामतरी

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है, इस संदर्भ में मेरा प्रश्न था कि क्या देश...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अगले प्रश्न की बात कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइये। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उस प्रश्न को 20 मिनट दिये हैं और चार माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं। यदि आप लोगों को इस संबंध में ज्यादा जानकारी चाहिये तो आप दूसरे किसी माध्यम से सदन में प्रश्न उठा सकते हैं। केवल एक ही तरीका नहीं है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष जी, यह गरीबों का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: इसलिये तो मैंने इस प्रश्न के लिये ज्यादा समय दिया है। अब अगला प्रश्न भी गरीबों के लिये है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। लगता है कि सरकार के पास धन का अभाव है और वह कोई मदद नहीं कर सकती, सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये।

अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न था कि क्या देश के अस्पतालों और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों में आवश्यक प्रसूति परिचर्या औषधियों, पुनरुज्जीवन उपकरण और नवजात परिचर्या उपकरणों की उपलब्धता कम है जिसे मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकारा नहीं है। मंत्री जी को स्वीकार करना चाहिये था कि हां, कम है, और बिल्कुल नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि 1998-99 के सर्वेक्षण के आधार पर 21 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 29 प्रतिशत प्रथम रेफरल एककों तथा 30 प्रतिशत जिला अस्पतालों में प्रसूति परिचर्या औषधों का भंडार था और नवजात शिशुओं की परिचर्या से संबंधित उपकरण थे। मैंने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है लेकिन सरकार ने बताया है कि आज तक इसका सर्वेक्षण नहीं कराया। देश की 80 प्रतिशत जनता गरीब है। हमारी मातायें-बहनें अस्पतालों में जाती हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई सुविधा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में मात्र दो औषध किटों की सप्लाई हो रही है। सरकार गरीबों के प्रति जरा भी गंभीर नहीं है। उन गरीब महिलाओं के लिये, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, सरकार कोई मदद नहीं दे रही है। जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल हैं, उनकी हालत जर्जर है। अगर भारत सरकार उनके लिये कुछ नहीं कर सकती तो उसे स्वीकार करना चाहिये। सरकार ने आज तक कोई सर्वेक्षण कराया ही नहीं और न इस बारे में कोई रुचि ले रही हैं।

हमने पूछा था कि देश के सभी स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों को उपकरण और औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं। आपने उत्तर में यह नहीं बताया कि इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कब

तक देश के सारे अस्पतालों में गरीब माताओं और बहनों को ये सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे, क्योंकि वे बीमारी के बाद भी अस्पतालों में नहीं पहुंच पाती हैं। हमारी माताएं और बहने दाइयों के पास जाती हैं। गावों में प्रसूति होती है, वहां दाइयों का रखा जा रहा है। अस्पतालों में कोई किट उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सरकार के पास या तो पैसा नहीं है या सरकार गंभीर नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे पुन: इस पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: महोदय, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बहुत लम्बे समय के पश्चात माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केवल इसी सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2000 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की थी। हमारे अपने लक्ष्य केवल दिमाग में ही नहीं हैं अपितु वास्तविक भी हैं।

महोदय, सभा के सामने यह कहने की जरूरत नहीं है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है यहां स्वास्थ्य राज्य का विषय है यद्यपि हमारे पूरे देश में 1,40,000 उपकेन्द्र हैं और देश भर में 25,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। देश में 35 जिला स्तरीय अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी हैं।

जहां तक प्रसूति देखरेख का संबंध है तो इसका तीन श्रेणियां हैं। हमें गर्भवती महिलाओं की अधिक देखरेख करनी पड़ती है अर्थात गर्भधारण पर, गर्भधारण के पश्चात और प्रसव से पूर्व। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा सभी उपकेन्द्रों की आर्थिक रूप से बल्कि प्रशासनिक रूप में भी ध्यान रखा जा रहा है जिसके लिए हम एनीमिया, डायरिया, न्यूमोनिया तथा विटामिन-ए की कमी के लिए सभी दवाइयां देने हेतु प्रतिवर्ष लगभग 1050 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। देश में कहीं भी केन्द्र सरकार को यह पता नहीं लगा कि ऐसी किट आम आदमी को, गर्भवती महिलाओं अथवा बच्चों को उपलब्ध नहीं है।

आवश्यक प्रसूति किट के संबंध में, हमने अपक्व जन्म दर तथा महिला साक्षरता दर के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया है। हमने अनिवार्य प्रसूति किट के लिए भी प्रथम संदर्भ इकाई के लिए 50 प्रतिशत पी ए सी का चयन किया है। इन सभी तीन स्तरीय प्रणालियों को भारत सरकार द्वारा शामिल किया जा रहा है। विशेषकर, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जहां तक प्रसव के समय गर्भधारण की अवधि का संबंध है तो मां और बच्चे दोनों का केवल भारत सरकार द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। मैं यह बात कह सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसका सर्वे करा रही है या नहीं। सरकार के पैसा है या नहीं। आपने अपने उत्तर लिखा है कि जिला अस्पतालों को सीधे किट और औषधि भेजी जा रही हैं, क्या उस जिले के सांसदों को इसकी कोई सूचना जी जाती है कि कितनी चीजें गई हैं। जो किट्स जा रही हैं, क्या वे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मिल पा रही हैं या नहीं। हम जानना चाहते हैं कि यदि आपने सर्वे नहीं कराया तो है तो आप कब तक सर्वे करायेंगे। मैं मानता हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा है और इसकी पापुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन देश के गरीब लोगों के लिए, गरीब माताओं, बहनों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सरकार क्या सोच रही है। अगर सरकार यह जवाब देती है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है तो भारत सरकार को बोलने की आवश्यकता नहीं है, वह कह दे कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। अब तक इस सरकार ने मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया है। हमारे जौनपुर जिले का आपने नाम लिया है, वहां पर आज तक किसी को किट और औषधि नहीं मिली है। यह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वह मेरा जिला है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, सांसद महोदय बार-बार कह रहे हैं कि हमने कोई सर्वे नहीं कराया, हमारे पास पैसा नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मैं नहीं कह रहा हूं कि यह आपने उत्तर में लिखा है कि 1999 में सर्वे हुआ है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं आपको उत्तर ही पढ़कर बता रही हूं। इसकी पहली लाइन है-

[अनुवाद]

"देश के 221 जिलों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में सुविधा सर्वेक्षण कराया गया है।"

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे देखा है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वाराज: यह पहला वाक्य है और उसके बाद भी वह बार-बार कहे जा रहे हैं कि हमने सर्वे नहीं कराया है। लिखित उत्तर का पहला वाक्य यह है-"एक सुविधा सर्वेक्षण कराया गया था।" सर्वे का अर्थ सर्वेक्षण ही होता है। जहां तक पैसे का सवाल है, मैं बताना चाहती हूं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए हमने कभी नहीं कहा कि यह स्टेट सब्जैक्ट है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम, आर.सी.एच. कार्यक्रम पूरा का पूरा सैन्ट्रली फंडेड है। कुल 1,37,311 सब सेन्टर्स पूरे हिन्दुस्तान में जो चल रहे हैं, जिनमें पूरी सप्लाई केन्द्र सरकार द्वारा हो रही है। उसका पूरा पैसा केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन सबमें ए.एन.एम्स की पूरी तनख्वाह केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है। इसलिए जो मर्जी आए कहलवाना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने सर्वेक्षण नहीं करवाया, यह सरकार ने कभी नहीं कहा है। मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि 1991 के सेन्सस के आधार पर हर 5000 की जनसंख्या पर एक सब-सैन्टर होना चाहिए। उस हिसाब से 8200 सब-सैन्टर्स की कमी पड़ रही थी। अभी प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें तय किया गया कि वे 8200 सब-सैन्टर्स भी इस साल जोड़े जाएंगे, इसके अलावा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में 469 सब-सैन्टर्स और खोले जाएं, यानी 1,37,311 सब-सैन्टर्स का खर्चा हम दे रहे हैं, कुल 8669 सब-सैन्टर्स इस साल और जोड़ेंगे और पूरा पैसा केन्द्र सरकार देगी। इसलिए हम कतई अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो रहे हैं, यह कहकर कि यह स्टेट सब्जैक्ट है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मैंने पूछा था कि क्या आप जांच कर रहे हैं कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको किट और औषधि पहुंच रही है या नहीं, पारदर्शिता बढ़ रही है या सामान कागजों में ही भेजा जा रहा है, अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहा है? यह भी मैंने पूछा था जिसका मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। आपने 19991 के सर्वे के आधार पर बताया।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, माननीय मंत्री ने अभी-अभी बताया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु सभी निधियां केन्द्र से जाती हैं। मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। परन्तु क्या मंत्री को पता है कि उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण शिविरों में उपकरणों की कमी के कारण महिलाओं की नसबंदी के लिए साइकिल पम्पों का प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रेस रिपोर्ट हैं और कुछ तस्वीरें भी प्रदर्शित हुई हैं। उपकरणों की कमी के कारण चिकित्सकों द्वारा एक जोड़ा दस्ताना 50 मामलों तक प्रयोग किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रही हूं ये रिपोर्ट समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं।

महोदय, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा है। उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया। मैंने आपके पूर्ववर्ती को भी लिखा और उन रिपोर्टों को भी भेजा परन्तु कोई उत्तर नहीं आया। वह किसी और कार्य में व्यस्त थे। मैंने मानवाधिकार आयोग को भी यह कहते हुए लिखा कि यह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है कि तत्स्थानिक अध्ययन कराये और रिपोर्ट दें।

आपका वहां सरकार के साथ गठबंधन है। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश के कैम्प की रिपोर्ट हैं जहां महिलाओं के साथ इस प्रकार की नीच काम हो रहा है। मुझे कहते हुए खेद है कि माननीय मंत्री वित्तपोषण के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी उपकरण उपलब्ध हैं। मैं इस पर आपका जवाब चाहती हूं। यह महिला अधिकारिता समिति की रिपोर्ट है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, यह बात मुझे मार्ग्रेट आल्वा जी ने व्यक्तिगत तौर पर बताई थी। उसी दिन तथ्यों की पुष्टि करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा। उनसे रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में मैं उन्हें बता पाऊंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: इस बात को तीन महीने हो गए हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: तीन महीने नहीं हुए हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है मायावती जी से। वह जन्मदिन के उत्सव में व्यस्त हैं। उनके पास महिलाओं के लिए समय नहीं है। क्या हो रहा है यह उत्तर प्रदेश में। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जीवन रक्षक दवाओं पर मूल्य नियंत्रण

\+

***465. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन रक्षक दवाओं की सूची में रखी गई दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूर्व में जीवन रक्षक दवाओं की सूची में शामिल कुछ दवाओं को सूची से हटा दिया गया है, जिससे उनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने आवश्यक एवं जीवन रक्षक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत लाने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने हेतु सरकार को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिनांक 1.3.2003 की अधिसूचना सं. 26/2003-सीमा-शुल्क में आयात के प्रयोजनों से जीवन रक्षक दवाओं के रूप में इस समय 126 दवाओं का वर्गीकरण किया गया है। इन पर सीमा शुल्क से छूट है।

(ख) और (ग) कुछ औषधियां जिन पर पहले सीमा शुल्क से छूट थी और जिनका स्वदेशी तौर पर निर्माण आरंभ कर दिया गया था, उन्हें मार्च, 2002 में इस सूची से हटा दिया गया था। इन औषधियों के स्वदेशी निर्माताओं को उचित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उनके आयात पर 5% मूल सीमा शुल्क प्रस्तावित किया गया था।

इन औषधियों के स्वदेशी उत्पादन होने को ध्यान में रखते हुए मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस मामले पर समुचित कार्रवाई करने के लिए अन्तर-मंत्रालयीय परामर्श चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का भाग (घ) यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार की आवश्यक तथा जीवन रक्षक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाने के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु कोई निर्देश जारी किए हैं। यद्यपि उत्तर सकारात्मक दिया गया है, फिर भी ब्यौरा नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश को पूरी तरह से लागू कर दिया है।

समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि मंत्रालय आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं की परिभाषा मांगने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय से परामर्श कर रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का कोई ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए वचन को कैसे पूरा करेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम आर्डर है, वह अपने आप में स्पष्ट नहीं है। इसलिए उसकी क्लैरीफिकेशन मांगने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। वह आर्डर कर्नाटक हाई कोर्ट के खिलाफ हमारी एस.एल.पी. में दिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो वहां एक पी.आई.एल. दायर हुई थी, उसमें पालिसी इम्पलीमेंटेशन के उतने पार्ट पर रोक लगा दी है जितना कि प्राइस कंट्रोल से संबंधित था, लेकिन जब हमने उसके खिलाफ एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट में डाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे वैकेट कर दिया, लेकिन नीचे वही सब कुछ कह दिया दो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा। इसलिए वास्तव में सुप्रीम कोर्ट हमसे क्या चाहता है, यह अभी क्लीयर नहीं है। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में क्लैरीफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट हमें क्लैरीफाई कर के कहेगा कि वह हमसे यह अपेक्षा करता है, तभी हम उस आर्डर को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्लैरीफिकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर इस संबंध में कोई विधान लाने पर विचार किया जा रहा है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यही कहा है?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का उत्तर उसी में से निकलेगा। पहले हमें सुप्रीम कोर्ट बताए कि वह क्या चाहता है। जब हमें मालूम हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, तब हम लैजिस्लेशन आदि लाने के बारे में विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी: गुर्दा प्रत्यारोपण और अन्य बीमारियों तथा हृदय और मधुमेह के उपचार हेतु दवाइयां तथा औषधियां बहुत महंगी हो गई हैं और आम आदमी उनको खरीदने में समर्थ नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इन बीमारियों के लिए सस्ती और रियायती दरों पर औषधियां उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ताकि आम आदमी अस्पतालों में इन औषधियों का लाभ उठा सकें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, यह भ्रान्ति है कि पांच प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाने से ड्रग्स महंगी हो गई हैं। पहले मैं इसे क्लीयर कर दूं कि पांच प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी केवल उन दवाओं पर लगाई गई है जो हिन्दुस्तान में बनने लगी हैं और हिन्दुस्तान में बनी हुई दवाएं सस्ती हैं। पांच प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी इसीलिए लगाई गई है ताकि हिन्दुस्तान के जो दवा-उत्पादक हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इसके साथ ही साथ, इस बात का ध्यान रखा गया है कि हिन्दुस्तान का जो कस्टमर है उसको भी हिन्दुस्तान में बनी दवाएं सस्ती मिल सके। इसलिए महज यह मान लेना कि चूंकि पांच प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है इसलिए दवाओं के दाम बढ़ गए हैं, यह सच नहीं है। हिन्दुस्तान में बनी दवाएं सस्ती हैं और सस्ती दवाएं यहां के लोगों को मिल रही हैं।

श्री नरेश पुगलिया: अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य सवाल था, प्राइस कंट्रोल आफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, उत्तर के पार्ट 'ए' में बताया गया है कि औषधियों का ब्यौरा जिसे जीवन रक्षक दवाओं की सूची में रखा गया है। इस विषय में मेरी शिकायत है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की सूची उत्तर में नहीं लगाई गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की सूची में पहले 270 मैडीसिन्स थीं, उन्हें कम करके सरकार ने अब 126 कर दिया है। इस प्रकार से उस सूची में 144 दवाएं डिलीट कर दी गईं और इसका आधार यह बताया गया कि इम्पोर्ट मैडीसिन्स, कास्टली मैडीसिन्स और खासकर इंडीजिनस मैडीसिन इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया है।

महोदय, इस देश की 35 से 40 प्रतिशत जनता आज भी बिलो पावर्टी लाइन अपना जीवनयापन करती है और उसे दवाएं महंगी मिलती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मल्टीनैशनल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जीवन रक्षक दवाओं में से 144 दवाओं को डिलीट किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि 270 ड्रग्स की सूची में से 144 दवाओं को निकालकर वर्ष 2003 में मात्र 126 दवाएं रखी गई हैं और इस कारण देश के गरीब व्यक्ति दवाएं नहीं खरीद पा रहे हैं और सूची में कौन सी दवाएं डिलीट की हैं, उनकी भी जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए आप हाउस में वह सूची प्रस्तुत कराएं।

महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया, के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दवाओं से संबंधित मंत्रालय केमिकल एंड फर्टीलाइजर है, लेकिन यहां इस प्रश्न का उत्तर स्वास्थ्य मंत्री महोदया दे रही हैं जबकि दवाओं की सूची में से 144 दवाओं को केमिकल एंड फर्टीलाइजर डिपार्टमेंट ने डिलीट किया है। इस प्रकार यह विषय दो मंत्रालयों से संबंधित है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केमिकल एण्ड फर्टीलाइजर मिनिस्ट्री मल्टी नैशनल को फायदा पहुंचाना चाहती हैं तभी इतनी दवाएं उस सूची में डिलीट की गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय चाहता है कि देश के नागरिकों को दवाएं सस्ती मिलें। इसलिए महोदय, मेरा आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस मामले में इंटरवीन करें। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सब्जैक्ट को फर्टीलाइजर एवं केमिकल मिनिस्ट्री से निकालकर दुबारा हेल्थ मिनिस्ट्री में मिलाने की कोशिश करें। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 144 दवाओं को निकालने के कारण वे दवाएं आज बाजार में दुगने और चौगुने दामों पर मिल रही हैं।

इस कारण गरीब व्यक्ति मेडिसन खरीद नहीं सकता, इसलिए दोबारा 144 को क्या आप उस लिस्ट में इनक्लुड करने की कोशिश करेंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि यह सवाल कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित है और गैर-जानकारियों से भरा है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसी कोई टर्मिनोलोजी स्वास्थ्य मंत्रालय में इस्तेमाल नहीं की जाती है। दूसरी बात यह है कि पेट्रो केमिकल का जो केमिकल विभाग है या स्वास्थ्य मंत्रालय, इन दोनों में से कोई दवा लिस्ट से निकालने या जोड़ने का काम नहीं करता, यह काम डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यू करता है। इसमें एक तीसरी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यू काम करती है।...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया: उसमें रेवेन्यू मिनिस्ट्री आती है।...*(व्यवधान)* महोदय, मंत्री महोदया हाउस को मिसलीड कर रही हैं। यह देश की सौ करोड़ जनता से संबंधित प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें जवाब देने दीजिए। यदि आप अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आप उन्हें बोलने दीजिए। आप इस तरह बाधा नहीं पहुंचा सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पुगलिया जी, कृपया आप बैठ जाइए, अन्यथा आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप पहले मुझे पूरा जवाब देने दीजिए, मैं जवाब दे रही हूं। मेरा यह कहना है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसी टर्मिनोलोजी केवल मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यू, कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए यूज करती हैं। इसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसी टर्मिनोलाजी न स्वास्थ्य मंत्रालय में यूज की जाती है और न केमिकल तथा पेट्रो केमिकल मंत्रालय में यूज की जाती है। जहां तक लिस्ट से दवाओं को निकालने वाला सवाल है, वह काम भी डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यू ने कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए किया है। आप जो कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा हुआ है, आन दी कांट्रेरी, यह उससे उल्टा है, क्यों कि जो लिस्ट निकाली गई है वह लिस्ट केवल ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए निकाली गई है। पहले उन पर जीरो प्रतिशत ड्यूटी थी, आप जो 270 की लिस्ट कह रहे हैं, आज जो 126 रह गई है, क्योंकि उस पर बाद में पांच प्रतिशत ड्यूटी लगा दी गई है।...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया: उस पर कोई कंट्रोल नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। यह व्यवस्था मल्टीनेशनल को फायदा पहुंचाने वाली नहीं है, आपकी यह मिथ्या धारण है। अगर आप सन् 2002-2003 का वित्त मंत्री जी का भाषण पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। उन्होंने उसमें साफ कहा है कि इसमें से हम कुछ ड्रग्स निकाल रहे हैं और उन्हें पांच प्रतिशत ड्यूटी पर ला रहे हैं, क्योंकि ये दवाइयां हिन्दुस्तान में बनने लगी हैं। इंडियन मेनुफैक्चरर्स को फायदा पहुंचाने के लिए और भारतीय ग्राहकों को सस्ती दवाइयां मिलें, इसके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी पांच प्रतिशत की गई है। लाइफ सेविंग ड्रग्स नोमेनक्लेचर टर्मिनोलोजी है, जो केवल मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यू यूज करता है। हिन्दुस्तान में स्वास्थ्य मंत्रालय लाइफ सेविंग ड्रग्स टर्म को यूज नहीं करता, हम लोग असेंशियल ड्रग्स यूज करते हैं। इसलिए इसे बढ़ाकर 337 कर दिया गया है। जो पहले 279 थी। यह असेंशियल ड्रग्स की लिस्ट है। आप लाइफ सेविंग ड्रग्स और असेंशियल ड्रग्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपका प्रश्न मिथ्या धारणाओं पर आधारित है।...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया: फिर आपने लिस्ट उत्तर के साथ क्यों नहीं लगाई। हमने जब डिटेल मांगी तो आपने लिस्ट क्यों नहीं लगाई, आप उसे छिपा क्यों रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं उस लिस्ट को दे दूंगी, हम उसे छिपा नहीं रहे हैं। मैं असेंशियल ड्रग्स की लिस्ट भी रख दूंगी। 126 दवाओं की जो लिस्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स की मिनिस्ट्री आफ रेवेन्यू ने रखी है, उसे भी मैं यहां रख दूंगी, उसे छिपाने का कोई सवाल नहीं है। सरकार इतनी पारदर्शिता से काम कर रही है कि आप जो चाहेंगे, वह कागज हम यहा रख देंगे।

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान उस विषय की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जो जीवन आवश्यक ड्रग्स हैं, उन पर कस्टम के साथ एक्साइज ड्यूटी भी एग्जम्प्ट हो, इस बारे में मंत्रालय का क्या सुझाव है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किरीट जी, टाइम बहुत कम है, इसलिए आप शार्ट में प्रश्न पूछिए।

श्री किरीट सोमैया: मेरा यह कहना है कि जो वैट साढ़े 12 प्रतिशत लगेगा, क्या हैल्थ मंत्रालय सभी राज्यों और उसकी कोआर्डीनेशन कमेटी से कहेगी कि लाइफ लेविंग ड्रग्स को इससे एग्जम्प्ट किया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: माननीय सांसद ने सही कहा कि कस्टम और एक्साइज ड्यूटी दोनों इन पर लगते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, हमारे पास बहुत से प्रतिवेदन आए हैं जिनमें लोगों ने चाहा कि वैट के अंदर इसे कम रखा जाए और जो पांच प्रतिशत ड्यूटी लगी है, उसे भी कम किया जाए, 25 प्रतिशत न लगा दी जाए। वे सारे के सारे प्रतिवेदन अपनी अनुशंसा के साथ हम वित्त मंत्रालय को भेज रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय:

प्रश्न सं. 466—श्री वीई.वी. राव – अनुपस्थित

प्रश्न सं. 467—श्री अरूण कुमार – अनुपस्थित

श्री दिलीप संघानी – अनुपस्थित

लंबी दूरी की कालों की अवैध रूटिंग

***468. श्री सुबोध मोहिते: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या भा. सं.नि.लि. के साथ प्राइवेट आपरेटरों के अन्तर-संयोजन समझौते और लाइसेंस का उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा राष्ट्रीय लम्बी दूरी की कालों की अवैध रूटिंग के कारण कुछ प्राइवेट आपरेटरों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्राइवेट आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) मैसर्स वर्ल्ड कालनेट (ब्रांड नाम क्लीयरटेल), टेलीफोन उपभोक्ताओं को वर्चुअल कालिंग कार्ड (वीसीसी) की आड़ में प्री-पेड सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग (एसटीडी)/इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग (आएसडी) कार्डों का विज्ञापन करके उन्हें बेच रहा था। एमटीएनएल/बीएसएनएल उपभोक्ताओं द्वारा की गई एसटीडी/आईएसडी कालें क्लीयरटेल द्वारा मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड से प्राप्त टेलीफोन लाइनों से रूट की जा रही थीं। इस प्रकार, इस व्यवस्था के तहत इन प्री-पेड कार्डों का प्रयोग करते हुए, एमटीएनएल/बीएसएनएल के उपभोक्ताओं द्वारा की गई एसटीडी/आईएसडी कालों को भारतीय टेलीनेट लिमिटेड की मूल कालों में परिवर्तित किया जा रहा था और एमटीएनएल/बीएसएनएल अपनी-अपनी एसटीडी/आईएसडी कालों के न्यायोचित राजस्व से वंचित रहे। इस मामले के बारे में पुलिस को सूचित किया गया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा यह अवैध प्रचालन बंद हो गया। अन्य किसी प्राइवेट प्रचालक के संबंध में ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

इसके अतिरिक्त, 1.1.2002 से अब तक, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क को बाइपास करने संबंधी 54 मामलों का पता लगाया गया है। स्थानीय पुलिस के पास इन अपराधों से संबंधित शिकायतें दर्ज करके तत्संबंधी कार्रवाई की गई है। शहर का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

नई दिल्ली	–	23
कोलकाता	–	05
बंगलूर	–	03
मुम्बई	–	09
चेन्नई	–	10
त्रिची	–	01
चंडीगढ़	–	01
जयपुर	–	01
लुधियाना	–	01

सरकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की अवैध रूटिंग रोकने के लिए, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)/पुलिस की सहायता से छापा मारने सहित, उपयुक्त कार्रवाई करती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे मैं सैटिसफाइड नहीं हूं। नम्बर वन—रेवेन्यू लास कितना हुआ है, इसकी डिटेल्स कुछ नहीं दी हैं। नम्बर दो—ब्रीच आफ एग्रीमेंट क्या-क्या हुआ है, उसकी डिटेल्स नहीं दी हैं। नम्बर तीन—लाइसेंसी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, वह भी नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: सुबोध जी, जल्दी से आप प्रश्न पूछिये, नहीं तो फिर आप सैटिसफाइड नहीं होंगे। आप अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपका सैटिसफैक्शन नहीं होगा।

श्री सुबोध मोहिते: मैं वही पूछना चाहता हूं कि इन सारी बातों का जवाब आंसर में नहीं है, इसलिए मैं सैटिसफाइड नहीं हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सड़क निर्माण की नई प्रौद्योगिकी

*463. **श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़कों और राजमार्गों के निर्माण में नई प्रौद्योगिकी के आने के मद्देनजर निर्माण उद्योग द्वारा अपनायी जाने वाली भारतीय मानक संहिता को बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में सड़क निर्माण की नई अवधारणा लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्रयोग में लाए जा रहे सड़क एवं पुल निर्माण कार्य विनिर्देशों को अद्यतन किया गया है और इन्हें अगस्त 2001 में प्रकाशित किया गया है। अद्यतन संस्करण में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई तकनीक और नवीनतम सामग्री की शुरूआत करने की व्यवस्था है।

(ख) इन संशोधित विनिर्देशों का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में पहले से ही पालन किया जा रहा है।

उपग्रहों/प्रक्षेपण यानों का संरक्षण

*466. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरिक्ष कचरे से उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों को काफी हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय उपग्रहों को किस हद तक इसका सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) उक्त समस्या से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) अन्तरिक्ष कचरे, जिसे अन्तरिक्ष मलबा भी कहा जाता है, से प्रमोचक राकेटों और उपग्रहों को क्षति पहुंचने का संभावित जोखिम होता है। तथापि, क्षति की संभावना कम होती है।

(ख) भारतीय उपग्रहों को अभी तक इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है।

(ग) हमारे सक्रिय और प्रचालनात्मक उपग्रहों के निकट पहुंचने वाले सूचीबद्ध अन्तरिक्ष मलबों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उपयुक्त बचाव के उपाय किये जाते हैं।

प्रमोचक राकेटों के संबंध में प्रमोचन से तुरन्त पहले इनके टकराने की संभावना का मूल्यांकन किया जाता है तथा तद्नुसार प्रमोचन समयानुसूची समायोजित की जाती है।

इसी प्रकार से उपग्रहों को संगठन के मार्ग से उपयुक्त युक्तिचालन द्वारा, यदि आवश्यकता हो तो, दूर किया जा सकता है।

इसके कार्यकरण में होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए इन प्रणालियों में पर्याप्त अतिरिक्त साधन निर्मित किये जाते हैं।

प्रज्वलित चरणों को निष्क्रिय करके तथा डिजाइन द्वारा प्रचालनात्मक मलबे को न्यूनतम बना कर हमारे प्रमोचकों द्वारा निर्मित मलबे के परिहार के लिए भी उपाय किये जाते हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अन्तरिक्ष मलबों के कारण होने वाले जोखिम को न्यूनतम करने के लिए मानीटरन, न्यूनीकरण, प्रतिरूप और पूर्वानुमान पर अन्तर्राष्ट्रीय मतैक्य विकसित करने के लिए अन्तर-एजेंसी अन्तरिक्ष मलबा समन्वय समिति (आई.ए.डी.सी.) में भी भाग लेता है।

[हिन्दी]

रुग्ण लघु उद्योग

*467. **श्री अरुण कुमार:**
श्री दिलीप संघाणी:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों में रुग्णता बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रुग्णता का स्वरूप क्या रहा है; और

(घ) रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संग्रह किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान रुग्ण औद्योगिक इकाइयों (एस एस आई) की संख्या कम हुई है। देश में मार्च 2000, 2001 और 2002 के अंत तक रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या निम्न प्रकार से रही है:

वर्ष (मार्च के अंत तक)	रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या
2000	3,04,235
2001	2,49,630
2002	1,77,336

मार्च 2000, 2001 और 2002 के अंत में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार लघु औद्योगिक इकाइयों के मध्य औद्योगिक रुग्णता की समस्या से पूर्णत: अवगत है और इससे संभाव्य रूप से जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों की समय पर पहचान और उन्हें पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिसमें राज्य स्तरीय अंतर्संस्थानिक समितियों के रूप में संस्थानिक तंत्र, बैंकों

और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास एकक तथा पात्र इकाइयों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त श्री एस.एस. कोकली की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु संशोधित दिशा निर्देश तैयार किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:- रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन, उनकी जीवनक्षमता के बारे में निर्णय करने के लिए मानक इत्यादि। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कार्यान्वयन हेतु संशोधित दिशा निर्देश 16 जनवरी, 2002 को परिचालित कर दिए हैं।

विवरण

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या (राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च के अंत तक		
	2000	2001	2002
1	2	3	4
असम	11445	8632	5530
मेघालय	528	376	281
मिजोरम	41	27	25
बिहार	26909	16423	15181
झारखंड	—	—	2105
अरुणाचल प्रदेश	120	75	12
वेस्ट बंगाल	143893	113846	53957
नागालैंड	168	119	130
मणिपुर	5577	4150	1060
उड़ीसा	7444	6668	5334
सिक्किम	25	23	56
त्रिपुरा	7170	5352	1945
अंडमान एंड निकोबार द्वीप	31	18	13
उत्तर प्रदेश	21235	23117	17843
उत्तरांचल	—	—	2193
दिल्ली	3309	2143	1892
पंजाब	1897	1836	1902
हरियाणा	2952	1285	889
चंडीगढ़	156	153	145
जम्मू एंड कश्मीर	2002	848	2438
हिमाचल प्रदेश	893	368	394
राजस्थान	7560	6395	3792
गुजरात	5928	5409	6679
महाराष्ट्र	9115	8056	7270
दमन एंड दीव	10	57	4
गोवा	161	98	149
दादर एवं नागर हवेली	46	12	12
मध्य प्रदेश	6072	6614	6964
छत्तीसगढ़	—	—	64
आन्ध्र प्रदेश	12461	11841	9324
कर्नाटक	5416	4400	4254
लक्षद्वीप	0	1	0
तमिलनाडु	11602	9959	11513
केरल	9017	11144	13825
पांडिचेरी	1052	186	161
कुल	304235	249630	177336

[अनुवाद]

हिन्दी को प्रोत्साहन

***469. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान हिन्दी को प्रोत्साहन देने हेतु विदेशों में कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए;

(ख) क्या विदेशों में हिन्दी को प्रोत्साहित करने और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रचार कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जहां विश्वविद्यालयों/विद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है उन्हें भारतीय मिशनों के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) मंत्रालय ने विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान अनेक ठोस उपाय किये हैं। भारतीय दूतावासों में बच्चों को हिन्दी सिखाने के लिए ''बाल हिन्दी कक्षा'' नामक विशेष योजना के अंतर्गत विदेश स्थित भारतीय मिशनों में 29 हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। 2001-03 के दौरान विदेश स्थित पन्द्रह भारतीय मिशनों को हिंदी दिवस मनाने के लिए वित्तीय अनुदान दिये गये। अनेक भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने हिंदी दिवस का आयोजन किया जिसमें प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये।

भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, इतिहास और दर्शन जैसे विभिन्न विषयों पर मानक हिन्दी शिक्षण सामग्री और साहित्य भारतीय मिशनों के पुस्तकालयों के लिए और साथ ही उनके प्रत्यायन के देशों की शैक्षिक संस्थाओं, मंदिरों और हिंदी के प्रचार-प्रसार में लगे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को दान स्वरूप देने के लिए भेजा गया। पुस्तकों, शब्दकोष, दृश्य-श्रव्य कैसेटों, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, सी डी-रोम इत्यादि सहित अन्य शिक्षण सामग्रियां भी नियमित आधार पर भेजी गयीं।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय की सहायता और सहयोग से चार क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन बुडापेस्ट (हंगरी), पोर्ट आफ स्पेन (त्रिनिडाड और टोबेगो), काठमांडू (नेपाल) और लंदन (यू.के.) में आयोजित किये गये हैं। छह देशों नामत: मारीशस, फिजी, त्रिनिडाड और टोबेगो, यू.के., नेपाल और सूरीनाम में अताशे (हिंदी)/द्वितीय सचिव (हिंदी) के रूप में हिंदी अधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है। वे हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए भारतीय मूल के विभिन्न समूहों, संगठनों और विद्वानों के साथ संपर्क करते हैं।

अनेक देशों में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ ही अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं ने अपने विभागों में हिन्दी को एक विषय के रूप में शामिल किया है। ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थाओं का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश का नाम	विश्वविद्यालय	संस्थाएं/स्कूल	संगठन/गैर सरकारी संगठन
1	2	3	4
1. फिनलैंड	हेलसिंकी विश्वविद्यालय		
2. थाइलैंड	थम्मासत विश्वविद्यालय	न्यू इन्टरनेशनल स्कूल आफ थाइलैंड	
	शिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय	थाई सिख इन्टरनेशनल स्कूल, बैंकाक	
	बुराफ विश्वविद्यालय		
3. कनाडा	ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय	ओटावा कार्लेटन	
	कालगरी विश्वविद्यालय,	डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड	
	कन्कोरडिया विश्वविद्यालय,		
	गुलेफ विश्वविद्यालय,		
	मनीतोबा विश्वविद्यालय,		
	रेजिना विश्वविद्यालय,		
	मैक मास्टर विश्वविद्यालय,		
4. बल्गारिया	सोफिया विश्वविद्यालय	इन्दिरा गांधी स्कूल सोफिया	
5. आस्ट्रिया		ब्रिगिट्टेनाउ वोल्कसचोले/बिएना इन्टरनेशनल स्कूल	
6. वियतनाम	हो ची मिन्ह सिटी विश्वविद्यालय		

1	2	3	4
7. रूसी परिसंघ	मास्को स्टेट विश्वविद्यालय, पीपुल्स फ्रेंडशिप विश्वविद्यालय मास्को ह्यूमनिटीज वि. मास्को, फार इस्टर्न नेशनल वि. व्लादीवोस्तक	हिंदी स्कूल न. 19 मास्को, मास्को इन्स्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्स्टीट्यूट आफ एशिया एण्ड अफ्रीका इन्स्टीट्यूट आफ आरिएण्टल स्टडीज, मास्को, इन्सीटट्यूट आफ फिलोस्फी, मास्को, ह्यूम्नीटेरियन क्रिश्चन इन्सटीट्यूट, सेंट पीटसबर्ग, इन्सीटट्यूट आफ आरियण्टल स्टडीज, सेंट पीटसबर्ग, स्कूल न.-7 व्लादीवोस्तक	
8. इटली	रोम विश्वविद्यालय वेनिस विश्वविद्यालय मिलान विश्वविद्यालय		इटालियन इन्स्टीट्यूट फार अफ्रीका एण्ड दी आरिएण्ट, आरिएण्टल इन्स्टीट्यूट आफ नेपल्स
9. पोलैंड	वारसा वि. टेगिलोनियन वि. क्राकोवादम, मिसिविज वि.		
10. अमरीका	टेक्सास वि. ह्यूस्टन, अटलांटा, बर्कले, स्टैनफोर्ड वि.		
11. सऊदी अरब		एल के जी से XII स्टैन्डर्ड तक सात भारतीय स्कूलों में	
12. यू ए ई		अनेक स्कूलों में	
13. जर्मनी	मेन्ज वि. बान वि. हेडलबर्ग वि.		डयूश्चे इण्डिश्चे कल्चर इंस्टीट्यूट, फ्रैंक्फर्ट, एस के लुगानी मानव भारतीय
14. उक्रेन	तारा शेवचेंको नेशनल वि, कीव	कीव जिम्नाजियम आफ आरिएण्टल लैंग्वेजेज (सेकेन्डरी स्कूल) ओरियाना किंडर गार्टेन स्कूल	इन्स्टीट्यूट आफ लिंग्विस्टिक्स एण्ड ला
15. क्रोएशिया	जगरेब विश्वविद्यालय		
16. किंगस्टन, जमैका		किंग्सटन में स्कूल	
17. इथोपिया		इन्डियन नेशनल स्कूल, आदिस अबाबा	
18. फिजी	साउथ पैसेफिक वि.	400 स्कूलों में	
19. इजराइल	तेल अवीव विश्वविद्यालय हेब्रयु वि, जेरूसलेम		

1	2	3	4
20. चिली	सन्तियागो विश्वविद्यालय		
21. यमन		सीनियर सेकेन्डरी स्तर	
22. त्रिनिडाड और टोबेगो	वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय	त्रिनिडाड में 21 सरकारी स्कूलों में	
23. ताजिकिस्तान	टी एस एन यू दुशान्बे		
24. मारीशस	मारीशस विश्वविद्यालय	प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल	महात्मा गांधी संस्थान
25. कजाकस्तान	अल फराबी कजाक स्टेट वि. अल्माती		भारतीय संस्कृति केन्द्र हिंदी कक्षाएं चलाता है
26. सिंगापुर		स्कूल	सिंगापुर हिंदी सोसाइटी और डी ए वी हिंदी स्कूल
27. भूटान (थिम्पु)		स्कूल	
28. जापान	टोक्यो इन्स्टीट्यूट आफ फारेन स्टडीज, टोक्यो वि., ओसाका यूनवर्सिटी आफ फारेन स्टडीज		
29. आर्मेनिया	येरेवान स्टेट वि. और अचारियन वि. येरेवान	इन्स्टीट्यूट आफ आरिएण्टल स्टडीज आफ दी जार्जियन एकेडमी आफ साइंसेज, टिबलिसी	
30. चेक गणराज्य	इन्डोलोजी विभाग, चार्ल्स वि.		
31. यू.के.	आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय	बर्मिंघम में स्कूल	
32. हंगरी	ए एल टी ई. वि. इन्डो-यूरोपीय अध्ययन वि.		
33. आस्ट्रेलिया	सिडनी विश्वविद्यालय		
34. श्रीलंका	सबरागमुवा विश्वविद्यालय		
35. दक्षिण कोरिया	हानुकुक वि. बुसान विदेशी अध्ययन संस्थान		
36. मैक्सिको सिटी	कोलेजियो डी मैक्सिको इन मैक्सिको सिटी		
37. दक्षिण अफ्रीका		इस्लामिया प्राथमिक स्कूल, केप टाउन, डरबन में स्थानीय स्कूल	हिंदी शिक्षा संघ
38. चीन	बीजिंग वि. विदेशी भाषा विभाग		

1	2	3	4
39. जर्मनी	लडविग मैक्सिमिलियंस वि. म्यूनिख, इबेरहार्ड कार्ल्स वि. टुबिनजेन, हैडलबर्ग वि.	स्थानीय स्कूल	हिंदी शिक्षा संघ
40. नार्वे	ईस्ट यूरोपीय विभाग आरिएण्टल स्टडीज वि., ओस्लो		
41. स्पेन	मैड्रिड वि. (बुनियादी पाठ्यक्रम)		
42. इन्डोनेशिया	उदयन वि. (जकार्ता)	गांधी इंटरनेशनल स्कूल, डी पी एस, रामा इंटरनेशनल स्कूल	
43. एस्टोनियां	इस्टोनिया मानविकी वि. तालिनिन तारतू वि.		
44. उजबेकिस्तान	3 जूनियर कालेज 2 विश्वविद्यालय 1 शोध संस्थान	चार स्कूल	
45. बोत्सवाना		गेबोरोन और माउन में दो स्कूल	
46. कुवैत		कुवैत में 11 स्कूल	
47. फ्रांस	इन्स्टीट्यूट नेशनल डेस लैंग्वेज एट सिविलाइजेशन्स आरिएण्टल्स	इन्टरनेशनल स्कूल पेरिस, 12वें स्तर तक	
48. मलेशिया		हिन्दी स्कूल, कुआलालम्पुर	
49. नाइजीरिया		लागोस में भारतीय भाषा स्कूल	
50. गुयाना			गुयाना हिंदी प्रचार सभा, गुयाना हिंदी धार्मिक सभा

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा प्रदत्त सहायता

***470. श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार लघु उद्योग क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों का आधुनिकीकरण/पुनरूद्धार करने हेतु दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा राज्यवार स्थापित की गई और आधुनिकीकृत की गई लघु क्षेत्र की इकाइयों की संख्या क्या है;

(ग) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का विचार अपने क्रियाकलापों को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उन यूनिटों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई तथा सहायता की स्वीकृत राशि तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया गया संवितरण संबंधी राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ब्यौरे में नई परियोजनाओं की स्थापना तथा आधुनिकीकरण/मौजूदा लघु उद्योग यूनिटों के पुनर्जीवित करने के लिए प्रदान की गई सहायता सम्मिलित है।

(ग) और (घ) सिडबी सभी राज्यों में लघु उद्योग सेक्टर की स्वस्थ वृद्धि तथा सुविधा प्रदान करने के लिए निरन्तर नई रणनीतियां अपनाती रहती है तथा लघु उद्योग सेक्टर के लिए निरन्तर नई पहलें करती रहेगी।

विवरण

सिडबी द्वारा राज्य-वार सहायता

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र/राज्य	1999-2000			2000-2001			20001-2002		
	संख्या	संस्वीकृत	संवितरित	संख्या	संस्वीकृत	संवितरित	संख्या	संस्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	7626	103.07	96.74	4734	91.86	73.6	1721	33.77	29.19
झारखंड	—	—	—	—	—	—	4	18.81	14.5
उड़ीसा	3664	188.38	137.11	4970	213.85	164.44	2234	132.99	91.76
सिक्किम	183	2.45	3.72	86	1.1	1.09	87	1.25	1.24
वेस्ट बंगाल	812	218.55	183.58	344	366.97	171	425	296.98	190.42
अण्डमान निकोबार	0	0	0	0	0	0	2	0.06	0.05
उप-योग	12285	512.45	421.5	10134	673.78	410.13	4473	483.86	327.16
उत्तर पूर्वी क्षेत्र									
अरुणाचल प्रदेश	191	1.46	1.48	213	1.67	1.67	270	2.13	2.13
असम	1608	13.31	13.70	704	34.62	20.16	1171	23.35	19.36
मणिपुर	606	4.79	4.18	50	6.39	7.27	91	1.52	1.52
मेघालय	128	4.43	4.02	89	7.52	5.43	32	2.94	4.72
मिजोरम	90	1.06	1	81	1.9	1.51	44	1.04	0.81
नागालैंड	1	1.48	1.48	189	3.8	2.82	390	2.53	2.47
त्रिपुरा	406	5.01	5.1	335	7.85	6.5	49	1.43	1.27
उप-योग	3030	31.54	30.33	1661	63.75	45.36	2047	34.94	32.28
उत्तरी क्षेत्र									
हरियाणा	660	247.97	229.28	483	215.19	139.43	83	418.86	229.48
हिमाचल प्रदेश	2290	38.18	32.4	1291	35.68	29.9	248	35.21	26.17
जे. एंड के.	707	17.9	16.9	454	184.26	92.58	260	219.75	137.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	1904	269.9	210.29	1541	597.74	412.6	284	247.72	184.56
राजस्थान	951	245.96	195.23	629	675.18	338.5	527	214.25	165.12
उत्तर प्रदेश	965	197.92	173.77	9867	394.45	238.65	2393	487.49	286.67
चंडीगढ़	176	129.59	17.25	43	95.68	14.56	225	95.5	61.35
दिल्ली	603	261.91	133.77	3371	668.83	351.61	1147	703.36	418.77
उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	116	63.19	8.31
उप-योग	8256	1409.42	1008.89	17579	2876	1617.8	5283	2485.33	1518.05
पश्चिमी क्षेत्र									
छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	264	17.9	15.8
गोवा	389	75.26	78.36	74	111.24	85.44	83	56.84	45.64
गुजरात	1771	698.21	417.36	741	1193.7	716.1	805	975.58	574.41
मध्य प्रदेश	17137	284.59	228.07	9766	473.69	327.96	275	272.89	190.29
महाराष्ट्र	2466	1036.85	820.76	1125	2081.9	1320.8	1134	1704.5	1215.1
दा. न. हवेली	15	16.21	13.31	7	6.79	5.2	5	37.69	23.95
दमन-दीव	1	2.19	1.3	0	20.85	11.61	1	15.87	9.33
उप-योग	21779	2113.31	1559.07	11713	3888.2	2467.1	2567	3081.27	2074.52
दक्षिणी क्षेत्र									
आन्ध्र प्रदेश	4630	276.02	222.51	4180	473.31	268.24	1053	334.4	215.03
कर्नाटक	11889	401.07	302.79	2929	862.12	510.7	2434	705.11	550.25
केरल	2798	356.13	317.38	1161	555.58	389.05	1009	534.66	395.53
तमिलनाडु	4573	616.04	442.77	2249	1373.9	664.78	2189	1199.74	711.23
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	35	1.87	2.81	8	18.93	8.99	4	5.49	5.02
उप-योग	23925	1651.13	1288.26	10527	3283.9	1841.8	6689	2779.4	1877.06
योग	69275	5717.85	4307.7	51714	10777	6382.2	21059	8864.82	5829.07
विवरण एन.ए	538	4546.89	2655.8	490	44.02	59.23	620	160.7	90.26
कुल-योग	69813	10264.7	6963.5	52204	10821	6441.4	21679	9025.52	5919.33

[हिन्दी]

एच.आई.वी. परीक्षण संबंधी कानून

*471. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने विवाह-पूर्व एच.आई.वी. परीक्षण किया जाना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में आवश्यक कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कानून को कब तक बनाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

डाक वितरण के विरुद्ध शिकायतें

*472. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य डाक, पंजीकृत डाक, 'स्पीड पोस्ट' तथा बीमित डाक के विलम्ब से वितरण/वितरण न किए जाने के संबंध में राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा उक्त शिकायतों का निवारण अब तक नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन शिकायतों के शीघ्र निवारण तथा दोषी अधिकारियों को दण्ड देने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान सामान्य डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट तथा बीमित डाक के विलंब से वितरण/वितरण न किए जाने के संबंध में सर्किलवार प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है। ये निपटाई गई कुल मात्रा का एक बहुत छोटा भाग है।

शिकायतों के प्राप्त होते ही उनका निवारण करने के लिए तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है और उनके निपटान होने तक निरंतर मानीटरिंग की जाती है। शिकायतों के प्राप्त होने पर बुकिंग कार्यालय और वितरक कार्यालय से एक साथ ही मामले की पूछताछ की जाती है। प्राप्त हुई अधिकांश शिकायतों का विभाग द्वारा निर्धारित समय संबंधी मानदंडों के भीतर निपटान किया जाता है। कुछ मामलों में शिकायतों की जांच करने के लिए विस्तृत पूछताछ के कारण विलंब हो जाता है।

इन शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और जिम्मेदार कर्मचारियों को दंडित किया जाता है। इस संबंध में विभाग द्वारा किए गए कतिपय विशेष उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) संपूर्ण देश में शिकायतों की आन लाइन प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र स्थापित करना। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे 230 कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(ii) डाकघर आए बिना हमारी वेबसाइट के माध्यम से ग्राहक को शिकायत आनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना।

(iii) वेबसाइट पर आधारित लंबित शिकायतों की मानीटरिंग के लिए सर्किल कार्यालयों में जनशिकायत अधिकारी का नामांकन करना।

(iv) प्रौद्योगिकी की शुरूआत और शिकायतों के निपटान की संशोधित प्रक्रिया से शिकायतें निपटाने की समय सीमा में कमी लाना।

(v) स्पीड पोस्ट के लिए इलेक्ट्रानिक ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू की गई है जिसके अंतर्गत ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से भेजी गई वस्तु की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय नेटवर्क पर सभी स्पीड पोस्ट केंद्रों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है।

(vi) मुंबई और चेन्नई में डाक की भारी मात्रा की तेजी से प्रोसेसिंग के लिए आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्रों की संस्थापना।

(vii) पंजीकरण छंटाई कार्य और ट्रांजिट मेल कार्यालयों का चरणबद्ध रूप में कंप्यूटरीकरण।

(viii) नियमित अंतराल पर लाइव मेल सर्वेक्षण करना और पर्यवेक्षी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा डाक वितरण की आकस्मिक जांच करना।

(ix) जांच पत्रों/परीक्षण कार्डों को भेजकर मेल रूटिंग और डाक वितरण की नियमित मानीटरिंग।

(x) समय-समय पर पंजीकृत बीमित वस्तुओं के वितरण पर प्रबंधन का ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाना।

(xi) ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए वचनबद्धताओं, कर्तव्यों और सेवा मानकों की जानकारी से युक्त नागरिक घोषणा पत्र जारी करना तथा कर्मचारियों को इन मानकों से अवगत कराना।

(xii) किसी प्रकार की चूकता पाए जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की जाती है। 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान 937 कर्मचारियों को दोष की गंभीरता के आधार पर परिनिन्दा, वेतनवृद्धि पर रोक, वेतन से वसूली, पुट आफ ड्यूटी, सेवा से निष्कासन/पदच्युत, विभागीय परीक्षाओं में बैठने पर रोक आदि जैसे विभिन्न दंड दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान सामान्य डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट और बीमित डाक के विलम्ब से वितरण/वितरण न किए जाने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	सामान्य डाक			पत्र, पार्सलों एवं मूल्य देय वस्तुओं सहित पंजीकृत डाक			स्पीड पोस्ट			बीमित डाक		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	असम	39	25	—	1784	1587	1079	137	142	100	20	14	—
2.	आंध्र प्रदेश	115	90	100	2186	1620	888	68	74	205	45	31	—
3.	बिहार	640	510	233	2041	2240	2842	257	260	—	169	142	279
4.	छत्तीसगढ़	—	—	28	—	240	2716	—	—	101	—	—	—
5.	दिल्ली	513	420	619	15079	13070	15047	171	152	—	—	—	—
6.	गुजरात	509	510	269	731	540	541	—	—	—	—	—	24
7.	हरियाणा	49	39	16	1558	1418	1293	105	95	21	07	04	—
8.	हिमाचल प्रदेश	20	20	14	398	314	1133	—	—	—	—	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	01	287	118	480	75	90	64	—	—	—
10.	झारखंड	—	—	07	—	138	523	—	—	16	—	—	19
11.	कर्नाटक	1355	1105	905	2499	2280	2249	780	672	959	45	48	03
12.	केरल	1513	1410	1369	2595	2333	2332	2100	2402	2050	07	05	11
13.	मध्य प्रदेश	210	209	38	4849	4115	1728	422	430	670	19	22	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	महाराष्ट्र	544	578	526	16027	5940	1506	687	596	294	1302	1140	137
15.	उत्तर-पूर्व	08	09	05	1140	1302	1026	47	45	28	21	20	46
16.	उड़ीसा	29	38	24	818	764	639	160	175	111	01	—	—
17.	पंजाब	80	71	39	3045	1842	1432	404	410	162	11	14	30
18.	राजस्थान	22	21	62	3939	2104	2619	192	184	1189	—	—	—
19.	तमिलनाडु	1532	1432	1260	3006	3140	3944	3293	3402	2833	10	08	15
20.	उत्तरांचल	—	—	02	—	—	109	—	—	24	—	—	129
21.	उत्तर प्रदेश	766	726	477	15037	13104	13407	1718	1610	1041	142	131	—
22.	पश्चिम बंगाल	803	628	567	4934	4432	5442	660	640	1003	546	496	418
23.	सेना डाक सेवा	—	—	01	426	410	389	—	—	—	03	—	—
	कुल	8747	7841	6562	82379	63051	63364	11276	11379	10871	2348	2075	1112

[अनुवाद]

इराक को मानवीय सहायता

*473. **श्री जे.एस. बराड:**
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार इराक को मानवीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय चल रहे अमरीका-इराक युद्ध में किसी भारतीय के हताहत होने की सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन अपील के प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने नकद तथा सामग्री के रूप में 20 मिलियन अमरीकी डालर के रूप में योगदान देने की घोषणा की है जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भी शामिल होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक मालिश करने की चिकित्सा पद्धति

*474. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशियों को पंचकर्म (आयुर्वेदिक) के नाम पर लूटा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की पद्धति से आयुर्वेद तथा देश दोनों की ही बदनामी होगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे नीम हकीमों से घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को बचाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सरकार को पंच कर्म के नाम पर विदेशियों के लूटे जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों को पर्यटक होटलों और स्वास्थ्य लाभ केन्द्रों (हेल्थ रिजार्ट्स) में पंचकर्म केन्द्र खोलने और उनके कार्यकरण के बारे में दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं।

गैर-विकिरण प्रौद्योगिकी

*475. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फसल सुधार और खाद्य संरक्षण के लिए गैर-विकिरण प्रौद्योगिकी को उपयोग करने हेतु कोई योजना/कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन फसलों की पहचान की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग के पास, फसलों को बेहतर बनाने और खाद्य-पदार्थों के परिरक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु, अनुसंधान और विकास कार्य का एक सतत जारी रहने वाला कार्यक्रम है।

(ख) फसलों को बेहतर बनाने संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत, विकिरण-प्रेरित उत्परिवर्तियों का उपयोग सीधे अथवा संकरित रूप में किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः नई किस्में विकसित की जाती हैं। इस तकनीक का उपयोग करके, 23 फसलों की किस्में विकसित की गई हैं। इनमें उड़द, मूंग, मूंगफली, पटसन, सरसों, अरहर और चावल शामिल हैं।

इराक युद्ध का प्रभाव

***476. श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक युद्ध के कारण पश्चिमी भारत के पत्तनों से सामान (कार्गो) की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या युद्ध के कारण पत्तन-संचालन में होने वाली हानियों का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) इराक युद्ध के कारण पश्चिमी भारतीय पत्तनों से होने वाले कार्गो की ढुलाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्देशीय जलमार्ग में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***477. श्री वी. वेद्रिसेलवन:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार किया गया है:

(1) कार्गो और यात्रियों के लिए जलयानों का स्वामित्व और प्रचालन।

(2) फेयरवे विकास एवं अनुरक्षण।

(3) नदी टर्मिनलों अथवा नदी पत्तनों का निर्माण एवं प्रचालन।

(4) यंत्रचालित कार्गो-हैंडलिंग प्रणाली का प्रावधान एवं प्रचालन।

(5) नौचालन संबंधी सहायता का संस्थापन और अनुरक्षण।

(6) पायलटेज सेवाओं का प्रावधान।

(7) अंतर्देशीय जल परिवहन प्रशिक्षण संस्थानों का संस्थापन और उसे चलाना।

निजी क्षेत्र इन क्षेत्रों में अपने बल पर अथवा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम द्वारा अथवा निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजनाओं के माध्यम से भागीदारी कर सकता है।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन

***478. श्री के. ए. सांगतम:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2002 तक ग्रमीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराकर सभी गांवों में दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित कारणों से यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका:

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्य रूप पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र है जो जंगलों से घिरा और आतंक प्रभावित क्षेत्र है। इसके कारण इस क्षेत्र में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) और उपग्रह जैसी प्रौद्योगिकियों को इस्तेमाल में लाना आवश्यक है।

(ii) आरंभ में सरकार द्वारा सुरक्षा कारणों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में डब्ल्यू एल एल प्रणाली संस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकी। यह अनुमति अगस्त, 2002 के अंतिम सप्ताह में दी गई। इसी बीच कुछ डब्ल्यूएलएल उपस्कर अन्य जरूरतमंद सर्किलों को भेज दिये गये।

(iii) निविदा रद्द कर दिए जाने के कारण उपग्रह पर प्रदान किये जाने वाले लगभग 5440 वीपीटी उपलब्ध नहीं किये जा सके। चूंकि कोई भी बोलीदाता तकनीकी विविर्देशनों के अनुरूप नहीं था अत: निविदा रद्द करनी पड़ी।

निधियां उपलब्ध होने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्राम पंचायतों सहित आबादी वाले सभी गांवों में वर्ष 2003-04 के दौरान दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने का लक्ष्य है।

खाद्य सुरक्षा आयोग

*479. **श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री कमलनाथ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक स्वतंत्र व्यापक खाद्य सुरक्षा आयोग की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में केन्द्रीय खाद्य मानक समिति पहले ही मौजूद है जिसमें सभी राज्य सरकारें, विभिन्न अन्य केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक, व्यापार एवं उपभोक्ता संघ सदस्य हैं। खाद्य निरापदता और विभिन्न उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करने से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है।

एक एकीकृत खाद्य कानून बनाने के लिए वैधानिक और अन्य परिवर्तनों का प्रस्ताव करने हेतु मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

*480. **श्री ए. कृष्णास्वामी:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खेलकूद की स्थिति निराशाजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी विशेषज्ञता और अच्छा प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित करने का है ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं। हाल ही में समाप्त हुए राष्ट्रमण्डल खेलों और एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। राष्ट्रमण्डल खेलों में भारतीय दल ने 69 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार एशियन खेलों में भारतीय दल ने 36 पदक जीते हैं।

(ग) और (घ) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पहले ही विभिन्न योजनाएं प्रारंभ कर दी हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

1. प्रतिभा की खोज और प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के अंतर्गत विदेश में प्रशिक्षण देने के

लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत उपस्करों वैज्ञानिक सहायता, प्रशिक्षण तथा देश और विदेश में टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए भी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता दी जाती है।

2. चुनिंदा खेल विधाओं, जिसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है, के लिए विदेशी प्रशिक्षकों को भी अल्पकालिक/दीर्घकालिक आधार पर रखा जाता है।

3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपस्करों को आयात किया जा रहा है और नवीनतम उपस्करों के साथ प्रशिक्षण देने के लिये उन्हें राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को प्रदान किये जाते हैं।

4. विशेषज्ञ खेल वैज्ञानिकों के अंतर्गत आधुनिक वैज्ञानिक उपस्करों की सहायता से राष्ट्रीय शिवरार्थियों को उपयुक्त वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है।

5. विशेपज्ञ न्युट्रिशिस्ट के मार्गदर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिवरार्थियों को राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा सिफारिश किया गया संतुलित आहार प्रदान किया जाता है।

6. देश में सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर पर खेल प्रतिभा के उन्नयन और पोषण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने निम्नलिखित खेल संवर्धनकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं। पूरे देश से प्रतिभाशाली/उदीयमान खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए चुना जाता है। (ब्यौरा अनुबंध-6 पर है।)

   1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) योजना।
   2. सेना बाल खेल कम्पनी (ए.बी.एस.सी.)
   3. विशेष क्षेत्रीय खेल (एस.ए.जी.)
   4. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)
   5. उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)

7. जिन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेताओं को विशेष पुरस्कार की योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में नकद पुरस्कार दिया जाता है।

8. खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचन्द पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

9. इसके अलावा प्रतिभावान खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि की योजना के अंतर्गत पात्र खिलाड़ियों को पेंशन दी जाती है।

होम्योपैथी कालेजों का फैलता जाल

*481. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में घटिया स्तर के होम्योपैथी कालेजों के फैलते जाल की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) होम्योपैथी कालेजों का आवश्यक गुणवत्ता स्तर बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि कुछ ऐसे कालेज खोले गए हैं जो केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित निम्नतम अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। 127 कालेजों की निरीक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि निर्धारित अपेक्षाओं को देखते हुए कुछ कमियां हैं।

(ग) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 में हाल में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार किसी नए होम्योपैथिक कालेज को खोलने, वर्तमान कालेजों में सीटों में वृद्धि करने अथवा नए पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आशा की जाती है कि इस प्रयास से होम्योपैथिक कालेजों की अंधाधुंध वृद्धि में कमी आएगी।

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल

4637. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी के निकट दूसरा पुल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो नदी पर बनाए जाने के लिए विचाराधीन पुल का स्वरूप और उसकी अन्य विशेषताएं क्या होंगी तथा उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी; और

(ग) उक्त पुल के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत गुवाहाटी के समीप ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरे पुल के निर्माण की योजना है। इस प्रयोजन के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी है, द्वारा सितंबर, 2002 में साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्शी कार्य सौंप दिया गया है। उक्त साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अप्रैल, 2004 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। प्रस्तावित पुल के और ब्यौरे साध्यता अध्ययन के निष्कर्ष पर निर्भर करेंगे।

दूरसंचार सेवाओं का सम्पूर्ण उपयोग

4638. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगतों को बढ़ावा देने वाले विपरीत शुल्क संरचना के कारण दूरसंचार सेवा क्षेत्र में क्षमता उपयोग लगभग 40 प्रतिशत ही रह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या मौजूदा विपरीत शुल्क संरचना के परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विस्तार में काफी कमी आने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या टेलीकाम इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (टीइएमए) ने इस संबंध में कोई उपाय प्रस्तावित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने टीइएमए द्वारा इस संबंध में दिए गए प्रस्ताव की जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) दूरसंचार सेवा क्षेत्र में क्षमता का उपयोग निविष्टियों के शुल्क ढांचे पर निर्भर नहीं होता है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) टेलीकाम इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोशिएशन आफ इंडिया (टीईएमए) ने वर्ष 2003-2004 के अपने बजट प्रस्तावों के एक भाग के रूप में सीमा शुल्क तथा अन्य कर संबंधी मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया है तथा बजट 2003-2004 और 31.3.2003 को संशोधित आयात निर्यात नीति 2002-2007 में कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इनमें से कुछ प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:-

(i) सेल्यूलर फोन, मोबाइल फोन, पेजर रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनल तथा पुर्जों, संघटकों तथा सेल्यूलर फोनों सहित मोबाइल हैंडसैटों के उपकरणों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है ताकि इनका अधिक से अधिक निर्माण अपने ही देश में किया जा सके।

(ii) केन्द्रीय बिक्री कर को 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

(iii) पारेषण उपकरण के लिए पोपुलेटेड प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) पर बुनियादी सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(iv) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी करार के अर्न्तगत आने वाले सभी उत्पादों को, 31.3.03 को संशोधित आयात-निर्यात नीति 2002-2007 में इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलाजी पार्क (ईएचटीपी) स्कीम का लाभ दिया गया है ताकि स्वदेशी दूरसंचार विनिर्माणकारी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके।

[हिन्दी]

तेल क्षेत्र में विनिवेश

4639. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने तेल क्षेत्र में विनिवेश के माध्यम से कितनी धनराशि एकत्र की है;

(ख) क्या सरकार तेल क्षेत्र में और अधिक विनिवेश करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (2000-01, 2001-02 और 2002-03) तेल क्षेत्र के कतिपय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से सरकार द्वारा जुटाई गई धनराशि 2471 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) में 34.01 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अनुकूल बिक्री के माध्यम से और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल) में 35.20 प्रतिशत इक्विटी शेयरों को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सार्वजनिक पेशकश करने के माध्यम से विनिवेश करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी स्टाक खरीद योजना के माध्यम से, कर्मचारियों को दोनों कम्पनियों में 5 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की पेशकश करने का भी निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में सड़क परियोजनाएं

4640. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मार्च, 2001 से अक्तूबर, 2002 तक की अवधि में नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने, बाय-पासों के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का चार लेनों वाला बनाए जाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के संबंध में भेजे गए प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(ख) उक्त प्रस्तावों में से प्रत्येक पर क्या कार्रवाई की गई है और उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) मार्च, 2001 से अक्तूबर, 2002 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार से मंत्रालय को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	मद	प्रस्तावों की सं.	की गई कार्रवाई	आबंटित धनराशि
1.	नए राष्ट्रीय राजमार्ग	37	ये प्रस्ताव मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार पुन: प्रस्तुत किए जाने के लिए राज्य सरकार को वापस कर दिए गए थे।	लागू नहीं।
2.	राज्यीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन			
3.	बाइपासों का निर्माण	1 (वाराणसी बाइपास-चरण-II	प्रस्ताव की जांच की जा रही है। चालू वार्षिक योजना (2003-04) में प्रावधान किया गया है।	भूमि अधिग्रहण के लिए 10.60 करोड़ रु. नियत किए गए हैं।
4.	राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाना	कोई नहीं	-	-
5.	पुलों का निर्माण	1 (रा रा 74 पर गगन पुल	चालू वार्षिक योजना (2003-04) में प्रावधान किया गया है।	2.00 करोड़ रु. नियत किए गए हैं।

(ग) जी नहीं। इस समय मंत्रालय की प्राथमिकता, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की गुणता में सुधार करना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केबल बिछाना

4641. श्री विष्णुदेव साय: क्या **सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2003 तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भूमिगत केबल के माध्यम से जुड़े ग्राम पंचायतों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) केबल लाईन बिछाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) केबल बिछाये जाने के बावजूद ग्राम-पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं और प्रभावित पंचायतों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 31 मार्च, 2003 तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्रमश: 1568 और 4441 ग्राम पंचायतों को भूमिगत केबल द्वारा दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) छत्तीसगढ़ में केबल लाइनों को बिछाने में अनियमितताओं के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) ऐसी कोई ग्राम पंचायत दूरसंचार सुविधा रहित नहीं है।

विवरण

भूमिगत केबल लाइनों पर ग्राम पंचायतों की जिला-वार संख्या राज्य—छत्तीसगढ़

क्रम संख्या	जिले का नाम	भूमिगत केबलों से जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	बिलासपुर	150
2.	कोर्बा	81
3.	जंजगीर-छापा	168
4.	दुर्ग	167
5.	राजनंदगांव	57
6.	कवर्द्धा	17
7.	रायपुर	133
8.	धंतरी	59
9.	महासमुंद	369
10.	रायगढ़	77
11.	जसपुर	48
12.	बस्तर	150
13.	दांतेवाड़ा	44
14.	कंकेर	33
15.	सरगुजा	15
16.	कोरिया	0
	कुल	1568

भूमिगत केबल लाइन पर ग्राम पंचायतों की जिला-वार संख्या राज्य—मध्य प्रदेश

क्रम संख्या	जिले का नाम	भूमिगत केबलों से जोड़ी गई ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	107
2.	बेतुल	266
3.	भिण्ड	170
4.	भोपाल	70
5.	सेहोर	119
6.	छत्तरपुर	40
7.	टीकमगढ़	69
8.	छिंदवाड़ा	278
9.	दमोह	40
10.	देवास	38
11.	धार	260
12.	गुना	77
13.	ग्वालियर	124
14.	दतिया	93
15.	होशंगाबाद	150
16.	हर्दा	54
17.	इंदोर	360
18.	जबलपुर	54
19.	कटनी	140
20.	झबुआ	122
21.	खण्डवा	147
22.	खारगोन	10
23.	बरवानी	13
24.	माण्डला	44
25.	डिंडोरी	27

1	2	3
26.	मंदसौर	76
27.	नीमच	50
28.	मुरैना	73
29.	शिवपुरकलां	54
30.	नरसिंहपुर	276
31.	पन्ना	15
32.	रैसिन	77
33.	राजगढ़	48
34.	रतलाम	18
35.	रीवा	39
36.	सागर	58
37.	सतना	51
38.	सियोनी	284
39.	शहडोल	30
40.	उमरिया	12
41.	शाजापुर	0
42.	शिवपुरी	58
43.	सिधी	0
44.	उज्जैन	268
45.	विदिशा	82
	कुल	4441

[अनुवाद]

लघु उद्योग के लिए पैकेज

4642. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के दल सिफारिश के अनुरूप लघु उद्योग से संबंधित राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान अगस्त, 2000 में लघु उद्योग के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य इस नीतिगत पैकेज का लाभ उठाने में सफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के उपरांत कितने राज्यों को अपने राज्य में लघु उद्योग की स्थापना किए जाने के लिए अधिकतम मदद मिली है;

(घ) अगस्त, 2000 से लेकर अब तक केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यापक नीतिगत पैकेज पूरे देश में एक समान रूप से लागू हैं और इसका उद्देश्य घरेलू एवं वैश्विक दोनों स्तरों पर अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट तक सरल पहुंच, विपणन समर्थन, 25.00 लाख रुपए तक के समपार्श्विकता मुक्त मिश्रित ऋणों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए पूंजी आर्थिक सहायता तथा सुधरी हुई आधारिक संरचना के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है। पैकेज से लघु उद्योग क्षेत्र में त्वरित वृद्धि होने में सुविधा हुई है, जैसा कि इसके हाल ही के ट्रैक रिकार्ड से प्रमाणित हुआ है।

(घ) और (ङ) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए निर्धारित परिव्यय में राज्य सरकारों को जारी राशियां सम्मिलित हैं। विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम समान रूप से लागू किए जाते हैं और निधियों का राज्यवार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता है। वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार ही निधियां स्वीकृत एवं जारी की जाती हैं।

[हिन्दी]

एमटीएनएल और आईडीबीआई के बीच करार

4643. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमटीएनएल और आईडीबीआई ने एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से टेलीफोन बिलों के भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए आपस में कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस सुविधा को देश के अन्य शहरों में भी विस्तारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 25.06.2002 को इन्टरनेट और एटीएम के माध्यम से टेलीफोन बिलों की वसूली करने के लिए एमटीएनएल, दिल्ली और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बीच तीन महीने के अवधि के लिए एक करार हुआ था। अगस्त, 2002 माह के दौरान वसूली का काम शुरू किया गया था और अभी भी जारी है। यह योजना एक वर्ष की अवधि के लिए पुन: अनुमोदित की गयी है। एमटीएनएल, मुम्बई यूनिट के लिए इस प्रकार का कोई करार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) अन्य शहरों में इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लि. ने एटीएम कार्ड, इन्टरनेट बैंकिंग और अन्य इलेक्ट्रानिक बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से टेलीफोन बिलों का भुगतान सुगम बनाने के लिए कई प्रमुख बैंकों अर्थात पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, यूटीआई, एचडीएफसी, सिटीबैंक, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड और बैंक आफ पंजाब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षंर किए हैं। ये सुविधाएं शुरू में कोलकाता, पुणे, औरंगाबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, बंगलोर, चण्डीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लुधियाना, फरीदाबाद गुड़गांव, नौएडा, देहरादून, भुनेश्वर और तिरुवनन्तपुरम नामक शहरों में शुरू की गयी हैं।

[अनुवाद]

होम्योपैथिक औषधियों का निर्यात/आयात

4644. श्री टी. गोविन्दन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात/आयात की गई होम्योपैथिक औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश और विदेश में होम्योपैथिक औषधियों को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) विदेश व्यापार महानिदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार होम्योपैथिक औषधियों के आयात और निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है:

आयात:

		मूल्य (लाखों में)
1999-2000	-	948
2000-2001	-	1007
2001-2002	-	639

निर्यात:

		मूल्य (लाखों में)
1999-2000	-	386
2000-2001	-	1116
2001-2002	-	578

(ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) 916 औषधियों के भेषज संहितागत मानक निर्धारित किए गए हैं।

(ii) औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है जो औषधियों के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता को आसान बनाएगा।

(iii) औषधि परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

(iv) विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथिक के प्रचार-प्रसार के लिए स्वास्थ्य मेलों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों आदि में भाग लेता रहा है।

(v) इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुग्राहीकरण और जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार शुरू किया गया है।

सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए अलग से अस्पताल

4645. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ के कारण वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को लाईन में खड़े होकर लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का दिल्ली में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए अलग से एक अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार के विद्यमान आदेशों में वरिष्ठ

नागरिकों (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशन-भोगी के कार्ड रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों सहित) के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अलग से लाईनों की व्यवस्था है। अत: केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को अन्य रोगियों की तुलना में लाइन में कम समय के लिए इंतजार करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, के.स.स्वा. योजना, दिल्ली के अधीन दिल्ली और इसके समीपवर्ती उप-नगरों में विभिन्न स्थानों पर स्थित 95 निजी अस्पतालों/रोग नैदानिक केन्द्रों को मान्यता दे दी गई है ताकि के.स.स्वा. योजना के लाभार्थी उनमें उपचार करवा सकें। के.स.स्वा. योजना के पेंशनर कार्ड-धारियों (के.स.स्वा. योजना के वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों समेत) को उच्च मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/रोग-नैदानिक केन्द्रों में उपचार करवाने के लिए ऋण सुविधाएं भी प्रदान कर दी गई हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सिद्ध पद्धति को लोकप्रिय बनाना

4646. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सिद्ध चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत देश में सिद्ध औषधालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए देश में और अधिक सिद्ध औषधालयों खोलने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत सरकार ने सिद्ध चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

* सिद्ध के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में चेन्नै में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान की स्थापना हेतु कदम उठाए गए हैं।
* स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर सिद्ध संस्थानों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है।
* भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में घरेलू उपचार किट प्रायोगिक योजना के अंतर्गत, तमिलनाडु के थेनी जिले को सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिए चिह्नित किया गया है।
* ट्रेडिशनल नालेज डिजिटल लाईब्रेरी (सिद्ध) के लिये एक कार्यदल का गठन किया गया है ताकि सिद्ध ग्रंथों में पहले से ही उपलब्ध सिद्ध के परंपरागत ज्ञान को पेटेन्ट कराए जाने से रोका जा सके।
* केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् सिद्ध औषधियों में अनुसंधान कर रहा है।
* केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् के साहित्यिक अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत सिद्ध पांडुलिपियों को परिरक्षित किया जा रहा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सिद्ध के दो औषधालय कार्य कर रहे हैं—एक चेन्नै, तमिलनाडु में एवं दूसरा नई दिल्ली है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने चेन्नै में एक सिद्ध औषधालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग ने सुझाव दिया है कि सिद्ध के दो औषधालय दिल्ली में खोले जाने चाहिए।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आबंटित निधियों का उपयोग

4647. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न चालू स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए आबंटित निधियों का अधिकतर राज्यों द्वारा अब तक उचित ढंग से उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए प्रदान किए गए धन का निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार

और उन प्रयोजनों, जिनके लिए धन प्रदान किया जाता है, के लिए सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है। नौवीं योजनावधि के पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला एक राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ग) धन का उपयुक्त समुपयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य/जिला रोग नियंत्रण सोसाइटियों को दिशानिर्देश परिचालित कर दिए गए हैं। धन के समुपयोजन को नियमित रिपोर्टों, केन्द्र राज्यों की समीक्षा बैठकों, अंकेक्षण रिपोर्टों और समुपयोजन प्रमाण-पत्रों के माध्यम से भी मानीटर किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1999/00-2001/02) के दौरान स्वास्थ्य विभाग में केन्द्रीय प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार आबंटन/जारी धन और व्यय का ब्यौरा*

(लाख रुपए में)

राज्य	एनएमपी		एनटीसीपी		एलएलईपी		एनएसीपी		एनपीसीबी	
	आबं./जारी	व्यय	आबं./जारी	व्यय	आबं./जारी	व्यय	आबं./जारी	व्यय	आबं./जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान एवं निकोबार	551.43	563.81	2120.29	2773.48	24.93	11.22	211.94	185.59	29.11	25.96
आन्ध्र प्रदेश	4261.56	4866.54	5.31	2.71	1174.79	1054.95	4169.17	4029.04	2,421.68	2,780.30
अरुणाचल प्रदेश	1134.11	887.68	216.03	189.41	258.45	248.47	484.88	316.41	103.62	67.44
असम	9764.41	7652.08	619.74	564.62	501.78	494.35	1350.80	1229.09	357.94	186.88
बिहार	1478.49	1444.50	2759.79	1454.01	2857.51	2626.10	1060.50	1247.72	496.73	270.99
चण्डीगढ़	138.31	114.23	23.55	30.94	22.29	22.62	360.76	364.30	45.69	36.90
छत्तीसगढ़	1098.04	1147.95	36.54	53.97	378.34	185.65	150.50	101.09	428.98	409.37
दादरा एवं नगर हवेली	106.64	93.64	0.77	1.61	15.96	15.26	60.00	33.05	116.07	105.94
दमन एवं दीव	51.36	41.51	2.82	1.30	42.40	28.56	135.00	123.94	87.81	82.11
दिल्ली	263.94	210.12	420.98	806.27	104.24	106.99	856.00	881.00	140.78	140.98
गोवा	25.72	11.69	31.41	25.27	14.53	8.51	269.73	259.22	169.24	122.52
गुजरात	4463.99	4159.73	2870.21	1581.83	522.34	484.30	2666.08	2030.08	957.85	767.97
हरियाणा	474.68	257.72	506.92	468.58	128.18	96.69	782.50	696.38	459.02	144.66
हिमाचल प्रदेश	138.61	218.20	430.78	572.14	165.22	156.52	889.00	770.50	268.76	287.25
जम्मू एवं कश्मीर	162.65	257.30	190.00	250.99	251.16	180.01	421.50	301.06	239.18	153.92
झारखंड	849.92	874.26	55.13	71.11	356.23	174.88	156.00	0.00	124.59	116.77
कर्नाटक	1263.58	849.10	1989.23	1347.82	746.78	760.46	1985.27	1871.95	1,034.24	986.25
केरल	274.99	202.01	2163.23	1003.61	458.91	427.56	1715.63	1348.43	694.70	593.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
लक्षद्वीप	23.14	17.31	8.98	2.27	10.36	8.95	63.66	42.50	239.91	229.51
मध्य प्रदेश	6228.02	6257.60	1827.39	1307.61	1835.03	1695.95	1674.81	1288.04	2,793.62	2,961.91
महाराष्ट्र	5954.61	5900.48	3785.40	3751.72	1225.63	1058.52	4563.58	3768.34	3,064.22	3,164.36
मणिपुर	1282.33	730.53	161.49	269.96	291.73	247.41	1475.83	1363.86	101.58	46.65
मेघालय	1028.36	808.83	47.56	37.54	139.20	117.69	382.57	158.56	270.09	189.61
मिजोरम	1128.61	771.16	25.09	28.39	172.73	141.48	593.70	614.86	140.09	140.24
नागालैंड	878.12	955.32	115.75	172.96	304.31	283.14	1266.00	1211.16	111.37	44.44
उड़ीसा	3440.08	4080.57	1371.61	1782.11	1749.86	1036.69	1173.50	583.71	2,171.85	2,504.71
पांडिचेरी	45.78	33.14	29.80	10.25	11.00	15.97	100.50	111.57	41.07	26.14
पंजाब	569.11	390.85	602.94	391.46	168.69	177.13	900.39	536.46	372.83	139.08
राजस्थान	2746.30	2567.48	2439.97	2491.42	376.44	291.69	847.50	665.95	2,496.07	2,273.32
सिक्किम	22.41	8.16	38.06	87.39	147.94	82.51	211.02	163.61	139.17	127.11
तमिलनाडु	878.39	545.20	2771.61	2121.68	1221.57	733.32	5563.06	3645.01	4,472.86	4,024.48
त्रिपुरा	1517.39	1366.01	73.56	80.71	127.65	45.61	338.67	222.18	618.04	272.59
उत्तर प्रदेश	1795.88	1751.47	3961.90	3151.88	2639.62	3034.69	3085.50	2521.55	3,918.21	3,417.97
उत्तरांचल	23.64	39.19	15.56	24.89	1282.50	65.13	1465.65	0.00	317.74	328.41
पश्चिम बंगाल	1240.98	1783.13	4300.11	2497.95	2200.19	2097.48	1166.15	2387.96	591.63	529.21
योग	55305.58	51858.59	36019.97	29409.88	21928.49	18216.46	42597.55	35074.17	30,036.35	27,699.47

*2001-02 के लिए सभी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के राज्य-वार व्यय आंकड़े अनन्तिम हैं।
एन.ए.एम.पी.: राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम, एन.टी.सी.पी.: राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, एन.एल.ई.पी.: राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम,
एन.ए.सी.पी.: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, एन.पी.सी.बी.: राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 को सुदृढ़ और चौड़ा करना

4648. श्री सुनील खां: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 को सुदृढ़ और चौड़ा करने संबंधी मामला वर्ष 2003-2004 में विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले के अंतर्गत गोविन्दधाम और अमरकानन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 पर स्थित जीर्ण-शीर्ण पुल का पुनर्निर्माण किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गंगाजल घाटी बाजार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 पर बाईपास का निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त बाजार के घनत्व वाले क्षेत्र में मार्ग को चौड़ा करने का कार्य किस तरीके से किया जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई 224 कि.मी. है। इसमें से 52 कि.मी. लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग

विकास परियोजना के भाग के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4 लेन बनाई जा रही है। 160 कि.मी. लंबाई में गुणता सुधार के लिए पहले ही स्वीकृति दे दी गई है और शेष लंबाई में सुधार पर 2003-04 में विचार किया जा रहा है। इस समय मंत्रालय की प्राथमिकता राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार करना तथा कमजोर खंडों को सुदृढ़ करना/ऊंचा उठाना है। इस राजमार्ग की सुधार आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए 2002-03 में साध्यता अध्ययन को स्वीकृति दी गई है। बांकुरा जिले के अंतर्गत गोविन्दधाम और अमरकानन के बीच पुल के साथ-साथ बाइपास, चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण और पुलों के पुनर्निर्माण जैसे अन्य सुधार कार्यों पर इस अध्ययन के निष्कर्ष, यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड को घाटा

4649. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या **पोत और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता को पिछले कई वर्षों से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) जी हां। कंपनी को 1999-2000 के दौरान 20.00 करोड़ रु. 2000-01 के दैरान 31.15 करोड़ रु. तथा 2001-02 के दौरान 20.47 करोड़ रु. का घाटा हुआ है। घाटे के कारण अधिक मानवशक्ति, सरकार तथा अन्य ऋणों पर भारी ब्याज भार, कम उत्पादकता, आर्डरों की कमी जीर्ण-शीर्ण मशीनें आदि हैं।

(ग) आर्थिक रूप से मजबूत बनने में इकाई की सहायता के लिये नीतिगत सहायता उपायों के एक भाग के रूप में सरकार ने पत्तन प्राधिकारियों तथा नौवहन कंपनियों जैसे भारतीय नौवहन निगम, ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय आदि को सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों जिसमें हुगली डाक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लि. भी शामिल है, के लिये दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जहाज, ड्रेजर्स, टग्स खरीदते समय नामांकन/गैर-निविदा आधार पर लेकिन वाणिज्यिक वचनबद्धताओं पर विचार किये बिना आर्डर देने पर गौर किया जाए। इस मंत्रालय के हस्तक्षेप से 400 यात्री जलयान परियोजना, जिस पर कार्य जुलाई, 2000 को रोक दिया गया था, को 76.37 करोड़ रु. की लागत से पुन: आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, 4.00 करोड़ रु. की लागत पर 4 पन्टून्स के लिये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा हुगली डाक तथा पोर्ट इंजीनियर लि. को आर्डर दे दिये गये हैं।

घाना दूरसंचार परियोजना

4650. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीकाम कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) ने घाना दूरसंचार की कोई परियोजना हाथ में ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना निर्धारित अवधि के अंदर पूरी कर ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या टीसीआईएल को परियोजना का पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भुगतान की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) टेलिकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) ने घाना टेलीकाम की तीन परियोजनाएं आरंभ की थीं।

(ख) इस परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पहली दो परियोजनाएं समय से पहले पूरी हो गई थीं। जहां तक तीसरी परियोजना का सवाल है टीसीआईएल ने कुल 50 मिलियन अमरीकी डालर की इस परियोजना को 45.21 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करने के बाद अप्रैल, 2001 में पूर्ण होने से पहले ही बंद कर दिया क्योंकि आगे इसका भुगतान नहीं किया जा रहा था।

(घ) पहली दो परियोजनाओं के मामले में पूरा भुगतान प्राप्त हो गया था। तीसरी परियोजना के लिए टीसीआईएल को 21.965 मिलियन अमरीकी डालर ही प्राप्त हुए हैं। अभी 23.245 मिलियन अमरीकी डालर बकाया हैं।

(ङ) भुगतान की वसूली के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वैश्विक निविदाओं के आधार पर घाना टेलीकाम द्वारा टीसीआईएल को दिए गए ठेकों का ब्यौरा निम्नानुसार है

(i) 1993 में, घाना के विभिन्न भागों में कस्टमर एक्सेस नेटवर्क संस्थापित करने के लिए 22 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 103.4 करोड़ रुपये) की परियोजना का कार्य दिया गया था। इस परियोजना को जापान के ओवरसीज इकानोमिक-कारपोरेशन फंडिंग (ओ ई सी एफ) द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

(ii) 1997 में, घाना की राजधानी एक्रा की एक बहुत बड़ी न्यू हाउसिंग कोलोनी डानसोमन में कस्टमर एक्सेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए 12 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 56.4 करोड़ रुपए) की परियोजना का कार्य दिया गया था। इस परियोजना को घाना टेलीकाम ने अपने आन्तरिक संसाधनों से वित्त पोषित किया था।

(iii) 1998 में, घाना के विभिन्न भागों में कस्टमर एक्सेस नेटवर्क संस्थापित करने के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य पर एक व्यापक परियोजना के भाग के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 235 करोड़ रुपये) का ठेका दिया गया था। टीसीआईएल तथा दो अन्य ठेकेदारों नामश: सैमसंग तथा जी ए एम ए एल (घाना और मलेशिया का संयुक्त उद्यम) को 50-50 मिलियन अमरीकी डालर का ठेका दिया गया था।

विवरण II

बकाया राशियों की वसूली के लिए टीसीआईएल द्वारा की गई कार्रवाईयों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं

(i) घाना में परियोजना कार्यालय द्वारा लगातार की जा रही अनुवर्ती कार्रवाईयों के अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों एवं कार्यकारी निदेशकों, टीसीआईएल मुख्यालय ने धनराशि निर्मुक्त करने के लिए घाना टेलीकाम पर दबाव डाला और टीसीआईएल को शीघ्र भुगतान करने के लिए घाना के संचार मंत्री तथा संचार उप-मंत्री के साथ भी संपर्क स्थापित किया।

(ii) अप्रैल, 2001 के बाद कार्य-निष्पादन के लिए अन्य कोई कार्य-सूची (इंडेट) हाथ में नहीं ली गई।

(iii) यद्यपि अनुबंध में आस्थगित भुगतान तथा नकद भुगतान करने संबंधी विकल्प की व्यवस्था थी तथापि, घाना टेलीकाम ने नकद भुगतान करने संबंधी विकल्प को चुना जिसके तहत बकाया राशियां संचित हुईं। आस्थगित भुगतान के आधार पर ब्याज सहित किस्तों की देय राशियों को नियमित करने के लिए टीसीआईएल ने घाना टेलीकाम तथा घाना सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया है।

(iv) टीसीआईएल के अनुरोध पर, घाना में भारत के उच्चायुक्त तथा विदेश मंत्रालय व संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दौरे पर गए अधिकारियों ने भी टीसीआईएल को शीघ्र भुगतान करने के लिए घाना सरकार पर दबाव डाला।

(v) आज तक बिलशुदा कुल राशि लगभग 45.21 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 212.49 करोड़ रुपये) है, जबकि अब तक 23.245 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 109.25 करोड़ रुपये) बकाया है। घाना के संचार मंत्रालय ने सूचित किया है कि घाना टेलीकाम ने अपने दिनांक 13.5.2002 के पत्र द्वारा एक मिलियन अमरीकी डालर अथवा समकक्ष राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया है।

(vi) दिनांक 24.02.2003 को घाना टेलीकाम ने इस बात को दोहराया है कि वे प्रति माह एक मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करेंगे। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जैसे ही वे निधियां जुटा लेंगे, इससे ज्यादा रकम टीसीआईएल को दे देंगे। मई, 2002 से अब तक घाना टेलीकाम ने 5.01 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 23.55 करोड़ रुपये) का भुगतान कर दिया है।

(vii) भारत में घाना के उच्चायुक्त की सलाह पर, टीसीआईएल ने घाना-इण्डिया डेवलपमेन्ट कंसोर्टियम से भी संपर्क साधा और उनसे अनुरोध किया कि वे धनराशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली में मदद करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

[हिन्दी]

सीबीटी की व्यवस्था करना

4651. श्री अशोक अर्गल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के ऐसे स्थानीय पीसीओ की स्थान-वार संख्या क्या है जिनमें महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा, विशेषकर दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में 31 मार्च, 2003 तक की स्थिति के अनुसार सीबीटी 95 की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या एमटीएनएल स्थानीय पीसीओ लगाने पर एसटीडी-आईएसडी, पीसीओ मालिकों को सीबीटी-95 प्रदान करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी प्रकार के पीसीओ पर सीबीटी-95 की व्यवस्था की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) एमटीएनएल दिल्ली ने जिन स्थानीय पीसीओ पर सीबीटी-95 सुविधा प्रदान की है, उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। सामान्यतया एसटीडी/आईएसडी/ पीसीओ मालिकों द्वारा संस्थापित सभी स्थानीय पीसीओ पर सीबीटी-95 सुविधा दी जाती है बशर्ते ऐसे उपकरण उपलब्ध हों।

(घ) और (ङ) विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित पीसीओ को छोड़कर, केवल स्थानीय पीसीओ पर सीबीटी-95 सुविधा प्रदान की जाती है।

विवरण

31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, एमटीएनएल, दिल्ली में 13,400 ऐसे स्थानीय पीसीओ हैं जिन पर सीबीटी-95 उपकरणों की व्यवस्था की गई है। यमुना पार क्षेत्र के संबंध में स्थान-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

स्थान	सीबीटी-95 पीसीओ की संख्या
लक्ष्मी नगर	93
गांधी नगर	190
आई. पी. एक्टेंशन, प्रीत विहार, शकरपुर	202
कड़कड़डूमा	89
मयूर विहार I	10
मयूर विहार II	50
शाहदरा I	289
शाहदरा II	105
करावल नगर	85
यमुना विहार	172
जोड़	1285

[अनुवाद]

साफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की स्थिति

4652. श्री परसुराम माझी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव भारत को साफ्टवेयर क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को दिए गए प्रोत्साहन/ प्रस्तावित प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा वर्ष 1998 में गठित राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर विकास कार्य दल का उद्देश्य भारत को आगामी 10 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनने में समर्थ बनाना था।

भारत को साफ्टवेयर महाशक्ति बनने के लिए वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के साफ्टवेयर निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) साफ्टवेयर क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

साफ्टवेयर-क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्र में बिना किसी दोहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को अब शुल्क की बचत से जोड़ा जाएगा और यह आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना होगा जिसे 8 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा। 10 वर्ष तक की पुरानी वस्तुओं के आयात तथा उत्पादन पूर्व एवं उत्पादन पश्चात सुविधाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति योजना के अंतर्गत दी गई है। विद्यमान संयंत्र एवं मशीनरी का दर्जा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कलपुर्जों के आयात की अनुमति भी दी गई है।

2. कारोबार में उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वत: मार्ग के अंतर्गत हैं।

3. साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना अंतर-मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईओयू/एसटीपी इकाइयों द्वारा केवल सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता बनने की अपेक्षा है और न्यूनतम निर्यात का निष्पादन की कोई अपेक्षा नहीं है। शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफई) की गणना उत्पादन आरम्भ होने से 5 वर्षों की अवधि तक के लिए संचयी आधार पर की जाएगी।

5. ईओयू/एसटीपी योजना के अंतर्गत साफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. ईओयू/एसटीपी एसईजेड योजनाओं के अंतर्गत साफ्टवेयर इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफिरलों पर 3 वर्ष की अवधि में शतप्रतिशत मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया है।

7. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

8. वर्ष 2003-04 के बजट में, तरल क्रिस्टल युक्ति (एलसीडी) वाले इंडीकेटर पैनलों तथा उनके पुर्जों पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 0% कर दिया गया है। कम्प्यूटरों तथा पेरिफिरलों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है तथा सभी भण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों माइक्रो प्रोसेसरों, आंकड़ा प्रदर्श ट्यूबों तथा रंगीन मानीटर के विकक्षेपण संगठन पुर्जों पर सीमा शुल्क 0% जारी है। कम्प्यूटरों/प्रिंटरों के स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 0% पर जारी है, फ्लाफी डिस्क तथा रिकार्ड किए बिना चुम्बकीय टेप पर यह 10% तथा इंक काट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, कम्प्यूटर के प्रिंटरों के लिए प्रयोग होने वाले रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 5% जारी है।

विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है।

9. सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

10. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं को मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

11. ईओयू/एसटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

12. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

13. आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचई में दी गई कम्प्यूटर साफ्टवेटर की परिभाषा में डेटा संप्रेक्षण शामिल है।

14. धारा 80एचएचई के लाभ सहायक साफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध है।

15. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धार 10ए, 10बी तथा 80एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

16. कम से कम 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की आय करने वाले सेवा क्षेत्र के लिए शुल्क मुक्त आयात की सुविधा पिछले तीन लाइसेंस वर्षों में अर्जित औसत विदेशी मुद्रा का 10% होगी इस पात्रता का प्रयोग कार्यालय उपस्करों, व्यवसायिक उपस्करों, कलपुर्जों तथा उपभोज्य वस्तुओं के आयात के लिए किया जा सकता है।

17. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं:

    * विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

    * सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

18. ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्ष तक उपयोग करने

के बाद मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

19. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी संगठन द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

20. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब तक कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

21. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

22. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई नहीं लगेगा उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

23. समामेलन तथा विघटन से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 10ए/10बी की उप धारा (9) को मिटा दिया गया है और धारा 10ए/10बी के अंतर्गत उपधारा 7(ए) जोड़ा गया है। उक्त धाराओं के अंतर्गत कर में छूट ऐसे मामलों पर लागू होगी जहां किसी भारतीय कम्पनी का कोई उपक्रम, जो इस धारा के अंतर्गत छूट के लिए पात्र है, को निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पहले समामेलन अथवा विघटन की योजना के अंतर्गत किसी अन्य भारतीय कम्पनियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसमें छूट की अनुमति समामेलित अथवा परिणामी कम्पनी को दी जाएगी (बजट घोषणा 2003-04)।

24. धारा 80-1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रोडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

25. अमेरिका न्यासी प्राप्ति (एडीआर)/वैश्विक न्यासी प्राप्ति (जीडीआर) के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुन: परिवर्तित किया जा सकता है।

26. जो भारतीय कम्पनियां विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वत: मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं।

27. अच्छे रिकार्ड वाले भारतीय कम्पनियों को स्वत: मार्ग के अंतर्गत विदेशों में पूंजीनिवेश करने की अनुमति दी जाएगी और यह ऐसे मामलों में भी लागू होगा जहां पूंजीनिवेश उसी मुख्य कार्यकलाप में नहीं है। भारतीय कम्पनी के शुद्ध मालयित के 50% तक ऐसे पूंजीनिवेश को सीमित करने के वर्तमान प्रतिबंध को अब बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। (बजट घोषणा 2003-04)

28. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक सामाजिक अथवा सांख्यिकी शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

29. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन के लम्बित मामले

4653. प्रो. रीता वर्मा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न टेलीकाम जिलों, बिहार के प्रखंडों और भारत संचार निगम लिमिटेड के झारखंड सर्किलों में 31.12.2000 तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन के लिए बड़ी संख्या में मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सर्किलों के अंतर्गत किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में प्रतीक्षा-सूची की उपेक्षा कर टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): झारखंड सर्किल के संबंध में सूचना निम्नलिखित है:-

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड के झारखंड दूरसंचार सर्किल में 31.12.2000 तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर, टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी 382 मामले लंबित हैं।

(ख) एक्सचेंज-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

जहां तक बिहार सर्किल का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

झारखंड सार्किल में 31.12.2000 तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर, लंबित टेलीफोन कनैक्शनों का एक्सचेंज वार ब्यौरा

गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	31.12.2000 से पूर्व लंबित प्रतीक्षा सूची
		चौपारन	1	चौपारन	10
		बरही	2	बरही	20
		इचाक	3	इचाक	5
		बागोदार	4	बागोदर	8
			5	सरिया	9
		जमुआ	6	हिरोडीह	3
हजारीबाग	हजारीबाग	टुमरी	7	इसरीबाजार	3
		राजधनवर	8	राजधनवर	3
		पत्राटू	9	भुरखुन्दा	75
			10	सयाल	34
			11	पत्राटू	77
		मण्डू	12	कुजु	35
		रामगढ़	13	राजरप्पा	28
			14	अर्गदा	53
		बाघमारा	15	कटरास	2
			16	महुदा	1
धनबाद	धनबाद	निरसा	17	चिरकुण्डा	4
			18	मुगमा	2
			19	निरसा	3
			20	पंचेट	2
	बोकारो	बर्मो	21	बर्मो	5
				जोड़	382

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में निधियों की कमी

4654. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर सी.जी.एच.एस. औषधालयों में निधियों की कमी हो गई हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों की देखभाल ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है; और

(ख) यदि हां, तो देश में सी.जी.एच.एस. औषधालयों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निधियों के आवंटन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, हालांकि बजटीय आबंटन में कमी हुई है। तथापि, के.स.स्वा. योजना के सभी औषधालयों/सरकारी अस्पतालों में बहिरंग रोगी विभाग परामर्शी और बहु-पारी वाले के.स.स्वा. योजना औषधालयों में चौबीसों घंटे आपाती-सेवाओं के माध्यम से सभी के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों को पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सरकारी विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई औषधालय में अनुपलब्ध किसी औषध को लाभार्थी के अलग-अलग नुस्खे के आधार पर अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से अधिप्राप्त करने के पश्चात उसको उसे दिया जाता है। आपात स्थिति में कोई भुगतान किए बिना अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से सीधे उस औषध को एकत्र करने के लिए लाभार्थी को एक अधिकृत पर्ची जारी की जाती है। के.स.स्वा. योजना द्वारा कवर किए गए विभिन्न शहरों में के.स.स्वा. योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों में और रोग-नैदानिक केन्द्रों को मान्यता दी गई है ताकि के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों के पास अपेक्षित स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त करने का विकल्प हो।

(ख) चालू वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान के.स.स्वा. योजना के बजट आबंटन को 15.00 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

भारत-पाक मुद्दे पर अमेरिकी हस्तक्षेप

4655. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री ने इराक में चल रहे युद्ध की समाप्ति के बाद भारत-पाक मुद्दे पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने का वादा किया है जैसा कि दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 29 मार्च, 2003 को ''न्यूयार्क टाइम्स' को दिए एक साक्षात्कार में संयुक्त राज्य के विदेश मंत्री श्री कोलिन पावेल ने विस्तृत संयुक्त राज्य विदेश नीति एजेण्डा के विषय पर बोलते हुए अन्य मुद्दों के साथ-साथ ''भारत-पाकिस्तान और संपूर्ण उप महाद्वीपीय समस्या'' का उल्लेख किया था और यह कहा था कि संयुक्त राज्य ''यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि वह दोबारा उन परिस्थितियों में नहीं पड़े जिनमें वह एक वर्ष पूर्व था।''

(ख) संयुक्त राज्य सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सरकार के इस सतत दृष्टिकोण से अवगत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों का समाधान केवल दोनों देशों के बीच सीधी द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हो सकता है। हालांकि संयुक्त राज्य भारत के विरुद्ध सीमापार आतंकवाद के प्रयोजन और समर्थन को पाकिस्तान द्वारा भारत को जून, 2002 में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के संदर्भ में रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के माध्यम से इस क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव पर रोक लगाने में अपना योगदान कर सकता है।

रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों का आबंटन

4656. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों के आबंटन हेतु कोई नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निविदा प्रणाली के माध्यम से आबंटित किये जाने वाले इन बूथों से वसूली हेतु कितना प्रतिशत कमीशन निर्धारित किया गया है; और

(घ) विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि की श्रेणी के वर्तमान एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ धारकों को क्या रियायतें प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मिलियन नलकूप योजना

4657. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में मिलियन नलकूप योजना केन्द्रीय सहायता से चलायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना से अब तक बिहार के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या इस योजना का कार्यान्वयन बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस योजना को सुचारू बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2002-03 के अंत तक, इस स्कीम द्वारा लाभान्वित किसानों की संख्या 57,111 के लक्ष्य की तुलना में 50,966 थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) स्कीम को और अधिक सुकर बनाने तथा इसकी प्रगति में सुधार लाने के उठाए जाने वाले कुछ कदमों में शामिल हैं:-

* ऋणों की मंजूरी और भुगतान के लिए शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त शक्तियों का प्रत्यायोजन।
* ''लाक-इन'' अवधि में पांच वर्ष से दो वर्ष तक की कमी करना।
* ऋण आवेदनों के संग्रहण और सत्यापन में जिला/ब्लाक स्तरों पर राज्य सरकार की भागीदारी।
* उधार को बढ़ावा देने और साथ ही बैंक के निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच-पड़ताल करने तथा समस्याओं के समाधान में बैंकिंग प्रणाली को सहायता पहुंचाने के लिए बैंक शाखाओं का दौरा करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिकारियों की टीम का गठन करना।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में युवाओं को प्रशिक्षण देना

4658. श्री विष्णु पद राय: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खेल-कूद के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं (लड़कों और लड़कियों) को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सुविधाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल-कूद की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के युवा कार्य निदेशालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने रोइंग, केनोइंग, कयाकिंग, साईक्लिंग, फुटबाल और भारोत्तोलन की विभिन्न खेल विधाओं में खेल-कूद की सुविधायें सृजित की जाती हैं। उपर्युक्त अवस्थापना संबंधी सुविधाएं भारतीय खेल प्राधिकरण को विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों को चलाने के लिए प्रदान की गई थी। विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र अब उपर्युक्त खेल विधाओं में कार्यरत है। खेल-कूद की सुविधाओं के अलावा अंडमान और निकोबार प्रशासन ने पोर्टब्लेयर में 150 शैया वाला और कार निकोबार में 50 शैया वाला छात्रावास भी प्रदान किया गया है। इन सुविधाओं का इस्तेमाल विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों को समायोजित करने के लिए किया जाता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के युवा कार्यक्रम के निदेशक के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष दूरस्थ भागों में प्रतिभा खोज आयोजित करता है और अब तक चुनी गई प्रतिभाओं को मूल्यांकन शिविर में लाया गया है। प्रशिक्षणार्थियों के अंतिम रूप से चयन होने के बाद उन्हें विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों में प्रवेश दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को खेल प्रशिक्षण के साथ वैज्ञानिक समर्थन, पोषित आहार, प्रशिक्षण के लिए उपस्कर, स्पोर्टस किट, बीमा कवरेज, चिकित्सा सहायता, शैक्षिक सहायता और प्रतियोगिता प्रदर्शन भी प्रदान किया जाता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि/ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति आवंटन

4659. श्री राम सिंह राठवा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार प्रति व्यक्ति कितना आवंटन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ वर्ष-वार प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि की मांग की गई और सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) राज्य सरकारों को धनराशि के आवंटन के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास के संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार प्रति व्यक्ति योजना आबंटन को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) विशिष्ट क्षेत्रकों के संबंध में वार्षिक योजना आबंटन योजना आयोग के परामर्श से राज्यों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के संबंध में सभी राज्यों के लिए कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वर्ष-वार योजना परिव्ययों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में सामान्य केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता, विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शामिल है। राज्यों को दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता गाडगिल मुखर्जी फार्मूले, जिसे दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय किसान परिषद द्वारा अपनाया गया और अनुमोदित किया गया है, द्वारा निर्धारित रीति-रिवाज, मापदण्ड और भारण पर आधारित है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में सहायता परियोजना आधारित है और यह विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों से वित्त प्राप्त करने में राज्यों की समर्थता पर निर्भर करता है। विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना आयोग और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच सहमत फार्मूले के आधार पर राज्यों को आबंटित की जाती है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवश्यकता आधारित और परियोजना आधारित है और यह विशिष्ट समस्याओं के समाधान में राज्यों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को सहायता पहुंचाने के लिए आबंटित की जाती है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति आबंटन

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2000-01 में प्रति व्यक्ति आबंटन (रुपयों में)		वार्षिक योजना 2001-02 में प्रति व्यक्ति आबंटन (रुपयों में)		वार्षिक योजना 2002-03 में प्रति व्यक्ति आबंटन (रुपयों में)	
		कृषि	ग्रामीण विकास	कृषि	ग्रामीण विकास	कृषि	ग्रामीण विकास
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	27	24	19	72	40	85
2.	अरुणाचल प्रदेश	418	222	502	274	527	278
3.	असम	64	79	63	61	68	61
4.	बिहार	9	112	7	110	8	105
5.	छत्तीसगढ़*	0	0	60	108	66	89

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा	81	19	137	41	176	137
7.	गुजरात	101	87	132	59	105	63
8.	हरियाणा	46	40	53	54	53	35
9.	हिमाचल प्रदेश	301	101	314	115	360	135
10.	जम्मू और कश्मीर	203	51	261	61	245	60
11.	झारखण्ड*	0	0	53	84	57	234
12.	कर्नाटक	59	55	80	83	78	62
13.	केरल	82	20	70	27	68	56
14.	मध्य प्रदेश	43	81	45	63	49	95
15.	महाराष्ट्र	48	101	34	116	87	115
16.	मणिपुर	82	215	94	169	76	82
17.	मेघालय	231	191	193	171	176	167
18.	मिजोरम	358	471	379	460	354	435
19.	नागालैण्ड	145	180	186	169	176	163
20.	उड़ीसा	27	50	23	43	37	31
21.	पंजाब	71	51	75	51	51	115
22.	राजस्थान	32	68	20	77	40	89
23.	सिक्किम	459	210	565	215	517	291
24.	तमिलनाडु	66	90	77	148	76	112
25.	त्रिपुरा	131	109	156	121	138	268
26.	उत्तर प्रदेश	50	58	54	69	48	69
27.	उत्तरांचल*	0	0	239	122	216	106
28.	पश्चिम बंगाल	15	48	31	86	22	114
	कुल (राज्य)	48	65	56	88	61	91

सभी वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आंकड़ों की संगणना के लिए जनगणना 2001 के जनसंख्या आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

*नवम्बर, 2000 में बनाए गये राज्य।

विवरण II

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2000-01 में योजना परिव्यय		वार्षिक योजना 2001-02 में योजना परिव्यय		वार्षिक योजना 2002-03 में योजना परिव्यय	
		कृषि	ग्रामीण विकास	कृषि	ग्रामीण विकास	कृषि	ग्रामीण विकास
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	20275	18074	14755	54371	30081	64048
2.	अरुणाचल प्रदेश	4562	2421	5473	2993	5750	3032
3.	असम	16933	21095	16687	16160	17983	16320
4.	बिहार	7714	93017	5528	90872	6435	86878
5.	छत्तीसगढ़*	0	0	12536	22503	13697	18511
6.	गोवा	1094	258	1846	549	2359	1838
7.	गुजरात	51232	44120	66985	29879	53343	31631
8.	हरियाणा	9774	8372	11272	11423	11181	7481
9.	हिमाचल प्रदेश	18287	6128	19069	7013	21857	8219
10.	जम्मू और कश्मीर	20415	5164	26269	6115	24675	6089
11.	झारखण्ड*	0	0	14362	63931	15280	62892
12.	कर्नाटक	31329	28900	41991	43686	41394	32838
13.	केरल	25950	6490	22438	8513	21790	17816
14.	मध्य प्रदेश	25821	48719	27419	38294	29748	57532
15.	महाराष्ट्र	46878	97356	32451	112548	84268	111318
16.	मणिपुर	1965	5140	2243	4046	1818	1970
17.	मेघालय	5326	4405	4456	3936	4050	3847
18.	मिजोरम	3186	4200	3380	4102	3150	3880
19.	नागालैण्ड	2891	3576	3701	3369	3509	3247
20.	उड़ीसा	9743	18378	8299	15794	13571	11535
21.	पंजाब	17186	12440	18326	12330	12384	27876
22.	राजस्थान	17981	38225	11266	43274	22411	50195
23.	सिक्किम	2316	1060	2855	1085	2609	1470

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	41040	55926	48039	92023	47175	69865
25.	त्रिपुरा	4180	3472	4981	3856	4411	8544
26.	उत्तर प्रदेश	82434	95976	89018	114722	80452	114323
27.	उत्तरांचल*	0	0	20229	10312	18311	8958
28.	पश्चिम बंगाल	11993	38249	24979	69350	17710	91122
	कुल (राज्य)	480505	661161	560853	887049	611402	923275

टिप्पणी: *नवम्बर, 2000 में बनाए गए राज्य।

आर्थिक सहायता की निगरानी

4660. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता के उपयोग की निगरानी हेतु स्वतंत्र निकाय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निकाय की प्रस्तावित रूपरेखा क्या है; और

(घ) इसके कब तक कार्य प्रारंभ करने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता के उपयोग की निगरानी हेतु स्वतंत्र निकाय की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत किया गया व्यय

4661. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में प्रचार, विज्ञापन, सत्कार, खानपान सेवा, उद्घाटन समारोह, सेमीनार, सम्मेलन, दौरे (विदेशी दौरे सहित) एसटीडी और आईएसटीडी टेलीफोन बिल, बिजली बिल विशेषकर वातानुकूलन और कूलरों के बिजली बिल और अन्य कार्यालयी खर्चों जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत हुए खर्चे में कटौती करने के लिए अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एमटीएनएल और बीएसएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4662. योगी आदित्यनाथ:
श्री किरीट सोमैया:
श्री राम सिंह कस्वां:
डा. बलिराम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विशेष पैकेज देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे एमटीएनएल और बीएसएनएल को प्रतिस्पर्धात्मक सक्षम बनने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। अभी तक एमटीएनएल या बीएसएनएल में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वीआरएस) तैयार नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री के विदेश दौरे

4663. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनका प्रधानमंत्री ने गत तीन वर्षों के दौरान दौरा किया है;

(ख) उनके दौरे के दौरान देश-वार किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और कौन-कौन से समझौते किए गए; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान देश-वार ऐसे प्रत्येक दौर पर कितनी राशि खर्च की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

दौरा किया जाने वाला देश	विचार-विमर्श का विवरण	दौरे के दौरान सम्पन्न करार
1	2	3
जापान (7-11 दिसम्बर, 2001)	प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जापान के प्रधानमंत्री श्री जुनीचीरो कोईजुमी के निमंत्रण पर 7-11 दिसम्बर, 2001 तक जापान का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ओसाका और टोक्यो का दौरा किया। टोक्यो में प्रधानमंत्री जापान के महाराजा से मिलने गए जिन्होंने उनके सम्मान में दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कोईजुमी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्री और अंतर्राष्ट्रीय मसलों और अगस्त 2000 में जापान के प्रधानमंत्री योशिरो मोरी के भारत के दौरे के दौरान स्थापित की गई 21वीं शताब्दी के लिए वैश्विक भागीदारी को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श किया। ओसाका और टोक्यो दोनों में प्रधानमंत्री ने व्यवसायी समुदाय के साथ क्रियाकलाप किया और मुख्य व्यवसायी बैठकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत-जापान संसदीय मित्रता लीग के सदस्यों के साथ भी मुलाकात की। भारत और जापान वैश्विक भागीदारी को सुदृढ़ करने के महत्व और व्यापार और निवेश, संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा आदि के क्षेत्रों को और विकसित करने पर सहमत हुए।	10 दिसम्बर, 2001 को एक संयुक्त घोषणा जारी की गई।
मारीशस	प्रधानमंत्री ने मारीशस की स्वतंत्रता के 32वें वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए मार्च 2000 में मारिशस का दौरा किया।	शून्य
मालदीव	प्रधानमंत्री ने 22-25 सितम्बर, तक मालद्वीव का दौरा किया। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति गयूम और मालदीव के	दौरे के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

	अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ लाभकारी विचार-विमर्श किया। ये विचार-विमर्श विभिन्न क्षेत्रों जैसे जनस्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत संरचना आदि में सहयोग पर केन्द्रित थे। प्रधानमंत्री ने भारत की सहायता से स्थापित किए जाने वाले सत्कार और पर्यटन अध्ययन संकाय, एक होटल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला भी रखी।	
नेपाल	4-6 जनवरी, 2002 तक सार्क शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय सरकारी दौरा।	-
रूसी परिसंघ	माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4-7 नवम्बर, 2001 तक रूसी परिसंघ का सरकारी दौरा किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से एकांत में 75 मिनट तक और उसके बाद शिष्टमंडल स्तरों पर वार्ता की। प्रधानमंत्री ने स्टेट डूमा के अध्यक्ष श्री गेनाडी सेलेजनेव, विदेश मंत्री इगोर इवानोव से अलग से बैठकें की तथा रक्षा मंत्री क्लेबानोव सैंट पीटर्सबर्ग से मास्को तक प्रधानमंत्री की वायुयान यात्रा में साथ थे। दौरे के दौरान मास्को विश्वविद्यालय द्वारा प्रधानमंत्री को डाक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने सैंट पीटर्सबर्ग का भी दौरा किया जहां वे सैंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर क्षेत्रीय प्रशासक ब्लादीमीर याकोलेव से मिले। सैंट पीटर्सबर्ग में प्रधानमंत्री ने रूसी संग्रहालय में भारतीय पैंटिंग्स की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। दौरे के दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई। आतंकवाद सहित अनेक मसलों पर विचारों में पर्याप्त समानता जाहिर की गई। ये, बातें दौरे के दौरान हस्ताक्षरित दस्तावेजों में परिलक्षित होती हैं।	दौरे के दौरान वाणिज्यिक संगठनों के बीच करार सहित 16 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। क्रैमिनल में भारत और रूसी परिसंघ के बीच संयुक्त ब्यान और सामरिक मसलों पर साझा ब्यान जारी किया गया। क्रैमिनल में 6 नवम्बर 2001 को हस्ताक्षरित करारों/दस्तावेजों में शामिल हैं:- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मास्को घोषणा, कुदानकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के कार्यान्वयन पर समझौता ज्ञापन, अस्ताराखन और गुजरात राज्यों के बीच प्रोतोकोल सहयोग। हैदराबाद और कजान शहरों के बीच प्रोतोकोल सहयोग, आपात निरोधन और कार्रवाई के क्षेत्र में सहयोग, के विकास पर रूसी आपात मंत्रालय के बीच मंशा ज्ञापन। 5 नवम्बर 2001 को कैम्पेनस्की होटल में हस्ताक्षरित करारों/ दस्तावेजों में शामिल हैं:- सी आई आई और इसके समकक्ष रूसी संघ के उद्योगपतियों और उद्यमियों (रोजगारदाता) (आर यू आई ई) के बीच समझौता ज्ञापन, एक्जिम बैंक और इसके समकक्ष

1	2	3
		रूस के वनेकोनोग बैंक के बीच 10 मिलियन डालर ऋण श्रंखला। रूसी विज्ञान अकादमी की दर्शन संस्थान और जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र भारतीय दूतावास मास्को के बीच समझौता ज्ञापन। मास्को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध संस्थान (एम जी आई एम ओ) और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारतीय परिषद (आई सी डब्ल्यू ए) के बीच समझौता। मास्को में भारत-रूसी आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए रूसी विज्ञान संकाय के बीच समझौता ज्ञापन। भारत में भारत रूसी बायो टैक्नालाजी केन्द्र स्थापित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और रूसी विज्ञान संकाय के बीच समझौता ज्ञापन। मास्को में ''कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एल एल सी कम्पनी'' का एक सहायक बैंक खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और रूसी सैंट्रल बैंक के बीच मंशाओं का प्रोतोकोल। 5 नवम्बर 2001 को सैंट पीटसबर्ग में चार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए: अन्तर्राष्ट्रीय संबंध स्कूल, सैंट पीटसबर्ग स्टेट यूनवर्सिटी और जे एन सी सी के बीच समझौता ज्ञापन, कजान स्टेट यूनिवर्सिटी और जे एन सी सी के बीच समझौता ज्ञापन, फार ईस्टर्न नेशनल यूनिवर्सिटी ब्लादीवास्तोक और जे एन सी सी के बीच समझौता ज्ञापन। इंस्टीच्यूट आफ ओरियंटल स्टडीज के भारतीय अध्ययन केन्द्र को परियोजना संबंधी सहायता पर रूसी

1	2	3
		विज्ञान संकाय के इंस्टीच्यूट आफ ओरियन्टल स्टडीज और जे एन सी सी के बीच समझौता ज्ञापन।
यू के: 12 अक्तूबर, 2002 द्विपक्षीय दौरा	दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर वार्ता की। यू.के. के प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के सफलतापूर्वक चुनावों के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के लिए समर्थन दोहराया।	दौरे के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।
डेनमार्क: 9-11 अक्तूबर, 2002 तृतीय भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय दौरा	दानिश राष्ट्रपति की अध्यक्षता में तृतीय शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर वार्ता। दोनों पक्षों ने कार्यसूची पर संयुक्त ब्यान पारित किया। प्रधानमंत्री ने व्यवसायी शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में यूरोपीय संघ की कृषि पर दी जाने वाली अधिक सहायता और नोन टैरिफ प्रतिबंधों, जिससे भारत यूरोपीय संघ व्यापार प्रभावित होता है, पर विचार करने का अनुरोध किया। सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटक्नालोजी और फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य संसाधन और अपारम्परिक ऊर्जा में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करके द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए चर्चा की।	दौरे के दौरान कोई करार हस्ताक्षरित नहीं हुआ।
साइप्रस: 7-9 अक्तूबर, 2002 तक द्विपक्षीय दौरा	द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर चर्चा।	डाक, दूरसंचार, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्रों में पांच करार सम्पन्न।
स्विटजरलैंड: 16-17 सितम्बर, 2000 ज्यूरिक में पारगमन	कोई वार्ता नहीं हुई।	कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।
यू. के.: 12 नवम्बर, 2000 द्विपक्षीय दौरा	दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने और संयुक्त राष्ट्र के सुधार सहित आपसी हित के द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मसलों पर विचार-विमर्श किया। विश्व व्यापार संगठन मसलों पर सहयोग पर भी चर्चा की की गई।	दौरे के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।
जर्मनी: 16-19 सितम्बर, 2000 फ्रैंकफर्ट में पारगमन प्रवास	कोई वार्ता नहीं हुई।	दौरे के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।
पुर्तगाल: 17-29 जून, 2000 प्रथम भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय दौरा	यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रथम शिखर सम्मेलन की वार्ता की थी। भारत और यूरोपीय संघ ने बहुफलकीय संबंधों को बढ़ाने के उपायों पर वार्ता की। शिखर सम्मेलन के दौरान लिस्बन घोषणा और कार्यसूची पारित की। द्विपक्षीय स्तर पर	नागरिक उड्डयन क्षेत्र को वित्त पोषित करने पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच करार, भारत और पुर्तगाल के बीच सूचना

1	2	3
	दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।	प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय निवेश पर संयुक्त कार्यदल गठित करने पर करार, पुर्तगाल के साथ संरक्षण करार।
इटली: 25-27 जून, 2000 द्विपक्षीय दौरे के लिए	दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने इटली के व्यापारियों को भारत में निवेश और व्यापार के नए अवसरों का लाभ उठाने का अनुरोध किया।	पर्यटन में सहयोग का एक करार।
ईरान इस्लामी गणराज्य (10-13 अप्रैल 2001)	दौरे के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर सहयोग से सम्बन्धित मसलों पर वार्ता की। दोनों पक्षों ने आपसी चिंता के द्विपक्षीय-क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मसलों पर समन्वय को सुदृढ़ करने और सलाह-मशविरा बढ़ाने पर वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री और इरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खटामी ने व्यापार संबंधों, आर्थिक और तकनीकी सहयोग और सांस्कृतिक सम्पर्कों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खाटमी ने ''तेहरान घोषणा'' पर भी हस्ताक्षर किए जिसमें हमारे दोनों देशों की जनता और इस क्षेत्र तथा साथ ही पूरे विश्व के लोगों की भलाई के लिए साझी चिंताओं, समान आकांक्षाओं और साझी सम्पूरकताओं पर आधारित अपने सहयोग को कल्पना प्रस्तुत की गई है।	1. तेहरान घोषणा 2. व्यापार और आर्थिक सहयोग पर करार 3. सीमा शुल्क सहयोग पर करार 4. सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 5. ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 6. विद्युत के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (पारम्परिक स्रोत) 7. तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
अमरीका (6-17 सितम्बर 2000)	प्रधानमंत्री का दौरा अमरीका के राष्ट्रपति क्लिंटन के निमंत्रण पर था। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के आपसी हित, जैसा कि मार्च, 2000 में भारत के दौरे के दौरान राष्ट्रपति क्लिंटन ने आदर्श वक्तव्य में कहा था, के लिए अमरीका और भारत के बीच संबंधों को बढ़ाने पर वचनबद्धता दोहराई। दौरा दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को व्यापक और सुदृढ़ करने की और महत्वपूर्ण कदम था और इससे, व्यापार और वाणिज्य, वित्त और निवेश, ऊर्जा और पर्यावरण, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आतंकवाद से लड़ने और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और इन्हें जारी रखने में सहायता मिली।	शून्य
अमरीका (7-9 नवम्बर 2001)	प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बुश ने आतंकवाद से लड़ने और भारत-अमरीका संबंधों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने की वचनबद्धता दोहराई। वे, राजनीतिक सहयोग, सामरिक	शून्य

1	2	3
	परामर्श, रक्षा, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने, सिविलियन नाभिकीय और अंतरिक्ष अनुपयोगों और दोनों देशों के बीच दीर्घावधिक भागीदारी बनाने के लिए आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए उपाय निकालने पर सहमत हुए।	
अमरीका (9-17 सितम्बर, 2001)	दौरे का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेना था जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने 12 सितम्बर, 2002 को राष्ट्रपति बुश से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और अमरीका ने भारत अमरीका संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया की अपनी वचनबद्धता दोहराई और सम्बंधों को नया रूप देने के लिए द्विपक्षीय वार्ता पर बल दिया। वे, राजनीतिक, सामरिक परामर्शों, रक्षा में सहयोग बढ़ाने, सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं में वृद्धि करने, ऊर्जा के विविध स्वरूपों, उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य और विज्ञान को भी बढ़ाने पर सहमत हुए।	शून्य
कम्बोडिया	प्रधानमंत्री ने 9-11 अप्रैल, 2002 तक कम्बोडिया का दौरा किया। दोनों पक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, मानव संसाधन विकास, संस्कृति, व्यापार और पर्यटन सहित अनेक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने और बढ़ाने पर सहमत थे। भारत और कम्बोडिया एशियान एकीकरण और मेकोंग गंगा सहयोग के लिए पहल हेतु संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए नई पहल के क्षेत्रों का पता लगाने पर भी सहमत हुए।	टा फरोम में संरक्षण और पुनर्निर्माण कार्य के लिए करार वायु सेवा करार राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर करार
कम्बोडिया	प्रधानमंत्री ने 4-6 नवम्बर, 2002 तक कम्बोडिया का दौरा किया और 5 नवम्बर, 2002 को प्रथम भारत-एशियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की गई कि भारत अगले 10 वर्षों में एशियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर विचार करेगा और कम्बोडिया के प्रधानमंत्री श्री हून सेन की एशियान एकीकरण द्विपक्षीय पहल का भी समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कम्बोडिया के प्रधानमंत्री को मानवीय सहायता के लिए 10 हजार टन चावल का एक उपहार भी सौंपा। प्रधानमंत्री ने कम्बोडिया के प्रधानमंत्री को अंगकोर वाट के पुनर्निर्माण और संरक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निकला गया प्रकाशन भेंट किया। प्रधानमंत्री और कम्बोडिया की महारानी ने भारतीय वस्त्रों, सूचना प्रौद्योगिकी को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।	(i) 10 मिलियन यू एस डालर का ऋण करार (ii) व्यापार करार (iii) भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण और अप्सरा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन (iv) आई आई टी मुंबई और कम्बोडिया की प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच एम ओ यू
लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य	प्रधानमंत्री 6 से 8 नवम्बर, 2002 तक लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकारी यात्रा पर गए। भारत और लाओ दोनों देशों तथा इस क्षेत्र में एवं उप-क्षेत्र के बीच सहयोग संवर्धित करने के लिए विभिन्न पहलकदमियां शुरू करने के लिए सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य को पहले दिए 2 मिलियन ऋण की पुनर्अदायगी को माफ कर दिया। लाओ प्राधिकारियों को पैराशूट तथा कंप्यूटर भेंट स्वरूप दिए।	(i) 10 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का करार। (ii) राजनयिक तथा अधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता की छूट से सम्बद्ध करार।

1	2	3
		(iii) स्वापकों नशीली दवाओं और मन: प्रभावी पदार्थों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने से सम्बद्ध करार।
		(iv) रक्षा सहयोग से सम्बद्ध करार।
सिंगापुर गणराज्य	प्रधानमंत्री 7 से 9 अप्रैल, 2002 तक सिंगापुर की यात्रा पर गए। सिंगापुर के नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई जिनमें आर्थिक, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक सहयोग पर मुख्यत: ध्यान दिया गया।	(i) दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन
		(ii) एशियान सिविलाजेशन संग्रहालय को दस वर्ष के लिए ग्यारह भारतीय हवाई जहाजों को ऋण स्वरूप देने से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।
कजाकस्तान गणराज्य (2 से 5 जून, 2002)	माननीय प्रधानमंत्री और कजाकस्तान के राष्ट्रपति ने आपसी हित के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की	(i) अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा अन्य प्रकार के अपराधों का प्रतिकार करने के लिए संयुक्त कार्य दल।
		(ii) सैन्य तकनीकी सहयोग के सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।
		(iii) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।

[अनुवाद]

गुजरात में केबल की कमी

4664. श्री सवशीभाई मकवाना:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में भूमिगत केबल बिछाने के लिए टेलीफोन केबल की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात के विभिन्न जिलों में अवरुद्ध केबल कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गुजरात में केबल बिछाने का कार्य कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 2002-03 के दौरान बढ़ाई गई स्विंचिंग क्षमता के संबंध में गुजरात दूरसंचार सर्किल में भूमिगत केबल की कुछ कमी थी, लेकिन नए टेलीफोन कनेक्शन देने का काम ठप्प नहीं हुआ था।

(ख) वर्ष 2002-03 में स्विचिंग क्षमता के संबंध में 8.7 लाख कण्डक्टर किलोमीटर (एल सी के एम) की केबल की कमी थी जिसके लिए आर्डर दिए जा चुके हैं।

(ग) केबल, जनवरी से मार्च, 2003 तक के दौरान प्राप्त हुई थीं। विभिन्न एसएसए में केबल बिछाने का कार्य चल रहा है और

इस समय गुजरात दूरसंचार सर्किल में केबल की कमी के कारण कार्य रुका हुआ नहीं है।

(घ) 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार, 8.465 एल सी के एम केबल स्टाक में उपलब्ध थी और 8.7 एल सी के एम केबल की आपूर्ति की जा रही है।

(ङ) केबल की आपूर्ति की समय-सीमा अगस्त, 2003 तक है और केबल बिछाने का काम दिसम्बर, तक पूरा होने की संभावना है।

साफ्टवेयर पैकेज

4665. श्री पी. मोहन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 के दौरान घोषित 'आईटी फार मासेज' योजना के अंतर्गत 'डोनर माइक्रोसाफ्ट कारपोरेशन यूएसए' से प्राप्त साफ्टवेयर पैकेज कां ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन साफ्टवेयर पैकेजों की विभिन्न राज्यों के विद्यालयों में आपूर्ति की गई;

(ग) यदि हां, तो उन विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें संसद सदस्यों की सिफारिश पर इस प्रकार के साफ्टवेयर पैकेजों की आपूर्ति की गई; और

(घ) अभी किन राज्यों में इस प्रकार के साफ्टवेयर पैकेजों की आपूर्ति की जानी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) मेसर्स माइक्रोसाफ्ट कार्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दान में दिए गए साफ्टवेयर पैकेजों का विवरण नीचे दिया गया है:

(1) एमएस आफिस 2000/XP

(2) विजुअल बेसिक 6.0

(3) एमएस एन्कार्टा

(4) एमएस स्कूल बस सीरीज (3 भाग)

(ख) पहली खेप में प्राप्त साफ्टवेयर पैकेज, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के रेजीडेन्ट आयुक्तों को विद्यालय में वितरण के लिए दे दिए गए।

(ग) माननीय सांसदों द्वारा साफ्टवेयर पैकेजों के वितरण के लिए सुझाए गए विद्यालयों की राज्यवार सूची (तमिलनाडु राज्य सहित) संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) माननीय सांसदों से उनके राज्यों/संघशासित प्रदेशों में साफ्टवेयरो पैकेजों के वितरण के लिए 5 विद्यालयों (सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के मामले में 50 विद्यालय) के नाम सुझाने का अनुरोध किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नागालैंड, त्रिपुरा, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षदीप तथा पांडिचेरी राज्यों के माननीय सांसदों से कोई संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

माननीय सांसदों द्वारा संस्तुत विद्यालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	वितरित पैकेजों की संख्या	माननीय सांसदों द्वारा संस्तुत विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	182	81
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	5
3.	असम	63	57
4.	बिहार	193	90
5.	छत्तीसगढ़	55	31
6.	गोवा	9	10
7.	गुजरात	111	89
8.	हरियाणा	45	25
9.	हिमाचल प्रदेश	21	28
10.	जम्मू और कश्मीर	30	13
11.	झारखण्ड	82	25
12.	कर्नाटक	142	116
13.	केरल	109	117
14.	मध्य प्रदेश	154	61
15.	महाराष्ट्र	356	283
16.	मणिपुर	9	5
17.	मेघालय	31	59
18.	मिजोरम	6	10

1	2	3	4
19.	नागालैण्ड	6	0
20.	उड़ीसा	137	55
21.	पंजाब	63	24
22.	राजस्थान	105	72
23.	सिक्किम	6	5
24.	तमिलनाडु	216	179
25.	त्रिपुरा	9	0
26.	उत्तर प्रदेश	454	166
27.	उत्तरांचल	24	10
28.	पश्चिम बंगाल	197	175
संघ शासित प्रदेश			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	5
2.	चंडीगढ़	3	4
3.	दादर एवं नागर हवेली	3	0
4.	दमन एवं दीव	3	0
5.	दिल्ली	34	23
6.	लक्षद्वीप	3	0
7.	पांडिचेरी	6	0
	नामांकित		23
	योग	2879	1846

नोट: लिए गए निर्णय के अनुसार, रेजीडेन्ट आयुक्तों को प्रति सांसद 5 साफ्टवेयर समुच्चय (सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शदात्री समिति की सदस्यों के मामले में 50) की दर से और शेष बचे पैकेजों को (यदि कोई हों) संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के शिक्षा/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से अन्य विद्यालयों में वितरित कराने का परामर्श दिया गया था।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया में नकदी (लिक्विडिटी) संकट

4666. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **पोत और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया" में समक्ष (लिक्विडिटी) नकदी का संकट है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको चलाने के लिये भारी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं;

(घ) क्या तेल कंपनियों द्वारा शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को भारी बकाया राशि का भुगतान करना है; और

(ङ) यदि हां, तो तेल कंपनियों से इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तेल प्रमुख भारतीय नौवहन निगम के ग्राहक हैं और वाणिज्यिक परंपरा के अनुसार भारतीय नौवहन निगम कच्चे तेल की ढुलाई इन कंपनियों की ओर से करता है। तेल प्रमुखों से कोई भारी रकम देय नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एड्स हेतु टीका/औषधि

4667. डा. अशोक पटेल:
श्री पदमसेन चौधरी:
श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आईसीएमआर में भारतीय वैज्ञानिकों ने एड्स की रोकथाम के लिए किसी एड्स प्रतिरोधक टीका/औषधि का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या द्वितीय चरण का परीक्षण राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान में किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस टीका/औषधि के उत्पादन की अनुमानित लागत लगभग कितनी है; और

(ङ) इस टीका/औषधि के देश में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दिसम्बर, 2000 में एक स्वदेशी एड्स वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने और उनको तेज करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल (आई.ए.वी.आई.) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह भारत में सर्वाधिक एच.आई.वी.-1 सब टाइप सी प्रजातियों को नियंत्रित करेगी।

मोडिफाईड वैक्सीनिया अन्कारा (एम.वी.ए.) आधारित वैक्सीन विकसित की जा रही है। इसमें असंख्य मिश्रित और जटिल उपाय शामिल हैं। एम.वी.ए. आधारित वैक्सीन अभी तक नैदानिक परीक्षण की अवस्था तक नहीं पहुंची है। यह कार्य दो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की संस्थाएं अर्थात राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे, और राष्ट्रीय हैजा और आन्त्रिक रोग संस्थान (एन.आई.सी.ई.डी.) कोलकाता कर रही हैं।

(ग) एक बार कैन्डीडेट वैक्सीन का विकास हो जाए, तब उसे पूर्व-नैदानिक, सुरक्षा और विषाक्तता अध्ययनों से गुजरना होगा उसके बाद इसके मानवों में चरण-I और II और III के परीक्षण किए जाएंगे। चरण-I और चरण-II के परीक्षण राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान में किए जाएंगे।

(घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जहां पर दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि इस कार्यक्रम से आने वाले नए पेटेंट और आविष्कारों के अन्य नये बौद्धिक सम्पदा अधिकार संयुक्त रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और आई.ए.वी.आई. से संबंधित होंगे। इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत यह आश्वस्त किया गया है कि इस वैक्सीन को वहनीय लागत पर भारत और पड़ोसी सार्क देशों में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ङ) इस अवस्था में कुछ भी कहना कठिन है। इस वैक्सीन के चरण-I, II और III के सफल परीक्षणों के पश्चात् ही इसका आम जनता में उपयोग के लिए विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

मैडिकल कालेज में प्रवेश के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

4668. श्री किरीट सोमैया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय को समक्ष रखते हुए मेडिकल कालेजों में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को भी एक सामान्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से निजी महाविद्यालय प्रभावित नहीं होंगे और प्रवेश के लिये अपनी ही प्रक्रिया का पालन करेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो आम विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 31 अक्तूबर, 2002 को टी.एम.ए. पाई एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में दिए गए अपने निर्णय में फैसला दिया है कि उन्नीकृष्णन के मामले में उसका निर्णय, जहां तक प्रवेश देने और फीस नियत करने से संबंधित उसने जो योजना बनाई थी, ठीक नहीं था और उस सीमा उक्त निर्णय और उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, केन्द्र और राज्य सरकारों इत्यादि को दिए गए निर्देशों को रद्द समझा जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों तथा संबंधित विश्वविद्यालयों से परामर्श लेते हुए निजी चिकित्सा और दन्त-चिकित्सा महाविद्यालयों में फीस की सीमा निर्धारण और छात्रों में प्रवेश के संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है।

डी सी आई के क्रियाकलापों का विस्तार

4669. श्री अनन्त नायक: .क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (डीसीआई) ने अपनी प्रचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या डी सी आई के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने क्रियाकलाप बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो अन्तर्राष्टीय बाजार में व्यापार फैलाने हेतु डी सी आई द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1999 और 2001 के दौरान भारतीय निकर्षण निगम (डीसीआई) ने 7400 घनमीटर हापर क्षमता वाले तीन ड्रेजर प्राप्त किए हैं, जिसके फलस्वरूप भारतीय निकर्षण निगम की प्रचालन क्षमता में प्रतिवर्ष 30.6 मिलियन घन मीटर तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा ड्रेजरों पर प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने और उसके स्टाफ की तकनीकी दक्षता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय निकर्षण निगम के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विशेष रूप से अनुरक्षण-निकर्षण के क्षेत्र में अपने कार्यकलाप बढ़ाने की गुंजाइश है। वर्ष 2001-02 के दौरान भारतीय निकर्षण निगम ने ताइचुंग हार्बर, ताइवान में मिले निकर्षण कार्य को कार्यान्वित किया था। भारतीय निकर्षण निगम ने विदेश में विशेष रूप से सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देशों में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग एजेंटों को नियुक्त करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए भारतीय निकर्षण निगम ने इन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों से संपर्क किया है। भारत से बाहर अपने आधार का विस्तार करने के लिए भारतीय निकर्षण निगम ने एक उपयुक्त संयुक्त उद्यम/एलाइंस पार्टनर को अभिज्ञात करने और सौंपे गए कैपीटल निकर्षण के काम में तकनीकी दक्षता हासिल करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए उपाय भी किए हैं।

'एम्स' में 'नेशनल एन्टीडोट बैंक' खोलना

4670. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के नई दिल्ली स्थित 'एम्स' और अन्य अस्पतालों में 'नेशनल एन्टीडोट बैंक' खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जरूरतमंद लोगों को अविलम्ब 'एंटीडोट' देने हेतु कोई प्रणाली बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) राष्ट्रीय विष सूचना केन्द्र (एन.पी.आई.सी.) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक एंटीडोड बैंक खोला जा रहा है। यह बैंक खुल जाने पर देश भर में आपाती स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर एंटीडोट्स प्रदान करेगा। इस समय राष्ट्रीय विष सूचना केन्द्र (एम.पी.आई.सी.) उपचार करने वाले फीजिशियनों, जनता तथा देश भर की विभिन्न एजेंसियों को विष प्रबंधन और उपचार पर चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान कर रहा है।

आर.एम.एल. अस्पताल की दयनीय स्थिति

4671. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों के बिना चल रहे हृदय रोग विभाग में हृदय रोगियों को उपयुक्त उपचार नहीं मिल रहा है जैसाकि 4 फरवरी, 2003 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस अस्पताल में वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सों को तैनात करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) रोगियों को आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक पूर्ण रूप से संज्जित कार्डियोलाजी विभाग है। इस, समय कार्डियोलाजी विभाग में डी.एम. की अर्हता रखने वाले 2 वरिष्ठ डाक्टर (विशेषज्ञ) हैं जिनकी सहायता वरिष्ठ रेजीडेंट और कनिष्ठ रेजीडेंट करते हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु निधियां

4672. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार द्वारा अपने वर्तमान अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कुछ नये अस्पतालों को खोलने हेतु वित्तीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) क्षमता निर्माण स्कीम के वास्ते सहायता के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में राजस्थान राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

(i) आघात परिचर्या एककों के उन्ननयन एवं सुदृढ़ीकरण के वास्ते शाहपुर, किशनगढ़, भीम एवं सोजात शहर स्थित सरकारी, अस्पताल; और

(ii) नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के वास्ते मेडिकल कालेज, कोटा, एस.एम.एस. मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल, जयपुर और एस.पी. मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल समूह, बीकानेर।

स्कीम की शर्तों को पूरा करने और निधियों की उपलब्धता के आधार पर उपर्युक्त प्रस्तावों के वास्ते वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के अंतर्गत 419.04 करोड़ रुपए की विश्व बैंक सहायता से राजस्थान राज्य में द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने/उन्नयन करने के बारे में राजस्थान सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव विश्व बैंक को भेज दिया गया है। विश्व बैंक इस परियोजना का मूल्यांकन कर रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-69 को चौड़ा करना

4673. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-69 (अब्दुल्लागंज-नागपुर) पर यातायात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यातायात में यह वृद्धि तंग सड़कों के कारण हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सड़क को चौड़ा करने/दोहरीकरण हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) यह निर्णय लिया गया है कि पहले राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सभी सड़कों का गुणता सुधार कार्य पूरा करने के पश्चात् सड़कों को चौड़ा करने का कार्य शुरू किया जाएगा।

एम.डी. डिग्रियों को मान्यता

4674. श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री कमलनाथ:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली में प्रख्यात चिकित्सा महाविद्यालय और सरकारी अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही एम.डी. डिग्रियां भारतीय चिकित्सा परिषद् और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त नहीं हैं जैसा कि दिनांक 19 मार्च, 2003 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली में कुछ मेडिकल कालेजों और गैर-शिक्षण विशेषज्ञ संस्थाओं में चलाए जा रहे कुछ स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों को अभी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जानी है। यूनीवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे कुछ गैर-मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के संबंध में संबंधित संस्थाओं ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत मान्यता के लिए पहले ही आवेदन किया है। अन्य संस्थाओं और सम्बद्ध विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का सुदृढ़ीकरण

4675. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक महत्वपूर्ण जांच कार्यों को अंजाम देने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अधिक शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्वतंत्र संवर्ग बनाने हेतु विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) सी.बी.आई. के पास अपने महत्वपूर्ण जांच कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वीकृत क्षमता है। इसके अतिरिक्त, सी.बी.आई. को जांच और अभियोजन के लिए कानून के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षित शक्तियां और स्वायत्तता प्राप्त है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों/रोगों हेतु सहायता

4676. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को प्रमुख संचारी और गैर-संचारी रोगों के निदान हेतु सहायता प्रदान की है और केन्द्रीय वित्तपोषित योजनाओं के अन्तर्गत कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और नौवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) उपरोक्त संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण में किस हद तक सफलता मिली है;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा कतिपय रोगों के नियंत्रण/निवारण संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अधिक वित्तीय सहायता की मांग की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, हां। सरकार मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, एड्स एवं दृष्टिहीनता जैसे संचारी एवं असंचारी दोनों रोगों के नियंत्रण के वास्ते केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के रूप में प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत नौवीं योनजावधि के दौरान आबंटित/जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्रत्येक कार्यक्रम में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(घ) और (ङ) राज्यवार आबंटन, निधियों के उपयोग सहित विगत के कार्यनिष्पादन, रोग विशेष की घटना और योजना संसाधनों की समग्र उपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों के आधार किए जाते हैं। तथापि, और अधिक वित्तीय सहायता के बारे में राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण I

नौवीं योजना अवधि (1997/98-2001/02) के दौरान केन्द्र प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग को राज्यवार आवंटन/रिलीजें

(रुपए लाख में)

राज्य	मलेरिया	तपेदिक	कुष्ठ	एड्स	दृष्टिहीनता	कुल (1997-2002)
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान एवं निकोबार	777.06	39.73	38.93	263.03	43.91	1162.66
आन्ध्र प्रदेश	5783.50	3542.52	2132.53	5244.17	3616.81	20319.53

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	1663.27	247.93	474.13	539.88	119.16	3044.37
असम	14406.88	1180.63	1135.43	1550.80	556.13	18829.87
बिहार	2693.21	4931.05	4666.19	1220.50	763.67	14274.62
चण्डीगढ़	205.27	188.87	29.79	448.76	63.29	865.98
छत्तीसगढ़	1098.04	36.54	378.34	150.50	601.98	2265.40
दादर एवं नगर हवेली	207.99	13.01	25.42	76.00	129.77	452.19
दमन एवं दीव	101.31	12.26	57.40	174.22	103.51	448.70
दिल्ली	382.66	811.31	158.89	991.00	178.23	2522.09
गोवा	57.70	59.69	34.29	354.73	241.14	747.55
गुजरात	6451.02	4239.10	1207.93	3151.08	1238.85	16287.98
हरियाणा	1239.79	856.11	175.91	1017.50	618.49	3907.80
हिमाचल प्रदेश	313.00	672.11	298.01	1229.00	384.34	2896.88
जम्मू एवं कश्मीर	303.98	360.91	469.39	471.50	370.34	1976.12
झारखंड	849.92	55.13	356.23	156.00	224.59	1641.87
कर्नाटक	2351.85	3139.21	1514.42	2495.47	1463.03	10963.98
केरल	483.87	3057.01	899.65	1880.63	842.61	7163.77
लक्ष्यद्वीप	40.65	14.27	24.89	79.08	264.65	423.54
मध्य प्रदेश	8117.47	3289.23	3559.96	2139.81	4926.70	22033.17
महाराष्ट्र	8975.02	5539.56	2205.78	6663.58	4153.50	27537.44
मणिपुर	2042.60	228.02	461.79	1870.83	137.76	4741.00
मेघालय	1528.95	96.84	239.51	437.57	315.90	2618.77
मिजोरम	1610.25	52.66	309.84	793.70	172.88	2939.33
नागालैंड	1264.02	153.71	486.20	1648.00	181.82	3733.75
उड़ीसा	4787.07	2012.63	3018.39	1348.50	3555.51	14722.10
पांडिचेरी	64.58	163.20	39.95	140.50	50.37	458.60
पंजाब	1363.19	1029.59	338.61	1125.39	484.08	4340.86
राजस्थान	6329.56	3478.18	941.95	1172.50	3340.83	15263.02
सिक्किम	33.50	60.35	262.34	311.02	173.39	840.60

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	1581.66	4166.70	1824.56	8363.06	6324.04	22260.02
त्रिपुरा	2253.74	151.03	225.00	408.67	689.20	3727.64
उत्तर प्रदेश	3520.29	7025.47	4638.54	3780.50	5940.01	24904.81
उत्तरांचल	23.64	15.56	1282.50	1465.65	440.74	3228.09
पश्चिम बंगाल	2166.89	6169.83	3293.70	1616.15	790.08	14036.65
कुल	85073.40	57019.96	37206.39	54779.28	43501.73	277580.76

विवरण II

वर्ष 2001-02 के दौरान राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की उपलब्धियां

(i) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

वर्ष	ए बी इ आर	ए पी आई
2001 (पी)	8.71	1.96

ए बी इ आर : वार्षिक रक्त परीक्षण दर (%)
ए पी आई : प्रति हजार जनसंख्या पर वार्षिक परजीवी घटना दर

(ii) राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	थूक (स्पूटम) परीक्षण		स्पूटम पाजीटिव	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2001-02	5135100	3824454	513510	391548

(iii) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष	पता लगाए गए		उपचार		छुट्टी दी गई	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2001-02	183345	592758	183345	592758	455015	537746

(iv) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	किए गए मोतियाबिंद के आपरेशन	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
2001-02	39.31 लाख	37.25 लाख

(v) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (2001-02)

245 प्रमुख रक्त बैंक और 519 जिला रक्त बैंकों की स्थापना की गई है। 518 यौन संचारित रोग क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। 334 स्वैच्छिक परामर्शी एवं परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अनुरक्षित एवं उपान्तिक उच्च जोखिम आचरण वाले दल के लिए 511 लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

सड़क निधि का उपयोग

4677. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों विशेषतया राजस्थान में सड़क निर्माण हेतु प्रदान की गई बड़ी राशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वितरित और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि राज्यों द्वारा आबंटित राशि का पूर्ण उपयोग हो; और

(घ) राजस्थान द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों और राजमार्गों के निर्माण हेतु केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) धनराशि के पूर्ण उपयोग हेतु राज्यों को प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(i) मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य को किए गए आबंटन की तुलना में संबंधित राज्य द्वारा किए गए व्यय पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दोषी राज्यों के मामले में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्रियों को अ.शा. पत्र भेजे गए हैं।

(ii) मंत्रालय ने नौवीं योजना से शुरू किए गए कार्यों के लिए अनेक राज्यों में प्रत्यक्ष भुगतान व्यवस्था शुरू की है ताकि ठेकेदारों के लिए भुगतान में विलंब से बचा जा सके और धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) मंत्रालय प्राक्कलनों की तैयारी के लिए दर अनुसूची को नियमित रूप से अद्यतन बनाए जाने पर बल देता है ताकि उनमें संशोधन की आवश्यकता न हो। इससे धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित होता है।

(iv) यदि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्यों को निर्दिष्ट समय में शुरू नहीं किया जाता है तो उन कार्यों की स्वीकृति वापस ले ली जाती है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान द्वारा सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	केंद्रीय सड़क निधि मे उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रुपए)
1997-1998	0.00
1998-1999	0.00
1999-2000	0.00
2000-2001	4.17
2001-2002	55.00

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ, कोलकाता का अभ्यावेदन

4678. श्री अमर राय प्रधान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1.1.2002 से 31.12.2002 की अवधि के दौरान अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मी संघ, कोलकाता से उनकी विभिन्न लंबित मांगों के संबंध में निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ के कोलकाता शाखा ने फरवरी, 2002 में संघ के 22 सूत्रीय मांग-पत्र (चार्टर आफ डिमांड) की प्रति भेजी थी। यह पत्र केवल कोलकाता शाखा तक ही सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर के अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ से संबंधित है।

(ख) संघ की मुख्य मांगों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी कर्मचारियों को पदोन्नति, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में दिए जाने वाले अंशदान को समाप्त करना, भंडारपाल-सह-लिपिक (होमियो) के पद को नया पदनाम देना, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी के चिकित्सा व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति और गैर-मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में उपचार कराने के वास्ते क्रेडिट सुविधाएं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों के कुछ श्रेणियों के वास्ते धुलाई भत्ते में वृद्धि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में काम कर रहे अवर श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के अनुपात को 60:40 करना, दवाओं की समय पर और अच्छी आपूर्ति, कतिपय श्रेणी के पदों से संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन, सुनिश्चित कैरियर पदोन्नयन (ए सी पी स्कीम) का कार्यान्वयन, ड्रेसर का वेतनमान बढ़ाना, रिक्त पदों को भरना, वर्दी लागत की प्रतिपूर्ति, अनुकंपा आधार पर की जाने वाली नियुक्ति और आवास निर्माण अग्रिम प्रदान करने से संबंधित अधिकारों का विकेन्द्रीकरण, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में लेखाकारों को सहायक लेखा अधिकारियों का वेतनमान देना और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों की तदर्थ सेवाओं को उनकी नियुक्ति की तारीख से विनियमित करना शामिल है।

(ग) संबंधित विभागों/एजेन्सियों के परामर्श से संघ की मांगों पर विचार करने के वास्ते कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है। अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ के साथ लगातार वार्ता की गई है। कुछ मांगों पर निर्णय पहले ही ले लिए गए हैं और उनके बारे में संघ को सूचित कर दिया गया है।

कुपोषणता

4679. श्री बीर सिंह महतो:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में बच्चे अल्पपोषण/कुपोषणता का शिकार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के योजना के दौरान बच्चों में कुपोषणता को रोकने/कम करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) इस उद्देश्यार्थ दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1998-99) के अनुसार देश में तीन वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में 18 प्रतिशत बच्चे तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं। इसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) नौंवी पंचवर्षीय योजना में बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं। दसवीं योजना के दौरान प्रमुख पोषणिक लक्ष्य शिशुओं और बच्चों के खानपान और देखभाल में सुधार लाने के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में तेजी लाना है जिससे (क) तीन वर्ष से कम आयु वाले कम वजन वाले बच्चों की प्रतिशतता के मौजूदा 47 प्रतिशत के स्तर को कम करके 40 प्रतिशत पर लाया जा सके, और (ख) 0-6 वर्ष के बच्चों में तीव्र अल्प-पोषण की व्याप्तता को कम करके 50 प्रतिशत पर लाया जा सके।

(ङ) कुपोषण एक बहु-आयामी समस्या है। इस बारे में सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पादन में और आय अर्जन स्कीमों के द्वारा लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर अनिवार्य खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करती है। सरकार इस प्रयोजन के लिए समन्वित बाल विकास सेवा योजना, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम मध्याह्न भोजन, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना आदि जैसे कई स्कीमें चला रही है।

विवरण

भारत में बच्चों का पोषणिक स्तर

राज्य	तीन वर्ष से कम आयु के तीव्र कुपोषण वाले बच्चे
1	2
भारत	**18.0**
उत्तर	
दिल्ली	10.1
हिमाचल प्रदेश	12.1
जम्मू व कश्मीर	8.3
पंजाब	8.8
राजस्थान	20.8
केन्द्र	
मध्य प्रदेश	24.3
उत्तर प्रदेश	21.9
पूर्व	
बिहार	25.5
उड़ीसा	20.7
पश्चिम बंगाल	16.3
उत्तर पूर्व	
अरुणाचल प्रदेश	7.8
असम	13.3
मणिपुर	5.3
मेघालय	11.3
मिजोरम	5.0
नागालैंड	7.4
सिक्किम	4.2
पश्चिम	
गोवा	4.7
गुजरात	16.2
महाराष्ट्र	17.6
दक्षिण	
आन्ध्र प्रदेश	10.3
कर्नाटक	16.5
केरल	4.7

चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना

4680. श्री प्रबोध पण्डा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) नए मेडिकल कालेज की स्थापना के संबंध में वर्ष 2002 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के निम्नलिखित दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मूल्यांकन एवं सिफारिशों के वास्ते दोनों प्रस्तावों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में भेज दिया गया है:-

1. मिदनापुर में नए मेडिकल कालेज की स्थापना,
2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता में एम बी बी एस पाठ्यक्रम शुरू करना।

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत अर्हता संबंधी मापदण्ड को पूरा करने, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और उसके बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर निर्भर है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का सुदृढ़ीकरण

4681. श्री एस. अजय कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने अपने तेरहवें प्रतिवेदन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकरण में सुधार हेतु उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या ठोस उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की तेरहवीं रिपोर्ट "दि प्रिवेंशन आफ अपार्थाइड इन स्पोर्ट्स बिल, 1988" के विषय में थी अत: और वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकरण से सम्बन्धित नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) कार्यक्रम

4682. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करने का निर्णय लिया है जैसा कि 26 मार्च, 2003 को इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नये मानदंडों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को धन राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय लिया है। पहले, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां भारत सरकार से सीधे गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती थी। अब नये दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों की स्कीमों के लिए निधियां भारत सरकार से राज्यों को प्रदान की जाएगी। राज्य गैर-सरकारी संगठनों को निधियां जारी करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसा विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने और गैर-सरकारी संगठनों के काम की मानीटरिंग में सुधार लाने के लिए किया गया है।

इस बारे में नए मानदण्डों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 को स्वीकृति

4683. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर-अजमेर-नसीराबाद-नीमच-मंदासौर-मऊ छावनी होते हुए मुंबई से दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 को नसीराबाद-मऊ छावनी मध्य भाग को स्वीकृति दे दी गई है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसका उन्नयन करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 को दिनांक 1.6.1999 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर मऊ से नसीराबाद खंड का अनुरक्षण और रखरखाव कार्य 1.6.1999 से पहले सौंप दिया गया है। यह ठेका सन् 2006 तक पूरा किया जाना है। इस अनुरक्षण, प्रचालन और हस्तांतरण ठेके के पूरा होने के बाद ही मंत्रालय द्वारा इस राजमार्ग का अधिग्रहण किया जा सकता है। इसी दौरान, राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर इसे अनधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

रोगियों को पौष्टिक भोजन की आपूर्ति न किया जाना

4684. श्री सुबोध पण्डा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दाखिल रोगियों को निर्धारित पौष्टिक भोजन की आपूर्ति नहीं की जा रही है जैसा कि दिनांक 15 फरवरी, 2003 को 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली में सरकारी अस्पतालों अर्थात डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों का संबंध है उपर्युक्त प्रत्येक अस्पताल में एक आहार विज्ञान विभाग है जहां पोषण के बारे में रोगियों को सलाह देने के वास्ते अर्हता प्राप्त आहार विज्ञानी होते हैं। ये अस्पताल ऐसे आहार मापदण्ड का अनुपालन करते हैं जिसमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की सिफारिश के अनुरूप सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

विनिवेश नीति

4685. श्री राम विलास पासवान: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश नीति के क्रियान्वयन के कारण बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है और इससे लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त नीति के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप बढ़ती बेरोजगारी और लघु एवं कुटीर उद्योगों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) विनिवेश प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी से नहीं जुड़ा हुआ है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के बाद रोजगार में वृद्धि हुई है। कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारी वियोजन, यहां तक कि निवेश से पूर्व भी आरंभ हो गया था और यह इन कम्पनियों को व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यक था। विनिवेश का अर्थ किसी कम्पनी को बंद करना नहीं है। इसके बजाय प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ अनुकूल बिक्री से सार्वजनिक क्षेत्र की परिसम्पत्तियों की उत्पादकता सम्भाव्यता के निर्मुक्त होने की संभावना रहती है। कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के बाद संचालनात्मक कार्यदक्षता में सुधार हुआ है और अतिरिक्त क्षमताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं। विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अभिवृद्धि उत्पादन और उत्पादकता रोजगार को बचाने का, विशेषकर उन लघु और कुटीर उद्योगों में, जो वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य हैं, एक उत्तम रास्ता है।

[अनुवाद]

''स्पीड पोस्ट'' का बाजार में हिस्सा

4686. श्री पी.एच. पांडियन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ''कुरियर सेवाओं'' की तुलना में ''स्पीट पोस्ट'' का बाजार में हिस्सा कितना है;

(ख) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुरियर बाजार की तुलना में ''स्पीड पोस्ट'' का बाजार में अपना प्रभुत्व खोने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ''स्पीड पोस्ट'' का बाजार में हिस्सा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) हालांकि कोई प्रकाशित डाटा उपलब्ध नहीं है, परन्तु डाक विभाग द्वारा इस वर्ष 2001 में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2000-01 में स्पीड पोस्ट का बाजार में हिस्सा 8.41% था। पिछले पांच वर्षों के राजस्व आंकड़ों से देखा जा सकता है कि स्पीड पोस्ट व्यवसाय में संतोषजनक वृद्धि हो रही है।

वर्ष	राजस्व (करोड़ रु. में)	
1998-99	91.36	
1999-2000	126.17	
2000-01	151.44	
2001-02	196.53	
2002-03	217.86	(फरवरी 2003 तक 11 महीनों के लिए)

(ख) उपर्युक्त (क) में दर्शाई गई वर्ष-वार राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि स्पीड पोस्ट ने अपना बाजार में हिस्सा खो दिया है।

(ग) स्पीड पोस्ट का कारोबार बढ़ाने के लिए विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) सभी राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों में कम्प्यूटरीकृत प्रचालन शुरू किए गए हैं।

(ii) दिनांक 3.1.2002 से स्पीड पोस्ट से भेजी गई वस्तुओं की ट्रैकिंग के लिए सभी राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों में वेब-आधारित ट्रैक एंड ट्रेस "स्पीडनेट" उपलब्ध कराया गया है।

(iii) सभी राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों में स्पीड पोस्ट संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए वेब-आधारित शिकायत निपटान प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) कॉरपोरेट ग्राहकों को मात्रात्मक आधार पर रियायती दरें उपलब्ध कराई जाती हैं।

(v) नए ग्राहक बनाने और मौजूदा ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए सभी राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट पर मार्केटिंग एक्जीक्यूटीक्स तैनात किए गए हैं।

(vi) देश भर में प्रचार-प्रसार एवं संवर्धनात्मक कार्रवाइयां की गई हैं।

मुम्बई और कोचीन बंदरगाहों का विकास

4687. श्री पी.सी. थामस: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मुम्बई और कोचीन बंदरगाहों के विकास पर 75,000 करोड़ रुपए व्यय करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्रमश: प्रत्येक बंदरगाहों पर व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (ग) मुम्बई तथा कोचीन पत्तनों के विकास के लिए 75,000 करोड़ रु. खर्च करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, 28 फरवरी, 2003 को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की थी कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन तथा कोचीन पत्तन का निकर्षण तथा आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है जिस पर 7,500 करोड़ रु. से अधिक का खर्च होने की संभावना है तथा इन दो पत्तन न्यासों द्वारा तैयार की गई उनकी व्यापक आधुनिकीकरण परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाने के लिए उसके कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने में किसी संभावित कमी को पूरा करने के लिए जीवक्षम अंतराल के वित्त पोषण को सरकार उपलब्ध कराएगी।

बड़ी भेषज कंपनियों द्वारा मनुष्यों का शोषण

4688. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ भेषज कंपनियों ने अपनी दवाओं के परीक्षण के लिए मनुष्यों को माध्यम बनाया हैं जैसाकि दिनांक 14 मार्च, 2003 को "दी हिन्दु", दिल्ली में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अमानवीय प्रयोगों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) मनुष्य पर नैदानिक परीक्षण करना विश्वभर में औषध विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय रूप से निर्धारित दिशा-निर्देशों/मानदंडों के अनुसार इस देश में भी किया जा रहा है। ऐसे मनुष्यों को समुचित इन-हाउस स्क्रीनिंग के बाद नामांकित किया जाता है, जिसमें पूरी स्वास्थ्य जांच करना और रक्त/प्लाजमा/मूत्र का जैव-रासायनिक विश्लेषण करना भी शामिल है। फर्मास्यूटिकल कम्पनियों को अच्छी नैदानिक पद्धति संबंधी दिशानिर्देशों तथा मनुष्यों में जैव-रासायनिक

अनुसंधान के नीतिपरक पहलुओं पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होता है और संबंधित संस्था की नीति विषयक समितियों के अनुमोदन के बाद नैदानिक परीक्षण करने होते हैं। इस प्रकार यह सही नहीं है कि मानव नैदानिक परीक्षण के लिए निर्धन लोगों का शोषण किया जा रहा है।

अफगानिस्तान के लिए पारगमन सुविधाएं देने से पाकिस्तान का इंकार

4689. श्री रामनायडू दग्गुबाटि:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने अफगास्तिान को मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत को पारगमन सुविधाएं देने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) पाकिस्तान ने व्यापार से सम्बद्ध तथा कुछ और भारतीय उत्पादों जिनमें गेहूं जैसी मानवीय सहायता सामग्री भी शामिल है, भारत-पाकिस्तान सीमा पार से अफगास्तिान को भेजने की अनुमति नहीं दी है।

भारत-अफगानिस्तान व्यापार और आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ़ होते रहेंगे और अफगानिस्तान को दी जाने वाली मानवीय सहायता वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध माध्यमों और मार्गों से जारी रहेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर सेक्टर का विकास

4690. श्री पवन कुमार बंसल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर निर्माण और बाजार विकास संबंधी नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उसके अभाव में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में कितने इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क (इ.एच.टी.पी.) योजनाएं हैं और इनमें से प्रत्येक के साथ कितनी इकाइयां सम्बद्ध हैं;

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके द्वारा कितने मूल्य का सामान निर्मित किया गया;

(छ) क्या योजना उतनी आकर्षक नहीं बनी है जितना अनुमान लगाया गया था;

(ज) यदि हां, तो इसके कारण हैं; और

(झ) योजना को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (घ) एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर नीति के लिए दृष्टिकोण-पत्र सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तैयार किया जा रहा है।

(ङ) और (च) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पदनामित अधिकारियों के पास 79 इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) निर्यातकारी इकाइयां पंजीकृत हैं। इनका केन्द्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य नीचे दिए अनुसार है:

2000-2001	–	702.85 करोड़ रु.
2001-2002	–	1478.38 करोड़ रु.
2002-2003	–	2376.33 करोड़ रु.

(छ) से (झ) ईएचटीपी योजना को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में संशोधित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ईएचटीपी इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों की बिक्री की गणना निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने में की जाएगी।

विवरण

एसटीपीआई के अन्तर्गत ईएचटीपी इकाइयों का तुलनात्मक विवरण पत्र

एसटीपीआई केन्द्र	ईएचटीपी निर्यातक इकाइयां	निर्यात आय (2000-01)	निर्यात आय (2001-02)	निर्यात आय (2002-03)
नोएडा	18	202.53	63.42	64.27
चेन्नै	8	27.62	461.07	717.53
तिरुवनन्तपुरम	3	13.54	12.59	14.45
पुणे	4	42	50.65	48.95
बंगलौर	31	361.14	828.53	1403.85
मुम्बई	1	29.57	39.76	464.28
गांधीनगर	7	3.45	10.01	13
हैदराबाद	7	17	12.35	50
कुल	79	702.85	1478.38	2376.33

तमिलनाडु में मोबाइल फोन सेवा

4691. श्री एस. मुरुगेसन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. ने तमिलनाडु में मोबाइल फोन सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में इसके अंतर्गत कस्बों/शहरों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी हां, तमिलनाडु में मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू की जा चुकी है।

(ख) तमिलनाडु में सेल्यूलर मोबाइल सेवा 24.10.2002 से शुरू की गई थी और राज्य में लगभग 90 शहरों को कवर करते हुए, 160089 सेल्यूलर कनेक्शन 31.3.2003 तक प्रदान किए गए हैं। चेन्नई में यह सेवा 30.3.2003 को शुरू की गई थी।

(ग) और (घ) जी हां,। 2003-04 के दौरान भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) की तमिलनाडु में अतिरिक्त शहरों को कवर करने की योजना है बशर्ते वहां वाणिज्यिक व्यवहार्यता हो।

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अल्जीमीर रोग

4692. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अल्जीमीर रोग की व्यापतता का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में अल्जीमीर रोग के निवारण हेतु कौन सी नोडल एजेंसी उत्तरदायी है;

(ग) क्या सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी इस समस्या से निपटने हेतु अस्पतालों को कोई सहायता प्रदान नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर अल्जीमिर के रोग की अनुमानित व्यापतता दर 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में 5% तथा महिलाओं में 6% है। भारत की जनसंख्या पर इसे लागू करें तो अनुमानत: 3.5 मिलियन लोग अल्जीमिर के रोग से पीड़ित हो सकते हैं। तथापि, यह वर्हिवशन (एकरट्रापोलेशन) पर आधारित है तथ्यात्मक सर्वेक्षण पर नहीं। अल्जीमिर रोग एक प्रगामी अपविकास की स्थिति है जो प्राय: 65 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होती है। इस रोग का वास्तविक कारण पता नहीं है। इस रोग के उपचार का लक्ष्य एन्टी साइकोटिक्स, प्रशान्तक एवं कोलीनधर्मोत्तेजक उद्दीपकों (स्टीमुलेट) जैसी औषधों और व्यवहार में परिवर्तन लाकर और ऐसे लोगों की देख भाल के लिए परिवार को परामर्श देकर इस रोग के लक्षणों से आराम पाना है। सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र के तृतीयक अस्पतालों में इस रोग का उपचार किया जाता है।

[हिन्दी]

स्वायत्त समितियों/सोसायटियों की पुनर्संरचना

4693. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने क्षेत्राधिकार के तहत स्वायत्त समितियों और सोसायटियों की पुनर्संरचना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस समय तक पुनर्संरचनात्मक प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कुल 13 संस्थाएं थीं। संस्थाओं को पुनर्गठित करने का एक प्रयास किया गया और कुल छ: संस्थाएं रखने के लिए आरम्भ में सात संस्थाओं का विलय/विघटन कर दिया गया। इसका विवरण नीचे दिए अनुसार है:

1. उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक)—तत्कालीन भारतीय इलेक्ट्रानिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (ईआरएण्डडीसीआई) और राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (एनसीएसटी) और भारतीय इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सीईडीटीआई) के मोहाली केन्द्र का विलय सी-डैक के साथ कर दिया गया है।
2. इलेक्ट्रानिकी विभाग मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (डीओईएसीसी)—क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (आरसीसी), कोलकाता, क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (आरसीसी), चंडीगढ़ तथा भारतीय इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सीईडीटीआई), मोहाली केन्द्र को छोड़कर, का विलय डीओईएसीसी संस्था के साथ कर दिया गया है।
3. प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर)।

4. इलेक्ट्रानिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-मेट)

5. अर्नेट इण्डिया

6. भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई)।

तरल क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र (सीएलसीआर) को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) को स्थानांतरित कर दिया गया है।

इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरिंग परीक्षण संस्था (एसईटीई) का विलय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एसटीक्यूसी निदेशालय के साथ कर दिया गया है।

यह आशा की जाती है कि पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, संस्थाओं का अपने घोषित उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण रहेगा। यह भी महसूस किया जा रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी पर नए जोर के तहत संस्थाओं को अपने दृष्टिकोण और लक्ष्यों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुरूप करने में सहायता मिलेगी। इस पुनर्गठन से रोजगार सृजन, सम्पत्ति सृजन, सूचना प्रौद्योगिकी प्रेरित आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, कम लागत पर अधिक उत्पादन के लाभ उठाने जैसे व्यापक उद्देश्यों को हासिल करने में भी सहायता मिलने की संभावना है।

(ग) पुनर्गठन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, जो समय की मांग के अनुरूप जारी रहेगी।

[अनुवाद]

दृष्टिहीनता और क्षयरोग कार्यक्रम

4694. श्री रघुनाथ झा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने काफी समय पूर्व राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दृष्टिहीनता और क्षयरोग जैसे विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में इन कार्यक्रमों में उक्त रोगों को शामिल करने के बावजूद भी अपेक्षानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर पायी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 से और राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से चलाए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) दृष्टिहीनता की व्याप्तता 1.49 प्रतिशत (1986-89) से घटकर 1.1 प्रतिशत (2001-2002) हुई है। इस कार्यक्रम की सीमित सफलता के कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना, कठिन क्षेत्रों में अपर्याप्त सेवाएं तथा ग्लूकोमा और मधुमेह रेटिनोपैथी जैसे नई नेत्र समस्याओं का पैदा होना है।

पिछले राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की सीमित सफलता के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- अपर्याप्त बजट और अपर्याप्त प्रबंधकीय क्षमता
- औषधियों की कमी
- एक्सरे निदान पर बल, जिससे सही निदान का न हो पाना
- स्पूटम माइक्रोस्कोपी की कम गुणवत्ता
- उपचार विधानों की विविधता

उक्त कमियों को दूर करने के लिए 1997 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया था।

नए स्पूटम पाजीटिव रोगियों के 85 प्रतिशत रोगियों को स्वस्थ करने की लक्षित दर की तुलना में पिछले कार्यक्रम 40 प्रतिशत से कम की उपचार सफलता दल संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गई है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की मौजूदा कवरेज 600 मिलियन से अधिक जनसंख्या है और 2005 तक सारे देश को कवर करने की योजना है।

पूर्वी क्षेत्र में आणविक ऊर्जा स्टेशन की स्थापना

4695. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आणविक ऊर्जा स्टेशनों की स्थापना हेतु पूर्वी क्षेत्रों में नए स्थलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस राज्य में आणविक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने हेतु स्थलों का चयन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) स्थल चयन समिति द्वारा पूर्वी वैद्युत क्षेत्र में अभी तक किसी उपयुक्त स्थल का पता नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में चूंकि कोयले के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं, इसलिए अन्य क्षेत्रों की तुलना में, यहां किसी परमाणु बिजली घर की स्थापना को प्राथमिकता दिए जाने की गुंजाइश फिलहाल अपेक्षाकृत कम है।

(ग) अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कई स्थलों के बारे में विचार किया गया है और किसी उपयुक्त स्थल का अब तक पता नहीं लग सका है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त के मद्देनजर लागू नहीं।

[हिन्दी]

भूमिगत टेलीफोन तारों की चोरी

4696. श्री सईदुज्जमा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2001 से 31 मार्च, 2003 तक दिल्ली और नई दिल्ली जोनों के अनेक दूरभाष केन्द्रों में हुई भूमिगत टेलीफोन तारों की चोरी की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) टेलीफोन के इन तारों की चोरी करने के दोषी कर्मियों/कंपनियों के विरुद्ध दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले के संबंध में अलग-अलग की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और भूमिगत तार को काटने में संलिप्त लोगों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में क्या अनुदेश जारी किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) एमटीएनएल की दिल्ली यूनिट में 1 जनवरी, 2001 से 31 मार्च, 2003 तक केबल चोरी के 322 मामले थे, ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ख) सभी मामलों में, विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, सम्बन्धित पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

(ग) इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए एमटीएनएल की दिल्ली यूनिट द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. मुख्य केबल रूटों की पट्रोलिंग।
2. मेन होलों को ढक कर रखना।
3. अधिकाधिक रिमोट स्विचिंग यूनिट, कार्डेक्ट तथा डिजिटल लूप कैरियर आदि की व्यवस्था करके भूमिगत केबलों की लंबाई का समन्वयन।

विवरण

01.01.2001 से 31.3.2003 तक केबल चोरी के मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्र	डिवीजन रूट	चोरी की तारीख	केबल आकार	केबल चौड़ाई	लम्बाई	प्रभावित उपभोक्ता	स्थान	सं.	प्रथम सूचना रिपोर्ट तारीख	पुलिस स्टेशन	अभ्युक्तियां	माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	पश्चिम 1	जे के पी	5.1.2001	12	6.5 पीजे	5.0	850	एम/एच नं. 601 नांग कालोनी	–	15.1.2001	जनकपुरी	6520	जनवरी 01
2.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	5.1.2001	1200	6.5 जेएफ	10.0	500	पप्पन कला	–	5.1.2001	डी डब्ल्यू आर	5000	जनवरी 01
3.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	5.1.2001	400	6.5 जेएफ	2.0	395	मधु विहार कला	–	5.1.2001	डी डब्ल्यू आर	2000	जनवरी 01
4.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	5.1.2001	800	6.5 जेएफ	10.0	500	पप्पन कला	–	5.1.2001	डी डब्ल्यू आर	5000	जनवरी 01
5.	पश्चिम 1	जे के पी	8.1.2001	1200	6.5 पीजे	5.0	750	एम/एच सं. 602 निकट नांग कालोनी	–	8.1.2001	जनकपुरी	6520	जनवरी 01
6.	पश्चिम 1	जे के पी	8.1.2001	2000	4.0 पीआईजेएफ	5.0	1150	एम/एच सं. 602 नांग कालोनी	–	8.1.2001	जनकपुरी	8015	जनवरी 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	दक्षिण 2	टीबीडी	11.1.2001	100	6.5 पीआईजेएफ	25.0	70	पिलर नं. 436 तथा गेट नं. 3 हमदर्द	—	13.1.2001	डा. अम्बेडकर नगर	5000	जनवरी 01
8.	दक्षिण 2	नेहरू प्लेस	12.1.2001	1200	6.5 जेएफ	5.0	875	एम/एच नं. 207 बाहरी रिंग रोड जी के एंकलेव	—	12.1.2001	ग्रेटर कैलाश I	6960	जनवरी 01
9.	दक्षिण 2	नेहरू प्लेस	12.1.2001	1200	6.5 जेएफ	5.0	875	एम/एच नं. 207 बाहरी रिंग रोड जी के एंकलेव	—	12.1.2001	ग्रेटर कैलाश I	6960	जनवरी 01
10.	दक्षिण 2	नेहरू प्लेस	12.1.2001	1200	6.5 जेएफ	5.0	875	एम/एच नं. 207 बाहरी रिंग रोड जी के एंकलेव	—	12.1.2001	ग्रेटर कैलाश I	6960	जनवरी 01
11.	दक्षिण 2	नेहरू प्लेस	12.1.2001	1200	6.5 जेएफ	5.0	875	एम/एच नं. 207 बाहरी रिंग रोड जी के एंकलेव	—	12.1.2001	ग्रेटर कैलाश I	6960	जनवरी 01
12.	टीआरवाई	एलएनआर	13.1.2001	400	6.5 पीआईजेएफ	90.0	—	मंडोली गंदा नाला के निकट	—	13.1.2001	—	0	जनवरी 01
13.	पूर्व	आईटीओ	15.1.2001	200	6.5 पीआईजेएफ	18.0	0	टायर मार्किट एम एम रोड	—	15.1.2001	डीबीजी रोड	50770	जनवरी 01
14.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	16.1.2001	400	6.5 जेएफ	12.0	50	सैक्टर 13, द्वारका	—	16.1.2001	उत्तम नगर	8000	जनवरी 01
15.	दक्षिण 1	सीपीआर	16.1.2001	800	6.5 जेएफ	3.0	500	खुल्लर फार्म	—	16.1.2001	महरौली	3213	जनवरी 01
16.	पश्चिम 1	जे के पी	19.1.2001	1200	6.5 पीजे	4.1	350	एम/एच नं. 001 जेकेपी डीडीए पार्क	—	19.1.2001	जनकपुरी	6000	जनवरी 01
17.	दक्षिण 1	सीपीआर	22.1.2001	400	6.5 जेएफ	26.0	250	कम्बोदक टैम्पल	—	22.1.2001	महरौली	13923	जनवरी 01
18.	मैन्ट्रल	केबीएन	23.1.2001	1200	6.5 पीआईजेएफ	6.0	720	एम/एच नं. 23 डीडीयू मार्ग	—	23.1.2001	आईपी एस्टेट	8712	जनवरी 01
19.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	23.1.2001	200	6.5 जेएफ	5.0	90	सैक्टर 10, द्वारका	—	16.1.2001	द्वारका	1800	जनवरी 01
20.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	23.1.2001	200	6.5 जेएफ	6.0	80	सैक्टर 10, द्वारका	—	23.1.2001	द्वारका	1200	जनवरी 01
21.	उत्तर 2	बवाना	24.1.2001	400	6.5 पीआईजेएफ	17.0	300	ब्रिज आफ कैनाल के कंझावला रोड	39560/792	24.1.2001	बवाना	8850	जनवरी 01
22.	दक्षिण 1	सीपीआर	24.1.2001	400	6.5 जेएफ	6.0	250	अंधेरिया मोड़	—	24.1.2001	महरौली	3213	जनवरी 01
23.	पूर्व	तीस हजारी	28.2.2001	400	6.5 पीआईजेएफ	90.0	15	वजीराबाद गांव के पुल पर	—	28.1.2001	तिमारपुर	36611	जनवरी 01
24.	पूर्व	पीकेआर	28.1.2001	1600	4.0 पीआईजेएफ	4.0	1055	जनकपुरी धौली प्याऊ निकट	—	29.1.2001	जनकपुरी	5789	जनवरी 01
25.	पूर्व	तीस हजारी	29.1.2001	200	6.5 पीआईजेएफ	90.0	15	वजीराबाद गांव के पुल पर	—	28.1.2001	तिमारपुर	36611	जनवरी 01
26.	पश्चिम 2	नांगल	30.1.2001	1200	6.5 जेएफ	10.0	800	धेवरा रोड	—	31.1.2001	कांझावला	2000	जनवरी 01
27.	पश्चिम 2	नांगल	30.1.2001	400	6.5 जेएफ	5.0	400	क्रिया विहार	—	31.1.2001	कांझावला	10000	जनवरी 01
28.	पश्चिम 1	दिल्ली कैन्ट	31.1.2001	800	4.0 पीआईजेएफ	3.0	500	मालिद रोड	—	31.1.2001	दिल्ली कैन्ट	2667	जनवरी 01
29.	पश्चिम 1	दिल्ली कैन्ट	31.1.2001	400	4.0 पीआईजेएफ	3.0	250	मौद रोड	—	31.1.2001	दिल्ली कैन्ट	1191	जनवरी 01
1.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	1.2.2001	800	4.0 पीआईजेएफ	3.0	500	मौद रोड एम/एफ सं. 501	—	1.2.2001	दिल्ली कैन्ट	2500	फरवरी 01
2.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	1.2.2001	400	4.0 पीआईजेएफ	3.0	300	मौद रोड एम/एफ सं. 501	—	1.2.2001	दिल्ली कैन्ट	2500	फरवरी 01
3.	दक्षिण 1	बीसीपी	2.2.2001	1200	6.5 जेएफ	4.0	2985	सैक्टर-6 राम कृष्ण पुरम, मुनीरका	—	3.2.2001	सैक्टर 12 राम कृष्ण पुरम	16707	फरवरी 01
4.	पश्चिम 1	बीसीपी	2.2.2001	2400	4.0 पीआईजेएफ	4.0	4053	सैक्टर 8, 9 राम कृष्ण पुरम, मुनीरका	—	3.2.2001	-वही-	15324	फरवरी 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	8.2.2001	800	6.5 वेएफ	7.0	150	सैक्टर 22 डी डब्ल्यू आर	—	8.2.2001	कापसहेड़ा	5000	फरवरी 01
6.	दक्षिण 1	हौजखास	15.2.2001	1200	6.5 वेएफ	3.0	950	बेर सराय	—	16.2.2001	हौजखास	4177	फरवरी 01
7.	दक्षिण	हौजखास	15.1.2001	800	6.5 पीवे	3.0	700	बेर सराय	—	16.2.2001	हौजखास	2916	फरवरी 01
8.	दक्षिण 1	बोसीपो	16.2.2001	1200	6.5 वेएफ	3.0	750	वेस्टर्न कोर्ट फ्लैट्स मुनीरका	—	16.2.2001	हौजखास	4177	फरवरी 01
9.	उत्तर 2	बादली	19.2.2001	800	6.5 पीआईवेएफ	11.0	325	सैक्टर 19, रोहिणी डिस्ट्रिक पार्क के निकट	—	20.2.2001	बादली	7143	फरवरी 01
10.	उत्तर 2	बादली	19.2.2001	200	6.5 पीआईवेएफ	12.0	325	सैक्टर 19, रोहिणी डिस्ट्रिक पार्क के निकट	—	20.2.2001	बादली	7143	फरवरी 01
11.	दक्षिण 1	हौजखास	19.2.2001	2400	4.0 पीआईवेएफ	4.0	5000	एम/एच नं. 2 पुलिस कालोनी	—	20.2.2001	हौजखास	35600	फरवरी 01
12.	पश्चिम 1	एनजीएल	22.2.2001	1200	6.5 पीआईवेएफ	19.0	1200	घेवरा मंडी नरेला	—	23.2.2001	कंझावला	30000	फरवरी 01
13.	दक्षिण 2	टांवांडो	23.2.2001	2400	4.0 पीआईवेएफ	6.0	1800	एम/एच-14 गली नं 24 के सामने टीवीटी	—	24.2.2001	अंबेडकर नगर	36572	फरवरी 01
14.	उत्तर 2	बादली	25.2.2001	400	10.0 पीआईवेएफ	10.0	150	बवाना रोड	—	26.2.2001	बवाना	8310	फरवरी 01
15.	ट्रांस यमुना	एलएनआर	18.2.2001	1600	4.0 वेएफ	15.0	1285	मधुविहार फ्लाई ओवर	—	18.2.2001	मंडावली	20685	फरवरी 01
16.	जे एन कंबल	जंपी सीता	26.2.2001	400	10.0	5.0	0	एम/एच नं. 2121 जी आई सैंटर	—	26.2.2001	पार्लियामेंट स्ट्रीट	4000	फरवरी 01
17.	जे एन कंबल	मोएचवाई बासीपो	13.2.2001	400	10.0	5.0	—	एम/एच नं. सी 4010 नेताजी नगर	—	13.2.2001	सरोजनी नगर	4000	फरवरी 01
1	उत्तर 2	बादली	1.3.2001	100	6.5 पीआईवेएफ	18.0	100	बरवाला गांव	188155	7.3.2001	बवाना	10000	मार्च 01
2	उत्तर 2	बादली	2.3.2001	100	6.5 पीआईवेएफ	40.4	100	बेगमपुर रोड का मोड़	188156	7.3.2001	बवाना	25000	मार्च 01
3.	दक्षिण 2	एस वी आर	2.3.2001	800	6.5 पीआईवेएफ	5.0	650	नोएडा मोड़ पर नाला पुल के पास	—	3.3.2001	एसवीआर	6000	मार्च 01
4.	दक्षिण 1	वीकेजे	6.3.2001	200	6.5 वेएफ	13.4	19	आसफ अली रोड बसंतकुंज	—	6.3.2001	बसंत कुंज	5360	मार्च 01
5.	उत्तर 2	नरेला	7.3.2001	1200	6.5 पीआईवेएफ	16.0	400	सिंघु बार्डर	871200	8.3.2001	नरेला	25000	मार्च 01
6.	दक्षिण 1	वीकेजे	8.3.2001	1200	6.5 वेएफ	12.0	850	महरौली	—	8.3.2001	महरौली	19200	मार्च 01
7.	दक्षिण 1	वीकेजे	8.3.2001	1200	6.5 वेएफ	10.0	950	महरौली	—	8.3.2001	महरौली	16000	मार्च 01
8.	उत्तर 2	नरेला	13.3.2001	50	6.5 पीआईवेएफ	14.0	30	नजदीक पौशाला बवाना नरेला	—	14.3.2001	नरेला	1400	मार्च 01
9.	दक्षिण 1	वीकेजे	14.3.2001	800	6.5 वेएफ	6.0	115	महिपालपुर	—	14.3.2001	बसंत कुंज	6186	मार्च 01
10.	दक्षिण 2	टांवांडो	15.3.2001	800	4.0 पीआईवेएफ	9.0	12	महरौली बदरपुर रोड नजदीक तुगलकाबाद	—	16.3.2001	संगम विहार	15000	मार्च 01
11.	उत्तर 2	नरेला	15.3.2001	200	6.5 पीआईवेएफ	18.0	120	सिंघोला गांव	—	16.3.2001	नरेला	4700	मार्च 01
12.	उत्तर 2	नरेला	15.3.2001	200	6.5 पीआईवेएफ	15.0	165	टीकरी गांव	—	16.3.2001	अलीपुर	4200	मार्च 01
13.	उत्तर 2	नरेला	15.3.2001	200	6.5 पीआईवेएफ	15.0	60	शाहपुर गांव	—	16.3.2001	नरेला	4200	मार्च 01
14.	उत्तर 2	बवाना	16.3.2001	1200	6.5 पीआईवेएफ	7.0	932	दरिया नंगल	—	16.3.2001	बवाना	13345	मार्च 01
15.	उत्तर 2	बवाना	16.3.2001	800	6.5 पीआईवेएफ	7.0	483	दरियापुर नंगल	—	16.3.2001	बवाना	11910	मार्च 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	दक्षिण 1	बीसीपी	17.3.2001	1200	6.5 बेएफ	8.0	1200	रिंग रोड नजफगढ़ पर	—	17.3.2001	आर.के. पुरम	12800	मार्च 01
17.	दक्षिण 2	टीबीटी	18.3.2001	1200	6.5 पीआईबेएफ	4.0	30	एम/एच सं. 204, एम बी रोड संगम विहार	—	20.3.2001	संगम विहार	10000	मार्च 01
18.	दक्षिण 2	टीबीटी	18.3.2001	1200	6.5 बेएफ	4.0	30	एम/एच सं. 204, एम बी रोड संगम विहार	—	20.3.2001	संगम विहार	10000	मार्च 01
19.	उत्तर 2	नरेला	19.3.2001	200	6.5 पीआईबेएफ	18.0	120	सिंघोला गांव	—	19.3.2001	नरेला	4700	मार्च 01
20.	उत्तर 2	नरेला	19.3.2001	200	6.5 पीआईबेएफ	15.0	165	टीकरी गांव	—	19.3.2001	अलीपुर	4200	मार्च 01
21.	पूर्व	आईटीओ-1	19.3.2001	100	6.5 पीसीपूटी	13.0	700	देशबंधु गुप्ता रोड	—	19.3.2001	पहाड़गंज	13542	मार्च 01
22.	उत्तर 2	अलीपुर	22.3.2001	200	6.5 पीआईबेएफ	5.0	180	बुध पुर	—	22.3.2001	अलीपुर	1680	मार्च 01
23.	उत्तर 2	अलीपुर	22.3.2001	100	6.5 पीआईबेएफ	6.0	90	बुध पुर	—	22.3.2001	अलीपुर	800	मार्च 01
24.	पश्चिम 1	दिल्ली कैन्ट	26.3.2001	100	6.5 पीबे	2.5	80	नजदीक सेना भर्ती कार्यालय	—	26.3.2001	दिल्ली कैन्ट	1550	मार्च 01
25.	सैन्ट्रल	राजपथ	26.3.2001	100	6.5 पीआईबेएफ	60.0	662	बे पी आर प्रसाद रोड क्रासिंग	—	26.3.2001	संसद मार्ग	42000	मार्च 01
26.	पश्चिम 2	आरजी-2	29.3.2001	800	6.5 पीसीपूटी	25.0	300	नजदीक नजफगढ़ नाला	—	30.3.2001	आर गार्डन	16500	मार्च 01
27.	उत्तर 2	अलीपुर	31.3.2001	200	6.5 पीआईबेएफ	45.0	180	नजदीक अलीपुर स्कुल	—	31.3.2001	अलीपुर	8100	मार्च 01
1	यमुना-पार	एलएनआर	08.04.2001	800	6.5 पीआईबेएफ	16.0	800	शिव मन्दिर प्रीत विहार	—	08.04.2001	प्रीत विहार	16563	अप्रैल 01
2.	पश्चिम-II	नांगलोई	10.04.2001	400	6.5 पीआईबेएफ	5.0	300	रोहतक रोड	—	11.04.2001	नांगलोई	3300	अप्रैल 01
3	पश्चिम-II	नांगलोई	10.04.2001	400	6.5 पीआईबेएफ	5.0	300	रोहतक रोड	—	11.04.2001	नांगलोई	3400	अप्रैल 01
4.	पश्चिम-II	नांगलोई	10.04.2001	400	6.5 पीआईबेएफ	5.0	300	रोहतक रोड	—	11.04.2001	नांगलोई	3300	अप्रैल 01
5.	पश्चिम-II	नांगलोई	13.04.2001	200	6.5 पीआईबेएफ	5.0	100	रोहतक रोड	—	14.04.2001	नांगलोई	1000	अप्रैल 01
6.	पश्चिम-II	नांगलोई	13.04.2001	200	6.5 पीआईबेएफ	5.0	100	रोहतक रोड	—	14.04.2001	नांगलोई	1000	अप्रैल 01
7.	पश्चिम-II	नांगलोई	13.04.2001	100	6.5 पीआईबेएफ	5.0	100	रोहतक रोड	—	14.04.2001	नांगलोई	1000	अप्रैल 01
8.	पश्चिम-II	नांगलोई	13.04.2001	50	6.5 पीआईबेएफ	5.0	50	रोहतक रोड	—	14.04.2001	नांगलोई	1000	अप्रैल 01
9.	पश्चिम-II	नांगलोई	13.04.2001	50	6.5 पीआईबेएफ	5.0	50	रोहतक रोड	—	14.04.2001	नांगलोई	1000	अप्रैल 01
10.	दक्षिण -II	तुगलकाबाद	15.04.2001	1200	4.0 पीआईबेएफ	24.0	650	कालकाजी डीडीए एनएससी	—	16.04.2001	गोविंद पुरी	40000	अप्रैल 01
11.	दक्षिण -II	तुगलकाबाद	22.04.2001	100	6.5 पीआईबेएफ	25.0	70	सीआरपीएफ कैम्प	—	24.04.2001	गोविंद पुरी	5000	अप्रैल 01
12.	उत्तर-II	बादली	23.04.2001	800	6.5 पीआईबेएफ	6.0	650	सैक्टर 19	—	24.04.2001	बादली	6300	अप्रैल 01
13.	उत्तर-II	बादली	23.04.2001	400	6.5 पीआईबेएफ	6.0	150	सैक्टर 19	—	24.04.2001	बादली	3660	अप्रैल 01
14.	पश्चिम-II	आरजी-II	25.04.2001	1200	6.5 पीआईबेएफ	1.5	800	नजफगढ़ नाला	—	26.04.2001	पंखाकलाम	1800	अप्रैल 01
15.	पश्चिम-II	आरजी-II	25.04.2001	800	6.5 पीआईबेएफ	1.5	400	नजफगढ़ नाला	—	26.04.2001	पंखाकलाम	1500	अप्रैल 01
16.	दक्षिण -I	एचकेएस	26.04.2001	1200	6.5 बेएफ	23.0	850	बुध विहार	—	26.04.2001	बुध विहार	36800	अप्रैल 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	पश्चिम-I	नजफगढ़	27.04.2001	400	6.5 पीआईबेएफ	6.0	250	दिल्ली कैन्ट	—	28.04.2001	नजफगढ़	2700	अप्रैल 01
18.	पश्चिम-I	नजफगढ़	27.04.2001	100	6.5 पीआईबेएफ	9.0	50	नंगलोई रोड	—	28.04.2001	नजफगढ़	2250	अप्रैल 01
19.	पश्चिम-I	नजफगढ़	27.04.2001	20	6.5 पीआईबेएफ	5.0	4	नंगलोई रोड	—	28.04.2001	नजफगढ़	400	अप्रैल 01
1.	पश्चिम-I	नजफगढ़	01.05.2001	50	6.5	5.0	18	मित्राऊ गांव	—	01.05.2001	नजफगढ़	875	मई 01
2.	पश्चिम-I	नजफगढ़	01.05.2001	10	6.5	50.0	2	मित्राऊ गांव	—	01.05.2001	नजफगढ़	2500	मई 01
3.	पश्चिम-I	नजफगढ़	02.05.2001	100	6.5	4.0	14	गीता डेरी रोड	—	03.05.2001	नजफगढ़	1000	मई 01
4.	पश्चिम-I	नजफगढ़	07.05.2001	400	6.5	6.0	200	छावला ब्रिज	—	08.05.2001	कापसहेड़ा	4131	मई 01
5.	पश्चिम-I	नजफगढ़	07.05.2001	200	6.5	6.0	150	छावला ब्रिज	—	08.05.2001	कापसहेड़ा	2940	मई 01
6.	उत्तर-II	बादली	07.05.2001	50	6.5	65.0	10	गंदा नाला बेस रोड	—	08.05.2001	बादली	6110	मई 01
7.	उत्तर-II	बादली	07.05.2001	50	6.5	250.0	30	मुखमेलपुर रोड, सिरसपुर	303	08.05.2001	बादली	23500	मई 01
8.	उत्तर-II	बी.डी.एल.	08.05.2001	800	6.5	3.0	750	बवाना रोड	311	12.05.2001	प्रशांत विहार	3150	मई 01
9.	उत्तर-II	बी.डी.एल.	08.05.2001	800	10	—	550	बवाना रोड	—	08.05.2001	प्रशांत विहार	0	मई 01
10.	दक्षिण-I	बीसीपी	09.05.2001	1200	6.5	16.0	851	सैक्टर 8, 9, व 12	—	09.05.2001	से. 12 आर.के. पुरम	20400	मई 01
11.	दक्षिण-I	बीसीपी	09.05.2001	1200	6.5	5.0	820	सैक्टर 8, 9, व 12	—	09.05.2001	से. 12 आर.के. पुरम	7000	मई 01
12.	पश्चिम-II	केजेएल	09.05.2001	800	6.5	20.0	450	घेवरा गंझावला	—	09.05.2001	कंझावला	20000	मई 01
13.	पश्चिम-I	एनजेएफ	15.05.2001	400	6.5	4.0	300	झरोदा आरडी	—	16.05.2001	नजफगढ़	2000	मई 01
14.	दक्षिण-I	बीसीपी	21.05.2001	800	6.5	15.0	426	सैक्टर-12 आर.के. पुरम	—	21.05.2001	से. 2 आर.के. पुरम	14400	मई 01
15.	उत्तर-II	एनआरएल	25.05.2001	200	6.5	22.0	70	शापुर डेबरी	—	25.05.2001	नरेला डीएसपीडीएस	6000	मई 01
1.	जंपो-डांसां	—	03.06.2001	800	10	41.0	—	एम/एच सं. 208 व 209 हवेली आरडी के बीच	—	03.06.2001	संसद एसटी	20000	जून 01
2.	टीवाई	वाईवीआर	11.06.2001	1200	6.5 पीआईबेएफ	20.0	200	आईएसटी पुस्ता से एच मंदिर सोनिया विहार	—	12.06.2001	सोनिया विहार	653	जून 01
3.	टीवाई	वाईवीआर	15.06.2001	1200	6.5 बेएफ	30.0	200	आईएसटी पुस्ता से एच मंदिर सोनिया विहार	—	16.06.2001	सोनिया विहार	9000	जून 01
4.	टीवाई	वाईवीआर	16.06.2001	100	6.5 बेएफ	20.0	2	आईएसटी पुस्ता से एच मंदिर सोनिया विहार	—	16.06.2001	सोनिया विहार	4094	जून 01
5.	एस-II	ओखला	24.06.2001	1200	4 बेएफ	40.0	71	मथुरा रोड पर फ्रैंड्स कालोनी	—	25.06.2001	न्यू फ्रैंड्स कालोनी सीएलवाई	6457	जून 01
1.	एस-II	ओखला	02.07.2001	200	6.5 बेएफ	12.0	0	किलोकरी बस स्टैंड रिंग रोड के पास	—	02.07.2001	सनलाइट सीएलवाई	4000	जुलाई 01
2.	एस-II	ओखला	02.07.2001	400	6.5 बेएफ	12.0	0	किलोकरी बस स्टैंड रिंग रोड के पास	—	02.07.2001	सनलाइट सीएलवाई	8000	जुलाई 01
3.	एस-II	ओखला	02.07.2001	800	6.5 बेएफ	12.0	0	किलोकरी बस स्टैंड रिंग रोड के पास	—	02.07.2001	चौकी मटियाला	10362	जुलाई 01
4.	पश्चिम-I	डी डब्ल्यू आर	02.07.2001	200	6.5 बेएफ	25.0	30	डीडीए फ्लैट्स से. XII	—	02.07.2001	चौकी मटियाला	3125	जुलाई 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	पश्चिम-I	डी डब्ल्यू आर	02.07.2001	50	6.5 जेएफ	45.0	20	जेजे कालोनी से.-III	—	02.07.2001	डी.बी. गुप्ता रोड	4375	जुलाई 01
6.	पूर्व	आईडी	04.07.2001	400	4 जेएफ	15.0	140	एनआरओएच आरडी पर क्रासिंग का कार्नर	—	05.07.2001	नरेला	7200	जुलाई 01
7.	उत्तर-II	एनआरएल	05.07.2001	800	6.5 जेएफ	5.0	350	डीएसआईडीसी नरेला	—	16.07.2001	पंजाबी बाग	5250	जुलाई 01
8.	पश्चिम-II	आरजी-II	16.07.2001	1600	4 जेएफ	6.0	1100	नजफगढ़ नाला	—	16.07.2001	बवाना	9000	जुलाई 01
9.	उत्तर-II	बादली	17.07.2001	400	10 जेएफ	8.0	300	राव धरम कांटे के पास	—	18.07.2001	बवाना	8000	जुलाई 01
10.	उत्तर-II	बादली	17.07.2001	100	6.5 जेएफ	8.0	80	राव धरम कांटे के पास	—	18.07.2001	द्वारका	2000	जुलाई 01
11.	पश्चिम-I	डी डब्ल्यू आर	24.07.2001	0	—	—	—	सै. 19, 20 द्वारका	—	24.07.2001	तिलक नगर	5100	जुलाई 01
12.	पश्चिम-II	आरजी-I	25.07.2001	1200	6.5 जेएफ	5.0	900	सुभाष नगर	—	25.07.2001	नरेला	6000	जुलाई 01
13.	उत्तर-II	एन आर एल	28.07.2001	200	6.5 जेएफ	20.0	150	डीएसआईडीसी नरेला	—	28.07.2001	बादली	10000	जुलाई 01
14.	उत्तर-II	बादली	29.07.2001	2400	4 जेएफ	5.0	2300	एम/एच 101बी यमुना नहर के ऊपर	—	29.07.2001	बादली	18000	जुलाई 01
15.	उत्तर-II	बादली	29.07.2001	1600	4 जेएफ	5.0	400	एम/एच 101बी यमुना नहर के ऊपर	—	29.07.2001	बादली	14000	जुलाई 01
16.	उत्तर-II	बादली	29.07.2001	800	4 जेएफ	5.0	1500	एम/एच 101बी यमुना नहर के ऊपर	—	29.07.2001	नरेला	8000	जुलाई 01
17.	उत्तर-II	बादली	29.07.2001	800	4 जेएफ	5.0	750	एम/एच 101बी यमुना नहर के ऊपर	—	6.9.2001	डीबीजी आरडी	8000	जुलाई 01
1	उत्तर-II	नरेला	01.09.2001	10	6.5 जेएफ	40.0	3	सिंघु बीडीआर के पास पुलिसा	—	6.9.2001	अंबेडकर नगर	1600	सितम्बर 01
2.	पूर्व	इदगाह	4.9.2001	200	6.5 जेएफ	30.0	—	फैज़ आरडी	—	5.9.2001	अंबेडकर नगर	8346	सितम्बर 01
3.	दक्षिण-II	एनपीएस	5.9.2001	1200	6.5 जेएफ	5.0	225	चिराग दिल्ली	—	5.9.2001	अंबेडकर नगर	5424	सितम्बर 01
4.	दक्षिण-II	एनपीएस	5.9.2001	1200	6.5 जेएफ	5.0	225	चिराग दिल्ली	—	5.9.2001	अंबेडकर नगर	5424	सितम्बर 01
5.	दक्षिण-II	एनपीएस	5.9.2001	800	6.5 जेएफ	5.0	226	चिराग दिल्ली	—	5.9.2001	अंबेडकर नगर	5424	सितम्बर 01
6.	दक्षिण-II	एनपीएस	5.9.2001	200	6.5 जेएफ	5.0	226	चिराग दिल्ली	—	5.9.2001	डी कैंट	5424	सितम्बर 01
7.	पश्चिम-II	दिल्ली कैंट	5.9.2001	400	4.0 जेएफ	2.5	250	एम/एच सं. 210 रेलवे क्रासिंग जीआरडी के पास	—	5.9.2001	डी कैंट	992	सितम्बर 01
8.	पश्चिम-II	दिल्ली कैंट	5.9.2001	800	4.0 जेएफ	2.5	400	एम/एच सं. 210 रेलवे क्रासिंग जीआरडी के पास	—	5.9.2001	डीबीबी आरडी	2224	सितम्बर 01
9.	पूर्व	इदगाह	11.9.2001	400	4.0 जेएफ	10.0	50	फैज रोड	—	12.9.2001	डीबीबी रोड	4800	सितम्बर 01
10.	उत्तर-II	नरेला	11.9.2001	400	6.5 जेएफ	4.0	363	पुलिस डीडीए फ्लैट	—	11.9.2001	डीबीबी रोड	2000	सितम्बर 01
11.	पूर्व	इदगाह	22.9.2001	100	6.5 जेएफ	16.0	900	झंडेवालन रोड	—	24.9.2001	डीबीबी रोड	20880	सितम्बर 01
12.	पूर्व	इदगाह	22.9.2001	200	6.5 जेएफ	10.0	120	झंडेवालन रोड	—	24.9.2001	डीबीबी रोड	2782	सितम्बर 01
13.	पूर्व	इदगाह	22.9.2001	100	6.5 जेएफ	30.0	150	झंडेवालन रोड	—	24.9.2001	डीबीबी रोड	7900	सितम्बर 01
14.	दक्षिण-II	बीसीपी	24.9.2001	400	6.5 जेएफ	8.0	250	बी 5, 6 एसबे एन्क्लेव	—	24.9.2001	एस नगर	7875	सितम्बर 01
15.	दक्षिण-II	बीसीपी	24.9.2001	400	6.5 जेएफ	8.0	245	बी 5, 6 एसबे एन्क्लेव	—	24.9.2001	एस नगर	7875	सितम्बर 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वेस्न-केबल	ओकेएच-जेपी	2.10.2001	800	10.0	3.0	—	निजामुद्दीन के पास लोदी रोड का कार्नर आईआईटी गेट	—	8.10.2001	निजामुद्दीन	1500	अक्तूबर 01
2.	जेएन-केबल	एटचके-वीके	6.10.2001	800	10.0	6.0	—	आईआईटी गेट	—	6.10.2001	हौजखास	9000	अक्तूबर 01
3.	जेएन-केबल	ओकेएच-जेपी	8.10.2001	800	10.0	3.0	—	निजामुद्दीन के पास लोदी रोड का कार्नर	—	8.10.2001	निजामुद्दीन	1500	अक्तूबर 01
4.	पश्चिम-2	राजोरी गार्डन-1	10.10.2001	1000	6.5 पीआईजेएफ	12.0	75	टैगोर पार्क	—	10.10.2001	आरजीडीएन	9600	अक्तूबर 01
5.	पश्चिम-2	हरीनगर	11.10.2001	200	6.5 पीआईजेएफ	10.0	50	प्रताप नगर	—	12.10.2001	एच नगर	5000	अक्तूबर 01
6.	पश्चिम-2	हरीनगर	11.10.2001	200	6.5 पीआईजेएफ	10.0	75	प्रताप नगर	—	12.10.2001	एच नगर	5000	अक्तूबर 01
7.	पश्चिम-2	हरीनगर	20.10.2001	200	6.5 पीआईजेएफ	10.0	50	प्रताप नगर	—	20.10.2001	एच नगर	7000	अक्तूबर 01
8.	पश्चिम-2	हरीनगर	20.10.2001	200	6.5 पीआईजेएफ	10.0	75	प्रताप नगर	—	20.10.2001	एच नगर	6500	अक्तूबर 01
9.	पश्चिम-2	हरीनगर .	20.10.2001	200	6.5 पीआईजेएफ	10.0	60	प्रताप नगर	—	12.10.2001	एच नगर	6500	अक्तूबर 01
10.	टीआरवाई	एमवीआर	24.10.2001	1200	6.5 पीआईजेएफ	8.0	910	जिला डीडब्ल्यू जिला के पास	—	25.10.2001	एन अशोक नगर	26000	अक्तूबर 01
1.	पश्चिम-1	जे के पी	4.11.2001	400	6.5 जेएफ	3.0	192	एम न सं. 501 डीजेए-8जेकेपी के पास	—	4.11.2001	मायापुरी	2500	नवम्बर 01
2.	पश्चिम-1	जे के पी	4.11.2001	800	6.5 पीजे	3.0	289	-वही-	—	4.11.2001	मायापुरी	2500	नवम्बर 01
3.	टी/यमुना	ईएलआर	5.11.2001	1000	6.5 जेएफ	400.0	0	ईएलआर एक्स कम्पाउंड डीडीए मार्किट एलआरडी	336/01	19.11.2001	मानसरोवर पार्क	35122	नवम्बर 01
4.	उत्तर 2	बादली	5.11.2001	800	6.5 जेएफ	15.0	500	नए निर्मित डीडी-फ्लैट्स 18 आर एम	—	5.11.2001	बादली	50000	नवम्बर 01
5.	दक्षिण 2	एस विहार	11.11.2001	1200	6.5 जेएफ	14.0	1000	नाला जैतपुर एम रोड के पास	—	12.11.2001	बीडीआर	21000	नवम्बर 01
6.	दक्षिण 2	ओकेएच	11.11.2001	800	6.5 पीजे	12.0	510	राष्ट्रीय लघु उद्योग ओकेएच 3	—	12.11.2001	ओआईए-3	14000	नवम्बर 01
7.	टी/यमुना	वाई विहार	15.11.2001	160	4.0 जेएफ	3.0	700	सोनिया विहार पुश्ता	—	15.11.2001	खजूरी खास	44500	नवम्बर 01
8.	पश्चिम 1	डी कैंट	16.11.2001	400	4.0 जेएफ	3.0	400	करिअप्पा विहार	—	16.11.2001	डी कैंट	2000	नवम्बर 01
9.	पश्चिम 2	आर गार्डन	17.11.2001	1200	6.5 जेएफ	4.0	1050	सुभाष नगर, क्रासिंग	—	17.11.2001	तिलक नगर	3600	नवम्बर 01
10.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	18.11.2001	1200	4.0 जेएफ	50.0	800	से. 8 डीडब्ल्यूआर के पास	—	18.11.2001	डी डब्ल्यू आर	45000	नवम्बर 01
11.	पश्चिम 1	डी कैंट	19.11.2001	1200	4.0 जेएफ	3.0	1150	एम/एच सं. 8 थिम्मया पार्क	—	19.11.2001	डी कैंट	7500	नवम्बर 01
12.	टी/यमुना	ईएलआर	19.11.2001	50	6.5 जेएफ	18.4	—	ईएलआर एक्स कम्पाउंड डीडीए मार्किट एलआरडी	336/01	19.11.2001	मानसरोवर पार्क	1744	नवम्बर 01
13.	उत्तर 1	एसएनई	19.11.2001	1200	6.5 जेएफ	8.0	780	जीटीके आरडी लाल का मस्जिद के सामने	—	20.11.2001	मॉडल टाउन	12044	नवम्बर 01
14.	उत्तर 1	एसएनई	19.11.2001	1200	6.5 जेएफ	8.0	695	-वही-	—	20.11.2001	मॉडल टाउन	12044	नवम्बर 01
15.	केन्द्र-केबल	एन-एसएचडी	20.11.2001	800	10.0	30.0	—	यमुना स्पोर्ट कम्प. एनएच 324 के पास	—	20.11.2001	आनंद विहार	15000	नवम्बर 01
16.	उत्तर	बादली	22.11.2001	800	6.5 जेएफ	13.0	500	राजा राम सोसायटी से 18 के पास	—	22.11.2001	बादली	48000	नवम्बर 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	जेएन-केबल	एनपी-टीडीबी	22.11.2001	200	10.0	14.0	—	जामिया हमदर्द अस्पताल के पास	—	22.11.2001	अम्बेडकर नगर	7000	नवम्बर 01
18.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	24.11.2001	1200	4.0 जेएफ	5.0	810	से. 8 डी डब्ल्यू आर के पास	—	24.11.2001	डी डब्ल्यू आर	10000	नवम्बर 01
19.	पश्चिम 2	आर गार्डन 1	28.11.2001	400	6.5 पीजे	10.0	210	सुभाष नगर क्रासिंग	—	28.11.2001	तिलक नगर	4000	नवम्बर 01
1.	पश्चिम 2	आरजी 1	5.12.2001	400	6.5 जेएफ	6.0	201	सुभाष नगर क्रासिंग	—	5.12.2001	तिलक नगर	2400	दिसम्बर 01
2.	टी-यमुना	वाईवीआर	6.12.2001	200	6.5 जेएफ	11.0	175	सोनिया विहार	—	7.12.2001	सोनिया विहार	3000	दिसम्बर 01
3.	दक्षिण-II	तेहखंड	8.12.2001	600	6.5 जेएफ	17.0	330	ब्लाइंड स्कूल एमबी आरडी के पास	—	8.12.2001	ओकेएच आइएनडीयू एरिया	13600	दिसम्बर 01
4.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	8.12.2001	400	6.5 जेएफ	20.0	50	से. 13 डी डब्ल्यू एल नाले के पास केबल	—	8.12.2001	मातियाला चौक	9000	दिसम्बर 01
5.	यमुना विहार	वाईवीआर	10.12.2001	200	6.5 जेएफ	10.0	175	सोनिया विहार	—	11.12.2001	सोनिया विहार	2720	दिसम्बर 01
6.	पश्चिम-1	केबीडब्ल्यू	11.12.2001	800	4.0 जेएफ	17.9	0	केबल स्टोर पांडव नगर	—	11.12.2001	डब्ल्यू पी नगर	11635	दिसम्बर 01
7.	पश्चिम-1	केबीडब्ल्यू	11.12.2001	100	6.5 जेएफ	80.0	—	-वही-	—	11.12.2001	डब्ल्यू पी नगर	12186	दिसम्बर 01
8.	पश्चिम-1	केबीडब्ल्यू	11.12.2001	200	6.5 जेएफ	86.0	—	-वही-	—	11.12.2001	डब्ल्यू पी नगर	20614	दिसम्बर 01
9.	दक्षिण-II	सरिता विहार	12.12.2001	100	6.5 जेएफ	10.0	95	नाला ब्रिज बीटीपीएस	—	13.12.2001	बदरपुर	1580	दिसम्बर 01
10.	जेएन-केबल	ओकेएच-एसवीआर	15.12.2001	200	10.0	5.0	—	काल्का मोड ओवर इन एम/एच 3-5 के पास	—	15.12.2001	न्यू फ्रेंडस कालोनी	2500	दिसम्बर 01
11.	टी-यमुना	वाईवीआर	16.12.2001	1600	4.0 जेएफ	7.0	700	सोनिया विहार	—	19.12.2001	सोनिया विहार	10500	दिसम्बर 01
12.	जेएन-केबल	एलसी-जीएचटी	19.12.2001	14	—	15.0	0	जमाली कमाली जीआरजी आरडी के पास	—	20.12.2001	महरौली	3000	दिसम्बर 01
13.	पश्चिम 1	पीकेआर	20.12.2001	400	6.5 जेएफ	9.0	250	इंद्रा पार्क तिलक पूल के पास	—	20.12.2001	पू. उत्तम नगर	4527	दिसम्बर 01
14.	दक्षिण 1	हौज खास	20.12.2001	200	6.5 जेएफ	15.0	20	अंधेरिया मोह	—	21.12.2001	महरौली	3000	दिसम्बर 01
15.	दक्षिण 2	ओखला	21.12.2001	400	6.5 जेएफ	46.0	350	पुलिस पोस्ट जामिया नगर के पास	—	22.12.2001	सरिता विहार	25000	दिसम्बर 01
16.	उत्तर-1	एसएनडब्ल्यू	21.12.2001	800	6.5 जेएफ	11.0	740	कनाल, बरी पार्क	85	22.12.2001	एस बाघ	19064	दिसम्बर 01
17.	पश्चिम-1	एनजेएफ	27.12.2001	1200	6.5 जएफ	5.0	0	एम/एच 16ए साई बाबा मंदिर के पास	—	27.12.2001	एनजेएफ	7500	दिसम्बर 01
18.	दक्षिण-II	ओखला	28.12.2001	1200	6.5 जेएफ	11.0	800	मां आनंद माई एम पर मस्जिद के पास	—	28.12.2001	ओकेएच-2	25000	दिसम्बर 01
19.	पश्चिम-1	डी डब्ल्यू आर	29.12.2001	400	6.5 जेएफ	15.0	50	से. 13 डीडब्ल्यूआर पुलिस बूथ के पास	—	29.12.2001	मतियाला चौकी	6800	दिसम्बर 01
20.	पश्चिम-1	एनजेएफ	31.12.2001	1200	6.5 जेएफ	10.0	670	एम/एच सं. 17, 18	—	31.12.2001	एनजेएफ	15000	दिसम्बर 01
21.	पश्चिम-1	एनजेएफ	31.12.2001	200	6.5 जेएफ	45.0	150	गोयला डेयरी आरडी	—	31.12.2001	एनजेएफ	13500	दिसम्बर 01
22.	पश्चिम-1	एनजेएफ	31.12.2001	50	6.5 जेएफ	45.0	15	-वही-	—	31.12.2001	एनजेएफ	5625	दिसम्बर 01
1.	उत्तर 2	नरेला	3.6.2002	200	6.5 जेएफ	6.0	185	मित्तल प्रोप राजीव एसोसिएट्स के पीछे	—	4.6.2002	नरेला	1050	जून 02
2.	पश्चिम 2	आर गार्डन 2	13.6.2002	1200	6.5 जेएफ	11.0	100	रिंग रोड आर/सी के सामने	—	13.6.2002	रघुबीर नगर	15000	जून 02
3.	दक्षिण 2	एस विहार	19.6.2002	1200	6.5 जेएफ	10.0	1080	आश्रम कनाल ब्रिज के बीच अली ब्रिज	—	20.6.2002	बदरपुर	14000	जून 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	19.6.2002	1200	6.5 जेएफ	10.0	480	से. 19, 20 डी डब्ल्यू आर	—	20.6.2002	डी डब्ल्यू आर	10000	जून 02
5.	दक्षिण 2	एस विहार	20.6.2002	800	6.5 जेएफ	9.0	680	आगरा कनाल ब्रिज के बीच अली ब्रिज	—	20.6.2002	बदरपुर	10000	जून 02
6.	दक्षिण 1	सीएचवाई	22.6.2002	1200	6.5 जेएफ	9.0	—	सीएचवाई रेलवे ब्रिज के पास	—	23.6.2002	सरोजनी नगर	15000	जून 02
7.	दक्षिण 1	बीसीपी	28.6.2002	20	6.5 जेएफ	7.0	9	बी-5 एसजे एन्क्लेव	—	29.6.2002	सरोजनी नगर	2537	जून 02
*8.	टीआरवाई	वाईवीआर	28.6.2002	200	6.5 जेएफ	32.0	200	वजीराबाद रोड के साथ सोनिया विहार	—	29.6.2002	एसबीआर	10600	जून 02
1.	उत्तर 2	नरेला	5.7.2002	200	6.5 जेएफ	8.0	75	एनआरबी पंप एएलबी-एनआरएस रोड	—	6.7.2002	नरेला	2021	जुलाई 02
2.	जेएन-केबल	सीएचवाई-बीसीपी	5.7.2002	400	10.0 जेएफ	3.5	0	अफ्रीका एवेन्यू अली फ्लाइ ओवर के पास	—	5.7.2002	सरोजनी नगर	2500	जुलाई 02
3.	उत्तर 2	नरेला	8.7.2002	200	6.5 जेएफ	9.0	185	राजीव ग्रोथ अल्प-एनआरएल रोड के पास	—	8.7.2002	नरेला	2227	जुलाई 02
4.	दक्षिण 1	हौज खास	10.7.2002	1200	6.5 जेएफ	12.0	240	मोड अल प्रेस के पास	—	10.7.2002	साकेत	30000	जुलाई 02
5.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	11.7.2002	200	6.5 जेएफ	65.0	3	सीआरपी कैंप डी डब्ल्यू आर	—	12.7.2002	डी डब्ल्यू आर	17000	जुलाई 02
6.	पश्चिम 1	डी डब्ल्यू आर	18.7.2002	1600	6.5 जेएफ	16.0	—	सागर पुर नल्लाह	—	19.7.2002	डाबरी	15000	जुलाई 02
7.	दक्षिण 2	एनपी 1	18.7.2002	1200	6.5 जेएफ	6.0	235	चिराग दिल्ली नल्लाह	—	19.7.2002	हौज खास	5000	जुलाई 02
8.	दक्षिण 2	एनपी 1	18.7.2002	1200	6.5 जेएफ	6.0	233	-वही-	—	19.7.2002	हौज खास	5000	जुलाई 02
9.	दक्षिण 2	एनपी 1	18.7.2002	1200	6.5 जेएफ	6.0	233	-वही-	—	19.7.2002	हौज खास	5000	जुलाई 02
10.	दक्षिण 2	एनपी 1	18.7.2002	1200	6.5 जेएफ	6.0	233	-वही-	—	19.7.2002	हौज खास	5000	जुलाई 02
11.	दक्षिण 2	एनपी 1	18.7.2002	1200	6.5 जेएफ	6.0	233	-वही-	—	19.7.2002	हौज खास	5000	जुलाई 02
12.	दक्षिण 2	एनपी 1	18.7.2002	1200	6.5 जेएफ	6.0	233	-वही-	—	19.7.2002	हौज खास	5000	जुलाई 02
13.	दक्षिण 2	एसवीआर	22.7.2002	1200	6.5 जेएफ	2.0	880	मदन पुर खादर के पास	—	22.7.2002	सरिता विहार	2700	जुलाई 02
14.	दक्षिण 2	एसवीआर	22.7.2002	1200	6.5 जेएफ	2.0	880	-वही-	—	22.7.2002	सरिता विहार	2700	जुलाई 02
15.	टी यमुना	वाईवीआर	23.7.2002	200	6.5 पीजे	8.0	71	वाईवीआर 2, सोनिया विहार	—	26.7.2002	वाईवीआर	4106	जुलाई 02
16.	टी यमुना	वाईवीआर	23.7.2002	100	6.5 पीजे	8.0	6	-वही-	—	26.7.2002	वाईवीआर	2300	जुलाई 02
17.	पश्चिम 1	डी कैंट	24.7.2002	800	4.0 जेएफ	5.0	284	एम एस मार्ग	—	25.7.2002	सदर बाजार	4870	जुलाई 02
18.	पश्चिम 1	डी कैंट	24.7.2002	800	6.5 जेएफ	5.0	304	-वही-	—	25.7.2002	सदर बाजार	4870	जुलाई 02
19.	पश्चिम 1	डी कैंट	24.7.2002	400	4.0 जेएफ	7.0	230	-वही-	—	25.7.2002	सदर बाजार	4020	जुलाई 02
1.	दक्षिण 1	एचकेएस	6.8.2002	1200	6.5 जेएफ	5.0	900	कटवारिया सराई	—	7.8.2002	हौज खास	11500	अगस्त 02
2.	पश्चिम 2	केजेएल	13.8.2002	800	6.5 जेएफ	28.0	250	कंझावला	—	13.8.2002	कंझावला	20000	अगस्त 02
3.	पश्चिम 2	केजेएल	13.8.2002	10	6.5 जेएफ	28.0	250	-वही-	—	13.8.2002	कंझावला	20000	अगस्त 02
4.	दक्षिण 2	एसवीआर	15.8.2002	800	6.5 जेएफ	4.8	680	आगरा कनाल स्टील ब्रिज के साथ	—	16.8.2002	सरिता विहार	5000	अगस्त 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	दक्षिण 2	एसवीआर	15.8.2002	800	6.5 जेएफ	5.2	740	आगरा कनाल स्टील ब्रिज के साथ	—	16.8.2002	सरिता विहार	5000	अगस्त 02
6	दक्षिण 2	एसवीआर	16.8.2002	400	6.5 जेएफ	5.0	340	-वही-	—	16.8.2002	सरिता विहार	5000	अगस्त 02
7.	टीआरवाई	वाई विहार	22.8.2002	200	6.5 जेएफ	100.0	41	मुख्य रोड वजीराबाद डब्ल्यू पाइप के साथ	—	22.8.2002	यमुना विहार	30916	अगस्त 02
8.	पश्चिम-1	डी कैंट	26.8.2002	800	10.0 जेएफ	10.0	120	एनआईटीसी	—	26.8.2002	सदर बाजार	16000	अगस्त 02
9.	पश्चिम-1	डी कैंट	26.8.2002	200	10.0 जेएफ	3.0	13	एनआईटीसी	—	26.8.2002	सदर बाजार	2000	अगस्त 02
10.	दक्षिण 2	एस विहार	27.8.2002	200	6.5 जेएफ	0.7	170	आगरा कनाल स्टील ब्रिज के साथ	—	28.8.2002	सरिता विहार	195	अगस्त 02
11.	उत्तर 2	नरेला	28.8.2002	200	6.5 जेएफ	10.0	80	पैट्रोल पंप एएलपी-एनआरएल रोड के पास	—	29.8.2002	नरेला	2780	अगस्त 02
1.	दक्षिण-I	एचके	1.9.2002	800	10 जेएफ	8.0	560	कारमेसी कालेज एमबी रोड के सामने	—	1.9.2002	मालवीय नगर	15000	सितम्बर 02
2.	दक्षिण-I	एचके	12.9.2002	800	10 जेएफ	50.0	560	-वही-	—	13.9.2002	मालवीय नगर	60000	सितम्बर 02
3.	दक्षिण-II	एनपी-II	16.9.2002	800	6.5 जेएफ	7.5	300	कालकाजी विस्तार	—	17.9.2002	कालकाजी	11000	सितम्बर 02
4.	दक्षिण-II	एनपी-II	16.9.2002	1200	6.5 जेएफ	7.5	350	-वही-	—	17.9.2002	कालकाजी	11000	सितम्बर 02
5.	दक्षिण-II	एनपी-III	16.9.2002	2400	4 जेएफ	7.5	350	-वही-	—	17.9.2002	कालकाजी	11375	सितम्बर 02
6.	दक्षिण-II	एसवीआर	17.9.2002	200	6.5 जेएफ	1.0	150	टैक्सी स्टैंड बीटीपीएस बदरपुर के पास	—	18.9.2002	बदरपुर	250	सितम्बर 02
7.	दक्षिण-II	एसवीआर	17.9.2002	200	6.5 जेएफ	1.5	150	-वही-	—	18.9.2002	बदरपुर	200	सितम्बर 02
8.	दक्षिण-II	एसवीआर	17.9.2002	100	6.5 जेएफ	3.5	75	-वही-	—	18.9.2002	बदरपुर	750	सितम्बर 02
9.	दक्षिण-II	एसवीआर	17.9.2002	100	6.5 जेएफ	3.5	60	-वही-	—	18.9.2002	बदरपुर	600	सितम्बर 02
10.	उत्तर-II	एनआरएल	21.9.2002	200	6.5 जेएफ	2.0	200	डीडीए लैब नरेला के पास	—	23.9.2002	नरेला	2261	सितम्बर 02
11.	उत्तर-II	एनआरएल	21.9.2002	800	6.5 जेएफ	3.0	800	-वही-	—	23.9.2002	नरेला	5000	सितम्बर 02
12.	टीवाई	एमवीआर-I	24.9.2002	1600	4 जेएफ	5.0	1400	मुख्य दिल्ली नोएडा रोड पर, एमवीआर-1	—	25.9.2002	मयूर विहार	21500	सितम्बर 02
13.	उत्तर-II	एनआरएल	29.9.2002	200	6.5 जेएफ	7.0	80	पैट्रोल पंप एएलपी-एनआरएल रोड के पास	—	29.9.2002	नरेला	3000	सितम्बर 02
1.	पश्चिम-I	डीसी	4.10.2002	400	6.5 जेएफ	2.0	250	क्रिबी प्लेस	—	4.10.2002	सदर बाजार	3500	अक्तूबर 02
2.			21.10.2002	400	10 जेएफ	12.0	—	पूर्वी कोर्ट का स्टोर	—	22.10.2002	कनाट प्लेस	8784	अक्तूबर 02
3.	एसएन-डब्ल्यूआर	एसएन-आरएचएन-III	23.10.2002	400	10 जेएफ	46.0	—	अशोक विहार रोड नहर पर ब्रिज	—	24.10.2002	अशोक विहार	19918	अक्तूबर 02
1.	पश्चिम-I	डीसी	4.10.2002	400	6.5 पीआईजेएफ	2.0	250	क्रिबी प्लेस	—	4.10.2002	सदर बाजार	3500	अक्तूबर 02
2.	पश्चिम-I	डीसी	21.10.2002	400	10 पीआईजे	12.0	250	पूर्वी कोर्ट का स्टोर	—	22.10.2002	कनाट प्लेस	8784	अक्तूबर 02
3.	पश्चिम-I	डीसी	23.10.2002	400	10 पीआईजे	46.0	250	ए/बी रोड नहर के पास	—	24.10.2002	अशोक विहार	19918	अक्तूबर 02
1.	पश्चिम-II	केजेएल	17.12.2002	200	6.5 पीआईजे	13.0	54	कराला मदनपुर गांव	—	18.12.2002	कंझावला	9000	दिसम्बर 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	पश्चिम-I	एनजेएफ	18.1.2003	1200	6.5 जेएफ	10.0	700	एनजेएफ झमता रोड बीडीओ कार्यालय के पास	—	18.1.2003	एनजेएफ	15000	जनवरी 03
2.	पश्चिम-I	द्वारका	24.1.2003	1200	4 जेएफ	5.0	800	वशिष्ट पार्क सागरपुर	—	24.1.2003	डाबरी	10000	जनवरी 03
3.	पूर्व	इदगाह	25.1.2003	1200	6.5 जेएफ	5.0	850	इन डक्ट एनआर बीवाई नर्सरी आई/डी एक्सचेंज	—	25.1.2003	सिद्धिपुरा	5840	जनवरी 03
4.	पूर्व	इदगाह	25.1.2003	2000	4 जेएफ	5.0	1000	इन डक्ट एनआर बीवाई नर्सरी आई/डी एक्सचेंज	—	25.1.2003	सिद्धिपुरा	9245	जनवरी 03
5.	पश्चिम-I	एनजेएफ	29.1.2003	400	6.5 जेएफ	45.0	135	दिचाऊ कलन एनजेएफ एनजीएल आरडी	—	29.1.2003	एनजेएफ	12560	जनवरी 03
6.	पश्चिम-I	एनजेएफ	29.1.2003	100	6.5 जेएफ	23.0	120	दिचाऊ कलन एनजेएफ एनजीएल आरडी	—	29.1.2003	एनजेएफ	2300	जनवरी 03
1.	दक्षिण-I	हौज खास	1.3.2003	88	10 पीजे	12.0	300	बस स्टाप बिका सराई के पीछे	—	1.2.2003	हौज खास	12000	फरवरी 03
2.	पश्चिम-II	जेकेएल	9.2.2003	800	10 जेएफ		300	भेवरा गांव का नाला	—	10.2.2003	कंझावला	25000	फरवरी 03
3.	उत्तर-I	एसएनई-I	21.2.2003	400	6.5 जेएफ	17.0	150	गांधी विहार	—	21.2.2003	तिमारपुर	12700	फरवरी 03
4.	उत्तर-I	एसएनई-I	28.2.2003	400	6.5 जेएफ	15.0	150	गांधी विहार	—	28.2.2003	तिमारपुर	10650	फरवरी 03
1.	केन्द्रीय	एलआर	1.3.2003	800	6.5 पीआईजीएफ	1.5	430	खुसरो पार्क ओबराय फ्लाई ओवर के पास	—	1.3.2003	एचवीडएन	15000	मार्च 03
2.	पश्चिम-I	एनजेएफ	14.3.2003	400	6.5 पीआईजीएफ	90.0	145	खेड़ा मोड से ढांसा रोड	—	14.3.2003	एनजेएफ	48150	मार्च 03
3.	पश्चिम-I	एनजेएफ	14.3.2003	200	6.5 पीआईजीएफ	180.0	100	मित्राऊ कैअर व गोपाल नगर	—	14.3.2003	एनजेएफ	50040	मार्च 03
4.	पश्चिम-I	एनजेएफ	14.3.2003	100	6.5 पीआईजीएफ	90.0	100	गोपाल नगर मुंदेला गांव	—	14.3.2003	एनजेएफ	14220	मार्च 03
5.	दक्षिण-I	एचकेएस	21.3.2003	200	6.5 पीआईजीएफ	13.0	35	महरौली अशोका मिशन के पास	—	21.3.2003	महरौली	8000	मार्च 03
6.	पश्चिम-I	डी डब्ल्यू आर	21.3.2003	1200	6.5 पीआईजीएफ	30.0	700	एमएच 07 से.-8 नाला एम/एपीटीटी	—	21.3.2003	डी डब्ल्यू आर	40000	मार्च 03
7.	पश्चिम-I	डी डब्ल्यू आर	21.3.2003	800	6.5 पीआईजीएफ	30.0	300	एमएच 07 से.-8 नाला एम/एपीटीटी	—	21.3.2003	डी डब्ल्यू आर	32000	मार्च 03

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार करना

4697. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की यातायात योग्यता में सुधार करने को प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितना कार्य किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) से (ग) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना खंडों की गुणता में सुधार के लिए वर्ष 1999-2000 से एक कार्यक्रम शुरू किया है। गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 21,752 कि.मी. में गुणता सुधार किया गया है।

सार्स के विरुद्ध लड़ाई

4698. श्रीमती रीना चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में सरकारी अस्पताल जानलेवा सार्स (सीवियर एक्यूट रैस्पिरेटरी सिंड्रोम) पर काबू पाने के लिए तैयार हैं जैसा कि दिनांक 3 अप्रैल, 2003 के "दि हिन्दू" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यपरक स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गंभीर तीव्र श्वसनीय सिन्ड्रोम के उपचार सुविधाओं की अलग से व्यस्था की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने भी ऐसे रोगियों के उपचार के लिए संक्रामक रोग अस्पताल समेत 5 अस्पतालों की पहचान की है।

भूटान और बंगलादेश के साथ व्यापार संधियों में संशोधन

4699. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्रीमती रीना चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-भूटान और भारत-बांग्लादेश के साथ व्यापार संधियों में कोई संशोधन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूटान और बंगलादेश से कतिपय उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात की सीमा इन संशोधनों के माध्यम से निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) व्यापार संधि में इन संशोधनों के द्वारा इन दोनों देशों के किन क्षेत्रों में लाभान्वित होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र पर निर्भरता को कम किया जाना

4700. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक बड़े पत्तनों के रोजगार ढांचे को तर्कसंगत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पत्तनों के कार्यकरण में निजी क्षेत्र पर निर्भरता के स्तर को कम करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) मुख्य पत्तनों में रोजगार संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव मंत्रालय के समक्ष नहीं रखा गया है। तथापि, इस मंत्रालय के अनुरोध पर श्रम मंत्रालय ने महापत्तनों के कार्गो हैंडलिंग आपरेशन के लिए जनशक्ति के यौक्तिकीकरण करने के मामले की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संजीवनी टास्क फोर्स

4701. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अचानक होने वाली दुर्घटना के मामले में तत्काल आपात चिकित्सा सहायता मुहैया करने के लिए ''संजीवनी टास्क फोर्स'' का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस टास्क फोर्स के संचालन के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता और आवश्यक उपकरणों को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) संजीवनी नाम के एक योजना अनुमोदित की गई है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अनिवार्य आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करने के लिए डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल से सम्बन्द्ध पहले से तैयार स्वत: स्पष्ट और कंटेनर आधारित चल अस्पताल एकक स्थापित किया जाएगा।

बिहार में निराशाजनक दूरसंचार सेवा

4702. श्री मंजय लाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार की निराशाजनक दूरसंचार सेवा के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-03 के दौरान जिलावार कितनी शिकायतें मिली हैं और इनमें से अब तक कितनी शिकायतों को दूर किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और राज्य में यदि कोई भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारी है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सी.जी.एच.एस. औषधियों में दवाओं की अनुपलब्धता

4703. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाओं की अनुपलब्धता के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.जी.एच.एस. के अधिकृत केमिस्टों ने सी.जी.एच.एस. को दवाइयों की आपूर्ति करना बंद कर दिया है क्योंकि उनके बकायों का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी सामान्यता औषधालयों से ही दवाएं प्राप्त कर रहे हैं और औषधालय में अनुपलब्ध औषधें इन्डेंट कराकर प्राधिकृत स्थानीय कमिस्टों से प्राप्त कर लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं।

(ग) से (ङ) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय केमिस्टों ने निम्नलिखित औषधालयों को छोड़कर, जिन्होंने 8.2.2003 को संविदा की समय सीमा समाप्त होने के बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा प्रदान किए गए दो महीने की बढ़ाई गई अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया, किसी भी औषधालय को दवाइयों की आपूर्ति बंद नहीं की।

1. आर.के. पुरम, सेक्टर-II डिस्पेंसरी
2. लाजपत नगर
3. जंगपुरा
4. श्रीनिवासपुरी
5. चाणक्यपुरी
6. चित्रगुप्ता रोड
7. गाजियाबाद
8. गुड़गांव

उपर्युक्त औषधालयों के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को संबंधित प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृति वैध नुस्खे के आधार पर खुले बाजार में दवाइयां खरीदने की अनुमति दे दी गई है। ऐसी खरीद के प्रतिपूर्ति दावों का निपटान सेवारत कर्मचारियों के मामले में संबंधित विभाग द्वारा और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनभोगी लाभार्थियों के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

कैंसर, टीबी, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस-बी का उन्मूलन

4704. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में देश में राज्य-वार कैंसर, टीबी, जान्डिस और हेपेटाइटिस-बी से वर्षवार कितने लोगों की मौतें हुई हैं;

(ख) देश में इन रोगों का सामना करने के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उन क्रियाविधियों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की इस संबंध में निगरानी की जाती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में कैंसर, क्षयरोग, पीलिया तथा हेपेटाइटिस-बी के कारण होने वाली मौतों की राज्य-वार संख्या केन्द्रीय आधार पर नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) क्षयरोग कैंसर को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो 1962 से चल रहा है तथा राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जिसे, 1975 में शुरू किया गया था और 1984 -85 में संशोधित किया गया था, के अन्तर्गत नैदानिक तथा उपचार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हैपेटाइटिस-बी टीकाकरण की एक प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की गई है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्रम अधिकारियों के साथ बैठकों तथा समीक्षाओं के माध्यम से सावधिक मानीटरिंग सुनिश्चित की जाती है।

[हिन्दी]

सीजीएचएस लाभार्थियों को उपयोग में लाए जा चुके डायलाइजर मुहैया कराया जाना

4705. **डा. एस. वेणुगोपाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीजीएचएस की अनुमति से अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में डायलिसिस करा रहे गुर्दा रोगियों को अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा उपयोग में लाए जा चुके डायलाइजर मुहैया कराए जा रहे हैं और उन्हें ''स्योर सील'' दवाइयां इंजेक्शन जैसे कतिपय सामान आदि भी लाने को कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्पताल प्राधिकारी सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानदंडों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारित मानदंडों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अस्पताल प्राधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसके उपलब्ध होते ही इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

व्यय में कटौती

4706. **श्री रामदास आठवले:** क्या **उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के भिन्न-भिन्न विभागों और उपक्रमों में प्रचार-प्रसार, विज्ञापन आतिथ्य, कैटरिंग, उद्घाटन समारोह, सेमिनार, सम्मेलन, यात्रा (विदेश यात्रा सहित), एसटीडी और आईएसडी टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों विशेषकर एअर कंडीशनरों और कूलरों के बिजली बिलों, तथा अन्य कार्यालयी व्ययों जैसे विभिन्न मदों में वर्ष-वार कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त मदों में हो रहे व्यय को कम करने के लिए कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग सितम्बर, 2001 को वजूद में आया। तदनुसार संगठन/उपक्रम इसको स्थानांतरित किये गये। तथापि इसके सृजन के पश्चात इस विभाग द्वारा किये गये व्यय की वर्षवार सूचना और इस विभाग के अंतर्गत संगठनों/उपक्रमों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किये गये व्यय के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा आर्थिक उपायों के सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग और इसके संगठनों/उपक्रमों द्वारा व्यय को कम करके न्यूनतम करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग और इसके उपक्रमों/संगठनों द्वारा 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किया गया वर्ष-वार व्यय

(लाख रुपए)

वर्ष	प्रचार और विज्ञापन (एडवोकेसी और क्षमता निर्माण	सेमिनार और सम्मेलन	आतिथ्य और कैटरिंग	दौरे		दूरभाष		विद्युत बिल ए.सी.कूलर इत्यादि	अन्य कार्यालय व्यय (पेट्रोल, पुस्तकें, लेखन सामग्री इत्यादि)
				भारत	विदेश	एसटीडी ट्रंक स्थानीय काल	आईएसडी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2002-03	200.00	0.59	0.40	14.91	—	3.58	—	**	10.13
पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, (एन.ई.सी.) शिलांग									
2000-01	0.83	9.45	2.49	19.00	1.83	16.84	—	1.76	51.96
2001-02	0.73	17.97	6.10	21.98	1.59	11.30	—	4.24	40.25
2002-03	122.25	37.08	8.91	25.00	0.98	9.47	—	6.03	73.38
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामैक) गुवाहाटी									
2000-01	0.62	2.44	—	11.16	—	5.12	—	0.53	19.93
2001-02	—	0.70	—	4.95	—	4.24	—	0.69	15.95
2002-03	1.87	1.66	—	5.47	—	1.96	—	0.45	8.43
पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी), शिलांग									
2000-01	0.36	—	—	12.74	—	4.81	—	3.42	72.74
2001-02	0.68	—	—	13.27	—	5.44	—	4.45	96.38
2002-03	0.72	—	—	15.00	—	6.50	—	5.25	115.00
पूर्वोत्तर वित्त विकास निगम (नेइफी), गुवाहाटी									
2000-01	13.07	8.67	2.85	26.31	—	10.15	—	0.76	77.51
2001-02	7.82	10.99	6.61	21.16	—	12.45	—	1.83	92.39
2002-03	2.53	1.33	6.37	16.30	—	9.20	—	2.73	86.02
सिक्किम खनन निगम (एस.एम.सी.) रंगपो									
2000-01	0.38	—	—	—	—	0.39	—	13.13	9.49
2001-02	0.08	—	—	—	—	0.94	—	15.04	9.79
2002-03	0.46	—	—	—	—	0.53	—	19.24	9.13

* पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का सृजन सितम्बर, 2001 में हुआ और इस विभाग से सम्बन्धित अक्तूबर, 2001 से मार्च 2002 तक सभी व्यय गृह मंत्रालय के बजट से किया गया 11.4.2002 से इस विभाग को अलग से बजट दिया गया।

** विज्ञान भवन सौंध में कार्यरत सभी कार्यालयों (इस विभाग सहित) के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वहन किया जाता है।

घाटे में चल रहे डाकघर

4707. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में डाकघरों को हो रहे नुकसान के विस्तृत ब्यौरे की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाकघरों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) देश के विभिन्न डाकघरों, जिनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के डाकघर भी शामिल हैं, के नुकसान में रहने के कई कारण हैं। अन्य बातों के अलावा, इन कारणों में संचार के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता, धन अंतरण और बैंकिंग सुविधा, कुछ शहरी इलाकों में डाकघरों की इनसे निकटता, डाक परियात में गिरावट आदि शामिल हैं।

(ख) ऐसे डाकघरों को व्यवहार्य बनाने का प्रयास एक निरंतर प्रक्रिया है और विभाग के पास उपलब्ध विकल्पों में कारोबार बढ़ाने के प्रयास करना, ग्राहकों की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप नए उत्पाद और सेवाओं की शुरूआत करना, डाकघर का दर्जा घटाना और डाकघर का नजदीकी डाकघरों में विलयन करना आदि शामिल हैं।

हज यात्रा के संबंध में क्षोभ

4708. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हज यात्रियों ने हज यात्रा के प्रबंधन पर अपना क्षोभ व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षोभ के क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (ग) जी, नहीं। हज प्रबंधन के सिलसिले में कोई रोष नहीं है। कुल 1,16,078 यात्री हज 2003 गए जिनमें से 69,759 यात्री हज समिति के माध्यम से गए। प्रबंधों के किसी पहलू के बारे में व्यक्तिगत शिकायतों की जांच की जाती है और उनका उत्तर दिया जाता है। भारत सरकार नियमित रूप से प्रबंधों की समीक्षा करती है और पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सभी सम्भव सुधार करती है।

पुलों का निर्माण

4709. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया है और विभिन्न राज्यों में कितने पुल निर्माणाधीन हैं और कितने स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि अपर्याप्त थी;

(ग) यदि हां, तो क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) गत तीन वर्षों के दौरान 582 पुलों का निर्माण किया गया, 1286 पुल निर्माणाधीन हैं और 33 पुलों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बी.ओ.टी. आधार पर सड़कों का निर्माण

4710. **श्री विष्णुदेव साय:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीओटी आधार पर सड़क निर्माण संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने सड़क निर्माण पूरे किए गए;

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सहायता और केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली के अंतर्गत कुल लागत पूरी होने के पश्चात् हुए लाभ के कितने प्रतिशत वसूली की जाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) स्कीम के अंतर्गत रा. रा. 6 के रायपुर-दुर्ग खंड को 4 लेन का बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह कार्य सौंप दिया गया है।

रा. रा. 6 पर दुर्ग बाइपास के निर्माण से संबंधित एक अन्य प्रस्ताव बी ओ टी स्कीम के अंतर्गत निष्पादित किया गया है।

मध्य प्रदेश-मध्य प्रदेश राज्य लोक निर्माण विभाग से अब तक 7 बी ओ टी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से कटनी बाइपास के निर्माण का कार्य पहले ही सौंप दिया गया है। शेष 6 कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) 100 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली बी ओ टी परियोजनाओं के लिए 40% तक सब्सिडी उपलब्ध है। रियायत करार को अंतिम रूप दिए जाने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बी ओ टी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

(ग) रियायतग्राही का चयन प्रतियोगी निविदा के आधार पर किया जाता है। प्रतिशत लाभ के संबंध में कोई आंकड़े नहीं दिए जा सकते।

[अनुवाद]

आई.टी.काम-2000

4711. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर में आयोजित आई.टी. काम-2000 में करीब 500 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के लघु और मध्यम दर्जे के साफ्टवेयर उद्यमियों ने इस अवसर का उपयोग साफ्टवेयर क्षेत्र में कारोबार प्राप्त करने में किया;

(ग) यदि हां, तो कितने देशों ने इन क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव किया;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नियमित अंतराल पर ऐसे आई.टी. कॉम आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमित क्षेत्र में कार्य करने वाली बेतार सेवा

4712. श्री सुबोध मोहिते: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. का विचार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में कार्य करने वाली वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) फोन सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आशा है कि यह सेवा नागपुर और अन्य स्थानों में सितंबर 2003 तक शुरू हो जाएगी।

विवरण

विदर्भ क्षेत्र में संस्थापित किए जाने वाले डब्ल्यूएलएल उपस्कर के ब्यौरे

गौण स्विचन क्षेत्र	अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र	क्षमता	प्रकार
नागपुर	नागपुर सिटी	5000 लाइनें	शहरी डब्ल्यूएलएल
	भिवापुर	750 लाइनें	ग्रामीण डब्ल्यूएलएल
	कुही	750 लाइनें	
	बुटीबोरी	750 लाइनें	
	हिंग्ना	750 लाइनें	
	मौदा	750 लाइनें	
	नारखेड़	750 लाइनें	
	उमरेड	750 लाइनें	
अकोला	अकोला	750 लाइनें	
	अकोट	750 लाइनें	
	मंगरूलपुर	750 लाइनें	
	मुर्तिजापुर	750 लाइनें	
	रिसोड	750 लाइनें	
	वाशिम	750 लाइनें	
अमरावती	अमरावती	750 लाइनें	
	दरयापुर	750 लाइनें	

डब्ल्यूएलएल-वायरलेस इन लोकल लूप

तूतीकोरिन गुरु जल संयंत्र

4713. श्री जे.एस. बराड: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तूतीकोरिन गुरु जल संयंत्र की वार्षिक उपलब्धि वर्ष 2000-2001 में 111.6 से घटकर वर्ष 2001-2002 में 98.8% रह गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान इस संयंत्र की क्या उपलब्धियां रहीं; और

(घ) इस संयंत्र का कार्यनिष्पादन बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) किसी भी संयंत्र की वास्तविक उपलब्धि उस संयंत्र के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर, जिसमें दो वर्ष के दौरान संयंत्र की परिचालन अवधि, बाह्य और आंतरिक कारणों की वजह से संयंत्र को अप्रत्याशित रूप से बंद करना और पूर्वानुमानित बाधाएं शामिल हैं, को ध्यान में रखने के बाद बताई जाती है, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन फीड गैस और अन्य सुविधाओं को आपूर्ति के लिए मैसर्स सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एस पी आई सी) के निकटवर्ती उर्वरक संयंत्र के अमोनिया संयंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। अत: अमोनिया संयंत्र के परिचालन में किसी भी रूकावट अर्थात् अमोनिया संयंत्र के परिचालन दाब और भार में गिरावट आने से भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान मैसर्स सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एस पी आई सी) के आंतरिक परिचालन और रखरखाव संबंधी समस्याओं की वजह से वार्षिक परिचालन अवधि के बढ़ने के कारण, इस संयंत्र की वार्षिक परिचालन अवधि को बढ़ाया गया था। मैसर्स सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एस पी आई सी) में परिचालन संबंधी समस्याओं के परिणामस्वरूप, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन को मैसर्स सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एस पी आई सी) से कम मात्रा में संश्लेषित फीड गैस उपलब्ध होने के कारण, इस संयंत्र को काफी समय तक कम भार पर चलाया जा रहा था।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान हासिल की गई वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य का 107.6% है।

(घ) इस संयंत्र के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। कार्य-निष्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों और ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाए गए उपायों के परिणामस्वरूप, इस संयंत्र ने लक्षित उत्पादन का 107.6% उत्पादन किया और पिछले वर्ष की तुलना में ऊर्जा की खपत के मामले में विशेष रूप से काफी कटौती की। वर्ष के दौरान अमोनिया परिवर्तक उत्प्रेरक, जिसे बदलना आवश्यक हो गया था, को बदला गया। इसके परिणामस्वरूप, अमोनिया गैस का उत्पादन करने तथा पुन: प्रापण क्षमता और संयंत्र की फीड प्रोसेसिंग की दर में बढ़ोत्तरी हुई है।

अधिनियमों में संशोधन

4714. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवायें अब भी वर्ष 1885 के भारतीय तार अधिनियम और वर्ष 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम द्वारा शासित होती हैं;

(ख) यदि हां, तो ये अधिनियम इस क्षेत्र को संचालित करने हेतु पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में संशोधन/नया विधान लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अभिसारित प्रौद्योगिकियों और बढ़ती हुई सामाजिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य में उभरने वाली प्रौद्योगिकियों का पूर्णत: लाभ उठाने के लिए अगस्त, 2001 में लोक सभा में "संचार अभिसारिता विधेयक 2001" नामक एक विधेयक पेश किया गया है।

बंदरगाहों के कर्मचारियों/कामगारों हेतु प्रशिक्षण संस्थान

4715. श्री परसुराम माझी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख बंदरगाहों के कर्मचारियों/कामगारों के लिए किसी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके लिए विशेषकर उनके विकास के लिए ऐसे किसी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (घ) महापत्तनों के अधिकारियों/स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्थान नामत: राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान, चेन्नई तथा भारतीय पत्तन प्रबंध संस्थान कोलकाता मौजूद हैं। इन संस्थानों द्वारा

अधिकारियों/स्टाफ की बेहतरी के लिए दक्षता तथा जानकारी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जहां तक कामगारों को प्रशिक्षण देने का संबंध है, चेन्नई, मुम्बई, विशाखापत्तनम तथा जवाहरलाल नेहरू महापत्तनों में पूर्णरूपेण प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध हैं। अन्य पत्तनों में कामगारों के प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्रकोष्ठ हैं।

[हिन्दी]

सिंगापुर के प्रधान मंत्री की यात्रा

4716. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चर्चा के दौरान भारत के विरुद्ध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा भी उठा; और

(च) यदि हां, तो सिंगापुर के प्रधान मंत्री का इस मुद्दे पर क्या रूख रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) श्री गोह चोक टोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री 7-9 अप्रैल, 2003 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। चर्चा में आम हित-चिन्ता के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसले शामिल थे।

(ग) और (घ) एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग करार तथा नए आसियान देशों के लिए एक तृतीय देश प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न करने संबंधी आशय की एक घोषणा पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ङ) और (च) दोनों पक्षों ने हमारे पड़ोस सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उभरती हुई चुनौती पर विचारों का आदान-प्रदान किया था।

[अनुवाद]

संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय संबंध

4717. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री जी.एम. बनातवाला:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल में कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि का अनुसरण करते हुए यू.ए.ई. सरकार ने कुछ वांछित अपराधियों को भारत को सौंपने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इन अपराधियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध किस तरह की शिकायतें दर्ज हैं;

(ङ) क्या प्रत्यर्पण/सौंपने संबंधी ऐसे ही अनुरोध अन्य देशों में भी लंबित हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सम्पन्न करारों में संस्कृति, दोहरे कराधान के परिहार, प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता एवं सिविल और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता शामिल हैं।

(ग) और (घ) भारत द्वारा वांछित निम्नलिखित भगौड़े अपराधियों को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्वासित किया गया है न कि प्रत्यर्पित किया गया है:-

अपराधियों के नाम	आरोप	कब निर्वासित किया
1	2	3
अफताब अंसरी	कोलकोता में यू एस आई एस कार्यालय में बम डालने में शामिल	02/2002

1	2	3
राजेन्द्र कुमार	उपर्युक्त मामले में साझीदार	02/2002
मुत्तप्पा राय	संगठित अपराध	05/2002
रहमान इमरान खान	घाटकोपर बम विस्फोट काण्ड में शामिल	01/2003
मोहम्मद एल्ताफ	घाटकोपर बम विस्फोट में काण्ड में साझीदार	01/2003
रविन्द्र रस्तोगी	आर्थिक अपराध	02/2003
इजाज पठान	मुम्बई में 1993 के बम विस्फोट में शामिल	02/2003
इकबाल हसन शेख	संगठित अपराध और अन्य अपराध	02/2003
मुस्तफा मोहम्मद उमर दोसा उर्फ मुस्तफा मजनू सेठ	1993 के मुम्बई बम विस्फोट के सिलसिले में वांछित	03/2003

(ङ) और (च) विदेशों में लंबित प्रत्यर्पण के अनुरोधों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

नाम	अपराध	प्रार्थित राज्य
दाऊद इब्राहिम	आतंकवाद	संयुक्त राज्य अमीरात
यिया सिंह राजन अरुणामुगम	आपराधिक षडयंत्र तथा धोखाधड़ी	यू के
जय चन्द्रन थंविंयन	आपराधिक षडयंत्र तथा धोखाधड़ी	यू के
रजत उर्फ रोजर नायर	धोखाधड़ी	कनाडा
छोटा राजन	आपराधिक षडयंत्र, हत्या और लूटमार	थाईलैंड
एम. वर्थला राजू उर्फ एम पी राजा	वित्तीय अपराध	फ्रांस
ओटाविओ क्वात्रोची	बोफोर्स काण्ड	मलेशिया
अबू सलेम अब्दुल क्योम अंसारी	मुम्बई बम विस्फोट	पुर्तगाल
मोनिका बेदी	धोखाधड़ी और छल	पुर्तगाल
सिन्नी सिंह	अपहरण	यू एस ए
जंग बहादुर सिंह	आपराधिक षडयंत्र तथा धोखाधड़ी	यू के
चेतन एम. जोगलेकर	आपराधिक षडयंत्र तथा धोखाधड़ी	यू एस ए
अमरिन्द्र नाथ घोष	आपराधिक षडयंत्र तथा धोखाधड़ी	जर्मनी
नरेन्द्र कुमार रस्तोगी	आपराधिक षडयंत्र तथा धोखाधड़ी	यू एस ए

प्रति व्यक्ति व्यय में गिरावट

4718. श्री वी. वेद्रिसेलवन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल व्यय में गिरावट आ रही है और प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय के संदर्भ में ग्रामीण शहरी विभाजन काफी महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस अंतर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क)

और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार चालू मूल्यों पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों का अनुमानित मासिक प्रति-व्यक्ति उपभोग व्यय निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	मासिक औसत प्रति-व्यक्ति उपभोग व्यय (रु.)		शहरी/ग्रामीण अनुपात
	ग्रामीण	शहरी	
1993-94	281.40	458.00	1.63
1999-2000	486.16	854.93	1.76
2000-2001	494.90	914.57	1.58

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं रोजगार के सृजन हेतु सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) जैसे कार्यक्रम से प्रति-व्यक्ति औसत उपभोग व्यय से संदर्भ में ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

पाक स्थित आतंकवादी संगठन

4719. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों ने हाल ही में बड़ी संख्या में लोगों की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और उनमें भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) पाकिस्तान से संचालित इन आतंकवादी संगठनों के नाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन जम्मू और कश्मीर सहित भारत में आतंकवादी हमले करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती कर रहे हैं।

सीमा-पार से और नियंत्रण रेखा से बड़ी संख्या में जिन आतंकवादियों ने घुसपैठ की उनमें पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान आज विश्व में आतंकवाद का अधिकेन्द्र बन गया है। पाकिस्तान राज्य और उसके अभिकरण आतंकवाद को नीति के एक औजार के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं तथा पड़ोसी देशों सहित अन्यत्र कहीं भी विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए गैर-कानूनी सैनिकों को भर्ती कर रहे हैं तथा उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं।

(ग) ऐसे कई आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र से कार्य कर रहे है जिनमें लश्कर-ए-तोएबा, जैस-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन, हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी, हिजबुल मुजाहिद्दीन आदि शामिल हैं। कई देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने इनमें से कई आतंकवादी संगठनों पर रोक लगा दी है। लश्कर-ए-तोएबा, जैस-ए-मोहम्मद, तथा हरकत-उल-मुजाहिद्दीन सहित आतंकवादी संगठनों को भी पाकिस्तान की सरकार ने गैर-कानूनी घोषित किया है फिर भी वे स्वयं तथा नए नाम से अभी भी गतिविधियां चला रही है।

[अनुवाद]

के.स.स्वा.यो. के औषधालय खोलना

4720. श्रीमती निवेदिता माने:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री मान सिंह पटेल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में आज की तारीख के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कार्यरत एलौपैथिक, आयुर्वेदिक, हौम्योपैथिक और यूनानी पद्धति के औषधालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने यहां और औषधालयों/अस्पताल खोलने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में और ऐसे औषधालय मंत्रालय में राज्य/अस्पताल खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) उत्तरांचल सरकार और उड़ीसा सरकार से क्रमश: देहरादून और भुवनेश्वर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐलौपैथिक और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना प्रस्तावित है। लेकिन, यह धन एवं संसाधनों की उपलब्धता और प्राथमिकताओं की पारस्परिकता के अध्यधीन होगा।

विवरण

प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की संख्या

	एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक	यूनानी
1. गुजरात	5	1	1	–
2. उत्तर प्रदेश	28	4	5	1
3. महाराष्ट्र	45	5	7	–
4. मध्य प्रदेश	4	–	–	–
5. कर्नाटक	10	2	1	1
6. उड़ीसा	1	–	–	–
7. चंडीगढ़	1	–	–	–
8. तमिलनाडु	14	1	1	–
9. दिल्ली	87	13	13	4
10. असम	3	–	–	–
11. आंध्र प्रदेश	14	2	2	2
12. राजस्थान	5	1	1	–
13. पश्चिम बंगाल	17	1	2	1
14. बिहार	5	1	1	–
15. झारखंड	1	–	–	–
16. केरल	3	–	–	–
17. मेघालय	1	–	–	–
कुल	244	31	34	9

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम हेतु सहायता

4721. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों ने भारत को अपने पल्स पोलियो कार्यक्रम को चलाने हेतु 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया है ताकि वर्ष 2005 तक पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो देश में पोलियो उन्मूलन अभियान किस हद तक सफल रहा है;

(ग) क्या सरकार ने जानपदिक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में पोलियो उन्मूलन हेतु कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दाता अभिकरणों की मौजूदा प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त यूरोपियन आयोग ने वर्ष 2003-04 में पोलियो उन्मूलन कार्यकलापों के लिए 10 मिलियन यूरो का अनुदान देने की सहमति व्यक्त की। के.एफ.डब्ल्यू., जो वित्तीय सहायता के लिए एक जर्मनी अभिकरण है, ने भी 7.8 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान करने का वचन दिया है।

यूनाइटिड किंग्डम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से भी वर्तमान वर्ष के दौरान 15 मिलियन अमरीकी डालर का और अनुदान देने के लिए संपर्क किया गया है। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो विश्व बैंक की उदार शर्तों पर ऋण देने वाली शाखा है, से 83.4 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता देने के लिए संपर्क किया जा रहा है।

(ख) पोलियो उन्मूलन कार्यकलापों के सफल क्रियान्वयन के कारण पुष्ट पोलियो रोगियों की संख्या 1998 में 1993 से घट कर 2001 में 268 रह गई है। तथापि, वर्ष 2002 के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रकोप होने तथा अन्य पड़ोसी राज्यों में संक्रमण के आ जाने के कारण पोलियो प्रयासों को एक बड़ा धक्का लगा जिसके कारण पोलियो रोगियों की संख्या बढ़कर 2002 में 1599 हो गई।

(ग) और (घ) पोलियों के वायरस के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार वर्ष 2003-04 के दौरान अधिक जोखिम वाले राज्यों/क्षेत्रों में दो राष्ट्रीय दौर तथा चार उप-राष्ट्रीय दौर आयोजित करके पोलियो कार्यकलापों को तेज करने पर विचार कर रही है। पोलियो वायरस के गहन परिचालन वाले राज्यों में निम्नलिखित विशेष उपाय किए जा रहे हैं:-

(i) छूट गए बच्चों को पता लगाने और उन्हें वैक्सीन देने के कार्य में सुधार करने के लिए स्थानीय समुदाय से

तीसरी सदस्य अधिमानतः एक महिला को शामिल करके घर-घर जा कर टीकाकरण करने वाले दलों को सुदृढ़ बनाया गया है।

(ii) प्रतिरोध क्षमता वाले क्षेत्रों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए सामुदायिक मोबीलाइजरों को काम पर लगाया गया है।

(iii) छूट गए बच्चों को बूथ वाले दिन के बाद देश के अन्य भागों में दो दिनों के मुकाबले पांच दिनों के लिए घर-घर जाकर वैक्सीन दी जा रही है।

(iv) अतिरिक्त सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं।

(v) भारत सरकार और राज्यों दोनों में शीर्ष राजनीतिक और नौकरशाही स्तरों पर कार्यक्रम की बारीकी से मानीटरिंग की जा रही है।

(vi) अनुसमर्थन और कार्यक्रम में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय रूप से प्रभाव पैदा करने वाले व्यक्तियों/सामाजिक तथा धार्मिक नेताओं को शामिल किया जा रहा है।

(vii) बेहतर मानीटरिंग और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने में राज्यों की मदद करने के लिए प्रत्येक जिले में एक निगरानी चिकित्सा अधिकारी तैनात किया गया है।

उन्नत संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह

4722. श्री वाई.वी. रावः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक उन्नत संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह की परिकल्पना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम हेतु संभावित बजट क्या है; और

(घ) इसे कब तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) उन्नत संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह (ए.सी.टी.एस.) की परिकल्पना डिजिटल किरण-पुंज (बीम) निर्माण प्रौद्योगिकी जैसी अन्तरिक्षयान प्रौद्योगिकियों और उन्नत नीतभार के विकास, संचालनीय स्पाट बीमों के लिए बहुमुखी-किरण-पुंज (बीम) एन्टेना व्यूह, बीम स्विचन, आन बोर्ड प्रोसेसिंग नीतभार इत्यादि के विकास के लिए की गई है।

(ग) अन्तरिक्षयान की अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपये के लगभग है।

(घ) इस उपग्रह को 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के शुरू में प्रमोचित करने की योजना है।

[हिन्दी]

योजना आयोग का विस्तार

4723. श्री अरुण कुमारः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को योजना आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के मद्देनजर एक पूरे कैलेण्डर वर्ष को गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में मनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं। योजना आयोग का अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मोबाइल वैन सेवा

4724. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन बिलों के भुगतान हेतु मोबाइल वैन सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार किन-किन स्थानों पर इस समय मोबाइल उपलब्ध है; और

(घ) सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन सेवा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क), (ख) और (घ) सरकार अब टेलीफोन सेवाएं प्रदान नहीं करती है। अब टेलीफोन सेवाएं भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और बड़ी संख्या में प्राइवेट कम्पनियों द्वारा प्रदान की जाती है। प्रचालन और लागत संबंधी दिक्कतों के कारण, बीएसएनएल मोबाइल वैनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन बिलों का भुगतान एकत्र नहीं कर सकता है। एमटीएनएल के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र नहीं आते हैं।

(ग) जिन स्थानों में इस समय मोबाइल वैन उपलब्ध है, उनका ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आडियोटैक्स सेवाएं

4725. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में "आडियोटैक्स" सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 जनवरी, 2003 तक कितने सेवा प्रदाताओं को ये सेवाएं शुरू करने के हेतु लाइसेंस प्रदान किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) "वायस मेल/आडियोटैक्स सेवा" के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु जो नीति पहले मौजूद थी उसे जुलाई, 2001 में नई दूरसंचार नीति 1999 के अनुसार संशोधित कर दिया गया था और इसमें यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा को जोड़ दिया गया था। उक्त नीति की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) 31.01.2003 की स्थिति के अनुसार 15 सेवा क्षेत्रों में उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 8 कंपनियों के पास 29 लाइसेंस थे। इसके अतिरिक्त, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाता, स्थिर सेवा प्रदाता और केबल सेवा प्रदाता कतिपय शर्तों के अध्यधीन अपने नेटवर्क पर वायस मेल/आडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

वायस मेल/आडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा से संबंधित नीति की प्रमुख विशेषताएं

1. कोई भी भारतीय कंपनी गैर-विशिष्ट आधार पर लाइसेंस प्राप्त कर सकती है। लाइसेंसधारकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

2. क्षेत्र – कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए)। एसडीसीए के बाहर यह सेवा उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एसटीडी) काल के आधार पर प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।

3. प्रवेश शुल्क – शून्य

4. लाइसेंस शुल्क – शून्य

5. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश – 100% अनुमति

6. लाइसेंस की अवधि – 15 वर्ष तथा कतिपय शर्तों के अध्यधीन 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

7. सेल्यूलर/बुनियादी सेवा प्रचालक/केबल सेवा प्रदाता उक्त सेवा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसके लिए कोई अतिरिक्त लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि सेवा के जरिए इन प्रचालकों द्वारा कोई राजस्व अर्जित किया जाता है तो उसकी गणना उनको प्रदान किए गए लाइसेंस के तहत लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के प्रयोजन हेतु राजस्व में कर ली जाएगी।

8. लाइसेंस के तहत यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा (यू एम एस) प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारक के पास यू एम एस सेवा द्वारा कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी) का लाइसेंस होना भी जरूरी है।

9. लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से अपेक्षित समस्त अवसंरचना की व्यवस्था स्वयं करेगा और वह आवश्यक उपस्कर तथा प्रणालियों के संस्थापन और प्रचालन, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण, अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करने, राजस्व की वसूली करने, उसके प्रचालनों के कारण उत्पन्न होने वाले दावों और हरजानों का निपटान करने, के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा

अस्पतालों की स्थापना

4726. **श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में केन्द्रीय क्षेत्र में 500 बिस्तर वाले अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इन अस्पतालों में से कुछ को खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) यह मुद्दा विचाराधीन है।

सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण

4727. **श्री ए. कृष्णास्वामी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तरी-दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गलियारा परियोजनाओं हेतु विभिन्न राज्यों में भूमि का अधिग्रहण करने में एक समान सिद्धांत का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) से (ग) भूमि का अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) अथवा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। कतिपय परियोजनाओं में जहां बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है, सीधे वार्ता के जरिए भी भूमि अधिग्रहण किया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछड़े इलाकों की पहचान

4728. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे अत्यन्त पिछड़े इलाकों की पहचान की है जिनके त्वरित विकास के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो ऐसे पिछडे इलाकों की पहचान हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी क्षेत्र की आयोजना एवं विकास और राज्य के भीतर उस प्रयोजन के लिए निधियों के आबंटन की जिम्मेदारी मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकार की है। तथापि, क्षेत्र में व्याप्त आम आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्तर पूर्व को एक विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त है और गैर विशेष श्रेणी राज्यों जिनको 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण मिलता है की तुलना में इनको 9 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता मिलती है। इस क्षेत्र में अवसंरचना के विवेचनात्मक अन्तरों को देखते हुए। पिछले छ: सात वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री जी द्वारा समय समय पर विभिन्न सहायक उपायों/पहलों की घोषणा की गई है। प्रधान मंत्री जी ने जनवरी, 2000 में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक 28 सूत्री कार्यसूची की घोषणा की है। इसके ब्यौरे वेबसाइट www.pmindia.nic.in पर उपलब्ध है।

सभी मंत्रालयों/विभागों (विशेषरूप से छूट प्राप्त को छोड़कर) को अपनी सकल बजट सहायता का कम से कम 10 प्रतिशत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र पर खर्च करना होता है। इसमें अव्ययित शेष (अव्यपगत) केन्द्रीय संसाधन पूल में जमा किया जाता है।

केन्द्रीय पूल के लाभ अनन्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र को उपलब्ध है। इस क्षेत्र में अवसंरचना अन्तरों को पूरा करने के लिए पूल से परियोजना विशिष्ट सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) इस क्षेत्र की विशिष्ट विकास आवश्यकताओं के आधार पर परियोजनाओं की मंजूरी देती है और उनका क्रियान्वयन करवाती है। विभिन्न गरीबी उपशमन. रोजगार सृजन कार्यक्रम और क्षेत्र विकास स्कीमों जैसे कि पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) इत्यादि जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध है, के लाभ इनसे अतिरिक्त हैं। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उनकी विकास, आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने के प्रयासों में सहायता करती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी कार्यों को पूरा किया जाना

4729. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान एवं आज की तिथि तक झारखंड और बिहार में स्थिति ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-कौन से हैं जिनके चौड़ा किये जाने, विस्तार एवं मरम्मत से संबंधित कार्य आरंभ कर दिए गए हैं;

(ख) इन कार्यों को कब तक पूरा किए जाने और शेष राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इन कार्यों को पहले पूरा करने हेतु और धन आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) गत दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 99 व 100 पर और बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 19, 28, 28ए, 30ए, 30, 31, 57, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106 व 107 पर चौड़ीकरण, विस्तार तथा मरम्मत से संबंधित कार्यों को स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) झारखंड और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष खंडों पर कार्य धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा। फिलहाल कार्य के पूरा किए जाने का समय अभी बता पाना संभव नहीं हैं।

(ग) वर्ष 2001-02 और 2002-03 में झारखंड ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और मरम्मत पर क्रमशः 56.37 करोड़ रु. और 94.65 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं। बिहार में गत दो वर्षों में क्रमशः 141.09 करोड़ रु. और 209.52 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं।

(घ) से (च) सर्वोच्च प्राथमिकता चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए दी जाती है। अतिरिक्त संसाधनों का आबंटन मंत्रालय के कुल वार्षिक बजटीय आबंटन पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

दूरभाष कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची

4730. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री राम शकल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में लोग नए दूरभाष कनेक्शनों को जारी किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, गत दो वर्षों के दौरान कितने दूरभाष कनेक्शन जारी किए गए और दूरभाष कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में अभी राज्यवार कितने लोग शामिल हैं; और

(ग) सरकार का विचार प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी लोगों को कब तक दूरभाष उपलब्ध कराने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां, कुछ राज्यों में ऐसा है।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार जारी किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या और 31.03.2003 की स्थिति

के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड में, केरल को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को मार्च 2004 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। तथापि, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में प्रतीक्षा सूची में कोई आवेदक नहीं है परंतु क्षेत्रों के तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण कुछ कनेक्शन लंबित हैं और इनको 30.06.2003 तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों और 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्यों के नाम	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन		इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या
		2001-02 के दौरान	2002-03 के दौरान	
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	2958	4946	224
2.	आन्ध्र प्रदेश	302530	332331	56765
3.	असम	86423	64750	12476
4.	बिहार	214161	161075	101154
5.	छत्तीसगढ़	35563	50052	1630
6.	गुजरात	451354	404152	56762
7.	हरियाणा	193807	180219	86633
8.	हिमाचल प्रदेश	93507	55495	39084
9.	जम्मू एंड कश्मीर	49278	41266	43969
10.	झारखंड	79206	90414	8307
11.	कर्नाटक	334998	362151	104506
12.	केरल	532807	530452	487499
13.	मध्य प्रदेश	118398	169791	15350
14.	महाराष्ट्र	735042	580178	154701
15.	गोवा	19467	16140	4882
16.	मेघालय	6101	6391	799
17.	त्रिपुरा	12989	7192	5960
18.	मिजोरम्	7501	4651	541
19.	नागालैंड	5545	4634	385

1	2	3	4	5
20.	अरुणाचल प्रदेश	8119	5474	1622
21.	मणिपुर	4442	7023	6318
22.	उड़ीसा	127020	151395	10923
23.	पंजाब	384704	283079	101951
24.	राजस्थान	277415	213386	130673
25.	तमिलनाडु	413644	317243	53778
26.	उत्तरांचल	54074	52329	5543
27.	उत्तर प्रदेश पूर्व	280251	232839	107119
28.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	200024	210125	54961
29.	पश्चिम बंगाल	353527	250451	148067
30.	सिक्किम	5207	9595	172
31.	दिल्ली	135163	90051	शून्य

उड़ीसा में लघु उद्योगों को बढ़ावा

4731. श्री अनंत नायक: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए देश के जिला उद्योग केन्द्रों को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में खनिज आधारित लघु इकाइयों की स्थापना पर जोर देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) लघु उद्योग (एसएसआई) निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। किसी उद्यमी द्वारा स्थापना के लिए चुने गए उद्योग, परियोजना की संभाव्यता तथा उक्त मद की सफलता की संभावना के बारे में उसके स्वयं के निर्णय पर निर्भर करते हैं। खनिजों आदि, सहित स्थानीय कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता उन मुख्य कारणों से है जो, किसी क्षेत्र में उद्योगों की स्थिति को शासित करते है। सरकार की भूमिका लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास को सुविधाजनक बनाने तथा उसे समर्थन प्रदान करने की है। लघु उद्योग सेवा संस्थान, कटक द्वारा तैयार की गई उड़ीसा राज्य रूप रेखा (मार्च, 2002) के अनुसार उड़ीसा राज्य में ग्रेनाइट पालिशिंग, स्टोन क्रशिंग, ग्रेफाइट क्रुसिबल्ज, हाइड्रेटिड लाईम, मिनी सीमेंट संयंत्र, क्रोम बेनिफिकेशन, क्वार्टज कैलसिनेशन्ज, कोयला आधारित उद्योग, फायर क्ले ब्रिक्स, रिफैक्ट्री फाइल्ज, आदि जैसे लघु उद्योगों पर आधारित खनिजों के विकास की संभाव्यता है।

[हिन्दी]

बिहार को केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता

4732. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में स्थित पक्की सड़के जीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय सड़क निधि से सहायता के रूप में मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत बिहार को उपलब्ध कराई गई वर्षवार सहायता कितनी है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में सहायता के रूप में बिहार को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित धनराशि वर्षवार कितनी है; और

(ङ) वर्ष 2003-2004 के दौरान कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) राजकीय सड़कों का सुधार केंद्रीय सड़क निधि से किया जाता है। सुधारी जाने वाली राज्यीय सड़कों के खण्डों का चयन करके राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान 78 स्कीमों के लिए बिहार सरकार द्वारा 448.91 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता मांगी गई है।

(ग) गत तीन वर्ष अर्थात 2000-01, 2001-02, 2002-03 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बिहार राज्य को उपलब्ध कराया गया आबंटन क्रमश: 25.69 करोड़ रु. 26.12 करोड़ रु. और 33.69 करोड़ रु. है।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध करायी जाने वाली वास्तविक वर्ष-वार राशि बता पाना अभी संभव नहीं है।

(ङ) वर्ष 2003-04 के दौरान जमाराशि 25.31 करोड़ रु. है।

जिला मुख्यालयों में मोबाइल टेलीफोन

4733. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क सेवाओं के विस्तार में लगी हुई सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ख) देश के ऐसे जिला मुख्यालय कौन-कौन से हैं जहां आज की तिथि तक मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) प्रत्येक जिला मुख्यालयों में मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जिन कंपनियों को सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान करने हेतु लाइसेंस दिए गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) संबंधी लाइसेंस के निबन्धन और शर्तों के अनुसार महानगर सेवा क्षेत्रों में एक प्रचालक के लिए सेवा क्षेत्र का 90% एक वर्ष के भीतर और दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों में जिला मुख्यालयों का 10% एक वर्ष के भीतर तथा जिला मुख्यालयों का 50% तीन वर्षों के भीतर कवर करना आवश्यक हैं। लाइसेंस धारक को जिला मुख्यालय के बदले में किसी जिले के किसी अन्य शहर को कवर की भी अनुमति दी गई है। जिला मुख्यालयों/कवर किए जाने वाले शहरों को चुनने और जिला मुख्यालयों/शहरों के 50% से अधिक क्षेत्र में सुविधा प्रदान करने का अधिकार लाइसेंस धारक के अपने व्यावसायिक निर्णय के मुताबिक उसके पास रहेगा। जिलों के 100% क्षेत्र को कवर करने के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। तथापि सरकारी प्रचालक, नामत: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), जिसे दिल्ली और मुम्बई के महानगर सेवा क्षेत्रों को छोड़कर देश के सभी सेवा क्षेत्रों के लिए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, अपने लाइसेंसों के अन्तर्गत आने वाले सेवा क्षेत्रों में सभी जिला मुख्यालयों को कवर करने का विचार रखता है।

विवरण

सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारकों की सूची

क्रम सं.	सेवा क्षेत्र (महानगर/दूरसंचार सर्किल)	लाइसेंसधारकों की संख्या	लाइसेंसधारक का नाम
1	2	3	4
1.	दिल्ली	4	भारती सेल्यूलर लि. स्टर्लिंग सेल्यूलर ाल. महानगर टेलीफोन निगम लि. आइडिया सेल्यूलर लि.

1	2	3	4
2.	मुम्बई	4	बीपीएल मोबाइल काम्यूनिकेशन लि. हचिसन मैक्स टेलीकाम लि महानगर टेलीफोन निगम लि. भारती सेल्यूलर लि.
3.	कोलकाता	4	भारती मोबीटेल लि. ऊषा मार्टिन टेलीकाम लि. भारत संचार निगम लि. रिलायबल इंटरनेट सर्विसेज लि.
4.	चेन्नई	4	आरपीजी सेल्यूलर सर्विसेज लि. भारत मौबीनेट लि. भारत संचार निगम लि. हचिसन एस्सार साऊथ लि.
5.	अंडमान, निकोबार एवं पश्चिम बंगाल	2	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि. भारत संचार निगम लि.
6.	आंध्र प्रदेश	4	आइडिया सेल्यूलर लि. भारती मोबाइल लि. भारत संचार निगम लि. हचिसन एस्सार साऊथ लि.
7.	असम	2	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि. भारत संचार निगम लि.
8.	बिहार	2	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि. भारत संचार निगम लि.
9.	गुजरात	4	फेसिल लि. आइडिया सेल्यूलर लि. भारत संचार निगम लि. भारती सेल्यूलर लि.
10.	हरियाणा	4	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन (प्रा,) लि. ऐयरसेल डिलीजिंग इंडिया लि. भारत संचार निगम भारती सेल्यूलर लि.
11.	हिमाचल प्रदेश	4	भारती टेलीनेट लि. रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि. भारत संचार निगम लि. एस्कोर्टस टेलीकम्यूनिकेशन लि.
12.	जम्मू और कश्मीर	1	भारत संचार निगम लि.

1	2	3	4
13.	कर्नाटक	4	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि. भारती मोबाइल लि. भारत संचार निगम लि. हचिसन एस्सार साऊथ लि.
14.	केरल	4	बीपीएल सेल्यूलर लि. एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि. भारत संचार निगम लि. भारती सेल्यूलर लि.
15.	महाराष्ट्र	4	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि. आइडिया सेल्यूलर लि. भारत संचार निगम लि. भारती सेल्यूलर लि.
16.	मध्य प्रदेश	4	बीटीए सेलकॉम लि. रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि. भारत संचार निगम लि. भारती सेल्यूलर लि.
17.	पूर्वोत्तर	3	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि. हक्साकॉम इंडिया लि. भारत संचार निगम लि.
18.	उड़ीसा	2	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि. भारत संचार निगम लि.
19.	पंजाब	4	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि. भारती सेल्यूलर लि. भारत संचार निगम लि. एस्कोट्र्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.
20.	राजस्थान	4	ऐयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि. हक्साकॉम इंडिया लि. भारत संचार निगम लि. एस्कोटेल टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.
21.	तमिलनाडु	4	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि. ऐयरसेल लि. भारत संचार निगम लि. भारती सेल्यूलर लि.

1	2	3	4
22.	उत्तर प्रदेश	3	एस्कोटेल टेलीकम्यूनिकेशन्स लि. भारत संचार निगम लि. भारती सेल्यूलर लि.
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3	ऐयरसेल डिलीजिंग इंडिया लि. भारत संचार निगम लि. एस्कोर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.
	जोड़	78	

राष्ट्रीय राजमार्गों का उचित रखरखाव

4734. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री रामशकल:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई राष्ट्रीय राजमार्ग उचित रखरखाव की कमी के कारण बुरी अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रखरखाव की कमी के क्या कारण हैं;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनके रखरखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों को अच्छी अवस्था में रखने हेतु सरकार की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) से (ग) देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को धनराशि की समग्र उपलब्धता के आधार पर यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जा रहा है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण पर 2990 करोड़ रु. खर्च किए गए।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 13500 कि.मी. लंबाई के 4/6 लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) और पत्तन संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। धनराशि की उपलब्धता के अधीन, राष्ट्रीय राजमार्गों की शेष लंबाई का रखरखाव सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

लंबित सड़क परियोजनाएं

4735. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राज्यीय संपर्क एवं आर्थिक महत्ता योजना के अंतर्गत सड़कों के सुधार हेतु धन संस्वीकृति/जारी करने हेतु सरकार के समक्ष राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से ऐसे कितने प्रस्ताव हैं जिनसे संबंधित कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) सभी लंबित प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) से (ग) अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए सरकार द्वारा 343 करोड़ रु. के 76 प्रस्तावों को 'सिद्धान्त:' अनुमोदन दिया गया है। सिद्धांतत: अनुमोदन के बाद, राज्य सरकारों को तकनीकी स्वीकृति के लिए विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत करने होते हैं। विभिन्न राज्यों से 55 प्रस्तावों के लिए विस्तृत प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 48 प्रस्तावों के लिए 214.66 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है। शेष प्राक्कलनों की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्राक्कलनों के स्वीकृत हो जाने के बाद, संबंधित राज्य सरकारें कार्य सौंपती है और परियोजनाओं को शुरू और कार्यान्वित करती है।

विवरण

अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित/स्वीकृत प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	सिद्धांतत: अनुमोदित प्रस्ताव		स्वीकृति प्राक्कलन		प्रक्रियागत प्राक्कलन	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	4	21	2	14	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	13	1	14	—	—
3.	असम	6	10	6	10	—	—
4.	बिहार	3	21	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	2	11	2	10	—	—
6.	गोवा	1	0	1	0	—	—
7.	गुजरात	9	13	9	13	—	—
8.	हरियाणा	1	7	1	8	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	4	18	—	—	3	12
10.	जम्मू और कश्मीर	7	16	1	0	1	4
11.	कर्नाटक	3	16	1	14	—	—
12.	केरल	1	8	—	—	1	8
13.	मध्य प्रदेश	2	17	1	7	—	—
14.	महाराष्ट्र	4	13	4	13	—	—
15.	मेघालय	1	4	—	—	—	—
16.	मिजोरम्	2	17	2	15	—	—
17.	नागालैंड	2	15	2	14	—	—
18.	उड़ीसा	2	16	—	—	—	—
19.	पंजाब	1	4	1	4	—	—
20.	राजस्थान	5	7	3	4	2	2
21.	सिक्किम	3	8	1	3	—	—
22.	त्रिपुरा	1	2	1	1	—	—
23.	तमिलनाडु	3	2	3	2	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	2	20	2	16	—	—
25.	उत्तरांचल	3	37	3	35	—	—
26.	पश्चिम बंगाल	1	17	1	17	—	—
27.	दमन और दीव	2	9	—	—	—	—
	कुल जोड़	76	342.86	48	214.66	7	26.30

क्षय रोग कार्यक्रम हेतु प्रचार अभियान

4736. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर लोगों को डाट्स केन्द्रों तक ले जाने हेतु व्यापक प्रचार अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वर्ष 2005 तक इस रोग पर नियंत्रण के वैश्विक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्षय रोग के नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर डाट्स कार्यनीति के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव तथा स्वास्थ्य महानिदेशक के संदेशों के साथ-साथ क्षयरोग के बारे में तथा क्या करें और क्या न करें के संबंध में जानकारी प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी। जागरूकता बढ़ाने के लिए परियोजना वाले जिलों में भी इस दिन विशेष समारोह आयोजित किए गए थे।

(ग) और (घ) नए स्पूटम पाजिटिव रोगियों के लिए 85 प्रतिशत रोगमुक्ति दर प्राप्त करने और कम से कम 70 प्रतिशत ऐसे रोगियों की पहचान करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो डाट्स के रूप में सुप्रसिद्ध है तथा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत कार्यनीति है, का कार्यान्वयन देश भर में चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। इस कार्यनीति के अंतर्गत 600 मिलियन से भी अधिक जनसंख्या को पहले ही कवर किया जा चुका है। वर्ष 2004 तक 850 मिलियन जनसंख्या तथा वर्ष 2005 तक पूरे देश को कवर करने की बात सोची गई है। परियोजना जिलों ने 80 प्रतिशत से अधिक रोग मुक्ति दर की सूचना दी है जिसका अर्थ यह है कि संशोधित कार्यनीति पहचान करके उपचार के अधीन लाए गए प्रत्येक 10 रोगियों में 8 से अधिक रोगियों का उपचार सफलतापूर्वक किए गए उपचार से दुगुना है। क्षयरोग परिचर्या सविधाओं तक पहुंच को बढ़ाने के लिए नैदानिक सुविधाओं को विकेन्द्रीकरण किया गया है और उन्हें सुदृढ़ किया गया है तथा उपचार रोगियों के निवास स्थानों के नजदीक प्रदान किया जा रहा है। गैर सरकारी संगठनों, निजी व्यवसायियों तथा चिकित्सा कालेजों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी रोगियों को उपचार की पूरी अवधि के लिए क्षयरोग रोधी औषधों की आपूर्ति सहित सभी नैदानिक तथा उपचार सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं, सभी स्तरों पर सूचना, शिक्षा व संचार कार्यकलाप चलाए जाते हैं।

कर्नाटक में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं

4737. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं कब तक प्रदान कराये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 292 ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की गयीं।

(ग) सभी ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधाएं पहले ही प्रदान कर दी गयी हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सी.बी.आई. में अभियोजकों के रिक्त पद

4738. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अभियोजकों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को आगे बिना किसी विलम्ब के भरे जाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार, 230 पदों की स्वीकृत संख्या में से 75 पद खाली पड़े हैं। इनमें से, एक अपर विधि सलाहकार, 6 उप विधि सलाहकार, 14 वरिष्ठ लोक अभियोजक, 34 लोक अभियोजक तथा 20 सहायक लोक अभियोजक के पद रिक्त हैं। ये रिक्तियां, पात्र अभ्यर्थियों से अपर्याप्त अनुक्रिया के कारण हैं तथा सीधी भर्ती योजना की वार्षिक स्वीकृति की आवश्यकता है।

तथापि, भर्ती एक जारी प्रक्रिया है, वर्ष 2002 में सघन भर्ती अभियान के जरिए विधि अधिकारियों के 46 पद (3 अपर विधि सलाहकार, 10 उप विधि सलाहकार, 21 वरिष्ठ लोक अभियोजक तथा 12 लोक अभियोजक) भरे गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2003 में, अभी तक 5 उप विधि अधिकारियों की पदोन्नति, सीधी भर्ती द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति तथा 2 लोक अभियोजकों की प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। वार्षिक भर्ती योजना, जिसमें विधि अधिकारियों के 51 भर्ती वाले पद शामिल हैं, के संबंध में छानबीन समिति की बैठक भी 26.3.2003 को हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियोजन का कार्य बाधित न हो, 280 से अधिक विशेष वकीलों की नियुक्ति की गई है।

अंतर्देशीय पोत निर्माण राजसहायता योजना

4739. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अंतर्देशीय पोत निर्माण राजसहायता योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राजसहायता हेतु प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) इस योजना से निजी क्षेत्र द्वारा किस सीमा तक लाभ उठाया गया है;

(ङ) क्या यह योजना सफल साबित नहीं हुई; और

(च) यदि हां, तो सरकार का और आकर्षक योजना के माध्यम से अंतर्देशीय परिवहन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) जी हां।

(ख) इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

* अंतर्देशीय पोत एक्स-फैक्टरी कीमत के 30% तक राजसहायता का भुगतान किया जाएगा।
* अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अधीन पोत पंजीकृत किया जाए। डम्ब बेरेजिज राजसहायता हेतु पात्र है।
* भारतीय शिपयार्ड में ही पोत का निर्माण किया जाए।
* यह स्कीम राष्ट्रीय जलमार्ग, सुन्दरवन जलमार्ग अथवा भारत बंगलादेश नयाचार मार्गों पर चलने वाले पोतों के लिए है।
* यह स्कीम ऋण से सम्बद्ध राजसहायता स्कीम के रूप में प्रचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत निर्माण लागत का एक भाग वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा पूरा किया जाएगा।

* भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इन मामलों की प्राथमिकता निर्धारित करेगा।

* योजना दिनांक 1 अप्रैल, 02 से प्रभावी है और 5 वर्षों तक अर्थात् 31 मार्च 07 तक लागू रहेगी।

(ग) और (घ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को राजसहायता प्राधिकरण वितरण हेतु (25 पोतों के निर्माण के अनुकूल) 9 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और स्कीम के अनुसार प्रस्तावों की छानबीन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अभी तक किसी प्रकार की राशि का वितरण नहीं किया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में राजमार्गों हेतु धनराशि

4740. **श्री सुनील खां:**
श्री अकबर अली खांदोकर:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राजमार्गों हेतु धनराशि का आबंटन किसी अन्य राज्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल हेतु धनराशि बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है और इसे यातायात हेतु खोल दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इसके टूटने के क्या कारण हैं; और

(ज) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) से (घ) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों को धनराशि का आबंटन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, राज्यों की क्षमता और धनराशियों की समग्र उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 का कोई खंड टूटा नहीं है।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पैक्स और एलपराजोलाम के दुष्प्रभाव

4741. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अल्पैक्स और एलपराजोलाम नाम की चिंतारोधी दवाइयां देश में शहरी लोगों के बीच लोकप्रिय दवा बन गई है जैसा कि दिनांक 9 फरवरी, 2003 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और मानव शरीर पर इन दवाइयों के दुष्प्रभाव क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इनकी खुली बिक्री को प्रतिबंधित करने हेतु कोई विधान लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) एल्प्राजोलम (एल्प्रैक्स एल्प्राजोलम का ब्रांड का नाम है) बेंजोडायजेपाइन से व्युत्पन्न एक पदार्थ है और चिकित्सा समुदाय द्वारा आमतौर पर इसका प्रयोग एन्जायोलाइटिक के रूप में किया जाता है।

(ख) सामान्य तौर पर बतलाए गए अनुषंगी प्रभावों में निद्रालुता, सुस्ती, मांसपेशियों की कमजोरी तथा समन्वयन का अभाव शामिल हैं। बेंजोडायपेजाइन का सेवन अचानक छोड़ देने से "बेजोडायजेपाइन प्रत्याहार संलक्षण" उत्पन्न हो सकता है जिसके लक्षण संभ्रम, विषाक्त मनोविकृति, एंठन अथवा कम्पोन्माद से मिलती-जुलती है स्थिति हैं।

(ग) और (घ) एल्प्राजोलम औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची-एच के अन्तर्गत आता है और इस दवा की बिक्री औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 97 द्वारा विनियामित की जाती है। नियम, 97 में बतलाया गया है कि अनुसूची-एच की कोई भी दवा पंजीकृत चिकित्सा के निर्देश के बगैर नहीं बेची जानी है और इस दवा के लेबल निम्नलिखित चेतावनी अंकित होनी चाहिए:-

"अनुसूची-एच औषध: चेतावनी "पंजीकृत चिकित्सा के निर्देश पर खुदरा बिक्री हेतु"।

उपर्युक्त तथा चिकित्सीय दृष्टि से इसके स्वीकृत प्रयोग को देखते हुए, इस दवा की बिक्री पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

टेलीफोन कनेक्शनों हेतु लक्ष्य

4742. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-03 में टेलीफोन कनेक्शनों के प्रावधान हेतु निर्धारित लक्ष्यों को संशोधित प्राक्कलन अवस्था में कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वर्ष के लक्ष्य गत वर्ष के लक्ष्यों से भी कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो दूरसंचार क्षेत्र के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2003-04 में सार्वजनिक उपक्रमों (बीएसएनएल और एमटीएनएल) के लिए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य निधियों की कमी और स्थिर लाइनों के लिए मांग में गिरावट के कारण संशोधित अनुमान चरण पर 69.83 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों से कम कर 57.20 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 2003-04 के लिए निर्धारित लक्ष्य 64.11 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें है जो पिछले वर्ष अर्थात् 2002-03 के लिए निर्धारित 57.20 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों के संशोधित लक्ष्य से 12% अधिक है।

(घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों को निधियां

4743. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी संगठनों को वित्त पोषित किये जाने के संबंध में तटवर्ती आंध्र प्रदेश के नेहरू युवक केन्द्र से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सिफारिशें पर्याप्त छानबीन के बिना भेजी गई थी;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन मंजूर किए गए और कितनी निधियां स्वीकृत की गई; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) और (ख) 2002-2003 के दौरान तटयीय आन्ध्र प्रदेश के नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से अनुदान सहायता के लिए प्राप्त हुए कुल आवेदनों की संख्या 52 है। विवरण सूची में प्राप्त हुए आवेदनों की जिला वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) से (ङ) जिला युवा समन्वयक द्वारा विधिवत रूप से सिफारिश किए गए प्रस्ताव संबंधित नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त हुए थे।

विवरण

जिला	आवेदनों की संख्या
नेल्लौर	16
विजयनगरम	5
एलुरु	1
गुंटूर	12
विजयवाड़ा	4
श्रीकाकुलम	1
ओंगले	1
विशाखापट्टनम	12

राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए को चार लेनों वाला बनाना

4744. श्री दिलीप संघाणी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बचाऊ-गांधीधाम राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए को चार लेनों वाला बनाने का कार्य कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना समय से पीछे चल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना को कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए के बचाऊ-गांधीधाम कंड को चार लेन का बनाने का कार्य जुलाई, 2002 में पूरा किया जा चुका है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नौवी योजना में लघु उद्योगों की स्थापना

4745. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितने लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) उनकी स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) मार्च, 2002 के अन्त तक अर्थात् नौवीं योजना के अन्त तक पंजीकृत लघु उद्योग यूनिटों की क्यूमूलेटिव संख्या सहित नौवीं योजना के दौरान पंजीकृत लघु उद्योग (एस.एस.आई.) की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण इसके साथ संलग्न किया जाता है। लघु उद्योग यूनिटों की स्थपना निजी सेक्टर द्वारा की जाती है तथा लघु उद्योग का पंजीकरण स्वैच्छिक है। तथापि, राज्य सरकारें सम्बन्धित राज्यों के भीतर उनके सम्वर्धन और विकास की सुविधा प्रदान करती हैं। नौवी योजना के दौरान लघु उद्योग सेक्टर में कुल निवेश अनुमानत: 24896 करोड़ रुपये का हुआ है। केन्द्रीय तौर पर निवेश के संबंध में राज्य-वार ब्यौरे का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ग) सरकार देश में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर लघु उद्योगों के सम्वर्धन और विकास के बड़ी संख्या में स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही हैं। केन्द्रीय स्तर की महत्वपूर्ण स्कीमें हैं - एकीकृत बुनियादी संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्रेडिट गारन्टी स्कीम, क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, टूल रूम, उत्पाद-सह-प्रक्रिया विकास केन्द्र, उद्यमित विकास, आई.एस.ओ.-9000 इत्यादि की अधिप्राप्ति हेतु सहायता, जबकि इन स्कीमों का लाभ देश के किसी भी कोने के लघु उद्योग उद्यमियों द्वारा उठाया जा सकता है, ये स्कीमें राज्य विशिष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, 30 अगस्त, 2000 को प्रधान मंत्री ने लघु उद्योग सेक्टर के सम्वर्धन और विकास हेतु एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की ताकि घरेलू और विश्वव्यापी दोनों तौर पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाया जा सके। नीति पैकेज में बढ़ी हुई राजकोषीय तथा क्रेडिट सहायता, बेहतर बुनियादी संरचना तथा मार्किटिंग सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन सम्मिलित हैं।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान मार्च, 2002 तक पंजीकृत लघु उद्योग यूनिटों की संख्या तथा पंजीकृत क्यूमूलेटिव लघु उद्योग यूनिटों की संख्या के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लघु उद्योग यूनिटों की क्यूमूलेटिव संख्या मार्च, 2002 तक पंजीकृत	नौवीं योजना के दौरान पंजीकृत लघु उद्योग यूनिटों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंड. निकोबार	1284	213
2.	आन्ध्र प्रदेश	131685	14553
3.	अरुणाचल प्रदेश	653	-273*
4.	असम	26358	5637
5.	बिहार	92095	-16053*
6.	चडीगढ़	3102	150
7.	छत्तीसगढ़	72883	72883
8.	दा.न. हवेली	1317	863
9.	दमन-दीव	1874	954
10.	दिल्ली	19804	-5480*
11.	गोवा	6389	1111
12.	गुजरात	194435	52484
13.	हरियाणा	55409	-43036*
14.	हिमाचल प्रदेश	17740	3147
15.	जम्मू एंड कश्मीर	32245	5882
10.	झारखंड	41089	41089
17.	कर्नाटक	178330	53826
18.	केरल	238431	90156

1	2	3	4
19.	लक्षदीप	82	31
20.	मध्य प्रदेश	220100	-23381*
21.	महाराष्ट्र	150996	39867
22.	मणिपुर	5975	818
23.	मेघालय	3029	863
24.	मिजोरम्	4911	1396
25.	नागालैंड	1643	886
26.	उड़ीसा	23264	6091
27.	पांडिचेरी	5152	897
28.	पंजाब	155197	7634
29.	राजस्थान	90366	15916
30.	सिक्किम	342	46
31.	तमिलनाडु	375262	146326
32.	त्रिपुरा	2127	-3774*
33.	उत्तर प्रदेश	389013	65538
34.	उत्तरांचल	34920	34920
35.	वेस्ट बंगाल	153670	6208
	अखिल भारतीय योग	27,31,172	5,78,378

* नकारात्मक आंकड़े हरियाणा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में लघु उद्योग इकाइयों के अपंजीकरण के कारण तथा बिहार एवं मध्य प्रदेश के मामले में राज्य के विभाजन के कारण भी हैं।

मेडिकल/डेंटल कालेजों की स्थापना करना

4746. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में मेडिकल/डेंटल कालेजों की स्थापना हेतु निजी/सरकारी अस्पतालों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राप्त हुए प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) वर्ष 2002 के दौरान नया मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य से निम्नलिखित पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:-

(1) राजा एज्युकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, तिरुनेल्वेल्ली

(2) इंडियन एज्युकेशलन ट्रस्ट, थांजावुर

(3) सी.एस.आई. कन्याकुमारी डायोसीज, कन्याकुमारी

(4) मीनाक्ष्मी अम्माल ट्रस्ट, चेन्नई

(5) श्री लक्ष्मी अम्माल ट्रस्ट, चेन्नई

क्रम संख्या 1-3 पर उल्लिखित प्रस्ताव आवेदक को लौटा दिए गए थे क्योंकि वे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम और उसके अंतर्गत बने विनियमों में निर्धारित अर्हता मानदण्डों को पूरा नहीं कर रहे थे जबकि क्रम संख्या 4-5 पर उल्लिखित प्रस्ताव मूल्यांकन करने और सिफारिश करने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद को भेज दिए गए हैं। इन प्रस्तावों की स्वीकृत भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और उसके अर्न्तगत बने विनियमों में निर्धारित अर्हता मानदण्डों को पूरा करने, आधारभूत ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता तथा उस पर भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों के अध्यधीन है। तथापि, तमिलनाडु राज्य से वर्ष 2002 के दौरान डेंटल कालेज स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

विशेषज्ञों का अधिक्रमण

4747. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के तदर्थ विशेषज्ञों ने संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सी.एल.एस. में नियुक्त बहुत से नियमित विशेषज्ञों का अधिक्रमण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में तदर्थ विशेषज्ञों ने किसी नियमित विशेषज्ञ का अधिक्रमण नहीं किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

कार्यालय संबंधी व्यय

4748. श्री रामदास आठवले: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में प्रचार, विज्ञापन, आतिथ्य, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, दौरों (विदेशी दौरों सहित), एस.टी.डी. और आई.एस.डी. टेलीफोन बिलों विशेषकर एयरकण्डीशनरों तथा कूलरों के विद्युत बिलों और अन्य कार्यालय संबंधी व्ययों पर कितनी खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव उक्त मदों पर व्ययों में कटौती करने हेतु कोई अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विनिवेश मंत्रालय ने प्रचार-प्रसार, उद्घाटन समारोहों पर किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया है। हालांकि यह मंत्रालय द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं में भाग लेता रहा है, परन्तु मंत्रालय ने स्वयं कोई व्यय नहीं किया है। इसने, अनिवार्य सरकारी प्रकाशनों के अलावा, मत निर्माताओं तथा आम जनसाधारण के लिए, इसके प्रचार-प्रसार के लिए विनिवेश संबंधी क्रियाविधियों पर पुस्तिकाएं संकलित तथा प्रकाशित की हैं। एयरकण्डीशनरों तथा कूलरों के लिए विद्युत बिलों का व्यय सीधे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वहन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्रा भत्ता (विदेश तथा घरेलू) और कार्यालय व्यय (अन्य मदों के साथ टेलीफोन, एस.टी.डी. और आई.एस.डी. तथा खान-पान/आतिथ्य सत्कार संबंधी व्यय सहित) और प्रचार-प्रसार शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

शीर्ष	2000-2001	2001-2002	2002-2003
कार्यालय व्यय	68.65	52.84	60.00
प्रकाशन	2.19	6.33	11.47
यात्रा व्यय (विदेश)	0.95	6.00	10.11
यात्रा व्यय (घरेलू)	2.38	7.78	13.11

विनिवेश मंत्रालय के अधीन कोई विभाग, अधीनस्थ कार्यालय अथवा उपक्रम नहीं है। विनिवेश आयोग से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) विनिवेश मंत्रालय का गठन दिसम्बर, 1999 में किया गया था। मंत्रालय व्यय को न्यूनतम स्तर पर सीमित रखने के लिए हर प्रकार से मितव्ययिता बरतता रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों के उत्पीड़न के मामले

4749. डा. सुशील कुमार इंदौरा:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री एस. अजय कुमार:
श्री विनय कुमार सोराके:
श्री सुनील खां:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक देशों में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों के उत्पीड़न के बहुत से मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किन-किन देशों से ऐसे मामलों का पता चला है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे दुर्व्यवहार के विरुद्ध कोई विरोध जताया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का क्या परिणाम निकला और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) मलेशिया, इण्डोनेशिया, नीदरलैण्ड तथा यू.के. जैसे कुछ देशों में भारतीय आई टी व्यवसायिकों को तंग किए जाने के कुछ मामले हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने मामले को तत्काल संबंधित देशों में प्राधिकारियों के साथ उठाया है तथा ऐसे मामले की किसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उतनी ही गंभीरता से संप्रेषित किया जितनी गंभीरता से ऐसी घटना को लिया।

[अनुवाद]

इराक युद्ध रोकने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता

4750. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खो चुका है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के विरुद्ध अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण से स्पष्ट है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का संयुक्त राष्ट्र को अप्रभावी बनने से रोकने के लिए और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व समर्थन जुटाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

4751. श्री अरुण कुमार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार की उत्तरी सीमा से तस्करी में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए नेपाल सरकार के साथ कोई राजनयिक व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) भारत सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर गैर-कानूनी व्यापार/तस्करी रोकने के लिए नेपाल की शाही सरकार के साथ निम्नलिखित प्रबंध किए हैं:

(i) भारत और नेपाल के बीच गैर-कानूनी व्यापार को रोकने में सहयोग करने के संबंध में एक करार है। इस करार को 6 मार्च, 2002 के अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए 2 मार्च, 2002 को नवीकृत किया गया है। इस क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के सिलसिले में समन्वय करने एवं उसे जारी रखने के लिए इस करार के अंतर्गत दोनों देशों के सीमाशुल्क अधिकारियों के बीच नियमित रूप से बैठक करती है।

(ii) दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों की अध्यक्षता में व्यापारिक, पारगमन और अनधिकृत व्यापार से सम्बद्ध अंतर-सरकारी समिति भारत और नेपाल के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के सम्पूर्ण पहलुओं की समीक्षा करने और गैर-कानूनी व्यापार से संबंधित पहलुओं की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है।

(iii) शांति और सुरक्षा कायम करने तथा भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने से संबंधित मसलों का संयुक्त रूप से समाधान निकालने के लिए एक द्विपक्षीय सांस्थानिक तंत्र भी तैयार किया गया है। जिसमें सीमा प्रबंधन से सम्बद्ध संयुक्त कार्य दल और गृह सचिव स्तर की बातचीत शामिल है।

[अनुवाद]

एस.टी.पी.आई. योजना के अंतर्गत केन्द्रों की स्थापना

4752. श्री सुबोध मोहिते:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स आफ इंडिया योजना के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य शहरों में 10 नए केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान बजटीय परिव्यय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या परिव्यय पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त परिव्यय उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) जी, हां। नए केन्द्रों की स्थापना निर्यात की संभावनाओं के साथ ही राज्य सरकार की भूमि, निर्मित क्षेत्र और वित्तीय सहायता प्रदान करने की इच्छा पर निर्भर करती है। कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अधीन एसटीपीआई के केन्द्रों की सूची विवरण-I में दी गई है। विवरण-II में दिए गए विवरणानुसार, अब तक देश भर में 39 केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) एसटीपीआई को सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2003-04 के लिए 5 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

विवरण-I

निम्नलिखित केन्द्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:-

क्र.सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1.	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
2.	गोवा	गोवा
3.	गंगटोक	सिक्किम
4.	गुड़गांव	हरियाणा
5.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
6.	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल
7.	पटना	बिहार
8.	पटियाला	पंजाब
9.	रांची	झारखण्ड
10.	शिलोंग	मेघालय
11.	जोधपुर	राजस्थान

विवरण-II

एसटीपीआई ने निम्नलिखित केन्द्र स्थापित किए हैं

क्र.सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
2.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
3.	बंगलौर	कर्नाटक
4.	भुनेश्वर	उड़ीसा
5.	भिलाई	छत्तीसगढ़
6.	चेन्नै	तमिलनाडु
7.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
8.	देहरादून	उत्तरांचल
9.	गांधी नगर	गुजरात
10.	गुवाहाटी	असम
11.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
12.	हुबली	कर्नाटक
13.	इंदौर	मध्य प्रदेश
14.	जयपुर	राजस्थान
15.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
16.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
17.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र
18.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
19.	मंगलूर	कर्नाटक
20.	मणिपाल	कर्नाटक
21.	मोहाली	पंजाब
22.	मदुरै	तमिलनाडु
23.	मैसूर	कर्नाटक
24.	नागपुर	महाराष्ट्र
25.	नासिक	महाराष्ट्र
26.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र
27.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
28.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
29.	पुणे	महाराष्ट्र
30.	राऊरकेला	उड़ीसा
31.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु
32.	तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश
33.	तिरुवनन्तपुरम	केरल
34.	त्रिची	तमिलनाडु
35.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
36.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
37.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
38.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश
39.	वारंगल	आंध्र प्रदेश

महाराष्ट्र में स्पीड पोस्ट केन्द्र

4753. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यरत स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य में इस प्रकार के और केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में खोले गए स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) वर्तमान स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र सर्किल में कार्यरत स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या:

	राष्ट्रीय	राज्य
महाराष्ट्र	6	76

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) बीड, नंदरबार और हिंगोली जिलों में राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है क्योंकि फिलहाल इन जिलों में कोई केन्द्र नहीं हैं। इन तीनों के बढ़ जाने पर महाराष्ट्र के सभी जिलों में स्पीड पोस्ट केन्द्र हो जाएंगे।

(ङ) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दो राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र और 41 राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र खोले गए हैं।

[हिन्दी]

रोगों के इलाज में धन का उपयोग

4754. श्री राजो सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में टी.बी., डेंगू, मलेरिया, अंधापन और एड्स से ग्रसित रोगियों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में अपेक्षाकृत यह संख्या कितनी रही है;

(ख) क्या इन रोगों के इलाज के लिए उपलब्ध कराए गए धन का पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) धन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षयरोग, डेंगू, मलेरिया तथा एड्स से पीड़ित रोगियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक दृष्टिहीनता का संबंध है, वर्ष 2001-02 में आयोजित हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार, देश में लगभग 1.15 करोड़ दृष्टिहीन व्यक्ति थे।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धन का उपयोग दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। शेष धनराशि को, यदि कोई हो तो, आगामी वर्ष में ले जाया जाता है। आगे और धन संबंधित सोसायटियों से समुपयोजन प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात ही निर्मुक्त किया जाता है। सोसायटियों के लेखों की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा की जाती है।

भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मलेरिया-रोधी दवाइयां उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान करती है। जहां तक डेंगू का संबंध है, डेंगू ज्वर का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। इसका उपचार चरणों के आधार पर किया जाता हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस उद्देश्य के लिए कोई विशिष्ट धनराशि प्रदान नहीं की जा रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षयरोग, डेंगू, मलेरिया तथा एड्स से पीड़ित रोगियों की संख्या का ब्यौरा

	2000-2001	2001-02	2002-03
क्षयरोग	1145618	1116171	1129076
मलेरिया	20940	22625	13972
डेंगू	10	71	75
एड्स	7234	14139	11585

[अनुवाद]

परमाणु ईंधन परिसर हेतु धनराशि का आबंटन

4755. श्री जे.एस. बराड़: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान परमाणु ईंधन परिसर योजना आबंटन का उपयोग नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन और उपयोग किया गया;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि का आबंटन किया गया है; और

(ङ) आबंटित राशि के पूर्ण उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र ने, वित्तीय वर्ष 2000-01 और 2002-03 के लिए आबंटित योजनागत राशि का पूर्णत: उपयोग कर लिया है। तथापि, वह वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान ऐसा नहीं कर पाया था।

(ख) वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

निर्यात संबंधी प्रतिबंधों की वजह से मशीनरी/उपस्करों का आयात न कर पाना, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार विनिर्माता द्वारा उपस्करों की सप्लाई न कर पाने की वजह से क्रयादेश को रद्द हो जाना, डिजाइन संबंधी विनिर्देशों के अनुसार स्थानीय विनिर्माता अस्वीकार कर दिए जाने की वजह से सुपुर्दगी की अवधि को स्वदेशी का आगे बढ़ जाना।

वित्तीय वर्ष 2001-02 के मामले में, धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारण हैं, क्रांतिक उपस्करों के विनिर्देश को अंतिम रूप देने/उनके प्रापण में हुआ विलंब, और उपस्करों को स्वदेशी तौर विकसित करने में हुआ विलंब।

(ग) आबंटित धनराशि की तुलना में उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपए)

2000-2001		2001-2002		2002-2003	
आबंटित धनराशि	व्यय	आबंटित धनराशि	व्यय	आबंटित धनराशि	व्यय
2000.00	371.75	1200.00	797.12	1200.00	1296.18

(घ) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2003-04 के लिए 2200 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गई है।

(ङ) परियोजना की प्रगति को मद्दे नजर रखते हुए, बजट संबंधी मूल्यांकन यथार्थिक आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। पूंजी व्यय की प्रगति को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के प्रबंधकों द्वारा निकटता से मानीटर किया जाता है, वास्तव में, वर्ष 2002-03 के दौरान, पूंजीगत लेखे में किया गया व्यय, बजट में प्रारंभिक रूप से आबंटित धनराशि से अधिक रहा है।

कार्गों का मशीनों द्वारा लदान-उतराई

4756. श्री के.पी. सिंह देव: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी बड़े पत्तनों पर कार्गों का मशीनों द्वारा लदान-उतराई शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (ग) आधुनिकीकरण में महापत्तनों में कार्गों के लदान और ढुलाई की सुविधा का यंत्रीकरण सम्मिलित है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। सभी महापत्तनों में बल्क, ब्रेक बल्क, तरल और कंटेनर कार्गों सहित विभिन्न प्रकार के कार्गो को हैंडल करने हेतु प्रत्येक पत्तन कार्गो मिक्स के आधार पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से यांत्रिक लदान और ढुलाई सुविधा प्रचालन में है।

रोगों का उन्मूलन

4757. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.एम.आर. ने यक्ष्मा चेचक कुष्ठ रोग, पोलियो आदि रोगों का पता लगाकर उनका उन्मूलन करने के अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद सिर्फ रोगों का नियंत्रण तथा उपचार करने के लिए अनुसंधान अध्ययन करती है। क्षयरोग, कुष्ठ तथा पोलियो जैसे रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नामत: राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, तथा पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम चला रही है।

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। पोलियों के रोगियों तथा पोलियो वाइरस के संचरण के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों को पूरा करने वाली सुस्थापित निगरानी प्रणाली कार्यरत है। राष्ट्रीय लक्ष्य देश से पोलियो का उन्मूलन करने तथा 2005 तक अन्तर्राष्ट्रीय पोलियो मुक्त प्रमाणन हासिल करने का है।

क्षयरोग कार्यक्रम के अन्तर्गत, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित डाट्स कार्यनीति पर आधारित संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को वर्ष 1997 में देश में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया। अब तक 600 मिलियन से अधिक जनसंख्या को इस संशोधित कार्यनीति के अन्तर्गत कवर किया जा चुका है यह प्रतिपादित है कि वर्ष 2005 तक संपूर्ण देश को संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कवर किया जाएगा। फिलहाल, क्षयरोग उन्मूलन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

चेचक (स्मालपाक्स) का वर्ष 1977 में देश से पहले ही उन्मूलन किया जा चुका है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन हेतु इस समय वर्ष 2001-02 से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन परियोजना का द्वितीय चरण चल रहा है और यह मार्च 2004 में समाप्त हो रहा है। वर्ष 2005 तक राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन अर्थात् प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम रोगी की व्याप्तता दर को प्राप्त करने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

4758. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उनके मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों को किन शीर्षों क्षेत्रों के लिए अनुदान मुहैय्या कराया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक झारखंड बिहार में कार्यरत ऐसे गेर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित है; और

(ङ) उनको स्वीकृति प्रदान करने में यदि कोई विलम्ब हो, के क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) और (ख) (1) युवा गतिविधियों के संवर्धन एवं प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत, 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग में युवाओं के लाभ के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों तथा युवाओं के लिए प्रदर्शनियों हेतु विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थिर गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक बिहार और झारखंड के गैर सरकारी संगठनों के क्रमश: 413 तथा 33 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(2) राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन की योजना के अंतर्गत, 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग में देश के युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक बिहार और झारखंड के गैर सरकारी संगठनों से क्रमश: 239 तथा 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(3) साहस का संवर्धन की योजना के अंतर्गत, 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग के देश के युवाओं के बीच साहस के संवर्धन के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक बिहार के गैर सरकारी संगठनों से 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा झारखंड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) (1) खेल के अवस्थापना के सृजन हेतु आवेदनों तथा (2) सिंथेटिक खेल सतहों को बिछाने के लिए अनुदानों

की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न खेल सुविधाओं के सृजन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक बिहार एवं झारखंड के गैर सरकारी संगठनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) (1) युवा गतिविधियों के संवर्धन एवं प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त सभी पात्र आवेदनों पर 'पहले आओ-पहले पाओ', आधार पर विचार किया गया था तथा उनके पक्ष में सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था। 2002-03 के दौरान प्राप्त मामलों को छोड़कर वे आवेदन जिन पर देर से प्राप्त होने अथवा खत्म हो रही निधियों के कारण विचार नहीं किया जा सका, गैर सरकारी संगठनों को वापस कर दिए गए। ऐसे मामलों की संख्या 201 (बिहार के 169 तथा झारखंड के 32) है।

(2) राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन की योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक बिहार तथा झारखंड के क्रमश: 120 तथा 6 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे तथा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(3) साहस का संवर्धन की योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक बिहार के 6 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे। झारखंड का कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि वे क्रम में नहीं पाये गये।

(4) (1) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों और (2) सिंथेटिक खेल सतहों को बिछाने के लिए अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक बिहार तथा झारखंड के गैर सरकारी संगठनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

[अनुवाद]

विशेषज्ञों की कमी

4759. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्डिऔक एंड काडिर्या थोरेटिक स्पेशलिस्टों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार से तुरंत विशेपज्ञ नियुक्त करने अथवा तदर्थ आधार पर नियुक्तियां करने हेतु अस्पताल प्राधिकारियों की अनुमति देने के अनुरोध किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमों के अनुसार डी.एम कांर्स चलाने हेतु विशेषज्ञों की एक न्यूमतम संख्या आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन अस्पतालों में कार्डियक एवं कार्डियों थोरेसिक विशेषज्ञों की कमी होने की जानकारी है। उसे यह भी जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने डी.एम. पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता और अनुभव वाले कम स कम तीन संकाय सदस्य, जिनमें से कम से कम दो के पास संबंधित विषय में डी.एम./एम.सी.एच. की डिग्री हो, निर्धारित किए हैं। हाल ही में इस मंत्रालय को गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली में इन विशिष्टताओं में रिक्तियों को तदर्थ आधार पर भरने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है।

पारादीप पत्तन में जनरल कार्गो बर्थ्स

4760. श्री परसुराम माझी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पारादीप पत्तन में कितनी जनरल कार्गो बर्थ्स हैं;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त पत्तन में एक और जनरल कार्गो बर्थ का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) पारादीप पत्तन में सात सामान्य कार्गो बर्थ हैं।

(ख) और (ग) क्लीन कार्गो हैंडलिंग के लिए बनाओं, चलाओं तथा अंतरित करो (बी ओ टी) आधार पर एक बर्थ के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिए पत्तन द्वारा कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

पुलों और सड़कों हेतु केंद्रीय सड़क निधि

4761. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों में पुलों के निर्माण और सड़कों को उन्नत बनाने हेतु केंद्रीय सड़क निधि से सहायता मुहैय्या कराती है;

(ख) यदि हां, तो निधियां जारी करने हेतु सरकार के पास लंबित ऐसे प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों और पुलों के सुधार के लिए 693 प्रस्ताव अभी तक अनुमोदन के लिए लंबित पड़े हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि प्रस्तावों का अनुमोदन राज्यों द्वारा निधियों के उपभोग पर निर्भर करता है, इसलिए अनुमोदन के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदन के लिए लंबित प्रस्तावों के राज्य-वार ब्योरे

क्रम सं.	राज्य	लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	5
2.	असम	109
3.	बिहार	35
4.	छत्तीसगढ़	28
5.	दिल्ली	11
6.	हरियाणा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	19
8.	झारखंड	2
9.	जम्मू और कश्मीर	19
10.	कर्नाटक	30
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	118
13.	महाराष्ट्र	94
14.	मणिपुर	3
15.	मेघालय	14
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	1
18.	राजस्थान	66
19.	सिक्किम	1
20.	त्रिपुरा	1
21.	उत्तर प्रदेश	52
22.	उत्तरांचल	77
	जोड़	693

[हिन्दी]

कैंसर बीमा योजना

4762. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कैंसर बीमा योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केंद्रीय सड़क निधि के तहत परियोजनाएं

4763. श्री नरेश पुगलिया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के तहत शुरू की गयी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को केंद्रीय सड़क निधि के तहत वर्धा नदी पर सोइत-कोसारा पुल के निर्माण की परियोजना को पूरा करने हेतु संसद सदस्यों और अन्य लोगों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्य को स्वीकृति मिल चुकी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 1796 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। इनमे से, 684 कार्य पूरे हो गए हैं। राज्य-वार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्धा नदी पर सोइत-कोसारा पुल परियोजना के लिए 375 लाख रु. की धनराशि जनवरी, 2003 में अनुमोदित की गई है।

विवरण

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित स्कीमें		पूरी की गई स्कीमें
		संख्या	राशि	संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	58	252.94	21
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	47.13	5
3.	असम	39	67.81	22
4.	बिहार	43	129.38	—
5.	छत्तीसगढ़	16	75.39	6
6.	गोवा	4	7.62	—
7.	गुजरात	342	215.96	170
8.	हरियाणा	41	102.13	14
9.	हिमाचल प्रदेश	11	27.84	3
10.	जम्मू और कश्मीर	25	78.37	5
11.	झारखंड	5	26.75	2
12.	कर्नाटक	201	165.43	88
13.	केरल	5	38.08	—
14.	मध्य प्रदेश	44	189.14	11
15.	महाराष्ट्र	106	295.82	4
16.	मणिपुर	7	13.98	—
17.	मेघालय	14	21.98	3
18.	मिजोरम्	23	20.01	1
19.	नागालैंड	4	7.16	—
20.	उड़ीसा	101	98.89	—
21.	पंजाब	76	107.67	19
22.	राजस्थान	188	255.16	90
23.	सिक्किम	9	5.57	8
24.	तमिलनाडु	332	225.93	198
25.	त्रिपुरा	4	7.10	1
26.	उत्तर प्रदेश	31	197.08	—
27.	उत्तरांचल	23	29.99	7
28.	पश्चिम बंगाल	8	96.65	—
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अंडमान और निकोबार	1	2.43	—
30.	चंडीगढ़	4	6.93	1
31.	दादरा नगर हवेली	8	2.62	5

1	2	3	4	5
32.	दमन और दीव	—	—	—
33.	दिल्ली	5	29.36	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—
35.	पांडिचेरी	2	4.50	—
	जोड़	1796	2895.80	684

लघु उद्योगों को बंद किया जाना

4764. श्री सुनील खां: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद अनेक लघु उद्योग बंद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार स्थिति को सुधारने हेतु उत्पाद शुल्क को और घटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) पूरे देश में कई लघु उद्योग एसोसिएशनों से रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि कई लघु उद्योग बन्द हो रहे हैं। बन्द होने के मुख्य कारण हैं- कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता/कमी, मांग में गिरावट, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, कच्ची सामग्री की कमी, विपणन समस्याएं, प्रतिस्पर्धा में बढ़ोत्तरी, प्रबन्ध सम्बन्धी कमियां आदि।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट में सरकार, ने लघु उद्योग क्षेत्र के महत्व की मदों पर उत्पाद शुल्क में कमी करने के प्रस्तावों की कई घोषणाएं की हैं। कुछ मुख्य घोषणाएं निम्नलिखित के अनुसार हैं:

1. निम्नलिखित पर शुल्क में पूरी छूट दी गई हैं:-
   - बाइसाईकिल एवं पुर्जे
   - खिलौने
   - बर्तन एवं धातु की किचन वस्तुएं
   - चेपक टेप
   - छतरियां
   - रजिस्टर्ज
   - लेखा बहियां
2. पूर्ण सेनवाट क्रेडिट सहित उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित पर 16% से 8% तक की कमी की गई है:-
   - प्रैशर कुकर
   - बिस्कुट
   - बायल्ड स्वीटस
   - शुगर कन्फैक्शनरी (सफेद चाकलेट को छोड़कर)
   - रफ ओपथालमिक ब्लैंक्स
   - डेन्टल चेयर्ज
   - इलैक्ट्रिक वाहन
   - स्केण्टिड सुपारी
   - नाइकाटिन पोलेक्रीलेक्स गम
3. यांत्रिकी एवं अर्ध-यांत्रिकी क्षेत्र में विनिर्मित माचिसों पर विशिष्ट शुल्क दरों को सेनवाट क्रेडिट के बिना 8 प्रतिशत के एक समान उत्पाद शुल्क द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एक्साइज स्टैप्पस के माध्यम से माचिसों पर शुल्क की अदायगी को, एड्-वैलोरेम लेवी को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप हटाया जा रहा है। गैर-यांत्रिकी क्षेत्र में निर्मित माचिसों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है।
4. पालिस्टर फिलैमेंट यार्नस पर भी उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है।

डाक विभाग के स्वामित्व वाली संपत्ति

4765. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग के स्वामित्व वाली संपत्ति कई स्थानों पर बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संपत्ति का अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) कितने स्थानों पर संपत्ति पर अतिक्रमण हैं; और

(घ) अतिक्रमणों को हटाने और संपत्ति का उत्पादक इस्तेमाल करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो वे क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुक्करसर): (क) डाक विभाग के पास विभागीय भवनों के निर्माण के लिए देश भर में लगभग 2000 खाली भू-खंड

हैं जिन पर धन की कमी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 163 भू-खंडों पर या तो पूरा या आंशिक रूप से अतिक्रमण हुआ है।

(घ) अतिक्रमण को हटाने के लिए ऐसे सभी मामले विभिन्न प्रशासनिक/कानूनी स्तरों पर उठाए गए हैं।

ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया का आधुनिकीकरण

4766. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया का नवीनतम उपस्कर और अन्य सुविधाओं के साथ आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के प्रचालनों का मुख्य क्षेत्र क्या है;

(ग) क्या विदेशी कंपनियों की तुलना में ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया (डी सी आई) का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। डी सी आई ने वर्ष 1999 और 2001 के दौरान आधुनिक और कम ईंधन खपत वाले 7400 क्यूबिक मीटर होपर क्षमता वाले 3 ट्रेलर सक्शन ड्रेजर प्राप्त किए हैं। पुराने ड्रेजरों के मामले डी सी आई उपलब्ध प्रौद्योगिकी सहित नौचालन और ड्रेजर उपकरणों में सुधार करता रहा है।

(ख) महापत्तनों और भारतीय नौसेना के ड्रेजिंग आवश्यकता अनुरक्षण, डी सी आई के प्रचालन का मुख्य क्षेत्र है।

(ग) और (घ) अनुरक्षण ड्रेजिंग से संबंधित डी सी आई के कार्य की गुणवत्ता की तुलना विदेशी कम्पनियों से की जा सकती है। फिर भी, डी सी आई अपने बेड़े में कटर सक्शन ड्रेजर सम्मिलित करने और कैपिटल ड्रेजिंग कार्य के निष्पादन में कर्मचारियों के कार्य दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता महसूस करता है। डी सी आई को आवश्यकता के आधार पर संयुक्त उद्यम/संधि आदि में सम्मिलित होने पर मिनी-रत्न की उपाधि प्रदान की गयी है। डी सी आई ड्रेजरों पर प्रौद्योगिकी और स्टाफ की तकनीकी दक्षता में सुधार के लिए भी कार्रवाई कर रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4767. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 26 मार्च, 2003 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भूमि अधिग्रहण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास में विलम्ब के कारण अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं पिछड़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्योरा क्या है जहां यह परियोजनाएं पिछड़ रही हैं;

(ग) क्या इस संबंध में उनके मंत्रालय ने संबद्ध राज्य सरकार के साथ यह मामला उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) भूमि अधिग्रहण आदि जैसे पूर्व-निर्माण कार्य संबंधी मामलों में आई समस्याओं के कारण निम्नलिखित राज्यों में कुछ राजमार्ग परियोजनाओं में विलंब हुआ है:-

(i) आंध्र प्रदेश
(ii) बिहार
(iii) झारखंड
(iv) उड़ीसा
(v) महाराष्ट्र
(vi) कर्नाटक
(vii) तमिलनाडु
(viii) गोवा
(ix) उत्तर प्रदेश
(x) नागालैंड

(ग) जी, हां।

(घ) इस मामले को विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों और उनके मुख्य मंत्रियों के साथ उठाया गया है।

(ङ) परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) तुरंत निर्णय लेना और शीघ्र भुगतान करना।

(ii) शीघ्र पूरा करने के लिए बोनस देना और विलंब होने पर जुर्माना लगाना।

(iii) अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग।

(iv) कम अधिकारियों वाला संगठन जो बाह्य स्रोतों से परियोजना तैयार करने, कार्य पर्यवेक्षण और अनुरक्षण कार्य कराकर निजी क्षेत्र की दक्षता प्राप्त कर रहा है।

(v) विभिन्न स्तरों पर आवधिक निगरानी।

(vi) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण जैसे निर्माण पूर्व कार्यों को शीघ्रता से करने के लिए राज्य सरकारों के उच्च स्तर पर निरतंर संपर्क।

भारत-वियतनाम द्विपक्षीय संबंध

4768. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बेहतर भारत-वियतनाम द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत-वियतनाम संबंध स्थापित किए गए; और

(ग) इस संबंध में नई दिल्ली में हुई भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की ग्यारहवीं बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) भारत और वियतनाम कृषि तथा पशुपालन, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, तेल और गैस, रेलवे, इस्पात, खनन इत्यादि जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग करते हुए अपने परपंरागत मैत्री संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

(ग) संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने जैवप्रौद्योगिकी, सुपर कम्प्यूटर्स, अंतरिक्ष, जहाज और शिपयार्ड, डाक तथा दूर-संचार इत्यादि जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की।

परंपरागत औषधि का अनुवीक्षण

4769. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परंपरागत औषधि का अनुवीक्षण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है जैसा कि दिनांक 29 मार्च, 2003 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए परंपरागत औषधि का प्रयोग करती है; और

(ग) यदि हां, तो परंपरागत औषधि का मानकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई रणनीति क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी शिक्षा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सी.सी.आई.एम) द्वारा विनियमित की जाती है तथा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सी.सी.एच) होम्योपैथी शिक्षा का विनियमन करता है।

औषधियों की बिक्री हेतु उत्पादन का विनियमन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा किया जाता है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए परंपरागत औषधियों का प्रयोग करती है।

(ग) शिक्षा और औषधि उत्पादन पहले ही विनियमित हैं। योग संग्रह का प्रकाशन किया गया है और भेषजसंहिता मानकों का निर्धारण किया गया है। अच्छी विनिर्माण पद्धति (जी.एम.पी.) को अधिसूचित किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

भारतीय इन्फोटेक कंपनियों का कार्य-निष्पादन

4770. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वैश्विक मंदी ने भारतीय इनफोटेक कंपनियों के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) पूरे विश्व में जारी मंदी के परिणामस्वरूप लाभ में कमी के कारण भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों का कार्यनिष्पादन प्रभावित हुआ है। लेकिन, सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर तथा सेवाओं का कार्य मुख्य धारा में आ गया है और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के व्यवसाय की मात्रा में वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने क लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी दोहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वत: मार्ग के अंतर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर पौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतरमंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत साफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात को लदान पर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटर और कंप्यूटरों पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002-03 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/ प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0%, फ्लापी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक काट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क 25% से 5%, अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम में आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0%, इलेक्ट्रानिक संघटक पूर्जों के विनिर्माण में काम में आने वाली पूंजी वस्तुओं की 24 मदों पर 25-35% से 15%, इलेक्ट्रानिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, साचों डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रानिक संघटक-पूर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सागग्रियों की 46 मदों पर 25-35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

* कम्प्यूटर और उपान्त उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मानीटरों के विक्षेपण संघटक पूर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रानिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर सीमा शुल्क 15% दूरसंचार के पूर्जों पर 5% सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक-पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं को मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों का आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गई कम्प्यूटर साफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेक्षण शामिल है।

16. धारा 80एचएचई के लाभ सहायक साफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध है।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं:

* विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्ष तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी संगठन द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब तक कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि को संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट पोलियो विदेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यापूंजी

के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80-1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकास इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रोडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुन: परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुन: स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुन:स्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. जो भारतीय कम्पनियां विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वत: मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान 50 मिलियन अमरीकी डालर है। (बजट 2002-03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कंपनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालयित के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002-03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक सामाजिक अथवा सांख्यिकी शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियों तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी व्यवस्था लागू की गई।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

विभिन्न शीर्षों पर खर्च की गई धनराशि

4771. श्री रामदास आठवले: क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, आतिथ्य, जलपान, उद्घाटन समारोह, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, दौरों (विदेशी दौरों सहित), एस.टी.डी. और आई.एस.डी. टेलीफोन बिल, बिजली के बिल और कार्यालय के अन्य खर्चों जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त शीर्षों के अंतर्गत किये जा रहे व्यय में कटौती करने हेतु कोई अभियान आरंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): (क) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान उप-शीर्ष अर्थात "घरेलू यात्रा व्यय", "विदेश यात्रा व्यय", "कार्यालय व्यय", "अन्य प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत किए गए खर्च निम्न प्रकार से है:-

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष	वर्ष 2000-2001 के दौरान	वर्ष 2001-2002 के दौरान	वर्ष 2002-2003 के दौरान
1.	घरेलू यात्रा व्यय	14.51	17.85	17.82
2.	विदेश यात्रा व्यय	8.51	54.92	49.46
3.	कार्यालय व्यय	102.2	86.80	77.77
4.	अन्य प्रशासनिक व्यय	22.62	15.40	11.31
	कुल	148.26	174.97	156.36

(ख) और (ग) किये जा रहे व्यय में कटौती करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर मितव्ययिता पर जारी विभिन्न अनुदेशों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उछता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) का सर्वेक्षण

4772. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर) द्वारा किया गया सर्वेक्षण में यह खुलासा किया गया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे चार भारतीय राज्य हैं जो इलेक्ट्रानिक तत्परता (ई. रेडीनेस) के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के रूप में उभरे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य राज्यों में इलेक्ट्रानिक तत्परता (ई. रेडीनेस) को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) की रिपोर्ट के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु देश में ई-तैयारी की दृष्टि से अग्रणी राज्यों के रूप में उभरे हैं।

(ख) इस सर्वेक्षण में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की ई-तैयारी का आकलन करने के लिए उन्हें शामिल किया गया था। अध्ययन के लिए आंकड़े एक निर्धारित प्रश्नावली के रूप में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्रित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एनसीएईआर ने टेलीफोन, वैयक्तिक कम्प्यूटर, इंटरनेट सम्पर्क तथा केबल टीवी वाले घरों के संबंध में उनके द्वारा किए गए घरेलू वस्तुओं का बाजार सूचना सर्वेक्षण (एमआईएचएस) में उनके द्वारा एकत्रित प्राथमिक आंकड़ों का भी प्रयोग किया।

एनसीएईआर अध्ययन में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का मूल्यांकन छह मुख्य मापदंडों पर किया गया हैं, अर्थात नेटवर्क अभिगम, नेटवर्क अधिगम नेटवर्क नीति, नेटवर्क समाज, ई-शासन तथा नेटवर्क अर्थव्यवस्था (इन मापदण्डों की मुख्य बातें संलग्न विवरण I में दी गई हैं) इन मापदण्डों के आधार पर, एनसीएईआर ने राज्यों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया हैं: अग्रणी, आकांक्षी, प्रत्याशी, औसत उपलब्धिकर्ता, निम्न उपलब्धिकर्ता तथा न्यून उपलब्धिकर्ता। रिपोर्ट ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना के संबंध में सुझाव भी दिए गए हैं।

(ग) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की ई-तैयारी में सुधार करने तथा अभिवृद्धि करने का एक निरन्तर प्रयास है। सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय नीचे दिए अनुसार हैं, जिनसे देश में राज्यों की ई-तैयारी सुधार करने में सहायता मिली है:

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी आईसीटी नेटवर्क

(निकनेट) स्थापित किया है, जिसके गेटवे नोड केन्द्र सरकार के सभी विभागों, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सचिवालयों (28+7) तथा लगभग 600 जिला प्रशासनों को इंटरनेट, इलेक्ट्रानिक मेल तथा विश्वव्यापी बेव सुविधाओं सहित आईसीटी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलध कराए गए हैं। एनआईसी ने एक राष्ट्रव्यापी वीडियो सम्मेलन नेटवर्क भी स्थापित किया, जिसमें सभी राज्य शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अर्नेट इंडिया नामक संस्था ने देश भर के विभिन्न शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई है।

भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) ने पूरे देश में 39 केन्द्र स्थापित किए हैं (सूची संलग्न विवरण II में संलग्न है)।

डीओईएसीसी केन्द्र (पूर्वतन भारतीय इलेक्ट्रानिक डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईडीटीआई) सात स्थानों अर्थात औरंगाबाद, कालीकट, गोरखपुर, इम्फाल, श्रीनगर/जम्मू, तेजपुर/गुवाहाटी तथा आईजाल में स्थापित किए गए हैं, जो इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी में अल्पावधि एवं दीर्घावधि पाठ्यक्रम चलाते हैं।

जो राज्य इस दिशा में अभी भी पीछे हैं, उनमें अंकीय विभाजन को कम करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के विशिष्ट उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सात पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के 487 ब्लाक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करने की योजना लागू की है।

विवरण I

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ई-तैयारी के श्रेणीकरण के मुख्य मापदण्ड

एनसीएईआर अध्ययन में राज्यों का मूल्याकंन छह मुख्य मापदण्डों पर किया गया है, अर्थात नेटवर्क अभिगम, नेटवर्क अधिगम, नेटवर्क नीति, नेटवर्क समाज, ई-शासन तथा नेटवर्क अर्थव्यवस्था।

(i) नेटवर्क अभिगम में टेलीफोन घनत्व, टेलीफोन तथा केबल टीवी वाले घरों का प्रतिशत, सेल्यूलर फोन, वैयक्तिक कम्प्यूटरों की संख्या, इंटरनेट सम्पर्क, इंटरनेट के प्रयोग का प्रतिघण्टा औसत मूल्य, राज्य में सेल्यूलर आपरेटरों की संख्या, प्रति 100 लाइन दूरसंचार कर्मचारी तथा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) के अंतर्गत शामिल ग्रामों की संख्या जैसे सूचक शामिल हैं।

(ii) नेटवर्क अधिगम की निगरानी इंटरनेट अभिगम वाले कालेजों तथा स्कूलों के प्रतिशत, कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं सूचना प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या, आईसीटी पाठ्यक्रम से पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, सूचना प्रौद्योगिकी अर्हता प्राप्त शिक्षकों का प्रतिशत तथा आन लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के प्रतिशत की दृष्टि से की जाती है।

(iii) नेटवर्क नीति का मूल्यांकन दूरसंचार, ई-वाणिज्य कराधान, बौद्धिक सम्पदा तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं साइबर कानूनों की उपस्थित, आस्तगित करों का प्रावधान, प्रयोजनमूलक मूलसंरचनात्मक सुविधाओं तथा आईसीटी फर्मों की इमदादी उपयोगिताओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार के प्रयासों की दृष्टि से किया जाता है।

(iv) राज्यों का ई-शासन ग्रामीण सम्पर्क, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, व्यापार में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग ई-शासन परियोजनाओं के क्षेत्र में प्रयास एवं सफलता जैसेकि ई-खरीद, भूमि पंजीकरण, उपोगिता बिलिंग, सरकारी कर्मचारी रिकार्डों की संख्या, भू-अभिलेख आदि का कम्प्यूटरीकरण पर निर्भर करता है।

(v) नेटवर्क समाज का परिमापन आनलाइन कम्पनियों की संख्या, स्थानीय भाषा, की बेवसाइटें तथा इंटरफेस, सरकारी बेवसाइटों की संख्या और कम्प्यूटर तथा टेलीफोन वाले घरों के प्रतिशत के रूप में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले घरों की संख्या की दृष्टि से किया जाता है।

(vi) नेटवर्क अर्थव्यवस्था में राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों की संख्या, इन सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में सतह क्षेत्र तथा रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में कम्पनियों का बिक्री कारोबार तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का प्रयोग करने वाली कम्पनियों की संख्या की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण II

एसटीपीआई ने निम्नलिखित केन्द्र स्थापित किए हैं:

क्र.सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
2.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
3.	बंगलौर	कर्नाटक

1	2	3
4.	भुनेश्वर	उड़ीसा
5.	भिलाई	छत्तीसगढ़
6.	चेन्नै	तमिलनाडु
7.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
8.	देहरादून	उत्तरांचल
9.	गांधी नगर	गुजरात
10.	गुवाहाटी	असम
11.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
12.	हुबली	कर्नाटक
13.	इंदौर	मध्य प्रदेश
14.	जयपुर	राजस्थान
15.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
16.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
17.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र
18.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
19.	मंगलूर	कर्नाटक
20.	मणिपाल	कर्नाटक
21.	मोहाली	पंजाब
22.	मदुरै	तमिलनाडु
23.	मैसूर	कर्नाटक
24.	नागपुर	महाराष्ट्र
25.	नासिक	महाराष्ट्र
26.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र
27.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
28.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
29.	पुणे	महाराष्ट्र
30.	राऊरकेला	उड़ीसा
31.	तिरुनवेली	तमिलनाडु
32.	तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश
33.	तिरुवनन्तपुरम	केरल
34.	त्रिची	तमिलनाडु
35.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
36.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
37.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
38.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश
39.	वारंगल	आंध्र प्रदेश

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल का विस्तार

4773. श्री अरुण कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज के उन्नयन और विस्तार के कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और उन्नयन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सभी अति विशिष्टता विभागों का सुदृढ़ीकरण, उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण जोड़ कर नैदानिक विभागों का उन्नयन और विशिष्टता विभागों का आधुनिकीकरण आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणबद्ध ढंग से किए जाने का प्रस्ताव है।

आई.टी.सी. कार्डों का नि:शुल्क जारी किया जाना

4774. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नोएडा में नए टेलीफोन कनैक्शनों के साथ आई.टी.सी. कार्ड प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी ऐसी सुविधा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बीएसएनएल ने 17.7.2002 को ऐसे शहरी क्षेत्रों के लिए प्रत्येक नए टेलीफोन कनेक्शन के साथ एक नि:शुल्क आईटीसी कार्ड स्कीम शुरू की है जहां स्विचन क्षमता उपलब्ध है किन्तु प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों की विदेश यात्रा

4775. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों, उपक्रमों और अन्य संस्थाओं के अधिकारियों ने कौन-कौन से देशों की यात्राएं कीं और वे वहां कितने दिन ठहरे;

(ख) सरकार ने उन्हें नकद राशि और ट्रैवलर चैक के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्रदान की;

(ग) नकदीकरण के लिए जमा न किये गये ट्रैवलर चैकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन अधिकारियों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के क्या कारण हैं और उनसे इस धनराशि को वसूलने में विफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग की गयी धनराशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और यह धनराशि कब तक वसूल किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2000 के दौरान विदेशी दौरे

भ्रमण किए गए देश का नाम	ठहरने के दिनों की सं.	नकद में जारी की गई विदेशी मुद्रा (रु. में)	ट्रैवलर चैक द्वारा जारी की गई विदेशी मुद्रा
1	2	3	4
नीदरलैंड	180	शून्य	शून्य
सिंगापुर	5	शून्य	शून्य
अमरीका	5	शून्य	शून्य
अमरीका	5	22,000/-	शून्य
अमरीका	4	60,900/-	शून्य
इंडोनेशिया	4	शून्य	शून्य
अमरीका	15	शून्य	शून्य
मेक्सिको	7	शून्य	शून्य
अमरीका	12	57,500/-	शून्य
अमरीका	12	57,500/-	शून्य
फ्रांस	5	22,250/-	शून्य
सिंगापुर	12	शून्य	शून्य
अरमेनिया	7	शून्य	शून्य
अमरीका	3	शून्य	शून्य
जापान	42	शून्य	शून्य
नेपाल	2	शून्य	शून्य
नेपाल	2	शून्य	शून्य
यू.के. (ब्रिटेन)	2	शून्य	शून्य

1	2	3	4
स्विट्जरलैंड	5	शून्य	शून्य
स्विट्जरलैंड	5	शून्य	शून्य
स्विट्जरलैंड	5	शून्य	शून्य
अमरीका	8	शून्य	शून्य
स्वीडन	20	32,620/-	शून्य
अमरीका	23	शून्य	शून्य
श्रीलंका	2	शून्य	शून्य
माल्टा	3	शून्य	शून्य
फिलीपिंस और चीन	9	शून्य	शून्य
यू.के. (ब्रिटेन)	7	32,200/-	शून्य
ब्राजील	2	शून्य	शून्य
थाइलैण्ड	3	शून्य	शून्य
अमरीका	3	शून्य	शून्य
चीन	3	शून्य	शून्य
फिलीपिंस	10	शून्य	शून्य
अमरीका	15	शून्य	शून्य
दक्षिण अफ्रीका	5	शून्य	शून्य
चीन	6	5,330/-	शून्य
दक्षिण अफ्रीका	5	शून्य	शून्य
आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और अमरीका	16	शून्य	शून्य
जापान	1	शून्य	शून्य

वर्ष 2001 के दौरान विदेशी दौरे

भ्रमण किए गए देश का नाम	ठहरने के दिनों की सं.	नकद में जारी की गई विदेशी मुद्रा (रु. में)	ट्रैवलर चैक द्वारा जारी की गई विदेशी मुद्रा
यूके (ब्रिटेन)	1	शून्य	शून्य
फिलीपिंस	5	शून्य	शून्य
डेनमार्क	12	शून्य	शून्य
मलेशिया, सिंगापुर और यूके (ब्रिटेन)	101	शून्य	शून्य
मलेशिया, सिंगापुर और यूके (ब्रिटेन)	101	शून्य	शून्य
अमरीका	8	34,500/-	शून्य
जापान	2	शून्य	शून्य
थाईलैण्ड	2	शून्य	शून्य
नेपाल	2	शून्य	शून्य
स्पेन	4	शून्य	शून्य
अमरीका	2	शून्य	शून्य
यूके (ब्रिटेन)	7	शून्य	शून्य
यूके ब्रिटेन)	2	शून्य	शून्य
श्रीलंका	3	शून्य	शून्य
चीन	2	शून्य	शून्य
मलेशिया	5	शून्य	शून्य
तुर्की	2	शून्य	शून्य
अमरीका	17	शून्य	शून्य
मलेशिया, जापान, थाईलैण्ड और इण्डोनेशिया	7	शून्य	शून्य
बंगलादेश	10	शून्य	शून्य
थाइलैण्ड	4	शून्य	शून्य
अमरीका	9	42,300/-	शून्य
लेबनान	3	शून्य	शून्य
नेपाल	5	शून्य	शून्य
फिलीपिंस	3	शून्य	शून्य
अमरीका	2	शून्य	शून्य
फिलीपिंस	3	शून्य	शून्य

1	2	3	4
फिलीपिंस	2	शून्य	शून्य
चीन	5	10,000	शून्य
जापान	172	शून्य	शून्य
फ्रांस और रूस	11	9,200/-	शून्य
हांगकांग	3	18,000/-	शून्य
मारीशस	4	10,800/-	शून्य
घाना	3	शून्य	शून्य
जापान	1	शून्य	शून्य
सिंगापुर	4	शून्य	शून्य
थाइलैण्ड	3	शून्य	शून्य

वर्ष 2002 के दौरान विदेशी दौरे

भ्रमण किए गए देश का नाम	ठहरने के दिनों की सं.	नकद में जारी की गई विदेशी मुद्रा (रु. में)	ट्रैवलर चैक द्वारा जारी की गई विदेशी मुद्रा
1	2	3	4
अमरीका	6	29,000/-	शून्य
स्विटजरलैण्ड	2	शून्य	शून्य
अमरीका	11	43,200/-	शून्य
फिलीपिंस	2	शून्य	शून्य
ताईवान	2	22,275/-	शून्य
पाकिस्तान	6	शून्य	शून्य
पाकिस्तान	6	शून्य	शून्य
अमरीका	63	शून्य	शून्य
यूके (ब्रिटेन)	3	शून्य	शून्य
यूके (ब्रिटन)	3	22,050/-	शून्य
जापान	5	18,000/-	शून्य
नेपाल	3	शून्य	शून्य
अमरीका	3	11,025/-	शून्य
भुटान	7	15,435/-	शून्य
अमरीका	28	शून्य	शून्य
स्विटजरलैण्ड	2	14,922/-	शून्य
नेपाल	5	शून्य	शून्य
मलेशिया	4	शून्य	शून्य
दक्षिण अफ्रीका	7	शून्य	शून्य
केन्या	2	8,820/-	शून्य
अमरीका	12	शून्य	शून्य
कनाडा	8	66,400/-	शून्य
पाकिस्तान	2	14,400/-	शून्य
जापान	3	शून्य	शून्य
पाकिस्तान	2	14,400/-	शून्य
थाईलैण्ड	3	शून्य	शून्य
रूस	3	13,720/-	शून्य
चीन	2	शून्य	शून्य
फ्रांस	9	शून्य	शून्य
श्रीलंका	2	शून्य	शून्य
यूके (ब्रिटेन) और फ्रांस	5	25,725/-	शून्य
सऊदी अरब	3	13,780/-	शून्य
नेपाल	3	शून्य	शून्य
थाइलैण्ड	3	शून्य	शून्य
वियतनाम	3	शून्य	शून्य
आस्ट्रेलिया	25	71,920/-	शून्य
कोरिया गणराज्य	3	शून्य	शून्य
कोरिया गणराज्य	7	शून्य	शून्य
कोरिया गणराज्य	7	शून्य	शून्य

1	2	3	4
दक्षिण अफ्रीका	8	शून्य	शून्य
टोगो	3	शून्य	शून्य
सिंगापुर	4	शून्य	शून्य
मोरक्को	15	शून्य	शून्य
नेपाल	2	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

राज्य सामुद्रिक विकास निगम की स्थापना

4776. श्री परसुराम माझी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव राज्य सामुदायिक विकास निगम की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) उक्त निगम द्वारा कौन-कौन से कार्य किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों पर वैगन टिप्पलिंग प्रणाली

4777. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी प्रमुख पत्तनों पर वैगन टिप्पलिंग प्रणाली प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो वे प्रमुख पत्तन कौन-कौन से हैं जिनमें कि वर्तमान में यह प्रणाली लागू है;

(ग) किस तिथि तक सभी प्रमुख पत्तनों में वैगन टिप्पलिंग प्रणाली प्रारंभ हो जाएगी; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (घ) वैगन टिप्पलिंग प्रणाली सामान्यत: बल्क कार्गो, विशेष रूप से खनिज लोहा और कोयले की ढुलाई के उपयोग में लायी जाती है। यह सुविधा कोलकाता पत्तन के हल्दिया डाक परिसर, चेन्नई पत्तन, विशाखापत्तनम पत्तन और पारादीप पत्तन में पहले से ही उपलब्ध है। मुरगांव और नव मंगलूर पत्तन में वैगन टिप्पलिंग प्रणाली के संस्थापन और प्रचालन का प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर है। वैगन टिप्पलिंग प्रणाली न तो प्रचालन में है और न ही इस स्थिति में अन्य महापत्तनों पर इसे संस्थापित करने की कोई योजना है।

उड़ीसा के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना

4778. श्री परसुराम माझी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने उस राज्य के कालाहांडी, बोलनगीर, और कोरापुट (केबीके) जिलों के लिए 2003-04 के लिए संशोधित दीर्घ अवधि की कार्य योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित दीर्घ अवधि की कार्य योजना कार्यान्वयन के लिए निर्धारित परिव्यय धनराशि कितनी है;

(ग) क्या इस योजना को आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गयी परिव्यय धनराशि कितनी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) राज्य सरकार ने उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट (केबीके) जिलों के लिए संशोधित दीर्घावधि कार्ययोजना (1998-99 से 2006-7) प्रस्तुत की थी, जिसमें मुख्यत: चालू केन्द्रीय योजना तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमें शामिल थीं। गंभीर समस्या वाले क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को 100 प्रतिशत अनुदान पर निधियन के लिए विशेष योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया था। राज्य सरकार ने 2003-04 के लिए योजना प्रस्तुत कर दी है।

(ख) राज्य सरकार ने 100 प्रतिशत अनुदान पर विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 250 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत केंद्रीय ऋण सहायता के रूप में 140 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) विशेष योजना हेतु परिव्यय को, वर्ष 2003-04 के लिए उड़ीसा की राज्य योजना के आकार का निर्धारण होने के बाद निर्धारित किया जाएगा।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

4779. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण लोगों में व्यापक रूप से जागरूकता लाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण स्तर पर शुरू किए गए परिवार नियोजन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जन्म दर को कम करने में कितनी प्रगति हुई और इस काम में कितना व्यय हुआ; और

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में विज्ञापन पर कितना व्यय किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने और सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए परिवार कल्याण पर निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं:-

(i) आकाशवाणी के जरिए रेडियों प्रायोजित ग्रामीण लोक आधारित कार्यक्रम नामत: लोक झंकार, संकल्प और सुरबहार प्रसारित किए जा रहे हैं।

(ii) दूरदर्शन पर विभिन्न परिवार कल्याण संबंधी मुद्दों पर ग्रामीण इलाकों में सामूहिक चर्चाएं, वीडियो-झलकियां तथा विषय पर आधारित फीचर फिल्मों को प्रसारण किया जा रहा है।

(iii) उन उत्तरी राज्यों में, जहां सामाजिक सूचक महत्वपूर्ण हैं, क्षेत्रीय केन्द्रों के जरिए एक पत्रिका कार्यक्रम 'कल्याण' प्रारंभ किया गया है।

(iv) विशेष अवसरों पर परिवार कल्याण संबंधी संदेशों का क्षेत्रीय तथा स्थानीय समाचार पत्रों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाशन तथा प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(ख) और (ग) भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीकरण योजना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर इस प्रकार रही है:-

वर्ष	जन्म दर (ग्रामीण)
1998	28.0
1999	27.6
2000	27.6
2001	27.1 (अनन्तिम)

सूचना, शिक्षा एवं संचार जिसमें विज्ञापन तथा प्रचार शामिल हैं, पर व्यय केवल परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं बल्कि यह परिवार कल्याण संबंधी उपायों जैसे पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, जनसंख्या स्थिरीकरण, बच्चों में अंतर रखने के तरीकों, विवाह की उम्र, महिला अधिकारिता, पोषण अतिसार तथा रक्ताल्पता नियंत्रण, किशोर/किशोरी स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, व्यवहार परिवर्तन संबंधी संचार कार्यकलाप तथा विश्व जनसंख्या दिवस मनाने जैसे विशिष्ट कार्यकलाप आदि से भी जुड़ा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित व्यय हुआ है:-

2000-2001	-	152.51 करोड़ रुपए
2001-2002	-	142.71 करोड़ रुपए
2002-2003	-	240.84 करोड़ रुपए (अनन्तिम)

झारखंड में मोबाइल सेवा

4780. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने झारखंड में मोबाइल सेवा प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोकारो जिले का बरमो क्षेत्र भी मोबाइल सेवा से जोड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) सेल्युलर सेवा प्रदान करने की दृष्टि से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की प्रारंभिक योजनाओं में केवल जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों आदि को इस सेवा से जोड़ने की परिकल्पना की गई है और इसलिए बोकारो जिले के बरमो क्षेत्र को उन योजनाओं में शामिल नहीं किया गया।

विवरण

क्रम सं.	जिला मुख्यालय	क्षमता	चालू करने की तारीख
1.	बोकारो	2000	18.12.2002
2.	चाईबासा	1000	18.12.2002
3.	चतरा	1000	27.02.2002
4.	डाल्टनगंज	2600	17.12.2002
5.	देवघर	1000	13.12.2002
6.	धनबाद	4000	18.12.2002
7.	दुमका	1000	18.12.2002
8.	गिरिडीह	1000	10.01.2003
9.	गोड्डा	1000	18.12.2002
10.	गुमला	1000	18.12.2002
11.	हजारीबाग	1000	18.12.2002
12.	जामतारा	500	18.12.2002
13.	कोडरमा	1000	18.12.2002
14.	लातेहर	500	18.12.2002
15.	लोहरदगा	1000	08.01.2002
16.	पाकुर	1000	21.01.2002
17.	रांची	5000	31.03.2002
18.	सरायकेला	1000	18.12.2002
19.	साहेबगंज	1000	18.12.2002
20.	सिमडेगा	1000	18.12.2002
21.	जमशेदपुर	4000	31.03.2002

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में डाकघर

4781. श्री सनत कुमार मंडल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में डाकघर की जिले-वार कितनी शाखाएं हैं और कितने उप-डाकघर हैं;

(ख) क्या सरकार के पास राज्य के डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने नए डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में शाखा और उप डाकघरों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) नवंबर 2002 की स्थिति के अनुसार 218 डाकघरों में कंप्यूटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप में और डाकघरों में, जिनमें पश्चिम बंगाल के डाकघर भी शामिल हैं, कंप्यूटर उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों पर निर्भर करती है।

विवरण

31.03.2003 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में शाखा और उप डाकघरों की जिलावार संख्या

क्रम सं.	जिले का नाम	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों सहित शाखा डाकघरों की संख्या	उप डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	24 परगना (उत्तर)	531	195
2.	24 परगना (दक्षिण)	697	104
3.	कोलकाता	3	225
4.	पुरुलिया	415	36
5.	पश्चिमी मिदनापुर	516	64
6.	हावड़ा	265	94
7.	हुगली	390	144
8.	बांकुरा	429	54
9.	नदिया	316	116

1	2	3	4
10.	बर्दवान	441	185
11.	बीरभूम	395	60
12.	मुर्शिदाबाद	507	78
13.	माल्दा	303	38
14.	दिनाजपुर (उत्तर)	180	23
15.	दिनाजपुर (दक्षिण)	140	22
16.	कूच बिहार	297	49
17.	दार्जीलिंग	90	71
18.	जलपाईगुड़ी	237	59
19.	पूर्वी मिदनापुर	890	117
	कुल	7042	1705

खनिज पृथक्करण संयंत्र

4782. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चवारा (कोल्लम), केरल में एक खनिज पृथक्करण स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई आर ई एल), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन एम डी सी) और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के (के एस आई डी सी) ने, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के चवारा यूनिट द्वारा उत्पादित इल्मेनाइट पर आधारित सिंथेटिक रुटाइल के उत्पादन के लिए केरल में चवारा के निकट प्रारंभ में एक मूल्य-वर्धन संयंत्र और बाद में एक एकीकृत खनन, खनिज पृथक्करण और मूल्य-वर्धन संयंत्र स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए, 26.12.2002 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आहार संपूरक/पौष्टिक संपूरक/स्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री

4783. श्री अनंत गुडे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक आहार संपूरक/पौष्टिक संपूरक/स्वास्थ्यकर भोजन आदि चिकित्सीय दावों के बिना बाजार में बेचे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लेबल लगाने संबंधी आवश्यकता सहित विषय के बारे में विनिर्दिष्ट अनुदेशों को पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग आहार अनुपूरक/स्वास्थ्य खाद्य अनुपूरक, न्यूट्रेस्युटिकल्स और हर्बेस्युटिकल्स, जो खाद्य अमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन यथापरिभाषित खाद्य की परिभाषा में नहीं आते हैं, के विनिर्माण, बिक्री/वितरण को विनियमित करने के लिए एक कानून अर्थात् "प्रारूप स्वास्थ्य खाद्य अनुपूरक विधेयक" तैयार कर रहा है।

गांवों में ग्रामीण पंचायत टेलीफोन

4784. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गावों में टेलीफोन लगाने के अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने हेतु निजी बुनियादी फोन कंपनियों को और अधिक समय न देने के प्रति कड़ा रूख अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी बुनियादी फोन कंपनियां विगत में अनेक बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद फोन लगाने में विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन कंपनियों को दिए गए लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क), (ख), (घ) और (ङ) मामले की जांच चल रही है।

(ग) जी, हां।

[हिन्दी]

झारखंड में टेलीफोन कनेक्शन

4785. श्री नागमणि: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा आज तक झारखंड में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में राज्य में खराब पड़े टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली विफल हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) गत दो वर्षों के दौरान झारखंड में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस समय राज्य में खराब पड़े टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 2166 है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनुपलब्धता के कारण कभी-कभी दूरसंचार सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. एमएआरआर (मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो) वीपीटी (ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन), डब्ल्यू एल एल (वायरलेस इन लोकल लूप) वीपीटी के द्वारा उत्तरोत्तर रूप में बदले जा रहे हैं।
2. जेनरेटर और स्टैंड-बाई-बैटरी जैसे बिजली के पर्याप्त वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं।
3. सभी ग्रामीण एक्सचेंजों को विश्वसनीय और उच्च बैंड बिड्थ आप्टिकल फाइबर पारेषण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू एल एल फोन, सेल्यूलर मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी नई सेवाएं मुहैया करायी जा रही हैं।

विवरण

झारखंड दूरसंचार सर्किल में गत दो वर्षों के दौरान आबंटित (चालू) किए गए जिलावार टेलीफोन कनेक्शन और 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार टेलीफोनों की स्थिति

जिले का नाम	आबंटित (चालू) किए गए टेलीफोन कनेक्शन		31.03.2003 के अनुसार टेलीफोन की स्थिति
	2001-2002	2002-2003	
1	2	3	4
धनवाद	8653	8747	57002
बोकारो	8064	6031	42885
पश्चिमी सिंहभूम	1853	1466	15386
पूर्वी सिंहभूम	8597	5670	79732
सराईकेला	2947	1762	11662
हजारीबाग	5598	2355	33217
गिरीडीह	5695	2395	11005
चतरा	203	85	2547
कोडरमा	1765	743	6780
दुमका	731	1157	7259

1	2	3	4
देवधर	4171	999	12139
गोड्डा	1208	942	4898
साहेबगंज	992	744	5816
पाकुर	403	698	3985
जामतारा	607	497	2564
लातेहर	550	347	2658
गढ़वा	1134	591	4138
पलामू	3001	1427	13388
रांची	11449	9036	89365
गुमला	508	575	3169
लोहरदग्गा	340	400	3817
सिमडेगा	193	86	1770

नासिक में आप्टिकल फाइबर केबल

4786. श्री हरिभाऊ शंकर महाले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नासिक जिले में आप्टिकल फाइबर केबल प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो (कि.मी. में) इसकी कुल लम्बाई कितनी होगी और इस विषय पर सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) नासिक जिले में अब तक 1663 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल बिछायी गयी है। 2003-2004 के दौरान 232 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की योजना है।

[अनुवाद]

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची वाई

4787. डा. बलिराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची वाई संशोधनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गठित की गई समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इस संबंध में उनके द्वारा सिफारिशों को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची-वाई में नई औषधियों के आयात और विनिर्माण के लिए क्लीनिकल ट्रायल करने हेतु अपेक्षाएं और दिशानिर्देश निर्धारित हैं। इसको वर्ष 1988 में सम्मिलित किया गया था।

वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए और क्लीनिकल अनुसंधान के क्षेत्र में देश में सुलभ क्षमता को देखते हुए अनुसूची-वाई के अंतर्गत अपेक्षाओं को अद्यतन बनाने के उद्देश्य से औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड अनुसूची-वाई की समीक्षा शुरू करने के लिए सहमत हो गया।

इस अनुसूची की समीक्षा डा. नीलिमा श्रीसागर, डीन, के.ई.एम. अस्पताल मुम्बई, डा. बी.एन.धवन, पूर्व निर्देशक, सी.डी.आर.आई.,

लखनऊ, डा. जे.एन. पांडे, विभागाध्यक्ष, मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डा. आर.सी. श्रीमल, वैज्ञानिक, आई.टी.आर.सी., डा. वाई.के. गुप्ता, फार्मोकोलोजी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डा. एस.डी. सेठ, वैज्ञानिक, आई.सी.एम.आर., डा. शंकर नारायण, डा. सुधीर श्रीवास्तव, सी.डी.आर.आई. लखनऊ और डा. एन.के. गांगुली, महानिदेशक, आई.सी.एम.आर. सहित कई विशेषज्ञों के परामर्श से की गई है।

(ग) अनुसूची-वाई में किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं।

[हिन्दी]

मलेरिया और पोलियो नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु सहायता

4788. श्री राजो सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक अलग रूप से बिहार में मलेरिया और पोलियो नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए आबंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिहार द्वारा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) मलेरिया: विगत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार राज्य को प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष	आबंटन	व्यय (रुपये लाख में)
1999-2000	481.35	578.66
2000-2001	383.07	83.20*
2001-2002	357.37	525.94

* वर्ष 2001-2002 में समायोजित की गई 344 एम.टी. डी.डी.टी. की लागत।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1997 से बिहार (अब झारखंड में) 10 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना चल रही थी। उपर्युक्त अवधि के दौरान परियोजना के अधीन राज्य को क्रमश: 81.01 लाख रुपये, 155.62 लाख रुपए और 20.07 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई। बिहार सरकार से मलेरिया के लिए अतिरिक्त धन मांगने संबंधी कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पोलियो:- राज्यों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ओरल पोलियो वैक्सीन की वस्तुगत रूप में आपूर्ति की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार को संचालक व्यय के लिए दिया गया धन और राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यय निम्न प्रकार है:-

वर्ष	बिहार राज्य को दिया गया धन	सूचित किया गया व्यय (लाख में)
1999-2000	1160.05	1013.78
2000-2001	2206.53	1754.78
2001-2002	1585.33	1130.74
2002-2003	2388.11	अभी तक सूचित नहीं किया गया है।

चिकित्सकों की कमी

4789. श्री सुबोध राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 20 नवम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 360 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इसे कब तक एकत्रित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना अभी एकत्र नहीं की जा सकी क्योंकि इसमें अनेक संगठन शामिल हैं। तथापि, सूचना एकत्र करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी दवाएं

4790. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने में सरकारी अस्पतालों द्वारा कितना खर्च किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आवश्यक दवाओं पर प्रत्येक अस्पताल के बजटीय व्यय में वर्ष-वार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार और झारखंड में डब्ल्यू.एल.एस. सेवा

4791. प्रो. रीता वर्मा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल के पुराने डब्ल्यूएलएल टेलीफोन बिहार और झारखंड सर्किल के विभिन्न दूरसंचार जिलों में सफल नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोनों को लगाने में कुल कितना व्यय आया; और

(घ) उक्त दूरसंचार प्रणाली असफलता को देखते हुए एक्सचेंज-वार कितने उपभोक्ताओं ने 31 मार्च, 2003 तक बुनियादी टेलीफोन कनेक्शन हेतु आवेदन दिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) बिहार और झारखंड सर्किलों में बीएसएनएल के डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोनों की असफलता की कोई सूचना नहीं है तथा बिहार और झारखंड में डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोनों को लगाने में खर्च हुई कुल लागत 313.19 करोड़ रुपए है।

भ्रष्टाचार रोधी प्रकोष्ठ

4792. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में एक भ्रष्टाचार रोधी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रकोष्ठ कब से कार्य कर रहा है और इस प्रकोष्ठ द्वारा अब तक वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त की गयीं;

(ग) कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और अब तक कितने लोगों को दण्डित किया गया हैं; और

(घ) कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके उन्हें सेवा से हटाया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। भ्रष्टाचार निरोधी शिकायतों की सीधी मानीटरिंग के लिए भ्रष्टाचार निरोधी यूनिट की स्थापना 7.8.1997 को की गई थी। इस यूनिट को इसकी स्थापना से लेकर 8.4.2003 तक 7839 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

भ्रष्टाचार निरोधी यूनिट को वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002 के दौरान क्रमश: 3003, 1611, 1043, 806, 808, और 503 शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर कार्रवाई की गई।

(ग) और (घ) भ्रष्टाचार निरोधी यूनिट में प्राप्त शिकायतों के आधार पर, 8.4.2003 तक 287 अधिकारियों को दण्डित किया जिनमें सेवा से पदच्युत किए गए 2 अधिकारी, सेवा समाप्त किया गया 1 अधिकारी और अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति दिए गए तीन अधिकारी शामिल हैं।

[अनुवाद]

इराकी राजनयिकों का निष्कासन

4793. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री विनय कुमार सोराके:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री जे.एस. बराड:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन ने भारत से तीन इराकी राजनयिकों को निष्कासित करने का अनुरोध किया था, जैसाकि दिनांक 15 मार्च, 2003 के 'द इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका द्वारा इस अनुरोध के क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) उक्त मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। अमेरिकी सरकार ने ईराकी राजनयिकों के भारत से निष्कासन का अनुरोध किया था।

(ख) यह अनुरोध, भारत में अमेरिकी राजनयिक कार्मिकों और सुविधाओं के प्रति अमेरिका द्वारा महसूस खतरे को आधार बनाकर किया गया था। समझा जाता है कि अमेरिका ने इसी प्रकार का अनुरोध उन अनेक देशों से किया गया था जिनमें इराक से राजनयिक मिशन हैं।

(ग) प्रत्याशित राजनयिकों को तभी निष्कासित किया जाता है जब वे ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाए जो उनके राजनयिक दर्जे के अनुरूप न हों। भारत में ईराकी राजनयिकों की ओर से ऐसे आचरण का चूंकि कोई साक्ष्य नहीं था इसलिए सरकार ने अमेरिकी अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की।

सी-डेक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वालों की संख्या में कमी

4794. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सी-डेक में स्नातकोत्तर एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वालों की संख्या में आ रही कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्ष में इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वालों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में पिछले कुछ वर्षों से आम तौर पर मंदी रही है जिसके परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम भर्ती हुई है। इसने कम्प्यूटर शिक्षा के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दाखिलों की संख्या नीचे दिए अनुसार रही:

(i)	2001-02	3405
(ii)	2000-01	6039
(iii)	1999-00	3055

(घ) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(i) एनसीएसटी और ईआरएण्डडीसीआई का विलय सी-डैक के साथ होने से, सी-डैक शैक्षणिक ज्ञान आधार और अधिक मजबूत हुआ है। इसके परिणामस्वरूप तार्किक पाठ्यक्रम डिजाइन और सेवा प्रदान करने की क्वालिटी में समरूपता आएगी। सी-डैक के ये पाठ्यक्रम तत्कालीन ईआरएण्डडीसीआई और एनसीएसटी केन्द्रों द्वारा भी चलाए जाएंगे।

(ii) पाठ्यक्रमों में माड्यूल प्रणाली की शुरूवात करना ताकि विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार माड्यूलों का चयन कर सके अथवा एक बार में पाठ्यक्रम पूरा करने की बजाय खण्डों में पूरा कर सके।

(iii) भर्ती प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करना।

मदर डेयरी बूथों पर टेलीफोन की सुविधा

4795. श्री सवशीभाई मकवाना:
श्री ए.सी. जोस:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में मदर डेयरी के फल और सब्जी बूथों पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मदर डेयरी के सभी (फल और सब्जी) बूथों पर एक रुपए के सिक्के वाले टेलीफोन बाक्स की सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मदर डेयरी के (फल और सब्जी) बूथों पर मांग पर टेलीफोन सुविधा प्रदान कर रहा है।

(ग) मदर डेयरी के प्रत्येक बूथ पर सिक्का संग्रहण बाक्स पीसीओ प्रदान करने की इस समय कोई सामान्य नीति नहीं है। तथापि, मांग होने पर यह प्रदान किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

4796. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विनिवेश के महत्वपूर्ण खरीददारों/भागीदारों की परिभाषा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के विनिवेश किये जा चुके उपक्रम में कौन-कौन से गैर महत्वपूर्ण खरीददार/भागीदार तथा महत्वपूर्ण खरीददार/भागीदार हैं;

(ग) प्रत्येक खरीददार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और प्रत्येक मामले में कितने प्रतिशत सरकारी हिस्सा बेचा गया;

(घ) बेची गयी अथवा आंशिक रूप से विनिवेश की गयी प्रत्येक सरकारी इकाई की मुक्ति भूमि का बाजार मूल्य क्या था;

(ङ) आंशिक विनिवेश के बावजूद कौन-कौन से सरकारी उपक्रमों का सरकार का नियंत्रण बना हुआ है;

(च) विनिवेश के पश्चात ऐसी प्रत्येक इकाई के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(छ) गैर सरकारी स्वामियों/कंपनियों को सीधी बिक्री के पश्चात सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का आर्थिक कार्य निष्पादन कैसा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) "अनुकूल साझीदार" अथवा अनुकूल क्रेता वह कम्पनी, व्यक्ति अथवा हस्ती होती है जिसके पक्ष में सरकार, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उसके द्वारा धारित समस्त इक्विटी अथवा इक्विटी के एक बड़े हिस्से का विनिवेश करती है।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण I में दी गयी है।

(घ) सभी संचित देयताओं के साथ भूमि सहित, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की परिसम्पत्तियों का विनिवेश, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा धारित इक्विटी को बेचकर किया जाता है। विनिवेश से प्राप्त बिक्री मूल्य, परिसम्पत्तियों और देयताओं को मिलाकर निवल औसत बाजार मूल्य होता है और इसकी गणना विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की प्रत्येक परिसम्पत्ति के लिए अलग से नहीं की जाती है।

(ङ) से (छ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विनिवेश के सभी मामलों में, सरकार ने अनुकूल साझीदार को प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित किया है।

अनुकूल बिक्री के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश केवल तीन वर्ष पहले ही आरम्भ किया गया था और अधिकतर सौदे पिछले दो वर्षों में ही सम्पन्न किए गए हैं। उपाख्यान का साक्ष्य यह सुझाता है कि इसने परिसम्पत्तियों के उत्पादक उपयोग को सुसाध्य बना दिया है। संबंधित कम्पनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री और लाभ संबंधी आंकड़े विवरण II में दिए गए हैं।

माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड और पारादीप फास्फेटस लिमिटेड, विनिवेश से पूर्व घाटे में चलने वाली कम्पनियां थी। विनिवेश के बाद इन कम्पनियों की बिक्री में पर्याप्त वृद्धि देखी गई और घाटे के स्तर में भारी कमी हुई है। इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड एक लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी थी, जो जून, 2002 में विनिवेशित की गई थी। जैसा कि कम्पनी द्वारा बताया गया है, वर्ष 2002-2003 के पहले नौ महीनों के दौरान सकल कारोबार में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और निवल लाभ में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 104 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बाल्को में, विभिन्न संचालनात्मक और आदान की लागत में कमी आई है, गर्म धातु का उत्पादन बढ़ा है और नया प्रबंधन क्षमता में भारी वृद्धि करने पर विचार कर रहा है।

ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कार्य-कुशलता को बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त किया है जो अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए लाभकारी है।

विवरण-I

वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के दौरान विनिवेश

क्र.सं.	विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	क्रेता की प्रकृति अनुकूल/गैर-अनुकूल	क्रेता का नाम	बेची गई सरकारी इक्विटी की प्रतिशतता	जुटाई गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6
2000-2001 के दौरान विनिवेश					
1.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बाल्को)	अनुकूल बिक्री	स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लि.	51%	551.50
2.	बोंगाईगांव रिफाइनिरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (बीआरपीएल)	अनुकूल बिक्री	भारतीय तेल निगम लि.	74.46%	148.80

1	2	3	4	5	6
3.	मद्रास रिफाइनिरीज लि. (चेन्नई पेट्रोलियम कार्पो. लि.)	अनुकूल बिक्री	भारतीय तेल निगम लि.	51.81%	509.33
4.	कोच्चि रिफाइनिरीज लि. (केआरएल)	अनुकूल बिक्री	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि.	55.04%	659.10
	कुल				1868.73
	2001-2002 के दौरान विनिवेश				
5.	एचटीएल लि.	अनुकूल बिक्री	हिमाचल फ्यूचरिस्टिक काम्यूनिकेशन लि.	74%	55.00
6.	सीएमसी लि.	अनुकूल बिक्री	टाटा सन्स लि.	51%	152.00
7.	**भारत पर्यटन विकास निगम**				
	(i) अशोक बंगलौर	30 वर्षीय पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबंध	भारत होटल्स लि.	-	39.41@
	(ii) बोधगया अशोक	अनुकूल बिक्री	लोटस निक्को होटल्स	99.97%	1.81
	(iii) हसन अशोक	अनुकूल बिक्री	मालन्द होटल्स एण्ड रिपार्टस (पी) लि.	99.97%	2.27
	(iv) मदुरै अशोक	अनुकूल बिक्री	सांगूचक होटल्स प्रा. लि.	99.97%	4.9
	(v) टीबीएबीआर मामल्लापुरम	अनुकूल बिक्री	जी आर थंगा मालीगई (पी) लि.	99.97%	6.13
	(vi) आगरा अशोक	अनुकूल बिक्री	श्री मोहन सिंह	99.97%	3.61
	(vii) लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर	अनुकूल बिक्री	भारत होटल्स	99.97%	6.77
	(viii) कुतुब होटल, नई दिल्ली	अनुकूल	सुशील गुप्ता एण्ड कन्सोरटियम	99.97%	34.46
	(9) लोधी होटल, नई दिल्ली	अनुकूल बिक्री	सिल्वर लिंक होल्डिंग लि. एण्ड कन्सोरटियम	99.97%	71.93
	उप-योग				171.36

1	2	3	4	5	6
8.	**होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया**				
	(i) संतूर होटल जुहू मुंबई	अनुकूल बिक्री	तुलिप हास्पिटिलिटी प्रा.लि.	100%	153.00
	(ii) इण्डो होके होटल्स लि., राजगीर	अनुकूल बिक्री	इम्पैक ट्रवेल्स (इंडिया) प्रा.लि.	100%	6.51
	उप-योग				159.51*
9.	आईबीपी लि.	अनुकूल बिक्री	भारतीय तेल निगम	33.58%	1,153.68
	विदेश संचार निगम लि.	अनुकूल बिक्री	पेनाटोन फिन्वेस्ट लि. (टाटा ग्रुप कंपनी)	25%	3,689.00**
11.	भारत राज्य व्यापार निगम लि.	नकदी रिजर्व बैंक अंतरण	–	–	40.00#
12.	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.	नकदी रिजर्व का अंतरण	–	–	60.00#
13.	पारादीप फास्फेट लि.	अनुकूल बिक्री	जुआरी मारोक फास्फेट लि.	74%	151.70
	उप-योग				5,632.25$
	2002-2003 के दौरान विनिवेश				
14.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	अनुकूल बिक्री	स्टरलाईट अपर्चूनिटीज एण्ड वेंचर्स लि.	26%	445.00
15.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि.	अनुकूल बिक्री	रिलायन्स पेट्रो	26%	1491.00
16.	**भारत पर्यटन विकास निगम**				
	(i) कोवलम अशोक बीच रिसार्ट	अनुकूल बिक्री	एम.फार होटल्स लि.	99.97%	40.39
	(ii) मनाली अशोक	अनुकूल बिक्री	आटो इम्पैक्स लि.	99.97%	3.65
	(iii) खजुराहो अशोक	अनुकूल बिक्री	भारत होटल्स लि.	99.97%	2.19
	(iv) वाराणसी अशोक	अनुकूल बिक्री	रामनाथ होटल्स (पी) लि.	99.97%	8.38

1	2	3	4	5	6
	(v) औरंगाबाद अशोक	अनुकूल बिक्री	लोक संगम होटल्स एण्ड रिसार्टस प्रा. लि.	99.97%	16.50
	(vi) कनिष्का, नई दिल्ली	अनुकूल बिक्री	नेहरू प्लेस होटल्स लि.	99.97%	92.37
	(vii) इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली	अनुकूल बिक्री	मोरल ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमैंट लि.	99.97%	43.39
	(viii) चण्डीगढ़ परियोजना	अनुकूल बिक्री	टीएजेजीवीके होस्टल एण्ड रिसार्टस लि.	99.97%	17.27
	(ix) होटल रणजीत, नई दिल्ली	अनुकूल बिक्री	यूनियन होटल्स लि. और फार्मेक्स कामार्शियल प्रा. लि.का संकाय	99.97%	29.39
	(x) होटल एयरपोर्ट, कोलकाता	अनुकूल बिक्री	ब्राइट इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	99.97%	19.39
	उप-योग				272.81
17.	मारुति उद्योग लि.	अनुकूल बिक्री	सुजुकी मोटर्स	4.2% ^	1,000.00
18.	**होटल कार्पो. आफ इण्डिया लि.**				
	(i) संतूर होटल एयरपोर्ट मुम्बई	अनुकूल बिक्री	बत्रा हास्पिटिलिटी प्रा. लि.	100%	83.00*
19.	मार्डन फूड्स (इण्डिया) लि.	शेष बचे शेयरों की बिक्री	हिन्दुस्तान लीवर लि.	25.995%	44.07
20.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	कर्मचारियों के पक्ष में विनिवेश	कर्मचारियों के पक्ष में विनिवेश	1.46%	6.19
21.	सीएमसी लि.	कर्मचारियों के पक्ष में विनिवेश	कर्मचारियों के पक्ष में विनिवेश	6.06%	6.07
	कुल				3348.14

* अर्थागम एयर इण्डिया को जाना है।

** इसमें 755 करोड़ रुपए का लाभांश और विशेष अन्तरिम लाभांश और 1495 करोड़ रुपए का लाभांश कर शामिल है।

\# नकदी रिजर्व का अंतरण

@ न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक भुगतान (एमजीएपी), प्रतिभूति जमा और कारोबार अन्तरण प्रतिफल आदि सहित।

^ 1,000 करोड़ रुपए के नियंत्रण प्रीमियम के लिए 12,16341 शेयरों के राइट्स इश्यु का परित्याग।

$ वीएसएनएल में 2001-2002 में कर्मचारियों को 1.97 प्रतिशत इक्विटी बेची गई, परन्तु यह इस विवरण में शामिल नहीं की गई है।

विवरण II

विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्रियों/लाभ के आंकड़े

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	अवधि	बिक्रियां (करोड़ रुपए में)	निवल लाभ करोड़ रुपए में)
1.	एम एफ आई एल*	जनवरी से दिसम्बर, 01	232	-12
2.	बाल्को	2001-02	714.65	18.76
3.	सी एम सी	2001-02	565.33	25.09
4.	एच टी एल	2001-02	233	-107.61
5.	वी एस एन एल	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	3780	589
6.	आई बी पी	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	6754	49
7.	पी पी एल	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	499	-50.42
8.	एच जैड एल	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	1080	95
9.	आई पी सी एल	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	3656	114

भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता

4797. श्री अमर राय प्रधान: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 1974 का अनुसमर्थन बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में भारत के विदेशी अंत: क्षेत्र की अदला-बदली को लागू करने से पूर्व आवश्यक है;

(ख) यदि हां, और राज्य सरकारों की संबंधित एजेन्सियों के पास अनुसमर्थन का यह कार्य कब से लंबित है और ये एजेन्सियां कौन सी हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्रिया-विधिक अपेक्षाओं के अनुसार, भारत-बंगलादेश सीमा का सीमांकन 1974 के भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार के अनुसमर्थन से पूर्व पूरा किया जाना होगा। भारत-बंगलादेश सीमा के लंबित भागों के सीमांकन के संबंधित सभी मसलों का समाधान करने के लिए, भारत और बंगला देश की सरकारों ने एक संयुक्त सीमा कार्य समूह का गठन किया है। संयुक्त सीमा कार्य समूह की अब तक दो बैठकें सम्पन्न हो गई हैं।

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

4798. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले का लक्ष्य से कम उत्पादन और असंतोषजनक वर्षा को देखते हुए सरकार का विचार ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संस्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) देश की बिजली की बढ़ती हुई मांग पूरी करने की दृष्टि से, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जैसेकि कोयला, जलीय और नाभिकीय स्रोतों का अधिकतम मिश्रित उपयोग करने की जरूरत है। इस समय देश में प्रचालनरत 14 यूनिटों के साथ कुल परमाणु विद्युत क्षमता 2720 मेगावाट है। 8 परमाणु विद्युत रिएक्टर परियोजनाएं अर्थात् तारापुर, महाराष्ट्र में 2 × 540 मेगावाट क्षमता वाली दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) परियोजना; कुडनकुलम, तमिलनाडु में रूसी परिसंघ के सहकार से 2 × 1000 मेगावाट क्षमता वाली हल्का पानी रिएक्टर (एलडब्ल्यूआर) परियोजना और

रावतभाटा, राजस्थान में 2 × मेगावाट क्षमता वाली दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्युआर) परियोजना निर्माणाधीन हैं. तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 और कैगा-3 के पूरा होने के साथ दसवीं योजना के अंत तक कुल परमाणु विद्युत क्षमता बढ़कर 4020 मेगावाट हो जाएगी और कैगा-4, कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना-5 तथा 6 के पूरा होने के साथ दिसम्बर, 2008 तक परमाणु विद्युत क्षमता बढ़कर 6680 हो जाएगी। इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है. धनराशि उपलब्ध होने पर, कुछ और परियोजनाओं के निर्माण कार्य को भी क्रमिक रूप से शुरू करने की योजना है ताकि ग्यारहवीं योजना के अंत तक (2011-12) कुल परमाणु विद्युत क्षमता बढ़कर लगभग 10,000 मेगावाट और सन् 2020 के अंत तक 20,000 मेगावाट तक पहुंच जाए।

अमेरिका द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार पर प्रतिबंध

4799. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री कैलाश मेघवाल:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरे देशों के द्वारा देश में रोजगार तलाशने के कार्य को कम करने हेतु अमेरिका के न्यू जर्सी जैसे कुछ राज्य विधान मंडलों द्वारा कोई कदम उठाने से भारतीय कंपनियों में विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चिंता हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत-अमेरिका वाणिज्य मंडल ने यह सुझाव दिया था कि इस मामले को दोनों देशों के मध्य उच्चतम स्तर पर उठाया जाए; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे का समाधान करने के लिए दिनांक 14 फरवरी, 2003 को टोकियो में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की लघु मंत्री-स्तरीय बैठक में संयुक्त राज्य व्यापार निधियों के समक्ष इस मामले को उठाया था। वाशिंगटन डी.सी. स्थित भारतीय दूतावास ने भी संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है।

दूरसंचार जिले

4800. श्री अनन्त नायक: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में अब तक राज्य-वार कितने दूरसंचार जिलों का सृजन किया गया है;

(ख) उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां इन दूरसंचार जिलों का सृजन किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य-वार दूरसंचार जिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	दूरसंचार जिलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एंड निकोबार	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	7
5.	बिहार	18
6.	छत्तीसगढ़	6
7.	दिल्ली	1
8.	गोवा	1
9.	गुजरात	18
10.	हरियाणा	9
11.	हिमाचल प्रदेश	6
12.	जम्मू और कश्मीर	5
13.	झारखंड	6

1	2	3
14.	कर्नाटक	19
15.	केरल	12
16.	मध्य प्रदेश	34
17.	महाराष्ट्र	30
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	1
20.	मिजोरम	1
21.	नागालैंड	1
22.	उड़ीसा	12
23.	पांडिचेरी	1
24.	पंजाब	11
25.	राजस्थान	24
26.	सिक्किम	1
27.	तमिलनाडु	18
28.	त्रिपुरा	1
29.	उत्तरांचल	6
30.	उत्तर प्रदेश	48
31.	पश्चिम बंगाल	14
	जोड़	336

[हिन्दी]

दसवीं योजना में विकास दर

4801. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर को 6.24 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमानित विकास लक्ष्य 8 प्रतिशत वार्षिक है।

(ख) लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिपादित स्कीमों एवं कार्यक्रमों के ब्यौरे दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दिये गये हैं।

लंबित सी.बी.आई. मामले

4802. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने सी.बी.आई. मामले न्यायालयों में लंबित है;

(ख) उनमें से कितने मामले पांच वर्षों से भी अधिक पुराने है;

(ग) उनके लंबित होने के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा उनके शीघ्र निपटाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग के 4441 मामले विभिन्न न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं।

(ख) इनमें से 2379 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने हैं।

(ग) सामान्यत: न्यायालयों में मामले लंबित होने के कारणों के अतिरिक्त, सीबीआई मामलों के लंबित होने के कारण ये हैं:

सीबीआई द्वारा भेजे व जांच किए गए मामलों के ट्रायल के लिए विशेष न्यायालयों की कमी; अभियोजन कार्य करने के लिए विधि अधिकारियों की कमी; और वर्तमान नियमों से केवल सीमित श्रेणी के मामलों के लिए ही संक्षिप्त मुकदमें की व्यवस्था है।

(घ) विभिन्न राज्यों में 28 विशेष न्यायाधीश तथा 7 मजिस्ट्रेट न्यायालय पूर्ण रूप से सीबीआई मामलों के ट्रायल के लिए ही पहले से कार्य कर रहे हैं। लंबित मामलों के आकड़ों के आधार पर, 8 राज्यों तथा 1 संघ क्षेत्र पूर्ण रूप से सीबीआई मामले देखने

के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 12 विशेष न्यायालयों तथा 6 मजिस्ट्रेट न्यायालयों की पहचान की गई है। ट्रायल न्यायालयों में अभियोजन कार्य करने के लिए 280 से अधिक विशेष वकीलों की नियुक्त की गई है। 12वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया कि वह नए विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक अनुदान की व्यवस्था करे।

एम.डी.एस. कार्यक्रम

4803. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.डी.एस. कार्यक्रम के रूप में भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (डी.सी.आई.) द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में जिन कालेजों द्वारा एम.डी.एस. कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को इस पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता-वार और राज्य-वार कितने प्रत्याशी सफल हुए;

(ग) क्या भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (डी.सी.आई.) का विचार विभिन्न राज्यों में और स्नातकोत्तर कालेज प्रारंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा एम.डी.एस. कार्यक्रम के रूप में किसी विशेष पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) एम.डी.एस. पाठ्यक्रम चलाने वाले दन्त चिकित्सा कालेजों की एक सूची जिसमें विभिन्न राज्यों में सीटों की संख्या विशिष्टता-वार और राज्य-वार दी गई गई है, संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद विनियमों की शर्तों के अनुसार, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मौजूदा दन्त चिकित्सा कालेज/संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, जिपमेर, पांडिचेरी जैसे दन्त चिकित्सा स्नातकोत्तर संस्थान/चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के पात्र हैं। चूंकि भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद के पास इसके अपने नियंत्रणाधीन कोई दन्त चिकित्सा कालेज नहीं हैं, इसलिए एम.डी.एस. पाठ्यक्रम सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न विशिष्टताओं में एम.डी.एस. पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की राज्य-वार सूची:

संस्थान		दाखिला क्षमता		
1	2		3	
आन्ध्र प्रदेश				
1.	राजकीय दन्त चिकित्सा कालेज और अस्पताल, अफजलगंज, हैदराबाद-500021 (आंध्र प्रदेश)	1.	आर्थोडोनसिया	2
		2.	ओरल मेडीसीन और रेडियोलाजी	2
		3.	प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री	2
		4.	पेरियो डोनसिया	2
		5.	ओरल सर्जरी	2
		6.	कन्जरवेटिव डेंटिस्ट्री	2
		7.	पेडोडोन्टिक्स	2
असम				
1.	क्षेत्रीय दन्त चिकित्सा कालेज गुवाहाटी-78। 002 (असम)	1.	पेरियोडोन्टिक्स	2
		2.	कन्जरवेटिव डेंटिस्ट्री	2
बिहार				
1.	पटना दन्त चिकित्सा कालेज और अस्पताल, आगमकुंआ, पटना-800007 (बिहार)	1.	प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री	2

1	2	3		
चण्डीगढ़				
1.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, सेक्टर-12, चण्डीगढ़-160017	1.	पेडोडोनसिया और प्रिवेन्टिक डेंरिस्ट्री	2
		2.	आर्थोडोन्टिक्स	2
दिल्ली				
1.	दन्त शल्य चिकित्सा विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029	1.	आर्थोडोन्टिक्स	2
		2.	प्रोस्थोडोन्टिक्स	2
गोवा				
1.	गोवा दंत चिकित्सा कालेज और अस्पता, पी.ओ. बाम्बोलिम गोवा-403202	1.	प्रोस्थोडोन्टिक्स	3
		2.	आर्थोडोन्टिक्स	2
		3.	ओरल मेडीसीन	2
		4.	पेरियोडोन्टिक्स	2
		5.	कन्जरवेटिव डेंटिस्ट्री	2
गुजरात				
1.	राजकीय दन्त चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, न्यू सिविल हास्पिटल कम्पाउंड, असरवा, अहमदाबाद-380016 (गुजरात)	1.	कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री	4
		2.	प्रोस्थेटिक डैंटिस्ट्री	3
		3.	पेरिओनशिया	5
		4.	ओरल पैथेलाजी एवं बैक्टिरियोलोजी	5
		5.	ओरल डायगनोसिस एवं डेंटल रेडियोलाजी	1
		6.	ओरल सर्जरी	4
		7.	आर्थोडोनशिया	4
हरियाणा				
1.	दन्त चिकित्सा कालेज, मेडिकल कैम्पस, रोहतक-124001 (हरियाणा)	1.	प्रोस्थेटिक	1
		2.	आर्थोडोन्टिक्स	1
		3.	पेडोडोन्टिक्स एवं प्रीवेन्टिव डेंटिस्ट्री	1
		4.	कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री	2
		5.	पेरियोडोन्टिक्स	2
		6.	ओरल सर्जरी	2
2.	डी.ए.वी. शताब्दी दन्त चिकित्सा कालेज, यमुना नगर	1.	कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री	3
		2.	प्रोस्थेडोन्टिक्स	3
		3.	ओरल एवं मेक्सीलोफेसियल सर्जरी	3
		4.	पेरियोडोन्टिक्स	3
		5.	पेडोडोन्टिक्स	3
		6.	आर्थोडोन्टिक्स	3

1	2	3		
कनार्टक				
1.	राजकीय दन्त चिकित्सा कालेज, फोर्ट बंगलौर-580002 (कर्नाटक)	1.	आर्थोडोनसिया	3
		2.	ओरल सर्जरी	3
		3.	पेरियोडोनसिया	3
		4.	ओरल डायगनोसिस एवं डेंटल रेडियोलाजी	3
		5.	जन स्वास्थ डेंटिस्ट्री	3
		6.	कन्जरवेटिव डेटिस्ट्री	3
		7.	प्रोस्थोडोन्टिक्स	2
		8.	ओरल पैथोलाजी	1
2.	कालेज आफ डेंटल सर्जरी, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल-576119 (कर्नाटक)	1.	आर्थोडोनसिया	3
		2.	कन्जरवेटिव डेटिस्ट्री	4
		3.	पेरियोहोनसिया	4
		4.	प्रोस्थोडोन्टिक्स डेंटिस्ट्री	4
		5.	ओरल सर्जरी	2
		6.	ओरल डायगनोसिस एवं रेडियोलाजी	2
		7.	ओरल पैथालाजी	2
		8.	पेडोडोनसिया	2
		9.	सामुदायिक डेंटिस्ट्री	2
3.	बापूजी डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, दावनगिरी-577004 (कर्नाटक)	1.	पीरियडोन्शिया	6
		2.	कन्जरटेटिव डेन्टिस्ट्री	6
		3.	ओरल सर्जरी	6
		4.	आर्थोडान्टिक्स	6
		5.	प्रास्थेटिक डेन्टिस्ट्री	6
		6.	ओरल मेडिसिन रेडियोलाजी	4
		7.	पेडोडान्टिक्स	6
		8.	कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री	3
		9.	ओरल पैथोलाजी	2
4.	के.एल.ई. सोसाइटिस डेंटल कालेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज कैम्पस नेहरू नगर, बेलगांव-590010 (कर्नाटक)	1.	ओरल एण्ड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी	6
		2.	पीरियडोन्शिया	5
		3.	प्रास्थोडान्टिक्स	7
		4.	ओरल पैथालोजी	4
		5.	कन्जरवेटिव डेन्टिस्ट्री	5
		6.	आर्थोडान्सिया	7
		7.	कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री	3
		8.	ओरल मेडिसिन	3
		9.	पेडोडान्टिक्स	2
5.	ए.बी. शेट्टी मेमोरियल ईस्ट. आफ डेंटल साइंसेज, मेडिकल काम्पलेक्स डेराल कट्टा-574160 (कर्नाटक)	1.	प्रास्थोडान्टिक्स	10
		2.	कन्जरवेटिव डेन्टिस्ट्री	8
		3.	आर्थोडान्सिया	9
		4.	ओरल एण्ड मेक्सिलोफेशियल	8
		5.	पीरियडोन्शिया	8

1	2	3		
		6.	ओरल पैथॉलाजी	2
		7.	पेडोडान्शिया एवं प्रिवेन्टीव डेन्टिस्ट्री	6
		8.	ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलाजी	2
6.	एस.डी.एम. कालेज आफ डेंटल साइसेंस, धवलगिरी, धारवाड़-580002 (कर्नाटक)	1.	प्रोस्थाडान्टिक्स	8
		2.	पीरियडोन्शिआ	4
		3.	कंजरवेटिव डेन्टिस्ट्री	6
		4.	ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल डेन्टिस्ट्री	7
		5.	आर्थोडान्शिया	6
		6.	ओरल पैथालाजी	4
		7.	कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री	2
		8.	पेडोडान्टिक्स एवं प्रिवेन्टिव डेन्टिस्ट्री	2
		9.	ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलाजी	2
7.	कालेज अ्राफ डेंटल सर्जरी, लाइट हाउस, हिलरोड, मंगलार-575001 (कर्नाटक)	1.	ओरल पैथालाजी	2
		2.	आर्थोडान्शिया	5
		3.	कम्युनिटी	2
8.	एम.आर.ए. डेंटल कालेज, 1/36, क्लाइन रोड, कुक टाउन, बेंगलौर-560005 (कर्नाटक)	1.	प्रास्थोडान्टिक्स	2
		2.	पारियडोन्शिया	2
		3.	आर्थोडान्शिया	2
		4.	ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलाजी	2
		5.	ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	2
		6.	कनजरवेटिव डेन्टिस्ट्री	2
9.	पी.एम. नादगुडा डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, बागलकोट-587101 जिला-बाजीपुर-कर्नाटक	1.	प्रास्थोडान्सिया	2
		2.	कनजरवेटिव डेन्टिस्ट्री	2
		3.	आर्थोडान्टिक्स	2
		4.	ओरल सर्जरी	2
		5.	ओरल पैथालाजी	3
		6.	ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलाजी	2
		7.	पीरियडोन्टिक्स	3
		8.	पीरियडोन्टिक्स एवं प्रिवेन्टिव डेन्टिस्ट्री	2
10.	कालेज आफ डेंटल साइसेंस, दावनगिरी-577004 (कर्नाटक)	1.	ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	6
		2.	पेडोडान्टिक्स एवं प्रिवेन्टिव डेन्टिस्ट्री	6
		3.	आर्थोडान्टिक्स	6
		4.	पीरियडोन्शिया	6
		5.	कनजरवेटिव डेन्टिस्ट्री	6
		6.	प्रास्थोडान्टिक्स	6
		7.	ओरल पैथोलाजी	4
		8.	ओरल मेडिसिन	4
		9.	कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री	3
11.	के.वी.जी. डेंटल कालेज एवं हास्पिटसल, कुरुंजीबाग, सलिया-574237 (डी.के कर्नाटक)	1.	प्रोस्थोडान्टिक्स	2
		2.	ओरल सर्जरी	2
		3.	कनजरवेटिव डेन्टिस्ट्री	2

1	2	3		
12.	येनेपिया डेंटल कालेज जुलाखा काम्पलेक्स, बीबी अलाबी, रोड, मंगलौर-575001 (कर्नाटक)	1.	ओरल पैथालाजी	2
		2.	कनजरवेटिव डेन्टिस्ट्री	3
		3.	आर्थोडान्सिया	3
		4.	पीरियडोन्शिया	2
		5.	प्रास्थोडान्सिया	3
		6.	ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	2
		7.	ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलाजी	2
		8.	पेडोडान्शिया एवं प्रिवेन्टिश डेन्टिस्ट्री	2
13.	जगदगुरु श्री शिवरातरुश्वर डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, श्री शिवरातरुश्वर नगर, मैसूर-570015 (कर्नाटक)	1.	आर्थोडान्शिया	2
		2.	प्रास्थोडान्शिया	2
		3.	ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलाजी	2
		4.	पीरियडोन्शिया	2
		5.	ओरल सर्जरी	2
		6.	कनजरवेटिव डेन्टिस्ट्री	2
		7.	कम्युनिटी डेन्टिस्ट्री	2
		8.	पेडोडान्टिक्स	2
14.	एच.के.ई. सोसाइटिज डेंटल कालेज गुलबर्ग-5885105 (कर्नाटक)	1.	पीरियडोन्टिक्स	2
		2.	प्रास्थोडान्टिक्स	2
15.	बेंगलौर इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, बेंलौर	1.	ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलाजी	2
		2.	प्रास्थोडान्शिया	2
		3.	कनजरवेटिव डेन्टिस्ट्री	2
		4.	आर्थोडान्शिया	2
		5.	पीरियडोन्शिया	2
		6.	ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	2
16.	एम.एस. रमैहा, बंगलौर	1.	कान्ट्रासेप्टिव डेन्टीस्ट्री	2
		2.	प्रोस्थोडोन्टिक्स	2
		3.	पेरियोडोन्टिक्स	3
		4.	ओरल सर्जरी	3
		5.	आर्थोडान्टिक्स	3
		6.	कम्यूनिटी डेंटिस्ट्री	2
17.	वी.एस. डेंटल कालेज, बंगलौर	1.	ओरल पैथालाजी	2
		2.	ओरल सर्जरी	2
		3.	कान्ट्रासेप्टिव डेन्टिस्ट्री	2
		4.	आर्थोडोन्टिक्स	1
		5.	प्रोस्थोडोन्टिक्स	3
		6.	पेरियोडोन्टिक्स	3
		7.	ओरल मेडिन्सिन	3
18.	अल-अमीन डेंटल कालेज, बीजापुर	1.	ओरल सर्जरी	2

1	2	3		
केरल				
1.	डेंटल कालेज, मेडिकल कैम्पस, त्रिवेंद्रम-835001	1.	कान्ट्रासेप्टिव डेन्टिस्ट्री	4
		2.	प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री	3
		3.	आर्थोडोन्शिया	3
		4.	परियोडोन्शिया	3
		5.	ओरल सर्जरी	3
		6.	ओरल पैथालाजी	3
		7.	पेडोडोन्टिक्स	2
		8.	ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलाजी	2
2.	डेंटल कालेज मेडिकल कालेज पी.ओ. कालिकट-637008	1.	ओरल एंड मेक्सिलोफेसियल सर्जरी	2
		2.	ओर्थोडोन्शिया	2
		3.	प्रोस्थोडोन्शिया	2
		4.	ओरल पैथालाजी	2
		5.	कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री	2
		6.	पेरियोडोन्शिया	2
मध्य प्रदेश				
1.	कालेज आफ डेन्टिस्ट्री इन्दौर-452001 (मध्य प्रदेश)	1.	आर्थोडोन्टिक्स	1
		2.	प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री	2
महाराष्ट्र				
1.	नायर हास्पिटल डेंटल कालेज, डा. ए. एल. नायर रोड, बायकला, मुम्बई 400008 (महाराष्ट्र)	1.	प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री	10
		2.	पेरियोडोन्शिया	5
		3.	आपरेटिव डेन्टिस्ट्री	10
		4.	आर्थोडोन्शिया	10
		5.	डेंटल पैथालाजी बैक्टिरियोलाजी	10
		6.	ओरल मेडिसिन डायग्नोसिस एण्ड रेडियोलाजी	10
		7.	ओरल सर्जरी	10
		8.	पेडोडोन्टिक्स	5
2.	गर्वमेंट डेंटल कालेज व हास्पिटल, 1, पीडीमेलो रोड फोर्ट, मुम्बई 400001 (महाराष्ट्र)	1.	पोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री	10
		2.	पेरियोडोन्शिया	5
		3.	कान्जेंटिव डेन्टिस्ट्री	5
		4.	आर्थोडोन्शिया	5
		5.	ओरल पैथोलाजी एण्ड बैक्टिरियोलाजी	5
		6.	ओरल मेडिसिन डायग्नोसिस एण्ड रेडियोलाजी	5
		7.	ओरल सर्जरी	10
		8.	पेडोडोन्टिक्स	5
3.	गवनमेन्ट डेंटल कालेज व अस्पताल नागपुर -440003 (महाराष्ट्र)	1.	प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री	3
		2.	पेरियोडोन्शिया	2
		3.	कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री	2
		4.	आर्थोडान्शिया	2

1	2	3		
		5.	ओरल एण्ड डेंटल पैथोलाजी	3
		6.	ओरल डायग्नोसिस एण्ड रेडियोलाजी	2
		7.	ओरल सर्जरी	2
4.	गवर्नमेंट डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल मेडिकल कालेज कैम्पस, औरंगाबाद-431001 (महाराष्ट्र)	1.	प्रोस्थोडोन्टिक्स	3
		2.	पेरियोडोन्शिया	3
		3.	कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री	3
		4.	ओरल पैथोलाजी	3
		5.	ओरल मेडिसिन डायग्नोसिस एण्ड रेडियोलाजी	3
5.	आर्मड फोर्सेस मेडिकल कालेज, पुणे-1	1.	प्रोस्थेटिक डेन्टिस्ट्री	2
		2.	पेरियोडोन्शिया	2
		3.	आर्थोडोन्शिया	2
		4.	ओरल सर्जरी	2
6.	रूरल डेंटल कालेज आफ प्रावरा मेडिकल ट्रस्ट पी.ओ. लोनी टाल रहटा, जिला अहमदनगर (एम.एस.) पिन-413736	1.	पेरियाडोन्शिया	2
		2.	ओर्थोडोन्शिया	2
		3.	ओरल एण्ड मैक्सिलो-फ्रेसिया सर्जरी	2
		4.	कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री	2
		5.	प्रोस्थोडोन्शिया	2
7	डा. डी. वाई. पाटिल डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, डा.डी.वाई. पाटिल विद्यानगर, सेक्टर-7 नेरूल नवी मुम्बई-400706	1.	कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री	2
		2.	पेरियोडान्टिक्स	2
		3.	आर्थोडोन्टिक्स	2
		4.	ओरल सर्जरी	2
		5.	प्रोस्थोडोन्टिक्स	3
8.	भारतीय विद्यापीट डेंटल कालेज व अस्पताल, पुणे	1.	प्रोस्थोडोन्डिक्स	3
		2.	पेरियोडोन्टिक्स	3
		3.	ओथोडोन्टिक्स	4
		4.	ओरल पैथोलाजी	3
		5.	कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री	2
		6.	ओरल एण्ड मैक्सिलोफेरियल सर्जरी	4
9.	श्रीमती राधिका बाई डेंटल कालेज व अस्पताल, वर्धा	1.	प्रोस्थोन्टिक्स	6
		2.	आर्थोडोन्टिक्स	6
		3.	पेरियोडोन्टिक्स	3
पाण्डिचेरी				
1.	महात्मा गांधी डेंटल कालेज एवं अस्पताल पाण्डिचेरी	1.	प्रोस्थोडोन्शिया	2
		2.	ओरल पैथोलाजी	2
		3.	ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	2

1	2	3		
पंजाब				
1.	पंजाब गवर्नमैण्ट कालेज एवं अस्पताल अमृतसर-143001 (पंजाब)	1.	प्रोस्थोडोंटिक्स	3
		2.	पेडोडोंटिक्स एवं निवारक डेंटिस्ट्री	6
		3.	ओरल सर्जरी	3
		4.	कजर्वेटिव डेंटिस्ट्री	1
		5.	पेरिओडोंशिया	2
2.	गवर्नमैण्ट डेण्टल कालेज एवं अस्पताल, पटियाला-147001 (पंजाब)	1.	पेरिओडोंशिया	2
		2.	प्रोस्थोडोंटिक्स	2
		3.	कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री	1
		4.	आर्थोडोंटिक्स	2
		5.	पेडोडोंशिया एवं निवारक डेंटिस्ट्री	2
3.	क्रिश्चियन डेंटल कालेज लुधियाना	1.	पेडोडोंटिक्स	4
तमिलनाडु				
1.	तमिलनाडु गवर्नमेंट डेण्टल कालेज, फोर्ट रेलवे स्टेशन के सामने, चेन्नई-600003 (तमिलनाडु)	1.	ओरल सर्जरी	4
		2.	पेरिओडोंशिया	3
		3.	कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री	3
		4.	आर्थोडोंटिया	4
		5.	प्रोसथोडोंटिक्स	2
		6.	ओरल पैथोलाजी	2
		7.	ओरल मेडिसन एंड डायग्नोसिस एंड रेडियोलाजी	2
2.	राजा मुथैय्या डेंटल कालेज एवं अस्पताल अन्नामलाई नगर-808002 (तमिलनाडु)	1.	ओरल सर्जरी	3
		2.	पेरिओडोंशिआ	2
		3.	आर्थोडोंशिया	2
		4.	पेडोडोंटिक्स एवं निवारक डेंटिस्ट्री	2
		5.	प्रोस्थोडोंटिक्स	2
3.	रागास डेन्टल कालेज, 116, डा. राधाकृष्णन सलाई, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)	1.	ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	6
		2.	कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री	8
		3.	ओरल पैथोलाजी	6
		4.	आर्थोडोंटिक्स	8
		5.	प्रोस्थोडोंशिया	2
		6.	पेडोडोंशिया एवं निवारक डेंटिस्ट्री	2
		7.	पेरिओडोंटिक्स	3
4.	सविता डेंटल कालेज एवं अस्पताल, संख्या 112, पूनामल्ली-हार्ड रोड, वेलाप्पंचवडी, चेन्नई-600077 (तमिलनाडु)	1.	प्रोस्थोडोंशिया	6
		2.	ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	7
		3.	कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री	8
		4.	आर्थोडोंटिक्स	7
		5.	ओरल मेडिसन	3
		6.	पेरिओडोंटिक्स	3
		7.	ओरल पैथोलाजी	3

1	2	3		
5.	श्री बालाजी डेंटल कालेज एवं अस्पताल, वालाचेरी मेन रोड, बालाजी नगर, नारायणपुरम, चेन्नई (तमिलनाडु)	1.	ओरल सर्जरी	2
		2.	ओरल पैथालाजी	2
		3.	आर्थोडोंटिक्स	2
		4.	प्रोस्थोडोंटिक्स	2
		5.	कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री	2
6.	मीनाक्षी अम्मल, डेंटल कालेज एवं अस्पताल, अलापाक्कम रोड, मदुरावोयल चेन्नई-602102 (तमिलनाडु)	1.	ओरल पैथोलाजी	3
		2.	पेरिओडोंटिक्स	6
		3.	कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री	4
		4.	प्रोस्थोडोंटिक्स	5
		5.	आर्थोडोंटिक्स	7
		6.	ओरल सर्जरी	6
		7.	पेडोडोंशिया एवं निवारक डेंटिस्ट्री	2
7.	राजास डेंटल कालेज, वेडाकांगुलम-627118	1.	ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	2
		2.	प्रोस्थोडोंशिया	2
		3.	कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री	2
8.	वी.एम.एस. डेंटल कालेज, सलेम	1.	ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	2
		2.	आर्थोडोंशिया	2
		3.	पेरिओडोंशिया	2
		4.	ओरल पैथोलाजी	2
		5.	प्रोस्थोडोंशिया	2
9.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज एवं अनुसंधान संस्थान (सम-विश्वविद्यालय) नं.-1 रामचन्द्र नगर, पुरूर, चेन्नई-600116	1.	ओरल सर्जरी	4
		2.	प्रोस्थोडोंटिक्स	4
		3.	आर्थोडोन्टिक्स	4
		4.	पेरिओडोंटिक्स	4
		5.	ओरल मेडिसिन	2
		6.	कन्जरवेटिव डेंटिस्ट्री	5
		7.	ओरल पैथोलाजी	3
		8.	पेडोडोंटिक्स	2
उत्तर प्रदेश				
1.	डेंटल कालेज एवं अस्पताल के.जी.एस. मेडिकल कालेज, लखनऊ-226003	1.	प्रोस्थोटिक डेंटिस्ट्री	4
		2.	पेरियोडोंसिया	4
		3.	ओपरोटिव डेंटिस्ट्री	4
		4.	ओरल सर्जरी	4
		5.	आर्थोडोंशिया	4
		6.	पेडोडोंशिया एवं निवारक डेंटिस्ट्री	4
2.	आयुर्विज्ञान संस्थान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005	1.	कन्सरवेटिव डेंटिस्ट्री	1
		2.	प्रोस्थोडोंशिया	1

1	2	3	
पश्चिम बंगाल			
1.	डा. आर. अहमद डेंटल कालेज एवं अस्पताल, 114, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-700014 पश्चिम बंगाल।	1. प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री	2
		2. पेरिओडोंशिया	2
		3. कन्जर्वेटिव डेंटिस्ट्री	2
		4. आर्थोडोंशिया	2
		5. पेडोडोंशिया एवं निवारक	2
		6. ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	2
		7. ओरल पैथौलाजी एवं माइक्रो बायोलाजी	2

क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

4804. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाए जाने का है;

(ग) क्या सरकार क्षयरोग मरीजों और जनता में इस रोग के फैलने के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि पर निगरानी रखेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम सभी राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 1962 से चल रहा है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भी 600 मिलियन जनसंख्या को कवर किया गया है। वर्ष 2005 तक पूरे देश को कवर करने का प्रस्ताव है। सभी राज्यों को अन्य क्षेत्रों में तैयारी योजनाएं प्रारंभ करने को कहा गया है।

(ग) और (घ) क्षयरोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

* क्षयरोग के बारे में तथ्य तथा क्या करें और क्या न करें, समय-समय पर प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते है। इसी प्रकार, राज्य/जिला क्षयरोग सोसायटियों द्वारा क्षेत्रीय तथा स्थानीय समाचारपत्रों में भी इन्हें प्रकाशित कराया जाता है।

* स्थानीय स्तरों पर जागरूकता पैदा करने हेतु राज्य/जिला क्षयरोग सोसायटियों को सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप चलाने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

* जिलों की यह सलाह दी गई है कि वे सूक्ष्मदर्शिकी तथा डाट्स केन्द्रों पर तथा प्रमुख स्थानों पर खासकर बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में भीत्ति-चित्र सुनिश्चित करें; जन प्रतिनिधियों तथा जन नेताओ (ओपिनियन लीडर्स) को आमंत्रित करके एम.सी. तथा जिले में सेवा प्रदानगी के प्रारंभ का उद्घाटन सुनिश्चित करें; पारस्परिक बैठकों का, विशेष कर स्लम क्षेत्रों में आयोजन और रोगमुक्त हुए लोगों आदि की सेवाओं का उपयोग सुनिश्चित करें।

* सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों की योजना बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने, विशेषकर प्रचार माध्यमों के जरिए ऐसा करने के लिए, केन्द्रीय स्तर पर एक जन प्रचार माध्यम एजेन्सी की सेवाएं भाड़े पर ली गई हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। राज्य/जिला क्षयरोग सोसायटियों द्वारा किए गए जा रहे धन के उपयोग की मानिटरिंग उनके द्वारा केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग को प्रस्तुत किए गए व्यय के तिमाही विवरणों के विश्लेषण तथा राज्यों में तिमाही समीक्षा बैठकों द्वारा की जाती है। धन के समुपयोजन को सरल बनाने के और लेखों के उपयुक्त रख-रखाव के लिए जिला क्षयरोग सोसायटियों हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं तथा उन्हें सोसायटियों तक व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। सोसायटियों के लेखों की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन लगाए जाना

4805. श्री सुनील खां: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई जिला दूरसंचार प्राधिकरण पश्चिम बंगाल में टेलीफोन लगाने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में कब तक टेलीफोन लगाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल के सभी दूरसंचार जिलों ने वर्ष 2002-03 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 1.52 लाख है। इन व्यक्तियों को 31.03.2004 तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

केंद्रीय सड़क निधि से उड़ीसा में सड़कों का निर्माण

4806. श्री अनन्त नायक: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में केंद्रीय सड़क निधि से कितनी सड़क परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है;

(ख) क्या इनमें से कोई सड़क उड़ीसा के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में निर्मित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत उड़ीसा में सड़कों के सुधार के लिए 85 कार्यों को स्वीकृत किया गया है।

(ख) और (ग) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्रस्तावों की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उक्त सड़कें किन प्रकार के क्षेत्रों से गुजरती हैं, इसका रिकार्ड मंत्रालय नहीं रखता है।

कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादी मंसूबे

4807. श्री राम मोहन गाइडे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका और इंग्लैंड के प्रशासन ने कश्मीर में नरसंहार की आलोचना की है जैसा कि 29 मार्च, 2003 को 'दि हिंदू' में खबर प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को रेखांकित किया गया है; और

(ग) भारत-पाकिस्तान मुद्दे के समाधान हेतु दोनों देशों द्वारा दिये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 27 मार्च, 2003 को अमरीक-यू के द्वारा जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया कि "नियंत्रण रेखा का सम्मान किया जाना चाहिए और पाकिस्तान को सीमा-पार घुसपैठ पर रोक लगाने की अपनी वचनबद्धता पूरी करनी चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा किये जाने वाले हिंसक कृत्यों पर रोक लगाने के लिए भरसर प्रयास करना चाहिए। दोनों पक्षों को तत्काल युद्ध विराम क्रियान्वित करना चाहिए और सार्क के संदर्भ सहित अन्य तरीकों से तनाव कम करने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों का समाधान सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों और क्रियाकलाप के जरिए किया जाना चाहिए।

कर्नाटक में डाकघरों की स्थापना

4808. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में कितने डाकघर खोले गए;

(ख) राज्य में नए डाकघर खोले जाने के लिए कितने प्रस्ताव लंबित है और इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने डाकघरों का उन्नयन किया गया है; और

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान कितने डाकघरों के उन्नयन का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में 47 नए डाकघर खोले गए हैं।

(ख) राज्य में नए डाकघर खोलने के 5 प्रस्ताव लंबित हैं। इन डाकघरों को खोला जाना अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य में 3 डाकघरों का उन्नयन किया गया है।

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान डाकघरों का उन्नयन निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने तथा इन वर्षों में अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

ग्रामीण उद्योग के लिए विशेष निधि

4809. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण उद्योग के लिए एक विशेष कोष की स्थापना करने के संबंध में एक प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जरूरतमंद उद्यमियों को यह धनराशि किस तरह से वितरित किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें

4810. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुंदर लाल तिवारी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी कौन सी सड़कें हैं जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं;

(ख) जो सड़कें अच्छी अवस्था में नहीं है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार उनकी मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) इन सड़कों की कब तक मरम्मत/पुनर्निर्माण किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक सड़कों का अभिनिर्धारण रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) इस समय सभी सामरिक सड़कों का सुधार मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। सड़कों का सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी कार्य को बाहरी संसाधनों से कराया जाना

4811. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक अगले बारह महीनों में अपने वर्तमान भारतीय साझीदारों के माध्यम से भारत को 10 मिलियन से अधिक मूल्य का सूचना प्रौद्योगिकी कार्य देगा;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक अपने वर्तमान साझीदारों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने की योजना आउटसोर्सिंग को बढ़ाने की योजना बना रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यह कितना लाभदायक होगा तथा भारतीयों को कितना रोजगार प्रदान करेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, हां। विश्व बैंक के अनुसार, वे प्रतिवर्ष अपने भारतीय साझेदारों को लगभग 10 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का सूचना प्रौद्योगिकी कार्य देंगे।

(ख) विश्व बैंक के अनुसार, लगभग 10 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य 2003-2005 की अवधि के लिए है और इसमें वृद्धि हो सकती है।

चेन्नै स्थित बीपीओ केन्द्र बैंक का एक कार्यालय है और आगामी वर्षों में व्यवसाय की कार्यनीतियों के अनुरूप व्यवसाय में वृद्धि होगी।

(ग) विश्व बैंक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कार्य कराने और चेन्नै स्थित बीपीओ कार्यालय ने भारतीय व्यवसायविदों को रोजगार उपलब्ध कराया है और इसकी वृद्धि से और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

सुरक्षित/असुरक्षित एस्बेस्ट्स

4812. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आक्यूपेशनल हैल्थ ने सुरक्षित एस्बेस्ट्स के प्रयोग का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले सुरक्षित और असुरक्षित एस्बेस्ट्स के बीच क्या मतभेद है; और

(ग) एन.आई.ओ.एच. द्वारा एस्बेस्ट्स के प्रयोग में आक्युपेशनल सुरक्षा को और बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार एन.आई.ओ.एच., अहमदाबाद ने एस्बेस्टोस के किसी भी सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में सुझाव नहीं दिया है। परिषद का विचार है कि किसी भी प्रकार के एस्बेस्टोस के दीर्घकालिक प्रभाव से एस्बेस्टोसिस, फेफड़े का कैंसर और मेसोथेलिओमा हो सकता है। इस समस्या की व्यापकता सांस द्वारा लिए गए एस्बेस्टोस फाइबर के संकेन्द्रण और इसे कितनी अवधि तक सांस में लिया गया है, पर निर्भर करेगी। तथापि, एस्बेस्टोस और एस्बेस्टोस उत्पादों की हैण्डलिंग और इस्तेमाल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1333(अ) जो 19 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (बंगलौर-सेलम-मदुरई खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 56(अ) जो 21 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (बंगलौर-सेलम-मदुरई खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 57(अ) जो 21 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 78(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 235(अ) जो 26 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 मई, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 464(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 236(अ) जो 26 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (संकेश्वर बाईपास) के विकास के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 237(अ) जो 26 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के तुमुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (नेलामंगला से तुमकुर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 242(अ) जो 27 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई रानीपेट खंड) को चार लेना वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 243(अ) जो 27 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (चेंगलपट्टू-टिंडीवनम् खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 146(अ) जो 10 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 147(अ) जो 10 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 148(अ) जो 10 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर लिए में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 149(अ) जो 10 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 197(अ) जो 19 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 198(अ) जो 19 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 154(अ) जो 11 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड के गंजम से नारायणी जंक्शन) के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 155(अ) जो 11 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड के गंजम से नारायणी जंक्शन) के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 156(अ) जो 11 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 157(अ) जो 11 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 158(अ) जो 11 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 159(अ) जो 11 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के खुर्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (गंजम-सुनाखला खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 160(अ) जो 11 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के खुर्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5

(गंजम-सुनाखला खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 161(अ) जो 11 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1971 के प्रयोजनों के लिए परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण-पूर्व जिले में और हरियाणा के गुड़गांव जिले में सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 162(अ) जो 13 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के खुर्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (गंजम-सुनाखला खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 163(अ) जो 13 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के खुर्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (गंजम-सुनाखला खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 289(अ) जो 13 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 7 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 832(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ. 290(अ) जो 13 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 927(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का.आ. 291(अ) जो 13 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 928(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का.आ. 292(अ) जो 13 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 929(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का.आ. 293(अ) जो 13 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 930(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीस) का.आ. 232(अ) जो 26 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 276(अ) जो 11 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (कानपुर-वाराणसी खंड) पर इलाहाबाद बाईपास के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 277(अ) जो 11 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 305(अ) जो 18 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में टोल प्लाजा के निर्माण के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7398/2003]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र को सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)::

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7399/2003]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 100(अ) जो 11 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 578(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7400/2003]

(2) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7401/2003]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7402/2003]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7403/2003]

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7404/2003]

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): महोदय, मैं श्री सु. तिरूनानुकरसर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) सेन्टर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7405/2003]

(3) (एक) सेन्टर फार मेटिरियल्स फार इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलाजी (सी-एमईटी), पुणे के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार मेटिरियल्स फार इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलाजी (सी-एमईटी), पुणे के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7406/2003]

अपराह्न 12.02 बजे

प्राक्कलन समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, मैं पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय (पर्यटन विभाग)-'पर्यटन संवर्धन के लिए अवसंरचना का विकास' के संबंध में प्राक्कलन समिति के दसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न $12.02^{1}/_{2}$ बजे

याचिका समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं याचिका समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 4 मार्च, 2003 को हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ पैंतीसवां से एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जी.जे. जावीया (पोरबन्दर): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) स्वास्थ्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति का 135वां प्रतिवेदन;

(2) परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति का 136वां प्रतिवेदन;

(3) भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति का 137वां प्रतिवेदन;

(4) प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति का 138वां प्रतिवेदन;

(5) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति का 139वां प्रतिवेदन;

(6) महिला और बाल विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति का 140वां प्रतिवेदन; और

(7) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में समिति का 135वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, हम प्रधान मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक के बारे में क्या हुआ। उन्हें सत्र के अंतराल के बाद सभा में उपस्थित होना था।

[हिन्दी]

विमेंस रिजर्वेशन बिल के निगोसिएशंस क्या हो गये हैं? वह इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में पूछ सकती हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य*

प्रधानमंत्री की 'हाल की जम्मू-कश्मीर यात्रा'

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, मैं 18 और 19 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर गया था।

श्रीनगर में प्रमुखत: मेरे पांच कार्यक्रम थे। पहला, श्रीनगर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की योजना का शिलान्यास करना। इस परियोजना से श्रीनगर हवाई अड्डे की क्षमता दुगुनी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि श्रीनगर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू हो जाएं।

दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना से संबंधित था। इसके अंतर्गत श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सीधी जाने वाली चार लेन हाईवे के काम का शुभारंभ किया गया। जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का आग्रह था कि इस योजना का काम कश्मीर घाटी में जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए।

मैंने आम सभा में कश्मीर की जनता को चुनाव में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए बधाई दी। उन्होंने जान पर खेलकर वोट डाले थे। मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि हम "आपके दु:ख-दर्द में शामिल होने के लिए आए हैं। आपको जो भी शिकायत हो उसको मिलकर दूर करिए। दिल्ली का दरवाजा खटखटाइए। दिल्ली अपना दरवाजा आपके लिए यहां कभी बंद नहीं करेगी। आपके लिए दिल का दरवाजा भी खुला रहेगा।"

मैंने जम्मू और कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाया कि हम बातचीत के जरिए सभी मसलों को हल करना चाहते हैं— घर के मसले भी बाहर के मसले भी। मैंने इस बात पर जोर दिया कि बन्दूक से मामले हल नहीं होंगे। भाईचारे से होंगे। इंसानियत, जम्हूरियत तथा कश्मीरियत इन तीन उसूलों के आधार पर हम चलें तो समस्याएं हल हो सकती हैं।

मैंने अपने भाषण में पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की भी बात की थी। साथ ही यह भी कहा था कि हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए। दोनों तरफ से फैसले होने चाहिए कि हम मिलकर चलेंगे।

मेरा अन्तिम कार्यक्रम उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लाइन निर्माण की योजना से संबंधित था। हमारा यह संकल्प है कि सन् 2007 के 15 अगस्त से पहले कश्मीर घाटी में रेलवे ट्रेन चलने लगे।

जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। हमने इसे हल करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। अगले दो वर्षों में रोजगार तथा स्वरोजगार के एक लाख अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा जिसमें केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, उद्योग, वाणिज्य, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि लिए जाएंगे। यह कार्यबल आगामी 30 जून तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा तथा इसका कार्यान्वयन 15 अगस्त से शुरू हो जायेगा।

दिल्ली लौटने से पहले मैंने पत्रकार सम्मेलन में यह आशा प्रकट की कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक नयी शुरूआत हो सकती है। मैंने कहा कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब देखें पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है। सीमा-पार से होने वाली घुसपैठ बन्द होती है और आतंकवादियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर का उन्मूलन किया जाता है तो बातचीत के लिए रास्ते खुल सकते हैं। सब विषयों पर बातचीत हो सकती है जिनमें जम्मू कश्मीर का विषय भी शामिल है।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7407/2003

अपराह्न 12.07 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन–*जारी*

(एक) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अब 'शून्य काल' शुरू करूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी टिप्पणी के लिए आभारी हूं। मैं आज जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय को उठाने जा रहा हूं वह किसी राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न नहीं है। यह मुद्दा समूची सभा से संबंधित है और इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री मदन लाल खुराना को बहुत धन्यवाद देता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, आज करीब 15 स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट आई हैं। ...*(व्यवधान)* मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, किस नियम के अंतर्गत ये व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। किंतु ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो इन्हें कहने दिया जाए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, आज सात-आठ स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट आई हैं जबकि कल कुछ स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट आई थीं। कुल मिलाकर 17 स्टैंडिंग कमेटीज हैं जिनमें 11 लोक सभा की हैं और 6 राज्य सभा की हैं। इन 17 कमेटीज की जो रिपोर्ट होगी, क्या हरेक रिपोर्ट पर यहां बहस हर रोज होगी? इसके बारे में कोई तो प्रोसीजर होगा। इनसे पहले डिफेंस मिनिस्टर या कोई और जबाव देने के हो तो बात अलग है परन्तु स्टैंडिंग कमेटी पर तो आज तक कभी बहस नहीं हुई। इतने साल बीत गये हैं, 1995 से स्टैंडिंग कमेटीज चल रही हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझ गया हूं कि आपका प्रश्न क्या है? इस विषय पर यहां चर्चा नहीं हो रही है। जीरो आवर में मैम्बर को यहां प्रश्न मैंशन करने की इजाजत है चाहे वह रिपोर्ट पर हो या दूसरे किसी विषय पर हो। वह अपने विषय का उल्लेख करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं आपसे यह अनुरोध भी करूंगा कि कुछ स्थायी समितियों की कुछ सिफारिशों को इस सभा में उठाया जाए। यह स्थायी समितियों के माननीय सदस्यों की राय है। वे निराश हो रहे हैं। वे कार्य के प्रति उत्साह खो रहे हैं। वे कहते हैं कि उनकी सभी सिफारिशों की अनदेखी की जा रही है, उन पर सभा में कभी चर्चा नहीं होती और हमें कभी कोई प्रभावी उत्तर नहीं मिलता। की-गयी-कार्यवाही संबंधी टिप्पण आने में एक साल लग जाता है।

प्रधानमंत्री इसके महत्व को जानते हैं। मुझे विश्वास है कि वे भी सहायता करेंगे ताकि सभा उन पर चर्चा कर सके और ये सिफारिशें लागू हों। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि मैं गलत नहीं कह रहा तो लगभग शत प्रतिशत प्रतिवेदन सर्वसम्मत होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ प्रतिवेदनों पर चर्चा हो सकती है यदि आप कार्यमंत्रणा समिति के पास जाएं और कोई दिन नियत करें।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): मैं श्री सोमनाथ जी से सहमत हूं कि रिपोर्ट आने के बाद सदन में उस पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्य करने होंगे, वे बाद में होंगे लेकिन सदन में रिपोर्ट आते ही सदस्य उसका उल्लेख कर सकते हैं। सदस्यों को पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट को उठाया जा रहा है जिससे कि चर्चा में वे भी योगदान दे सकें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: वह अलग बात है किंतु वह मुझसे सहमत हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: दासमुंशी जी अगर अचानक कोई रिपोर्ट उठा दें तो उस पर चर्चा करना मुश्किल होता है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज कोई शर्त न जोड़ें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सभी सदस्यों के प्रति आभारी हूं। वे सभी हमारे सहकर्मी हैं। जब हम किसी विषय को स्थायी समिति के पास भेजते हैं तो इसे राजनीतिक कारण से नहीं भेजते।

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी कश्मीर यात्रा के संबंध में अपके वक्तव्य में जो महत्वपूर्ण विषय उठाया है वह सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद से लड़ने का दृढ़निश्चय और अन्ततः कश्मीर के लोगों के साथ आपसी समझदारी तथा सौहार्द्रपूर्ण संबंध तथा पाकिस्तान के साथ मित्रता बनाना है। इस दृष्टिकोण से, तेरहवीं लोक सभा के पहले ही दिन से सरकार समूची सभा से सुरक्षा तथा रक्षा मसलों पर पूरे समर्थन की मांग करती रही है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री पूर्णतः सही हैं कि अचानक दासमुंशी जी अगर उसे पिकअप करें तो मुश्किल है। मैंने अचानक पिकअप नहीं किया। कल रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष सभा पटल पर रिपोर्ट रखने के बाद प्रैस के सामने गए और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी।

[हिन्दी]

मैं कोट नहीं करना चाहता कि ट्रिब्यून में क्या निकला, हिन्दुस्तान में क्या निकला लेकिन श्री खुराना जी ने देश को यह जानकारी देकर, देश को सचेत करके, सदन को सचेत करके जो अच्छा काम किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे विचार से इस विशेष रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा किया— यदि मैं गलत हूं तो मुझे सही किया जा सकता है—कि भारतीय संसद के इतिहास में कभी भी हमारे देश की वर्तमान सुरक्षा के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण का इतना बड़ा खुलासा कभी नहीं किया गया।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): ऐसा पहले भी हुआ है। जीप स्कैंडल मामला है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, ये मुझे व्यवधान क्यों पहुंचा रहे हैं? मैं उनका दुश्मन नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, रक्षा तैयारियों के लिए पूंजीगत व्यय का 30 प्रतिशत बिना खर्च हुए रह गया। देशभक्त लोगों से करगिल के नाम पर लिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कर जिसे रक्षा तैयारी को अद्यतन करने के लिए लिया गया था, को अब सामान्य कोष में रख दिया गया है। 50,000 करोड़ रु. की खरीद की सिफारिशों पर कोई उत्तर नहीं मिला है और हमें यह पता नहीं है कि इसे अन्तिम रूप दिया गया या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, महासागर में तैयारी को पूरा करने के लिए नौसेना की आवश्यकता में से तीन विशेष विमान वाहक पोतों में से एक हटाया जाने वाला है और रक्षा मंत्रालय मौन है। हम जानना चाहते हैं कि वैकल्पिक आकस्मिक योजना क्या है। जब संसद यहां पूर्ण समर्थन और धन देने को तैयार है तो इन्होंने उसका उपयोग नहीं किया है। कुल रक्षा व्यय 18 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत हो गया है। गत तीन वर्षों में रक्षा तैयारियों पर पूंजीगत व्यय का 30 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा है। एलसीए, एजेटी, एमबीटी अर्जुन जैसी परियोजनाएं 15 से 20 वर्ष पीछे चल रही हैं। हमें कम से कम तीन विमानवाहक पोतों की आवश्यकता है, जिनमें से एक शीघ्र ही हटाया जाने वाला है और खतरे के व्यापक आकलन सहित कोई दीर्घकालीन दृष्टि की भविष्यवाणी नहीं की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी कविताएं या लेख संसद में मेरे अच्छे मित्रों के अच्छे गीत या एक अच्छे कलाकार की अच्छी अदाकारी या प्रधानमंत्री की अच्छी कविता भारत के लोगों को मात्र सांत्वना दे सकती है किंतु रक्षा मसलों में भी उद्देश्य पूर्ति नहीं कर सकते। ये आवश्यक चीजें हैं जिन्हें दिखाया गया है। यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वे सभा को विश्वास में लें और बताएं कि इतना विलम्ब क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। अयक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण भाग है। पैरा 41 ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): अध्यक्ष जी, यह जो बयान दे रहे हैं, हमें आश्चर्य होता है। ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी कविता करते हैं तो यहां कहने की क्या जरूरत है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं समझ नहीं पाता कि ये लोग व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। हम यहां एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यह दलगत विषय नहीं है। यह समिति की रिपोर्ट है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: देखिए, बात बहुत सिम्पल है। कमेटी के चेयरमैन यहां बैठे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति दी है। वे अपनी सीमा जानते हैं कि वह कितना समय ले सकते हैं। मैं उन्हें अधिक समय नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): अयक्ष जी, अगर यह डिबेट चेयरमैन और इनके बीच में हो रही है और बाकी सदन के बीच में नहीं हो रही है तो खुराना जी और ये बाहर चले जाएं, बात हो जाए, फिर यहां सदन का समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? *...(व्यवधान)* सदन का समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री को यह समझने में सहायता मात्र दे रहा हूं कि रक्षा मंत्रालय कैसे चल रहा है और इससे अधिक कुछ नहीं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: क्या आप केवल पढ़कर समस्या का समाधान करना चाहते हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: रक्षा सचिव ने समिति को सूचित किया कि रक्षा मंत्री *...(व्यवधान)* रक्षा मंत्री के पैसा जारी करने के अधिकार को 20 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रु. कर दिया गया है। रक्षा मंत्री को यह अधिकार दिए जाने के बावजूद, संसद द्वारा रक्षा मंत्री को सारे प्राधिकार दिए जाने के बावजूद, उनके हाथ में सरकारी पैसा होने के बावजूद देश की रक्षा तैयारी इस हद तक गिरी हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि देश कैसे आश्वस्त महसूस करेगा कि इस नाजुक स्थिति में रक्षा तैयारी उनके हाथों में सुरक्षित है। यह मेरा आरोप नहीं है। इसे कांग्रेस पार्टी की शिकायत के तौर पर न लें।

एजेंटी की खरीद के विषय में रिपोर्ट कहती है कि सब कुछ तय कर लिया गया है। किंतु समाचार पत्र कहते हैं कि इसे चेकोस्लोवाकिया से या ब्रिटेन से लिया जाए इस पर लड़ाई चल रही है। यही कारण है कि वायु सेना नुकसान उठा रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से अब आपको समाप्त करना होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। करगिल शहीद दिवस मनाकर, आंसू बहा कर और 'जिन्दाबाद' तथा 'जय हिन्द' कहने से देश की रक्षा में मदद नहीं मिलेगी। भारत की रक्षा को इस प्रकार लिया जा रहा है। अत: मैं महसूस करता हूं कि कृपया प्रधान मंत्री इसका उत्तर दें। रक्षा मंत्री यहां नहीं हैं। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। महोदय, मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं अपने को इनके साथ संबद्ध करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अब, प्रधानमंत्री यहां हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर दें *...(व्यवधान)* मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के खुलासे पर प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। संसद उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री रामजीलाल सुमन।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उनका विषय अलग है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आप विषय उठाना चाहते थे। मैंने आपको उसे उठाने की अनुमति दी। यह सरकार पर है कि वह जवाब दे या न दे। कृपया बैठ जाइए।

अब, श्री रामजीलाल सुमन।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, आप अपना विषय रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): प्रधान मंत्री जी का इस पर रिएक्शन आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, क्या आप नहीं सोचते कि यह ऐसा मामला है जिसमें प्रधान मंत्री को सभा को विश्वास में लेना चाहिए? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): यह देश की रक्षा का मामला है, इस पर जवाब आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मदन लाल खुराना जी रक्षा संबंधी मामलों की स्थाई समिति के अध्यक्ष हैं इसलिए मैं उनको बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष जी, हमने जो रिकमंडेशंस दी हैं,

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): महोदय, क्या आप इस मामले पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, हर कोई आपके विनिर्णय पर प्रश्न कर रहा है। आप जो भी निर्णय लेते हैं उस पर प्रश्न किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: वाजपेयी सरकार सुरक्षा के मामले में कितनी गंभीर है यह इससे पता चलता है कि पहले डिफेंस के लिए 30,000 करोड़ रुपए या 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा जाता था, लेकिन पिछले दो वर्षों से 66,000 करोड़ रुपए का बजट डिफेंस के लिए रखा गया है। लेकिन खरीद का प्रोसिजर इतना लम्बा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको भी सुनना पड़ेगा।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: लेकिन ये अपना बचाव कर रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना: पर्चेजिंग का प्रोसिजर इतना लम्बा है, यहां बोफोर्स की बात आई, उसी वजह से अधिकारी खरीदने में घबराते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वह इस रिपोर्ट से आगे कुछ नहीं कह सकते। वह इस रिपोर्ट में आगे जा रहे हैं...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, वह इस रिपोर्ट से आगे कैसे जा सकते हैं? वह इस रिपोर्ट से आगे कुछ नहीं हो सकते। मैंने इस रिपोर्ट से आगे एक शब्द भी नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: यह भी रिकमंडेशन में है कि आडिट भी पर्चेज से पहले हो जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, वह इस रिपोर्ट से आगे कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। खुराना जी ने कहा है कि पिछले तीन साल में 20 प्रतिशत खर्चा नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने शून्यकाल के दौरान रक्षा संबंधी समिति की वर्ष 2003 की रिपोर्ट के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए थे। चूंकि उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे, इसलिए मैंने एक विशिष्ट मामले के रूप में श्री मदन लाल खुराना को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बोलने की अनुमति दे दी है। सामान्यत: ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन, जैसा मैंने कहा, चूंकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं तो रक्षा संबंधी समिति के सभापति जो कहना चाहते हैं वह उन्हें कहने दीजिए। अत: उन्हें श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी बात कहने दीजिए, और उससे अधिक कुछ नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए। आप उसके बाद बोल सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): उनके कहने से पहले, यदि मैं बोलूं तो इससे उन्हें भी मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको उनके भाषण के बाद अनुमति दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: इसी रिपोर्ट की रिकमंडेशन है। पूरी कमेटी ने यह सोचा कि पैसा लैप्स न हो, जिस उद्देश्य से सरकार ने पिछले वर्षों से इतनी बड़ी धनराशि दी है, डबल कर दी है, यह कैसे खर्च हो, उसके बारे में सजेशन दिया है। वह सुझाव

दिया है कि यह पैसा लैप्स न हो, उसको अगली बार यूज करने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)* इसलिए सजेशन यह दिया गया है कि डिफेंस का पूरा बजट पांच साल के लिए बनाया जाए, ताकि जो प्रोसिजर है खरीदने का, उसके कारण पैसा लैप्स न हो पाए। यह एक मुद्दा है। एक साल के लिए नहीं, पांच साल के लिए डिफेंस का बजट बनाया जाए। क्योंकि खरीदने का प्रौसीजर इतना लम्बा होता है कि पांच साल में परचेज पूरी हो जाए।

श्री शिवराज वि. पाटील: सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जो दी गयी है, वह खुराना साहब की रिपोर्ट नहीं है, वह रिपोर्ट कमेटी की है, खुसन्ना साहब शायद डर रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट अगर गवर्नमेंट के खिलाफ गयी तो गवर्नमेंट उनके ऊपर कितनी नाराज होगी। यह रिपोर्ट उनकी नहीं बल्कि यह रिपोर्ट हम लोगों की है जो यहां पर बैठे हुए हैं और यह रिपोर्ट यूनेनिमस है माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने बहुत जिम्मेदारी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और रिपोर्ट के सिवाए उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि यह यूनेनिमस रिपोर्ट है, यह मिनी-हाउस की रिपोर्ट है क्योंकि कमेटी को मिनी हाउस माना जाता है। सरकार उसे गंभीरता से देखे और केवल देखे ही नहीं हमें बताए कि वह उसके ऊपर क्या करने जा रही है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: खुराना साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हटाए नहीं जाएंगे। पाटिल साहब ने बचा लिया आपको।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम सब अपने अति प्रिय मित्र श्री मदन लाल खुराना की परेशानी अथवा चिंता को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रभारी घोषित किए जाने के बाद, आज वह इस समस्या का सामना कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से दिल्ली के संसद सदस्यों के बीच ये सब कानाफूसी आरंभ हो गई है। मैंने ऐसा देखा है वे लोग उन्हें बाहर करना चाहते हैं। यह अलग मामला है।

हमें इसे दलगत के आधार पर नहीं लेना चाहिए। मेरा विचार है कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने सही उल्लेख किया और मुझे भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री भी सहमत होंगे कि रक्षा संबंधी मामले और सुरक्षा के मामलों में पूरी सभा सरकार के साथ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है जब हमने इसे राजनीतिक दल का मुद्दा बनाया हो। यह रिपोर्ट संसदीय समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट है जिसे एक मिनी संसद समझा जाता है। जैसा हमें सही स्मरण कराया गया था। इसलिए आइए हम सब इसके अपेक्षित महत्व को समझें। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस पर विचार करेंगे कि उनका इस पर क्या प्रत्युत्तर होगा। मैं जानता हूं यहां पर 'हां' या 'ना' कहना आज बहुत कठिन है क्योंकि उनके मंत्री संगरोध के कारण पहले ही कष्ट में हैं और वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक के पद को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में उनके लिए केवल यही कार्य बचा है क्योंकि ये सब* वहां उनके साथ हैं...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, माननीय सदस्य ने अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसे कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खुजराहो): अध्यक्ष जी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका उत्तर देने दीजिए। सरकार का उत्तर क्या है? हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़े ध्यान से सुना और मैंने आपकी टिप्पणियों के माध्यम से उनके निदेशों का पालन किया। अब नेता के उत्तर देने का समय है। माननीय प्रधानमंत्री इस रिपोर्ट पर मौन कैसे रह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत मुखर्जी: अध्यक्ष जी, देश की सुरक्षा का मामला है और माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर हैं, हम उन्हें सुनना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आपको प्रधानमंत्री से अपने कथन पर वक्तव्य देने का अनुरोध करने का अधिकार है और प्रधानमंत्री को उत्तर देने अथवा नहीं देने का अधिकार है। 'शून्यकाल' के दौरान हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए ऐसा कोई नियम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

डा. विक्रम सरकार (पंसकुरा): महोदय श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रयोग किया गया शब्द आपत्तिजनक है और यह शब्द कार्यवाही-वृतान्त से हटा दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे कार्यवाही-वृतांत से हटा दूंगा। मैं जानता हूं आप ऐसे नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: सर, हमारी खुशकिस्मती से डिबेट के समय माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर है। हम उनको डिटेल में जाकर जवाब देने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी इतना तो हमें जरूर आश्वस्त कर सकते हैं कि यह अहम मसले हैं और आप सब लोगों ने इस बात को आगे रखा है। उसको हम ध्यान में रखकर जो कर सकते हैं करेंगें। इतना तो वे बोल सकते हैं। क्या माननीय प्रधान मंत्री जी से हम इतना भी एक्सपैक्ट नहीं कर सकते हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष जी, रक्षा मंत्री जी की बात तो समझ में आती है लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की खामोशी समझ से बाहर की बात है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नियमों से बंधा हुआ हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि माननीय प्रधान मंत्री जी चुप रहते हैं तो इस मुद्दे के संबंध में क्या संदेश बाहर जायेगा?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, एक स्टैंडिंग कमेटी का सवाल नहीं है। अन्य सभी के बारे में भी सवाल है। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, जो समितियां सदन नियुक्त करता है, उनकी रिपोर्ट्स को सदन गंभीरता से लेता है। उन रिपोर्ट्स पर चर्चा हो सकती है, मगर उसकी एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत वह मोशन आना चाहिए और चर्चा के लिए सदन में रखा जा सकता है तथा सब लोगों को बोलने का अवसर दिया जा सकता है। यह समझने का कोई कारण नहीं है और प्रतिपक्ष यह न समझे कि इस तरह की रिपोर्टों को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। उनका महत्व है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: ऐसा किसी ने नहीं कहा।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आपने ठीक कहा, खुराना जी से इसका संबंध नहीं है। रिपोर्ट आती है। उसको गम्भीरता से लेना जरूरी है, लेकिन गहराई से विचार करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। एक-एक मुद्दे पर सदन विचार नहीं कर सकता है। गवाहियां नहीं ले सकता है, फाइलें नहीं देख सकता है। यह सब देखने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है, वह युनैनिमस रिपोर्ट होती है। इसको गम्भीरता से लेना चाहिए और चर्चा के लिए समय तय करना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका मतलब वही है, जो आप चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): अध्यक्ष महोदय, एमपीलैड के बारे में भी जो रिपोर्ट आई है, उसको भी गम्भीरता से लिया जाए, तो पूरा सदन खुश हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.32 बजे

(दो) देश के विभिन्न भागों में पोटा के कथित दुरुपयोग के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, जब सदन में पोटा के संबंध में चर्चा हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा था कि टाडा की तरह पोटा का भी दुरुपयोग होगा। जब राज्य सभा से पोटा पास नहीं हो सका, तो 26 मार्च, 2002 को सरकार ने पोटा पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया। आज देश के विभिन्न प्रान्तों में जहां भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें हैं, वहां पोटा का बेतहाशा दुरुपयोग हो रहा है। अकेले झारखण्ड में 210 लोगों को पोटा में गिरफ्तार किया गया है। वहां 83 लोगों के खिलाफ पोटा सरकार को वापस लेना पड़ा है। 'वीक' मैगजीन में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी डिटेल छपी है। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें अधिकांश औरतें, बच्चे और आदिवासी लोग हैं—महंत कुमारी, विनोद सिंह-12 वर्ष, जटा भूरिया, रोपुल कुमारी-17 वर्ष, देवशरण महतो और जानकी भूरिया-14 वर्ष। इनमें अधिकांश बच्चे हैं और महंत कुमारी तो सातवीं कक्षा की छात्रा है। कहा जा रहा है कि ये सब एमसीसी के कार्यकर्ता हैं। इसी प्रकार साप्ताहिक पत्रिका 'नक्कीरन' के सम्पादक, श्री आर.आर. गोपाल को भी गिरफ्तार किया गया है। मैं दलगत बात नहीं करना चाहता हूं। यह भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु

के मुख्य पूर्व मंत्री श्री करुणानिधि और श्री रजनीकांत को भी गिरफ्तार करेंगे। यह बहुत गम्भीर मामला है। मानवाधिकार समिति ने झारखंड का दौरा करने के बाद कहा है कि सरकार दिमागी तौर पर तैयार है और 3200 लोगों को पोटा के तहत गिरफ्तार किया जाना है। पोटा पास करने के समय जब वाइको साहब सदन में थे, तो बहुत जोरो से समर्थन कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद हमने कहा था कि वाइको साहब की गिरफ्तारी उचित नहीं है। तब भारत सरकार ने कहा कि वाइको के खिलाफ सबूत बनते हैं और वाइको को ठीक गिरफ्तार किया गया है। सरकार अदालत में जाकर यह कह रही है कि पहले जो पक्ष रखा था, वह सही नहीं था, सही मायनों में वाइको साहब को बचाने का काम हो रहा है। इस संबंध में भारत सरकार ने बताया है कि इसके लिए समीक्षा समिति बना दी गई है। गृह राज्य मंत्री, श्री हरिन पाठक द्वारा 28 मार्च का यह खत है। इसमें लिखा है—सरकार ने समीक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जिसके अध्यक्ष पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, श्री अरुण बी सहाय (सेवानिवृत्त) होंगे। यह समिति विभिन्न राज्यों में पोटा 2002 के इस्तेमाल की व्यापक जांच करेगी और अपना निष्कर्ष तथा इस कानून के कार्यान्वयन की कमियों को दूर करने के लिए अपने सुझाव देगी। इस बात को भी सुनिश्चित करेगी और विशेष बल देगी कि इस कानून के उपबन्ध आतंकवाद को रोकने के लिए लागू किए जायें। इसे सामान्य अपराधी या व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तेमाल न किया जाए, जो आतंकवादी नहीं हैं अथवा जिसका कार्यकलाप आतंकवादी कार्यकलाप नहीं कहा जा सकता है। पोटा बनाने का मकसद आतंकवादियों से निपटना था।

लेकिन आज राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम किया जा रहा है। इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। संसद पर जो हमला हुआ और जिस की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हो रही है, उसने भी टिप्पणी की है कि विभिन्न राज्यों में पोटा का दुरुपयोग हो रहा है और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कल भी यह सवाल आया था...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप सब दो-दो मिनट बोल सकते हैं क्योंकि इस विषय में दूसरे लोगों के भी नोटिस हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। पोटा का अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है। इस संबंध में समीक्षा समिति क्या कह रही है? राजा भैया एवं उदय प्रताप के संबंध में सरकार ने क्या किया है? हम इसमें आपका संरक्षण चाहते हैं। सरकार इस बारे में एक बयान दे और पोटा कानून रद्द हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, कल आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप मुझे अवसर देंगे।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, इस मुद्दे पर मैंने भी सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य को बोलने का अवसर दूंगा। प्रत्येक माननीय सदस्यों को केवल दो मिनट का समय लेना चाहिए उससे अधिक नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, जिस समय संसद की दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में पोटा का अधिनियमन किया गया था तो उस समय पूरे विपक्ष ने गंभीर आशंकाएं व्यक्त की थी और इसी सभा में चर्चा के दौरान यह आशंका व्यक्त की गई कि इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जाएगा।

झारखंड में सैकड़ों आदिवासी व्यक्ति 90 प्रतिशत कृषि संबंधी श्रमिक और छोटे बच्चे भी पोटा के तहत गिरफ्तार किए गए हैं महोदय झारखण्ड में पोटा का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है और आम नागरिक जिनमें से अधिकतर अशिक्षित, जनजातीय व्यक्ति अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति तथा 18 वर्ष से कम के युवक पोटा के तहत गिरफ्तार किए गए। इन वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 2002 और 2003 के दौरान 200 से अधिक व्यक्ति पोटा के तहत गिरफ्तार किए गए।

डाल्टनगंज (झारखंड) के एक अधिवक्ता को भी गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह कुछ मामलों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए थे।

अपराह्न 12.38 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

झारखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी ऐसे अनेक मामले हैं। हमारे साथी अभी भी गिरफ्तार हैं और उन्हें रिहा नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री, जो गृहमंत्री भी हैं, उन्होंने इस सभा में वक्तव्य दिया था कि पोटा के मामलों की समीक्षा की जाएगी तथा कुछ रक्षोपाय प्रदान किए जाएंगे ताकि पोटा का दुरुपयोग न किया जा सके। हम नहीं जानते कि कोई समीक्षा की गई है अथवा नहीं। तमिलनाडु में एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया है। पत्रकारों, अधिवक्ताओं, कृषि से जुड़े श्रमिकों तथा 18 वर्ष से कम आयु के छोटे बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और पोटा का कई राज्य सरकारों द्वारा खुले रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है।

हमें यह बताया गया था कि आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए ऐसे कानून की जरूरत है। तथापि, इस अधिनियम ने आतंकवाद को कम करने में मदद नहीं की है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

यह कानून अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। अब समीक्षा करने का समय आ गया है, ना सिर्फ समीक्षा करने का बल्कि ऐसे कानून को वापस लेने का समय आ गया है, ऐसा कठोर कानून जिसका खास राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खुले रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय, पोटा एक कठोर कानून सिद्ध हो चुका है। इस कानून के पारित कराने में संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों द्वारा किए गए कड़े विरोध के बावजूद, कानून को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर पारित करा लिया गया। इस सभा में चर्चा के दौरान एक आश्वासन दिया गया था कि कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। यह आश्वासन उप प्रधानमंत्री तथा स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा भी दिया गया था। आजकल क्या हो रहा है? यह कानून माननीय सदस्य वैको के विरुद्ध उपयोग किया गया है। इसका केवल दुरुपयोग नहीं हो रहा है बल्कि इसे कुछ राज्यों में सत्ताधारी दल द्वारा विरोधियों के विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है। इस कठोर कानून को निरस्त करने का समय आ गया है। मेरा आग्रह है कि यह अधिनियम तत्काल निरस्त किया जाए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास पोटा के बारे में 4-5 सदस्यों का नोटिस आया है, उन्हें चांस दूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष जी, जब इस सदन में पोटा के बारे में कानून आया, हमने बार-बार इसकी खिलाफत की लेकिन सरकार ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। आज धड़ल्ले से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इस कानून के तहत बेकसूर लोगों को पकड़ा जा रहा है और यह बदले की भावना से किया जा रहा है। उदाहरण के लिये तमिलनाडु में श्री वैको की गिरफ्तारी की गई। शुरू में केन्द्र सरकार ने कहा कि यह ठीक है लेकिन बाद में हलफनामा देकर यह बताया कि पोटा के खिलाफ कानून लाया जायेगा। केन्द्र सरकार का दोहरा मापदंड कैसे है? इस कानून का प्रयोग राजनैतिक भावना और बदले के लिये हो रहा है। राज्य सरकारें इस कानून के तहत दुरुपयोग कर रही हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को नोटिस जारी किया है कि पोटा की असलियत क्या है, इसमें जमानत का क्या प्रावधान है। इन सब बातों का पर्दाफाश कोर्ट में हुआ है। मेरी मांग है कि सरकार इस पर वक्तव्य दे और पोटा कानून को वापस करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, जब यह कठोर कानून पोटा, सरकार द्वारा सभा के समक्ष लाया गया तो चर्चा के दौरान इसके लागू किए जाने पर सम्पूर्ण विपक्ष ने कड़ा एतराज किया। हमने आशंका जताई कि इस कानून का दुरुपयोग होगा और इसका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और निर्दोष लोगों के विरुद्ध किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

हमारे पास संदेह के कारण हैं, हमारी आशंका सही थी, यद्यपि, माननीय गृह मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा लेकिन झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, और गुजरात सहित, कुछ राज्यों में इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिर्फ झारखंड में ही कई कम उम्र के बच्चों सहित 100 से भी अधिक लोगों को पोटा के तहत गिरफ्तार किया गया।

परसों, उत्तर प्रदेश की स्थिति पर सभा चर्चा की जा रही थी, हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शह पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे माननीय वरिष्ठ मित्र श्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध किस तरह के मामले दर्ज किए हैं। वे आधार तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे माननीय मित्र श्री मुलायम सिंह यादव को पोटा के तहत गिरफ्तार करना चाहती है।

इसी तरह से, तमिलनाडु सरकार ने भी हमारे वरिष्ठ मित्र वैको को काफी लंबे समय से गिरफ्तार किया हुआ है। यद्यपि उनकी पार्टी और उन्होंने पोटा का समर्थन किया फिर भी श्री वैको के साथ मतभेद के बावजूद, हम कठोर कानून पोटा के अंतर्गत श्री वको की गिरफ्तारी का समर्थन नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अजय चक्रवर्ती, कृपया भाषण मत दीजिए। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अजय चक्रवर्ती: मैं तुरंत अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, हम देख रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इस कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस देश के लोगों के हित में इस कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। सरकार को इस कठोर कानून को शीघ्र वापस लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी और शेष विपक्ष की तरफ से पहले दिन से ही इस विधेयक का विरोध हो रहा है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): उपाध्यक्ष महोदय, एक ही सबजैक्ट पर बहस हो रही है, मैं अपनी स्टेट का महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, इन लोगों ने सूचना दी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, यह स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष ने उनके साथ पहले ही चर्चा की है।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: महोदय, हमारे राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है। हमें भी अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)* यह सही नहीं है। सिर्फ एक विषय पर चर्चा की जा रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभी को मौका मिलेगा, बशर्ते आप सहयोग करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही पोटा का विरोध कर रही है। सरकार ने जैसी इच्छा जाहिर की थी कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस अधिनियम का उपयोग नहीं किया।

महोदय, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पोटा के दुरुपयोग ने न्यायापालिका में उच्च पदों पर बैठे लोगों सहित देश में कई लोगों की आंखें खोल दी, अब गृह मंत्रालय का विचार समीक्षा आयोग गठित करने का है। समीक्षा आयोग क्यों? यह इसलिए कि राक्षस उन्हें भी निगल सकता है। इसलिए वे भयभीत हैं।

महोदय, मैंने माननीय गृह मंत्री को पोटा के विशेष प्रावधानों एवं श्री अशोक सिंघल, श्री प्रवीण तोगड़िया और श्री गिरीराज किशोर के भाषणों को उद्धृत करते हुए पत्र लिखा है और गृह मंत्री मेरे पत्र की पावती भेजना भी महत्वपूर्ण नहीं समझते क्योंकि उनके पास उत्तर देने के लिए कुछ नहीं है जैसे वे दु:स्वप्न में फंस गये हों।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार यह महसूस करती है कि राक्षस उन्हें निगल सकता है तो वे अपने सहयोगियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी समीक्षा करवा रहे हैं। कल उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर, जमानत की शर्तों और अन्य प्रावधानों पर सरकार अंधेरे में है।

इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि बेइज्जती से बचने के लिए उन्हें हमारे जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरफ नजर डालनी चाहिए कि वे किस तरह से माहौल से निपटने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि एक सदन के नेता को करना चाहिए।

इसलिए, समय आ गया है कि सरकार इसे पूरी तरह से खत्म कर दे, और एक निरसन विधेयक लाए। सदन की उस पर एक मत राय होगी।

महोदय, मुझे भय है कि उत्तर प्रदेश में और कई अन्य राज्यों में भी इस खास अधिनियम का प्रयोग होगा। जैसे जैसे विधान सभा और संसद के चुनाव के दिन नजदीक आते जाएंगे सत्ताधारी दल यहां तक कि अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपया किसी गलतफहमी में न रहें।

श्री रघुनाथ झा अपना सिर हिला रहे हैं। श्री झा, मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

यह आप लोगों के लिए भी होगा। इसलिए तुरंत आवाज उठाइये, इसे रिपील करो और इसे खत्म करो।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): दासमुंशी जी, आप कितना ही बहकाने की कोशिश करें, ये लोग टूटने वाले नहीं हैं। यह सरकार लगातार चल रही है और पांच साल का कार्यक्रम पूरा करेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इस तरह से मत चिल्लाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप लोगों के लिए चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन हमने पोटा में नहीं किया। तोगड़िया के लिए इंडियन पीनल कोड काफी है। आप बिहार जाइये वहां लालू जी 30 तारीख को लाठी रैली कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह जीरो आवर है, आप केवल असोसियेट कीजिएगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उपाध्य महोदय, यह मेरे जिले का मामला है। प्रतापगढ़ में राजा उदय प्रताप सिंह जो 70 वर्ष के हो चुके हैं, वे विश्व हिन्दू परिषद के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं और जो इनकी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं मेरे दल के नहीं हैं, उन 70 के उदय प्रताप को पोटा के तहत गिरफ्तार करके टार्चर किया जा रहा है। वे पांच साल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मेरे जिले के हैं। उनको कानपुर में तनहाई में रखा गया है। गोपालजी एम.एल.सी. हैं. उनको भी टार्चर किया जा रहा है। इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने दूसरा नोटिस भी जीरो आवर मे लिए दिया है।...*(व्यवधान)* प्रतापगढ़ मेरे जिले में सियाराम यादव जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, विवेक त्रिपाठी, युवजन सभा के अध्यक्ष तथा महिला सभा की अध्यक्षा रेहाना सिद्दिकी, सब पर पोटा लगाने की कोशिश की जा रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: विषय अलग है, यह भिन्न विषय है। आप विषय से हट रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मैंने इस पर नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले एक विषय खत्म करना है फिर दूसरा विषय लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उन सब लोगों को अकारण घर से उठाकर बंद कर दिया है। इस तरह से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार को तत्काल इस पर विचार करना चाहिए और मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक विवेकहीन कदम है। इससे देश को नुकसान होगा और देश में जो तानाशाह लोग बैठे हैं, वे उस कानून का दुरुपयोग करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यहां कई माननीय सदस्य अपनी बात कहने वाले हैं। उन्हें मौका कैसे मिलेगा?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: इसलिए पोटा पर तत्काल डिसकशन होना चाहिए और उस पर विचार करने के बाद उसको समाप्त करना चाहिए। पहले भी मैंने अनुरोध किया था और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी इसका विरोध करती है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यही मुसीबत है आप लोगों की, कि आप भाषण करना शुरू कर देते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): इसे रखे जाने के समय भी हमने शंका जाहिर की थी और हमने अभी भी आशंका जताई है कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा। अब, हमने पाया है कि सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं जहां इसका प्रयोग श्री वैको के खिलाफ किया गया, परंतु उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी इसका प्रयोग छोटे बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और अन्य लोगों के विरुद्ध तथा कभी-कभी व्यक्तिगत कारणों से तो कभी राजनीतिक कारणों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। यदि कोई अपराध करता है तो आपराधिक कानून की कमी नहीं है। लेकिन हमने पाया है कि पोटा का इस्तेमाल ऐसी स्थिति में भी किया जा रहा है। सबसे पहले यह काम होना चाहिए कि यह समाप्त हो ताकि देश में इसका उपयोग किसी राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी के खिलाफ न किया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: राम विलास जी, आपको भी मौका मिलेगा, अभी पोटा पर बात चल रही है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: राम विलास जी, आपका नोटिस जम्मू और कश्मीर में किलिंग्ज पर है।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): पोटा पर भी है। वह हिन्दी में लिखा हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उधर के लोग ही सारा समय हाउस चलाते हैं, हम कहां जाएं?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इस तरह का आक्षेप न करें। इन सब सदस्यों ने एक ही विषय पर नोटिस दिया है, उसी पर ये बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जाधव जी, जब पोटा पर चर्चा शुरू की है तो क्या खत्म नहीं करेंगे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: जहां तक पोटा के दुरुपयोग संबंधी प्रश्न का संबंध है, सरकार ने स्वयं इस गंभीर मुद्दे को मान्यता दे दी है क्योंकि उन्होंने इस पर समिति गठित की है, किसलिए? यदि कोई मामला नहीं है तो उन्हें समिति की नियुक्ति क्यों करनी चाहिए?*...(व्यवधान)* यह क्या हो रहा है? मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या समिति के सदस्यों की नियुक्ति पूरी हो गई है। हमें सिर्फ समिति के अध्यक्ष का नाम बताया गया है। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि सिमित के अन्य सदस्य कौन-कौन हैं। क्या मैं जान सकता हूं क्या यह एक सदस्यीय समिति है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इसने कार्य करना शुरू कर दिया है?

हमें क्यों इस पर जिरह करनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग हो रहा है? सरकार ने मान ही लिया है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। यहां दो तरह के संकेत है—एक श्री वैको के बारे में सरकार का भिन्न रवैया है जहां वे सिर्फ विरोध करते हैं और मामले के दुरुपयोग का समर्थन करते हैं।

उन्होंने दुरुपयोग के आरोप का समर्थन किया है। इसलिए, उन्होंने इस भूमि के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष औपचारिक तौर पर शपथ-पत्र को बदल दिया। दूसरी बात, जब मामले पर विचार किया जा रहा है तो एक तरफ भारत के महान्यायवादी ने यह कहते हुए शपथ-पत्र दाखिल किया कि वह दुरुपयोग है और ठीक उसी समय वह तर्क दे रहे हैं कि ठीक वही अधिवक्ता तर्क दे रहे हैं, कि पोटा के अंतर्गत दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है। हम भारत सरकार के रवैये के बारे में जानना चाहेंगे। क्या सरकार इस देश में मानवीय आजादी के साथ अपनी स्वेच्छा से व्यवहार कर सकती है?

यह विष अब फैल चुका है क्योंकि इसे कुछ मुख्य मंत्रियों द्वारा लागू किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री इसका उदारतापूर्वक दुरुपयोग कर रहे हैं। श्री वैको के मामले में भारत सराकर द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि तमिलनाडु सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है और अन्य मामले भी हैं*...(व्यवधान)* आज हमें संसदीय जनतंत्र के बारे में उसी मुख्यमंत्री द्वारा भाषण दिए जाते हैं। यह शताब्दी का मजाक है*...(व्यवधान)* श्री वैको की नजरंबदी अनुचित थी, यह भारत सरकार का मामला है। यह भारत सरकार का मामला है कि वैको की नजरबंदी उचित नहीं है। इसके बावजूद*...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): उन्होंने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती है और आज भी उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है*...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम उन जैसे मुख्यमंत्रियों से संसदीय जनतंत्र के बारे में भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जानते है कि वे संसदीय जनतंत्र का कैसा उपयोग कर रहे हैं। अत: मेरी मांग है*...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, वे पोटा के बारे में बातचीत कर रहे हैं किन्तु किसी ने भी टाडा के तहत गिरफ्तार लोगों के बारे में बात नहीं की*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया पोटा तक ही सीमित रहें।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: मेरी मागं है कि भारत सरकार को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए*...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, पंजाब में पिछल आठ वर्षों से लगभग 400 पुलिस अधिकारी जेलों में बंद हैं। क्या सदस्यों ने उन मुद्दों को उठाया?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, यह 'शून्य काल' है। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया है।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, लगभग 400 पुलिस अधिकारी पंजाब के जेलों में यातना भुगत रहे हैं। किसी ने भी उनके बारे में बात नहीं की*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री रघुनाथ झा का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में 21 अप्रैल, 2003 को माननीय मुलायम सिंह जी के

[श्री रघुनाथ झा]

मुख्यमंत्रित्व काल में विवेकाधीन कोष के तथाकथित दुरुपयोग के संबंध में उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री द्वारा 135 से अधिक मामले दर्ज करने के बारे में इस सदन में चर्चा हुई थी और सभी दलों के माननीय नेताओं और सदस्यों ने बदले की भावना से की गई उनकी इस कार्रवाई की, इस चर्चा के बारे में अपनी नाराजगी जाहिर की थी और चेयर से आग्रह किया था कि इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से बात करके कोई कोड आफ कंडक्ट मुख्य मंत्रियों के लिए बनाया जाए ताकि बदले की भावना से इस प्रकार की कोई कार्रवाई किसी भू.पू. मुख्य मंत्री के खिलाफ नहीं की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों के संबंध में माननीय मायावती जी, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, जो मनुवादी बातों से सदैव बहुत चिन्तित रहती हैं, उन्होंने संसद में हुई चर्चा को कहा कि लोक सभा मनुवादियों की जमात है।

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मायावती ने कहा है कि संसद का मनुवादी चेहरा उजागर हुआ है। मेरे पास उनके द्वारा गई बातें, जो अखबारों में छपी हैं, उनकी कटिंग हैं। उन्होंने कहा कि मनुवादी मानसिकता से संसद भी ग्रसित है। महोदय, यह पूरे सदन की अवमानना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे सुओ मोटो सदन की प्रिवेज कमेटी के भेजा जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह विशेषाधिकार का मामला है...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे सदन की अवमानना का प्रश्न है। यह बहुत गम्भीर मामला है उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री द्वारा ऐसी बातें कह कर संसद की मर्यादा भंग की गई है। किसी प्रदेश की मुख्य मंत्री को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह लोक सभा की इस प्रकार से अवमानना करे। मेरा निवेदन है कि मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए। यह बहुत गम्भीर सवाल है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकरण को सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। इसे प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए।

[अनुवाद]

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैं आपको एक बात बताऊं? यह 'शून्य काल' है। श्री झा ने उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का हवाला दिया है जो लोक सभा के प्रति अपमानजनक हैं। अब यदि श्री झा अथवा कोई अन्य व्यक्ति यह महसूस करता है कि इस पर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाए तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता है।

...(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह: महोदय, आप सभा के संरक्षक हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप वरिष्ठ सदस्य है और आप जानते हैं कि "शून्य काल" के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: जीरो आवर में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, इसे प्रीविलेज कमेटी में भेजा जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप विशेषाधिकार प्रस्ताव देना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता है। अब मैं श्री सुरेश जाधव का नाम पुकारता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, रघुनाथ जी ने जो सवाल उठाया है, वह बहुत गंभीर सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहें तो आप मुझे कोई नोटिस दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की अवमानना का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, यदि आप चाहें तो आप मुझे कोई नोटिस दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, रघुनाथ जी का अवमानना का नोटिस है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सुरेश जाधव का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: रघुनाथ झा जी ने जो सवाल उठाया है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप मुझे नोटिस दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह: महोदय, आप बिना किसी नोटिस के निर्देश दे सकते हैं। इस संबंध में नियम है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल काफी विरोध के बावजूद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसानों को बी.टी. काटन उगाने के लिए कहा गया तथा उन्हें बताया गया कि यह फसल न केवल ज्यादा कपास का उत्पादन करेगी, बल्कि इस पर कपास में लगने वाले कीड़े बाल वार्म का भी कोई असर नहीं होता। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सारे किसानों की फसल की बाल वार्म कीड़े ने इस साल भी नुकसान भी पहुंचाया, इस कारण किसानों का कपास का उत्पादन आधा भी नहीं हुआ। बी.टी. कपास का पौधा बहुत छोटा और कमजोर रहा तथा उस कपास के रेशे की लम्बाई भी बहुत कम रही, इस कारण किसान बर्बाद हो गया है। किसानों को उनके द्वारा लगाई गई लागत का 60 प्रतिशत उत्पादन भी नहीं मिला।

अत: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस संबंध में तुरंत ध्यान दे तथा किसानों को तुरंत क्षतिपूर्ति करने के साथ-साथ बी टी काटन पर पुन: जांच करवा कर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। बी टी काटन बीज की देश में मार्केटिंग करने वाली महावायको मोनसान कंपनी से सभी किसानों को हर्जाना दिलाया जाए।

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं श्री रघुनाथ झा जी की बात का समर्थन करता हूं। दूसरी बात मैं डवलपमेंट पर आता हूं। पूरे देश सब को मालूम है कि खासकर हमारी कांस्टीट्वेंसी हाजीपुर में लाखों एकड़ जमीन में जल जमाव की समस्या है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप स्थगन प्रस्ताव हेतु नोटिस दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: एडजर्नमेंट मोशन तो खत्म हो गया, वह जम्मू-कश्मीर पर था। अब हम जीरो आवर में चल रहे हैं। यदि आप कहें तो जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को दोबारा खोलें? हमने दो नोटिस दिए थे, उनमें से एक जीरो आवर का दिया था।

मेरा बहुत ही नान-कंट्रोवर्शियल मैटर डवलपमेंट के मुद्दे को लेकर है। पूरे देश में, खासकर बिहार के वैशाली जिले में हाजीपुर में लाखों एकड़ जमीन है, पूरे साल भर उसमें पानी जमा रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से प्लानिंग बनती है कि पानी को यदि निकाल दिया जाये तो लाखों एकड़ जमीन में किसान की राहत मिल सकती है, लेकिन हमारे यहां चाहे हाजीपुर हो, चाहे महुआ हो, चाहे गंधाह हो, चाहे मिदपुर हो, पूरी की पूरी कांस्टीट्वेंसी में हर जगह पर जल जमाव की समस्या बनी हुई है। रघुवंश बाबू के यहां यह समस्या ज्यादा है, इनका घर भी वहीं है। बहतियाचौर से लेकर लावापुर तक यह समस्या है। हम दोनों एक ही जगह के हैं, इनकी होम कांस्टीट्वेंसी वहां है। यह बहुत विकट समस्या है, इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार सरकार की जो हालत है, पैसाखोरी के मामले में और दूसरे मामले में भी, वह आपको मालूम है, इसलिए हम सैण्ट्रल गवर्नमेंट से मांग करते

[श्री राम विलास पासवान]

हैं कि भारत सरकार इसकी व्यवस्था करे और जो जल निकासी का काम है, उसे शीघ्रातिशीघ्र कराने का काम करे।

रघुवंश बाबू भी इस पर बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जल जमाव वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है। माननीय पासवान जी ने जो सवाल उठाया, उत्तरी बिहार में 10 लाख हैक्टेयर जमीन जल जमाव में है। भारत सरकार ने योजना बनाई हुई है, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं करती है और हम लोग यह सवाल उठाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है।..(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: महोदय, कर्नाटक सरकार ने चित्रावती नदी पर पोरागुडु अनाकत बांध का निर्माण शुरू किया हैं। अनुमानों के अनुसार अनंतपुर जिले में पचास हजार एकड़ की भूमि इस बांध के निर्माण के कारण नष्ट हो गई। यह आंध्र प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों राज्यों के मध्य हुए करार का उल्लंघन है। भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और चित्रावती नदी पर इस पोरागुडु का अनाकत बांध के निर्माण को रोकना चाहिए। अन्यथा इससे आंध्र प्रदेश में सम्पूर्ण अनंतपुर जिले में लोगों पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। पिछले चार वर्षों से हम क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत कमी है। हमारे यहां सूखे जैसी स्थिति है। इसलिए मेरा भारत सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध है। जल संसाधन मंत्रालय ने दोनों राज्यों की दो बार बैठक बुलाई थी। वर्ष 1892 में इस बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। कर्नाटक राज्य ने इस करार का उल्लंघन किया है और कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने 15.4.2003 को इस बांध के निर्माण हेतु आधारशिला रखी थी। इसीलिए मेरा भारत सरकार से चित्रावती नदी इस बांध का निर्माण रोकने और आंध्र प्रदेश के लोगों विशेषकर अनंतपुर जिले के लोगों के हितों की रक्षा करने का अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी. मोहन।

...(व्यवधान)

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, पोरागुडु अनाकत बांध का निर्माण सिर्फ पेयजल के प्रयोजन से किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: हमारे राज्य को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमने कर्नाटक राज्य से 30 टीएमसी पीने का पानी छोड़ने का अनुरोध किया था किन्तु वह नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)* हम उनके पड़ोसी राज्य हैं...*(व्यवधान)* हमारे मुख्य मंत्री ने पानी छोड़ने का अनुरोध किया था...*(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा: जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार अल्माटी बांध की इस समस्या को हल करने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला सकती है...*(व्यवधान)* हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुनियप्पा आपने उनके दावे का खंडन किया है। अब आप अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी. मोहन जो कुछ कह रहे हैं, उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

****श्री पी. मोहन** (मदुरै): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में केन्द्र ने विद्युत करघा क्षेत्र और वस्त्रों दोनों पर अधिक उत्पाद शुल्क लगाया है। इससे विद्युतकरघा क्षेत्र के बुनकरों और विनिर्माताओं विशेषकर वस्त्रों के लघु विनिर्माताओं के लिए बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इससे उनकी जीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जब यह मुद्दा हाल ही में इस भव्य सभा में उठाया गया था तो माननीय रक्षा मंत्री, श्री काशीराम राणा ने बताया था कि वह इस मुद्दे को वित्त मंत्री के ध्यान में लाएंगे और उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। कृषि के पश्चात यह बुनकर उद्योग है जो ग्रामीण क्षेत्र के युवकों विशेषकर बड़ी संख्या में युवा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त बोझ का प्रतिरोध किया गया है और बुनकर हड़ताल पर चले गए हैं। तमिलनाडु में पिछले बीस दिनों से विद्युतकरघा और वस्त्र उद्योग में प्राय: सभी इकाइयां बंद हैं जिससे बुनकरों और उनके परिवारों को बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। इस क्षेत्र को बैंकों से आसानी से ऋण सहायता नहीं मिली। अधिकतर बुनकर भारी ब्याज पर खुले बाजार से धन उधार लेकर अपन करघे और इकाइयां चलाते हैं। मदुरै तमिलनाडु में सर्वाधिक प्रभावित स्थलों में से एक है जहां विद्युतकरघा बुनकर और विनिर्माता इस अतिरिक्त सैनवेट (सी.ई.एन.वी.ए.टी.) और उत्पाद शुल्क के कारण भारी कष्ट उठाते हैं। तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि शोलापुर और पुणे में भी पिछले लगभग बीस दिन से ये इकाइंया बंद पड़ी हैं जिससे युवा लोग जीविका से वंचित हो रहे हैं। यह बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विद्युत करघा और सीले-सिलाए कपड़ों पर सैनवेट (सी.ई.एन.वी.ए.टी.) उत्पाद शुल्क उसी प्रकार वापस लिए जाएं जैसे उन्होंने यूरिया जैसे उर्वरकों पर कर वापिस लिया था। वित्त विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना ये कर तत्काल वापस लिए जाएं।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुनियप्पा, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे समेवत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) उपाध्यक्ष महोदय, आज 23 अप्रैल है और बाबू कुंवर सिंह का विजय दिवस है। देश भर में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह का विजय दिवस मनाया जा रहा और उप राष्ट्रपति महोदय उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि जहां तक संभव हो, संसद के परिसर में उनका स्मारक बनाया जाए। बाबू कुंवर सिंह ने तीन लड़ाइयों में अंग्रेजों को पराजित किया।...*(व्यवधान)* उनके सेनापतियों के नाम से अंग्रेज भाग खड़े हुए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बाबू कुंवर सिंह एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। हमने इस संबंध में नोटिस दिया था। बाबू कुंवर सिंह ने तीन लड़ाइयों में अंग्रेजों को पराजित किया और अंग्रेज को मार भगाने की उन्होंने शुरुआत की। इसीलिए देश भर में और खासकर बिहार में बाबू कुंवर सिंह का नाम घर-घर में, कोने-कोन में लिया जाता है और आज 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए देश के अन्य हिस्सों में और यहां भी बाबू कुंवर सिंह की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए और मैं सरकार से मांग करा हूं कि उनका स्मारक बनाया जाए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.05 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

उनचासवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का उनचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 2.06

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

[हिन्दी]

(एक) नवसारी जिले के होल्ड गांव में बेहतर जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने तथा सूरत और मुम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी): उपाध्यक्ष महोदय, सूरत से मुम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का किया जा रहा है जिसमें जो चार लेन की सड़क बन रही है, वह पहले से ऊंची होगी। यह राजमार्ग नवसारी जिले के होल्ड गांव से होकर जाता है और इसके आस-पास के गांव सड़क से नीचे हैं और अकसर बरसात में बरसात का पानी इन सड़कों के ऊपर होने के कारण होल्ड गांव एवं इसके पास के गांव मलवाड़, चिमला, तलाब, चोरा एवं चिखली के घरों में पानी कई फुट पहुंच जाता है और आस-पास के गांव के खेतों में पानी पहुंचने से फसलों को भी नुकसान होता है। कई सालों से सूरत जिले के आस-पास बाढ़ आ रही है और जान-माल को नुकसान भी पहुंच रहा है। अगर बरसात के पानी को निकालने की व्यवस्था इस राजमार्ग के बनाते समय योजनाबद्ध ढंग से की जाए तो बरसात के पानी को घरों में जाने से रोका जा सकता है और फसलों को बचाया जा सकता है।

सदन के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन बनाते समय पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छे ढंग से की जाए।

(दो) झारखण्ड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रांची जिले एवं संपूर्ण झारखंड प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। रांची जिले में एवं झारखंड प्रदेश के कई जिले एवं प्रखंड के अनेक गावों में लगातार कई-कई बार ओलावृष्टि के कारण किसानों का करोड़ों का नुकसान हुआ। कई जगह पूरे फसल की बर्बादी के साथ-साथ पूरा मकान भी ध्वस्त हो गया। सब्जी की फसल नष्ट हो गई, साथ-साथ रबी फसल भी नष्ट हो गई। किसानों के पास रहने-खाने की समस्या खड़ी हो गई है। पूंजी सारी नष्ट हो गई।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी छानबीन अविलम्ब कराई जाए एवं क्षति का आकलन कर क्षति के अनुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए एवं प्रभावित किसानों के बीच राहत कार्य शीघ्र शुरू किया जाए एवं आगे खेती के लिए प्रभावित किसानों को पूंजी उपलब्ध कराई जाए।

[अनुवाद]

(तीन) उड़ीसा में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत और लाभार्थियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): भारत सरकार ने अप्रैल 2000 में अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी, जो अत्यधिक कमजोर, वृद्ध और असहाय व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। इन लोगों को प्रति महीने 10 किलोग्राम चावल नि:शुल्क मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत 64,800 लाभार्थी शामिल हैं और इस योजना के अंतर्गत मांग पूरी करने के लिये हर महीने भारतीय खाद्य निगम से 648 मीट्रिक टन चावल खरीदा जाता है। वर्ष 2000-01 और 2001-02 में यह योजना केन्द्रीय योजना के अंतर्गत थी। चालू वर्ष 2002-03 से इसे राज्य योजना को हस्तांतरित कर दिया गया है।

अभूतपूर्व सूखे के कारण राज्य के ग्रामीण समुदायों के लिये बनी सहायता प्रणाली बाधित हुई है और वरिष्ठ नागरिकों की दयनीय स्थिति और भी बदतर हुई है। अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सूखा राहत आयोग को दिये गये सूखा ज्ञापन के अनुरूप इस योजना के तहत एक लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को लाये जाने के साथ-साथ 50 लाख रुपए प्रतिमाह के वित्तीय योगदान से के.बी.के. जिलों के 50,000 लोगों को भी शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

(चार) झारखण्ड में सिंहभूम को सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित किए जाने और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सिंहभूम पर हर वर्ष आने वाली सूखे की स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र लगभग पूरी तरह से सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि यहां बिजली का अभाव एवम् लोगों के पास आर्थिक संसाधन कम होने के कारण वर्षा न होने पर किसानों को अपने खेतों में सिंचाई से बंचित होना पड़ता है। फसल के न होने से यहां के गरीब किसानों को अत्यधिक परेशानी होती है। तालाब के सूखने से पशुओं को पानी नहीं मिल पाता है। इस साल भी वैसी ही स्थिति होनी थी। इसके लिए सूखे से राहत पहुंचाने हेतु मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में उत्पन्न सूखे की स्थिति से सामना करने के लिए अभी से एक पैकेज उपलब्ध करवाना चाहिए।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र को सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित करके अभी से सूखे में गरीब एवम् आदिवासी लोगों के हित के लिए प्रबंध किए जाए।

(पांच) अजमेर में एच.एम.टी. यूनिट को अर्थक्षम बनाने के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अजमेर में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की एकमात्र इकाई एच.एम.टी. जहां पर करोड़ों रुपए की लागत की ग्राइंडिंग आदि की मशीनरी लगी हुई है, जहां पहले हजारों श्रमिक तथा प्रशिक्षित ट्रेडमेन कार्यरत थे। परंतु विगत कुछ वर्षों से देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विशेषत: एच.एम.टी. के भी घाटे में चले जाने, रुग्णता के शिकार होने के कारण इसकी सभी इकाइयों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है तथा धीरे-धीरे उत्पादन कार्य कम होने तथा वी.आर.एस. की प्रक्रिया लागू करने के कारण कर्मचारियों की संख्या घटती चली जा रही है। कई लोगों का स्थानांतरण अन्यत्र कर दिया गया है। फलस्वरूप अपेक्षित एवम् वांछित उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। धीरे-धीरे एच.एम.टी. अजमेर का अस्तित्व खतरे में पड़ता दीख रहा है। अजमेर इकाई में उपलब्ध सभी मशीनरी तथा संसाधनों को देश-विदेश से कार्यादेश मिलने पर भी उपयोग नहीं हो पा रहा है।

वी.आर.एस. की प्रक्रिया फिर आरंभ कर दी गई है जिसके कारण हजारों श्रमिक/तकनीकी कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अजमेर की आर्थिक स्थिति पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मीलों क्षेत्र में फैला एच.एम.टी. क्षेत्र अब पिछड़ने लगा है।

अत: भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय से अनुरोध है कि एच.एम.टी. अजमेर को किसी भी स्थिति में चालू रखा जाए तथा वहां के संसाधनों के पूरे सदुपयोग हेतु रक्षा मंत्रालय आदि का कार्य प्रदान किया जाए जससे घाटे से उबर कर यह इकाई लाभ में आ सके।

[अनुवाद]

(छह) केबल उपभोक्ताओं के लिए नि:शुल्क चैनलों के प्रसारण और बुनियादी सेवा शुल्कों के बारे में दिशानिर्देश और अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): केबल उपभोक्ताओं के लिए बेसिक सर्विस प्रभार तथा फ्री चैनलों के प्रसारण हेतु दिशानिर्देश और अधिसूचना जारी करने के लिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। केबल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इस संबंध में तुरन्त घोषणा किए जाने की आवश्यकता है।

(सात) उत्तर बंगाल के विकास के लिए वर्ष 2003-04 के योजना आवंटन में और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मेरे द्वारा लोक सभा में कई बार मामला उठाने और योजना आयोग तथा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ पत्र व्यवहार के बावजूद वर्ष 2003-04 की वार्षिक योजना में दसवीं योजना के लिये पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल क्षेत्र के योजना आवंटन में पर्याप्त वृद्धि का नतीजा नहीं दिखा है।

अतिवाद और विघटनकारी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये अनुसूचित जातियों और राजबंशी समुदाय की जातिगत आकांक्षाओं को संविधान के ढांचे के अंतर्गत पूरा किया जाना चाहिये। जब तक केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर उत्तरी बंगाल क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत लाने पर विचार नहीं करती तब तक "उत्तर बंगाल उन्नयन परिषद" उत्तर बंगाल की विकास संबंधी जरूरतों के लिये कुछ भी नहीं कर सकती। मैं माननीय प्रधानमंत्री जो योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं, से एक बार फिर इस मुद्दे पर तुरन्त ध्यान देने का अनुरोध करता हूं ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल, भूटान तथा बंग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रवेश द्वार वाले उत्तर बंगाल की क्षेत्रीय आर्थिक विषमता का समाधान किया जा सके। इस ज्वलंत मसले पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो लोगों विशेषकर बेरोजगार युवकों में असंतोष बढ़ेगा।

[हिन्दी]

(आठ) सरकारी उपक्रमों के विनिवेश के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप कर देश के गरीब तबके के लिए सही कदम नहीं उठाया है। यहां मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि निजी उद्यमी देश की छुपी सम्पत्ति को केवल अपनी कमाई की खातिर उच्च कोटि का दोहन करेंगे, बाकी जिसमें उन्हें फायदा नहीं होगा, उसका दोहन नहीं करेंगे। कोयला, सीसा, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, तेल आदि को केवल अपने मुनाफे के लिए उपयोग करेंगे जो देश के हित में नहीं होगा। दूसरी तरफ इन कंपनियों में श्रमिकों की छटनी की जा रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। देश में अराजकता उत्पन्न होने की संभावना है। मैं यह भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि निजी कंपनियों में आरक्षण लागू रखा जाये। मैं एक श्रमिक प्रतिनिधि होने के नाते कहता हूं कि श्रमिक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। केवल श्रमिक के कारण कोई कंपनी घाटे में नहीं होती, प्रबंधन की त्रुटियां होती हैं, जिसके कारण उद्योग घाटे में जाते हैं, यह मेरा अनुभव है। इन कंपनियों में सरकारी हस्तक्षेप एवं निगरानी होना अत्यंत आवश्यक है। अत: मेरी भारत सरकार से मांग है कि उक्त सभी तथ्यों को गंभीरतापूर्वक लिया जाए।

[अनुवाद]

(नौ) देश में टैक्सी चालकों को एक उपयुक्त कानून बनाकर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और चिकित्सा सहायता की सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): उपाध्यक्ष महोदय, भारत में टैस्की ड्राइवरों दैनिक जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देश में लाखों की संख्या में टैक्सी चालक हैं। बेरोजगारी के कारण 90 प्रतिशत टैक्सी चालक रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें दिन भर की न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। टैक्सी सेवायें घट रही हैं। सेवा के बिना चालकों को वेतन नहीं मिलता। टैक्सी चालक असंगठित श्रमिक हैं। उनके लिये भविष्य निधि, ई.एस.आई., न्यूनतम मजदूरी, कल्याण कोष और चिकित्सा सुविधायें नहीं हैं। अत: मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से भारत सरकार से टैक्सी चालकों के लिये भविष्य निधि सुविधायें,

ई.एस.आई. लाभ और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु कानून बनाने की मांग करता हूं। इन गरीब टैक्सी चालकों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उनकी शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।

(दस) बकाया देय वाली कंपनियों को प्रसार भारती द्वारा समय विस्तार न दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान प्रसार भारती द्वारा प्रसारण समय के निर्धारण और समय बढ़ाये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। यह जानकारी मिली है कि मैसर्स रेन बो प्रोडक्शन्स लिमिटेड को और अधिक समय दिया जा रहा है, जबकि उस पर दस करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, और निविदा अवधि भी समाप्त हो गयी है। दूसरी ओर ''अंतराल'' सीरियल का समय नहीं बढ़ाया गया, जबकि उसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी और उन्होंने बकाये का भुगतान भी कर दिया था। मुझे पता चला है कि संसद के कई सदस्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जानकारी में यह बात लाये हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकारी राजस्व को बचाने हेतु इस मामले की जांच करवायी जाये।

[हिन्दी]

(ग्यारह) मनमाड और तिरुपति बरास्ता परली-विकाराबाद के बीच रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): महोदय, मराठवाड़ा क्षेत्र की जनता की तिरुपति के लिए सीधी रेल गाड़ी की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। वहीं दूसरी ओर आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के लोगों को शिर्डी साईंबाबा के लिए सीधी रेल गाड़ी की मांग भी रेल मंत्रालय के पास काफी समय से लम्बित है। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की सांसदों के साथ हुई हाल की बैठक में भी यह मांग उठायी गई तथा महाप्रबंधक ने इस मांग से सहमत होते हुए मनमाड-तिरुपति वाया परली वैजनाथ-विकाराबाद नई रेलगाड़ी का एक प्रस्ताव बनाकर दिसम्बर, 2002 में रेलवे बोर्ड के पास भेजा था तब से यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास लम्बित है। रेल बजट 2003-04 में हांलाकि 60 नई रेलों के चलाए जाने की घोषणा की गई, परन्तु जनता की इस वाजिब मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अत: इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में शीघ्र निर्णय करें तथा मनमाड-तिरुपति वाया परली वैजनाथ-विकाराबाद नई रेलगाड़ी बिना और देरी किए चलायी जाए।

(बारह) उड़ीसा के किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): उड़ीसा के कई जिलों में गंभीर सूखे की स्थिति के अनुसार बावजूद राज्य के कई भागों विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र हीराकुड कमांड क्षेत्र में अभी भी धान की औने-पौने दामो पर बिक्री जा रही है। कई बार मैंने इस समस्या को ध्यान में लाने की कोशिश की है, परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि पिछले वर्ष एक किसान ने बाडगढ़ में जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। एक तरफ तो किसान केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हैं और दूसरी ओर उन्हें समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों से यह स्थिति उत्पन्न हुई है और किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर हो गयी है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले दिनों उड़ीसा सरकार ने उन मिल एजेंटों से चावल खरीदने का निर्णय किया था जिन्होंने साल भर पहले काफी कम कीमत में चावल की खरीद की थी इसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चालू वर्ष की खरीद लक्ष्य में समायोजित किया जायेगा। मेरा खाद्य मंत्रालय से अनुरोध है कि वे भारतीय खाद्य निगम को गरीब किसानों की कीमत पर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त न होने का निर्देश दें। मेरा केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध है कि यह इस मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करे कि उड़ीसा के किसानों को उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके।

[हिन्दी]

(तेरह) देश में विद्युत करधा उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, देश भर में आज 17 लाख यंत्रमार्ग कार्यरत हैं जिन पर आज 4 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी निर्भर है। सन 2003-2004 अर्थसंकल्प में यंत्रमार्ग पर सैनव्हैट आबकारी कर घोषित किया गया। हर व्यक्तिगत यंत्रमार्ग धारकों को आबकारी कर दायरे में नोंद करना, कर भरना तथा बही चोपडा रख कर सारा व्यवहार करना होगा। आज देश का 72 प्रतिशत कपड़ा व्यक्तिगत यंत्रमार्ग पर तैयार होता है। सैनव्हैट के कारण गरीब 4/8 यंत्रमार्ग के मालिक भयग्रस्त होकर 31 मार्च, 2003 से आज तक अपने यंत्रमार्ग बंद रखे हैं। इस व्यवसाय में 80 फीसदी लोग कोस्टी, मोमीन, जुलाहा, साली तथा मागासवर्गीय समाज के हैं। आपके माध्यम से विनती है कि भारत सरकार सैनव्हैट तुरन्त रद्द करे।

(चौदह) छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में पीलिया के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डा. रमण सिंह (राजनंदगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र राजनंदगांव शहर के पीलिया प्रभावित क्षेत्र में उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले तीन दिनों में राजनंदगांव शहर के बहुत बड़े हिस्से में पीलिया से नगर का श्रमिक बाहुल्य इलाका लाखोली वार्ड के संतोषीनगर बैगावारा, संजय नगर, गुरुमखदानपारा, चक्की पारा में 1500 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मैं कल क्षेत्र का दौरा करके लौटा हूं। वहां 150 लोग जो पीलिया से प्रभावित हुए, उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। अभी तक चार की मौत हो चुकी है और 10 गंभीर रूप से पीड़ित राजधानी रामपुर में मैकहारा अस्पताल में एडमिट हैं। पीलिया का संक्रमण आसपास के वार्डों में फैल रहा है। स्थानीय मोहल्लों के चिकित्सा शिविर में सैंकड़ों लोग आ रहे हैं। पेय जल के स्रोत बोरिंग का पानी व नल का पानी भी संक्रमित हो गया है मोहल्ले के तालाब में शहर के गंदे नाले का पानी आने से तालाब पूर्णत: प्रूषित हैं। राजनंदगांव शहर में एक समय पानी दिया जा रहा है। नलकूप में पानी का स्तर नीचे चला गया है। शहर में भीषण पेयजल संकट है। पेयजल की योजना वर्षों से लंबित है। राज्य सरकार शुद्ध पेयजल देने में असफल रही है। मेरा स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि वह राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे। चिकित्सकों का दल राजनंदगांव जाए ताकि राजनंदगांव में पीलिया के संक्रमण पर रोक लग सके। इसके साथ ही राजनंदगांव को पीलियाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे।

अपराह्न 2.24 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-04—*जारी*

विदेश मंत्रालय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30 पर चर्चा और मतदान करेगी।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके अनुदानें की मांगें संबंधी कटौटी प्रस्ताव परिचालित किये गये हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो अपने कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए 15 मिनट में पार्चियां पटल पर भेज दें। केवल वही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने जायेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ-2 में विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या-30 के सामने दिखाए गये मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशि से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2003-2004 के लिए विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग

मांग संख्या	मांग का नाम	दिनांक 11 मार्च 2003 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
30	विदेश मंत्रालय	585,70,00,000	82,51,00,000	24,53,26,00,000	288,50,00,000

अब वाद-विवाद शुरू होगा। श्री आर.एल. भाटिया चर्चा शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री आगे बैठे हैं लेकिन बाकी मंत्री कहां हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: संबंधित मंत्री बैठे हुये हैं।

श्री राजो सिंह: इसमें विदेश मंत्री के साथ के बाकी विभागीय मंत्री बैठे हुये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: विदेश मंत्री बैठे हुये हैं।

श्री राजो सिंह: वह तो ठीक है लेकिन बाकी मिनिस्टर जो बैठे हुये हैं, उनके विभाग की ग्रांट्स गिलोटीन में चली जायेगी जिनका इस मंत्रालय से कोई कनसर्न नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: लेकिन बिहार से तो मंत्रीगण बैठे हुये हैं।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. भाटिया (अमृतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की विदेश नीति के मूल उद्देश्य उस देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करना है। दूसरा उद्देश्य देश के हित में बाहरी वातावरण तैयार करना है जो हमारे विकास और राष्ट्रीय संस्थानों को बनाए रखने में हमारा मददगार है। यह नीति काफी समय पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा तैयार की गयी थी और तब से प्रत्येक अनुवर्ती सरकारों ने इस नीति का अनुकरण किया है क्योंकि यह नीति शांति तथा सभी देशों में विशेष कर हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखने की नीति है। इस नीति के आलोक में भारत अपने सभी पड़ोसी देशों श्रीलंका, म्यांमार, बंग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अच्छे संबंध रखने की स्वतंत्र नीति अपनाता रहा है। निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ संबंध ठीक नहीं रहा है।

इस संबंध में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने उत्तर के पड़ोसी विशाल देश चीन के साथ संबंध विकसित करें। मैं कहना चाहूंगा कि चीन एक देश नहीं बल्कि सभ्यता है और भारत भी एक सभ्यता है। दोनों देशों के पिछले संबंध काफी अच्छे रहे हैं। काफी समय पहले, युद्ध के समय भारत ने डा. कोटनिस के नेतृत्व में एक चिकित्सा दल भेजा था और बाद में जब चीन स्वतंत्र हो गया तो भारत ने प्रयास किया था कि चीन भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बने। इन सभी प्रयासों ने दोनों देशों को बहुत निकट लाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात चाऊ-एन-लाई और पंडित नेहरू ने अनेक बैठकें की और तब हमारे संबंध स्थापित हुए थे। वर्ष 1954 में पंचशील समझौते को स्वीकार किया गया और हमारे संबंध अच्छे बने रहे। वर्ष 1962 में सीमा विवाद की वजह से एक संघर्ष हुआ और तत्पश्चात् 1988 तक दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क कम रहे।

श्री राजीव गांधी को श्रेय जाता है जिन्होंने बातचीत शुरू की और भारत एवं तीन के बीच संबंधों में गरमाहट आयी तथा तब से हमारे संबंध बढ़ते रहे हैं। श्री राजीव गांधी के दौरे के दौरान तीन समझौते हुए थे। तत्पश्चात् चीन के प्रधान मंत्री ली पेंग वर्ष 1991 में भारत आए। वर्ष 1993 में श्री पी.वी. नरसिम्हा राव चीन गए तथा सीमा पर शांति बनाए रखने और एक कार्य दल गठित करने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। मुझे श्री नरसिम्हा के साथ जाने और भारत की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात् 1996 में राष्ट्रपति जियांग भारत आए थे और हमारे संबंध आगे विकसित हुए थे।

परन्तु 1998 में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक वक्तव्य दिया कि चीन भारत का दुश्मन नंबर एक है। निस्संदेह, इससे हमारे संबंधों को धक्का पहुंचा। हम आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर सीमा पर अथवा दोनों देशों के बीच संबंधों में वास्तविकता में ऐसा कुछ घटिन न हुआ कि जार्ज फर्नान्डीज को प्रेस में और भारत के राजनीतिक हलके में इस प्रकार का बयान देना पड़ा। हमारे लिए यह काफी आश्चर्य की बात थी।

श्रीमती सोनिया गांधी ने 1999 में पंचमढ़ी में हुई बैठक में जहां हमने कांग्रेस पार्टी की समस्याओं, भावी कार्यक्रम और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी, श्री जार्ज फर्नान्डीज के इस वक्तव्य से हुई क्षति तथा उसकी भरपाई कैसे हो, का मुद्दा उठाया था। इसलिए, कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल चीन भेजने का निर्णय लिया गया ताकि पार्टी स्तर पर, हम उन्हें दोनों देशों के बीच की मित्रता का एहसास कर सकें। श्रीमती सोनिया गांधी ने तीन सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा था। श्री नटवर सिंह इस शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे थे, श्री एडुआर्डो फैलेरो एक सदस्य थे और मैं भी उस शिष्टमंडल का एक सदस्य था। जब हमने चीन के नेतृत्व से मुलाकात की तो वे काफी प्रसन्न थे कि कांग्रेस ने इस स्थिति को स्पष्ट करने हेतु तीन भूतपूर्व विदेश मंत्रियों को भेजा है। बाद में माननीय राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण वहां गए, उनका वहां काफी प्रभाव रहा वे वहां लम्बे समय तक ठहरे थे। यह बहुत अच्छी मुलाकात रही। तत्पश्चात् हमारे भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह भी वहां गए और हमारे संबंध लगभग सामान्य हो गए हैं।

अब श्री जार्ज फर्नान्डीज भी वहां गए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। पहले उन्होंने वक्तव्य दिया था कि चीन दुश्मन नंबर एक है। अब वह वहां मित्र के रूप में गए हैं। मैं आशा करता हूं कि वह दोनों देशों की आपसी मित्रता को बढ़ाएंगे तथा चीनी लोग उनका वक्तव्य सुनकर अवश्य खुश होंगे।

अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी शीघ्र ही चीन जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि हमें सीमा के संबंध में चीन के साथ निश्चित तौर पर कुछ पैकेजे होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने संयुक्त राष्ट्रदल गठित किया था। अनेक बैठकें 12 अथवा 13 बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। कितनी धीमी प्रगति है और मैं नहीं समझता कि इस मुद्दे को निपटाने में कितने खर्च और लगेंगे। दोनों देशों के बीच मात्र यही एकमात्र मुद्दा है जहां हमारी मतभिन्नता है और इसका समाधान किया जाना चाहिए। अपेक्षाकृत बड़ा कदम उठाने हेतु मैं चाहता हूं कि या तो हम उन्हें सुझाव दे अथवा वे हमें सुझाव दें तथा आप इस विवाद के हल हेतु किसी पैकेज पर विचार करें ताकि दोनों देशों के बीच और बड़े सहयोग हो सके। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि 1988 से लेकर अब तक दोनों

देशों के बीच सीमा पर कोई घटना नहीं हुई है। हमारे बीच अच्छे सहयोग रहे हैं और चीन ने भी कश्मीर पर अपना रुख बदला हैं। पहले वे पाकिस्तान की मदद कर रहे थे परन्तु अब वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को स्वयं ही अपने मतभेद सुलझाने चाहिए।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि वर्ष 1993 में जब तारापुर को गुरु जल की आपूर्ति संबंधी फ्रांस से हुए हमारे समझौते की अवधि समाप्ति हुई तो फ्रांस ने समझौते को मानने और उसकी अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि वे अमरीका के दबाव की वजह से ऐसा नहीं कर सके क्योंकि अमरीका ने उन्हें भारत को गुरु जल देने से मना किया था। तत्पश्चात् हमने चीन से अनुरोध किया और चीन ने हमें गुरु जल दिया। इस प्रकार, इन वर्षों के दौरान हमें इस प्रकार का सहयोग मिला है तथा हमारे संबंध बढ़ते रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा अवसर है जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री दस वर्षों के बाद वहां जा रहे हैं। इसलिए, इसे एक ऐतिहासिक बैठक होनी चाहिए। यह बैठक अवश्य लाभदायक होगी तथा इसके परिणाम निकलने चाहिए।

हमें अपने प्रस्ताव के साथ तैयार रहना चाहिए। चीन इसे स्वीकार करता है अथवा नहीं, यह उनका काम है। कुछ समय पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल चीन गया था और मैं उस शिष्टमंडल का सदस्य था। राष्ट्रपति जियांग, श्री जिन ताओ, श्री ली पेंग और अन्य नेताओं के साथ हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। हमने जो पाया वह यह कि वे अपने देश के आर्थिक विकास में काफी व्यस्त हैं और वे विशेषकर भारत के साथ शांतिपूर्ण सीमा चाहते हैं। हमें लगा कि हो सकता है यह गलत हो, कि वे हमारे साथ स्थायी समाधान के लिए बहुत उत्सुक हैं। यही सब कारण हैं कि आज जबकि विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं, एक नयी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभर रही है तथा एक ध्रुवीय विश्व विकसित होने की प्रकृति के मद्देनजर भारत और चीन के बीच और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि इसके अलावा, आपसी विश्वास पैदा करके अधिक से अधिक उपाय किए जाने चाहिए।

मैं वहां तीन अथवा चार बार गया हूं, अनेक बैठकों में एक बात हमारे सामने आयी। जब कभी हम वहां पर गए तो वहां के पत्रकारों अथवा बुद्धिजीवियों ने हमसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि जब हमने तिब्बत को चीन का हिस्सा, चीन में एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है तो तिब्बती यहां इस देश में अपने कार्य-कलाप कैसे संचालित कर रहे हैं? वे महसूस करते हैं कि यदि भारत उनका मित्र है, एक मित्र देश है तो वहां चीन विरोधी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। लामा यहां इस देश में सम्मानित नेता के रूप में हैं और चूंकि वह एक धार्मिक नेता हैं, हम उनका आदर करते हैं। परन्तु हम उन्हें इस देश से राजनीतिक गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं दे सकते। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां कुछ लोगों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था।

इसी तरह से, आपसी मित्रता बढ़ाने हेतु अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए। सौभाग्यवश, आपके प्रयासों के व्यापार 1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है तथा मैं समझता हूं कि हम बहुत शीघ्र ही 10 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएंगे। उनके प्रधान मंत्री जब यहां आए थे तो उन्होंने चाहा था कि भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री ने 'भारत के प्रमुख व्यक्तियों का दल' गठित किया और इसी प्रकार वहां 'चीन के प्रमुख व्यक्तियों का दल' गठित किया गया है। इसे श्री नारायणन के राष्ट्रपतित्व काल में किया गया था। जब राष्ट्रपति वहां पर गए थे तो उन्होंने सुझाव दिया था कि सरकार के मंत्रीगण अथवा अधिकारी चूंकि अक्सर नहीं मिल सकते, इसलिए दोनों देशों के बीच गैर-सरकारी संपर्क होने चाहिए। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे 'भारत के प्रमुख लोगों के दल' का अध्यक्ष बनाया है। चीन के लोगों के साथ हमारी तीन बैठके हो चुकी हैं। हम व्यापार, संस्कृति और अन्य चीजों जैसे सामान्य मुद्दों तथा विशेषकर पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

सभी नदियां चीन से भारत की ओर बहती हैं। यदि उक्त नदियों को नियंत्रित करने के लिए भारत और चीन के बीच कोई सहयोग होता है, तो यह हमारे लिए फायदेमंद होगा? जब हमारे प्रधान मंत्री वहां जाएं तो उन्हें इस विषय को उठाना चाहिए क्योंकि इस तरह से, दोनों देशों के बीच स्थायी रिश्ते बनेंगे। चूंकि इसमें आपसी हित निहित है, हमारी मित्रता बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्य मुद्दा, जो मैं उठाना चाहूंगा वह पाकिस्तान के बारे में है पंडित जवाहर लाल नेहरू के शासन काल में, विदेशी मामलों में भारत की गुट निरपेक्ष की महान रणनीति थी, और घरेलू मामलों में लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता की नीति तथा आर्थिक कार्यों में आत्मनिर्भरता की योजना थी। भारत में यह नीति बहुत अच्छी रही, लेकिन आज, दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पास भारत की समस्याओं के लिए समग्र दृष्टिकोण नहीं हैं।

पाकिस्तान के संबंध में हमें यह कहना चाहिए की भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद पाकिस्तान की विचारधारा और पहचान पर आधारित है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में केंद्रीय बिंदु दो राष्ट्रों की विचारधारा है। अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ते समय इसी आधार पर इस देश के टुकड़े कर दिए तब से, हम

[श्री आर.एल. भाटिया]

एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। अब तक तीन बार युद्ध हो चुके हैं और हम समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं, विशेषकर हमारे प्रधान मंत्री द्वारा, लेकिन अभी तक इसके कोई लाभकारी परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। पाकिस्तान हमेशा वह काम करता है जो भारत के विरुद्ध हों।

हम क्या देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में असैनिक सरकार होती है तो दोनों ओर से नजदीक आने का प्रयास किया जाता है। तथापि, सेना ने हमेशा दखल दिया और उसके परिणामस्वरूप रिश्तों को बढ़ावा नहीं मिलता है। हर बार हम वार्ता शुरू करते हैं और वहां पर कोई घटना घट जाती है पहले हमने बेनजीर भुट्टो के साथ वार्ता की और फिर वहां पर सरकार बदल गई। बाद में हमने शाहनवाज से वार्ता की और वहां पर पुन: सरकार बदल गई। यह पाकिस्तान में सेना का निहित स्वार्थ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर न बनें। जब भी शांति होती है तो पाकिस्तान में सेना अपनी प्रासंगिकता खो देती है। इसलिए यह बहुत बड़ा कारक है। पाकिस्तान में सेना के कारण भारत और पाकिस्तान नजदीक नहीं आ पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक प्रयास किया और बस में लाहौर जाने के लिए पहल की तथा पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ वार्ता करने के प्रयास किए। सीमा के दोनों ओर के लोगों को काफी आशा थी कि चूंकि श्री वाजपेयी लाहौर गए हैं तो इसका कोई सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन हमें क्या देखने को मिला कि कारगिल युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सेना को यह बात पसंद नहीं आई। मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति, जो उस समय पाकिस्तानी सेना के प्रमुख भी थे, ने श्री वाजपेयी को यह कहते हुए सलामी देने से इनकार कर दिया कि वह दुश्मन देश से आए हैं। यह वह खबर है जो पाकिस्तानी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थी। अब हम ऐसे व्यक्ति से मित्रता की अपेक्षा नहीं कर सकते।

एक बार फिर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से अथवा देश के भीतर के दबाव में आकर आगरा में वार्ता के लिए जनरल मुशर्रफ को पुन: आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। हम सब जानते हैं कि आगरा में क्या हुआ। उन्होंने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को संबोधित किया तथा अपनी बात को जोरदार ढंग से कहा। हम नहीं चाहते थे कि वह हुर्रियत के नेताओं से मिले लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे मुलाकात की। वह जो कुछ करना चाहते थे उन्होंने किया। मुझे नहीं पता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार थे या नहीं। इस बात को सब कहते हैं और उस समय सारे समाचार-पत्रों में यह बात प्रकाशित हुई थी कि वे अपनी यात्रा में विजयी होकर वापस लौटे। भारत की स्थिति इसलिए बुरी हुई क्योंकि हमने उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया था और फिर भी हमें कुछ नहीं मिल पाया। आगरा में हम किसी समझौते पर नहीं पहुंत पाए। वह अपने दृष्टिकोण के जोरदार ढंग से रखने में सफल रहे। कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध में भारत हमेशा पाकिस्तान से जीता है लेकिन वार्ता में हमेशा हार हुई है। जब कभी हमने वार्ता की है फायदा पाकिस्तान ने ही उठाया है और हम फायदा नहीं उठा पाए।

प्रधानमंत्री ने श्रीनगर यात्रा के दौरान पाकिस्तान से वार्ता के लिए फिर से प्रस्ताव रखा है। इस सबके साथ, हमारी नीति यह रही कि हम पाकिस्तान के साथ तब तक वार्ता नहीं करेंगे जब तक कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य अनेकों बार दिया है। विदेश मंत्री ने यह वक्तव्य दिया और रक्षा मंत्री ने भी यह वक्तव्य दिया। उप प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य दिया कि सीमा पार से आतंकवाद रोके जाने तक वार्ता नहीं की जाएगी। लेकिन सबने कहा और किया प्रधानमंत्री के प्रस्ताव ने भारत में लोगों को असमंजस्य डाल दिया है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पहले ही नेक इरादे से दो बार प्रयास किए गए थे। लेनिक उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला और ये विफल रहे। अब एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा है ऐसे समय जब विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिया था।

मैं विदेश मंत्री को उनके उस निर्भीक वक्तव्य के लिए बधाई देता हूं जब उन्होंने कहा कि भारत अन्य देशों के नाराज होने के डर से चुप नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि उनका क्या अर्थ है और मेरा विचार है, सब जानते है कि उन्होंने किसकी ओर इशारा किया है। तब श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भी इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट वक्तव्य दिया।

महोदय, सामान्यत: मैं इस वक्तव्य से प्रसन्न नहीं हूं। लेकिन मैं पहली बार उनके वक्तव्य की सराहना कर रहा हूं क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि, बहुत हो चुका है, पाकिस्तान पर हमला किया जाना चाहिए। मेरा समझना है कि यही वास्तविक स्थिति है। भारत में ऐसी स्थिति है। भारत यही महसूस करता है। इराक और दूसरा पाकिस्तान के लिए दो अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते। अमरीकी इराक में लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने वहां आक्रमण किया है। लेकिन जहां तक भारत का संबंध है, तो वे हमेशा हमें सलाह देते हैं "नहीं, नहीं, लड़ाई मत कीजिए; निरंतर वार्ता कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए।"

इसलिए मैं प्रसन्न हूं कि माननीय मंत्री ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। मैं इसकी सराहना करता हूं।

महोदय, संसद पर हमले के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने इस सभा में एक अति निर्भीक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था ''बहुत हो चुका है।'' उन्होंने कहा:

[हिन्दी]

''अब आर-पार की लड़ाई होगी।''

[अनुवाद]

हम उनके वक्तव्य से प्रसन्न थे। पाकिस्तान हमेशा से हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करता रहा है। हमने सोचा कि यह सरकार कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्प है लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि कुछ भी नहीं हुआ। हमने वहां पर सेना भेजी और नौ महीने के बाद सेना को वापस बुला लिया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि उन्होंने वहां सेना भेजी और उनकी ऐसी कौन से मजबूरियां थी कि सेना को वापस बुला लिया? मैं उनसे यह सब जानना चाहूंगा।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं:

[हिन्दी]

''जब आर-पार की लड़ाई होगी।'' हम पार तो गये नहीं, आर भी नहीं रहे हमें तो आपने मझधार में फेंक दिया।

[अनुवाद]

हम कहीं के नहीं रहे। हमारा विश्वास उठ गया है। लोग हम पर हंस रहे हैं। भारत ने अच्छे वक्तव्य, बड़े वक्तव्य तथा लंबे वक्तव्य दिए हैं, लेकिन कार्रवाई के मामले में हम कुछ नहीं करते। अत: मैं अपने माननीय मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि जब हम पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे की बात कर रहे हों तो हमें वक्तव्य देते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए, इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति क्या है। हमारी राष्ट्रीय नीति क्या है? इन सभी वर्षों में, हम लापरवाही के साथ उनसे बातचीत करते रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं तथा अन्य देशों को अपने मामले में शामिल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के प्रति एक निश्चित नीति होना जरूरी है और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इसकी घोषणा करें।

दूसरे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की रणनीति क्या है? उनके उपकरण क्या हैं। वे यह कार्य कैसे करेंगे? इसकी रणनीति क्या है और किस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं जिसके द्वारा वे हमें पाकिस्तान के साथ बैर की स्थायी समस्या से मुक्ति दिलाएंगे? मुझे आशा है कि युवा कर्मठ मंत्री निश्चित रूप से इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन करेंगे।

महोदय, नौ महीने तक हमारी सेना पाकिस्तान में थी और हम पंजाबी लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट होता है क्योंकि जब कभी वहां युद्ध होता है तो पंजाब के लोग ही सबसे अधिक कष्ट उठाते हैं। श्री विनोद खन्ना यहां पर बैठे हैं और वह जानते हैं कि हमारे क्षेत्रों में कितना विनाश हुआ है। किसान अपनी फसल नहीं काट सकते, और फसल की बुवाई नहीं कर सकते। अत: सेना की आवाजाही इत्यादि के दौरान सारा व्यापार रुक जाता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। भारतीय सेना को वापस बुलाने से पूर्व, नौ महने तक पंजाब को सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़े।

वह तीन बार पहले भी युद्ध में परास्त हुआ था। अब एक बार फिर परास्त हुए।

जनरल मलिक ने बहुत ही अच्छी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया। उन्होंने यह टिप्पणी बहुत ही उपयुक्त तरीके से की थी। सरकार ने सेना भेजी, उसे वापस बुलाया और मिला कुछ नहीं। इसलिए सीमा पर सेना भेजने की क्या मजबूरी थी और उसे वापस बुलाने की क्या मजबूरी थी?

हम भारतीय इस बात को महसूस करते हैं कि यह एक ही समस्या की ओर इंगित करता है। हम यह महसूस करते हैं कि आप अपनी नीतियों का निर्देशन नहीं करते हैं। कोई है जो दूर से आप की नीतियों को प्रभावित कर रहा है। आपको जाना चाहिए और बात करनी चाहिए, किन्तु आप कहते हैं कि हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान सीमा पर से आतंकवाद को नहीं रोकता। फिर भी आपने उन्हें आगरा बुलाया। आम धारणा यही है कि अमेरिका ही हमारी विदेश नीति में हस्तक्षेप कर रहा है। मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे देश को एक संप्रभुत्व राज्य एक स्वतंत्र राज्य के रूप में चलाएं और उसके जवाब का इंतजार न करें। वह आपको कोई नहीं देगा। उसका पहला लक्ष्य इराक है और दूसरा लक्ष्य पाकिस्तान। उसके लिए भारत का सिवाय इसको अलग-अलग करने के कोई मूल्य नहीं है किन्तु पाकिस्तान का बहुत महत्व है क्योंकि वह उसका सहयोगी देश है।

मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जब राष्ट्रपति क्लिंटन भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत का स्वाभाविक मित्र है। मंत्रीजी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आपके स्वाभाविक मित्र ने कश्मीर में आपकी स्थिति को अब तक स्वीकार की है, क्या इस बात को स्वीकार करता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपका स्वाभाविक मित्र कहता है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है।

संसद पर हुए हमले के उपरान्त जब सरकार ने सीमा पर सेना भेजी थी तो शायद उसने आपको ऐसा न करने की सलाह दी थी

[श्री आर.एल. भाटिया]

और उसने कहा था कि जब वह इराक से निपट लेगा तो वह भारत के लिए कुछ करेगा। इसलिए आप उससे कोई उम्मीद न रखें। उसका अपना राष्ट्रीय हित है। हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हो चुका है। वह राष्ट्रीय गठबंधन का एक सहारा है। पर क्या इस राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल देशों ने हमारा समर्थन किया है, इसलिए मैं आपसे अपने आप पर निर्भर रहने का अनुरोध करता हूं। पाकिस्तान से निपटने की आपको अपनी नीति होनी चाहिए। अमेरिका पर मत निर्भर रहिए। वह अपकी कभी मदद नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसका अपना स्वयं का हित जुड़ा हुआ है।

अब मैं एक नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लेख करना चाहता हूं। हम सबको पता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 40 वर्षों वाला द्विध्रुवीय विश्व अब नहीं रहा। एकमात्र दूसरी बड़ी महाशक्ति जो सोवियत संघ भी अब बिखर चुकी है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन कमजोर पड़ गया। विश्व में केवल एक देश को छोड़कर दूसरा कोई देश नहीं है जो महाशक्ति बनने की योग्यता रखता हो। उसके पास एक नई शक्ति है, सैन्य ताकत है, आर्थिक ताकत है और उसके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी शक्ति है। इसने अपना निजी एजेन्डा बना रखा है।

यदि आप पेंटागन की रिपोर्ट को देखें यदि आप विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट देखें यहां चर्चाएं हुई हैं, तो मालूम पड़ेगा कि अमेरिका के पास उसका स्वयं का राष्ट्रीय एजेण्डा है और चेतावनी भरा एजेण्डा है। आप देख चुके हैं कि वह विश्व में किस तरह की भूमिका निभा रहा है। आप इराक में उसकी भूमिका को देख सकते हैं। सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्य देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया, विश्व जनमत उसके विरुद्ध था फिर उसने वहां अपना एजेण्डा लागू किया। संभव है इराक के बारे में वह तरह-तरह की बातों कहेगा, यथा 'वह क्रूर था, लोग नाखुश थे और वह लोकतंत्र स्थापित करने के साथ-साथ लोगों को मुक्त कराना चाहते है,'' किन्तु यह सब गलत है। हर आदमी जानता है कि उसने तेल के लिए हमला किया है। लगभग 15 से 20 फीसदी तेल इराक में ही मिलता है और अमेरिकी कम्पनियां उसको हाथ नहीं लगा सकती थी।

यही मूल कारण था। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि उसने हमेशा से इजरायल का समर्थन किया है और इजरायल के लिए एकमात्र खतरा इराक था। इसलिए वह इस खतरा को ही समाप्त कर देना चाहता था। तीसरी संभावना यह हो सकती थी है कि इस बहाने वह अन्य देशों को सबक सिखाना चाहता था। अमेरिका जो चाहे कर सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। आज जब यह स्थिति आई है, तो वह अन्य देशों को शरारती देश की संज्ञा दे रहा है, किन्तु पाकिस्तान के बारे में हमारी इतनी सूचनाएं देने के बावजूद भी कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वह इसे आतंकवादी देश करार देने को तैयार नहीं है, यद्यपि सबूत मौजूद हैं। इसलिए विश्व में स्थिति तेजी से बदल रही है। विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इससे असंतुलन पैदा होगा और विश्व में आगे समस्याएं खड़ी होंगी। अब चूंकि भारत एक बड़ा देश है। हमारा बहुत पुराना इतिहास रहा है। भारत में गुटनिरपेक्ष देशों की अगुवाई कर विगत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारी मदद से और जाहिर है अन्य सदस्य देशों की सहायता से 100 से भी अधिक देश स्वतंत्र हुए। भारत का बहुत नाम है। हमारी विदेश नीति का एक नैतिक पहलू है। विश्व में जहां कहीं भी समस्याएं खड़ी हुई हैं, भारत ने अपनी आवाज बुलंद की है। जब अंग्रेजों ने सुएज नहर पर आक्रमण किया तो इस पर आवाज उठाने वाला पहला देश भारत था। वियतनाम के मामले में भी भारत ने वहां के लोगों के लिए आवाज बुलंद कर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए वह भारत अब कहां गया? मैं आपसे यह आशा करता हूं कि आपने इस देश के लिए क्या है?

गत वर्ष मैं खाड़ी के देशों में गया था और वहां मैं मिश्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक से मिला था उन्होंने मुझसे पूछा कि कहां गया वह नेहरू और गांधी का भारत? आपको क्या हो गया है? आप विश्व को नेतृत्व क्यों प्रदान नहीं करते हैं? मंत्री जी विश्व को आपकी जरूरत है, मैं उनको क्या उत्तर देता? क्या मैं यही कहता कि वर्तमान सरकार को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में अभिरुचि नहीं है।

अब आपकी पार्टी में ही भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। आपके सलाहकार श्री बृजेश मिश्रा ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन दकियानूसी सिद्धान्त है, जबकि प्रधान मंत्री गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की मीटिंग में जाते हैं और वहां पे इसकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न मंत्रियों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। जैसाकि मैंने आपको अभी-अभी बताया है कि आपसे पाकिस्तान् के बारे में कुछ कहा, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कुछ और कहा और आपने कुछ और ही कहा। इसलिए हम आपकी नीति से दिग्भ्रमित हैं। पूरी तरह भ्रम की स्थिति है। आपका न कोई दृष्टिकोण है और न ही कोई नीति है। यही कारण है कि भारत की साख गिरी है। नेहरूजी के जमाने में हमने विश्व नीति में एक जगह बनाई थी। हमें आदर और सम्मान के भाव से देखा जाता था। आज वह बात नहीं रह गई है। इस सबके मूल में सच्चाई यही है कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार का विश्व मामले में न तो कोई दृष्टिकोण है और न कोई रणनीति है।

यही कारण है कि आज भारत की स्थिति कमजोर हुई है। हमारी स्थिति नाजुक हो गई है। आज कोई दूसरा इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है।

अमेरिका सी आई एस देशों का तेल चाहता था। उसने लम्बे समय तक अफगानिस्तान का खून बहाया। उसने हिकमतयार को तैयार किया, किन्तु वह असफल रहा। फिल उसने तालिबान को तैयार किया। यह सब खेल सीआईएस देशों के तेल के लिए था। इसका कारण है कि ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और जरबइजान भौगोलिक दृष्टि से घिरा देश है। वह अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान तक पाइपलाइन चाहता है। यही कारण है कि तकरीबन 10 सालों तक अफगानिस्तान को यह सब झेलना पड़ा। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपको मौका मिलेगा। मैं नहीं मानता हूं। इसलिए, करीब 15 से 20 प्रतिशत तक तेल सी. आई. एस. राज्यों में है और उतना ही प्रतिशत तेल इराक में है। वे वहां अमेरिका का एकाधिकार चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने इस संसार नें असंतुलन पैदा कर दिया है। इसलिए, मंत्री महोदय, आप देख सकेंगे कि दुनिया में चीजें किस तरह से बदल रही हैं, किस तरह से एक नूतन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित जिसकी लाठी उसकी भैंस की व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम जानना चाहेंगे कि इस नए विकास पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है? मैं चाहूंगा कि आपको इन सब प्रश्नों का जवाब देना चाहिए जो हमारे दिमाग में है और जिसके कारण भारत का सम्मान कम हो रहा है।

कटौती प्रस्ताव

नीति निरनुमोदन

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विदेश नीति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

4. समय की कसौटी पर खरी उतरी देश की विदेश नीति का सम्मान करने तथा उसे बनाए रखने में असफलता।

''कि विदेश नीति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

5. विदेश नीति संबंधी मामलों में हमारे निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया की स्वायत्ता को बनाए रखने तथा उसे सुरक्षित रखने में असफलता।

''कि विदेश नीति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

6. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति, स्थायित्व और सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत द्वारा परंपरागत भूमिका निभाए जाने में असफलता।

''कि विदेश नीति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

7. पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान तथा सीमा पार से आतंकवाद को बंद किया जाना सुनिश्चित करने में असफलता।

''कि विदेश नीति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

8. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और विश्व मंचों पर देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रहितों की रक्षा करने में असफलता।

''कि विदेश नीति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

9. अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुट-निरपेक्षता को बढ़ावा देने में हमारे द्वारा परंपरागत भूमिका निभाए जाने में असफलता।

''कि विदेश नीति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

10. संयुक्त राष्ट्र में प्रभावी भूमिका निभाने में असफलता।

''कि विदेश नीति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

11. पाकिस्तानी जेलों में कैद भारतीयों को रिहा कराने में असफलता।

''कि विदेश नीति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

12. पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के उत्पीड़न को रोकने में असफलता।

''कि विदेश नीति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 30) को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

13. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता सुनिश्चित कराने में असफलता।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदान मांग के समर्थन में खड़ा हूं। अपने आप में अनुदान बहुत मामूली तौर से बढ़े हैं और मेरे ख्याल से पूरी संसद इसको पास करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करेगी। यह मौका लिया जाता है कि विदेश मंत्रालय के कामों का लेखाजोखा भी किया जाए लेकिन विदेश नीति के बारे में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि वह साल-साल में बदलती नहीं है। न तो सरकार के बदलने से नीति बदलती है और अभी रघुनंदन लाल जी विदेश मंत्रालय के बहुत वरिष्ठ जानकार भी हैं, उन्होंने जो

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

बात की को हमारे दिमाग में यह आया कि उनका विचार यह है कि बीसवीं सदी में जो विदेश नीति रही है, वही हमारी सरकार इक्कीसवीं सदी में चलाए। बार-बार पीछे जाने की बात आ रही है। यह विदेश नीति भारत की एक लगातार प्रक्रिया है। यह कोई एकाएक नहीं होती है लेकिन इसके साथ ही साथ इसका नाता अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के साथ है और इसलिए जैसे कि हर बुजुर्ग लोग अपने जमाने की बात करते हैं कि हमारे जमाने ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था और वह बहुत अच्छी चीज है। हम सब लोग सपना देखते हैं। मैं भी बुजुर्ग हो रहा हूं लेकिन हमको आगे बढ़ना है। यह इक्कीसवीं सदी है और बहुत सी चीजें बदल गई हैं। उस बदलाव को हमारी विदेश नीति अपनी नीति में अगर समाहित नहीं करती है तो हम पीछे छूट जाएंगे। बहुत से बदलाव हुए है लेकिन कुछ चीजें बताना जरूरी है और पहली चीज बताना चाहता हूं कि भारत आज एक परमाणु शक्ति है।

हम लोग अमेरिकन्स के पिठ्ठू माने जा रहे हैं। 1974 से हमारे पास परमाणु विस्फोट करने की ताकत, शक्ति और जानकारी थी। 1974 से जब तक यह सरकार गवर्नमेंट में आई है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि परमाणु शक्ति का विस्फोट करें और उसकी घोषणा करें कि भारत एक परमाणु शक्ति है। विस्फोट तो हमने 1974 में किया था और सारी दुनिया में आडम्बर बनाकर हमने यह बताने की कोशिश की कि हमने परमाणु बम नहीं फोड़ा है। हमने शांति पूर्ण उद्देश्य के लिए काम किया है। पहली दफा यह घोषणा की गई कि भारत एक परमाणु शक्ति है। वह बनाना अपने आप में इतना जरूरी नहीं था जितना यह हिम्मत करना कि घोषणा की जाए और दुनिया यह जाने, दुनिया के बड़े राष्ट्र यह जानें।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.04 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पाठासीन* हुए]

अब आप लोग आराम से सुनिए। बहुत आराम से हमने रघुनंदन लाल जी को सुना क्योंकि सपनों से काम नहीं होगा, यथार्थ पर आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब दुनिया में द्विपक्षीय पार्टियां नहीं हैं। एक सुपर पावर आ गयी है। उसको आप माने या उसके बारे में परेशान हों लेकिन इस यथार्थ को भी जानना पड़ेगा कि एक सुपर पावर है और इसलिए हमारी विदेश नीति को अपने में इस तरह से मोड़ना पड़ेगा कि हम उस सुपर पावर को जहां पर जरूरत है और उसके बारे में उदाहरण दूंगा।

जहां पर जरूरत है वहां पर रोक लगाई जाए, जहां पर जरूरत है वहां पर उसके खिलाफ बात की जाए और जहां पर जरूरत नहीं है उसके खिलाफ बात न की जाए। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीतियों का हुआ है, व्यापार का है। अब इतना ज्यादा नहीं है कि हर मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन आर्थिक तरीके से उस पर दबाव डालना चाहेगा। इसलिए अपनी विदेश नीति में हम धीरे-धीरे परिपक्व हो रहे हैं और हमारी सरकार के जमाने में यह परिपक्वता आई है। आप लोगों ने डब्ल्यू.टी.ओ. पर दस्तखत किए, लेकिन उसको कैसे सम्हाला जाए, उसके नुकसान से कैसे उबरा जाए, यह काम हमारी सरकार ने किया। इस बात को समझाना चाहिए कि अगर कोई सुपर पावर है, हमारा देश कल सुपर पावर हो जाएगा, तो कल उसका एक एजेण्डा होगा, वह एजेंडा दूसरे पर थोपने की कोशिश करेगा। यह यथार्थ है। अगर यर्थाथ को नहीं मानेंगे तो हम उसका जवाब नहीं निकाल सकते। अमेरिका आज सुपर पावर हुआ है, चाहे जिस तरीके से भी हुआ है। लेकिन जब कोई सुपर पावर होगा तो यथार्थ है कि उसका एजेंडा होगा और वह उसको दूसरे पर लागू करने की बात करेगा। इसके बारे में बार-बार चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। उसको अपनी नीति में समाहित करके उसका जवाब हम निकाल सकते हैं। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषद विषय हैं और मुझे यह देखकर हैरानी हुई है कि रघुनंदन जी ने ज्यादातर इंडो-चाइना जो बना है, उसे अध्यक्ष के मुताबिक बात की है। लेकिन यह बहुत वास्ट विषय है। हम नहीं समझते कि सबको इस वास्ट सब्जेक्ट के बारे में पूरा मालूम हो। लेकिन मैं अपने विदेश मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं कि चाहे अपने बगल के देश हों, चाहे साउथ एशिया के देश हों, चाहे ईस्ट एशिया के देश हों, चाहे सेंट्रल एशिया के देश हों, गल्फ हों, चाहे अफ्रीका हों, चाहे कैरिबियन कंट्रीज हों, चाहे अमेरिका हो, या नार्थ अमेरिकन देश हों, चाहे कनाडा हों, ब्रिटेन हो या यूरोपीयन कंट्रीज हो या इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन हों, हमारा विदेश मंत्रालय बहुत संतुलित तरीके से और बहुत परिपक्व तरीके से इस सबका काम बहुत स्थिरता से कर रहा है। केवल स्थिरता से नहीं कर रहा है, यह रिएक्ट करके नहीं कर रहा है, वह अपने एजेंडे के मुताबिक कर रहा है। इसका मैं उदाहरण दूंगा।

एक चीज मैं इसके पहले जरूर कहना चाहता हूं कि विदेश नीति क्या है, मेरे ख्याल से विदेश नीति का आकलन केवल एक मापदंड पर करना चाहिए। वह मापदंड यह है कि यह व्यवहारिक होनी चाहिए और इससे हमारे देश का अवश्य भला होना चाहिए। सिद्धान्त नीतियां पहले क्या हुआ, बाद में क्या होना है, इसको छोड़ कर विदेश नीति इसी पर निर्धारित होनी चाहिए, न किसी बड़े नेता पर निर्धारित होनी चाहिए और न किसी के पर्सनल ख्याल पर निर्धारित होनी चाहिए। क्योंकि पर्सनल ख्याल पर निर्धारिक होकर हम 1962 में पहले गड्ढे में गिरे हैं। जब गड्ढे में गिरे तो लड़ाई शुरू होने के 15 मिनट पहले हिंदी-चीनी भाई-भाई का राग अलापा जा रहा था। मैं तब फौज में था और हमने यह देखा था। इसलिए बहुत ठंडे दिमाग से विदेश नीति चलानी चाहिए, वह प्रैगमेटिक होनी चाहिए, जो हमारे देश के लिए अच्छा है, केवल उस पर करनी चाहिए। लोकल इवेंट्स हर देश पर प्रभावित रहते हैं।

[अनुवाद]

हमारे देश पर उनका हमेशा प्रभाव पड़ा है। अमेरिका के लिए मेक्सिको का बहुत महत्व है। क्यूबा के लिए भी अमेरिका का बहुत महत्व है। इसी तरह, हमारे लिए पाकिस्तान और चीन का बहुत महत्व है। लेकिन निश्चित रूप से मैं भारत जैसे देश से यह अपेक्षा नहीं करता कि वह केवल पाकिस्तान अथवा चीन पर केन्द्रित हो जाए। हमें पाकिस्तान के साथ एक अलग धरातल पर निपटना पड़ेगा और वह पूरी तरह से भारत केन्द्रित होगा।

[हिन्दी]

हमको अपना फुटिंग अलग रखना है नहीं तो हम उसी रंग में रंग जाएंगे। बार-बार उसकी बात करते रहेंगे तो हमारा जो दृष्टिकोण है वह संकीर्ण और कम हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। मैं अपने विदेश मंत्रालय और खासतौर से माननीय प्रधान मंत्री ज़ी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वह इस बात का बहुत ख्याल करते हैं। अगर हम पाकिस्तान सेंट्रिक हो गये, तो केवल हम रिएक्ट करेंगे और किसी काम में कोई भी रिएक्शन आज तक हमने नहीं किया है। चाहे पोखरन-2 किया, हमने अपने मन से, अपना निर्णय लेकर किया है, किसी की बात नहीं सुनी है। यही देश है यहां पर न केवल परमाणउ बम बल्कि आम मिसाइल टैस्टिंग रोक दी जाती थी अगर अमेरिका का दबाव पड़ता था। एक केस हुआ है जबकि हमने अपनी सीमाओं पर हथियार लगाने पर रोक लगा दी क्योंकि अमरीका को पता चल गया। लेकिन यही सब अब देश है जिसने परमाणु बम अपनी मर्जी से किया। हम कभी रिएक्ट करके नहीं करते हैं। चाहे अटल जी बस में बैठकर लाहौर गये तो किसी के कहने पर नहीं गये। अपने दिमाग से गये। चाहे कश्मीर इलैक्शन किये गये या कश्मीर में अभी उनका प्रवास हुआ। शुरू में तो लोग अचम्भित हो गये, क्योंकि लोग नहीं सोचते हैं जैसाकि हमारे प्रधान मंत्री सोचते हैं। सब लोग गरम थे, गुस्सा थे, और उन्होंने जो बातें कही और आज जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, मेरे ख्याल में इस संसद या पूरे देश में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यह कहे कि यह किसी के दवाब में हुआ है या स्वयं सोचकर नहीं किया गया हैं। यह करना बहुत बड़े आदमी का काम है। सब लोग इसे नहीं समझ पायेंगे।

अभी माननीय रघुनंदन लाल जी ने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? मुशर्रफ साहब आगरा में आये और मैं समझता हूं वह जीत कर वापस गये। हमें हंसी आ गयी क्योंकि ऐसे ज्ञानी और विदेश मंत्रालय में रहने वाले और हमारे पुराने मित्र जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। यह बार-बार कहा जाता है कि वे वापस गये तो विजयी राष्ट्रपति की तरह गये। हमारा यह कहना है कि वे बंदूक की दोनों नालों से फायर करते आये थे और अपनी दुम दबाकर वापस गये हैं। उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। यह पहली दफे हुआ है कि पाकिस्तानी प्रेसीडेंट को बेरंग वापस कर दिया गया है। मैं आपके शासन का 1972 का उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमने 92 हजार पाकिस्तानी सैनिक बंदी बनाकर रखा था और पाकिस्तान को आधा तोड़कर उसको आजाद करा दिया था। सब पत्ते हमारे हाथ में थे। उस समय पाकिस्तानी प्रेसीडेंट जुल्फिकार भुट्टो यहां पर आये और क्या बात या वार्ता हुई और क्या चीज हमने पाई। आज कश्मीर के बारे में आप शोरगुल मचा रहे हो। क्या 92 हजार सैनिक यहां पर रखकर, पाकिस्तान को आधा तोड़कर कश्मीर का मसला हल नहीं करवा सकते थे, क्या यह नहीं कह सकते थे कि इस पर दस्तखत कीजिए, तब हम उन्हें वापस भेजेंगे। शिमला समझौता हमने किया, बाइलैटरल एग्रीमेंट हमने किया। बाईलैटरल का क्या मतलब है? बाईलैटरल का मतलब है दो आदमियों के बीच में संधि। दूसरा आदमी छिटककर अलग हो जाता है और कहता है कि मैं इसको नहीं मानता हूं। हम लोग बाध्य होकर उसको मान रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने दस्तखत किया। हम लोग परिपक्व हैं जो उस गलत काम को भी मान रहे हैं और अपने कंधों पर ढो रहे हैं। लेकिन यह नहीं है कि 92 हजार लोगों को बंदी बनाकर भी आप नहीं कर सकते। क्या चीज ले गये मुशर्रफ, कौन सी चीज लेकर गये जो आप लोग बार-बार कहते हैं कि मुशर्रफ जीत कर गये। सबसे बड़ी चीज हमारी उपलब्धि है कि हमने कहा नहीं, जो चीज हमें पसंद नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, आप जाइये वापस और पूंछ दबाकर वे वापस गये।

इराक की बात कही गई। इस पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने 19 फरवरी को वक्तव्य दिया, जो मेरे सामने है। बहुत संतुलित वक्तव्य था। हर चीज उसमें समाहित थी। हमको जो करना चाहिए था, वह उसमें समाहित था। उसके बावजूद भी एक तरह का माहौल बनाया गया और संसद में गतिरोध पैदा किया गया। बाद में फिर में रिजोल्युशन सदन में पास हुआ और सर्वसम्मति से हुआ। हम सब लोग उसमें शामिल थे। यहां एक प्रभाव बनाकर गतिरोध पैदा किया गया और रिजोल्युशन को लाने के लिए बाध्य किया गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उस रिजोल्युशन के क्या मायने थे? मैं चाहूंगा कि प्रतिपक्ष इसकी जिम्मेदारी ले और मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि हम सब लोग उसमें शामिल थे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने 19 फरवरी को जो कहा था, वह मध्य-मार्ग था। उस समय मध्य मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग था। आप लोग भावुकता में आकर बार-बार अपनी बात कहते रहे, लेकिन क्या उससे बमबारी कम हो गई? क्या उससे इराक के साथ लड़ाई नहीं हुई? क्या उससे आपने इराकियों का कुछ फायदा किया? क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि इराकियों ने ताली बजाकर अमेरिकन सैनिकों का स्वागत किया। वह मध्य-मार्ग था। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने बड़ा अच्छा गोल अपने में ही कर लिया। लेकिन विवेक का इस्तेमाल, प्रैगमैटिज्म बहुत जरूरी चीज है। भावुकता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। रियोल्युशन पास करने का इतिहास बहुत पहले से था। 1962 में स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भी यहां एक रिजोल्युशन पास हुआ था कि हम एक इंच भी जमीन जो चीनियों ने ली है, जब तक उसको वापिस नहीं कर लेंगे, तब तक सोयेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि रिजोल्युशन पास करने

में देखना चाहिए कि क्या हमारी क्षमता है और हमारा क्या फायदा है। हम खास तौर से बड़ी असमंजस की स्थिति में थे, जब वामपंथी दल इतने जोर से चिल्ला रहे थे कि अमरीका ने अटैक कर दिया और बहुत गलती हो गई या फलाना हो गया है। 1962 में जब भारत पर अटैक हुआ था, तो यही वामपंथी दल था, जिसने चाइनीज का समर्थन किया था। अपने देश पर जब अटैक हुआ था, उसका वामपंथी दलों ने समर्थन किया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरघाट): नहीं यह सही नहीं है। ...(व्यवधान) वह सच नहीं है। आप तथ्य को तोड़-मरोड़ रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: आपको रिकार्ड दिखा देंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अजय चक्रवर्ती, मेरी अनुमति के बिना आप उठ रहे हैं? तो फिर अध्यक्ष किस लिए हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: बहुत अचम्भे की बात है और हंसी आती है, जब कोई देश को एक देश पर अटैक करता है, तो हम भावुक हो जाते हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी जी के जो हम लोग तीस मिनट तक सुनते रहे कि यह हुआ वह हुआ। 1991 में भी तो इराक पर अटैक हुआ था, उस वक्त कौन सा रिजोल्युशन पास हुआ था? इराक ने कोई पहली दफा कुवैत पर अटैक नहीं किया था। ऐसी कौन सी बात हो गई कि मध्य-मार्ग से हमको हटाने की कोशिश की गई। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं पहले ही कह चुका हूं, हम सब इसके हिस्से हैं, हम यह मानते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि प्रैगमैटिज्म, विवेक और अपने देश का भला किसमें है, इसका खास तौर से ड्राइविंग प्रिंसिपल होना चाहिए॥

इंडो-यूएस रिलेशन्स की बात हो रही है। यह कहा जा रहा है कि हम अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कह पा रहे हैं। जब अमेरिका के खिलाफ टैररिज्म होता है तो वह एक पहल करता है और जब हमारे खिलाफ टैररिज्म होता है तो वह दूसरी पहल करता है। यह बात सही है हर देश अपनी पालिसी अपने लिए बनाता है। यह यर्थाथ है, सच्चाई है और इसे लेकर चलना चाहिए। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है सब यही करते हैं और करना चाहिये। हमें भी अपने देश के लिए यही करना चाहिए लेकिन यह बात भी सही है कि अमेरिका का कुछ स्ट्रैटेजिक इंटरस्ट पाकिस्तान में है और विदेश मामलों में

[अनुवाद]

हमें एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि हमें लोगों के कहने पर नहीं चलना चाहिए। लोग जो कुछ कर सकते हैं, जो देश कर सकते हैं उसी के आधार पर हमें चलना चाहिए। यह सच है कि अमेरिका की पाकिस्तान में सामरिक रुचि है और वह अपने इस स्वार्थ को पूरा करने में लगा हुआ है।

लेकिन इस सबके होते हुए भी, मैं हमारे विदेश मंत्रालय की प्रशंसा करूंगा। हमारे पास अभी हाल ही में अमेरिका के राजदूत का मामला आया था जिसमें उसने अपना त्याग-पत्र दिया था और वह वापस अपने देश लौटना चाहता था। इस बात पर काफी विवाद हुआ था वह राज्य विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं चल रहा था और उस पर यह भी आरोप लगा था कि वह भारत का अधिक समर्थक है। यह विवाद उठ खड़ा हुआ था। इस बात का श्रेय हमारे विदेश मंत्रालय को अवश्य मिलना चाहिए कि जो भी भारत में आता है वे उसे विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं जैसे वह राष्ट्रपति क्लिंटन हो अथवा कोई और हो। विदेश मंत्रालय बड़े जोरदार ढंग से हमारे दृष्टिकोण को और हमारे रुख को प्रस्तुत कर पाता है। यहां तक कि उस व्यक्ति के लिए जिसने राजदूत के पद से त्याग-पत्र दिया है और जिसके अपनी सरकार से मतभेद हैं, कम से कम यह कहा जाता है कि यदि मैं इसी बात से मैं अवगत हूं और दिनांक 22 अप्रैल के 'द इंडियन एक्सप्रेस' के पृष्ठ 9 पर यह प्रकाशित हुआ था:

> ''हमारे पीछे लगातार खराब द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास पड़ा है और यह समय भारत-अमरीका संबधों के भविष्य की उज्ज्वलता का आकलन करने का है। जैसा कि मैंने कहा है, भारत में मेरे ठहरने के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक कि भारत के विरुद्ध आतंकवाद स्थायी रूप से समाप्त नहीं हो जाता। अमरीका द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अलावा कोई भी अमरीकी समझौता चाहे वह तात्विक, भू राजनैतिक या नैतिक ईमानदारी से संबंधित हो, उसे यहां पर लागू नहीं किया जा सकता। अमेरिका और भारत तथा सभी सभ्य देशों में आतंकवाद को बिल्कुल सहन नहीं किया जाना चाहिए।''

यदि यह अमेरिका की भाषा नहीं है, तो आपको अमेरिकी की प्रमाणिक भाषा के दर्शन कहां होंगे और आपको हमारे अपने विदेश मंत्रालय की भाषा इतनी सशक्त, स्पष्टवादिता कहां मिलेगी? उन्होंने जो कुछ कहा है यह वही है। इसीलिए, मैं यही महसूस करता हूं कि हमारी नीति का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है, अमरीकी जनता और अमरीकी प्रशासन के बीच हमारे रुख पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है, और यदि वे हमारी ओर बिल्कुल नहीं झुक रहे हैं तो इसका कारण उनकी बाध्यताएं और अपनी सामरिक आवश्यकताएं हैं।

हम इस बात को ध्यान में रखकर ही आगे की कार्रवाई करें। हमसे प्रत्येक देश सहमत नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर वे हमसे सहमत होंगे, वे अपने स्वार्थों की पूर्ति करेंगे। लेकिन यदि हम इस आधार से आगे चलें तो मैं समझता हूं कि हम ठीक रास्ते पर हैं और मैं सोचता हूं अंततः आज हमारा मंत्रालय एक बड़ा सौदा करने में सफल रहा।

चीन के संदर्भ में एक उल्लेख किया गया है। मैं श्री रघुनंदन लाल भाटिया को इस समिति का अध्यक्ष बनने पर अवश्य बधाई दूंगा और मुझे विश्वास है कि इस पर हमारी समझ से काफी साख उत्पन्न होगी। लेकिन यह सच है कि जब भी चीन के राष्ट्रपति अथवा चीन के किसी अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी ने भारत का दौरा किया तो विगत के हमारे नेताओं के पास एक ही मंत्र रहा अर्थात ''तिब्बत आपका है, तिब्बत आपका है, तिब्बत आपका है''। वे इससे सुनना चाहें या न चाहें, ज्योंही चीनी नेता भारत की यात्रा पर आते इन्हीं बातों को दोहराना आरंभ कर दिया जाता। मैं सोचता हूं कि हममें से अधिकांश इस बात से परिचित होंगे- किसी भी चीनी नेता से हमें कश्मीर के बारे में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। हमें ऐसी प्रतिक्रिया कभी नहीं मिली। श्री रघुनंदन लाल भाटिया ने अपनी आशंकाएं व्यक्त की। इसका कारण यह है कि हमारे रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक बार कहा था कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हैं। वह आशा कर रहे थे कि यह कथन भारत के विरोध में नहीं जायेगा। ये भारत के विरोध में नहीं जायेगा। ऐसा नहीं है कि हमें चीन की दिन-रात प्रशंसा करके चीन की मित्रता प्राप्त हो जायेगी। यह मित्रता शक्ति पर आधारित होगी। हां। उन्होंने यह बात कही थी। उनका यही मत था। फिर भी आज, चीन में वह वहां गये हैं उनका भव्य स्वागत किया गया है, और काफी स्वतंत्र और निष्पक्ष वार्ताएं चल रही हैं।

ऐसा नहीं है कि चीन में लोगों को तभी बुलाया जाता है जब कोई सदैव चीनी राष्ट्रपति प्रधान मंत्री और चीनी लोगों की प्रशंसा करते हैं। पिछले 40 वर्षों से ऐसा होता आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इससे बहुत नुकसान हुआ है। फिर ऐसे लोगों का क्या अस्तित्व है। जब किसी व्यक्ति के पास अपनी सोच होती है, उसका अपना विचार होती है और तब वह जाता है तो उसे समझा जाता है उससे बातचीत की जाती है और तभी उसकी मित्रता में प्रगाढ़ता आती है। इसी मित्रता का नाम गाढ़ी मित्रता होता है। ऐसा नहीं कि चीन की किस यात्रा से ठीक 20 दिन पहले उसी मंत्र का जाप किया जाए ''तिब्बत तुम्हारा है। तिब्बत तुम्हारा है।'' इसे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, यह आज की बात नहीं है। सबने ऐसा कहा है और यह रिकार्ड में है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। कि हमारे पास एक समुचित पैकेज होना चाहिए। इसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस मामले में किसी को कोई विद्वेष नहीं होना चाहिए। जो गया सो गया। एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से आशा करता हूं कि चीन का कुछ नहीं गया है, हमारा बहुत कुछ चला गया है। यदि हम इसी तरह गंवाने को तैयार हैं, तो हमें उनसे वापस लेने का सामर्थ्य होना चाहिए।

कश्मीर के मामले में आतंकवाद बढ़ा है और यह बढ़ता ही जा रहा है। जहां हम सुनते थे दो लोग मारे गए हैं वहां आज सुनते हैं कि बीस लोग मारे गए हैं। यह स्तर और बढ़ेगा। यह जीवन की सच्चाई है। ऐसा भी नहीं है कि केवल आतंकवाद का ही स्तर बढ़ा है, केवल हमारे निर्दोष आम नागरिक ही मारे जा रहे हैं बल्कि आतंकवादी भी बड़ी तादात में मारे जा रहे हैं। इसलिए हमारी नीति क्या है? क्या हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की तैयारी में हैं? क्या यही समाधान है?

मैं यह बताना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में हम कश्मीर के लोगों के दिलो-दिमाग को जीतने में सफल हुए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह एक चुनौती है। वहां चुनाव हुए और लोगों ने आतंकवादियों की परवाह किए बगैर बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया। मतदान का प्रतिशत तथाकथित शांत राज्यों में होने वाले मतदान के प्रतिशत से कहीं अधिक था। बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव के पूरे विश्व में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के रूप में सराहा गया हैं। कश्मीरियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पहली बार उनकी आवाज सुनी गई हैं और उनके मत को मतदान मशीन के जरिए रिकार्ड किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान लोग हजारों की संख्या में एकत्र हुए और सबने एक स्वर से प्रधान मंत्री के उन प्रयासों की सराहना की जिनमें घाटी में शांति बहाल करने और आज के वक्तव्य से वहां विकास की बात की गई।

हमने बहुत आतंकवाद और अलगाववाद देख लिया है और सबने कहना शुरू कर दिया है कि हमें लोगों के दिल और दिमाग को जीतना होगा। मैं समझता हूं कि हम इसमें सफल हुए हैं। यदि हम इसमें सफल हो गए तो समझो कि हमने लड़ाई भी जीत ली। क्योंकि यही हमारी मुख्य लड़ाई है। यह स्पष्ट है। आज इसे देखा जा सकता है। यदि हम कश्मीर के लोगों के दिलो-दिमाग नहीं भी जीत पाए है तो भी हम इसे जीतने के सही मार्ग की ओर अग्रसर हैं बशर्ते की सब कुछ इसी तरह से चलता रहे। जब हम कश्मीर के लोगों के दिल और दिमाग को जीत लेंगे तो प्रत्येक को अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे यहां आदिवासी भारतीयों की एक बहुत बड़ी आबादी है। इसके लिए मंत्रालय को बधाई दी जानी चाहिए। आदिवासी भारतीयों की उपेक्षा की गई है। वे आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत रहे हैं। उनकी ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। यह पहला मौका है कि हमने एक सम्मेलन बुलाकर उन्हें आमंत्रित

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

किया है। हमने उन्हें यह सहसूस कराया है कि किसी न किसी तरह भारत के प्रति उनकी भावना प्रगाढ़ होगी। तभी यह हमारा भाईचारा इस राज्य में आगे बढ़ेगा। और मैं यह मानता हूं कि इस पहल के लिए मंत्रालय प्रशंसा के पात्र है।

ऐसे कई अन्य विषय हैं जिनकी गहराई में जाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह बहुत बड़ा और बहुआयामी विषय है, विश्व की इन पर सुबह से शाम चौबीसों घंटे नजर रहती है, और इनमें तरह-तरह की समस्याएं हैं। किंतु एक बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे स्वीकार भी किया जाना चाहिए कि विदेश मंत्रालय विश्व के बदलते परिदृश्य पर विचार कर रहा है और देश की भलाई को ध्यान में रखकर कूटनीतिक तरीके से कार्य कर रहा है।

कई बदलाव आए हैं। हम आज भी 21वीं सदी में हैं। मैं मानता हूं कि ये बदलाव 21वीं सदी में विश्व मामले में हमारी भूमिका के अनुकूल हैं। 21वीं सदी का भारत 20वीं शदी के भारत की तरह नहीं है। भारत के लिए यह बहुत ही बेहतर भविष्य है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, वर्ष 2003-04 के लिए विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। काफी अच्छी शुरूआत भाटिया जी ने की। मुझे विस्तार में नहीं जाना है। विदेश नीति एक तरह से दर्पण की तरह होती है और हमारी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। दुनिया के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, इससे हमारे आर्थिक विकास में मदद मिलती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा यशवन्त सिन्हा जी से कि दुनिया की राजनीति में हिन्दुस्तान का जो रुतबा और जलवा था, उससे कहां कमी आई है, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। कूटनीति के मोर्चे पर हम कहां असफल रहे हैं, और इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारे परंपरागत मित्र थे, उनसे भी हम अच्छे रिश्ते नहीं रख पाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। हम निर्गुट आन्दोलन के तहत लगभग 150 देशों के नेता हुआ करते थे और आज वह निर्गुट आन्दोलन भी दम तोड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी विदेश नीति का व्यवहारिक पक्ष यह होना चाहिए कि शत्रु को भय हो...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, विदेश राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह जी हंस रहे हैं, पहले इनका हंसना बंद कराइए। मैं इनकी मदद कर रहा हूं और ये हंस रहे हैं।...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): आप कहिये, हम खुश हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: यशवंत जी, आप इनके पाप में क्यों भागीदार बन रहे हैं?...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): इनके पुराने मित्र इतना अच्छा बोल रहे हैं, इस पर इनको खुशी हो रही है।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): सुमन जी, हंसने पर कोई पाबंदी नहीं है और यह कोई असंसदीय भी नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन: हमारी विदेश नीति का व्यवहारिक पक्ष होना चाहिए कि शत्रु को भय हो, मित्रों के साथ हमारी आत्मीयता हो और कमजोर देशों को हम सहारा देने का काम कर सकें। सभापति जी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो गुटनिरपेक्ष नीति हमारे देश में चली जवाहरलाल जी के जमाने से, अभी तक हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब हम ख्रुश्चेव, आइजेन आवर और नाजिर के दोस्त हुआ करते थे। आज हम कहां खड़े हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं लेकिन लगातार प्रयत्नों के बाद भी हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं बन पाए। हम सात बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य रहे, लेकिन 1996 में हम लोग जापान से चुनाव हार गए। पाकिस्तान के खिलाफ हमने दुनिया में क्या वातावरण बनाया है, क्या माहौल बनाया है, कितने देशों को मित्र बनाया है? हमारी जो परेशानी है, उसके साथ कितने देशों की सहानुभूति पैदा हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ कितने लोग हमारे पक्ष में खड़े हुए हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1996 में हम तो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का चुनाव हार गए, लेकिन आने वाले दो वर्षों के लिए पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो गया।

महोदय, इसका साफ मतलब यह है और इसने सिद्ध कर दिया है कि दुनिया में जो हमारे दोस्त बनने चाहिए थे, जो हमारे मित्र बनने चाहिए थे, उन्हें हम दोस्त और मित्र नहीं बना पाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि निकट के छोटे-छोटे पड़ौसी देशों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो आतंकवादी हैं, उन्हें हमारे छोटे-छोटे पड़ौसी देश प्रश्रय देने का काम करते हैं, उन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल और मियांमार जैसे छोटे-छोटे देश भी आतंकवादियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। इन देशों में आतंकवादी आकर शरण लेते हैं। हिन्दुस्तान को उनसे अपने मधुर सम्बन्ध बनाने का काम करना चाहिए, लेकिन हम अपने पड़ोसी देशों से अब तक अच्छे सम्बन्ध नहीं बना पाए हैं।

सभापति महोदय, कुल मिलाकर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना हुआ है, वह यह है कि हम कहीं न कहीं अमरीका के प्रभाव

में आ जाते हैं, चाहे वह कश्मीर का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मामला हो, चाहे अफगानिस्तान या फिर इराक का मामला हो। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी विदेश नीति को कहीं न कहीं से अमरीका प्रभावित करता है, वह चाहे कारगिल युद्ध का सवाल हो, चाहे सीमापार से आतंकवाद को समाप्त करने का सवाल हो। कारगिल के समय अमरीका ने हस्तक्षेप किया, इसे सभी जानते हैं और जब पाकिस्तान को खदेड़ने का वक्त था, तब अमरीका के हस्तक्षेप के कारण हमारी सेनाएं थोड़ी पीछे हटीं।

महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि अमरीका को छोड़कर दुनिया के और तमाम देशों से हमारे रिश्ते अगर ठीक हो सकते हैं, तो उस दिशा में हमें प्रयास करने चाहिए। यही कारण है कि लड़ाई होने के बावजूद, चाहे प्रधान मंत्री घोषणा करें या विदेश मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी अखबारों में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहें, लेकिन आतंकवाद को समाप्त करने के सवाल पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ना चाहिए, वह आज तक नहीं पड़ा और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।

महोदय, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि प्रधान मंत्री जी के जम्मू-कश्मीर यात्रा से आने के बाद, उन्होंने जो बयान दिया और इस क्षेत्र के लिए उन्होंने जो दौलत दी और कहा कि यहां रेलें चलेंगी, हवाई जहाज उड़ेंगे, लेकिन अखबारों ने जिस समाचार को प्रमुखता से छापा, वह यह है कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। उस पर पाकिस्तान ने तत्काल प्रतिक्रया व्यक्त की अगर हिन्दुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान से बातचीत हो तो वह सशर्त नहीं हो सकती है। वह चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन कोई शर्त न हो। आप तो रोजाना भाषण देते हैं कि पाकिस्तान सीमापार से आतंकवाद को जब तक समाप्त नहीं करेगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे।

महोदय, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते यह मानता हूं कि बातचीत के जरिए सभी समस्याओं के हल निकाले जो सकते हैं। हम बातचीत के पक्षधर हैं लेकिन उसके लिए कौन सा माहौल चाहिए, उसके लिए कौनसी परिस्थितियां चाहिए, क्या वह माहौल और वे परिस्थितियां और हालात हमने पैदा किए? मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान आज जो हरकत कर रहा है, उससे वह बाज आएगा, ऐसा सोचना व्यर्थ है। इसलिए हमें पाकिस्तान के संबंध में जो भी कार्रवाई करनी है, वह अपने बलबूते पर ही करनी है। तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के अन्य देश, खासकर यूरोपीय देश अपनी क्षमता और शक्ति का आज भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। हम एक अरब की आबादी वाले देश हैं और इससे पैदा हुई हमारी बाजार की शक्ति आज विश्व के आकर्षण का केन्द्र है। हम चाहें, तो विदेश नीति की मार्फत इस बाजार का प्रयोग अपने हितों के लिए कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि इस तरफ सार्थक प्रयास होने चाहिए।

सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि कारगिल युद्ध के समय क्लिंटन ने हस्तक्षेप किया। 1999 में हमारे विमान का अपहरण कंधार में हुआ, उस समय अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और हम पर यह शर्त लगाई कि हम आयात से प्रतिबंध हटा लें और हमने 2002 में प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन अमेरिका के आयात पर प्रतिबंध 2005 तक लगे हुए हैं।

मैं आपके मार्फत विदेश मंत्री जी, से प्रार्थना करता हूं कि आतंकवाद के सवाल पर जो कुछ करना है वह अपने बलबूते पर करिए, पाकिस्तान से भुगतना है तो अपने बलबूते पर करिए, किसी से अपेक्षा मत करिए। पड़ौसी देशों से अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता है, न सिर्फ अमेरिका, बल्कि दुनिया के अन्य देश भी हमारे दोस्त हो सकते हैं। इस दिशा में भी सार्थक पहल करनी चाहिए, यही मुझे निवेदन करना था।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): सभापति महोदय, किसी देश की विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। राष्ट्र पहले आता है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। किन्तु हमारी आजादी से लेकर आज तक भारत की हमेशा विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पर नैतिक पकड़ रही है। हम लोग इस मायने में भी भाग्यशाली रहे हैं कि हम अपनी विदेश नीति के मामले में आम राय बनाने में सफल रहे हैं। हमारे यहां अलग-अलग समयों में अलग-अलग विपक्षी दल समूह रहा है, किन्तु हर बार विपक्ष की भूमिका बहुत ही सहयोग पूर्ण रही हैं। हमारा हमेशा से एकीकृत विचार रहा है। यह बहुत ही महत्वूर्ण बात है। इसलिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के मामले में हमेशा ही अग्रणी रहा है। यह पीछे-पीछे चलने वाला देश कभी नहीं रहा है। हमने अपना एजेण्डा स्वयं बनाया हैं। हम अपनी विदेश नीति के मामले में निर्भीक और स्वतंत्र हैं। अन्य देशों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हमारे कुछ पड़ोसी देश भी समय-समय पर शक्तिशाली देशों के नियंत्रण में रहे हैं।

जैसा कि हम जानते हैं कि जब यह विश्व दो ध्रुवों में बंटा हुआ था, तो हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगुवा हुआ करते थे। फिर विश्व व्यवस्था में परिवर्तन आया। हम अपने आप को एक ध्रुवीय विश्व में पाते हैं। मैं समझती हूं कि जब भारत ने विश्व के सर्वशक्तिशाली देश के साथ बातचीत की पहल की तो भारत का यह सही दिशा में सही कदम था। मुझे याद है कि पिछले कई वर्षों से हमारा वार्ताकार विदेश मंत्रालय रहा है जिसने विश्व

[श्रीमती कृष्णा बोस]

के दो लोकतंत्रों के बीच धीमी गति से किन्तु स्थायी रूप से संबंध स्थापित करने की कोशिश की है।

अब चूंकि यह सच है कि जब भौगोलिक राजनीतिक स्थिति बदलती है, तो हमारी अपनी नीतियां भी बदलेंगी। लेकिन इसके साथ यह भी बात की है कि हमें अपने पारंपरिक सहयोगियों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी दिमाग मे रखना होगा कि हमारे पारंपरिक सहयोगियों में रूस और अरब देश रहे हैं। हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा।

जब हमारे ऊपर इराक संकट थोपा गया तो मैं समझती हूं कि हमने एक बार फिर सही रास्ता चुना। मुझसे पहले बोल चुके कुछ वक्ताओं ने बीच के रास्ते का उल्लेख किया है जिसके बारे मे माननीय प्रधान मंत्री पहले ही कह चुके हैं।

हमने क्या किया था? हमने संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक कहा और सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने कहा कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय संकटों पर बहुपक्षीय रवैये में विश्वास करते हैं और हम एकतरफा सैन्य कार्यवाही में विश्वास नहीं करते। यह बिल्कुल अलग बात है कि हम एकतरफा सैन्य कार्यवाही को रोक नहीं पाये। परन्तु हमने वही कहा जिसमें हमारा विश्वास था। उसमें हमारी तरफ पुराने यूरोप के नाम से जानी जाने वाली दो यूरोपीय शक्तियां थीं परन्तु दो देश पुन: बड़ी शक्तियों के रूप में आ रहे हैं जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस हमारे साथ थे और रूस की बात ही छोड़ दीजिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे हम भी एक उभरती हुई बड़ी शक्ति हैं वैसे ही जर्मनी और फ्रांस भी बड़ी शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं और हमें उनके साथ यह गठबंधन बनाये रखना चाहिए। जर्मनी, फ्रांस और रूस के अलावा हमारे साथ विश्व की राय भी थी जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा कि कैसे विश्व की राजधानियों में लोगों ने इराक के लोगों के पक्ष में मार्च किया था और हम उनके साथ थे। अब हमें इराक संकट के पश्चात क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि इराक संकट के पश्चात हमें यह देखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र को अपनी पूर्व की प्रतिष्ठा पूर्ण स्थिति में लाया जाए। यह सही है कि यहां संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा को कम किया गया था। परन्तु आपको उन दिनों की जानकारी है जब आप किसी राष्ट्र पर अधिकार कर सकते थे और किसी दूसरे देश में अधिकतम बल रख सकते थे वे दिन चले गए और वे दिन भी चले गए अब आप एक औपनिवेशिक शक्ति बन सकते थे और आप अपना उपनिवेश बना सकते थे। अब साम्राज्य वाद के दिन चले गए।

इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच हो ऐसी शक्ति हो जिसके पीछे हम खड़े हो सकें जैसी कि अभी संयुक्त राष्ट्र अकेला है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इराक के पुनर्निर्माण में और उस देश के नए शासन में संयुक्त राष्ट्र एक भूमिका निभाये। इसी पर अब भारत को ध्यान देना चाहिए।

हम पर हमेशा आरोप लगाया जाता रहा है कि हमारी विदेश नीति पर पाकिस्तान केंद्रित होने का आरोप लगाया जाता है। मैं उस तरह की बात नहीं करना चाहता। परन्तु यह सही है कि हमारे चारों ओर पड़ौसी हैं जबकि एक पड़ौसी के साथ हमारी हमेशा से बड़ी समस्या रही है। परन्तु वहां भी मैं समझता हूं कि भारत की भूमिका की प्रशंसा हुई है। अमरीका सहित दुनिया की अधिकांश शक्तियों ने सीमा-पार से आतंकवाद जिसकी हम बात करते रहे हैं, की निंदा की है। वे पाकिस्तान से कह रहे हैं कि उसे यह सीमा-पार से आतंकवाद रोकनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान के सामने क्या नीति होनी चाहिए। इसी सुबह हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने वह बताया था और हमें पुन: उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी यह नीति रही है।

हमने हमेशा उनके सामने मित्रता का व्यवहार किया है। मेरा कहना है कि आप सबको ध्यान होगा और मुझे बस यात्रा को दोहराने की जरूरत नहीं। परन्तु हमें कारगिल झेलना पड़ा। परन्तु, फिर भी हमने उन्हें पुन: आगरा बुलाया। वह प्रयास भी असफल रहा। हमारे यहां हर समय यह सीमापार में आतंकवाद चल रहा है। किन्तु फिर भी एक दिन पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने पुन: दोहराया कि हम किसी भी समय वार्ता के लिए तैयार हैं क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया है जहां हममें से कुछ नाभिकीय शक्तियां हैं और हम गैर-जिम्मेदार तरीके से युद्ध के बारे में बात नहीं कर सकते। वार्ता से ही हमारी समस्या हल हो सकती है। वार्ता के द्वार खुले रखने चाहिए। परन्तु इसके साथ ही जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने सुबह ही कहा कि हम केवल एक हाथ को ही बढ़ाकर नहीं रख सकते दूसरे हाथ को भी हमारे सामने बढ़कर आना पड़ेगा। इसलिए, पाकिस्तान के सामने भी हम यही नीति अपना रहे हैं।

महोदय, लगभग यही हालात है। मैं चीन से संबंधित मामलों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ के मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने उस पर विस्तार से बात की है। फिर भी यह हमारे नीति सम्बंधी मामले से संबंधित है।

हम यहां बजट और अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं विदेश मामलें से संबंधित स्थायी समिति का सभापति हूं। हमने अनुदानों की मांगों संबंधी रिपोर्ट पटल पर रख दी है आज सुबह हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि इन रिपोर्टों पर चर्चा की जा सकती है और आप उन पर चर्चा कर सकते हैं। मैं अपने साथियों से इन पर ध्यान देने और यह देखने के लिए कहूंगा कि हमने क्या सिफारिश की हैं। हमने सिफारिशें की हैं। हमने कुछ आलोचना भी की है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे पास विदेश मंत्रालय में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है कि वह रिपोर्ट में हमारे द्वारा की गई आलोचना पर ध्यान देंगे और उन चीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे।

उदाहरणार्थ, खर्च न किए गए शेष का प्रश्न है। हमने देखा है कि बजट में जारी की गई राशि का अधिकांश भाग खर्च नहीं किया जा सका और वापस कर दिया गया अथवा इसे बचा लिया गया और विदेश मंत्रालय के अधिकारी बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि यह एक स्थानिक चीज बन गई थी और उन्हें अक्सर ऐसा करना पड़ा। दूसरी चीज जिसकी हमने आलोचना की है वह विदेशों में हमारे मिशन के बारे में है जहां हम बड़े-बड़े स्थान किराये पर लेते हैं और इन पर भारी राशि का भुगतान करते हैं। हमने कहा है कि हमारी नीति अधिग्रहण करने अथवा अपने आवास का निर्माण करने की होनी चाहिए न कि इतने भारी किराये देने की। मैं समझता हूं कि उन्होंने हमें 14 स्थानों की सूची भी दी है यहां हम भारी किराया दे रहे हैं परन्तु केवल तीन स्थानों पर ही कुछ निर्माण कर पाए हैं। हमने रिपोर्ट में यही कुछ आलोचनाएं की हैं। मैं उस पर आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता। आप इसे पढ़ सकते हैं और अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमने सिफारिशों भी की हैं। मैं जानता हूं कि इन सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

आप सब यह जानते हैं। सुबह से हमने स्थायी समितियों पर बहुत बात की है, मैं यह कह रहा हूं कि हमारी स्थायी समितियां उतनी शक्तिशाली नहीं हैं। उदाहरणार्थ, अमरीकी सीनेट में विदेश मामलों संबंधी समिति बहुत शक्तिशाली है परन्तु हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं। हम विश्वासोत्पादक स्वभाव के हैं। हम केवल सरकार को समझा सकते हैं। यह सर्व-दलीय सीमित है। जो भी हमने कहा हमने एक साथ कहा है। मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि हम जो भी कहते हैं उसे गम्भीरता से लिया जाता है। यदि वे कुछ नहीं कर सकते तो वे हमारे पास वापस आते हैं और हमें बताते हैं कि वे क्यों नहीं कर सकते और यदि वे इसे कर सकते हैं तो वे करेंगे।

महोदय, मैं यहां विदेश मंत्री द्वारा रखी गई अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं मुझे आशा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में नेता बना रहेगा।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): माननीय सभापति महोदय, आज सुबह माननीय प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। यह कुछ दिन पूर्व श्रीनगर में कही गई बात की पुनरावृत्ति है। यह पाकिस्तान के साथ बातचीत का बिना शर्त प्रस्ताव था। हम इसका स्वागत करते हैं। कुछ लोग इसे विदेश मंत्री द्वारा कही गई बात से मुकरना कह सकते हैं। मैं ठीक ढंग से अथवा 'गलत ढंग से' के मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं। शुक्रवार के बिना शर्त प्रस्ताव के बाद कुछ घंटों के बाद यह अलग स्वर था। समस्या यहां है। समस्या इस राजग सरकार अर्थात भारत सरकार के बहु-स्वरों की है। एक मंत्री एक दिन कुछ कुछ कह रहा है और दूसरे दिन वही मंत्री दूसरी बात कह रहा है। मंत्री एक बात कह रहे हैं और प्रधान मंत्री दूसरे दिन अथवा उसी दिन अलग संकेत दे रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं अपनी सहयोगी आदरणीया श्रीमती कृष्णा बोस द्वारा कही गई बात से ही शुरू कर रहा हूं। हमने इराक पर सर्वसम्मत संकल्प स्वीकार किया था। कुछ लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं। कुछ लोग होने चाहिएं और हमेशा कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी आलोचना करेंगे और लाखों लोग ऐसे हैं जो इसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि समप्रभु संसद इस बात को देखकर अपना निर्णय नहीं लेगी कि कौन क्या कहेगा। हमारी महान परम्परा हैं और यह समप्रभु संसद की महान उपलब्धि है और भारतीय संसद ने पहले एक पक्षीय कार्यवाही की निंदा करते हुए और दूसरे यह कहते हुए कि इराक के भविष्य का इराकी लोगों द्वारा निर्णय किया जाएगा, सर्वसम्मत संकल्प स्वीकार किया। यदि पुनर्निर्माण, पुनर्वास इत्यादि के मामले में किसी की कोई भूमिका है तो यह संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से होनी चाहिए।

हमारी भव्य परम्परा के अनुसार हमने तत्काल संयुक्त राष्ट्र के आह्वाहन पर सहयोग का हाथ बढ़ाया और मानवीय आधार पर 20 मिलियन डालर की नकद सहायता और विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत 50,000 मीट्रिक टन खाद्य उत्पादों के रूप में सहायता दी। परन्तु इस सरकार से मेरा प्रश्न यह है। क्या संकल्प पर कोई सक्रिय अनुवर्ती कार्यवाही की गई है। यदि हां, तो वह अनुवर्ती कार्यवाही क्या है?

मुझे पता चला है कि भारत सरकार के एक प्रतिनिधि ने आठ अरब देशों की बैठक के प्रस्ताव के बाद एक महत्वपूर्ण मांग की थी। वह मांग क्या थी? मांग यह थी कि इराकी लोग ही इराक के भविष्य का निर्धारण करेंगे और अधिकृत सेनाओं को और विलम्ब किए बिना यथाशीघ्र चले जाना चाहिए। पुनर्निर्माण और ये सभी चीजें संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण और देख-रेख में की जाएंगी।

मैं भारतीय जनता पार्टी के 1999 के चुनाव घोषणा-पत्र को देख रहा था और बाद में मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाले भाग की ओर आ रहा हूं। वे उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण बात कही है। वे क्या कहते हैं? उन्होंने यह कहा है कि हाल ही में उन्होंने दबावों से पूर्ण सरकार का टूटना और ''देश का टूटना'' देखा था, यह स्पष्ट रूप से 1991-1996 की सरकार का संदर्भ है, क्योंकि जो अंतरिम सरकार 1996 और 1997 के दौरान आई थी, उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। सम्भवत: 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान सरकार ने ऐसा किया था। 'हाल ही में' का संदर्भ 1991-1996 सरकार का है। क्या यह सच नहीं है कि यदि दबाव के अन्तर्गत झुकने की बात थी, किन्तु यहां तो यह किसी दबाव के पहले ही घुटने टेकने की स्थिति है।

[श्री रूपचन्द पाल]

अफगानिस्तान की स्थिति की ओर देखें। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने कतिपय कदम उठाए थे और हमने अपने आप कहा था कि हम यह और वह देने के लिए तैयार हैं आदि। वे हमारी चिन्ता नहीं करते। हमारा एक अरब दस करोड़ का विशाल देश है जिसकी साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की एक शानदार परम्परा रही है और वे हमें अप्रासंगिक बना रहे हैं और हम उनके सामने झुक रहे है इससे पहले कि हमसे झुकने के लिए कहा जाता है। चुनाव घोषणा-पत्र में वे बढ़ते दबावों के आगे झुकने के बारे में पिछली सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का शासन हेतु राष्ट्रीय एजेन्डा क्या है जो 1999 में चुनाव घोषणा था, अर्थात् इसमें कहा गया है कि वे भारत के आकार और महत्व के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक स्थान, भूमिका और स्थिति सुरक्षित करने हेतु भारत की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वास्तविकता क्या है? क्या हम उपयुक्त हैं? क्या कोई हमारी चिन्ता कर रहा है? उसके बाद भी हमने पेशकश की कि हम आतंकवाद अथवा जो भी आप इसे कहें इसके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई हमारी चिन्ता नहीं करता।

दिन-प्रतिदिन जब बड़ी मात्रा में हत्याएं होने लगी तो मधुर पाकिस्तान से आतंकवाद के निर्यात और आतंकवादी गतिविधियां जो जम्मू और कश्मीर में चल रही हैं, के बारे में बहुत शब्द कहे गए। उन्होंने कहा कि हां, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। हमने आतंकवाद संगठनों की सूची बनाई है तब उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। पाबंदिया उठायी गई हैं और उसके बाद ऋण माफ हो रहा है। हम यह क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान भविष्य के कार्यक्रमों की उनकी भू-राजनैतिक योजना में उनका प्राकृतिक सहयोगी है? यह वास्तविकता है किन्तु अभी हम हिचकिचा रहे हैं।

मिस्टर राबर्ट ब्लैकविल का क्या हुआ? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता उनका प्रत्यक्ष ज्ञान क्या हो सकता है अथवा अन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया है और वह शिक्षण कार्य करने के लिए वापस जा रहे हैं और ये सब बातें। मैं इन सब बातों में नहीं जा रहा हूं। उन्होंने अपनी निजी उपलब्धियों की एक विस्तृत सूची बनाई है।

अपराह्न 4.07 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*]

वह कहते हैं कि यहां अमेरिकी राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिकी प्रशासन के उच्चाधिकारियों और प्रतिनिधियों के सौ से अधिक दौरे हुए हैं और संयुक्त सैनिक अभ्यास हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं। "आप इस स्थिति की समानता पाकिस्तानी स्थिति के साथ क्यों कर रहे है?" वे हमें धमकी दे रहे हैं। मंत्री अपनी उदारता से यह कह सकते हैं कि इन सब बातों की अनदेखी करें। यह एक धमकी थी। मैं उनकी बाध्यता की पुष्टि नहीं करना चाहता। क्योंकि आशय से यह अमेरिका द्वारा ली गई स्थिति की स्वीकार्यता थी। यह कभी नहीं किया जा सकता। बल्कि जो प्रधानमंत्री ने बाद में कहा और उनके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का अधिक स्वागत है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा अमेरिकी दबाव में किया गया है। हम जानते हैं कि मिस्टर आर्मिटेज आ रहे हैं, समूह-8 की बैठक होने जा रही है जहां पाकिस्तान फायदा उठाएगा और अन्ततः हम असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं।

इराक युद्ध के दौरान भी मिस्टर कालिन पावेल ने पहले ही कहा था हमारी अगली कार्यसूची (एजेन्डा) भारत है। हम इसे भूले नहीं हैं। हम इसके तत्काल बाद इस मुद्दे की जांच करेंगे। इस मुद्दे को विचारार्थ लिया गया। यह 'बुशबाद' का नया युग है। अथवा जो भी आप इसे कहें। आप 'बुशवाद' की समानता 'फासीवाद' से कर सकते हैं।

ऐसा नहीं है कि ईराक पर ही बमबारी की जा रही है और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं बल्कि पुस्तकालयों और प्राचीन सिद्धांतों पर भी बमबारी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों को अप्रासंगिक बनाया जा रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि वह अपने कर्तव्य में विफल हो गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र उन दबावों पर सहमत नहीं हुआ जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपना अनुसरण करने के लिए डाला जा रहा है। यह इस स्थिति का सकारात्मक भाग है कि खतरनाक एक पक्षवाद के इन दिनों में भी वे प्रस्ताव के लिए नौ देशों को अपने समर्थन में नहीं जुटा सके जो उन्हें युद्ध करने के लिए प्राधिकृत कर सकता था। इस नई स्थिति में नए खतरे हैं।

इस नई स्थिति में नई चुनौतियां हैं। साथ ही नए अवसर भी हैं। हमें नये अवसरों का उपयोग करके नई चुनौतियों का उपयुक्त और समुचित रूप से सामना करना है जो हम अब नहीं कर रहे हैं। यही वह समय है जब एक नई भाषा का उपयोग किया जा रहा है। "पूर्वक्रम कार्रवाई"। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है- "जिसकी लाठी उसकी भैंस? मुझे प्राप्त करने का अधिकार है। मुझे हमला करने का अधिकार है"। आरोप क्या है? आरोप यह है "आपके पास महाविनाश के हथियार हैं"। क्या किसी ने उसे सिद्ध किया? नहीं यह सब बनावटी है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य हथियार निरीक्षक हैंक्स ब्लिक्स ने भी रहा था कि इस आक्रमण की योजना निरीक्षकों के अपना काम शुरू करने से काफी पहले बनाई थी। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं पाया जा सका। "बुराई की धुरी"। पहले इस बुराई की धुरी में तीन देशों का नाम लिया गया था। अब, सीरिया को अचानक चौथे देश के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे संकेत हैं कि इस धुरी में भारत को चौथे देश के रूप में जोड़ा जाएगा।

ऐसी स्थिति में हमें अपनी विदेश नीति का इस प्रकार अभिविन्यास करना है कि हम विश्व रणक्षेत्र में अपने दृष्टिकोण को उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बना सकें। इस सरकार के प्रति मेरा यह आरोप है कि भारत जैसे महत्वपूर्ण देश ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबावों के आगे झुककर अपने को अप्रासंगिक बना लिया है। यह मेरा आरोप है।

नई शब्दावली गढ़ी जा रही है। ''सत्ता परिवर्तन''। सत्ता परिवर्तन को किसने प्राधिकृत किया है? जी, हां, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा था कि देश की जनता को छोड़कर किसी और देश की सरकार को बदलने का अधिकार नहीं है, चाहे देश का जो विचार हो, सरकार को जो विचार हो, उसका चाहे जो कार्यक्रम हो। नई कूटनीतिक भाषा उभर रही है। ''मैटीरियल ब्रीच'' (भौतिक भंग) इसका अर्थ है? इसका कुछ अर्थ नहीं किन्तु ''जब मैं समझता हूं कि तब भंग'' है तो मैं इसे भौतिक भंग कहूंगा। यही मेरी धारणा है। मैं कहूंगा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों का अनुपालन नहीं किया है।''

उन्होंने कहा ''वह तानाशाह है।'' मिस्टर बुश आप कितने तानाशाह देखना चाहते हैं? हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के कितने तानाशाह राष्ट्रपति की गोद में बैठे हैं जिन्हें अमेरिका द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उन्हें अमेरिका द्वारा शरण दी जा रही है। क्या पाकिस्तान में प्रजातंत्र है? क्या अनेक देशों में प्रजातंत्र है—मैं यहां उनके नाम नहीं लूंगा। ऐसे अनेक देश हैं। मध्यपूर्व में अमेरिका ने क्या किया है? फिलिस्तानी हित के संबंध में अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने इराक को ईरान के साथ युद्ध में इराक को प्रोत्साहित किया। यह कहा जाता है कि अमेरिका ने इराक को रासायनिक और जैविक हथियारों की आपूर्ति की। वास्तव में इस पर एक चुटकुला है जो इस प्रकार है। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका को इतना विश्वास कैसे है कि इराक के पास रासायनिक और जैविक हथियार हैं, अमेरिका कहता है ''हमने उन हथियारों की रसीद प्राप्त की है क्योंकि हमने ही हथियारों की आपूर्ति की है''

बहुत खतरनाक बातें हो रही हैं। बारह वर्ष के लम्बें प्रतिबंधों ने ईराक के लोगों को अकथनीय कठिनाई में डाल दिया है। बच्चों समेत लाखों लोग अपने जीवन खो चुके हैं। सम्पत्ति को अत्यधिक नुकसान हुआ है। यही नहीं, महान पुरातात्विक परिसम्पत्तियां योजनाबद्ध तरीके से लूटी गई हैं। ऐसी बात दुनिया में कहीं नहीं हुई है। हमें अभिसमय का अमेरिका एक पक्षकार है। अमेरिका क्योटो प्रोटोकोल (नयाचार) का पक्षधर नहीं हैं। वे अनेक उत्तर राष्ट्रीय आपराधिक कानूनों पर सहमत नहीं हैं। उनके लिए उनकी लाठी उनकी भैंस है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी विदेश नीति के बारे में ठंढे दिमाग से सोचना होगा।

हमारे पास राष्ट्रीय सहमति पर आधारित विदेश नीति की महती परंपरा है। जैसा कि इराक पर हमारा संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था, विदेश नीति संबंधी पहल के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी राष्ट्रीय सहमति होती है। यदि कोई विकृति आई है तो यह सभी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गयी है।

सभापति महोदया: श्री रूपचन्द्र पाल, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल: जी हां, महोदया, मैं दो से तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

इसके परिणामस्वरूप हम लोग अप्रासंगिक हो गए हैं। सरकार को इस मुद्दे पर सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। इसका अर्थ राष्ट्रीय हितों का त्याग करना नहीं है। लचीलापन और शांतिप्रियता दोनों मिलकर एक सोद्देश्य, सार्थक और प्रासंगिक विदेश नीति का निर्माण करेंगे। हमारी विदेश नीति घरेलू नीति का विस्तार है।

यदि आपके धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को देश में नुकसान पहुंचता है तो मुस्लिम देशों में गलतफहमी पैदा होगी। यदि ईसाइयों को प्रताड़ित करना जारी रहता है तो ईसाई देशों में भारत के प्रति पुनर्विचार शुरू हो जाएगा।

महोदया, हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान करने में विफल हो रहे हैं हमने 'नाम' में कहा था कि भारत सरकार इसका नेतृत्व करेगी और यह इसके लिए वचनबद्ध है कि भारत की आवाज विकासशील देशों की आवाज होगी। परन्तु भारत ने ऐसा नहीं किया है। क्या हम इसे अपनी आर्थिक कूटनीति में करते हैं? विश्व व्यापार संगठन में, कृषि एजेण्डा में, 'ट्रिप्स' में तथा अन्य अनेक मुद्दों के संबंध में हम साझा उद्देश्य रखते हैं। यहीं तक पाकिस्तान के साथ भी कुछ अवसरों पर साझा उद्देश्य रखा जा सकता हैं।

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपके दल से एक और वक्ता बोलने के लिए बाकी हैं। अब उनके बोलने के लिए समय नहीं बचा है।

श्री रूपचन्द पाल: आज वाद-विवाद जारी रहेगा। माननीय मंत्री महोदय, कल तंजानिया जा रहे हैं। वह आज यहां उपस्थित होंगे।

सभापति महोदया: अब कृपया समय बर्बाद न करें। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल: मैं अपनी बात तुरन्त समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदया, हमें आर्थिक कूटनीति के क्षेत्र में भी बहुत कुछ

[श्री रूपचन्द पाल]

करना है। पाकिस्तान से बातचीत शुरू होने के पहले हमें पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें इस तरह से तैयार नहीं रहना चाहिए जैसा कि हम आगरा शिखर के दौरान थे।

माननीय प्रधान मंत्री महोदय, चीन जा रहे हैं। चीन हमारा पारंपरिक मित्र रहा है। यह अच्छी प्रगति है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री वहां का दौरा कर चुके है और अब हमारे प्रधान मंत्री भी वहां जा रहे हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में, मैं अपने सम्मानित मित्र द्वारा व्यक्त भावनाओं की प्रशंसा करता हूं कि दलाईलामा एक धार्मिक नेता हैं। यहां तक कि कल भी कुछ लोग मुझसे मिले तथा मैं समझता हूं कि लोग अन्य संसद सदस्यों से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भारत की जमीन पर वैसी किसी भी गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो चीन के साथ हमारे पारस्परिक हितों और संबंधों के लिए अहितकर हों।

जहां तक बांग्ला देश, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबन्ध का सवाल है, हमें इसे मजबूत बनाते रहना चाहिए। सरकार बांग्लादेश के साथ एक आप्रवासन नीति बनाने को वचनबद्ध है। ऐतिहासिक कारणों से बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध काफी पुराने है। परन्तु कुछ समय पहले कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए था।

सरकार ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि "आज विदेश नीति के दिशानिर्देशक सिद्धांत आधारभूत और सुस्थापित सिद्धान्तों से समझौता किए बगैर व्यावहारिकता और राष्ट्रीय हित के आलोक में बनाए जाते हैं।"

महोदया, यह क्या है? क्या यह अमरीकी दबाव के आगे घुटने टेकना है? क्या यह अवसरवादी रवैया अपनाया है? यहां तक कि कल भी मैं कुछ चर्चा सुन रहा था जहां यह कहा गया कि कुछ ठेके कुछ भारतीय कम्पनियों को दिए जा सकते हैं। कुछ भारतीय श्रमिकों को इराक में रोजगार मिलेगा। हमें काफी कड़ा रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि इराक हमारा मित्र रहा है। इराक ने हमारे बुरे समयों में भी, कश्मीर मुद्दे तथा अन्य अनेक मुद्दों पर हमारा साथ दिया था। हम इराक से तेल आयात करते हैं। हमारे तेल आयात का क्या होगा?

इस प्रकार, मैं समझता हूं कि ये मुद्दे हैं जिनपर इस सभा के प्रति भारत सरकार की कुछ जवाबदेही बनती है। हमारी विदेश नीति और हमारी आर्थिक कूटनीति स्पष्ट और निष्पक्ष होनी चाहिए। एकपक्षीय नए विश्व में, हमें इन चुनौतियों का सामना करने हेतु अपने को तैयार करना चाहिए तथा आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक परिस्थिति में हमें इस अवसर का उपयोग गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और विकसित देशों में नेतृत्व की स्थिति को वापस पाने के लिए अपने को अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु करना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): धन्यवाद, महोदया। मैं विदेश मंत्रालय के अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं। मैंने माननीय श्री रघुनंदन लाल भाटिया के भाषण के अंत में एक प्रश्न किया था। मेरे मन में उनके प्रति आदर का भाव है और मैंने उनकी बात को तन्मयता से सुना। मैंने अपने पूर्व वक्ता श्री रूपचन्द्र पाल के भाषण को भी काफी ध्यान से सुना यद्यपि मुझे पता था कि वह क्या बोलेंगे। यह बात उनके द्वारा बार-बार दुहरायी गयी है।

महोदया, श्री रघुनंदन लाल भाटिया जी ने यह मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस के सत्ताकाल के दौरान -नेहरू जी, इन्दिरा जी और राजीव जी के शासन काल में -भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था। अब भारत ने अपनी गरिमा खो दी है। कोई भी हमें तरजीह नहीं देता। यहां तक कि श्री रूपचन्द्र पाल ने पूछा था कि "क्या कोई हमारी परवाह करता है? क्या हम प्रासंगिक हैं? उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न किए थे।

महोदया, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं इस तथ्य को भूल जाइए कि मैं भाजपा का संसद सदस्य हूं। जब मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था-मैं स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ रहा था-तब मैं अपने देश द्वारा लिए गए इस निर्णय के बारे में पूरी तरह भ्रमित था। हमने कहा था कि हम गुटनिरपेक्ष हैं। परन्तु जब सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया पोलैण्ड पर आक्रमण किया और वह अफगानिस्तान में घुसा तो हमने विरोध का एक शब्द भी न कहा। क्या यह कहना यथार्थ है कि हम गुटनिरपेक्ष हैं? उस समय विश्व ध्रुवी था। एक ध्रुव का नेतृत्व अमरीका कर रहा था और दूसरे ध्रुव का नेतृत्व सोवियत संघ। हम पूर्णतया सोवियत संघ के साथ थे। परन्तु फिर भी उन दिनों यह प्रचलन था कि यदि कोई वामपंथी विचारवाला है, यदि कोई सोवियत संघ के साथ है तो वह गुटनिरपेक्ष है। परन्तु यदि कोई अमरीका के साथ है तो वह पूंजीवादी है, वह बुर्जुआ है और वह वर्चस्ववादी है। इसलिए, वह गुटनिरपेक्ष नहीं है। महोदया, क्या वह सच है? मैं अभी भी जब ये बातें बार-बार दुहरायी जाती हैं, इस संबंध में भ्रमित हूं।

महोदया, यदि आप इतने गुटनिरपेक्ष हैं, तो वर्ष 1971 में बांग्लादेश युद्ध में, जब इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया गया था तो, ऐसा क्यों है कि केवल छः देशों ने हमारा समर्थन किया? ऐसा क्यों हुआ कि 100 से भी अधिक देशों ने हमारा विरोध किया? उन दिनों कई अन्य गुटनिरपेक्ष देश थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारा समर्थन क्यों नहीं किया? क्यों उन दिनों हमारी यही प्रतिष्ठा थी, जैसा कि विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा? मैडम संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर की घटना के बाद और जब हमने सीमा पर अपनी सेना

तैनात कर दी, तो क्या यह सही नहीं है कि केवल तीन महीनों में ही श्री कालिन पावेल, श्री रम्सफेल्ड, श्री टोनी ब्लेयर, श्री पुतीन और श्री जैक स्ट्रा सहित 60 महत्वपूर्ण विदेशों के प्रतिष्ठित व्यक्ति भारत आए? सभी केवल तीन महीनों के भीतर ही भारत आए। क्या इसका मतलब यह है कि विश्व को हमारी परवाह नहीं है?

यदि उन्हें हमारी परवाह नहीं तो वे सभी भारत क्यों आए? वे आते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें हमारी परवाह हैं। इसीलिए, मैं यह बात कह रहा हूं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विदेश मंत्री को भी अमेरिका के साथ भारत की बातचीत को लगातार बनाए रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह भारतीय विदेश नीति में पूर्ण बदलाव है। यही भारतीय विदेश नीति में पूर्ण बदलाव है। यही व्यावहारिक रवैया है और यही वास्तविक राष्ट्रीय हित है जो अब हम देख रहे हैं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं। लकिन भारत आतंक के दौरे से गुजर रहा है। भारत की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह आतंकवाद। आतंकवाद भारत की पहली और सबसे बड़ी समस्या है, विश्व में आजकल आतंकवाद से कौन लड़ रहा है? हम इससे सहमत हैं कि विश्व में कई तानाशाह हैं जिन्हें अमरीका ने पाला पोसा है। मैं उससे सहमत हूं। मैं इससे भी सहमत हूं कि अमरीका पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं घोषित करने जा रहा है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं।

लेकिन यह सही नहीं है कि अमरीका ही एकमात्र देश है जो आजकल आतंकवाद से लड़ रहा है? यह सही नहीं है? मुझे यह बताने दें कि वे ओसामा बिल लादेन, सद्दाम हुसैन, परवेज मुशर्रफ ही हैं जो पूरे विश्व में इस्लामी आतंकवाद के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इन लोगों पर हमला वित्त पोषण के स्रोत पर हमला है, यह उस राज्य पर हमला है जो पूरे विश्व के आतंकवादियों के सुरक्षित शरण स्थल हैं। आप उन शरण स्थलों को खत्म कर दें तो आतंकवादियों के वित्तपोषण के स्रोत खत्म हो जाएंगे। उनके सुरक्षित आश्रय पूरे विश्व में कही नहीं बचेंगे। इसलिए, यह सही है, यह हमारे हित में हैं कि हमें इतिहास के साथ होना चाहिए, और अभी इतिहास अमरीका के साथ होना है।

यह ठीक है कि हमने इस सभा में लंबी चर्चा की; हमने एक मत से प्रस्ताव पारित किया—या अधिकांश लोगों की राय उसके पक्ष में थी। उस दिन, नेताओं की आपस में बातचीत हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि नेताओं के अलावा किसी अन्य को बोलने की इजाजत नहीं होगी-केवल दलों के नेताओं को पांच मिनट तक बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए, एक प्रस्ताव पारित किया गया था। विपक्षी दलों के सदस्यों ने ऐसे प्रस्ताव को पारित करने के लिए सत्ता पक्ष पर दबाव डाला, लेकिन आप गलियों में जाएं और आम आदमी से पूछे कि प्रस्ताव के बारे में उसकी क्या राय है- चाहे वह इसके बारे में खुश हो या नहीं, हम कहते हैं कि यह राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण था, लेकिन वह कुछ कहता है कि यह प्रस्ताव राष्ट्रीय भावना के अनुकूल नहीं था। उस समय जब अमरिकी सेना बगदाद पहुंची, हमने प्रस्ताव पारित कर दिया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, वह संसद का संकल्प था जिसे अध्यक्षपीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसी मंत्री द्वारा नहीं, इसलिए, लोक सभा द्वारा पारित संकल्प पर शंका जाहिर करना सभा की बेइज्जती करना है। वह संकल्प पर प्रश्नचिह्न कैसे लगा सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं इस पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): वह गलियों में लोगों की आकांक्षाओं की बात कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं समझता हूं किसी को भी संकल्प के बारे में नहीं पूछना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: यदि समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ, तो आप उसके बारे में क्या करेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैडम, वह उस पर प्रश्नचिह्न कैसे लगा सकते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: उन्हें अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है; उन्हें अपना विचार व्यक्त करने दें। कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: श्री बदनोर, वह आप दोनों के बिना अपनी बात मजबूती से रखने में समर्थ हैं, वह अपना बचाव करने में पूरी तरह सक्षम हैं, उन्हें आपकी सहायता की नहीं जरूरत है।

...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: वह उनका उत्तर देंगे। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है,

...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: उन्हें भी नहीं बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: नहीं, जब वह बोल रहे हों तो आपको हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी है।...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: तो कृपया उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैंने इन्हें भी कहा है, मैंने केवल मुख्य वक्ता को ही बोलने की अनुमति दी है।

श्री रूपचन्द पाल: लेकिन यह अधिकार उन्हें सभा द्वारा एकमत से पारित प्रस्ताव पर प्रश्नचिह्न लगाने की अनुमति नहीं देता।

सभापति महोदया: वह गलियों में लोगों की बात कह रहे हैं। वह आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं: महोदया, मैं सभा द्वारा पारित संकल्प पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि गलियों में लोग क्या कहते हैं। मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कह रहा हूं। लोग ऐसा कहते हैं कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: इस बातचीत को कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाइं: अरब लीग ने संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध कोई संकल्प पारित नहीं किया गया। यह इस्लामी राज्यों का समूह है। युद्ध के अंत में जर्मनी के चांसलर ने कहा कि मित्र देशों की जीत के साथ इस युद्ध का शीघ्र ही अंत हो जाना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: हम विदेश मंत्रालय की मांगों पर विचार कर रहे हैं और अमरीका के व्यवहार पर नहीं...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: आपको सही बात तब कहनी थी कि जब श्री रूपचन्द्र पाल बोल रहे थे। उन्होंने केवल इराक के बारे में ही कहा। उनका करीब 75 प्रतिशत भाषण इराक पर ही था।

जैसा कि मैं कह रहा था, रूस के राष्ट्रपति श्री पुतीन ने कहा कि वह नहीं चाहते हैं कि अमरीका पराजित हो। यदि वह अमरीका की हार नहीं चाहते तो किसकी विजय चाहतें है? यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति श्री जैक शिराक ने भी कहा कि वह खुश हैं कि मित्र देशों को शीघ्र ही विजय मिल गई। फ्रांस, जर्मनी और रूस जिन्होंने शुरूआत से ही इसका विरोध किया, अपना रवैया बदल दिया। हमने उसी दिन संकल्प पारित कर दिया कि अमरिकी सेना को छोड़ देना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपने भी संकल्प का समर्थन किया था।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदया, यह वर्ष 1971 में मैडम श्रीमाओ भंडारनायके द्वारा दिए गए वक्तव्य जैसा ही है जब भारतीय सेना ढाका पर कब्जा करने ही वाली थी। उस समय, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया था कि भारतीय सेना को बांगलादेश छोड़ देना चाहिए। इसलिए सभा द्वारा पारित संकल्प के बारे में गलियों में लोग पूरी तरह से भ्रमित हैं।

मुझे माननीय मंत्री महोदय से कहना है कि उन्हें एक पक्ष की तरफदारी वाले संकल्प नहीं लाने चाहिये। हम अमरीका की आलोचना कर रहे हैं लेकिन अमरीका ने ही पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा का सम्मान करने को कहा। संयुक्त राज्य अमरीका ने ही पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को स्थायी तौर पर समाप्त करने का आश्वासन लिया है। उसने जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये भारत की तारीफ की। अमरीका जम्मू कश्मीर से सरकारी माध्यम से रूप में श्री एन.एन.वोहरा की नियुक्ति के द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने का स्वागत करता है। अमरीका ने जम्मू और कश्मीर में श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद की घावों पर मरहम लगाने की नीति का समर्थन किया है।

पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित न करने के पीछे अमरीका की अपनी मजबूरी है। कोई भी देश अपने राष्ट्र हितों के आधार पर ही कोई निर्णय करता है, किसी अन्य देशों के आधार पर नहीं अत: अमरीका की अपनी मजबूरी है। लेकिन यह सच है कि अमरीका का अगला लक्ष्य पाकिस्तान है। मैंन करीब सात दिन पहले टी.वी. पर एक साक्षात्कार देखा। बी.बी.सी. इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दो सीनेटरों का साक्षात्कार ले रहा था। आधे घंटे की पूरी चर्चा इसी पर थी कि क्या पाकिस्तान, अमरीका का अगला निशाना होगा। बी.बी.सी. पर पाकिस्तान सीनेटरों के साथ आधे घंटे की चर्चा इसी विषय पर हुई।

सीनेटरों का क्या जवाब था? वे कह रहे थे कि यह सही है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी हैं लेकिन अमरीका उतना ही चबा सकता है जितना पचा सके। इसका आशय है यह दो देशों पर हमला कर चुका है और पाकिस्तान पर हमला इसलिये नहीं कर सकता क्योंकि वह तीन देशों में अपनी सेना नहीं रख सकता। उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके देश में आतंकवादी नहीं हैं। वे इस बात को लेकर काफी आतंकित हैं कि अगली बारी उनकी हो सकती है।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, मैं श्री त्रिपाठी द्वारा की गयी टिप्पणी से सहमत हूं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विदेश मंत्री से मेरी अपील है कि अमरीका के साथ भारत से संबंध पाकिस्तान केन्द्रित नहीं होना चाहिये। यदि भारत ने अमरीका के साथ कोई मतभेद करता हैं, तो उनका निदान बातचीत के द्वारा किया जाना चाहिये न कि अमरीका विरोधी टीका-टिप्पणियों के द्वारा। यदि पाकिस्तान के हमारे मत भिन्न संबंध है, तो भारत को केवल पाकिस्तान के संबंध में अमरीका से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिये।

सभापति महोदया: कृपया समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो रहा है। आपने पहले ही 16 मिनट ले लिये हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदया मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जहां तक चीन का संबंध है, यह कहा गया है कि तिब्बतियों को राजनीतिक उद्देश्यों हेतु भारत की भूमि का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये। आध्यात्मिक गुरु श्री दलाई लामा भारत के सम्मानित अतिथि रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है, जिसने उन सभी लोगों को शरण दी हैं जिन्हें संसार में कहीं भी प्रताड़ित किया गया। पहले इसाई, फिर पारसी, यहूदी और कई बार मुसलमानों को भी शरण दी गई। मैं उन लोगों की बात स्वीकार नहीं करता जो अंग्रेज इतिहासकारों की इस बात का समर्थन करते हैं कि आर्य कैस्पियन सागर से भारत आये। इसलिये मेरा मानना है कि भारत ने सबको आत्मसात किया है और तिब्बत के प्रताड़ित लोगों को भी आत्मसात किया है। अब काफी संख्या में चीनी लोग तिब्बत में प्रविष्ठ हो चुके हैं। वे बड़ी संख्या में लोगों को वहां बसा रहे हैं और अब तिब्बत की साठ प्रतिशत आबादी चीनी लोग की है। तिब्बतियों की चीन में क्या स्थिति है? वे सब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जो झाड़ूदार और चपरासियों का काम करते हैं। जीवन की सारी सुविधायें चीनियों द्वारा उपयोग की जाती हैं। मैं जिनजियांग प्रांत में गया था जहां उधियार लोग चीन के साथ युद्ध स्थापित करने की तरह का संघर्ष कर रहे थे। अब हम लोग उस क्षेत्र में भारी संख्या में प्रवेश कर गये हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उन्हें परेशान ना कीजिए।

श्री रूपचन्द पाल: महोदया, कोई अर्थपूर्ण चर्चा होनी चाहिये।

सभापति महोदया: अपने विचार रखने का उनका अधिकार है। कृपया बैठ जाइये।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदया श्री रूपचन्द पाल सोचते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर केवल वही बोल सकते हैं क्योंकि वे बीस साल से सदन के सदस्य हैं। उनका विचार है कि मेरे जैसा सदस्य जो केवल पिछले चार-पांच वर्ष से सदस्य है, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर नहीं बोल सकता।

सभापति महोदया: कृपया आसन को संबोधित कीजिए

श्री खारबेल स्वाइं: इस प्रकार वे पूर्ण रूप से तिब्बत में तिब्बत की संस्कृति को मिटा रहे हैं। यूरोपीय संघ ने चीन को तिब्बत की स्वायत्तता प्रदान करने हेतु तीन वर्ष का समय दिया है। तीन वर्ष बाद इस बात की संभावना है कि यदि चीन द्वारा तिब्बत को स्वायत्ता प्रदान नहीं की जाती, तो भारत स्थित तिब्बत का निर्वासित सरकार को यूरोपीय संघ द्वारा मान्यता प्रदान की जायेगी।

केन्द्र सरकार क्या करने जा रही है? मैं माननीय विदेश मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री से यह अपील करता हूं कि जब वे चीन जाये तो उन्हें चीनी प्राधिकारियों को इस बात के लिये राजी करने का प्रयास किया जाना चाहिये कि यदि स्वतंत्रता नहीं तो तिब्बत को कुछ स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिये। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है।

सभापति महोदया, मैं कश्मीर की दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं कश्मीर मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी ने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है। एक उदाहरण पवनाड़ी की उस टिप्पणी के बारे में में है, जो उसने राज्य चुनाव होने के बाद की। उसने कहा था कि वह चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने इसलिये नहीं गया क्योंकि उसने इस बात का नहीं पता था कि राज्य में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। यदि उसे इस बात का पता होता कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे तो वह अपने साथी गावंवालों के साथ जाकर नेशनल कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने मत का प्रयोग जरूर करता। एक दूसरे मामले में एक आम आदमी का यह कहना था कि उसने अपना जीवन भारतीय सेना और आतंकवादियों के दो पाटों के बीच बिताया है और उसके मन में यह भावना थी कि उसके पास कोई अधिकार नहीं हैं परन्तु अचानक ही चुनावों के दौरान उसे लगा कि उसके पास मताधिकार है। वह गया और अपने मत का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी राज्य में चुनाव हार गयी लेकिन भारत वर्ष जीता, मातृ भूमि जीत गई। यह मेरे दल की उपलब्धि है और वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धि भी है।

यद्यपि मेरी पार्टी चुनाव हार गई तथापि विश्व समुदाय में देश का गौरव बढ़ गया।

जम्मू कश्मीर राज्य में हिंसा शुरू कैसे हुई? यह वर्ष 1987 में शुरू हुई जब स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री थे। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि उनके काल में निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गयी और इसी कारण राज्य में आतंकवाद शुरू हुआ। हां इसी सरकार ने चुनावी धांधली की बुराई को दूर किया है। हमने कभी धांधली का आश्रय नहीं लिया और हमारे द्वारा ही राज्य में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की गई है।

श्री पवन कुमार बंसल: वे यही संदेश विश्व को देना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं माननीय विदेश मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि हमें आसियान देशों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने चाहिये। हमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा विश्व के देशों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने चाहिये। अच्छे संबंध बनाने की क्षमता हमसे होनी चाहिये और जी-24, 77 देशों के समूह, जी-22, जी 50 और दक्षेस देशों के साथ भी हमारा सहयोग होना चाहिये। अंत में हमें अनौपचारिक कूटनीति (ट्रैक II डिप्लोमेसी) के माध्यम से आने वाले दिनों में आसियान देशो के साथ अच्छे संबंध विकसित करने चाहिये।

महोदया अंत में देश को सही दिशा में ले जाने के लिये माननीय विदेश मंत्री और माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदया, आपने मुझे विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित चर्चा में भाग लेने का यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दलगत भेदभावों को भूलकर सभा इस मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार कर रही है।

महोदया, भारत पंडित नेहरू के दिनों से ही गुट-निरपेक्ष सिद्धान्त का पालन कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि पंचशील क्या है और मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम आक्रमण न करने के सिद्धान्त का पालन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान स्वयं को युद्ध में व्यस्त रख रहा है। एक बार फिर चीन ने भी आक्रमण किया था। हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे कुछ पड़ोसियों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है।

जहां तक पारस्परिक लाभ का संबंध है, हम लाभ में रहे है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर भारत-चीन संयुक्त कार्य दल की 14वीं बैठक में, हमारे विदेश मंत्री और विदेश सचिव को भाग लेना चाहिए था। बातचीत की प्रक्रिया से ही इस समास्या का समाधान खोजना होगा।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, यह विभाजन के बाद से ही हमारा पारंपरिक शत्रु रहा है। पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने पर स्थिति और गंभीर हो गयी। मैं विदेश मंत्री जी को भारत के प्रति पाकिस्तानियों के रवैये के बारे में बताना चाहूंगा। लगभग बीस वर्ष पहले, जब मैंने संयुक्त राष्ट्र का दौरा किया था, मैं चाय पीने के लिए निचले तल की चाय की एक दुकान में नीचे आया। चाय की उस दुकान का मालिक एक पाकिस्तानी था। उसने मुझसे कहा कि क्या मै भारतीय हूं। उस समय मैं राज्य विधान सभा में उपाध्यक्ष था। जब मैंने जवाब में यह कहा कि मैं भारतीय हूं तो उसने यह ताना कसा कि वह एक दिन भारत के टुकड़े-टुकड़े होते देखना चाहेगा। बांग्लादेश के विभाजन के पश्चात् उसके दिमाग में भारत के प्रति ऐसी शिकायत अक्रामक भावनाएं रही हैं। इसीलिए, इस तरह की भावना को मिटाना बहुत मुश्किल है। इस तरह की भावना प्रत्येक पाकिस्तानी नवयुवक के दिमाग में भर दी गयी हैं। अब राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी ऐसी ही भावना की हवा दे रहे हैं।

सर्वदलीय बैठकों में हमारे प्रधानमंत्री ने यह बार-बार कहा है कि जब भी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ उन्होंने सीमा-पार आतंकवाद के प्रश्न को उठाया तो वह कश्मीर का प्रश्न उठाने लगते हैं। यह एक दूसरी समस्या है जिसे राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जानबूझ कर प्रस्तुत करते हैं। सभा में मैं यह बात बार-बार कहता रहा हूं कि जहां तक भारत का संबंध है परवेज मुशर्रफ के कार्य सदभावनापूर्ण नहीं हैं।

जब चीनी साम्राज्यवादी दल के चेयरमैन ने हमारे संसद भवन का दौरा किया था तो हमें उस बैठक में निमन्त्रित किया गया था। हमने चेयरमैन के समक्ष यह प्रश्न किया कि उनकी पाकिस्तान के बारे में क्या राय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनका पारंपरिक मित्र रहा है। चीन ने ऐसा विचार वक्तव्य किया है। इसलिए अब हमारे चारों ओर चीन और पाकिस्तान जैसे विद्वेष रखने वाले पड़ोसी देश हैं। और भी पड़ोसी देश हैं। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और आई.एस.आई. की गतिविधियां तेज हुई हैं। लेकिन हमने इन गतिविधियों को दूर करने के लिए क्या किया है?

महोदया, जब हमने गृह मामलों से संबंधित समिति में अपनी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए कार्य के प्रश्न पर चर्चा की तो हमें यह बताया गया कि हमारी लगभग सारी सीमा खुली पड़ी है। यह बाड़ छिद्रिक है। चीनी लोग भी भारत में प्रवेश कर सकते हैं। कटौती बाड़ लगाने के कार्य को पूरा नहीं किया गया है। हमारी सीमा के चारों ओर हमारे पास यही छिद्रिक बाड़ है। हमारे पास कोई दीवार नहीं है। यहां तक कि राजा लोग भी दीवारे अपने राज्य के चारों तरफ बड़ी-बड़ी बनवाते थे: लेकिन भारत की अपनी कोई दीवार नहीं है। यहां तक कि कटीले बाड़ लगाने का कार्य अभी पूरा किया जाना है। चूंकि कोई बाड़ नहीं लगाई गई है इसलिए पाकिस्तानी और चीनी लोगों द्वारा या तो नेपाल के रास्ते या फिर किसी अन्य सीमा से घुसपैठ की काफी संभावना है।

और इन विदेशी नागरिकों द्वारा आतंकवाद का कार्य किया जा रहा है। जब हमने इस सभा में सीमा-पार आतंकवाद पर चर्चा की तो हम सभी ने अपनी सर्वसम्मत राय प्रकट की थी कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक की यही राय थी और वित्त मंत्री जी ने भी यही राज्य प्रकट की थी।

मुझे दुःख है, वह अब तत्कालीन वित्त मंत्री हैं। आप हमेशा मुझे वित्त मंत्री के रूप में दिखते हैं, आपने वित्त कार्य देखा इसलिए मैं आपको विदेश मंत्री के रूप में नहीं देखता...*(व्यवधान)*

दो मार्ग हैं-एक है साइप्रस मार्ग और दूसरा है मारीशस मार्ग। चूंकि आप वित्त मंत्री थे इसलिए आप यह बात जानते हैं और मैं आपको ऐसा ही मानकर चल रहा हूं। भारत में विदेशी नागरिकों को लाभ के लिए ये मार्ग बनाए गए थे। संशोधन के पश्चात क्या मारीशस और तुर्की रूट को बंद कर दिया गया है अथवा नहीं? मैं सोचता हूं कि हमने संयुक्त संसदीय समिति में इस विषय पर चर्चा की थी। इस सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री और वर्तमान विदेश मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाने हेतु इस रूट को बंद करने के लिए क्या कार्रवाई की थी? मैं समझता हूं कि कर प्रणाली से उन निवेशकों को लाभ मिल सकेगा।

फ्रांस पश्चिमी जगत का नेतृत्व कर रहा है। सभी भारत की ओर इस आशा से देख रहे थे कि क्या भारत पूर्व का नेतृत्व करेगा। हम कहा हैं? कुछ सदस्यों ने कहा कि हमारी किसी को परवाह नहीं है। मैं यह कहूंगा कि हमें किसी की परवाह की आशा करने की जरूरत नहीं है।

हमें कई करोड़ की जनसंख्या वाले इस बड़े देश पर गर्व है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं और ब्रिटिश लोगों ने हमें लूटा इसके बावजूद हमारा अस्तित्व बना हुआ है। राबर्ट क्लाइव को अपदस्थ किये जाने के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है। इसलिए, हमारे देश खनिजों और अन्य संपदा से मुक्त एक समृद्ध परंपरा है। हमारा देश समुद्रों से घिरा हुआ है और हमारे पास समुद्री सम्पदा है।

जब हमारी समिति ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा की थी तो हमें यह देखने को मिला कि हम नाव द्वारा सरलता से थाईलैंड जा सकते हैं। थाईलैंड एक तरीका अपनाता है। व हमारे समुद्री क्षेत्र में आ सकते हैं और हमारे क्षेत्र की मछलियों को अपने क्षेत्र की ओर खदेड़ सकते हैं और अपने मछुआरों की मदद कर सकते हैं। अतः हमारे अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए। इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। निःसन्देह तट रक्षक हैं। वे कदम उठा रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्री हमारे बाहरी अंग के निगरानी कर्ता और रक्षक हैं और हमारी आंतरिक मामलों की निगरानी हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं। आप देश की दीवार हैं। आप में दरार नहीं आनी चाहिए।

मुझे यह कहना चाहिए कि भारत एक बड़ा देश है। लेकिन हमें बातें गुप्त रखनी चाहिए। हमें उन्हें उजागर नहीं करना चाहिए। यदि हम उन्हें उजागर करते हैं तो उन सबको इनके बारे में पता चल जावेगा। हमारे राज्य और केन्द्र मजबूत हैं। यद्यपि बहुदलीय शासन है, तो भी यह तीन वर्षों से भी अधिक समय तक कार्य कर चुका है। इसलिए यह स्थिर सरकार है और पड़ोसी देश हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की ओर प्रवृत्ति नहीं हो सकेंगे।

हमारे प्रधान मंत्री कुआलालम्पुर गये थे। मलेशिया की अध्यक्षता में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। विषय था—गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नया जीवन प्रदान करना। इस आंदोलन में फिर से जान फूंकी जानी है। मैं सोचता हूं भारत सरकार ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन को सशक्त बनाया होगा।

भारत को गुटनिरपेक्ष रहना चाहिए। हम किसी गुट में शामिल नहीं हो सकते। छोटे देश एक या दूसरे गुट में शामिल हो जाते हैं जैसे नाटो, सीटो, और सेंटो। वे छोटे देश हैं। वे स्वयं की रक्षा नहीं कर पायेंगे। उन्हें किसी का आश्रय, किसी देश का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन भारत एक बड़ा देश है। इसलिए, हमें आत्म निर्भर होना चाहिए। हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। जवाहर लाल नेहरू, नासिर और टीटो ने यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

इस प्रकार से, हमारे पड़ोसी देशों के बीच एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को फिर से सशक्त बनाया जाना चाहिए। हमारे सभी पड़ोसी देश छोटे हैं और वे हम पर निर्भर हैं। भूटान एक छोटा पड़ोसी है, नेपाल छोटा देश है और बांग्लादेश भी एक छोटा देश है। अनुदान और ऋण देकर हमने बंग्लादेश की सहायता की है। हमने बंग्लादेश को अपने रेल इंजन दिए हैं। यह ऋण के रूप में था। उन्होंने आज की तिथि तक इसका भुगतान भी नहीं किया है। इसलिए भारत के पास, यद्यपि एक बड़ा देश है, राजस्व के कम स्रोत हैं। इसी से हम अपने पड़ोसियों की सहायता कर पाने सक्षम रहे हैं यहां पर गरीबी उपशमन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ हम अपने यहां के और हमारे चारों ओर के पड़ोसी देशों में रहने वाले गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

ऐसी दशा में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अब तक आई.एस.आई. की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं। वे हमारे देश में 500 रु. के नकली नोट चला रहे हैं। वे हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं? मैं यह जानना चाहता हूं।

मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं विदेशी मामलों की परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं। इसलिए, मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं।

[श्री पी.एच. पांडियन]

माननीय विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के विदेश सचिव से मिलने के लिए ब्रिटेन की यात्रा की। उन्होंने उनसे मुलाकात की होगी। उस बैठक का परिणाम क्या है? आपने उस बैठक में क्या चर्चा की?

लोकतंत्र और मानवाधिकार के हरारे सिद्धान्तों के उल्लंघन से निबटने के लिए 1995 का मिलबुक एक्शन प्लान है। मैं जानना चाहूंगा कि सम्मेलन के दौरान क्या निर्णय लिया गया। मैं दक्षिणी अफ्रीका विकास समुदाय एस ए डी सी के बारे में जानना चाहूंगा। यह दक्षिण अफ्रीका के चौदह देशों यथा आंगोला, कांगो और अन्य अफ्रीकी देशों का क्षेत्रीय संगठन है। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद क्या हुआ?

मैं भारत-लीबिया संयुक्त आयोग के विषय में जानना चाहूंगा। मेरे विचार से आप 19 अक्तूबर, 2002 के बाद उनसे मिले होगें। इस बैठक के बाद गत एक वर्ष में क्या हुआ?

सभापति महोदया: श्री पांडियन, आपको अब समाप्त करना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन: फिर, भारत-यमन संयुक्त समिति है। आप हमें कार्यक्रम का सार दिया है। सभा को यह बताइए भारत-यमन संयुक्त समिति की बैठक जो 30 से 31 अक्तूबर, 2002 को दिल्ली में हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिए गए। एक वर्ष बीत गया हैं।

अपराह्न 5.00

अत: सम्भवत: उन्होंने विभाग को जानकारी दी होगी किन्तु सभा को अब तक इसकी जानकारी नहीं है। अत: हमें जानने दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत कहां है और हमे जानने दीजिए कहां भारत का वर्चस्व है। हमारे लोग सोचते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में वर्चस्व रखते हैं। हमें अमरीका के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं हैं। वह पहलू पूर्णत: भिन्न है। हम स्वावलंबी हैं। हम अत्यधिक लोकतांत्रिक हैं और हमारा लोकतंत्र विश्व से सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और समूचे विश्व में यह सर्वाधिक सफल सिद्ध हुआ हैं।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय अच्छा कार्य कर रहा है। कुछ कमियां हो सकती हैं किन्तु वे प्रकाश में नहीं भी आ सकती हैं। यदि देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई मुद्दा है तो यहां गर्मागर्म बहस होगी और वह प्रकाश में आएगा, किन्तु यहां स्थिति भिन्न है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। देश की विदेश नीति केन्द्र सरकार द्वारा बनायी जाती है और सभी राजनीतिक दल सभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार से साथ सहयोग कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्री जो भूतपूर्व वित्त मंत्री के उनके द्वारा प्रस्तुत विदेश मंत्रालय के अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति महोदया, सौभाग्य से तीन साढ़े तीन साल के बाद 13वीं लोक सभा में यह पहला मौका है जब विदेश नीति पर हमें बातचीत का मौका मिला। आम तौर यह देखने में आया है और हमारे यहां एक प्रवृति है जो शायद राजनीतिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है कि इस पक्ष से कोई बोलेगा। तो वह आंख मूंदकर आलोचना करता चला जायेगा। कम से कम यह राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता क्यों कि हमारे देश में परम्परा रही है कि विदेश नीति के मामले में हमने अभी तक राष्ट्रीय आम सहमति से काम लिया है। अब यह बात खटकने लगी है कि पिछली सरकार के समय में यह आम सहमति थोड़ी सी ध्वस्त हुई लेकिन सब कुछ गलत नहीं है और सब कुछ ठीक नहीं है, यह मेरी मान्यता है।

विश्व का राजनीतिक परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा है। पिछले एक दशक में विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। आज विभिन्न आधारों पर ध्रुवीकरण हो रहा है जो पुरानी व्यवस्था को तोड़कर नयी व्यवस्था को जन्म देने का शायद प्रयास कर रहा है। अब व्यवस्था अच्छी होगी या नहीं होगी, यह तो भविष्य बताएगा। यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात सच है और उस सच को बदला नहीं जा सकता कि किसी देश की विदेश नीति उस राष्ट्र के आर्थिक राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अहत्वाकांक्षाओं के लक्ष्यों को पाने का और सेना के बिना उपयोग के, उन्हें हासिल करने की एक कूटनीतिक कला है। इस दृष्टि से हम देखें तो दो बातें उभरकर सामने आती हैं। पहली बात वह है कि किसी देश की विदेश नीति उसकी अपनी घरेलू परिस्थितियों से अलग हटकर नहीं हो सकती। उस देश की गृह नीति, आर्थिक नीति और सुरक्षा नीति, रक्षा नीति आदि ये तीन नीतियां विदेश नीति के अंदर एकीकृत रूप में समाहित होंगी। अगर नहीं तो, मैं समझता हूं कि वह विदेश नीति दोषपूर्ण है। इसलिए पहले यह देखें कि हम आज वर्तमान में अपनी विदेश नीति पर जो चर्चा कर रहे हैं तो इन बिन्दुओं के आधार पर समीक्षा करें और यह देखें कि हम कहां खड़े हैं।

माननीय सभापति महोदया, हमारी विदेश नीति के तीन मूल तत्व हैं जो हमें अभी तक देखने में आये हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय गुटों से परे हटकर गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया। हम इसके आरंभिक सदस्यों में से हैं। उसके प्रणेता सदस्यों में भारत रहा है। दूसरी बात हमने जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया और जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिकोग्नाइज्ड किया गया, मान्यता मिली, हमारे देश को प्रशंसा और सम्मान भी हासिल हुआ, वह थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आणविक निशस्त्रीकरण। सम्पूर्ण निशस्त्रीकरण के बारे में हम सबसे

बड़े वकील के रूप में, सबसे बड़े एडवोकेट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाते रहे हैं। और प्रभावी ढंग से पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा जी और उसके बाद राजीव जी के जमाने तक हम इसे निरंतरता के साथ जारी रखते रहे हैं। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का हमारा मूलत: जो सिद्धान्त था, वह इस बात पर आधारित था कि हम समानता के आधार पर सभी देशों से अपने संबंध चाहते हैं, उनको समानता के स्तर पर मानते हैं और प्रत्येक राष्ट्र की सार्वभौमिकता का हम सम्मान करते हैं। आज देखें तो हम कहां खड़े हैं। पिछले कुछ वर्षों के अंदर भारत की गृह नीति, घरेलू हालात एक गुणात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरे हैं। अभी तक वह भारत, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में तमाम विविधाओं के बावजूद इस बात के लिए सम्मानित किया जाता था कि उसमें विविधताओं के बावजूद एकजुटता है, तमाम भाषाई विविधताओं, सांस्कृतिक विविधताओं, धार्मिक, क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद समूचा राष्ट्र एक संगठित राष्ट्र के रूप में देखा जाता था लेकिन, पिछलों दिनों धार्मिक आधार पर राजनैतिक आधार पर देश के अन्दर विभाजन की रेखा खींचने के जो प्रयास हुए हैं, उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। हमारी विश्वसनीयता पर कलंक लगा है। न सिर्फ मुस्लिम देशों में हमारे प्रति शंका जाहिर की गई है बल्कि उन पाश्चात्य देशों में, जो आज मुस्लिम देशों के बड़े समर्थक नहीं हैं, वहां भी हमें शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। पहली जरूरत इस बात की है विदेश नीति के सफल संचालन के लिए, कारगर संचालन के लिए हम पहले अपने घर के हालात सुधारें। देश के अंदर जितना अलगाववाद बढ़ेगा, इस देश के अन्दर पृथकतावाद को जितनी ज्यादा हवा मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारी आवाज उतनी कमजोर होगी, उतनी प्रभावित होगी। अगर हमें विदेश नीति का संचालन या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपना स्तर वही बनाए रखना है तो यह जरूरी है, कि हम सबसे पहले अपने घरेलू हालात पर ध्यान दें। जो देश इंदिरा जी, राजीव जी के जमाने में तमाम देशों, 108 गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व करता था, आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उसकी स्थिति क्या है, इसके चंद उदाहरण आप देखें।

सभापति महोदय, पिछले दिनों अखबारों में आपने देखा कि अनेक देशों के अंदर एक साथ कई घटनाएं हुई और उसमें हमने यह पढ़ा जो चिन्ता का विषय बना, हिन्दुस्तान में एडीटोरियल्स लिखे गए कि भारतीय आई.टी. विशेषज्ञों के ऊपर तमाम देशों के अंदर हमले हुए, व्यापारियों पर हमले होने शुरू हो गए, उनकी गिरफ्तारियां अनावश्यक रूप से की जाने लगीं और वे असम्मानित, अपमानित किए जाने लगे। क्या यह वही देश है जो 108 देशों का नेतृत्व करता था? आज यहां तक स्थिति आ गई।

अमरीका परस्ती की भी बहुत सी बातें की गई हैं जिनका खंडन भी हमारे कुछ दोस्तों ने किया। मैं मानता हूं कि जीओ पोलीटिकल रियलिटीज, जो भू-राजनैतिक वास्तविकताएं हैं, उनसे आंख मूंद कर कोई देश नहीं चल सकता। परिवर्तन आए हैं। स्थिरता की ओर सब जगह गुण-दोषों की चाहे जितनी प्रशंसा की जाती हो लेकिन विदेश नीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थिरता जैसा कोई शब्द नहीं होता, वहां डायनामिज़्म होता है। इस परिवर्तन शीलता का मैं हामी हूं किन्तु किस हद तक। क्या इस हद तक कि कारगिल युद्ध के बाद हमारे यहां जब राष्ट्रपति क्लिंटन आते हैं और सैंट्रल हाल में संबोधित करते हैं तो वे हमारे मुंह पर एक तमाचा जड़ कर चले जाते हैं कि आपके हटाने से पाकिस्तानी फौजें कारगिल से नहीं हटी हैं, मैंने उनको निर्देश दिया था, उसके बाद वे हटी हैं। हमारा समूचा राष्ट्रीय राजनैतिक नेतृत्व वहीं बैठा रहा और एक शब्द भी हमारे मुंह से नहीं निकला। हमने अपनी फौजों की ताकत के बल पर उनको वहां से हटाया है न कि आपकी कृपा के आधार पर। यह कहने का राष्ट्रीय आत्मसम्मान को बनाये रखने का हमारा कर्तव्य बनता था और यह राष्ट्रीय शर्म की बात है कि हमारा समूचा नेतृत्व खामोश रहा।

कश्मीर समस्या और चीन के साथ हमारे संबंध हम चाहे जितना इंकार करें, सच्चाई यह है कि आज तमाम देशों के साथ हमारे संबंधों पर इन दो समस्याओं की छाया जरूर मौजूद रही है। पाकिस्तान-सैंट्रिक हो गए या चाइना-फौबिया हो गया, हमें इस तरह के कई वाक्य बोले गये। मैं उसमें विश्वास नहीं करता लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कश्मीर हमारी समस्या है। प्रधान मंत्री जी ने भी कई बार कहा। इसको हल करने कोई बाहर से नहीं आएगा। इस समस्या को हमें अपनी क्षमता, दक्षता और सामर्थ्य से हल करना होगा। हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त करने वाले अनेक देश हो सकते हैं। हमें मनोवैज्ञानिक रूप से समर्थन देने वाले कुछ मित्र राष्ट्र हो सकते हैं लेकिन करना हमें पड़ेगा और हो क्या रहा है? कश्मीर के बारे में सरकार की नीति क्या है? पिछले चार वर्षों में इस सरकार की कश्मीर की नीति है या नीतिहीनता है, मैं इस पर चिंतित हूं। सबसे पहले यह सरकार नेशनल कांफ्रेंस के लोगों को जेलों से रिहा कर देती है। अब कुछ न कुछ बातें तो ट्रैक-2 और ट्रैक-4 पर हुई। संभावना यह थी कि हुर्रियत से बातचीत करके कश्मीर की समस्या का हल निकालने की कोशिश होगी लेकिन हुर्रियत से बात शुरू भी नहीं हो पाई कि पहले ही टूट गई। हुर्रियत से बात टूटने से पहले हिजबुल-मुजाहिदीन के एक वर्ग से बात शुरू हो गई। हुर्रियत वाले नाराज हो गये, नेशनल कांफ्रेस वाले नाराज हो गये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: लोगों ने 25 मिनट लिए हैं। मैंने अभी शुरू किया है।

सभापति महोदया: मुझे पता है। मैं दल को दिए गए समय के अनुसार चल रहा हूं। मैं प्रत्येक को 15 मिनट दे सकती हूं। आपने 12 मिनट पूरे कर लिए हैं। दो और वक्ता हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदया, मैं अपना नाम वापस लेता हूं। आप कृपया मेरा समय इन्हें दे दें।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हुर्रियत प्रतिनिधि मंडल से बातचीत पूरी भी नहीं हो पाई कि हिज़बुल-मुजाहिदीन से बात शुरू हो गई। घोषणा हो गई कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं, हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे, किसी से भी बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके दूसरे दिन, हर क्षण, हर पल, हर दिन और हर हफ्ते में इस सरकार की नीति कैसे बदलती है, इस तमाशा यह देखने को मिला कि रमजान के महीने में एकतरफा युद्धबंदी की घोषणा हो गई। अब इस युद्धबंदी के परिणाम हमारे सीमा सुरक्षा बलों पर, रक्षा बलों पर उनके मनोबल पर इसका क्या असर पड़ा यह बहुत बड़ा विषय है जिस पर बहस की जा सकती है लेकिन समय की कमी है और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक तरफ हम बात न करने की करते हैं कि घुसपैठ को बंद किए बिना आतंकवाद बंद नहीं होगा और उसके बाद आगरा में तत्काल मुशर्रफ जी को बुला लेते हैं और आगरा में जो कुछ हुआ और जिस तरह से हुआ, यह सब एक इतिहास का हिस्सा है। सारा विश्व यह मानकर चला कि हम जैसे नौसिखिए राजनीति करने वाले हैं और एक जनरल आकर हमें राजनीति और कूटनीति में मात देकर चला गया। हम बिना तैयारी के वहां मुंह ताकते रह गए। इससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारी प्रतिष्ठा पर जो बट्टा लगा है, उससे इंकार आप भी न करें और करना चाहें तो आपकी मर्जी। सच्चाइयां तो बदल नहीं जाएगी। के.सी. पंत जी को वहां का वार्ताकार नियुक्त किया लेकिन कोई मिलने वाला नहीं आया। चलिए के.सी. पंत जी को छोड़िए। फिर कश्मीर कमेटी बना दी गई। उसके हैड हमारे पूर्व कानून मंत्री जेठमलानी जी बनाए गए। वे वहां गए और लोगों से मिले। किन लोगों से मिले, हमें नहीं मालूम। लेकिन वहां से कुछ लोग जब वहां मिलने आए तो दिल्ली की सरकार ने उनसे मिलने से साफ मना कर दिया। उसके बाद वहां चुनाव हुआ और मुफ्ती मुहम्मद साहब की सरकार बनी। उस वक्त से मुफ्ती मुहम्मद साहब की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निशाने पर है। पिछले तीन महीने से निरंतर एक के बाद एक उस सरकार के खिलाफ तीर चलाने का काम किया जा रहा है, उस सरकार को डिमोरेलाइज करने का काम किया जा रहा है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): वहां की सरकार तो सर्टिफिकेट दे रही है कि केन्द्र हमारी मदद कर रहा है। क्या आपने मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट नहीं देखा?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मैं उस पर भी आऊंगा और इसका उत्तर दूंगा। तीन महीने लगातार आक्रमण करने के बाद अभी जब प्रधान मंत्री जी जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गए तो कुछ वहां की सरकार के बारे में सकारात्मक बयान दिया गया। उसके बाद जब जाकर प्रधान मंत्री जी के पहुंचने के बाद जो वहां उन्होंने आश्वासन दिए हैं, उसकी प्रतिक्रियास्वरूप मुफ्ती मुहम्मद साहब का स्टेटमेंट आया है। चुनाव के बाद से लेकर अभी तक मुफ्ती मुहम्मद साहब की सरकार के अलावा और कौन था वहां, वही छः लोग थे, जिनको चार-पांच बार आपकी सरकार में रहते नेशनल कांफ्रेस ने, जिसकी वहां सरकार थी जेल से रिहा किया था, उन्हीं लोगों के फिर से मुफ्ती मुहम्मद साहब की सरकार ने रिलीज किया था, तो इसको लेकर इतना शोर क्यों किया गया, कौन से लक्ष्य प्राप्त हो रहे थे। संसद पर हमला हुआ, वहां फौजें भेजी गईं। बिग्गेस्ट मोबिलाइजेशन इन इंडिया। दस महीनें तक वहां फौजें रहीं। मैंने तब गृह मंत्री से पूछा था कि आपने दस महीने तक फौजें वहां रखीं, कुछ राजनीतिक लक्ष्य वहां रहे होंगे, कुछ सैनिक लक्ष्य रहे होंगे, क्या हमें वे हासिल हुए। जो आरपार की लड़ाई की बात हो रही थी, वह तो आर ही आर रह गया, अचानक दस महीने के बाद फौजें वापस बुला ली गईं। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका के दबाव में यह काम किया गया, मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा। मैं मानना भी नहीं चाहता कि ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ है तो यह 100 करोड़ की आबादी वाले राष्ट्र के लिए 30 लाख की फौज वाले देश के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आज सारे देश और देश के बाहर अन्य देशों में भारत की स्थित बड़ी हास्यास्पद बनी हुई है। हमारे सामने यह होना चाहिए कि एक संतुलित विदेश नीति बनाने के पहले हम एक स्पष्ट गृह नीति बनाएं। हम पहले अपना घर सम्हालें। हम अमेरिका यह अपेक्षा करते हैं कि वह पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे, लेकिन हमारी सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अभी तक दिया हुआ है। फिर आप दूसरों से कैसे अपेक्षा करते हैं कि वह पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे। यह कौन सी नीति है, इसको आप स्पष्ट करें।

अंत में मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज हमें एक संतुलित विदेश नीति की आवश्यकता है। वह राष्ट्रीय आम सहमति से ही बनाई जा सकती है। उससे अगर हम अपनी राजनीतिक विचारधाराओं का पुट देंगे तो आम सहमति नष्ट हो जाएगी और वह राष्ट्र के हित में नहीं होगी। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करके एक समग्र विदेश नीति बनाएं। हमें विस्तार से अपनी विदेश नीति बनानी होगी। हमारे

अल्पकालिक और तात्कालिक लक्ष्य क्या हैं, उनको प्राप्त करने की रणनीति क्या होगी, मध्यकालिक नीतिक क्या होगी, वह सुपरिभाषित हो, स्पष्ट हो। इसी से दीर्घकालिक नीति स्पष्ट हो। फिर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका का रणनीति क्या होगी, इस पर समग्र चिंतन हो।

आपका विदेश मंत्रालय का ढांचा बहुत पुराना है, पुरानी पद्धति वाला है। दुनिया में बड़ा परिवर्तन आ गया है। थोड़ा बुहत परिवर्तन बीच में हुआ है। इस बात की आवश्यकता है इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करें। इस समूचे विदेश मंत्रालय के और आपके जो बाहर दूतावास या अन्य इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में विचार करना होगा, समग्र रूप से नया पुनर्गठन करने की जरूरत है। नई पद्धतियां, आधुनिक पद्धतियां अपनाने की आवश्यकता है। अन्य देशों के अंदर सारी पद्धतियां बदल गई हैं। तीन विभिन्न स्रोतों से सारी जानकारियां इकट्ठी होती हैं। एक जगह पर केन्द्रीकृत सिस्टम उसके पास बना है। जहां पूरी जानकारियां एनेलाइज की जाती हैं और पूरी समीक्षा करने के बाद ऐतिहासिक संदर्भों में सब अलग-अलग प्रभागों में उनकी समीक्षा होने के बाद फिर से उससे निष्कर्ष निकालते हैं। यहां भी परीक्षण के दौर से गुजरते हैं और इस तरह छनते-छनते फिर विदेश नीति, रणनीति, का निर्धारण होना चाहिए। मैं जानता हूं आज भी हम बाबा आदम के जमाने की पुरानी पद्धति से ही काम कर रहे हैं। आधुनिक युग की चुनौतियों को भारत के आधुनिक युग के लक्ष्यों को पाने के लिए एक संरचना की जरूरत है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए। हमारे इंडियन ओशियन के दो राष्ट्रों से सम्बन्धों के बारे में समग्रता से विचार होना चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत ने हिन्दुस्तान में सुरक्षा के उपाय हिन्दुस्तान के अंदर नहीं, ईरान के अंदर, तिब्बत के अंदर और देश के बाहर बर्मा के अंदर फ्रंटियर्स खोले थे, वहां से हिन्दुस्तान की सुरक्षा होती थी, वक्त बदल गया, सम्बन्धों को नए सिरे से, नए रूप में विकसित करना होगा। गल्फ में भी, दक्षिण अफ्रीका में भी और जो आप ईस्ट लुक की पालसी की बात कहते हैं, उसको भी देखना होगा। ईस्ट लुक पालिसी की बात जरूर हुई है, लेकिन इसको जितना इम्पीटस मिलना चाहिए, जितना फोकस मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। ताइवान जैसा देश, मुझे मालूम है आप की कुछ हैजीटेंशंस हैं, लेकिन वह आर्थिक रूप से काफी आगे है। वह भी डब्ल्यू.टी.ओ. का सदस्य है और हम भी हैं। जब चीन उससे व्यापार कर सकता है और वहां अरबों डालर का निवेश कर सकता है तो हमारे भी उससे व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाए जा सकते हैं।

बातें बहुत थीं, लेकिन समय कम है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विदेश नीति को पार्टिजन तरीके से देखना बंद करना होगा। इसे हमें समग्र रूप में देखना होगा। दूरगामी राष्ट्रीय हितों को लक्ष्य में रखते हुए देखना होगा और गंभीर चिंतन करना होगा। मैं इस अपेक्षा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि सम्भवत: कि मेरी कुछ कड़वी-मीठी बातों से शायद कुछ परिवर्तन आए, कुछ सुधार आए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री भर्तृहरि महताब, आप अपना भाषण 10 मिनट में समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं ऐसा करने का प्रयास करूंगा।

मैं मूलत: तीन या चार बातों का उल्लेख करना चाहुंगा। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कि हम आज एकध्रुवीय विश्व में रह रहे हैं। गत 56 वर्षों से केवल एक ही संस्थान जिसने स्वत: बहु पक्षीयता के झंडे को लहराया है या बहुध्रुवीयता का प्रमाण प्रस्तुत किया है, वह संयक्त राष्ट्र है। मैं यहां गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का भी उल्लेख करना चाहता हूं जिसका मेरे विचार से कई बार उल्लेख किया गया था, अब आन्दोलन नहीं रह गया है। जब हम इराक की स्थिति गठबंधन ताकतों द्वारा इराक पर हमले की चर्चा करे तो हमे यह कहने तक अपने को सीमित न रखें कि केवल अमरीकी सेनाएं ऐसा कर रही थी बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि ऐसा गठबंधन ताकतें भी कर रही हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया संयुक्त राष्ट्र वस्तुत: शीत युद्ध का परिणाम है जैसा कि विभिन्न क्षेत्रों में कहा गया है यह मूक दर्शक मात्र था। साथ ही मैं यहां अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अब एक आन्दोलन नहीं रहा। अब यह एक क्लब बन गया है जहां लगभग 103 या 107 राष्ट्राध्यक्ष या सरकारों के प्रमुख लगभग एक सप्ताह के लिए एकत्रित होते हैं और विभिन्न स्थितियों और मुद्दों पर अपने विचार और दृष्टिकोण सामने रखते हैं।

बांग्लादेश और कश्मीर की स्थिति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। मेरा दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न है, मैं नहीं जानता कि अन्य लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। सत्तर के दशक के दौरान मैं भी एक विद्यार्थी था जैसा कि श्री खारवेल स्वाई ने उल्लेख किया कि वह राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी थे। हमने एक ही कालेज में शिक्षा प्राप्त की है हालांकि वह मुझसे कुछ वर्ष वरिष्ठ हैं। दिसम्बर 1971 में भारतीय सेना के साथ मुक्तिवाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांग्ला देश में प्रवेश किया था। आज 32 वर्षों के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है। वह सवाल है कि 1971 में, या 1977 में भी और श्रीमती गांधी के 1980 से 1984 के शासन काल के दौरान भी, बाद में भी मैंने यहां कहा है कि वह ऐतिहसिक क्षण था।

[श्री भर्तृहरि महताब]

मुझे जनरल नियाजी के आत्मसमर्पण के चित्र से खुशी मिलती है, उस समय टेलीवीजन नहीं था, हमें खुशी हुई कि हमें यह गौरवपूर्ण क्षण प्राप्त हुआ है और भारतीय सेना ने वह प्राप्त कर लिया जिसे पाने के लिए हमने 1965 में प्रयास किया था और 1962 मे असफल रहे। इससे हमें प्रतिष्ठा मिली है, प्रत्येक भारतीय जब भी विश्व में कहीं भी जाता तो गौरवान्नित होता था लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न रह-रह कर उठता है, कि क्या हमने सही काम किया है? क्या हमने कश्मीर के संबंध में अच्छा काम किया है जब हम यह देखते है कि कश्मीर में हर दिन खून बह रहा है? आज यह कत्ल गाह बन गया है। यह शायद 1987 या 1948 से आरंभ हुआ है। हर वर्ष या हर माह कश्मीर में भारतीयों का खून बह रहा है। प्रश्न यह है कि क्या हमने 1971-1972 में सही कार्य किया था। जब पूर्वी पाकिस्तान था तो हर दिन वहां खून बहता था। 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, पाकिस्तान को इस सड़े हुए क्षेत्र से छुटकारा मिल गया था और आज वह कुछ अलग कारणों से कश्मीर पर अधिक केन्द्रित हैं। लेकिन हमारे लिए आज बांग्लादेश दूसरा कांटा बन गया है। हमने सोचा था कि पाकिस्तान पूरी तरह से पश्चिमी सीमा तक सीमित हो जाएगा और हमारी पूवी सीमा सुरक्षित रहेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि यह प्रश्न मेरे मन में रह रह कर उठता है। यह औरों के मन में भी उठता होगा।

मैने पहले भी कहा था कि जब हम किसी देश की विदेश नीति के बारे में चर्चा करते हैं तो किसी देश का एक मात्र हित-चाहे यह राजनयिक हो या कुछ और - भावनात्मक नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित होता है, कई बातें कही गई है, कई नीतियां निर्धारित की गई है और भावनात्मक कारणों पर काफी धन व्यय किया गया है, यह वियतनाम युद्ध से पहले हो सकता है, यह कई अन्य कारणों से हो सकता है लेकिन हमारा राष्ट्रीय हित क्या था? आज हमारा हित का क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय हित कुछ नहीं हो सकता लेकिन बहुत आपके मायने रखता है। मुझे याद है यह तब हुआ था जब श्री मणि शंकर अय्यर 1999 में सेवारत थे। वह वहां उपस्थिति थे।

मुझे बेलग्रेड में नौवें 'नाम' सम्मेलन में शामिल होने का अवसर मिला था। हमें वहां अंतिम रात को 10.30 बजे के लगभग सम्मेलन कक्ष में इतिहास में जुड़ने वाले नये अध्याय के साक्षी के रूप में आमंत्रित किया गया। हमने डा. जूनियस नेरेरे के भाषण को सुना, उनके साथ हमारे तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भी थे। वहां "ग्रुप-15" का गठन किया गया। वर्ष 1989 में सभी नेताओं और सदस्यों को लगा कि यह आगे बढ़ने का सही रास्ता नहीं है क्योंकि 'नाम' धीरे-धीरे उभर कर आ रहा था, व्यापार और वाणिज्य केन्द्रीय वस्तु होने चाहिए और हमें ग्रुप-15 को वहां चाहिए जब उपनिवेश के पतन के कई वर्षों के पश्चात् हितकर द्वारा उपनिवेशी शक्तियों को समाप्त करने के पश्चात, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे हम निपट सकते हैं

लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शक्ति के केन्द्रों में थोड़ा परिवर्तन हुआ, आज भी विश्व में उपनिवेशवाद व्याप्त है लेकिन दूसरे रूप में।

आज जब भारतीय व्यापारी अन्य देशों विशेषकर लेटिन अमरीकी या अफ्रीकी देशों से व्यापार और वाणिज्य करते है तो हमारे व्यापार को वाणिज्य को पेरिस, फ्रेंकफर्ट या लंदन के बरास्ते होकर जाना पड़ता है। हम लेटिन अमरीकी देशों के साथ सीधे या किसी विकासशील देश के माध्यम से व्यापार नहीं कर सकते हैं।

हम अफ्रीकी देशों में कैरो या दक्षिण अफ्रीका या किसी अन्य देश के माध्यम से नहीं पहुंच सकते हैं, हमें जर्मनी, फ्रांस या लंदन के बरास्ते जाना पड़ता है और व्यापार और वाणिज्य इन्हीं स्थानों से निर्धारित किया जाता है। अभी भी वही पुरानी उपनिवेशी प्रक्रिया व्याप्त है। यदि आप धनी बनना चाहते हैं, यदि आप आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो भारत को मजबूत करने का प्रयास करने होंगे लेकिन आज प्रश्न उठता है कि इस देश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मैं इस बात से सहमत हूं कि जब हम विदेशी संबंधों की बात करते है तो कई पहलुओं पर चर्चा करते हैं, एक पहलू यह भी है कि हम अपने पड़ांसियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते है। हम उनके साथ कितने मित्रवत हैं, हमारे पड़ोसी हम पर कितना विश्वास करते है और हमारे साथ वे किस सीमा तक आ सकते हैं। उनमें भाई-चारे की भावना उत्पन्न करने के लिए हमारे जैसे बड़े देश को उन्हें राजनयिक तौर से वित्तीय, नैतिक और भावनात्मक रूप से सहायता देनी होगी।

अपराह्न 5.33 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मैं जानता हूं कि कि भूटान में कई परियोजनाओं में भारी धन व्यय किया गया है। यद्यपि म्यांमार में थोड़े बहुत प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी बांग्लादेश और नेपाल में बड़े निवेश हेतु हमें अपने खजाने खोलने होंगे। पाकिस्तान के साथ पुरानी सिंधु संधि हुई है। फिर भी कई पहलू ऐसे है जिस पर हम कार्य कर सकते है। लेकिन मेरी चिंता यह हैं कि गत 56-57 वर्षों से हम मुख्यत: कश्मीर पर केन्द्रित रहे है। हमें इस स्थिति से निपटना होगा और हमें अपनी घरेलू समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

मैं व्यापार और वाणिज्य की बात कर रहा था। एक समय भारत व्यापार और वाणिज्य में धनी हुआ करता था। उस समय हम हिन्द महासागर की सामुद्रिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन बाद में मध्य युग में अरब के लोगों का इस पर नियंत्रण हो गया, फिर भी, यूरोपवासियों ने अरब के लोगों को हटा दिया और अब यही कारण है कि कि कैसे उन्होंने हमारी भूमि पर लम्बे समय तक नियंत्रण किया था।

अब मैं इतिहास के अन्य पहलू पर आऊंगा। यह पहलू है कि पहली शक्ति सेना ने दिखाई, जिसने भूमि पर नियंत्रण किया और सेना के द्वारा उस शक्ति केन्द्र ने विश्व पर नियंत्रण किया। वे महाशक्ति थे। किसी समय थोड़ी अवधि के लिए यूनान बड़ी शक्ति था लेकिन लंबी अवधि तक रोम एक बड़ी शक्ति रहा। लेकिन बाद में मध्य काल में 19वीं शदी के अंत के आस-पास भी समुद्र को नियंत्रण में करने वाले ने विश्व में शक्ति को नियंत्रित किया। 20वीं सदी में वे लोग यूरोप के लोग थे, जिसके पास प्रथम विश्व युद्ध के बाद, आजतक भी शक्ति है वह शक्ति जो आकाश में नियंत्रित करती है पूरे विश्व की शक्ति को नियंत्रित करती हैं। हमें इन तथ्यों को स्वीकार करना होगा।

आज सोवियत संघ के विघटन के बाद, पिछले अनेक वर्षों से एक दशक से अधिक समय से यह संयुक्त राष्ट्र अमरीका है जिसका आकाश पर नियंत्रण है, और हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। यहां एक बड़ा प्रश्न है कि हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इस स्थिति से किस प्रकार पार पा सकते हैं? ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें तथा एक आर्थिक रूप में सम्पन्न राष्ट्र बनें।

मुझे यहां एक अन्य रोचक पहलू याद आता है और मैं उस पहलू को आपको बताना चाहता हूं। यद्यपि कोई गुप्त बात नहीं उस समय मैं किसी सरकारी शिष्टमंडल का सदस्य नही था; लेकिन मैं ओवल कार्यक्रम में एक प्रेस के सदस्य के रूप में उपस्थित था। उस समय श्री पी.वी. नरसिम्हाराव प्रधान मंत्री थे। ओवल कार्यालय में एक रोचक बात हुई। हम चार या पांच प्रेस से जुड़े व्यक्ति ओवल कार्यालय में उपस्थित थे और राष्ट्रपति क्लिंटन ने एक रोचक प्रश्न पूछा। शायद यह बात वर्ष 1994 की है। प्रश्न था: "प्रधान मंत्री महोदय, ऐसा क्यों है कि आप रक्षा के संबंधी क्षेत्र पर इतना अधिक व्यय क्यों कर रहे हैं? आपका राष्ट्र एक विकासशील राष्ट्र है। यह धनराशि क्षेत्र को न देकर सामाजिक क्षेत्र पर लगाई जा सकती है ताकि राष्ट्र समृद्ध हो सके।"

प्रेस के सदस्य के रूप में हम सब यह सुनने के लिए उत्सुक थे कि प्रधानमंत्री क्या प्रतिक्रिया व्यक्त लाते हैं। यद्यपि यह बहुत पेचीदा प्रश्न था। यह बड़ी नाजुक स्थिति थी कि प्रेस के तीन या चार सदस्यों के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने ओवल कार्यालय में हमारे प्रधान मंत्री से वह प्रश्न पूछा....*(व्यवधान)*। इसीलिए वे इस तरह से जाने जाते हैं।

लेकिन राव साहब को शब्द के असली अर्थ की समझ थी। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वह केवल कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बोल रहे थे बल्कि वह हमारे महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुझे उनका उत्तर याद है क्योंकि उस उत्तर से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनका उत्तर था: "भारत एक कार्यात्मक लोकतंत्र है। भारत एक प्राचीन सभ्यता है जिसने 90 वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद आजादी प्राप्त की है।" उन्होंने यह बात इसलिए स्पष्ट की क्योंकि राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा था: "चूंकि जापान ने प्रगति की है, चूंकि जर्मनी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है, तो भारत ऐसा क्यों नही कर सकता? हम आपके वायु क्षेत्रों की रक्षा करेंगे।" ये वे शब्द हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा: "हम आपके वायु क्षेत्रों की रक्षा करेंगे।" ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय अग्नि जैसी उक्त मिसाइलें व अन्य मिसाइले बन रही थीं। शायद वह उन विषयों में से था जिन पर उन्होंने आमने-सामने बैठकर चर्चा की थी। शायद, वे इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके थे। लेकिन हमारे सामने हमारे प्रधानमंत्री ने कहा: "हमने 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आजादी प्राप्त की है। राष्ट्रपति महोदय, आप हमें अपने देश के लोकतांत्रिक स्वभाव को बनाए रखने में सहायता कीजिए।" और वही वह बात समाप्त हो गई।

मुझे विश्वास है कि आज के समय में हमारी विदेश नीति सुरक्षित हाथों में है। मुझे अन्य पहलुओं पर भी बोलना था; लेकिन मैं दो-तीन मिनट और लूंगा और अपनी बात पूरी करूंगा। विश्व की बदली हुई स्थिति पर विचार करते हुए, हमें नेहरू युग से बाहर निकल कर सोचना होगा। मैं इस सभा में सुनता हूं और अनेक अन्य मंचों में भी पढ़ता हूं जहां पर अनेक विचारक हमेशा पांचवे, छठे, और सातवें, दशक में जो हुआ उसकी बात करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम किसी समय सीमा में नहीं बन्ध सकते। हमें आज की स्थिति को स्वीकार करना होगा और तदनुसार आगे बढ़ना होगा। अर्थात हम उन्नति कैसे कर सकते हैं, हम प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं और हम श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं।

आज जब हम यह स्वीकार करते हैं कि विश्व एक ध्रुवीय विश्व बन चुका है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें है यदि विश्व-बहु-ध्रुवीय विश्व बनता है तो हमे क्या करना चाहिए?

हम अपनी अपेक्षित स्थिति को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं? मेरा विचार है कि उस दशा में हमें संयुक्त राष्ट्र को अधिक कार्यात्मक बनाने के लिए प्रयास करना होगा चाहे कोई भी विदेश मंत्री तथा प्रधान मंत्री रहा हो

[श्री भर्तृहरि महताब]

गत अनेक वर्षों से भी इस संबंध में अनेक बार चर्चा होती रही हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बने। मैं अपने माननीय विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर प्रकाश डालने की अपेक्षा करूंगा।

मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि विश्व में अपने संबंधों का विस्तार करते समय व्यापार और वाणिज्य पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि जब हम अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि में करना चाहते हैं तो ऐसे में हमें अपनी आर्थिक शक्ति में भी विस्तार करना चाहिए। केवल तभी लोग हमारी बात सुनेंगे। यह मेरा अनुमान हो सकता है कि यह इस कारण है-मैं नहीं जानता कि अन्य सदस्य मुझसे सहमत होंगे या नहीं-पांच वर्षों से सफल वित्त मंत्री ने विदेश मंत्रालय की बागडोर संभाली है और इसी कारण एक सफल विदेश मंत्री ने वित्त मंत्रालय की बागडौर संभाली है।

महोदय, मैं कुछ शब्दों को अभिव्यक्ति करने तथा विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात पूरी करने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): स्पीकर साहब, आज हम यहां बहुत अहम ईश्यू पर बहस कर रहे हैं। किसी देश की फारेन पालिसी अपने देश के हितों और इंट्रेस्ट को देखकर बनती है। आज हम पहली बार पार्लियामेंट के अंदर अहम मामले पर बातचीत कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुये 55 साले से ज्यादा हो गये हैं, आधी सदी गुज़र गई। आधी सदी कोई मामूली वक्त नहीं होता है। इस आधी सदी में दुनिया का नक्शा बदल गया है और हिन्दुस्तान का नक्शा भी बदल गया है। 1947 में कागज़ात पर जो नक्शा होता था, वह आज नहीं है। रूस जैसा मुल्क बिखर गया। आज से 54 साल पहले फारेन पालिसी थी, यकीनन आज वह नहीं हो सकती लेकिन जिस वक्त हम यहां बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त हिन्दुस्तान के अंदर हमारी फारेन पालिसी पहले से ज्यादा अहमियत रखती है। युनाइटेड नेशन्स बिखर गया। उसकी ताकत खत्म हो गई है। मैं वे सब बातें दोहराना नहीं चाहता, जो मुझसे पहले हमारे साथी कह चुके हैं। युनाइटेड नेशन्स जिस मकसद को लेकर इस दुनिया के अंदर बनाया गया था, आज उसकी अहमियत खत्म हो गई है। हमारे चारों तरफ जो पड़ोसी मुमाल्लिग हैं, जिनसे पिछले 55 सालों से हमारी दोस्ती होनी चाहिये थी, उतनी दोस्ती नहीं हुई है बल्कि बहुतों के साथ हमारी दुश्मनी बढ़ी है। दुनिया के अंदर जो मुमाल्लिग दोस्त होने चाहते थे, वे दोस्त नहीं रहे और अपने नये दोस्त हम बना नहीं पाये।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती कि अगर कुछ मुमाल्लिग हमें छोड़कर चले जायें, और हमारे कुछ नये दोस्त बन जाये। सरकार दोस्त मुमाल्लिग बनाने की कोशिश कर रही है जिसके लिये हमें कोई एतराज नहीं है। अगर सरकार हिन्दुस्तान के हित में अमरीका से दोस्ती करना चाहती है तो जरूर करनी चाहिये लेकिन क्या हमें इसमें किसी हद तक कामयाबी मिली है। क्या हम उस दोस्ती को आगे बढ़ाने में कामयाब हुये हैं? क्या अमरीका ने हमें पूरी दुनिया के सामने ज़लील करने का काम नहीं किया है? अभी हमारे वज़ीरे-आलम ने कश्मीर में बहुत बयान दिया जिससे सारे हिन्दुस्तान का आवाम जुड़ा हुआ है क्योंकि इससे सारी दुनिया में हमारी फारेन पालिसी की अहमियत बढ़ती या घटती है। आज सब से बड़ा सवाल यह है कि वज़ीरे-आलम ने कश्मीर में जाकर यह बयान क्यों दिया, दिल्ली के अंदर यह बात क्यों नहीं कही कि हम पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। इस बात को कौन मना कर रहा है कि हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं होने चाहियें?

हम लगातार कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रास बार्डर टैररिज्म को खत्म करे। जिस वक्त वजीरे आजम कश्मीर में बोल रहे थे, उस वक्त फारेन मिनिस्टर दिल्ली में कह रहे थे कि जब पाकिस्तान टैररिज्म बंद नहीं करेगा, हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन कश्मीर में वजीरे-आलम कह रहे थे कि हम हर तरीके की बात पाकिस्तान से करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर के अंदर जाकर इस तरीके का बयान देना इसी अहमियत को बढ़ा देता है। एक तरफ हमारा कहना है कि हम कश्मीर के मामले में किसी से बात नहीं करेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। मेरा कहना है कि यह बयान टैररिज्म को और मजबूत कर देगा। हम इस बात को मान रहे हैं कि कश्मीर का मामला डिस्प्यूटिड है। अगर कश्मीर के मसले को हल करना है तो पाकिस्तान भी एक पार्टी है। वह हमारी पूरी फारेन पालिसी को बदल देगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस हाउस के अंदर वाजे तौर पर कहना चाहिए कि इस मामले में हमारी क्या पालिसी है। क्या इन हालात के अंदर हम पाकिस्तान से बात करने को तैयार हैं, क्या कश्मीर का मुद्दा हम पाकिस्तान के साथ बात करके हल करना चाहते हैं। एक तरफ हम लगातार कह रहे हैं कि श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद, जम्मू-कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, टैररिस्टों को छोड़ रहे हैं, कश्मीर की समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इसी हाउस में एक बार कह चुका हूं कि 54 सालों में कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, लेकिन कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक मुफ्ती मुहम्मद सईद की सरकार, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उन्हें टाइम देना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। वह अपने तौर पर जिस तरह से हल करना, चाहें, इस मसले को हल कर दें। दो साल-चार साल के बाद देखें, अगर

वह नाकाम हो जाते हैं तो हम भी कहेंगे कि ये कमियां आपकी रहीं, अगर ये न होती तो शायद कामयाब हो जाते। लेकिन कश्मीर के अंदर ऐसा बयान देना, मैं नहीं समझता कि यह बहुत ज्यादा सही बात थी।

अध्यक्ष महोदय, इराक की यहां बहुत चर्चा हो चुकी है। चाहे इराक का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, तमाम मामलात जाकर अमरीका से जुड़ जाते हैं और हमारी फारेन पालिसी में जिस तरीके की बातें इस रिपोर्ट में अमरीका को लेकर कही गई हैं, इराक के बारे में बहुत तलाश कर रहा था, जिसे अमरीका ने तबाह और बरबाद कर दिया, जो मजलूमियत की एक कहानी बता रहा है, इस पूरी रिपोर्ट में बड़े मुश्किल से पांच-छः लाइनें इराक के बारे में मिली। वह इराक जो हमेशा हिन्दुस्तान का साथ देता रहा, वह इराक जिसने पाकिस्तान की जंग में, चाहे वह 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, वह किसी के साथ नहीं खड़ा था, इराक हिन्दुस्तान के साछ खड़ा था। वह इराक को यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी मदद करता रहा, मुझे बहुत मुश्किल से इसके अंदर पांच-छः लाइने मिलीं, यह लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 की है, इसमें अमरीका के मामले में सरकार का कहना है-

[अनुवाद]

11 सितंबर को अमेकिा में तथा 13 दिसंबर के भारतीय संसद पर आतंकवादी हमलों के कारण इस क्षेत्र में भारत अमेरिका संबंध गहरे हुए है।

[हिन्दी]

यह पहली बार मैं देख रहा हूं कि हम पर भी हमला हुआ, उस पर भी हमला हुआ और हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हो गये। यह किसी मुजहका किस्म की बात है। इस बात में रिश्तों को मजबूत करने का पैमाना देखिये, हिन्दुस्तान की फारेन पालिसी देखिये कि उनके ऊपर इतना भारी हमला कर दिया, हमारे ऊपर इतना भारी हमला कर दिया, हम दो दोस्त हो गये और अमरीका किस तरह से हमारे साथ दोस्ती निभा रहा है। उसने अफगास्तिान पर हमला किया, हमने कहा कि हमारी जमीन भी ले लो, हमारा आसमां भी ले लो, हम पेट्रोल भी देंगे, हम डीजल भी देंगे और अपने अड्डे भी देंगे आप हमारे पास आओ। अमरीका ने कहा, नही, हम आपके पास आने वाले नहीं है, हम पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। उसने हमें जलील करने का काम किया। जब इराक के ऊपर हमला किया तो उस पर फिर यहां बहस हुई, फिर कहा गया कि हम बीच का रास्ता निकलना चाहते हैं और आज भी यह कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता सही रास्ता था। इराक में जो कुछ हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि हमारी पालिसी यही होनी चाहिए थी। मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, क्या हम अपने दोस्त को इसलिए मरवा देंगे कि कल को हमें उससे फायदा मिलने वाला है। मैंने पहले भी इस हाउस में कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इराक अमरीका की आखिरी मंजिल नहीं है। अफगानिस्तान के बाद इराक, इराक के बाद सीरिया, उसके बाद ईरान और उसके बाद हिन्दुस्तान भी उसके निशाने पर है। यह वक्त साबित कर देगा। आज दुनिया में हमारे दोस्तों की तादात बढ़ी नहीं है, घट रही है। फारेन पालिसी अगर राजनीतिक दल अपना फायदा देखकर बनाएंगे तो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता है। जिस राजनीतिक दल की सरकार आए और वह सोचे की विदेश नीति हम अपने हिसाब से बनाएंगे तो इससे टैररिज्म भी बढ़ेगा और दुनिया के मुमालिक के लोग, उनके एजेन्ट उस मुल्क में रहना शुरू कर देंगे। फारेन पालिसी कभी राजनीतिक दलों के इंटरस्ट पर नहीं बनाई जाती है, देश के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। टैलीग्राफ ने इराक के बारे में लिखा है:-

[अनुवाद]

> "भारतीय जनता पार्टी वास्तव में छोटे व्यवसायियों की पार्टी हैं। यह पार्टी इराक संकट से प्राप्त किए जाने वाले तुच्छ फायदों से आगे नहीं देख सकती। इसके संबंध में भारतीय स्थिति राजनीतिक फायदों के बारे में निश्चित आशावादिओं का परिणाम है जैसे स्थिति सामने प्रकट होती है तो नई दिल्ली यह महसूस करती है कि इराक में युद्ध होना मुस्लिम जगत में अलग वातारवरण उत्पन्न करेगा। इराक मुस्लिम देश में अमेरिकियों की कार्रवाई की शुरूआत हैं। तदुपरांत, यह इरान सउदी अरब पाकिस्तान तथा अन्य देशों से निपटेगा। नई दिल्ली में ऐसी शक्तिशाली ताकतें हैं जो इराक में हो रहे द्वंद का साम्प्रदायिक नजरिए से देख रही हैं तथा यह विश्वास करती हैं कि भारत सभ्यताओं के इस द्वंद से फायदा उठाने का समर्थन करता है।"

[हिन्दी]

अगर फारेन पालिसी इसलिए बनेगी कि इसमें हमारे राजनीतिक दल का क्या होगा, अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि इस्लामिक टैररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। फारेन पालिसी पर डिसकस किया जा रहा है और इस्लामिक टैररिज्म की बात की जा रही है। जो रिजाल्यूशन सारे हाउस ने यूनैनिमसली पास किया था, उसकी चर्चा जिस तरह से की गई, फारेन पालिसी में राजनीतिक दलों का फायदा नहीं देखा जाता है, देश की हितों का फायदा देखा जाता है। अभी मैं दो-तीन मिनट लूंगा। आप घंटी बजाएंगे तो डिसटर्ब हो जाऊंगा। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा...*(व्यवधान)*

[श्री राशिद अलवी]

सर, बुश साहब ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि:-

[अनुवाद]

"पाकिस्तान एक मित्र और रणनीतिक सहयोगी हैं।"

[हिन्दी]

यह जुबान अमेरिका का प्रेजीडेन्ट पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है। हामिद करज़ई ने कहा है:-

[अनुवाद]

"पाकिस्तान हमारा घनिष्ठ मित्र है।"

[हिन्दी]

जिस अफगानिस्तान की नई सरकार के बारे में हम सोचते थे कि वह हमारा साथ देगी, नई सरकार बनेगी तो हिन्दुस्तान का साथ देगी, वह पाकिस्तान से ज्यादा नज़दीक है। अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा नज़दीक है और हम इस तलाश में है कि किसी तरह से अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती हो जाए और उस दोस्ती के लिए कितने मुल्कों को हम नाराज़ करने पर तुले हैं। इराक के इस वाकये में गिनती के लोग अमेरिका के साथ नहीं खड़े थे और तब भी कहा था कि सरकार को चाहिए कि आगे बढ़े और दुनिया के उन तमाम मुमालिक को लीड करे जो इराक के इन वाकये के खिलाफ हैं। फारेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें फारेन पालिसी बनाने से पहले देखना पड़ेगा कि कतर भी इराक का साथ दे रहा है, सउदी अरेबिया भी साथ दे रहा है, कुवैत भी साथ दे रहा है। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान की पालिसी यह देखकर बनेगी कि कतर की फारेन पालिसी क्या है, कुवैत की फारेन पालिसी क्या है, सउदी अरेबिया की फारेन पालिसी क्या है? ये मुमालिक नहीं हैं, अमेरिका की क़ालोनीज़ हैं जो उनके दम पर जीते हैं, उनके दम पर मरते है। वे कमज़ोर मुमालिक है। अगर हिन्दुस्तान का नाम आप उनकी फेहरियत में जोड़ना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

आज ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया में अपने दोस्तों की तादाद बढ़ाए और हिन्दुस्तान को मज़बूत करें। जब तक हम तय नहीं करेंगे कि हिन्दुस्तान को अमेरिका के मुकाबले पर लाना है। तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज दुनिया में पावर का बैलेन्स खराब हो गया है। रशिया के खत्म हो जाने के बाद अमरीका अकेली ताकत रह गई है। यदि आज हमें कुछ करना है, तो अपने को मजबूत करना पड़ेगा जिससे कि हम अमरीका के मुकाबले खड़े हो जाएं। अगर हम अपने को मजबूत नहीं करेंगे, तो चीन खड़ा हो जाएगा। चीन उसी लाइन पर चल रहा है। आप मुझे माफ करें, हमारे अंदर नैशनलिज्म की भावना उतनी नहीं है जितनी चीन में है। आज चीन नैशनलिज्म की भावना पर काम कर रहा है। हम बंटे हुए लोग हैं। जब तक हम अपने देश के अंदर कम्युनलिज्म और कास्टिज्म खत्म कर के इस देश को एक होकर मजबूत करने का काम नहीं करेंगे, तब तक इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मै आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कई ऐसी गल्फ कंट्रीज हैं जिनकी एम्बैसीज में हमारे बहुत कम आफीसर हैं, जबकि वहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। इसलिए मेरी फारेन अफेयर्स मिनिस्टर से दर्ख्वास्त है कि ऐसी गल्फ कंट्रीज की एम्बैसीज में हमारे आफीसरों की तादात बढ़ाए।

अध्यक्ष महोदय: अब समाप्त कीजिए।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सर, मैं खत्म कर रहा हूं। इसके साथ-साथ मैं सिर्फ यह दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनसे हिन्दुस्तान को फायदा हो या नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो भी फैसला करना है, वह हिन्दुस्तान की इज्जत हिन्दुस्तान की शक्ति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अंत मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, जी शायद आपने सुना नहीं। मैं आपको सिर्फ पांच मिनट का समय दे रहा हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में ही समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति संकट में है। उसे देखते हुए विदेश विभाग पर आपने सदन में बहस करने की अनुमति दी, वह अच्छी बात है। यह बहुत अहम विषय है। विद्वान लोग बताते हैं कि आर्थिक नीति और आर्थिक स्थिति ठीक होने से विदेश नीति भी उसी के मुताबिक चलती है। इसी ख्याल से शायद विदेश मंत्री और वित्त मंत्री में अदला-बदली हुई। जसवन्त सिंह जी की पोस्ट यशवन्त सिन्हा जी चले गए हैं और जसवन्त सिंह जी, यशवन्त सिन्हा के पद पर आ गए हैं। मेरी समझ में आ रहा है कि आर्थिक नीति को ठीक करने के बाद अब सिन्हा विदेश नीति को ठीक करने विदेश मंत्रालय गए हैं। इस प्रकार हमारे देश में आर्थिक स्थिति को मजबूत कर विदेश नीति को मजबूत करने गए हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, सिन्हा जी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बाद विदेश नीति को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्रालय गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस सभा के अनुमोदन से मैं सभा की बैठक का समय इस मुद्दे पर वाद-विवाद और मंत्री जी के उत्तर समाप्त होने तथा अनुदानों की मांग स्वीकृत होने तक बढ़ाता हूं,

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, कौटिल्य का पुराना सिद्धान्त था कि अपने पड़ोसी देश को ठीक रखना चाहिए और उससे अच्छे संबंध रखने चाहिए। विदेश नीति बनाते समय पड़ोसी देशों से सावधान रहकर विदेश नीति बनानी चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने गुजराल डाक्ट्राइन के बारे में सुना था। दो विदेश नीति के काबिल लोग हैं, वे इस बात को जानते हैं। हम लोग सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, देखते रहते है और सीखते रहते हैं। हमने सुना था गुजराल डाक्ट्राइन के अनुसार कि जो पड़ोसी देश हैं, उनको कुछ राहत देकर, उन्हें कुछ रियायत देकर और कुछ सहकर भी अपना बनाकर रखना चाहिए।

महोदय, हमारा पड़ोसी देश चीन है, अभी हमारे रक्षा मंत्री, जिन्होंने एक बार चीन को अपने देश का नंबर वन शत्रु बताया था, उसे अनुकूल बनाने के लिए चीन गए हैं। अब हमें पता नहीं कि अनुकूल बना पाएंगे या नहीं, या वहां से बीमारी के कीटाणु लेकर देश में चले आएंगे। यानी जिस पड़ोसी देश को उन्होंने अपने देश का शत्रु नंबर एक बताया, वे उसी अनुकूल बनाने के लिए चीन गए हैं। अब पता नहीं कूटनीति के सिद्धान्त पर उनका यह लफ्ज ठीक था या नहीं। दूसरा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मामले में हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा कि वह इराक से भी ज्यादा से भी ज्यादा खतरनाक है, यानी इन्होंने इराक को भी लपेट लिया और इराक के ऊपर अमरीका की कार्यवाही को ठीक बताया कि इराक ब्लेमलैस नहीं है। इन्होंने इराक पर अमरीका की कार्रवाई का औचित्य समझा।

सायं 6.00 बजे

फिर अपनी फौज पाकिस्तान की सीमा पर डट गई। हम आर-पार की लड़ाई सुनते रहे और यह सुनते रहे कि हम बात नहीं करेंगे। फिर प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया कि हम बात करेंगे, क्रास बार्डर टेरेरिज्म खत्म करेंगे, लेकिन अब वह स्वर कमजोर पड़ गया है, वार्ता वाला स्वर मजबूत हो गया है। हम नहीं समझ पाते कि इसमें क्या नीति चल रही है, क्या राय है। अब चीन भी हमारी जमीन को लिए हुए है। पार्लियामेंट ने बहुत पहले प्रस्ताव किया था कि हम चीन से अपनी एक-एक इंच धरती मुक्त करा लेंगे तभी हम दम लेंगे। उसे लोग भूल गए हैं, लोगों को याद नहीं है।

महोदय, तिब्बत का दलाईलामा हमारे यहां रहता है। भगवान बुद्ध को वहां ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका यहां जन्म हुआ और विश्वशांति का संदेश फैला। तिब्बत बुद्धिस्ट देश था, वहां चीन ने कब्जा किया और अब भी यहां दलाईलामा साहब डटे हुए हैं। हम ऐसा सुनते हैं कि तिब्बत की संस्कृति चीन को समाप्त करने जा रही है और वहां पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। वहां हथियारों का जमावड़ा हो रहा है, इसलिए विदेश नीति की सफलता हम मानेंगे कि इसमें विदेश नीति कूटनीतिक स्तर पर तिब्बत को शांति वाला जोन स्थापित करने का प्रयत्न करें। तिब्बत में जो उपद्रव जा रहा है, वहां जो आणविक शक्ति और हथियार, बारूद एकत्र किए जा रहे हैं, वहां के पर्यावरण और संस्कृति को नष्ट करने की बात हो रही है। हम सुनते हैं कि दलाईलामा का प्रतिनिधि मंडल चीन में गया था। वहां दोनों की वार्ता शुरू हो गई है। चीन और दलाईलामा के बीच में वार्ता शुरू हो और वहां जो आटोनोमी चाहते है तथा जो कुछ भी यथासंभव हो, वह किया जाना चाहिए, चूंकि तिब्बत से हमारा पुराना सांस्कृतिक रिश्ता है। वैसे तो चीन से भी हमारा अच्छा रिश्ता था, वहां से फाह्यान दूसरी-तीसरी शताब्दी में यहां आए थे उस समय चीन में हमारा अच्छा रिश्ता था, वह बुद्धिस्ट कंट्री था। भगवान बुद्ध का जो 15-20 मुल्कों में प्रभाव फैला था, उस हिसाब से वह हमारा नजदीकी था। हमारे प्रयत्न से चीन यूएनओ में सदस्य बना और अब वह हमारा दुश्मन हो गया है, अब तो डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा एवं आक्रमण किया। लोग कहते हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग अमेरिका की तरफदारी करके भाषण कर रहे हैं, हम नहीं जानते की वे ज्यादा काबलियत के कारण कहते हैं। लोग कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन वहीं पैदा हुए। कुछ लोग कहते हैं कि इराक ब्लेमलैस नहीं है। इराक का भी शुरू में अमेरिका मददगार था और सारे उपद्रव की जड़ में, रासायनिक हथियार, सब अमेरिका से आए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास प्रुफ है। हम ऐसा सुनते हैं कि कल पाकिस्तान में भी कैमिकल जांच करने के लिए इंस्पेक्टर गया है, आज के अखबारों में हमने कहीं देखा। कैमिकल की कहां-कहां जांच की जाएगी, हमारे यहां कब आएगा। इसलिए इन सब पर विदेश नीति की सफलता हम लोग मानते हैं कि पड़ौस के मुल्क को पहले अनुकूल रहना चाहिए। यूएनओ को मजबूत किया जाना चाहिए।

महोदय, हिन्दुस्तान दुनिया का छठा हिस्सा है, 102 करोड़ की आबादी है, जमीन 2.4 प्रतिशत है, लेकिन आबादी 16 प्रतिशत है। यूएनओ में युनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में हम सदस्य नहीं हो पा रहे हैं, क्या विदेश नीति और कूटनीति है और ये लोग अपना प्रभाव एवं समर्थन दुनिया के मुल्कों के बीच में जुटाते हैं। दुनिया का छठा हिस्सा युनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य नहीं रहेगा, इसका क्या पहलू एवं महत्व हैं। हिन्दुस्तान के बिना उसका

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन उसमें भी हमें सदस्य नहीं बना रहा है। हम लोग वोट में पिछड़ रहे हैं। इसलिए यूएनओ की मजबूती और हमारे जो पुराने सिद्धांत हैं, नान एलाइनमेंट पालिसी है। जब दो गुट थे तो हम तीसरे गुट थे और उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब एक गुट खत्म हो गया तो दो गुट बच जाने चाहिए। अब लोग कहते हैं कि यूनीपोलर, यूनीपोलर हो गया। कैसे यह दुनिया चल रही है, हमारा दूसरा गुट नान एलाइनमेंट वाला कहां चला गया। रूस वाला खत्म हुआ, उसे भी उसी में मिला कर दूसरा गुट करना चाहिए। तीन में एक गुट खत्म हुआ तो दो रहने चाहिए, लेकिन तीन में से एक खत्म हुआ तो ये अपने आप कहते हैं कि ये खत्म हो गया। नान एलाइनमेंट पालिसी को खत्म होने की विफलता विदेश नीति की विफलता मानते हैं। अलवी साहब बता रहे थे कि सारे पड़ौसी मुल्को की अलग-अलग गिनती की जाएगी।

बंगलादेश हमारी वजह से बना, लेकिन वह भी नाराज चल रहा है, क्या पालिसी इनकी है। नेपाल बगल में है, वह भी बहुत खुश नहीं है, वह माओवाद के चलते अपनी तबाही में पड़ा हुआ है और हम लोग कहीं उसे नहीं पाते। हमारे मूल आदमी जहां दुनिया भर में है, उसे भी संरक्षण हम नहीं दे पाते। हिन्दुस्तानी मूल आदमी फिजी में राष्ट्रपति था, उसका अपहरण कर लिया, बंधक बना लिया और हम कुछ नहीं कर सके। इस मुल्क के किसी आदमी को भी हम नहीं देख पाते, इसलिए हम सभी मानते हैं कि यह विफलता है।

भगवान बुद्ध का मशहूर भिक्षापात्र था, जो वैशाली के लोगों को भगवान बुद्ध ने केसरिया में दिया था जब भगवान बुद्ध ने भाषण किया कि हमारा महानिर्माण तीन महीने बाद होगा तो वैशाली के लोग उनका साथ छोड़ नहीं रहे थे, केसरिया तक 20-30 किलोमीटर तक चले गये तो अन्त में भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षापात्र दे दिया। दूसरी शताब्दी में कनिष्क-II उसे उठाकर पेशावर ले गया। और वहां से अभी अफगानिस्तान के कंधार में वह रखा हुआ था। उस समय श्रीमती लक्ष्मी मेनन डिप्टी मिनिस्टर और हक्सर साहब अफगानिस्तान के एम्बेस्डर थे और श्रीधर वासुदेव सोनी एक्स चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने लेख में लिखा कि भगवान का बुद्ध का भिक्षापात्र वहां पर हैं। कनिंघम ने इतिहास के जमाने में देश में सब जगह खुदाई करने का काम किया, उन्होंने भी लेख लिखा है, उसमें भी कहा गया है कि भगवान का बुद्ध का भिक्षापात्र कंधार में है। हमने उल्लेख सहित माननीय विदेश मंत्री और माननीय राज्य मंत्री दोनों को लिखा है। श्रीधर वसुदेव सोनी का लेख और कनिंघम का भी लेख मिला है। हम आग्रह करते हैं कि कूटनीति का प्रयोग करके अपनी एम्बेसी को वहां खबर करके उसे अपने देश में लाया जाये। उसका फोटो भी आया है और सारा ऐतिहासिक सबूत है कि वह भगवान बुद्ध का मशहूर भिक्षापात्र कंधार में है, वह हिन्दुस्तान में लौटना चाहिए, जो कि 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था। हम देखते हैं कि इनकी कूटनीति क्या काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: आपको दस मिनट दिये गये थे, अब समाप्त करिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अन्त में, विदेश व्यापार के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. हुआ कि सामान की फ्री आवाजाही होगी, एक देश से दूसरे देश में सामानों की बिक्री होगी। हम आग्रह करते हैं कि आज सामान की आवाजाही हो रही है तो आदमियों की, इंसान की भी आवाजाही फ्री हो, आप पासपोर्ट प्रथा खत्म करवाइये, तब विदेश नीति की हम सफलता मानेंगे। जब पासपोर्ट प्रथा खत्म होगी तो हिन्दुस्तान के लोग दुनिया भर में फैलकर गरीबी रेखा और गैर बराबरी सब खत्म कर देंगे। इसके लिए पासपोर्ट प्रथा खत्म हो और डब्ल्यू.टी.ओ. में जैसे सामान की आवाजाही में फ्रीडम है, उसी तरह से आदमी भी एक देश से दूसरे देश में फ्री होकर आये जाये, विश्व पंचायत और विश्व संसद की स्थापना हो, उस तरफ विदेश मंत्रालय को काम करना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा कि वास्तव में किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उस देश का राष्ट्रीय हित होते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस के मित्र अपनी पुरानी नीतियों की दुहाई दे रहे थे। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि 1949 के अन्दर तिब्बत को पुरानी तस्तरी में रखकर चीन को किसने सौंपा था? 1949-50 में नेहरू जी ने सौंपा था। कश्मीर की समस्या जो आज हमारे लिए सिरदर्द बनी हुई है, अगर नेहरू जी का आशीर्वाद उस समस्या को अपने तक सीमित नहीं रखकर सरदार पटेल को सौंप देता तो शायद उस समस्या का हल हो जाता। लेकिन कश्मीर की वह समस्या आज तक हमारे देश के लिए सिरदर्द बनी हुई है। कारगिल-कारगिल आप बार-बार कहते हैं और फौजों की आर-पार की लड़ाई की बात अभी भाटिया जी और दूसरे माननीय सदस्य कह रहे थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर 1948 में हिन्दुस्तान की सेनाएं पाकिस्तानी कबायलियों को खदेड़ते हुए सारे कश्मीर के हिस्से को खाली कराते हुए पाकिस्तान की ओर खदेड़े जा रहे थे। हमारी सेनाएं तिरंगा ध्वज फहराते हुए विजयश्री को प्राप्त करती जा रही थी।

ऐसे समय में यू.एन.ओ. के अंदर शिकायत करने पर यू.एन.ओ. ने कहा कि सीज फायर यानी लड़ाई रोको। उस समय जनमत संग्रह की बात कहने वाले पंडित नेहरू थे जिनके नाम की बार-

बार दुहाई दी जा रही है। यहां गुटनिरपेक्षता का नाम लिया जा रहा है। इसे कौन नहीं जानता। दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है। गुटनिरपेक्षता के तीन नेता थे-कर्नल मार्शल टीटो आज यूगोस्लाविया की क्या स्थिति हो गयी है? कर्नल नासिर, आज वह मिश्र कहां है नेहरू जी गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता थे, 1962 में उन्होंने कहा कि मैं सपनों की दुनिया में रहता था। जब चीन ने हमारे ऊपर हमला किया...*(व्यवधान)* हिमालय की सीमाओं से चढ़कर चीनी सेनाएं आ गईं। उन्होंने कहा कि मैं सपनों की दुनिया में रहता था।...*(व्यवधान)* हिन्दी चीनी भाई-भाई का जो नारा था, वह मिट्टी में मिल गया। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ...*(व्यवधान)* कश्मीर का 2/5 हिस्सा 1948 में पाकिस्तान के कब्जे में चला गया।...*(व्यवधान)* इसके बाद लद्दाख का अक्साईचिन हिस्सा, आज भी 144000 वर्ग मील का हिस्सा चीन के कब्जे में है। आखिर 1947-48 से लेकर 1964 तक हमारे देश की विदेश नीति के सूत्रधार पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। उसके बाद भी कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी राजीव गांधी।...*(व्यवधान)* उस समय दुनिया दो ब्लाक्स में बंटी हुई थी।...*(व्यवधान)* दो गुटों में बंटी हुई थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): हम यहां दिए जा रहे इस प्रकार के वक्तव्यों पर आपत्ति प्रकट करते हैं। यदि ऐसा वक्तव्य दिये गये हम इन वक्तव्यों का खण्डन करने के हकदार होंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: आप उस वक्त कहां थे।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रधान मंत्री जी कहकर बोल सकते हैं। किसी इंडीविजुअल व्यक्ति का नाम लेकर आप न बोलें।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1942 में क्या किया था?...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: 1942 में क्या हुआ था? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: नीतियों का दुष्परिणाम आज तक हमारे देश को भुगताना पड़ रहा हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: 1942 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज के प्रधान मंत्री हैं, उन्हें माफी मांगी थी क्योंकि उन्होंने किसी के खिलाफ गवाही दी थी।...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: कोई जमीन तो नहीं दी थी। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: उस समय दुनिया दो हिस्सों मे बंटी हुई थी। एक तरफ साम्यवादी राष्ट्र थे और दूसरी तरफ अमरीका था।...*(व्यवधान)* सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माफी मांगी थी।...*(व्यवधान)* आप जाकर पूछिये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भाषण देते समय किसी का नाम लेकर पालिसी पर बोलिये। फार्मर प्राइम मिनिस्टर की पालिसी पर बोलने में कोई गलती नहीं हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, आने वाले जो इतिहासकार हैं, जब वे निष्पक्ष रूप में कलम उठायेंगे और इस देश का इतिहास लिखेंगे कि आदर्शवाद के नाम पर देश को रसातल में धकेलने वाला कौन है। आज आदर्शवाद की दुनिया नहीं रही। आज हकीकत और अपनी हैसियत को देखकर हमें अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना होगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार जिस नीति का अनुसरण कर रही है, वह भारत की हैसियत और दुनिया की हकीकत को देखकर उस विदेश नीति का अनुपालन कर रहे हैं। केवल पुराने गीत गाते जाओ और वर्तमान की स्थिति से आंख मोड़ लो, यह शुतुरमुर्ग की नीति का ही परिणाम है। जब रेगिस्तान में कोई विपत्ति आती है तो शुतुरमुर्ग रेत में मुंह छुपा लेता है और समझता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा ठीक उसी प्रकार से इनकी स्थिति है। मैं आपके माध्यम से चाणक्य का एक कथन उद्धरण करना चाहूंगा। कौटिल्य ने कहा-

> "अपनी मर्यादाओं का ज्ञान होना, दूसरे राज्यों की परम्परा का आदर करना, अति दुस्साहस में गलत बात न करना, शब्दों के व्यवहार में अपनी सजगता बरतना जितनी सजगता से प्रहरी रक्षा करता है और अपनी नीतियों के प्रतिपूर्ण प्रतिबद्धता में विषम से विषम स्थिति में दूसरे राज्यों में एक कुशल नीतिज्ञ का सहायक होती है।"

[प्रो. रासा सिंह रावत]

यह कौटिल्य का कथन कितना सटीक है। पिछलों दिनों इराक का प्रस्ताव पास हो रहा था, वह कंडमनेशन और डिप्लोरेशन दो शब्द थे। शब्दों के लिए कौटिल्य में हजारों वर्ष पहले इस बात को कह दिया कि शब्द इतनी सजगता के साथ प्रयोग करनी चाहिए जैसे प्रहरी सजगता के साथ पहरा देकर रक्षा करता है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार जिस राष्ट्रीय नीति का अनुसरण कर रही है, वह राष्ट्र के हित में है। पहले दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी-एक का नेता रूस था, दूसरे का नेता अमरीका था। हम अमरीका का विरोध के नाम पर कभी रूस की तरफ झुक जाते थे। लेकिन आज रूस की जगह ग्यारह गणतंत्र खड़े हो गए हैं, सोवियत संघ रूस यू.एस.एस.आर. टूट गया और रूस को आर्थिक हितों के लिए स्वयं अमरीका की ओर मुखातिब होकर देखना पड़ रहा है। दुनिया में ऐसी एक ताकतवर शक्ति अमेरिका रह गई है।

हम मानते हैं-

बहादुर कब किसी को आसरा एहसान लेते हैं
उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं
दिलवर मर्द का लोहा सब मान लेते हैं
जो कमजोर होता है
कान उसके सब पकड़ लेते हैं।

इसलिए हमें राष्ट्रीय शक्ति अंदर से पैदा करनी पड़ेगी और आर्थिक सम्पन्नता, अगर घर मजबूत होगा तो हमारी विदेश नीति मजबूत होगी। आर्थिक सम्पन्नता होगी तो हमारी नीति भी मजबूत और प्रभावी होगी। आज एक अरब की आबादी वाला हमारा देश दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, उसमें इस प्रकार की संभावयता है।

पिछले दिनों अमरीका के अंदर दो सर्वेक्षण हुए थे। उनका निष्कर्ष यह निकला कि अमरीका के अंदर भारत को चाहने वाले, भारत के प्रति मित्रता का भाव रखने वाले भारत के प्रति सहयोग का हाथ बढ़ाने वाले लोगों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अभी समय नहीं है कि हमारे सारे सर्वेक्षण का निष्कर्ष आपके सामने रखूं। राजनैतिक निष्कर्ष, राजनातिक भविष्यवाणी उन्होंने उसके आधार पर की। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम दुनिया की हकीकत को समझकर, अपने हितों को जानकर, चाहे अमरीका हो चाहे रशिया हो, चाहे दुनिया के और देश हों, कौन नहीं जानता इराक में मित्र देशों की एलायंस सेना जीत गई है और उसके बाद रशिया, जर्मनी, फ्रांस, जो पहले विरोध कर रहे थे वे भी अब स्वर में स्वर मिलाकर इराक के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं अगर हम भी इराक के पुनर्निर्माण में अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, भारतीय हितों की बात करते हैं तो इसमें तनिक मात्र स्वार्थ की बात नहीं होगी। इराक हमारा मित्र रहा लेकिन कौन नहीं जानता कि इराक के ऊपर जब संकट आया, उसके पड़ोसी सीरिया, लेबनान भी उसकी सहायता के लिए नहीं आए, सऊदी अरब भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जो उसके साथ आया हो। केवल आशीर्वाद के नाम पर हिन्दुस्तान को कहते हैं, यह करो, वह करो। दुनिया की हकीकत से हम आंख मूंद नहीं सकते, हमें सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा।

मैं इस संदर्भ में एक और कोटेशन आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है - नेहरू युग के आदर्शवाद का बोझ उठाने की क्षमता अब भारत में नहीं है, शीत युद्ध का जमाना गया। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको कुछ हद तक झेल गया, कारण स्पष्ट था। उस समय राष्ट्र संघ में भारत का वोट उस ब्लाक को चाहिए था लेकिन अब आर्थिक हितों के ऊपर सारी दुनिया का नजरिया बदल रहा है। जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, वही डब्ल्यू.टी.ओ. के माध्यम से या दुनिया के अंदर बाजार ढूंढ कर अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी हैसियत और हकीकत को देखकर कार्य करना चाहिए।

अभी अमरीका के राजदूत ने त्यागपत्र दिया। यह ठीक है कि हमें अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। हम न अमरीका की तरफ ताकना चाहते हैं न दुनिया की ओर ताकना चाहते हैं। वीर योग्या वसुन्धरा। हमारे यहां पंजाबी में एक कहावत है- दुनिया मनदी जोरां नूं, लख लानत है कमज़ोरां नूं। आज हमारे अंदर इतनी पोटैंशिऐलिटी है। सब प्रकार की पैदावार वाला देश, सब प्रकार की क्षमताओं वाला देश, सब प्रकार की जलवायु वाला देश, महान् सेनाओं जिनका महान् गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, ऐसा देश दुनिया कि किसी देश का गुलाम नहीं बन सकता, दुनिया के किसी भी देश का पिछलगू नहीं बन सकता। भारतीय जनता पार्टी या एन.डी.ए. सरकार इसी नीति में विश्वास करती है कि हमारा आर्थिक राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बने, स्वयं शक्ति वाला देश बने, एकता हमारी शक्ति हो ताकि दुनिया के अंदर हमारी शक्ति को लोग मानें।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे पड़ोसी देश भारत को बड़ा भाई समझकर पता नहीं क्यों डरते रहते हैं। मैं समझता हूं कि दीर्घकालिक नीति का परिचय देना चाहिए और न पड़ोसी देशों के साथ ऐसी समरस स्थिति, बड़े और छोटे का भेदभाव भूलकर, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने कश्मीर जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने और दिल्ली के दरवाजे खुले रखने तथा दिल के दरवाजे भी खोलने की बात कही है। वह राष्ट्र

के हित की दृष्टि से सर्वथा उचित है। हालांकि उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान को जो सीमापार आतंकवाद है, जो क्रास बार्डर टैरेरिज्म है, उसे रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों का भी स्टेटमेंट आया है। हमने पाकिस्तान के साथ तीन-तीन बार युद्ध किए हैं और अब अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तानी को मुंह की खानी पड़ेगी और हिन्दुस्तान का वर्चस्व फिर बढ़ेगा।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अगर हम लोग शक्तिशाली होंगे, स्वावलम्बी होंगे, सब प्रकार से आत्म-वशीभूत होंगे तो दुनिया के अंदर हम अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, 200 वर्षों के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद हमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आजादी मिली। स्वतंत्रता के पश्चात् तत्कालीन सरकार ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हमारे देश की विदेश नीति निर्धारित की। यह नीति थी-गुटनिरपेक्ष। सारे राष्ट्र का ने इस नीति को स्वीकार किया और अपना समर्थन दिया। आम सहमति से इसे निर्धारित किया गया था और देशवासियों ने इसे स्वीकार किया था।

महोदय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस पार्टी से हमारी मतभेद थे और हमने न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध संघर्ष किया। हमें इतनी क्षति हुई जिसकी भरपाई नही हो सकती। हमारे बहुत से साथियों को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध संघर्ष करते-करते अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके बावजूद, हमने पूरे हृदय से तत्कालीन सरकार से सहयोग किया।

महोदय, हमारी पारंपरिक, गौरवशाली और वर्षों पुरानी विदेश नीति को संयुक्त मोर्चा सरकार के समय तक बनाये रखा गया। लेकिन जब से भा.ज.पा. सरकार सत्ता में आयी है इस गौरवशाली और वर्षों पुरानी विदेश नीति में अन्तर आ गया है।

मैं श्री भाटिया ने इस तर्क से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारी विदेश नीतियों का वाशिंगटन के कहने के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत उनका स्वाभाविक सहोयोगी देश है। मैं उनके इस दृष्टिकोण से पूरी तरह से असहमत हूं। यदि भारत अमेरिका का स्वाभाविक मित्र है तो अमेरिका पाकिस्तान को सीमा-पार आतंकवाद में लिप्त रहने से क्यों नहीं रोकता? पाकिस्तान हमारे देश को जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक अस्थिर रहना चाहता है। षडयंत्रकारी ढंग से वे अमेरिका के कहने पर भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। वे अमेरिका की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता से हमारे राष्ट्र और हमारी मातृभूमि के विरुद्ध षडयंत्र कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके नेता हमारे देश में आते हैं तथा हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बातचीत करते हैं। उसके बाद वे पाकिस्तान जाते हैं। और श्री नवाज शरीफ और श्री परवेज मुशर्रफ के साथ बैठकर वहां की गतिविधियों को प्रायोजित करते है। वे पाकिस्तान को पूरी सहायता सहयोग और वित्तीय सहायता दे रहे हैं। ताकि वे उनकी सशस्त्र सेनाओं का उपयोग भारत के विरुद्ध कर सकें। श्री कोलीन पोवेल ने कहा-प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि इराक के मुद्दे के बाद वे जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को सुलझायेंगे। वह इस मुद्दे को सुलझाने वाले कौन होते है? हम किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते। हम ऐसे मुद्दों को पाकिस्तान के साथ बातचीत करके और अन्य पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करके सुलझा सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सबसे बड़े चाटुकार टोनी ब्लेयर की सहायता से, विश्व के अधिकांश देशों की राय की अवहेलना करते हुए, सुरक्षा परिषद की उपेक्षा करते हुए एक पक्षीय ढंग से इराक पर आक्रमण कर दिया है और हजारों बेकसूर बच्चों और महिलाओं को मारते हुए मानवता पर एक घातक हमला रोक दिया। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभा में कहा था कि हम बीच का रास्ता अपनाएंगे। वह बीच का रास्ता क्या है? या तो कोई युद्ध के पक्ष में होता है या युद्ध के विपक्ष में। मैं इस अवसर का उपयोग इस सम्मानीय सभा के सदस्यों को यह याद दिलाने के लिए करूंगा कि जब भी विश्व गहरे संकट में पड़ा है, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि जब फ्रांस और इग्लैंड ने मिस्र पर आक्रमण करने के लिए स्वेज नहर का बहाना लगाया था। जब भी विश्व गहरे संकट में पड़ा है हमारे पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बहुत सख्त रवैया अपनाया है और इसी कारण उन्हें सारे राष्ट्र का समर्थन मिलता था लेकिन इन दिनों, मुझे कहते हुए दु:ख होता है कि हमारी वर्तमान सरकार राज्य अमेरिका के विरुद्ध कड़ा रूख अपनाने में विफल रही है वे "जिसकी लाठी उसकी भैंस" सिद्धान्त को मान रहे हैं वे संसार के सबसे बिग ब्रदर हैं। वे पहले ही इराक पर आक्रमण कर चुके हैं और अब इरान और सीरिया पर अपना निशाना साध रहे हैं। वे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे।

महोदय, हमारा एक महान देश है। यह सौ करोड़ से भी ज्यादा लोगों का देश है। मैं माननीय विदेश मंत्री जी से यह कहना

[श्री अजय चक्रवर्ती]

चाहूंगा कि इस सरकार को मजबूत कदम उठाना चाहिए। ताकि विश्व को एक उचित संदेश मिले। हमारे इस महान देश ने अपनी आजादी के लिए साम्राज्यवाद और औप निवेशवाद के विरुद्ध लड़ने वाले छोटे देशों के हितों को सदैव समर्थन प्रदान किया है। यह हमारे देश की महान परंपरा रही है। लेकिन यह सरकार अब इस परंपरा से किनारा कर चुकी दिखाई पड़ती है।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा और भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपने आत्म-सम्मान के लिए संघर्ष करें। हमारे इस देश के सौ करोड़ से भी ज्यादा लोगों की यही इच्छा है। सरकार को मजबूत कदम उठाना चाहिए। सारा देश उनके इस कार्य में उनका साथ देगा अन्यथा हम न केवल इस भव्य सभा में वरन इस सभा के बाहर भी इस महान देश के गौरव और सम्मान के लिए इस सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं कितने समय तक बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप 15 मिनट के भीतर समाप्त कर दें तो अच्छा होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं अपने भाषण को तीन भागों में बांटना चाहूंगा। पहला भाग व्यावहारिक पक्ष से संबंधित होगा। दूसरा भाग नीतिगत पक्ष से हो सकता है और तीसरा भाग भारत की विदेश नीति के संबंध में अनुपालन करते हैं।

महोदय मेरे विचार से विदेश मंत्रालय को और अधिक धनराशि की आवश्यकता है। इस मंत्रालय के पास उपलब्ध धनराशि पर्याप्त नहीं है। सौभाग्यवश, वर्तमान विदेश मंत्री तब वित्त मंत्री थे और सम्भवत: जब वे वित्त मंत्री थे तब उन्होंने इस मंत्रालय को अधिक धनराशि देने से इन्कार किया होगा क्योंकि यह कहा जाता है कि मंत्री भले ही बदल जाएं किन्तु मंत्रालय नहीं बदलता है। किन्तु उन्हें एक अंदाजा है कि कैसे आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती हैं कि विदेश मंत्रालय की गतिविधियों के लिए वास्तव में आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो।

हमें दूसरे देशों में भारतीय दूतावासों का दौरा करने का अवसर मिला था। हमे पता चला कि वे भारत में भारत सरकार के कार्यालयों की अपेक्षा अधिक सुसज्जित हैं। किन्तु यदि उनकी तुलना दूसरे देशों के कार्यालयों से करें, अन्य देशों के दूतावासों और वहां भारतीय दूतावासों द्वारा अपनाए जा रहे मानकों के बीच भारी अन्तर था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेश में राजदूत और अधिकारी दूसरे देशों के राजदूत और अधिकारी के समकक्ष हों, यह आवश्यकता है कि हमारे कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाए। उनके पास आधुनिक विश्व में आज अन्य दूतावासों के पास उपलब्ध के समकक्ष सभी उपकरण होने चाहिए। अन्यथा उनके लिए अन्य देशों में वहां स्थिति से निपटना बहुत कठिन हो जाएगा और उनकी कार्यकुशलता उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी जैसी अन्य देशों के अधिकारियों की कार्यकुशलता है।

भारत सरकार की विदेश नीति ही भारत की विदेश नीति है। यह एक पार्टी की विदेश नीति है। यह देश की विदेश नीति तब बनती है जब कम से कम सभा में और कम से कम कुछ बिन्दुओं पर सर्वसम्मति हो। पहले के सरकारों, प्रधान मंत्री और मंत्रियों ने भारत की विदेश नीति पर एक आम सभा बनाने की कोशिश की। किन्तु कई बार कतिपय लोगों द्वारा असंयमित वक्तव्य दिए जाते है। सौभाग्यवश सरकार और मंत्री परिषद के साथ ऐसा नहीं है। किन्तु विभिन्न स्तरों पर विदेश नीति से जुड़ी हुई बारीकियों को समझे बिना लोगों द्वारा असंयमित वक्तव्य दिए जाते है और कुछ अनावश्यक कटुता पैदा होती है। इस प्रकार की परिस्थितियों को टालना ही देश के हित में होगा।

मैं इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों को सुनता रहा हूं। एक बात जो इस सभा में एक से अधिक सदस्यों द्वारा कही गयी हैं कि भारत जब तक आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होता, भारत की विदेश नीति भी प्रभावी ढंग से नहीं हो सकती। यही बात सम्भवत: उन सदस्यों ने कहने की कोशिश की है। इस प्रकार की बातें सुनने का अवसर मुझे एक बार फिर मिला जब दूसरी तरफ बैठें लोगों ने ऐसा कहा था और इस तरफ बैठे सदस्यों ने उठकर कहा था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की आर्थिक स्थिति आज से बेहतर नहीं थी और फिर भी उस समय पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा और बाद में अन्य प्रधान मंत्रियों और विदेश मंत्रियों ने जो कुछ कहा था उसे पूरे विश्व द्वारा तन्मयता से सुना गया। इस बात के बावजूद कि भारत आर्थिक रूप से उतना सुदृढ़ नहीं था जितना आज है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग विदेश नीति बना रहे है उन्हें विश्व इतिहास विश्व राजनीति, विश्व अर्थव्यवस्था तथा पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी समझ थी। उन्होंने दुनिया में तत्कालीन विभिन्न कठिन मुद्दों पर दिमाग लगाया। अतएव उनके सामने बहुत स्पष्ट था कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए; और इसे कैसे कहा जाना चाहिए। इन सभी बिन्दुओं पर उनकी सोच स्पष्ट थी और इसी कारण वस्तुत: हमें ऐसा सम्मान मिला।

हमारे लिए सौभाग्यवश सरकार तथा सरकार में शामिल लोग ऐसा करते हैं। किन्तु कभी-कभी हमे पता चलता है कि कुछ गलतियां की गयी हैं। समस्याएं को ठीक से नहीं समझा गया और

कई बार हमारी सोच स्पष्ट नहीं होती। अतएव जब हम सरकार की तरफ से या संसद की तरफ से या दूसरे व्यक्ति की तरफ से या पार्टी की तरफ से वक्तव्य देते हैं, कठिनाइयां पैदा होती है। हमारी विदेश नीति के सफल होने के लिए विचारों में स्पष्टता, शामिल मुद्दों के बारे में स्पष्टता, शामिल सिद्धांतों के विषय में स्पष्टता और व्यावहारिकता के विषय में भी स्पष्टता महत्वपूर्ण है। लोग कहते रहे हैं कि हमें अपने देश के हितों की रक्षा करनी है। कौन कहता है कि हमें अपने देश के हितों की रक्षा नहीं करनी है? इस विचार का कौन विरोध कर सकता है? वे कहते रहे हैं कि हमारे सिद्धान्त हैं। हां। जब तक हमारी नीति कतिपय सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, यह लम्बे समय तक नहीं चल सकती, जो इसकी सफलता के लिए आवश्यक है।

सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं किंतु साथ ही हमारे जीवन में और हमारी विदेश नीति में भी व्यावहारिकता के सिद्धान्त का भी इस्तेमाल होता है और हमें व्यावहारिक बनना पड़ता है। इस विषय में कोई सन्देह नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार को व्यावहारिक नहीं होना चाहिए या विपक्ष में बैठे लोगों से व्यावहारिक नहीं होना चाहिए। उन्हें जीवन के साथ-साथ देश के शासन में भी व्यावहारिक होना चाहिए। विदेश नीति में भी उन्हें व्यावहारिक होना पड़ेगा। किंतु व्यावहारिकता को अवसरवादिता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। व्यावहारिकता एक भ्रामक स्थिति नहीं होना चाहिए या व्यावहारिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरूप न हो। यदि यह गिरकर अवसरवादिता या अनभिज्ञता या परिस्थिति को स्पष्टत: नहीं समझना बन जाती है तो ऐसी व्यावहारिक नीति भी सहायक नहीं होगी। कुछ मामलों में ऐसा हुआ है और मैं बाद में उसका उल्लेख करूंगा।

आम सिद्धान्तों पर बोलने के बाद मैं कुछ देशों के साथ हमारे संबंधों का हवाला दूंगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम कहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इसके विपरीत दोनों देशों के लिए संबंध कष्टप्रद और मुश्किल भरे रहे हैं।

हम इस विषय में क्या कर रहे हैं? जो एक विचार सामने रखा जा रहा है हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। हमारा इस विचार से विरोध नहीं है। यदि सरकार बातचीत करना चाहती है, यदि देश पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के लोगों के साथ बातचीत करना चाहता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हम इस प्रकार कैं दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। बल्कि हम कहते रहे हैं कि कम से कम इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करने का एक तरीका है उनसे बातचीत करना। हमारा इस संबंध में कोई मतभेद नहीं है। किंतु उनसे बातचीत करने में चतुराई से काम लेना चाहिए।

प्रधानमंत्री के प्रति मैं पूरा आदरभाव रखता हूं। उन्होंने क्या किया। पिछली बार जब वह बस में बैठ कर पाकिस्तान गए, सम्भवत: उनके दिमाग में वह बात थी कि यह दिखाने के लिए वे आगे तक जाएं कि उनसे बात करने के लिए वे बहुत उत्सुक हैं। उनका इरादा था कि किसी को इस विषय में संदेह नहीं होना चाहिए। किंतु व्यावहारिक तौर पर कहा जाए तो इसे पाकिस्तान द्वारा स्पष्टत: नहीं समझा गया और जैसे ही वह वापस आए, करगिल की लड़ाई हुई। अत: बिना तैयारी के जाना और उनसे बातचीत करना-हर स्तर की तैयारी, अधिकारी स्तर पर तैयारी, सचिवीय स्तर पर तैयारी, विदेश मंत्रियों के स्तर पर तैयारी के बिना कोई परिणाम नहीं देगा। और प्रधान मंत्री का दूसरे देशों के प्रधानमंत्री से बातचीत तभी बेहतर होती यदि इसके लिए आवश्यक तैयारी करने के बाद बातचीत होती। अत: हम कहते हैं कि कृपया उनसे बातचीत कीजिए किंतु उनके साथ तैयारी के साथ बातचीत कीजिए, स्पष्ट सोच के साथ उनसे बातचीत कीजिए और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

दूसरा पहलू क्या है? मैं नहीं जानता कि किन परिस्थितियों के अंतर्गत विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिया। मैंने उनका वक्तव्य नहीं सुना है। मैंने उनका वक्तव्य पढ़ा नहीं है। वे बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ और एक मंत्री हैं। वे जब तक कोई उनसे वक्तव्य देने को न कहे तब तक ऐसे ही वक्तव्य नहीं दे देंगे। क्या पाकिस्तान में स्थिति इराक जैसी नहीं है जब आत्मरक्षा में कार्रवाई की जा सके? इस तरह की बात किसी पत्रकार द्वारा पूछी गई है और सम्भवत: उन्होंने कहा, "हां, सम्भवत: स्थिति ऐसी है कि आत्म रक्षार्थ कार्रवाई की जा सकती है।" और वह इसके बारे में हमें बताने में सक्षम है। मैं उनमें दोष नहीं ढूंढ रहा हूं।

मैंने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को कहा है। अब मैं इसे सभा में कह रहा हूं। परन्तु कुछ लोग मंत्री महोदय और सदस्यों द्वारा कही गयी कुछ बातों को लेकर उसे गलत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इन मुद्दों पर अनावश्यक रूप से देश के भीतर तथा विदेशों में भी चर्चाएं होती हैं तथा ऐसे आरोप लगाने वाले बयानों पर कभी-कभी परेशानियां खड़ी ही जाती हैं। तब कुछ लोगों को कहना पड़ता है कि यह परिस्थिति उस तरह की नहीं है और इस देश द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि निश्चित तौर पर मात्र विदेश मंत्री ही ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इस प्रकार का बयान देंगे। बल्कि विदेश मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

अग्रलक्षी कार्रवाई विदेश मंत्री के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं; यह रक्षा मंत्री के क्षेत्राधिकार में है। यदि इस संबंध में किसी को बोलने का अधिकार है तो रक्षा मंत्री को अथवा प्रधानमंत्री को। विदेश मंत्री शांति, अच्छे संबंध और मित्रता के बारे में बात करें जैसा कि वह करते रहे हैं तथा हम इस संबंध में उनका समर्थन करते हैं। यदि गलती से अथवा किसी के पूछने पर उन्होंने ऐसा कहा है तो हम मात्र यह अनुरोध करते हैं कि हमें इससे परहेज करना चाहिए तथा अपेक्षाकृत और सावधान रहना चाहिए।

सतर्कता इस मामले की मुख्य बात है। यदि हमें अपने पड़ोसी, पाकिस्तान के साथ बात करनी है तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आंतकवादी गतिविधियां बंद हो चुकी है। यदि हम उनके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं तो हमें इसके लिए तैयारी करने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि हम अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी होना चाहते हैं तो सतर्कता ही इसका मर्म है। हमारी नीति यही होनी चाहिए। हम उनसे बात करें। हम सरकार और जनता से बात करें। हम उपलब्ध अवसरों का फायदा उठाएं और वास्तविकताओं को समझें। साथ ही साथ उस देश से निपटने के लिए अपने मन में इस प्रकार की वैकल्पिक योजनाएं भी रखें जिससे दोनों देशों के लिए शांति और सम्पन्नता स्थापित हो तथा युद्ध और आतंकवाद से बचा जा सके।

बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालद्वीव हमारे अन्य पड़ोसी हैं। सौभाग्य से श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। मेरी समझ से ये संबंध परेशानियों से मुक्त हैं। यहां तक कि यदि कुछ छोटी कठिनाइयां हैं भी तो सरकार उनका समाधान करने में सक्षम है। परन्तु जहां तक बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से हमारे संबंधों का सवाल है, हम महसूस करते हैं कि संबंधों को बेहतर बनाने की संभावना है। यदि भूटान के बारे में ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसे वहां की जनता और सरकार नापसंद करती है तो यह बात भारत और भूटान के हित में नहीं होगी। हमने समाचार पत्रों में आतंकवादी गतिविधियों, कैम्पों आदि के बारे में कुछ बयान पढ़े हैं। यदि कोई बयान दिए जाने हैं तो वे ऐसी भाषा में दिए जा सकते हैं जिससे भूटान जैसे देश और हमारे बीच कोई मन-मुटाव नहीं होगा।

नेपाल कुछ कठिनाइयों से गुजर रहा है। हम उनकी जितनी मदद कर सकते है उतनी करनी चाहिए। संभवत: सरकार ऐसा कर रही है। मालद्वीव एक अच्छा देश है। हमारे देश के लोग वहां जाते हैं और वहां के लोग यहां आते हैं। परन्तु जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, मैं महसूस करता हूं कि पिछले दो या तीन वर्षों में हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं रहे हैं जैसा कि वे उससे पहले रहे हैं। हो सकता है ऐसा वहां की सरकार बदलने की वजह से हो अथवा कुछ अन्य बातों की वजह से। परन्तु यह ऐसा देश है जिसके साथ हमें बेहतर संबंध रखना चाहिए।

हमारे निकटस्थ पड़ोसियों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज 'सार्क' की संस्था है। राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रमुखों को एक ऐसा मंच प्रदान करने हेतु 'सार्क' की संस्था की स्थापना की गयी थी ताकि वे समय-समय पर एक साथ मिलकर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यापार और औद्योगिक संबंध पर चर्चा कर सकें। मैं समझता हूं कि 'सार्क' की स्थापना बड़ी आशाओं के साथ की गयी थी। 'सार्क' ने कुछ समय तक समुचित रूप से कार्य किया। परन्तु बाद में पाया गया कि 'सार्क' उतना प्रभावी नहीं रह गया है तथा ऐसा लग रहा है कि 'सार्क' की ताकत घट रही है। क्या हम यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कर सकते हैं कि 'सार्क' मजबूत बने।

श्री मणिशंकर अय्यर यहां उपस्थित हैं। एक बार जब हम सार्क यूनियन आफ पार्लियामेण्ट्स का गठन करने हेतु नेपाल जा रहे थे तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि 'हम सार्क पार्लियामेण्ट का गठन क्यों न करें'? मैंने कहा था कि यह अच्छा विचार है। यूरोप में यूरोपीयन पार्लियामेण्ट है। यदि हम सार्क पार्लियामेण्ट का गठन करते हैं तो यह अच्छी बात होगी। परन्तु मैं नहीं समझता हूं कि यह शीघ्र होने जा रहा है। विचार अच्छा है। इस पर चर्चा होने दें।

यदि यह संभव है और सभी देशों को स्वीकार्य है तो हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सार्क पार्लियामेंट के गठन के अलावा स्वयं सार्क को भी मजबूत किया जाना चाहिए। सार्क देशों के बीच व्यापार संबंध, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) तथा अन्य बातों को मजबूत किया जाना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ काफी कुछ करने की जरूरत है।

हमारे निकटस्थ पड़ोसियों के बारे में जिक्र करने के पश्चात्, अब मैं गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन एक ऐसी चीज हैं जिसने विश्व के देशों को एकजुट किया और उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया तथा यह उत्तरोत्तर मजबूत होता गया। यह विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक हो गया तथा वे लोग जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को पसंद नहीं किया उन्होंने इसकी आलोचना शुरू कर दी तथा धीरे-धीरे हम ऐसे चरण में पहुंच गए है जब हमारे देश में और यहां तक कि संसद में भी कुछ लोग घृणापूर्वक खड़े होकर कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अप्रासंगिक है। वे कहते हैं कि जब कोई गुट अस्तित्व में है ही नहीं तो फिर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की क्या जरूरत है। मैं यह नहीं समझता हूं कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की

स्थापना मात्रा दो गुटों से मुकाबला करने के लिए हुई थी। हो सकता है यह राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से उतना प्रासंगिक न हो परन्तु आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बेहतर कोई अन्य मंच नहीं रहा है जिसने इन क्षेत्रों में देशों के बीच संबंधों को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ किया हो। इसलिए इसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

जहां तक अरब देशों का सवाल है, वर्तमान में विश्व में परिस्थिति इस प्रकार से विकसित हुई है कि हमें उनके प्रति अपेक्षाकृत कुछ और अधिक सतर्कता और सहानुभूति रखनी चाहिए तथा उनके साथ हमारे जो अच्छे संबंध रहे हैं उन्हें बनाए रखना चाहिए और उन्हें प्रगाढ़ बनना चाहिए।

जहां तक यूरोपीय देशों का सवाल है, इंगलैंड ऐसा देश है जिसके साथ हम बेहतर संबंध रख सकते हैं। परन्तु फ्रांस और जर्मनी दो ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र रूख अपना रहे हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी पक्ष की तरफ नहीं झुकना चाहिए परन्तु फ्रांस, जर्मनी और इंगलैंड के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना सदैव बहुत उपयोगी रहेगा।

यूरोपीय संघ उत्तरोत्तर मजबूत होता जा रहा है तथा मैं समझता हूं कि यूरोपीय संघ का भविष्य भी है। फ्रांस, जर्मनी और इंगलैंड जैसे यूरोपीय देशों के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा हमें यूरोपीय संघ के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए।

रूस भारत के जरूरत के दिनों में उसके साथ रहा है। वह अनेक कठिन परिस्थितियों में भारत के साथ खड़ा रहा है। सौभाग्यवश, रूस के साथ हमारी मित्रता जारी है। यदि संभव हो तो यह सुनिश्चित करने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने चाहिए कि रूस के साथ हमारी मित्रता और अधिक प्रगाढ़ बने। उनके साथ हमारी मित्रता का जहां तक सवाल है, रूस में वे आम तौर पर कहते हैं कि "मित्रता को यूं ही हमेशा के लिए मिली हुई वस्तु न मानो"। इसलिए हमें रूस के साथ अपनी मित्रता को बरकरार रखने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे तथा यदि प्रयास नहीं किए जाते हैं तो यह मित्रता कमजोर हो सकती है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

चीन एक ऐसा देश है जिसके बारे में हमें बहुत सोचने की जरूरत होगी। मुझे यह कहते हुए काफी दुःख हो रहा है कि हमारे देश में बयान दिए गए हैं कि चीन हमारा दुश्मन नम्बर एक है। रक्षा संबंधी मुद्दों को समझने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। हम अनेक मोर्चे जैसे उत्तर में एक मोर्चा, दक्षिण में एक मोर्चा इत्यादि नहीं बनाना चाहते। वैसे देश जिन्हें कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा है वे युद्ध हारे हैं। इसके अलावा चीन एक प्राचीन देश है जिसके पास पूर्वी संस्कृति है। भारत की संस्कृति के साथ इसकी समानता है। लाओस दर्शन और बौद्ध दर्शन में समानता रही है। सांस्कृतिक रूप से भी चीन और भारत के बीच अनेक समानताएं रही हैं। पंडितजी ने चीन के साथ मित्रता के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त प्रयास किए थे। दुर्भाग्यवश कुछ अप्रिय घटनाएं हुईं। हमें इनको भूल जाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन के साथ हमारी मित्रता बनी रहे।

जहां तक अमरीका का सवाल है, यह बड़ा देश है। यह महान देश है और विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है। इसीलिये हम अमरीका के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं। ऐसा कुछ भी न कहा जाना चाहिये और किया जाना चाहिये जिससे भारत-अमरीका के संबंधों में कठिनाई उत्पन्न हो। इससे इस मित्रता का महत्व समझ में आता है। यदि हम मजबूत है, स्पष्ट हैं, यदि हमारी उस देश और उसकी नीति के साथ सहानुभूति है, तो वे भी हमारी मित्रता का सम्मान करेंगे। अमरीका के साथ यह रिश्ता एक जटिल संबंध होगा जिसके लिये बहुत कौशल और दृष्टि की जरूरत है। हमें इस घनिष्ठ मित्रता को ध्यान में रखते हुये इसे उचित तरीके से निभाना होगा। हम उस सबसे सहमत नहीं हो सकते, जो वे करते रहे हैं।

इराक का मसला लें। मुझे इराक के संबंध में एक सदस्य को बोलते सुनकर बहुत खुशी हुई। इराक में युद्ध अब समाप्त हो चुका है। उस समय अमरीका, इंगलैंड, भारत, संसद और शायद सरकार में भी मतभेद रहे और तब भी यह युद्ध हुआ। उसके बाद हमें देखना होगा कि इराक के लोगों की सहायता की जाये लेकिन मुझे इस विचार से घृणा होती है कि इराक द्वारा सही जा रही मुसीबतों से भारत के लिये कुछ अर्जन किया जाये। जो भी हो, यह भारत के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाता इसकी बजाय हम उनकी मदद करना चाहेंगे। हम उनकी मदद के लिए धन देना चाहेंगे न कि उनकी मुसीबतों से कुछ कमाना चाहेंगे। इस तरह के विचार रखने से भी हमें नफरत है। मैं ऐसे विचार से सहमत नहीं होना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि सरकार का भी यही विचार है।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हम एक नीति बनाये जो वास्तव में देश हित में हो। हम एक नीति बनाये जो सकारात्मक भी हो और अवसरवादी न हो। साथ ही हम अपने सिद्धान्तों का भी पालन करें। वे हमारे नीति निर्माण में मदद कर सकते हैं। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह संसद, यह देश और इस देश के नेताओं ने ऐसा किया है, और वे ऐसा करते रहेंगे।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): महोदय, धन्यवाद। इससे पहले कि मैं प्रारम्भ करू, संसद में जो कुछ हुआ, उस पर कहना चाहूंगा। मैं इस संबंध में अपने सहयोगी श्री शिवराज पाटील से भी चर्चा कर रहा था। कई सदस्यों ने विदेशी मामलों के विषय पर बोलते हुये जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों का उल्लेख किया और यह प्रश्न किया कि जम्मू और कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की कोई नीति है या नहीं। किसी अन्य राज्य के संबंध में भारत सरकार की कोई नीति नहीं है और इस बारे में मुझे कोई शंका नहीं है कि सभा के सभी माननीय सदस्य जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं और एक पृथक राज्य नहीं मानते क्योंकि हमारी एक विदेश नीति है और अलग देश के संबंध में ही हम इस तरह से विचार करते हैं, अन्यथा यह राज्य भारत का अंग है और देश का यह अंग हमारे लिये रक्षा का मुद्दा बन गया है। यह विदेशी मुददा नहीं है। यह संसद कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया की भागीदार रही है। इन शब्दों के साथ मैं वे कुछ शब्द कहूंगा जिस पर माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

हम अमरीका के साथ संबंध विकसित करना चाहते हैं। हमने देर से शुरूआत की है और हम आंतकवाद के मुद्दे पर समर्थन के लिये अमरीकी लोगों और सरकार पर बहुत अधिक निर्भर कर रहे है। लेकिन मैं काफी पढ़ता रहा हूं और मैं यूरोपीय देशों विशेषकर जिनेवा जाता रहा हूं। जब भी सामाजिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई बैठक होती है, वहां मैं कई यूरोपीय प्रतिनिधियों, सरकार और गैर-सरकारी संगठनों से मिलता रहा हूं। न केवल अमरीकी लोगों, बल्कि यूरोपीय लोगों के लिये चिंता के प्रमुख मुद्दों में एक यह है कि उनके अन्दर असुरक्षा की यह भावना है कि आने वाले वर्षों में उन पर कोई अन्य राज करेगा। यह चिंताओं में से एक है और इस चिंता का एक हिस्सा मादकद्रव्यों का उद्योग है जिसका गठजोड़ अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान और भारत के जरिये पश्चिमी देशों तक फैला है।

आतंकवाद का कोई ऐसा मुद्दा नहीं केवल जिसके आधार पर हम मित्रता बढ़ा सकते हैं। मैं खुद यह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और ऐसा इसलिये क्योंकि वे जवाब देंगे। मुझे मालूम है कि यह मूलत: गृह मंत्रालय से जुड़ा है लेकिन क्या वे भारत सरकार और गृह मंत्रालय के समक्ष नशीली दवाओं और इस देश में वह किस रास्ते से लाई ले जाई जाती है के बारे मुद्दा उठायेंगे। यदि आप यूरोपीय देशों की सरकारों और अमरीकी सरकार का हमारे मुद्दे पर समर्थन चाहते हैं, उनकी एक प्रमुख चिंता यह है कि नई पीढ़ी नशीली दवाओं से बर्बाद हो रही है। यह एक मुख्य चिंता है। क्या भारत सरकार इसे मित्रता का मुद्दा बनाने जा रही है। अगर वह ऐसा करने जा रही है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहूंगा व युद्ध के बाद इराक का है। क्योंकि कई सदस्यों ने उस बारे में बोला हैं इसलिये मैं उस पर बोलने नहीं जा रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बार अनदेखी नहीं की गई; विगत में इसकी अनदेखी हुई है, लेकिन जब ऐसा हुआ तो दुनिया द्विध्रवीय थी। संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी के बावजूद, दो महाशक्तियों ने दुनिया में संतुलन बनाये रखा; लेकिन अब जब संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी की गई, विश्व एक ध्रुवीय है। दो संस्थायें अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से बताए और सभा को विश्वास में ले। ऐसा इसलिये क्योंकि हम यह विश्लेषण नहीं कर पाए हैं कि संयुक्त राष्ट्र और 'नाटो' का भविष्य क्या होगा। यदि किसी ने यूरोपीय टी.वी. चैनलों पर होने वाली चर्चा को सुना हो तो उसे पता होगा कि मतभेद उत्पन्न हो गये हैं। साम्यवाद के कारण यूरोप विभाजित हुआ और 'नाटो' बना। लेकिन साम्यवाद अब दुनिया के लिये खतरा नहीं है इसीलिये स्वम् सभ्यता में पनपे मतभेदों के कारण 'नाटो' टूटने लगा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच बढ़ते संबंध या नई मित्रता के संबंध में कई स्तरों पर विचार-विमर्श हो रहा है। हम मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर 'नाटो' की स्थिति क्या होगी।

तीसरी बात हम जानना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। इसकी भूमिका क्या होगी? क्या इसकी भूमिका केवल सिफारिश करने वाले निकाय की होगी? या इसकी भूमिका विश्व जनमत की होगी। हम यह जानना चाहेंगे।

दो मुद्दे मेरे लिये अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं उन पर मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा। नवम्बर-दिसम्बर में कभी- मैं कुछ नामों का उल्लेख करूंगा और चाहूंगा कि सदस्य इस पर प्रतिक्रिया न व्यक्त करें क्योंकि जो हुआ, वह सच्चाई है- एफ.बी.आई. ने अमरीका में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों के यहां छापा मारा जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आर्थिक सहायता देते हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि क्या यह सच है। छापा मारने का एक कारण यह है कि आर.एस.एस. भी एक धार्मिक आतंकवादी संगठन है और वे ऐसे किसी धार्मिक आतंकवादी संगठन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ऐसा है तो आपके उनसे संबंध कैसे होंगे? ऐसा इसलिये है क्योंकि आप सरकार में उस संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अंतिम बात, पाकिस्तान को काबू में रखने के लिये हम अमरीका पर बहुत अधिक आश्रित हैं। यह सभा एक अतिमहत्वपूर्ण बात जानना चाहेगी- मैं काफी समय से इसके बारे में अध्ययन कर रहा हूं और मैं स्वम् इसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा बल्कि सरकार से पूछना चाहूंगा- कि 1950 और 1960 की अवधि के दौरान नि:सन्देह अमरीका की इस क्षेत्र में रुचि थी। मैं वित्तीय निवेश नहीं रक्षा क्षेत्र में निवेश की बात कह रहा हूं। अमरीकी ने 1950-60 की अवधि के दौरान पाकिस्तान में किस तरह का रक्षा निवेश किया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ऐसा इसलिये

है क्योंकि हमने अमरीकी लोगों को हर प्रकार की पेशकश की किंतु अमरीकी सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं मानी और पाकिस्तान का पक्ष लिया। मेरा कहना है कि आगरा शिखर वार्ता के मामले में भी- और यदि कोई मेरे भाषण को पढ़े तो, उसके पश्चात् क्या हुआ, मैंने साफ संकेत किया था कि-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में दिवालिया देश घोषित होने के कगार पर था।

सायं 7.00 बजे

महोदय जी-7 और जी-5 के देश ऋण दिये जाने या पुनर्वित पोषण के लिये सहमत नहीं थे। यदि 11 सितम्बर की घटना नहीं घटती, तो अक्तूबर महीने में पाकिस्तान कर्ज में डूबा देश घोषित हो जाता और उस पर सभी तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाते।

महोदय हालात बदल गये हैं। भू-राजनैतिक स्थिति बदल गयी है। आतंकवाद पैदा हो गया है। कुछ देशों की रूचि उन इलाकों में, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिये में 1950 से 1960 तक की अवधि के बारे में पूछ रहा हूं। उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये।

यदि इस देश को जीवित रहना है, तो हमें कठोर निर्णय लेना होगा। हम ऐसी अवस्था में आ गये हैं जहां राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का अभाव है। यदि इस देश को बचाना है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सवाल पर कठोर निर्णय लेना होगा। मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्री इस मुद्दे पर खास तौर पर जवाब दें।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अल्पसंख्यक के दल शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधित्व करता हूं। यदि यह सभा धैर्यपूर्वक हम इस बात को सुने कि हम अल्पसंख्यक भारत की विदेश नीति के बारे में क्या सोचते हैं तो मैं आप सबका आभारी होऊंगा।

हमने भारत की विदेश नीति के बारे में गोष्ठियों में सुना है जोकि काफी सकारात्मक है। किंतु पहले यह विदेश नीति सिंधु गंगा नदी घाटी के कुछ नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों द्वारा बनाई जाती थी। वर्तमान सरकार के बदलते ही ताज्जुब है कि है, यह विदेश नीति टाइबर बेसिन के कुछ लोगों द्वारा निर्धारित की जाएगी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सिख उन क्षेत्रों के नजदीक रहते हैं जहां भारत की विदेश नीति बनाई जाती है। हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के बाद रहते हैं। भारत की विदेश नीति तैयार करने में इन सभी तीन देशों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। अत: हमारी बात सुनी जानी चाहिये और मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार हमारी बात सुनने हेतु कुछ उत्सुकता दिखा रही है। इसलिए हम प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों जो पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बीच मेल जोल का एक आधार बिंदु है, का स्वागत करते हैं।

हमारा दल पाकिस्तान के साथ मेल जोल बढ़ाने का बहुत उत्सुक है क्योंकि यदि उपमहाद्वीप में एक परमाणु नरसंहार होता है तो हम इससे प्रभावित होंगे ही। पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसमें हम सिखों की काफी रुचि होती है क्योंकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे गुरुद्वारों में से आधे गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं, हमारी आधी संस्कृति वहां है, हमारी आधी परम्परा वहां है और हमारा आधा इतिहास वहां पर है। अत: पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होने में हमारा निहित स्वार्थ है, और हम पाकिस्तान के साथ उन्मुक्त व्यापार, वाणिज्य, माल का लेन-देन और पर्यटन चाहते है ताकि हमारे मैत्री संबंध बनें। इसलिए हम प्रधानमंत्री की इस नीति को कश्मीर में और यहां नई दिल्ली में स्वागत करते हैं।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, हम यह महसूस करते हैं चूंकि हमने वहां काफी निवेश किया हुआ है अत: समझौता एक्सप्रेस और बस सेवा को पुन: चलाया जाना चाहिये।

हमारे रेलगाड़ी के डिब्बों को हमारा कृषि माल लेकर पाकिस्तान और विशेषकर हमारे आलू का बीज लेकर अफगानिस्तान जाना चाहिये। बाघा सीमा को व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक धार्मिक और व्यक्तिगत पर्यटन हेतु खोला जाना चाहिये। हम यही चाहते हैं।

हमारे दल ने इराक युद्ध से भी कुछ सीखा है। पहली बात यह है कि अल्पसंख्यकों को हल्के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिये। उन्हें व्यापक लोकतंत्र के साथ शासन प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिये, उन्हें एक बड़ी भूमिका दी जानी चाहिये और उनकी बातों को सुना जाना चाहिये जैसा कि हम केन्द्रीय मंत्रीमंडल की सुरक्षा समिति और भारत द्वारा बनाई गई परमाणु कमान और नियंत्रण प्रणाली में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ अरबों और कुर्दों की तरह व्यवहार किया जाये। हम वास्तव में लोकतंत्र चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत मानवाधिकार व्यवहार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन करें। हम चाहते हैं कि भारत मानवीय कानूनों के अन्तर्राष्ट्रीय यू.एन. अभिसमयों जैसे-जनसंहार के विरुद्ध अपराध, लोगों की धरोहर के विरुद्ध अपराध आदि कानूनों को मान्यता दे। हम चाहते हैं कि रोम प्रोटोकोल, जिसके द्वारा हेग में अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना की गई है, को मान्यता दी जाए। हम चाहते हैं कि भारत इन कुछ नीतियों को लागू करे।

[सरदार सिरमनजीत सिंह मान]

हमारा दु:ख यह है कि हम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के युग के रिप वैन विंकिल सिन्ड्रोम में रह रहे हैं। हम इस प्रणाली को तोड़ना चाहते हैं। यदि इराक से कोई सबक सीखना है तो हमें यह महसूस करना और समझना चाहिये कि अब श्रेष्ठ वायु शक्ति, नौसेनिक आधार और पश्चिम की भू-सेनाओं के साथ भारत कभी भी विश्व में महाशक्ति वाला देश नहीं बन सकता है अपितु हम विश्व की पहली महाशक्ति की दोयम श्रेणी की महाशक्ति बनेंगे। अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण करके और विदेश नीति के बीच का रास्ता और विश्व शक्ति ढांचा अपनाकर हम जो कुछ बेहतर कार्य कर सकते हैं, हमें करना चाहिये। विदेश मंत्रालय को मुनरो नीति और पृथक्कीकरण की नीति का अध्ययन अवश्य करना चाहिये। अत: शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) भारत की विदेश नीति में किसी नए परिवर्तन का पुरजोर समर्थन करता है। हम पुराने खराब दिनों को अलविदा करना और नये युग में प्रवेश करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारी अर्थ नीति पर राष्ट्र नीति निर्भर करती है। मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू जी से लेकर वाजपेयी साहब तक, किसी ने यह नहीं सोचा कि देश का अहित हो, सब सोचते थे कि देश का हित हो।

महोदय, मैं आदिम जाति का आदमी हूं, मेरे पूर्वज बहुत पराक्रमी थी। वहां लोग राम का नाम लेते हैं और हनुमान जी भी उनके साथ हैं। आगरा में जो करार हुआ, शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने जो बर्ताव किया, लेकिन जिवा महाला की वजह से शिवाजी बच गए। महाराष्ट्र के उमाजी नाइक, भागोजी नाइक और खाजा नाइक जी हमारे पूर्वज थे। झांसी की रानी के बारे में मेरे मित्र बता रहे थे कि वहां आदिम जाति की रानी ने मध्य प्रदेश में इतने जोरदार तरीके से अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन किसी के पास लिखने के लिए स्याही नहीं मिली, यह थोड़ा दुर्देव है, इसलिए मुझे आन्तरिक नीति का बहुत दुख होता है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने एक घटना लिखी और घटना के बारे में बोला कि 1947 में मंदिर और मस्जिद की जैसी स्थिति थी, वैसी ही रहनी जरूरी है, लेकिन छ: दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी, यह ठीक नहीं हुआ। इस बारे में बाबरी मस्जिद क्या है, यह कहना ठीक नहीं है। लेकिन बाबा साहेब की घटना का अवमान किया, यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठिये।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: मेरा कहना है कि इस बारे में विष सारे देश में फैलाया गया, किसी ने कहा गर्व से कहो हम हिन्दू हैं, किसी ने कहा गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, इस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने का काम आपने किया है। मेरी प्रार्थना है कि राष्ट्रनीति क्या होगी, कैसी होगी, इराक अमेरिका क्या संबंध है, हमारा पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, इससे आगे बढ़कर भारत के जो आदमी हैं, ये सब एक साथ मिलकर राष्ट्र के हित में जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, यह हर तरफ से हर आदमी को बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस मांग का निम्नलिखित कारणों से विरोध करने को विवश हूं।

पहला कारण यह है कि स्थायी समिति ने यह सिफारिश की थी:

> "अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय कम से कम अब तो अपने पास उपलब्ध सभी आदानों और वित्त वर्ष में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखकर भविष्य में वास्तविक बजटीय अनुमान लगाने हेतु ठोस कदम उठाए ताकि वर्ष के अंत में खर्च न किए गए भारी शेष से बचा जा सके।"

अत: ये बिल्कुल स्पष्ट है कि खर्च न की हुई राशि है। यदि समय हुआ तो मैं अन्य मामलों के बारे में भी बात करूंगा। अब, हालिया मामले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास देश में अनेक पासपोर्ट कार्यालय हैं। वे सभी किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं और वहां बैठने का भी स्थान नहीं है। लोग वहां सैकड़ों की संख्या में आते हैं और इससे कार्यालय में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, इन कार्यालयों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। अत: गरीब आदमी को समय पर पासपोर्ट मिलना काफी मुश्किल होता है। हम उन्हें रोजगार नहीं दे सकते हैं बल्कि वे अन्यत्र कहीं, विदेश में, जाकर रोजगार पा लेते हैं। पासपोर्ट प्राप्त करके करीब सत्रह लाख मलयाली खाडी देशों में काम कर रहे हैं। वे विदेशी मुद्रा भी कमा रहे हैं किंतु अब पासपोर्ट पाने में असाधारण विलम्ब हो रहा है चाहे वे आसानी से वीजा प्राप्त कर सकते हों। हमारे देश में यह स्थिति है। अत: मैं माननीय विदेश मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह अधिक स्टाफ देकर इस स्थिति को सुधारने हेतु तत्काल कदम उठाये। मध्य पूर्व देशों में, लाखों मलयाली काम कर रहे हैं किंतु वे मलयालम के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं जानते हैं। अत: उन वाणिज्य दूतावासों में कर्मचारियों को मलयालम भाषा आनी चाहिये। कम से कम मलयालम

भाषा का ज्ञान होने वाले एक कर्मचारी को वहां तैनात करना चाहिये ताकि मध्य-पूर्व में कार्यरत मलयाली कर्मचारियों की जरूरतें पूरी की जा सकें।

अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। हमने वाशिंगटन में एक भवन खरीदने के लिए 5 बिलियन डालर खर्च नहीं किए हैं। हमने एक भवन खरीदने के लिए 5 बिलियन करोड़ डालर खर्च नहीं किए हैं। किंतु साथ ही हमें अपने पासपोर्ट कार्यालयों के निर्माण हेतु कोई राशि नहीं मिली है। वे अभी भी किराए के भवन में हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, आपकी बात अच्छी तरह सुन ली गई है। कृपया बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: कृपया मुझे एक मिनट और दीजिए *...(व्यवधान)*

इराक के मामले में, हम बीच का रास्ता अपना रहे थे। जब हम जाने-अनजाने बीच का रास्ता अपना रहे थे, हमारे माननीय विदेश मंत्री ने उस आशय की घोषणा की थी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह अंतिम वक्ता हैं। कृपया अपना भाषण शुरू कीजिये।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, मैंने आपका नाम पुकारा था किंतु आप सभा में उपस्थित नहीं थे। कृपया बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना अंतिम वाक्य बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: पहले आक्रमण करते के मामले में हमारे माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। फिर, इस्लामाबाद से नहीं पेंटागन से रिपोर्ट आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश नहीं है यद्यपि वे सीमापार आतंकवाद का अपराध कर रहे हैं। अत: उन दिनों में भी जब हम बीच का रास्ता अपना रहे थे, अमरीकी प्रशासन, पेंटागन एक ऐसा रूख अपना रहा था जो हमारे हितों के प्रतिकूल है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: अत: आतंकवाद से निपटने के मामले में कृपया अमरीकी प्रशासन पर अधिक निर्भर मत रहिये।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में आपने मुझे भाग लेने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय के खर्चों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ विदेशों के अंदर हमारे जो दूतावास हैं, उन दूतावासों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। अभी जो हमारे पासपोर्ट कार्यालय हैं, उन पासपोर्ट कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, विदेश मंत्रालय उस भ्रष्टाचार को भी दूर करने का प्रयास करे। इसके साथ-साथ पासपोर्ट कार्यालयों में दलालों का जो गिरोह है, उस गिरोह के विरुद्ध यदि आप कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि पासपोर्ट कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वहां आकस्मिक छापे डलवायेंगे तो निश्चित तौर पर वस्तुस्थिति से आप अवगत होंगे।

आज विदेश नीति पर इसी के माध्यम से चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार जब से बनी है, विदेश नीति की कूटनीतिक विफलता स्पष्ट तौर पर उजागर हुई है। अभी पिछले दिनों 13वीं लोक सभा के गठन के पश्चात् जिस तरह से नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारतीय विमान का अपहरण हुआ और उस अपहरण के पश्चात् अपहरणकर्ताओं और दुर्दान्त आतंकवादियों को छोड़ा गया, रिहा किया गया, जिस तरह से हमारा देश उन आतंकवादियों के समक्ष नतमस्तक हुआ, निश्चित तौर पर हमारी विदेश नीति की जो असफलता है, वह उससे रेखांकित हुई है।

हमारे प्रधान मंत्री को जब कभी अदृश्य ताकत रात को प्रेरणा देने का काम करती है तो सवेरे उनकी भाषा बदल जाती है। उस अदृश्य ताकत के दबाव में मैंने साढ़े तीन वर्षों में यही देखा है कि वे बार-बार अपनी भाषा बदलते रहते हैं। वे साल भर कहते

[कुंवर अखिलेश सिंह]

रहेंगे कि किसी भी कीमत पर हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे, पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने का काम नहीं करेंगे लेकिन जब अदृश्य ताकत अपना प्रभाव छोड़ेगी तो प्रधान मंत्री जी की रातों-रात भाषा बदल जाती है। जब भारत की संसद पर आक्रमण हुआ तो प्रधान मंत्री ने इसी सदन के अंदर जो वक्तव्य दिया, यदि उस वक्तव्य को निकालकर देखें तो स्पष्ट तौर पर यह बात साबित हो जाता है कि प्रधान मंत्री आज जो कुछ कह रहे हैं और उस समय सदन के अंदर जो कहा था, दोनों बातों में विरोधाभास है। समाजवादी पार्टी भारत और पाकिस्तान के मधुर रिश्तों की हिमायती है। अगर भारत के सम्मान और स्वाभिमान को बेचकर हम पाकिस्तान से रिश्ते मधुर करने की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने आत्मसम्मान को बेचकर, गिरवी रखकर पाकिस्तान से अपने संबंधों को मधुर करने की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस तरह की दोस्ती की हमें आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों जिस तरह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हमने अपने सेनाओं की तैनाती की और लगातार छः महीनों से ऊपर हमारी सेनाएं सीमा पर डटी रहीं, उससे पूरी दुनिया में क्या संदेश गया और किसके दबाव में आपने उन सेनाओं को वापस बुलाने का कार्य किया।

इराक युद्ध के संदर्भ में पिछले सत्र में प्रधान मंत्री जी ने इसी सदन में जो वक्तव्य दिए, उनके वक्तव्य को निकालकर देख लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। उन्होंने इसी सदन के अंदर यह आशा व्यक्त की थी कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन उनकी ये आशाएं निराधार साबित हुईं और अमरीका और ब्रिटेन ने बर्बरतापूर्वक इराक के ऊपर हमला किया। मानवता कराहती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और हम मूकदर्शक बनकर बैठे रहे। आपकी कृपास्वरूप देश को शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा और आपके हस्तक्षेप से इस सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिससे हम दुनिया के सामने थोड़ा मुंह दिखाने लायक हो गए वर्ना सरकार ने पूरी दुनिया ने जिस तरह के वक्तव्य दिए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इराक के संदर्भ में जो सोच थी, वह स्पष्ट तौर पर उजागर हो गई है। मैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे देश की जो गृह नीति है, अर्थ नीति है और जो सत्तारूढ़ दल है, वह जब तक अपने दलगत हितों से ऊपर उठकर देश हित में विदेश नीति को लागू नहीं करेगा, तब तक हम सही और स्पष्ट नीति नही लागू कर सकते। कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के प्रति जो दुराग्रह के भाव इनके मन में हैं, वे दुराग्रह के भाव स्पष्ट तौर पर इराक के सवाल पर देखने को मिले हैं। ...*(व्यवधान)*

अभी कश्मीर के सवाल पर खारबेल स्वाइं जी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उसी कश्मीर के अंदर जो कश्मीर में बसे हुए लोग हैं, जिन्हें कल तक देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता था, आज अगर कश्मीर के अंदर शान्तिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न हुए हैं तो इसका श्रेय सरकार को नहीं जाता, इसका श्रेय वहां की जनता को जाता है। वहां के शान्तिपूर्ण चुनाव इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि वहां की जनता देश के अंदर आस्था रखती है, उसका लोकतंत्र के अंदर विश्वास है। जो उनकी विदेश नीति है, उसकी विफलता, हमारे बगल में नेपाल है जो दुनिया का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र है, आज नेपाल से भी इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, बंगलादेश की स्थिति आपके सामने है, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान, हम पड़ोसी मुल्कों से भी अपने रिश्ते मधुर नहीं बना पाए हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं। इनका दल लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि नेपाल के अंदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. अपनी गतिविधियां फैलाती चली जा रही है। यदि नेपाल भारत का मित्र है और उसके अंदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अपनी गतिविधियां बढ़ाती चली जा रही हैं तो यह हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है। हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं, सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं नेपाल के ऊपर दबाव डालकर हम इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए नेपाल सरकार को आगे आने के लिए विवश करने का कार्य करते हैं।

आज सार्क सम्मेलन की विफलता भी साबित हो चुकी है। इसलिए हम इस सदन के माध्यम से विदेश मंत्री जी, यह चाहेंगे कि यदि सार्क पार्लियामैंट के गठन के लिए हमारा देश पहल कर सके तो हमें सार्क पार्लियामैंट के गठन के लिए, अब वक्त आ गया है, पहल करनी चाहिए क्योंकि आज यूरोप ने यूरोपियन पार्लियामैंट का गठन करके निश्चित तौर पर दुनिया में अपना एक अहम स्थान बनाने का कार्य किया है। ...*(व्यवधान)* हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिये।

अभी रासा सिंह रावत जी कह रहे थे कि अमरीका में भारत समर्थकों की तादाद बढ़ रही है। अभी जब इराक का युद्ध हो रहा था तो उसी अमरीका के अंदर इराक के युद्ध के विरोध में लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद भी अमरीका और ब्रिटेन की गठबंधन सेनाओं ने इराक पर बर्बरतापूर्वक आक्रमण किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुगालते में मत रहिए कि अब अमरीका के अंदर भारत समर्थक लोग बढ़ रहे हैं तो अमरीका उन समर्थकों के दबाव में भारत का हितैषी हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* देश की आजादी के बाद से अब तक का इतिहास रहा है कि अमरीका कभी भी भारत का हितैषी नहीं रहा हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अमरीका से सावधान रहना चाहिए और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन दौर के भारत की भूमिका का हमको निर्वहन करना चाहिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, अटल जी की सरकार की देश की नीति ही ठीक नहीं है तो विदेश की नीति कैसे ठीक होगी। प्रधान मंत्री का मंत्रालय ही ठीक नहीं है तो श्री यशवंत सिन्हा का विदेश मंत्रालय कैसे ठीक होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले: नहीं आप इसे गंभीरता से लें।

[हिन्दी]

अपने देश के बारे में हमें जरूर गर्व है। कहने का मतलब यह है कि हमें हमारे देश पर अभिमान होना चाहिए और हमारे देश की विदेश नीति दुनिया में गर्व की बात होनी चाहिए। इसीलिए हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान के साथ अभी-अभी प्रधान मंत्री जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है।...*(व्यवधान)* पाकिस्तान के साथ बहुत बार दोस्ती का हाथ फैलाने के बाद भी जनरल मुर्शरफ के दिमाग में दोस्ती की बात नहीं आती है। हम पाकिस्तान के साथ सही में दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन यहां का आतंकवाद खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सरकार क्या-क्या करने वाली है। हम तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती दिल से करना चाहते हैं। हमारे देश की बहुत बड़ी परम्परा है। इसीलिए हमारा कहना है कि अगर पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है तो पाकिस्तान की भी दोस्ती की तैयारी होनी चाहिए उसकी आतंकवाद फैलाने की तैयारी है। इतनी बार धमकी देने के बाद भी, पूरी आर्मी बार्डर पर कितने दिन तक वहां रही और प्रधान मंत्री जी बता रहे थे कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है और पूरे देश के 110 करोड़ लोग आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान के साथ युद्ध एक बार कर दीजिए। केवल कारगिल और जम्मू-कश्मीर का एरिया ही नहीं, एक बार पाकिस्तान पर कब्जा करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अमरीका ने इराक पर किया। हम अमरीका का समर्थन नहीं करते हैं, रूस का समर्थन नहीं करते हैं लेकिन अमरीका ने इराक पर हमला करके इराक को कब्जे में ले लिया है और हालांकि उसको कब्जे में लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह एक बार यशंवत सिन्हा जी, आपके पास डिफेंस नहीं है, आवश्यकता थी। अगर अभी जार्ज के पास है। इसलिए लड़ाई करनी है तो जिम्मेदारी आपकी नहीं है लेकिन उसके लिए हमारा इतना ही कहना है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ आपने बढ़ाया है तो मुर्शरफ जी को भी आपका साथ देना चाहिए।

अटल जी, जनरल मुर्शरफ के सामने क्यों फैला रहे हो दोस्ती का हाथ,

*वह एक दिन कर देगा घात।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उस शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहा हूं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: ठीक है। निकाल दीजिए। शब्द निकाल दीजिए मगर हमारी भावना यही है क्योंकि हम देश से प्रेम करने वाले लोग हैं और इसीलिए हमारा इतना ही कहना है कि पाकिस्तान के साथ आप मत करो बात, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बात करने की आवश्यकता नहीं है।

पाकिस्तान के साथ मत करो बात, दिखा दो उनको अपनी शक्ति का हाथ।

पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी जो विदेश नीति है. ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): रामदास जी की भावना हो सकती है लेकिन सदन की भावना नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: सदन की भावना यही है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए। अगर आप मेजोरिटी लेना चाहते हैं तो ले लें। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होना ही चाहिए।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, मुझे अति प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व में इस सभा ने विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा आरंभ की है। मुझे विश्वास है कि यह कार्य ग्यारह वर्ष के लंबे समय के बाद किया जा रहा है। पिछली बार विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर वर्ष 1992 में सभा में चर्चा की गई थी। इसलिए, हम सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी ही यह निर्णय लिया था कि कि कार्यमंत्रणा समिति अध्यक्ष महोदय और आपने अनुदानों की मांगों पर चर्चा के माध्यम से विदेश नीति और विदेश मंत्रालय के कार्यकरण के संबध में चर्चा की जाये।

मैं चर्चा के स्तर को लेकर भी अति प्रसन्न हूं और अच्छी किस्म की चर्चा को लेकर भी प्रसन्न हूं जो मेरे माननीय साथी श्री आर.एल. भाटिया द्वारा आरंभ की गई और जिसका समापन श्री रामदास आठवले द्वारा किया गया। मेरा विचार है कि सभी विशिष्ट माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। कार्रवाई करने के लिए अनेक सुझाव आए हैं। हमने उन पर ध्यान दिया है। मैं यहां उठाए गए सारे मुद्दों का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं यहां पर उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश अवश्य डालना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहते हुए अपनी बात आरंभ करूंगा कि इस राष्ट्र के सर्वोत्तम हित को विश्व स्तर पर ले जाने के मद्देनजर इस देश की संपूर्ण नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में यहां की विदेश नीति का मुद्दा एक अहम् मुद्दा रहा है जिस पर

[श्री यशवन्त सिन्हा]

तुच्छ राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इस देश में कभी भी वाद-विवाद नहीं किया गया है। जब कभी सरकार ने इस देश के इतिहास में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं अथवा निर्णय लेने की सोची है तो सारे देश ने एक होकर सरकार का साथ दिया है।

श्री भाटिया ने विदेश नीति के लक्ष्यों की परिभाषा बताते हुए अपनी बात आरंभ की थी। किसी को इन लक्ष्यों से आपत्ति नहीं हो सकती। इस देश की विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य हमेशा बिल्कुल स्पष्ट रहे हैं; दिशा बिल्कुल स्पष्ट रही हैं, और नीतियों पर दिया गया बल बिल्कुल स्पष्ट रहा है। यह अलग बात है कि बदलती परिस्थितियों के संबंध में समय-समय पर उन मुख्य सिद्धांतों में अर्थभेद करना जरूरी होता है; विशेष परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिए उन सिद्धांतों को परिमार्जित करना जरूरी होता है जो व्यापक राष्ट्रहित हेतु सहायक होने जरूरी होते हैं।

कभी-कभी ऐसे अवसर आए हैं जब राष्ट्रहित की सोच की अलग-अलग ढंग से व्याख्या की गई है। कुछ लोगों ने राष्ट्रीय हित को एक प्रकार से समझा है तो अन्य लोगों ने दूसरे प्रकार से समझा है। लेकिन मुझे ऐसा एक भी अवसर ध्यान नहीं आता जहां पर विदेश नीति के पालन में सारे दल एक साथ सरकार के पीछे नहीं आए हैं, अथवा सरकार के पीछे नहीं खड़े हुए हों। यह बात आज भी स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय, इराक के संबंध में इस सभा द्वारा जो संकल्प स्वीकृत किया गया था वह विदेश नीति के संबंध में पूरे राष्ट्र की सहमति का एक बार फिर प्रदर्शन था हमारी कुछ समस्याएं थीं- जैसा कि मैंने उस दिन जिक्र किया था संकल्प की भाषा के संबंध में, लेकिन अंततः हम सब एक निश्चित नीति पर सहमत हो गए थे और अध्यक्ष महोदय आपके नेतृत्व में संकल्प को स्वीकार करना तथा विश्व की राष्ट्रीय सहमति की एकता और शक्ति दिखाना संभव था जो हमारी विदेश नीति का समर्थन करती है।

आज हम पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति में हैं, भूतकाल में भी हम ऐसी ही अच्छी स्थिति में रहे हैं जैसे इस देश के सर्वाधिक सम्मानित और सफल विदेश मंत्रियों में से एक रहे विदेश मंत्री श्री अटल जी इस मंत्रालय में कार्य भार देख रहे थे और आज वही विदेश मंत्री आज देश के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाले हुए हैं। उन्हीं के कुशल नेतृत्व में गत पांच वर्षों से बनी देश की विदेश नीति चल रही है, और भविष्य में भी चलती रहेगी।

मुझे एक बहुत ही सफल विदेश मंत्री का उत्तराधिकारी होने का सम्मान भी मिला है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य में भारत की प्रतिष्ठा को एक विशेष दर्जा और महत्व दिलाया है। इसलिए इस स्थिति में मेरा कार्य आसान और मुश्किल दोनों तरह का हो गया है क्योंकि मुझसे पहले मेरे पूर्ववर्ती काफी सुविख्यात रहे हैं।

हमने इस सभा में वाद-विवाद के समय कुछ विचार व्यक्त किए हैं क्योंकि कुछ सदस्यों ने पहले वैश्विक क्षेत्र में भारत की महिमा के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की। यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि हम उन दिनों को याद करें। उसके बाद, पहले की गई गलतियों के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए गए यदि हम पहले की उपलब्धियों को याद करते रहे तो हम पहले की गलतियों को याद करने से नहीं रोक पाएंगे। मैं अपने उत्तर में इस प्रकार के वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सामान्य मुद्दों का उल्लेख करते हुए, गुट-निरपेक्ष आंदोलन के विषय में बोलना आरंभ करूंगा। एक वक्ता के बाद अन्य वक्ता ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन का उल्लेख किया और इस तथ्य पर दुःख व्यक्त किया कि भारत ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन में अपनी पहले की श्रेष्ठता वाली हैसियत खो दी है, वास्तव में गुट-निरपेक्ष आंदोलन स्वयं में अपनी प्रासंगिकता खोता हुआ प्रतीत होता है। फरवरी के महीने में क्वालालम्पुर में आयोजित शिखर-सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष आंदोलन को पुनर्जीवित करना चर्चा का विषय था। दक्षिण अफ्रीका, जो गुट-निरपेक्ष आंदोलन का चार वर्ष तक अध्यक्ष रहा है, उसने क्वालालम्पुर में मलेशिया द्वारा अध्यक्ष बनने से पूर्व, दो बैठकें बुलाईः पहली बैठक जिम्बाली नामक स्थान पर बुलाई, इसलिए वह बैठक जिम्बाली समूह और जिम्बाली प्रक्रिया के नाम से बन गई। ये बैठकें इक्कीसवीं शताब्दी में गुट-निरपेक्ष आंदोलन को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से आयोजित की गई क्योंकि स्वयं गुट-निरपेक्ष आंदोलन ने भी यह महसूस किया कि कहीं न कहीं वह अशक्त हो रहा है और इसलिए इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

जाम्बेली समूह की दूसरी बैठक दिसम्बर में केपटाउन में हुई थी, उसमें स्वयं मैंने भाग लिया था। मैं इस बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री के रूप में केपटाउन गया था। महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा को विश्वास में लूंगा तथा सभा को यह सूचित करूंगा कि उस बैठक में तीन पूर्ण मंत्री उपस्थित थेः एक दक्षिण अफ्रीका से थे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका मेजबान था, दूसरे मलेशिया से थे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से गुट-निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता लेने वाला था और तीसरे भारत से थे। उस समूह में अन्य सभी देश, जिसमें गुट-निरपेक्ष आंदोलन के पूर्व अध्यक्ष और समूह के सदस्य सम्मिलित थे, और अरब लीग के प्रतिनिधि, श्री आमरे मूसा भी सम्मिलित थे, उनका प्रतिनिधित्व राज्य मंत्री, उप मंत्री, अथवा अधिकारिक स्तर पर किया गया था। मैंने दक्षिण अफ्रीका जाने और द्वितीय जाम्बेली समूह की बैठक में भाग लेने का निर्णय क्यों लिया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इस आंदोलन की सतत प्रासंगिकता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सिद्ध करना चाहता था तथा पुनः भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाना चाहता था।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा को विश्वास में लूंगा तथा यह कहूंगा कि सत्र की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ने मुझसे कहा कि 'भारत' गुट-निरपेक्ष आंदोलन की सतत प्रासंगिकता के लिए एजेंडे का सुझाव दे जिसे कि उसके बाद क्वालालम्पुर के शिखर-सम्मेलन में स्वीकार किया जा सके

तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने काफी मेहनत की मेरा विचार है कि यहां पर श्री मणिशंकर अय्यर मुझसे सहमत होंगे। एक समय विदेश सेवा से जुड़े होने पर, कि हमारी विदेश सेवा में कुछ बहुत बुद्धिमान अधिकारी हैं। हमने उनसे अति उत्तम स्तर की सहायता मिलती है। हमने साथ मिलकर विचार-विमर्श किया और अगले दिन, हमने सिफारिशों का एक सेट प्रस्तुत किया जिस पर इक्कीसवीं शताब्दी का एजेंडा आधारित होना चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से मुझे सभी को यह सूचित करते हुए कुछ संतोष हो रहा है कि वह एजेंडा बिना कोई परिवर्तन, संशोधन किए स्वीकार कर लिया गया और यही एजेंडा क्वालालम्पुर के शिखर-सम्मेलन में भी स्वीकार कर लिया गया। भारत ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन की सतत प्रासंगिकता के लिए यही योगदान दिया है। लेकिन ऐसे में, मैं यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि कि केपटाउन और क्वालालम्पुर दोनों स्थान पर, उदाहरण के लिए इराक का मुद्दा उठा।

इराक के मुद्दे पर गुट-निरपेक्ष आंदोलन को क्या कहना चाहिए? इस मुद्दे पर उसमें तीखे मतभेद थे क्योंकि गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अनेक सदस्यों के कुछ विचार थे और बहुत से सदस्यों के कुछ और विचार थे। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका अदा की कि हमने केपटाउन और साथ ही क्वालालंपुर में एक संकल्प स्वीकार किया था, जो कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन की सहमति, और गुट-निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, गुट-निरपेक्ष आंदोलन की गरिमा के अनुरूप था। ये संकल्प स्वीकार किए गए। क्या भारत को गुट-निरपेक्ष आंदोलन का नेता, विश्व का अविवादित नेता बनना चाहिए? मैं अवश्य ही यह स्वीकार करता हूं कि मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है।

नेतृत्व को अपने आप नहीं मान लिया जाता। नेतृत्व एक भूमिका है जिसका विकास होता है। हमारे इतिहास में ऐसा समय आया है जब अन्यों के साथ हमें नेतृत्व की भूमिका मिली। हम गुट-निरपेक्ष आंदोलन के निर्विवाद नेता नहीं थे। अन्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण थे। आज, अलग विश्व में, अलग संदर्भ में, यदि हमें जाना पड़े और यह कहना पड़े कि हम गुट-निरपेक्ष आंदोलन के नेता हैं, तो आज जो हमारी स्थिति है वह छिन जाएगी।

इसका कारण यह है कि चाहे कितना भी छोटे देश हो, चाहे हम किसी भी देश को कितना ही महत्वहीन माने, आज वे किसी दूसरे देश के नेतृत्व को बिना किसी प्रश्न के स्वत: स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए, हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ इस बात का जोर शोर से दावा किए बिना कार्य कर रहे हैं कि हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता हैं और हर एक को हमारी बात सुनना चाहिए, वे हमारी बात सुनेंगे, वे हमारी बात तभी सुनेंगे जब हमारे पास वैध मुद्दा होगा। हम इन वैध मुद्दों को उठाते रहेंगे। हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में योगदान देते रहेंगे। हम यह देखते रहेंगे कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अपनी भूमिका निभाता रहे।

मैं इस सभा को ध्यान दिला दूं कि जब विगत में हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत के नेतृत्व की बात करते हैं तो हममें से कई को याद होगा कि तब क्या हुआ था जब बांग्लादेश में सैनिक कार्रवाई हुई थी, बांग्लादेश में सैनिक कार्रवाई के दौरान सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव आया था। इसे पारित नहीं किया जा सका क्योंकि हमारे मित्र, तत्कालीन सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव का वीटो किया था। संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटिंग फार पीस प्रोसीजर नाम से एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद के सात सदस्य या महासभा के 50 प्रतिशत सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महासभा की बैठक बुला सकते हैं। जो प्रक्रिया इराक में वर्तमान संकट के मामले में स्वीकार नहीं की गई या की जा सकी उसे बांग्लादेश के मामले में स्वीकार की गई थी। जब महासभा में यह मुद्दा आया था तो भारत के विरुद्ध प्रस्ताव को 104 सदस्यों के मतदान द्वारा पारित किया गया था- भारत के पक्ष में प्रस्ताव के विरुद्ध 11 सदस्यों ने मतदान किया था और कुछ अन्य सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। क्यूबा और भूटान ही ऐसे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से जुड़े हुए देश थे जिन्होंने भारत के पक्ष में मतदान किया था। भारत के अलावा, अन्य देश तत्कालीन सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देश थे।

मैं सभा को यह बात याद दिला रहा हूं कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के स्वर्ण युग के दौरान ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के देशों से अपने दृष्टिकोण को समझ नहीं सके। इसलिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ-साथ हम इस आन्दोलन की सफलता के लिए भी कार्य करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि भारत के नेतृत्व और वर्तमान हालातों में हमें इससे अधिक आशा नहीं करनी चाहिए।

वास्तव में जब, मैं कैपटाउन जा रहा था, तो मैंने अपने मंत्रालय से कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों की बैठक सप्रू हाउस में आयोजित करने के लिए कहा था जो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन पर कुछ प्रकाश डाल सकें। उनमें से एक बुद्धिजीवी ने मुझे बताया था और कहा था कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अब सक्रिय नहीं रहा है लेकिन हम उसे भुना नहीं सकते। मैं इससे सहमत नहीं था, मैं दक्षिण अफ्रीका गया। क्वालालम्पुर जाते समय मैंने अपने स्तर पर एक बैठक बुलाई थी जिसमें मैंने बुद्धिजीवियों, पूर्व विदेश सेवा अधिकारियों और इस देश के राजनीतिक दलों के कुछ सदस्यों से विचार-विमर्श किया था।

मैं जानता हूं कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अवधारणा और प्रासंगिकता के संबंध में प्रमुख राजनीतिक दलों में मतभेद है। लेकिन मैं इसे उन पर ही छोड़ रहा हूं।

महोदय, श्री आर.एल. भाटिया ने वाद-विवाद को शुरू किया है, उनका पहला प्रश्न चीन से संबंधित है और मुझे खुशी है कि हमारी तरफ से वह 'इमीनेंट पर्सन्स ग्रुप' की अध्यक्षता करते है। वह इसकी अध्यक्षता इसलिए करते हैं क्योंकि श्री आर.एल. भाटिया और 'इमीनेंट पर्सन्स ग्रुप'' में भारत का दृष्टिकोण को रखने की उनकी योग्यता पर हमें पूर्ण विश्वास है। मुझे भी दोनों ही तरफ के गणमान्य व्यक्तियों से नई दिल्ली में आयोजित पिछली बैठक में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

महोदय, हम चीन के साथ पंचशील के सिद्धांतों के एक दूसरे की चिंताओं पर परस्पर सूझबूझ तथा समानता के आधार पर दोस्ताना सहयोगी और अच्छे पड़ोसी, और परस्पर लाभ के संबंध चाहते हैं। हम बकाया मतभेदों के समाधान हेतु वार्तालाप की प्रक्रिया और चीन के साथ सृजनात्मक तथा सहयोगी संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महोदय, जनवरी में आई डी एस ए द्वारा एशियाई सुरक्षा संबंधी सम्मेलन आयोजित किया गया और उन्होंने मुझे इसके उद्घाटन हेतु आमंत्रित किया था। मैं इस सभा का थोड़ा समय उस भाषण को पढ़ने के लिए लेना चाहता हूं जो मैंने वहां दिया था, मैं उद्धृत करता हूं:

> ''यह सच है कि भारत और चीन के बीच में महत्वपूर्ण मतभेद हैं। 1962 में लगे कुछ घाव धीरे-धीरे भर रहे हैं अभी भी उनके निशान पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए है। चीन द्वारा पाकिस्तान को प्रचूर मात्रा में परमाणु और प्रक्षेपास्त्र की विश्वसनीय और व्याप्त रिपोर्टें गम्भीर चिंता पैदा करती है, सिक्किम और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी जैसे मुद्दों पर चीन की स्थिति सन्देह पैदा करती है। संबंधों में सुधार की गति भी निराशाजनक है।
>
> तथापि, मैं यहां उपस्थित हर एक को आश्वस्त करता हूं कि चीन के साथ संबंधों में भारत का दृष्टिकोण प्रगतिशील और आशावाद से ओत-प्रोत है। भारत की नीतियां न तो चीन की ताकत और न ही चीन की आर्थिक उपलब्धियों से ईर्ष्या पर आधारित होगी। वह इस धारणा पर आधारित होगी कि समृद्ध भारत समृद्धता के विषय में भी है। इसलिए, यह तर्क संगत उचित और दोनों देशों के आपसी हित में है कि वे एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं बल्कि मतभेदों को दूर करे जो कामन हित में हैं और उन पर कार्य भारत और चीन दोनों ही विशाल और शक्तिशाली देश है- मैं दोहराता हूं- वे इतने विशाल और शक्तिशाली हैं कि उन्हें भी अन्य देश नियंत्रित या धमका नहीं सकता।''

महोदय, मैंने यही भाषण दिया था और यही वह भाषण है मुझे विश्वास है इसके बारे में श्री आर.एल. भाटिया अवगत हैं। इस भाषण की चीन और चीनी मीडिया में व्यापक प्रशंसा की गई थी।

महोदय, तिब्बत के संबंध में हमारी सुविचारित स्थिति क्या है? हमारी सुविचारित स्थिति यह हैं कि हम तिब्बत को चीन का स्वायत्त क्षेत्र मानते हैं और वहां यह स्थिति बनी हुई है। हमारे तिब्बत के साथ ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक संबंध हैं। भारत में दलाई लामा को आध्यात्मिक और धार्मिक नेता के रूप में सम्मान दिया जाता है। उन्हें भारत में राजनीतिक गतिविधि में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमने महापावन दलाई लामा और चीन सरकार के बीच सभी पुराने मतभेदों को दूर करने के लिए सीधे वार्तालाप का सुझाव दिया है और मुझे खुशी है कि इस संबंध में कुछ वार्तालाप शुरू हो गई है।

चीनी प्रधानमंत्री मिस्टर जू रोंगजी गत वर्ष जनवरी में भारत में थे। हमारे रक्षा मंत्री पहले से ही चीन में हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने आई डी एस ए में उसी सम्मेलन में एक भाषण भी दिया था। उन्होंने चीन को भारत का एक नबंर का दुश्मन कहे जाने संबंधी अपने वक्तव्य के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया। मैं यह तथ्य भी जानता हूं कि चीन इस बात का बहुत इच्छुक है कि रक्षा मंत्री चीन का दौरा करें। इराक में हुई घटनाओं के मद्देनजर इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। यात्रा की नई तारीख निर्धारित की गई है। रक्षा मंत्री चीन में हैं। मैं समझता हूं कि उनका इस प्रकार स्वागत किया जा रहा है जिस प्रकार सरकार के प्रमुख व्यक्ति का दौरे के समय किया जाता है। चीन हमारे रक्षा मंत्री का इस प्रकार से स्वागत कर रहा है। उन्होंने काफी उपयोगी बात की है। उनके वापस लौटने पर हमें उनकी यात्रा की पूरी जानकारी मिलेगी।

प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। जैसा कि श्री भाटिया ने कहा है कि यात्रा की तारीख निर्धारित की जा रही है। हमें आशा है कि वे शीघ्र ही चीन जाएंगे। महोदय, आपने चीन जाने वाले एक संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। आपकी वहां काफी अच्छी बैठकें हुई थी। चीन के साथ हमारा व्यापार पांच बिलियन डालर से ऊपर जा चुका है। वह हमारे बड़े व्यापार पार्टनर में से एक है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सभा में अपनी पूर्व हैसियत से मैंने आर्थिक क्षेत्र में चीन के नए आक्रमण के बारे में काफी चिंताजनक बातें सुनी थीं और यह सुना था कि किस प्रकार भारत अपना दबदबा नहीं रख पाएगा। हमनें अपना दबदबा बरकरार रखा है। चीन के साथ हमारा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी क्षेत्र विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारे दिमाग में कोई शंका या चिंता पैदा हो। हम चीन के साथ आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में अपनी सहभागिता बढ़ाने हेतु कटिबद्ध हैं।

जहां तक वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल ए सी) और सीमा संबंधी प्रश्न का संबंध है, इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है और रजामंदी की प्रक्रिया है; एक त्रिस्तरीय फार्मूला है। हम प्रगति कर रहे हैं। मुझे आशा है, हम प्रगति करते रहेंगे। कुछ कठिनाइयां आएंगी। रास्ते में कुछ बाधाएं आएंगी। हम इन कठिनाइयों अथवा बाधाओं की सारी समझबूझ के रास्ते में कोई दरार पैदा नहीं करने देंगे। लगभग दो दशकों से भारत-चीन सीमा पर शांति है। हम भविष्य में भी इसे बरकरार रखने को कटिबद्ध हैं। जहां तक चीन का संबंध है- हमारा उसके प्रति यह दृष्टिकोण है।

महोदय, रूस के साथ हमारे संबंध नई ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। जैसा कि श्री शिवराज पाटील कह रहे थे यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि हम विगत में अपने संबंधों को बरकरार रखने में सफल रहे हैं। वास्तव में जब पूर्व सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो रूस को उपद्रव के दौर से गुजरना पड़ा। हम न केवल रूस के साथ अपने संबंधों को बरकरार रख पाए अपितु हमने रूस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंध में भी सुधार किया है। अब हमारे उससे काफी नजदीकी संबंध बने हुए हैं। दोनों सरकार के प्रमुख प्रतिवर्ष हमारी राजनीतिक भागीदारी के अंतर्गत एक दूसरे के देश

का दौरा करते हैं। इसी करार के अंतर्गत राष्ट्रपति पुतिन दिसम्बर में भारत आए थे। मैं फरवरी में रूस गया था। मैं मई में किसी समय पुन: रूस जाऊंगा। प्रधानमंत्री मई के अंत में रूस जाएंगे क्योंकि उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग शहर की 300 वर्षगांठ समारोह हेतु कुछ अन्य देशों के सरकार प्रमुखों सहित आमंत्रित किया गया है। अत: वे रूस जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा है- सहयोग के सभी क्षेत्रों में हमारे घनिष्ठ संबंध हैं। हम रूस के साथ अपने संबंधों का न केवल मैत्रीपूर्ण अपितु एक सभ्यता के रूप में व्याख्या करते हैं क्योंकि यह ऐसी चीज है जो समय पर परखी गई है और बरकरार है। यह एक ऐसा संबंध है जिसकी भारत कद्र करता है, यह वह संबंध है जिसे हम प्रगति जारी रखने के लिए बरकरार रखेंगे।

अब मैं यूरोप की बात पर आता हूं। अब हमने यूरोपीय संघ के साथ शिखर सम्मेलन किया है और यूरोपीय संघ का विस्तार हो रहा है। उसकी सदस्य संख्या 15 से बढ़कर 25 होने जा रही है। आने वाले वर्ष 2004 में दस और देश यूरोपीय संघ में शामिल होने जा रहे हैं। अपने कवरेज में यह पेन-यूरोपीय संघ बनने जा रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोपीय संघ का अब राजनैतिक और नीतिपरक हैसियत प्राप्त कर रहा है। ऐसा हो रहा है। इसने व्यापारिक निकाय के रूप में काम करना शुरू किया है। अब धीरे-धीरे यह एक वास्तविक संघ के रूप में विकसित हो रहा है जिसकी एक ही मुद्रा होगी।

चीन, जापान, अमरीका, कनाडा और रूस आदि पांच देशों के साथ यूरोपीय संघ ने शिखर वार्ता की है और छठा देश भारत है। अभी तक हमने तीन से अधिक बार शिखर वार्ता की है। एक जुलाई से इटली को यूरोपीय संघ का नेतृत्व अध्यक्षता अथवा अध्यक्ष पद मिल जाएगा। अगली शिखर वार्ता नवम्बर में दिल्ली में होनी है। हम इस वार्ता को सफल बनाने हेतु कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रत्येक शिखर वार्ता के साथ यूरोपीय संघ की व्यापार वार्ता होगी। यह भी काफी महत्वपूर्ण है।

अब हम 'आसियान' की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वी एशिया में दस देशों ने मिलकर 'आसियान' का गठन किया है। 'लुक ईस्ट' नीति श्री नरसिम्हा राव की नीति है। हम उस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि विदेश नीति में कांग्रेस के योगदान का उल्लेख स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का उल्लेख करने पर ही खत्म होता है और श्री नरसिम्हा राव का कोई उल्लेख नहीं किया गया। श्री भर्तृहरि महताब ने बाद में श्री नरसिम्हा राव का उल्लेख किया। उनके समय में 'लुक ईस्ट' नीति तैयार की गई थी। हमने उस नीति का अनुसरण किया है। भारत की एक प्रमुख उपलब्धि आसियान के शिखर वार्ता स्तर पर बातचीत करनी है। गत वर्ष नवम्बर में नोंम-पेंग में पहली शिखर वार्ता आयोजित की गई थी। उस वार्ता में मैंने और प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। हमारे दृष्टिकोण से यह एक बहुत सफल वार्ता थी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान को यह सुझाव दिया था कि हमारे बीच एक मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिये; उन्होंने कहा कि आसियान और भारत के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिये। हमने इसके लिए एक दस वर्ष की समय सीमा और इसे बनाने हेतु उर्वर संकल्पना का सुझाव दिया।

हम थाईलैंड के साथ अलग से मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री उस समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु हाल ही में यहां आए थे। अब चीन और जापान की तरह भारत की आसियान से मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बातचीत कर रहा है।

चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की आसियान के साथ एक शिखर वार्ता स्तर का संबंध है। भारत चौथा देश है जिसका आसियान के साथ शिखर वार्ता स्तर का संबंध है।

इसी प्रकार, तालिबान के सत्ता के बाद वाले अफगानिस्तान के साथ हमारे काफी घनिष्ठ संबंध हैं। हम उस 100 मिलियन डालर की सहायता के माध्यम से अफगानिस्तान में काफी उपयोगी काम कर रहे हैं जो प्रधान मंत्री ने देने का वादा किया है। हम स्कूल बना रहे हैं; हमने काबुल में इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय को उन्नत बनाने में योगदान दिया है; हमने उन्हें बसें दी हैं; हमने उन्हें उड़ने के लिए तीन वायुयान दिए हैं। हम नलकूप खोद रहे हैं हम उनकी कृषि में सहायता कर रहे हैं। यही विकासात्मक दृष्टिकोण है और यही मानवीय सहायता है।

हम उनके लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमने पहले इस प्रकार अफगानिस्तान में काम नहीं किया है। अफगानिस्तान के लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। जब मैंने इस मंत्रालय का काम संभाला था तो मैंने सबसे पहले कदम यह उठाया था कि मैंने वहां की यात्रा की और यात्रा करने वाले अधिकांश लोगों से भिन्न मैंने अपने को काबुल तक सीमित नहीं रखा। मैं अफगानिस्तान के अंदर तक गया; मैं मजार-ए-शरीफ, कंधार तक गया। मैं इन सभी स्थानों पर गया स्थानीय गवर्नरों से मिला और मैंने पुनर्वास तथा विकास संबंधी उनकी आवश्यकताओं के बारे में उनके साथ बातचीत की।

रात्रि 8.00 बजे

अत: हम अफगानिस्तान में काफी काम कर रहे हैं। मध्य एशिया के साथ हमारे संबंध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। मैं हाल ही में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान गया था। मैं वहां जाने वाला पहला विदेश मंत्री हूं। मैं इसे कोई विशेष उपलब्धि नहीं मानता हूं किंतु संयोगवश ऐसा हुआ कि मैं भारत का पहला विदेश मंत्री हूं जो इन 10-12 वर्षों में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान गया। यह हमारे संबंध भारत के मध्य एशिया के साथ संबंध कायम करने का एक नया पहलू है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

चर्चा के दौरान मैंने अफ्रीका और लेटिन अमरीका के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना किंतु इन देशों, इन महाद्वीपों के साथ हमारे काफी घनिष्ठ संबंध हैं। अफ्रीका और सीओएमईएसए के साथ हमने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हम अफ्रीका, एसईडीएसी, सीओएमईएसए, पूर्वी अफ्रीका में समुदाय देशों में सभी क्षेत्रीय समूहों के साथ अपने संबंधों का स्तर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगले कुछ दिनों में मैं तंजानिया और बोतस्वाना की यात्रा पर जा रहा हूं।

मैं न्यूयार्क अथवा वाशिंगटन नहीं जा रहा हूं बल्कि मैं तंजानिया और बोतस्वाना जा रहा हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि ये देश महसूस करें कि भारत उनको महत्व देता है।

महोदय, मारीशस के साथ हमारे संबंध जगजाहिर हैं। जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सवाल है, मैं इस सभा को पुन: विश्वास में लेना चाहता हूं। 1 जून माह में ब्राजीलिया में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। नयी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा विकासशील विश्व में भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे विकासशील देशों की क्या भूमिका होनी चाहिए, हमने एक साथ बैठक इस विषय पर चर्चा करने का निर्णय लिया है।

मैं लैटिन अमरीका विशेषत: ब्राजील और पेरू के दौरे पर जाने की इच्छा रखता हूं। एक रिओ ग्रुप है जिसके साथ लम्बे समय से हमारा संपर्क रहे हैं परंतु ये संबंध नाम-मात्र के ही रहे है क्योंकि हम सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा के दौरान ही मिला करते थे। हम मरकोसुर के साथ जो कि ब्राजील, अर्जेन्टीना, पेरागुवे और उरूग्वे का एक संगठन है। वरीयता व्यापार समझौता (पी टी ए) को मुक्त व्यापार समझौता में बदलने के लिए एक शिखर सम्मेलन करने हेतु चर्चा कर रहे हैं। हम इंडियन ग्रुप और 'कैरीकाम' के साथ संपर्क में हैं। मेरे सहयोगी, श्री दिग्विजय सिंह ने लैटिन अमेरिका का दौरा किया है जहां उन्होंने इन सभी बातों पर चर्चा की है तथा उनके दौरे से भारत के प्रति उनकी समझ काफी बढ़ी है। मैक्सिको के विदेश मंत्री ने यहां का दौरा किया है। कोलम्बिया के विदेश मंत्री ने यहां का दौरा किया है मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि चिली के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं और कल मेरी उनसे बातचीत होने जा रही है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि चिली के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। जब पैरागुवे के विदेश मंत्री भारत आए थे तो उन्होंने मुझे याद दिलाया था कि वे पैरागुवे के पहले विदेश मंत्री है जो भारत के दौरे पर आए हैं। यह श्री दिग्विजय सिंह के दौरे के प्रत्युत्तर में वापसी दौरा था। इस प्रकार, लैटिन अमेरीका के साथ हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं। हम वहां रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों के हितों का ध्यान रख रहे हैं।

पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नेपाल के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। मैंने किसी को कहते हुए सुना कि नेपाल के साथ हमारी कुछ समस्याएं हैं। नेपाल के साथ हमारी कोई समस्या नहीं है। नेपाल के अंदर कुछ समस्याएं है परन्तु हम नेपाल के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम नेपाल को वांछित सभी प्रकार की सहायता दे रहे हैं ताकि वह अपने यहां की समस्याओं से निपट सके। नेपाल के साथ हमारे संबंध सर्वाधिक मजबूत है। भूटान, श्रीलंका और मालदीव के साथ भी हमारे संबंध अत्यधिक मजबूत हैं। बांग्लादेश के साथ कुछ समस्याएं थी।

विदेश मंत्री के नाते मैंने सर्वप्रथम अपने पड़ोसी देशों का दौरा किया है। मैंने मालदीव से अपने दौरे की शुरूआत की। मैं श्री लंका, नेपाल और भूटान गया था। तत्पश्चात् मैं बांग्लादेश गया जहां हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई थी। कुछ समस्याएं थी और मैंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया तथा हमारी चर्चा काफी सुस्पष्ट रही। स्थितियों में सुधार आया है। दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों के स्तर पर चर्चाएं हुई हैं। इस महीने के अंत में विदेश सचिव विदेश कार्यालय के स्तर पर विचार-विमर्श हेतु ढाका जा रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि 15 जुलाई से पहले से बांग्लादेश और भारत के बीच संयुक्त आयोग की एक बैठक ढाका में होगी और मैं आशा करता हूं कि ये तिथियां भी निश्चित कर ली जाएंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ समस्याएं बनी हुई हैं परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमारे संबंध खराब हैं। हम उनके साथ सम्पर्क में हैं। जब कभी भी आवश्यकता पड़ी है बांग्लादेश के विदेश मंत्री और मैंने आपस में यहां तक कि फोन पर भी बातचीत की है।

जापान के साथ हम संबंध सुधार पाए हैं जो कि वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षण के पश्चात् कुछ खराब हो गए थे। जैसा कि हम जानते हैं, जापान परमाणविक विनाश का शिकार रहा है। इसलिए उनकी सोच काफी अलग है। नि:संदेह, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो वे निराश हुए थे। हम काफी धैर्यपूर्वक उन्हें अपनी बात समझाते रहे हैं और मुझे इस सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जापानी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली का दौरा किया है। मैं समझता हूं कि छह से आठ वर्षों के बाद कोई जापानी विदेश मंत्री भारत आयी है। उन्होंने नई दिल्ली का दौरा किया और हमारी काफी अच्छी बातचीत हुई। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जापान गए थे। उनकी भी बहुत अच्छी बातचीत रही। जापान के प्रधान बंत्री भारत आए थे। हमारे प्रधान मंत्री भी जापान गए थे। हमारे रक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों ने भी वहां दौरा किया हैं। हम आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक क्षेत्रों में जापान के साथ संबंध सुधार रहे हैं। जापान के साथ हमारी वैश्विक भागीदारी है। इस प्रकार, अधिकांश देशों के साथ हमारे इस तरह के संबंध हैं।

अब मैं अपेक्षाकृत कठिन विषय की चर्चा करूंगा। मैं पाकिस्तान का जिक्र करूंगा। मैंने पाकिस्तान के बारे में चर्चा अंत में करने

का निर्णय लिया है क्योंकि ऐसी धारणा है कि भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान संबंधी मामलों से अधिक कुछ नहीं है। मैं अमरीका के बारे में भी बात करूंगा। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक अमरीका के संबंध है, हमने उनके साथ पिछले कुछ वर्षों में संबंध सुधारने के लिए अथक प्रयास किए हैं। परमाणु परीक्षणों के पश्चात् हमारे बीच एक बार फिर काफी गलतफहमियां पैदा हो गयी थीं। सभा को ज्ञात है कि परमाणु परीक्षणों के चलते अमरीका ने कुछ देशों के साथ मिलकर भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। परन्तु अमरीका के साथ हमारे संबंधों में सुधार आया है। मैं जोर देकर कहता हूं कि अमरीका के साथ निरंतर बैरभाव रखना भारत की नीति न हो सकती है और न होनी चाहिए। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। अमरीका भी एक शक्तिशाली लोकतंत्र है। जैसा कि हम अपने देश में लोकतंत्र की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते उसी प्रकार हम अमरीका में लोकतंत्र की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते और नहीं करनां चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं जिसकी वजह से ये दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र आपस मिलकर कार्य नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम सभी मुद्दों पर एकमत हैं। हम सभी मुद्दों पर एकमत नहीं हैं तथा सबसे हाल की हमारी मतभिन्नता इराक मुद्दे पर रही है; परन्तु एक मुद्दे पर मतभेद से दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध खराब नहीं हो सकते हैं क्योंकि संबंधों का दायरा काफी बड़ा होता है।

इसलिए, इन मतभेदों के बावजूद-हमारे मतभेद के अन्य क्षेत्र हैं जहां हम धैर्यपूर्वक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तथा मैं यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इनमें से कुछ मतभेद बने रह सकते हैं और कुछ खत्म हो सकते हैं-हम भारत और अमरीका के बीच मित्रता को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। भारत और अमरीका के बीच आपसी दौरे हुए हैं तथा हमारे संबंध प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति जार्ज बुश द्वारा नवम्बर, 2001 में वाशिंगटन में हुई उनकी मुलाकात के दौरान उनके द्वारा किए गए परस्पर वादों द्वारा निर्देशित होते हैं। इसलिए, मैं चाहता हूं कि श्री रूपचंद पाल और कुछ अन्य इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी बात पर समझौते किए बगैर हमारे राष्ट्रीय हितों व अपने सिद्धांतों से समझौता किए बगैर यदि हम अमरीका के अच्छे संबंध बना सकते हैं तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे और ऐसा करेंगे। यही कारण है कि मैंने कहा था कि अमरीका के प्रति इस विवशतावश वैरभाव को पीछे छोड़ने की जरूरत है। यह हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है। यह विश्व शांति के लिए सहायक नहीं है।

श्री मणिशंकर अय्यर: क्या आपके द्वारा विवशतावश वैरभाव कहने का तात्पर्य यह है कि पहले अमरीका के साथ विवशतावश वैरभाव को जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता था? क्या विगत की कांग्रेस सरकारों पर आप यह आरोप लगा रहे हैं?

श्री यशवंत सिन्हा: नहीं, मैं समझता हूं कि आप मेरे द्वारा कही गयी बातों का जरूरत से ज्यादा ही अर्थ लगा रहे हैं।

मेरे कहने का अर्थ यह था कि देश में कुछ लोगों की राय अमरीका के प्रति विवशतावश वैरभाव रखने का पक्षधर है। यह बात बार-बार सामने आती है। मैं यह भी कह रहा हूं कि विगत समय में, मैं श्री मणिशंकर अय्यर पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, हमने अपनी समानताओं के बजाय मतभेदों पर अधिक ध्यान दिया है। आज क्या बदलाव आया है? परिस्थिति कैसे बदली है? इस वजह से नहीं कि हमारे मतभेद दूर हो गए है बल्कि दोनों देशों ने निर्णय लिया है कि हम अपने मतभेदों की अपेक्षा अपनी समानताओं पर अपेक्षाकृत विशेष बल देंगे। हम अपने मतभेदों को दूर करने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। हम संयुक्त योजना तैयार करना जारी रखेंगे परन्तु वह हमारे संबंधों का सार नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि श्री राशिद अलवी लौट आए हैं। परन्तु मैं उस पैरा के बारे में आश्चर्यचकित हो रहा था जहां से उन्होंने उद्धरण प्रस्तुत किया था। मेरे पास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है। मैंने अमरीका संबंधी दोनों अध्यायों और प्रस्तावना को पढ़ा है परन्तु वह वाक्य नहीं पा सका जिसमें हमने कहा है कि अमरीका के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं।

श्री राशिद अलवी: यह वाक्य वहां है।

श्री यशवंत सिन्हा: कृपया मुझे पृष्ठ संख्या बताइए।

श्री रूपचंद पाल: यह पृष्ठ संख्या 78 पर है। मैं उस पैरे को पढ़ रहा हूं।

> "11 सितम्बर 2001 को अमरीका में और 13 दिसम्बर 2001 को भारत की संसद पर हुये आतंकवादी हमलों से इस क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सहयोग गहरे हुये हैं।"

श्री यशवन्त सिन्हा: इसमें आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत-अमरीकी सहयोग प्रगाढ़ होने की बात कही गयी है *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: यही है। जो लिखा हुआ मैं वही पढ़ता हूं *...(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: श्री राशिद अलवी ने ऐसा कहा मानो अमरीका में हुये आतंकवादी हमलों के परिणामस्वरूप भारत-अमरीका संबंध प्रगाढ़ हुये हैं। आतंकवादी हमलों से इस क्षेत्र में भारत और अमरीका के संबंध गहरे हुये हैं। इस बारे में कोई गलतफहमी क्यों है?

श्री रूपचंद पाल: किस क्षेत्र में?

श्री यशवन्त सिन्हा: आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में।

श्री रूपचंद पाल: क्या संयुक्त राज्य अमरीका सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद की बात मानता है?

आपका ही मानना है कि आतंकवाद के मापने का उनका मानदण्ड दोहरा है।

श्री राशिद अलवी: मुझे केवल एक वाक्य कहने दीजिए।

[हिन्दी]

अगर आप इसमें यह भी कहेंगे कि सिर्फ इसलिए कि वहां पर कोई टैरेरिस्ट एक्टिविटी हुई है और हमारे देश में भी हुई है, इसलिए इस फील्ड में हम ज्यादा नजदीक आ गए तो किस तरह नजदीक आ गये? क्या पाकिस्तान में उसने टैरेरिज्म के लिए एक बिलियन डालर का उसका कर्जा माफ नहीं किया है, क्या उसे एड नहीं दी है, क्या पाकिस्तान के मामले में उसने अपनी पालिसी बदल दी है? इस फील्ड में आप कहां नजदीक आ गये, कैसे नजदीक आ गये, यह आप बताइये? *...(व्यवधान)* हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है। *...(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: आपने अपनी बात कह दी न।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कही है, अभी आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी: आप अमरीका के बहुत निकट आ गये हैं। इसके बावजूद मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछता हूं। क्या आप अमरीका पर विश्वास कर सकते हैं और क्या अमरीका भरोसेमंद देश है?

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत सामान्य बात है। आपने जो बात कही है, उसमें दृष्टिकोण की भिन्नता है।

श्री यशवन्त सिन्हा: श्री राशिद अलवी ने वार्षिक रिपोर्ट से उद्धरण देकर यह छवि बनाने की कोशिश की कि अमरीका और भारत की संसद पर हुये आतंकवादी हमलों के कारण हम निकट आये हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: आपने यही कहा है।

श्री यशवन्त सिन्हा: नहीं हम केवल यह कह रहे है कि इससे इस क्षेत्र में संबंध गहरे हुये हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: कृपया स्वीकार कीजिये कि यह हास्यास्पद बात आपने नहीं बल्कि आपके अधिकारियों द्वारा लिखी गयी है। उनकी भर्त्सना कीजिये और आगे बढ़िये।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं श्री मणिशंकर अय्यर की मनोवृत्ति से सहमत नहीं हूं। मैं इससे कभी सहमत नहीं था। मुझे अफसोस है। मैं अधिकारियों के विरुद्ध कही गई इस बात से सहमत नहीं हूं। इसमें किसी की भर्त्सना का प्रश्न नहीं है क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट में जो कहा गया हैं, वही हमारा आशय था। इसमें कोई गलती नहीं है। अत: मैं उनकी भर्त्सना किसलिये करूं?

श्री मणिशंकर अय्यर: उसी पर हम आपत्ति कर रहे हैं। आप अपने खराब मसौदा लिखने वालों से सहमत हैं और कह रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग इसलिये बढ़ा है क्योंकि हम पर और उन पर हमले हुये हैं। मंत्री पद की जवाबदेही के बावजूद विदेश मंत्री द्वारा लिया गया यह वैसा ही दुर्भाग्यपूर्ण रूख है जैसा उन्होंने वित्त मंत्रालय में बहानेबाजी द्वारा अपनाया हुआ था।

श्री यशवन्त सिन्हा: जैसा कि श्री मणिशंकर अय्यर जानते हैं, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मसौदा तैयार करने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। यदि श्री मणिशंकर अय्यर का मानना हैं कि उनके सेवा छोड़ने के बाद अधिकारियों की इस कला में ह्रास हुआ है, तो मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री मणिशंकर अय्यर: निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं एक खराब वाक्य का विदेश मंत्री क्यों समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको अपनी बात समाप्त करने में और कितना समय लगेगा?

श्री यशवन्त सिन्हा: कुछ और मिटनों में मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

श्री मणिशंकर अय्यर: हो सकता है, वह वाक्य किसी आई.ए.एस. ने लिखा हो *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: संसद पर हमला केवल एक घटना है। भारत में भी पिछले 15 वर्षों से ऐसी घटनायें हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

श्री यशवन्त सिन्हा: पूरी रिपोर्ट को पढ़ा जाना चाहिये। वह वाक्य कई वाक्यों के बाद आता है और एक विशेष संदर्भ में लिखा गया हैं।

श्री रूपचन्द पाल: वह पैरा का दूसरा वाक्य है।

श्री यशवन्त सिन्हा: लेकिन उससे पहले कई और पैरा हैं।

अब मैं अंतिम मुद्दे पाकिस्तान पर आता हूं और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: आप अपनी गलती स्वीकारिये।

श्री यशवन्त सिन्हा: जबरदस्ती गलती स्वीकारिये? *...(व्यवधान)* मैं उसके ऊपर आता हूं। बंसल साहब, आप बहुत अधीर हो जाते हैं। शिवराज पाटील जी ने रेज किया है, मैं उसे टच करूंगा मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं।

[अनुवाद]

अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ न केवल पिछले कुछ वर्षों में बल्कि 1947 से जब से भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ, हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। यह इतिहास की बात है। पिछले 55 वर्षों के दौरान हमारे संबंध में उतार चढ़ाव आया है। मैं इतिहास की इस बात पर सभा का समय नहीं खर्च करना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में सरकार का पहली और सबसे पसंदीदा विषय शांति का विषय है, मित्रता का विकल्प है और आपसी विचार-विमर्श का विकल्प है। यह पहला और सबसे पसंदीदा विकल्प है। प्रधान मंत्री ने श्रीनगर में स्पष्ट किया है, आज साफ किया है कि सार्थक बातचीत शुरू करने के लिये महत्वपूर्ण है कि घुसपैठ और सीमापार आतंकवाद बंद हो और पाकिस्तान ये स्थित आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया जाय। प्रधान मंत्री ने आज यही स्पष्ट किया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अब यह पाकिस्तान को तय करना है। यदि पाकिस्तान का जवाब सकारात्मक है, तो इस संबंध में उसे सबूत देने होंगे और तब हम निश्चित तौर पर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

कई लोग इस बारे में मेरे और प्रधान मंत्री के रवैये में अन्तर देखते हैं और इस विचार-भिन्नता पर काफी कुछ लिखा और कहा गया है। हिन्दुस्तान टाइम्स को दिये गये साक्षात्कार में मैंने जो कहा उससे उद्धरण दे रहा हूं। प्रश्न पूछा गया–

> ''अमरीका और इंग्लैण्ड ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के बिना इराक पर हमला किया। क्या पाकिस्तान जिसके पास सामूहिक विनाश के हथियार है, जहां लोकतंत्र का अभाव है और जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को पनाह देता हैं, ऐसी कार्रवाई के लिये सटीक देश नहीं है?''

मैं अपना जवाब भी उद्धृत करूंगा:

> ''यह ऐसी कार्रवाई के लिये सटीक देश है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन क्या वे (का आशय अमरीका और इंग्लैण्ड से है) ऐसा करेंगे, यह उन पर है। हम किसी देश से किसी अन्य देश पर हमला की ओर इशारा करते हैं और उसमें पाकिस्तानी सेना की भूमिका; पाकिस्तान में बना नशीली दवाओं के कारोबार का केन्द्र; और तीसरा किस तरह पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में लोगों का दमन किया जा रहा हैं।''

अन्य देशों के साथ होने वाली चर्चा में हम ये मुद्दे उठाते रहते हैं। यही मैंने कहा था। इस साक्षात्कार की खबर का शीर्षक था ''पाथ ए फिट केस फार अटैक विदाउट यू एन सपोर्ट: सिन्हा'' मैं शीर्षक का चयन नहीं करता हूं और इसलिये मैंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है, उसी से उद्धृत करूंगा।

श्री मणिशंकर अय्यर: आपने कहा था कि यह उपयुक्त मामला है। आपने अभी इसे पढ़कर हम लोगों को सुनाया है। आपके पहले दो वाक्य शीर्षक में पूर्णत: झलकते हैं। एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब जबकि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में नहीं है और आप विदेश मंत्रालय में हैं तो अपनी मसौदा तैयार करने की क्षमता को सुधारें।

श्री यशवन्त सिन्हा: अति आदरणीय मणिशंकर अय्यर जी, मैं इस विषय पर इस सभा में आपके साथ बहस में पड़कर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता।

मैं राज्य सभा में बोल रहा था जब वहां इराक संकल्प आया और इस मुद्दे को उठाया गया और मैंने स्पष्टीकरण वहां दे दिया था। मैंने कहा था कि जहां तक इराक के साथ तुलना का प्रश्न है, हमारे पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार नहीं हैं। मैंने कहा था कि हमारे पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि इराक का संबंध अलकायदा या आतंकवाद के साथ नहीं है। अत: जहां तक इन तीन मानदण्डों का प्रश्न है, इराक और पाकिस्तान के बीच केवल एक बात में समानता है, वह है लोकतंत्र का अभाव। अत: यह मानना कि इस प्रकार मैं इराक पर अमरीकी कार्रवाई का समर्थन कर रहा था, पूर्णत: गलत है। मुझे आशा है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इससे इस मुद्दे का स्पष्टीकरण हो जाएगा।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि इस सभा में एक बार फिर एक आरोप को सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ था क्योंकि वित्त मंत्री के रूप में चार वर्षों से मैंने ये आरोप सुने हैं। वह हमारे निर्णय करने की प्रक्रिया की स्वतंत्रता और स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है, चाहे वह आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो या कोई अन्य नीति। मेरे विचार से, प्रत्येक निर्णय को, वह भी इस सरकार के

[श्री यशवन्त सिन्हा]

साथ किसी दबाव या अन्य चीज से शीघ्र ही जोड़कर हम एक महान राष्ट्र के रूप में अपने साथ अन्याय करते हैं। जनरल त्रिपाठी और श्री खारबेल स्वाइं जैसे सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है। क्या हमने मई 1998 में परमाणु परीक्षण भी अमरीकी दबाव में किया था?

क्या वह भी अमरीकी दबाव का परिणाम था? क्या प्रेक्षपास्त्र परीक्षण भी अमरीकी दबाव का परिणाम था? इस देश की विदेश नीति को व्यापक राष्ट्रीय सहमति पर क्यों आधारित होना चाहिए? हमारी विदेश नीति व्यापक राष्ट्रीय सहमति पर आधारित है और इसे व्यापक राष्ट्रीय सहमति पर ही आधारित रहना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सा कारण यह है कि जब मैं भारत की तरफ से खड़ा होता हूं तो मैं किसी दल विशेष की तरफ से खड़ा नहीं हो रहा होता हूं। मैं पूरे देश के लिए खड़ा हूं। जब प्रधान मंत्री बोलते हैं, वे पूरे देश के लिए बोलते हैं। वे भारत के प्रधान मंत्री हैं।

हमारे छोटे मतान्तर हैं। हमारे मतान्तर बन रहेंगे क्योंकि यही राजनीति है। किंतु मेरा विनम्र तर्क यह होगा कि हमें विभाजित दिखकर या एक दूसरे पर दबाव के अंतर्गत काम करने का आरोप लगा कर भारत की स्थिति को कमजोर नहीं करना चाहिए और भारत के मामले को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। भारत किसी देश के दबाव के अंतर्गत काम नहीं करता है। इसीलिए मैंने चीन संबंधी अपने भाषण को यह कहने के लिए उद्धृत किया कि हम इतने विशाल और इतने महान और इतने बड़े राष्ट्र हैं कि किसी के द्वारा झुकाए नहीं जा सकते। हम झुकेंगे नहीं। हम अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से और हमारे सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित के अनुसार अनुपालन जारी रखेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम ऐसा करेंगे तो सभा और पूरा देश इसका समर्थन करेगा क्योंकि हम सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित में ऐसा कर रहे होंगे।

अध्यक्ष महोदय: विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर श्री पवन कुमार बंसल द्वारा कुछ कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए एक साथ रख दूं या माननीय सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से रखना चाहते हैं?

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 30 के सामने दिखाये गये मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 24 अप्रैल, 2003/4 वैशाख, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।